सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

७८

(१ अगस्त, १९४४ – ३१ दिसम्बर, १९४४)

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

७८

(१ अगस्त, १९४४ – ३१ दिसम्बर, १९४४)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

इस खण्डका (१ अगस्तसे ३१ दिसम्बर, १९४४ तक) मुख्य आकर्षण साम्प्रदायिक समस्याको सुलझाने की आशामें मु० अ० जिन्नाके साथ की गई गांधीजी की बातचीत है। यह बातचीत, जिसका सार दोनों नेताओंके बीच हुए पत्र-व्यवहारमें है, दिखाती है कि मुस्लिम लीगकी माँगों और देश जो स्वीकार कर सकता था उसके बीच ऐसी खाई थी जिसे भरा नहीं जा सकता था।

युद्धसे उत्पन्न अभावोंके कारण लोगोंके व्यापक कष्टसे, सरकारकी अकुशलता और व्यापारियोंकी लालचसे, और इसके साथ-साथ युद्धमें हुए निरन्तर खून-खराबेसे गांधीजी इतने अधिक विचलित हो गये थे कि एक समय तो उन्होंने अपनी प्रार्थनामें "जीवन डालने" (पृ० २४१) के लिए उपवास करने की बात भी सोची, जिससे सत्य और दयाका प्रचार हो। मित्रगण उन्हें उपवास न करने देने में तो सफल हो गये लेकिन मानसिक तनाव और लगातार कामके बोझने गांधीजी की शक्तिको क्षीण कर दिया और उनकी "शारीरिक क्षमताएँ समाप्त होने को" आ गईं (पृ० ३१३)। चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकी सलाहको मानते हुए गांधीजी ने ४ दिसम्बरसे ३१ दिसम्बर तक सभी सार्वजनिक कार्य बन्द कर दिये (पृ० ३९७)।

मईमें अपनी रिहाईके बादसे गांधीजी अपने उद्देश्यों और इरादोंके प्रति सरकारके भ्रमका निराकरण करने की कोशिश करते रहे। ४ जुलाईको 'न्यूज कॉनिकल' के स्टुअर्ट गेल्डरको उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहा कि "अभी सविनय अवज्ञा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं ऐसी राष्ट्रीय सरकारसे सन्तोष मानूंगा जिसका नागरिक प्रशासनपर पूर्ण नियन्त्रण हो"। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव औपचारिक रूपसे २७ जुलाईको वाइसरायके सामने भी रखा (देखिए खण्ड ७७, पृ० ३७१-७२ और ४५५)। प्रत्युत्तरमें भेजे गये वाइसरायके पत्रसे यह एक बार फिर प्रकट हो गया कि ब्रिटिश सरकारका सत्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और वह भारतके नैतिक समर्थनको केवल हेय दृष्टिसे देखती थी। लेकिन गांधीजी को आशा थी कि भारतके लोग अंग्रेजोंसे "विशुद्ध नैतिक साधनों द्वारा" सत्ता लेकर रहेंगे (पृ० ४४-४५)।

वैसी ही मैत्रीपूर्ण भावनाका प्रदर्शन करते हुए गांधीजी ने मु० अ० जिन्नाके साथ बातचीतके जरिये साम्प्रदायिक समस्याको सुलझाने का पूरी शक्तिसे प्रयत्न किया। १७ जुलाईको उन्होंने दोनोंकी भेंटकी तजवीज की लेकिन जिन्ना बीमार हो गये और फिर यह भेंट ९ सितम्बरको हुई। बातचीत १८ दिन तक चली, जब कि पूरा देश सफलताकी उत्कण्ठा और असफलताकी आशंकाके बीच झूलते हुए प्रतीक्षा करता रहा। २७ सितम्बरको बातचीतकी विफलता की घोषणा हो गई और देशका विभाजन और उसके दुखद परिणाम अवश्यम्भावी हो गये।

इस बातचीतमें गांधीजी की परिकल्पनामें एक अहिंसापर आधारित समाज था, जिसका निर्माण, जैसा कि उन्होंने वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको लिखा, "उसके सभी अंगोंकी स्वतन्त्र और स्वैच्छिक सहमतिके बिना नहीं किया जा सकता" (पृ० ६३)। गांधीजी ने कन्हैयालाल मा० मुन्शीको लिखा कि "अहिंसाका पुजारी मैं भारतकी अखण्डताको तभी अक्षुण्ण रख सकता हूँ जब कि मैं प्रत्येक खण्डकी स्वतन्त्रताको स्वीकार करूँ" (पृ० २९)। इसीलिए वह जिन्नाके साथ मैत्री स्थापित करने के लिए इच्छुक थे और उन्हें "विश्वास और प्रेमसे" जीतना चाहते थे (पृ० २८)। बादमें गांधीजी ने एक राष्ट्रवादी मुस्लिम संवाददातासे कहा: "लीगकी उपेक्षा न तो मैं कर सकता हूँ और न आप कर सकते हैं।" "हमें लीग तथा वैसी अन्य शक्तियोंको अपने पक्षमें करना है" और "बुनियादी सिद्धान्तोंका त्याग किये बिना वैर कम" करना है (पृ० ३२२-२३)।

इसलिए बातचीतके दौरान गांधीजी का उद्देश्य द्विपक्षीय समझौतेको सम्पन्न करना नहीं था जिसे कि दोनों नेता बादमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कार्यान्वित करवा लेते। बातचीतके प्रस्तावने हिन्दुओं और सिखोंके कुछ वर्गोमें भय पैदा कर दिया, विशेष-कर बंगाल और पंजाबमें। इसलिए गांधीजी ने हिन्दू महासभाके कार्यकारी अध्यक्ष श्यामा-प्रसाद मुखर्जीको आश्वासन दिया कि यदि जिन्ना और उनके बीच कोई समझौता हो भी जाता है तो सार्वजनिक रूपसे "शान्त और तटस्थ भावसे विचार करने के लिए काफी समय है" और यदि उन्हें इसमें कोई दोष दिखाई दिया तो वे इसे सुधारने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि "सभी समुदायोंकी सहमतिके बिना कुछ भी नहीं हो सकता" (पृ० १५)। मास्टर तारासिंहको उन्होंने यह आश्वासन दिया कि "छोटेसे-छोटे हितका उतना ही ध्यान रखा जायेगा जितना कि बड़ेसे-बड़े हितका" (पृ० ३३)। इस प्रकार इस बातचीतका मकसद था अहिंसाके सात्विक प्रभाव द्वारा निर्मित सद्भावके वातावरणमें राष्ट्रीय एकताकी खोज आरम्भ करना। जिन्नाको ऐसी राष्ट्रीय एकताकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। वह चाहते थे कि दो मुख्य समुदायों, हिन्दुओं और मुसलमानोंके प्रतिनिधियोंके रूपमें गांधीजी और उनमे एक समझौता हो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीगको मान्य हो' (पृ० ४२७ और ४४४)। उन्होंने स्पष्टतया यही समझा कि तब देश समझौतेको मान लेगा अन्यथा उसे अंग्रेजोंकी सहायतासे देशके लोगोंपर लादा जा सकेगा। इसीलिए बातचीतमें सबसे पहले उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या गांधीजी कांग्रेसका प्रतिनिधित्व करते है? गांधीजी इतना ही आश्वासन दे पाये कि "मैं इस बातसे बँधा हुआ हूँ कि मैं आपके [जिन्नाके] साथ हुए अपने समझौतेपर कांग्रेसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने प्रभावको पूरी तरहसे काममें लाऊँगा" (पृ० १००)। फिर भी, जिन्नाने इसी आशामें बातचीत जारी रखी कि वह गांधीजी से मुस्लिम लीगकी माँगको मनवा लेंगे क्योंकि उनके विचारमें "हिन्दू-भारतपर" गांधीजी का "जबरदस्त प्रभाव" होने से जब गांधीजी इस माँगको स्वीकार कर लेंगे तो अन्य दलोंके साथ बातचीत करने के लिए गांधीजी की अपनी स्थिति भी मजबूत हो जायेगी (पृ० ४३३)।

मुस्लिम लीगकी माँगका आधार यह सिद्धान्त था कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं चूँकि उनके धर्म भी जुदा-जुदा हैं। राष्ट्रीयताकी यह कसौटी गांधीजी को स्वीकार नहीं थी। "राष्ट्र" शब्दके आधुनिक अर्थमें भी भारत न तो एक राष्ट्र था और न दो राष्ट्र। इसकी राष्ट्रीयताका तो अभी निर्माण हो रहा था और इस प्रक्रियामें धर्म कोई कारगर साधन नही बन सकता था। अगर सारा भारत भी इस्लामको स्वीकार कर लेता तो भी भाषाओंकी विभिन्नताओंसे ऊपर उठकर भारत एक राष्ट्र भी बन पायेगा कि नहीं, गांधीजी को इसमें सन्देह था। उन्होंने जिन्नासे आग्रह किया कि "हमारी राष्ट्रीयताकी एकमात्र सच्ची, यद्यपि भयावह कसौटी हमारी समान राजनीतिक दासतामें से उभरती है। यदि आप और मैं अपने संयुक्त प्रयाससे इस दासताके जुएको उतार फेंकें तो कष्टोंसे उबरकर हम राजनीतिक दृष्टिसे एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें जन्म लेंगे।" यदि लोगोंने अपनी स्वतन्त्रताका महत्त्व नही समझा तो वे आपसमें लड़ते रहेंगे और "छोटे-छोटे समूहों या राष्ट्रोंमें बँट जायेंगे" (पृ० १०९-१०)। इसीलिए गांधीजी ने कहा कि मुस्लिम लीगके लाहौर-प्रस्तावके मूलाधारको यदि मान लिया जाता है तो मैं "समस्त भारतके लिए विनाशके सिवाय कुछ नही देखता" और "यद्यपि मैं अपने सिवा किसीका प्रतिनिधित्व नही करता फिर भी मैं भारतके सभी अधिवासियोंका प्रतिनिधि होने की आकांक्षा रखता हूँ, क्योंकि मैं उनके उस कष्ट और अपमानको अनुभव करता हूँ जो बिना किसी वर्ग, जाति या धर्मके भेदके उन सबको समान रूपसे सहन करने पड़ते हैं" (पृ० १११)। मुसलमानों और दूसरोंकी सर्वांगीण भलाईकी गांधीजी की प्रार्थनाका जिन्नापर कोई असर नही पड़ा। उन्होंने उत्तरमें कहा कि लाहौर-प्रस्तावको मान लेना ही "ऐसा मार्ग है जो हम सबको स्वतन्त्रता-प्राप्ति की ओर ले जायेगा — दो महान राष्ट्र हिन्दू और मुसलमानोंकी स्वतन्त्रता ही नहीं बल्कि भारतके शेष लोगोंकी भी स्वतन्त्रताकी ओर।" उन्होंने यह भी कहा कि लाहौर-प्रस्तावको स्वीकार कर लेने में ज्यादा फायदा तो हिन्दुओंका ही होगा (पृ० ४३५)।

भारतके भविष्यकी दृष्टिसे दो-राष्ट्र सिद्धान्तके खतरनाक परिणामोंसे जिन्नाको आश्वस्त न कर सकने के बाद गांधीजी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तैयार किये गये और जुलाईमें प्रकाशित, जिस समय स्टुअर्ट गेल्डरके साथ गांधीजी की भेंट प्रकाशित हुई थी, फार्मूलेके आधारपर इस कठिनाईके व्यावहारिक हलका सुझाव दिया। गांधीजी ने सुझाव दिया कि हम "दो राष्ट्रों" की बातपर सहमत न होते हुए भी आत्म-निर्णयके आधारपर समस्याको हल कर सकते है। इसका अर्थ यह होगा कि मुस्लिम बहुमतवाले प्रदेशोंकी यदि अलहदगी होनी हो तो इसे "स्पष्ट रूपसे उस इलाकेके लोगोंके सामने रखना चाहिए और इसपर उनकी सहमति लेनी चाहिए" (पृ० १२७)। जिन्नाने तुरन्त उस सुझावको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधीजी इस शब्दका वास्तविक अर्थ नही समझ पाये। मुसलमानोंके लिए "आत्म-निर्णयके अधिकार" की माँग "एक राष्ट्रके रूपमें" थी "क्षेत्रीय घटकके रूपमें नही"। मुसलमानोंका यह "जन्मसिद्ध अधिकार" था और इस प्रकार इसका अभिप्राय "मुसलमानोंके आत्म-निर्णयसे होगा और केवल वे ही इस आत्म-निर्णयके अधिकारका

प्रयोग कर सकते हैं" (पृ० ४३८)। दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिन्नाने जनमत-संग्रह होने की स्थितिमें गैर-मुसलमानोंको उसमें वोट देने के अधिकारसे वंचित कर दिया और केवल मुसलमानोंके लिए उनके मुसलमान होने के आधारपर जो आत्म-निर्णयके अधिकारकी माँग की उसे उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रोंतक ही सीमित न रखकर पूरे प्रान्तोंपर लागू करना चाहा। जिन्नाने तर्क दिया कि यदि मुस्लिम-बहुसंख्यक जिलोंतक ही जनमत-संग्रहको सीमित करने के गांधीजी के प्रस्तावको स्वीकार कर लिया जाता है तो "इन प्रदेशोंकी जो वर्तमान सीमाएँ हैं वे इतनी खण्डित हो जायेंगी कि हम उसका कोई उपाय भी नहीं कर पायेंगे तथा हमारे हाथ कलेवर मात्र रह जायेगा" (पृ० ४४२)। जिन्नाने जो रुख अख्तियार किया उसका अभिप्राय यह था कि बंगालके पश्चिमी जिलों तथा पंजाबके पूर्वी जिलोंके गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक, जिन्हें हालाँकि मुसलमानोंसे अलग एक राष्ट्रके रूपमें माना जायेगा मुस्लिम पाकिस्तानमें गैर-नागरिकोंकी तरह रहने के लिए बाध्य हों। जिन्नाकी बातका यह सबसे कमजोर पहलू था और आखिरकार उन्हें बंगाल और पंजाबके बँटवारेको स्वीकार करना पड़ा।

राजाजी-फार्मूलेपर आधारित गांधीजी के इस सुझावमें कि विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार-जैसे सामान्य हितके विषयोंका नियन्त्रण किसी संयुक्त अधिकरणके हाथोंमें हो, जो दूरदर्शिता थी जिन्ना उसे भी नहीं देख पाये। गांधीजी को भय था कि "भौगोलिक संलग्नतासे उत्पन्न स्वाभाविक तथा पारस्परिक दायित्व जबतक स्वीकार नहीं किये जाते तबतक हिन्दुस्तानके लोग अपनेको सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे" (पृ० १३४)। जिन्नाने तर्क किया कि यह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों राज्योंकी संविधान निर्मात्री संस्थाओंके हाथमें होगा कि वे ऐसे मामलोंका निपटारा वैसे ही करें जैसे कि दो स्वतन्त्र और सार्वभौम राज्योंके बीच निपटाया जाता है। गांधीजी ने सुझाव दिया कि पृथकतासे सम्बन्धित सन्धिमें आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है (पृ० १३८-३९)। उन्होंने अपने इस सुझावको बहुत ज्यादा महत्त्व दिया। बातचीत भंग होने के बाद समाचारपत्रोंको दी गई भेंटमें गांधीजी ने स्पष्ट किया कि यदि हमें अलग होना ही पड़े तो "हमें भीतर-ही-भीतर अलग होना चाहिए, सारे संसारके सामने अलग नहीं होना चाहिए"। गांधीजी अपनी दूरदर्शितासे यह समझ गये थे कि यदि इसी प्रकार बिलकुल अलग होने की माँगका तात्पर्य "सर्वथा स्वतन्त्र प्रभुसत्तासे है जिससे इन दोनोंके बीच कोई भी समान चीज न रहे" तो इसका परिणाम यह होगा कि "आखिरी दमतक संघर्ष चलेगा"। "यह ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसमें स्वेच्छापूर्ण या मैत्रीपूर्ण हलकी गुंजाइश हो" (पृ० १५३-५४)।

बातचीतके विफल होने से गांधीजी हताश नहीं हुए। उन्हें जनतान्त्रिक प्रणालीमें विश्वास था और उन्होंने कहा कि जिन्नाको और मुझे "अब . . . जनतासे बात करनी होगी और उसके सम्मुख अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने होंगे।" उन्होंने कहा कि यदि हम "निष्ठापूर्वक" ऐसा करते हैं और समाचारपत्र तथा जनता "पक्षपात और कटुता" से बची रहती है तो सम्भव है कि हम जल्द ही कोई समाधान ढूंढ निकालें

(पृ० १५०)। इसीलिए उन्होंने जनताको आमन्त्रित किया कि वह "स्थितिका अध्ययन करे और हमपर लोकमतका दवाव डाले" (पृ० १५७)। वैसे कुछ प्रभावशाली व्यक्तियोंकी यह राय भी थी कि वातचीतने हिन्दू-मुस्लिम समझौतेकी आशाको धूमिल कर दिया है। उदाहरणके तौरपर मु० रा० जयकरका ऐसा खयाल था कि जिन्ना गांधीजी के फार्मूलेका "उपयोग ब्रिटिश सरकारके साथ सौदेवाजी करने में करेंगे और भारतीय नेताओंके साथ भविष्यमें होनेवाली वातचीतोंमें भी इसे प्रारम्भिक मुद्दा वनायेंगे।" गांधीजी ने उन्हें अपने विचार मुक्त भावसे व्यक्त करने की छूट दी। क्योंकि उन्होंने कहा कि "केवल उसी तरह हम सत्यतक पहुँच पायेंगे" (पृ० १५९)। गांधीजी ने कुछ मुसलमान मित्रोंको भी वातचीतके सम्वन्धमें उनकी राय जानने के लिए पत्र लिखे (पृ० १६७ और १६८)।

हिन्दू-मुस्लिम समस्याका भड़कना देशके नैतिक वातावरणमें जवरदस्त परिवर्तनका संकेत था। अपनी रिहाईके बाद अ० भा० चरखा संघके कार्यकर्त्ताओंके साथ पहली वैठकमें गांधीजी ने यह अनुभव किया कि "इन दो वर्षोंमें मानों एक युग वीत गया। इस अर्सेमें सारे हिन्दुस्तानपर विपत्ति आ गई" (पृ० ७०)। सरकारके लिए तो दरिद्रोंकी सेवामें समर्पित गैर-राजनीतिक संस्था अ० भा० चरखा संघकी हस्ती मिटाना भी सम्भव हो चुका था। गांधीजी समझ गये थे कि गलती उनकी अपनी है। अ० भा० चरखा संघका सन्देश लोगोंके जीवनमें घर नही कर पाया था। उनके काम करने का ढंग कुछ गलत था। उन्होंने खादीके उत्पादन और उपयोगकी व्यवस्था यन्त्रवत् कर रखी थी, उस कार्यक्रमके पीछे जो उद्देश्य था, जो भावना छिपी थी उसका उन्होंने कोई प्रचार नही किया और इसीलिए वे घर-घर खादीके सन्देशको पहुँचाने में सफल नहीं हो पाये (पृ० ७०-७१)। गांधीजी ने कहा कि "चरखा सदियोंतक कंगालियत, लाचारी, जुल्म और वेगारीका प्रतीक" रहा है लेकिन वह उसे संसारकी "सवसे वड़ी अहिंसक शक्ति, संगठन तथा अर्थ-व्यवस्थाका प्रतीक" वनाना चाहते थे (पृ० ८३)। इसके लिए खादी-कार्यका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और उसे समर्पित निजी कार्यकर्त्ताओंसे कराना चाहिए। इन कार्यकर्त्ताओंको चाहिए कि वे गाँववालोंको खादीका उत्पादन वेचने के लिए नही वल्कि अपने उपयोगके लिए करने के लिए राजी करे। लक्ष्य यह होना चाहिए कि वे जीवन-समस्याओका सामना करने में शक्तिशाली वनें और उनमें "स्वराजकी शक्ति" पैदा हो। यदि खादीके साथ-साथ दूसरे उद्योगोंको भी हम वैसा ही वना लेंगे तो गाँवोंको "आत्म-निर्भर" और "स्वावलम्वी" वनाया जा सकता है (पृ० २०५ और २०७)।

गांधीजी चाहते थे कि सारा रचनात्मक कार्यक्रम इस नैतिक भावनासे अनुप्राणित हो। उन्होंने अपने इस विश्वासको फिर दोहराया कि रचनात्मक कार्यक्रम "पूर्ण स्वराज्य हासिल करने का अहिंसा और सत्यपर रचा हुआ रास्ता है।" "उसकी सम्पूर्ण परिपूर्ति ही सम्पूर्ण स्वतन्त्रता है।" "जिस तरह सशस्त्र विप्लवके लिए फौजी तालीम लाजिमी है, उसी तरह सविनय कानून भंगके लिए रचनात्मक क्रियाओंकी तालीम

इतनी ही जरूरी है" (पृ० २३४)। किसानों, कारखानोंके मजदूरों और विद्यार्थियोंको उचित ढंगकी शिक्षा देनी चाहिए। किसानोंको ऐसी तालीम देनी चाहिए "जिससे जमीदारके लिए उसको चूसना असम्भव हो जाये"। नैतिक और बौद्धिक दृष्टिसे मजदूरोंको ऐसे तैयार करना चाहिए जिससे वे "उत्पत्तिके साधनोंके गुलाम", जैसे कि उस समय वे थे, के बजाय "उनके स्वामी" बनें। "श्रमिकोंमें यदि एकता हो और नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टिसे उनका ठीक प्रशिक्षण हुआ हो तो वे पूँजीकी अपेक्षा हमेशा श्रेष्ठ होंगे।" जहाँतक विद्यार्थियोंका सम्बन्ध है, उनकी स्कूल तथा कॉलेजकी शिक्षाकी पूर्ति संयोजित ढंगसे उन्हें "राष्ट्रीय जागृतिकी शिक्षा" देकर करनी चाहिए (पृ० २३४-३७)।

अपने चारों ओर गांधीजी को जो नैतिक ह्रासका अनुभव हो रहा था उससे समस्त वातावरण इतना कलुषित हो गया था कि गांधीजी शान्तिपूर्ण ढंगसे चलाये जा रहे रचनात्मक कार्यक्रमसे सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने कुछ मित्रों और सहयोगियोंको बताया: "सिपाहियों, नागरिकों और सत्यकी इस भयंकर तिहरी संहार-लीलाके बीच कोई निश्चिन्त होकर किसी काममें लग जाये, यह असम्भव है।" स्थितिका तकाजा तो यह था कि "अपने-आपको और अपने परिवेशको जाग्रत" करने के लिए तथा "हम सबको सन्तुष्ट भावसे बैठे रहने की स्थितिसे" निकालने के लिए उपवासके रूपमें एक अधिक सक्रिय और प्रभावशाली जीवनी-शक्तिका संचार हो। उन्होंने देखा कि "आज लाखों लोग असहाय बैठे भूखकी ज्वालामें तड़प रहे हैं।" उन लोगोंसे वे उपवास के द्वारा ही बोल सकते थे और उनके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकते थे (पृ० २३८-३९)। देशमें झूठ और कालाबाजारीका जो बोलबाला था, गांधीजी उससे बहुत दुखी थे (पृ० २६१ और ३०१)। वैसे उन्होंने अपने उन मित्रोंको, जो उनके लिए चिन्तित थे, यह आश्वासन दिया कि जबतक मुझे यह विश्वास नहीं हो जायेगा कि उपवास कराने की "सत्यरूपी ईश्वर" की ही मर्जी है तबतक मैं जल्दीमें कोई निर्णय नहीं लूंगा (पृ० २८६, २८९, ३००, ३११, ३१४ और ३२८)। हालाँकि ऐसे मामलेमें व्यक्ति अपने आन्तरिक विश्वासपर ही निर्भर कर सकता है, गांधीजी ने एक सार्वजनिक वक्तव्यमें यह स्पष्ट किया कि "मैं अपनेको परख रहा हूँ, मित्रोंके साथ इसके पक्ष-विपक्षपर चर्चा कर रहा हूँ, और लोगोंको मुझे प्रभावित करने का अवसर दे रहा हूँ" (पृ० २४०)। अन्तमें उन्होंने उपवास करने का खयाल छोड़ दिया। एक संवाददाताको जो उन्होंने यह सलाह दी थी उसे उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया: "ऐसे मर जाने से लोगोंका दुःख मिटनेवाला नहीं है।... हमसे जो बन सके हम करें और बाकी ईश्वरपर छोड़ें। वह भी तो अपनी सृष्टि जो करनी है उसे सहन करता है"... (पृ० ३८४)।

ईश्वरमें इसी आस्थाने गांधीजी को उनकी कठिन परीक्षाओंमें भी हिम्मत बँधाई। अपनी पत्नीके वियोगमें शोकाकुल आनन्द हिंगोरानीको गांधीजी ने लिखा: "मेरी शान्ति और मेरे विनोदका रहस्य है मेरी ईश्वर यानी सत्यपर अचलित श्रद्धा" (पृ० २४६)। गांधीजी द्वारा प्रकृति और सेवामें रस लेने से उस आस्थाको और बल मिला। आनन्द हिंगोरानीको उन्होंने यह सलाह दी: "ईश्वरको अव्यक्त रूपमें भजने के लिए नित्य तारा-

दर्शन करो" और सुबह-सवेरे सूर्यदर्शन करो (पृ० ३५५)। "भीतरका आनन्द ईश्वर का काम करने से ही पैदा होता है" (पृ० २२७)। ईश्वरमें आस्थाकी अभिव्यक्ति प्रार्थनाकी विनम्रतामें स्वयमेव हो जाती है। गाधीजी ने ईश्वरको जानने का दावा नही किया और इसीलिए वह यह भी नही कह सकते थे कि वे किसकी प्रार्थना करते हैं। एक मित्रको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा : "[प्रार्थना] उस ईश्वरसे करनी चाहिए जिसे हम नही जानते" (पृ० ११)। यदि किसी व्यक्तिकी ईश्वरमें कोई आस्था नही है तो भी उसे 'बाइबिल' में कहे अनुसार यह प्रार्थना करते रहना चाहिए, "हे प्रभु, मुझे मेरी अश्रद्धासे बचाओ" (पृ० ११)।

जीवन-भर मनुष्यके शारीरिक और नैतिक कल्याणकी समस्याओंमें रुचि रखने से गांधीजी ने यह सार निकाला : "विकारी विचार भी बीमारीकी निशानी है" (पृ० ४२०)। वे अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर यह जानते थे कि आध्यात्मिक सम्पूर्णतासे क्या तात्पर्य है। जिस समय वे उपवासकी सोच रहे थे, उस समय भी वे "जीने के आनन्द" का अनुभव कर रहे थे। उनका कहना है कि ऐसा मैं इसलिए कर सका क्योंकि मुझे मालूम था कि "मृत्युका आनन्द" क्या होता है (पृ० २३९)।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओं, व्यक्तियों, पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओंके आभारी हैं :

संस्थाएँ : साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी सेवा संघ, सेवाग्राम; राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार और नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली; भारत कला भवन, वाराणसी; म्युनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद; नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता और विश्वभारती पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन; पुलिस कमिश्नरका कार्यालय, बम्बई और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लन्दन।

व्यक्ति : श्री अमिय कुमार दास; श्रीमती अमृतकौर; श्री अमृतलाल चटर्जी; श्री आनन्द तोताराम हिंगोरानी, इलाहाबाद; श्री एन० बी० खरे; श्री एफ० एच० चॉपिंग; श्रीमती एफ० मेरी बार; श्रीमती एम० एस० सुब्बुलक्ष्मी, मद्रास; श्री कन्हैयालाल मा० मुन्शी; श्री कान्ति गांधी, बम्बई; श्री गणेश शास्त्री जोशी; श्री गुलाम रसूल कुरैशी, अहमदाबाद; श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्रीमती चम्पा रतिलाल मेहता; श्रीमती जयाबहन मोदी; श्री नारणदास गांधी; श्री नारायण जेठालाल सम्पत, अहमदाबाद; श्री पुरुषोत्तम कानजी जेराजाणी, बम्बई; श्री पुरुषोत्तम प्रसाद; श्री प्यारेलाल, नई दिल्ली; श्रीमती प्रेमा कंटक, सासवड; श्री बालकृष्ण भावे, उरुलीकांचन; श्री ब्रजकृष्ण चाँदीवाला, दिल्ली; श्री मंगलदास पकवासा; श्रीमती मंजुलाबहन एम० मेहता; श्रीमती मीराबहन; श्री मुन्नालाल गंगादास शाह; श्री रवीन्द्र आर० पटेल, अहमदाबाद; श्रीमती रामेश्वरी नेहरू; श्रीमती लीलावती आसर, बम्बई; श्रीमती वनमाला एम० देसाई, नई दिल्ली; श्रीमती वान्दा दीनोवस्का; श्री वालजी गो० देसाई, पूना; श्री शान्तिकुमार नरोत्तम मोरारजी, बम्बई; श्रीमती शारदाबहन गोरधनदास चोखावाला, सूरत; श्रीमती सुशीला गांधी, बम्बई और श्रीमती सैम हिगिनबॉटम।

पुस्तकें : '(द) इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, १९४४', जिल्द २; '(ऐन) एथीस्ट विद गांधी'; 'कॉरस्पॉण्डेन्स बिटवीन महात्मा गांधी ऐंड पी० सी० जोशी'; 'खादी : क्यों और कैसे?'; '(द) गांधियन प्लान ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेन्ट फॉर इंडिया'; 'गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ'; 'गांधी-जिन्ना टॉक्स'; 'गांधीजीज कॉरस्पॉण्डेन्स विद द गवर्नमेंट', १९४२-४४ और १९४४-४७'; 'चरखा संघका नवसंस्करण'; 'पाँचवें

पुत्रको बापूके आशीर्वाद'; 'पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम'; 'प्राणलाल देवकरण नानजी अभिनन्दन ग्रन्थ'; 'बा बापुनी शीळी छायामां'; 'बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने'; 'बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने'; 'बापुनी प्रसादी'; 'बापूकी छायामें'; 'बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष'; 'बापूके आशीर्वाद'; 'महात्मा : द लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी', जिल्द ६; 'महात्मा गांधी — द लास्ट फेज', जिल्द १ और २ और 'संस्मरणो'।

पत्र-पत्रिकाएँ : 'गुजरात समाचार', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'सन्देश', 'हितवाद' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओंके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करने में मदद देने के लिए हम सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजी के स्वाक्षरोंमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलें सुधार दी गई है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनाने का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके है, उनका हमने मूलसे मिलान और संशोधन करने के बाद उपयोग किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखने की नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणमें संशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजी ने अपने गुजराती लेखोमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमें दिये गये अंश सम्पादकीय है। गांधीजी ने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणो की परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजी के कहे हुए नही हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजी के नही हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षकको लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है, लेकिन जिन लेखो, टिप्पणियों आदिके अन्तमें लेखन-तिथि दी गई है उनमें उसे यथावत् रहने दिया गया है। जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है और आवश्यक होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है, उन्हें प्रसंगानुसार मास तथा वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशन की है। गांधीजी की सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उनका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, 'एम० एम० यू०' राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय और पुस्तकालयकी मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई गई रीलोंका, 'एस० जी०' राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध सेवाग्रामकी सामग्रीके फोटोस्टेटोंका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत दस्तावेजोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देने के लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

परिशिष्ट

चित्र-सूची

१. पत्र : अरुणा आसफ अलीको

[२ अगस्त, १९४४ या उसके पूर्व][1]

प्रिय अरुणा,

अज्ञात रहना जबतक तुम्हें गलत न लगे तबतक तुम्हे प्रकट नही होना चाहिए। मेरी राय यदि तुम्हारी रायके साथ मेल नही खाती, तो इससे तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ यदि मै पूर्ण रूपसे सहमत नही हो सकता तो इसका यह अर्थ नही कि मैं तुम्हे पहलेसे कम प्यार करूँगा। तुम्हें मेरे साथ सब्रसे काम लेना चाहिए। जल्दीमें कुछ मत करना। मैंने किसीके बारेमें कोई फतवा नही दिया है। कुछ कामोंके बारेमें मैंने अपनी राय-भर दी है। अपने विवेकके खिलाफ काम करके तुम उद्देश्यको हानि ही पहुँचाओगी।[2] जब चाहो मुझसे मिल लो। जल्दबाजी न करना। उदास मत होना।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : के० एम० पणिक्कर पेपर्स। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. पत्रके पाठसे पता चलता है कि यह २८ जुलाई, १९४४को समाचारपत्रोंको दिये गये गांधीजी के वक्तव्य (देखिए खण्ड ७७, पृ० ४५९-६०) के बाद और अरुणा आसफ अलीके २ अगस्तके उस पत्रसे पहले लिखा गया था जो प्रस्तुत पत्रका जवाब जान पड़ता है। उस पत्रमें उन्होंने लिखा था : "यदि ईमानदारीसे मैं यह समझ सकती कि हमारा प्रतिरोधका तरीका गलत है, तो जीवन बहुत आसान हो जाता। यदि मैं उस स्थितिमें काम कर पाऊँ जिसमें हम अनास्थाको जान-बूझकर मनसे अलग कर देते हैं या जिसे अन्धानुशासन कहना ज्यादा अच्छा होगा, तो मेरे सिरसे एक भारी बोझ उतर जाये। लेकिन आप तो हमारी हिम्मत परखने पर तुले हैं। अब हम कुछ समयतक स्वेच्छासे निष्क्रिय रहेंगे।"

२. अरुणा आसफ अलीने १ अगस्तके पत्रमें अपने उन साथी-कार्यकर्ताओंकी ओरसे, जो अभी भी भूमिगत थे, लिखा था कि वे लोग गांधीजी का आदेश मानने, गतिविधियाँ स्थगित करने और आत्म-समर्पण करने के लिए तैयार हैं।

२. भेंट: 'डेली वर्कर' के प्रतिनिधिको

बम्बई
२ अगस्त, १९४४

प्र०: आप मित्र-राष्ट्रोंके युद्ध-प्रयत्नोंमें सब प्रकारकी सहायता देने का वचन देते है।[1] भारतमें राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनासे भारत और अन्य देशोंमें युद्ध-प्रयत्नों के स्वरूप और परिमाणमें क्या ठोस परिवर्तन आयेगा?

महात्मा गांधीने कहा कि इस प्रश्नका विस्तारसे उत्तर देना होगा। मेरे प्रस्तावका आधार मित्र-राष्ट्रोंके ध्येयको नैतिक बल प्रदान करना है, जिसका इस समय उसमें अभाव है।

यह पूछे जाने पर कि "मित्र-राष्ट्रोंके ध्येयको नैतिक बल प्रदान" करने से उनका क्या अभिप्राय है, महात्मा गांधीने कहा:

आज मित्र-राष्ट्र लोकतन्त्र और स्वाधीनताके बारेमें बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर रहे है, जो मेरे अथवा स्पष्ट शब्दोमें कहें तो शोषित राष्ट्रोंके लिए कोई अर्थ नही रखतीं। ये घोषणाएँ सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कोरी घोषणाएँ शोषित लोगोंको कोई सन्तोष नहीं दे सकती। "शोषित राष्ट्रों" से मेरा अभिप्राय एशिया और आफ्रिकामें रहनेवाले लोगोंसे है। यदि मित्र-राष्ट्र लोकतन्त्रके लिए लड़ रहे हैं, तो उनके इस लोकतन्त्रमें धरतीकी सभी शोषित जातियाँ शामिल होनी चाहिए। लेकिन तथ्य, जैसा कि मैं देखता हूँ, इसके ठीक विपरीत बात सिद्ध करते हैं। सभी पक्ष, या लगभग सभी पक्ष, इस बातपर सहमत हैं कि आज भारतपर विदेशी प्रभुत्व जितना ज्यादा है उतना पहले कभी नही था।

यदि स्वाधीनताकी भारतीय माँगको स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया जाता है, और फलतः मेरे द्वारा उल्लिखित मर्यादाओंके अधीन उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना कर दी जाती है, तो मित्र-राष्ट्रोंके ध्येयके स्वरूपमें एकदम परिवर्तन आ जायेगा। यदि धुरी-राष्ट्रोंकी लड़ाईका कोई ध्येय कहा जा सके तो उनके ध्येयसे मित्र-राष्ट्रोंका ध्येय तुरन्त साफ अलग दिखने लगेगा।

यदि भारतको, जो शर्त आपको मंजूर है उस शर्तके तहत, स्वाधीन राष्ट्र करार दिया जाता है, तो इससे मित्र-राष्ट्रोंको भौतिक दृष्टिसे क्या लाभ होगा?

उ०: मैंने जो बात कही है मै उससे अलग नहीं हटूँगा। बेशक, यदि मित्र-राष्ट्रोंके ध्येयके स्वरूपमें इतना महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जैसा कि मेरा दावा है कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर हो जायेगा, तो बाकी सब बातें स्वयंमेव

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ३६९-७४।

होती चली जायेंगी। लेकिन ऐसा हो या न हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रस्ताव विशुद्ध नैतिक आधारपर स्वीकार किया जाना चाहिए। मित्र-राष्ट्रोंके लिए यह आश्वासन पर्याप्त होना चाहिए कि भारतके केवल शब्दोंमें नहीं, बल्कि वास्तवमें स्वाधीन राष्ट्र माने जाने से उनके युद्ध-प्रयासोंपर किसी भी तरह कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

मैं मानता हूँ कि भारतकी स्वाधीनताकी घोषणा और साथ ही ईमानदारीसे उसपर अमल अपने-आपमें एक ऐसी चीज है कि उससे धुरी-राष्ट्रोंको अपने पक्षमें कहने के लिए कुछ नहीं रह जायेगा। और, ऐसी घोषणाके तुरन्त बाद यदि वे आत्म-समर्पण नहीं कर देते तो इसपर मुझे आश्चर्य होगा।

मान लीजिए कि आज भारतकी तरह इंग्लैण्ड किसी विदेशी सत्ताके अधीन होता, और उक्त विदेशी सत्ता किसी अन्य देश अथवा देशोंके साथ युद्ध-रत होती और इंग्लैण्डको भी बलात् युद्धमें घसीट लेती; और यह भी मान लीजिए कि उक्त विदेशी सत्ता स्वाधीनताके लिए इंग्लैण्डके सशस्त्र संघर्ष किये बिना ही-सहसा इंग्लैण्डको स्वाधीन घोषित कर देती, तो क्या प्रत्येक अंग्रेज अपने उस भूतपूर्व शासकका, जो अब मित्र बन गया है, उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं करता? अब आप समझ सकते हैं कि आज जब ब्रिटेनकी विजय होती दिखने लगी है, यदि वह भारतकी स्वाधीनता की घोषणा कर देता है तो भारतपर उसका कैसा असर पड़ेगा।

अपने उत्तरके स्पष्टीकरणमें इतना सब कहने के बाद, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रस्ताव एक सम्मानजनक समझौतेके लिए बातचीत और कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंकी रिहाईके लिए एक आधार प्रदान करता है। अपने इस प्रस्तावमें मैं तफसीलमें नहीं गया हूँ और कई बातें मैंने जान-बूझकर छोड़ दी हैं। इनके ऊपर बातचीत प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद की जायेगी।

तब पत्र-प्रतिनिधिने उन्हें बताया कि ब्रिटेनमें टोरी पक्षके समाचारपत्र यह कहकर लोगोंको भ्रममें डाल रहे हैं कि "गांधी अभी भी 'भारत छोड़ो' के अपने प्रस्तावपर डटे हुए हैं।[1]" प्रस्तावमें जो फासी-विरोधी और देशभक्तिपूर्ण ज्वलन्त बातें हैं, ब्रिटिश जनता उनके बारेमें कुछ नहीं जानती; और ये लोग इस बातका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पत्र-प्रतिनिधिने महात्मा गांधीसे पूछा कि जब वे यह कहते हैं कि उनका प्रस्ताव "क्षति पहुँचानेवाला नहीं है[2]", तो इससे उनका क्या अभिप्राय है।

सारा प्रस्ताव एक शानदार दस्तावेज है। 'भारत छोड़ो' नारा क्षति पहुँचाने वाला नहीं है और यह एक स्वाभाविक पुकार है। उसमें यदि कोई दंश है तो प्रस्तावकी वह धारा है जिसमें मुझे राष्ट्रीय माँगके अस्वीकार कर दिये जाने पर सार्वजनिक सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया है। जैसा कि मैं कह

१. देखिए खण्ड ७६, परिशिष्ट १०।
२. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४००-२।

चुका हूँ, मेरा वह अधिकार खत्म हो गया है, और यदि खत्म न भी होता तो भी इस समय मैं सार्वजनिक सविनय अवज्ञा संगठित नहीं कर सकता। इसलिए, प्रस्ताव इस धाराको छोड़कर पढ़ा जाना चाहिए और मेरा दावा है कि किसी भी व्यक्तिको प्रस्तावके एक भी शब्दपर आपत्ति नही होगी। यदि 'भारत छोड़ो' नारेको कांग्रेसके इस प्रस्तावके सन्दर्भमें देखें कि भारतकी जमीनपर मित्र-राष्ट्रोंका युद्धोपक्रम जारी रह सकता है, तो उसका मतलब यही और सिर्फ यही निकलता है कि अगर इस युद्धका लक्ष्य विश्वके शोषित राष्ट्रोंकी मुक्ति ही है तो भारतमें ब्रिटिश शासन पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए और युद्धके चलते हुए ही समाप्त हो जाना चाहिए।

इसके बाद पत्र-प्रतिनिधिने महात्मा गांधीको याद दिलाया कि उन्होंने अपने वक्तव्यमें जो यह कहा है कि क्रिप्स-प्रस्तावमें[1] करीब-करीब हमेशाके लिए भारतके अंगच्छेदकी बात सोची गई है उससे उनका क्या तात्पर्य है। महात्मा गांधी मुस्कराये और बोले:

निश्चय ही इसका मतलब केवल एक ही हो सकता है। क्रिप्सके प्रस्तावमें भारतको देशी नरेशोंके भारत, और लोकतान्त्रिक भारतमें बाँटा गया है। क्या यह अंगच्छेद नहीं है?

पत्र-प्रतिनिधिने उन्हें बताया कि इंग्लैण्डमें प्रतिक्रियावादी हल्कोंमें, विशेषकर टोरी दलके समाचारपत्रोंमें, इस बातका बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है कि यदि गांधीजी की माँग मान ली जाती है तो इससे अल्पसंख्यकोंको नुकसान उठाना पड़ेगा। महात्मा गांधीने जवाब दिया:

इस कार्यका सम्बन्ध तो राजाजी की योजनासे[2] है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि योजनामें छोटीसे-छोटी अल्पसंख्यक जाति तकके लिए पूर्ण संरक्षणकी व्यवस्था है। और यदि इसमें कोई कमी रह गई है, तो वह अन्तिम समझौता होने के पहले होनेवाली पारस्परिक बातचीतके दौरान पूरी कर दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-८-१९४४

१. देखिए खण्ड ७५, परिशिष्ट २।
२. देखिए खण्ड ७६, परिशिष्ट ८।

३. पाद-टिप्पणी[1]

[२ अगस्त, १९४४ के पश्चात्][2]

हम नहीं समझते कि गांधीजी ऐसी कोई स्वीकारोक्ति करेंगे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा है कि कलाकारके कातने से किसी भी कलामें और भी निखार आयेगा? कविवर जो-कुछ भी देंगे गांधीजी उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन हाथ-कताईके विकल्पके रूपमें वह कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०५१०) से। सौजन्य: वालजी गो० देसाई

४. पत्र: मीराबहनको

सेवाग्राम, वर्धा
३ अगस्त, १९४४

चि० मीरा,[3]

तुम्हारे सारे पत्र मिल गये थे। मैं आज बहुत बड़ी टोलीके साथ यहाँ आया। इस टोलीमें एस० कुमार,[4] उनकी पत्नी,[5] डॉ० जे० मेहता[6] और खुर्शेदबहन[7] शामिल है। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हें धीरजसे काम लेना चाहिए।

१. गांधीजी द्वारा संशोधित यह पाद-टिप्पणी गांधीजी — हिज लाइफ ऐण्ड वर्क नामक पुस्तकमें के० आर० कृपलानीके लेख 'गांधी ऐण्ड टैगोर' में मिलती है। यह निम्नलिखित अवतरणके बारेमें है—"...और आज गांधीजी स्वयं यह स्वीकार करेंगे कि इन महान प्रहरीने अपनी आजीविका अर्जित कर ली है और उन्हें अपने अस्तित्वके औचित्यके लिए कातना जरूरी नहीं है।..." गांधीजी को दिये गये पाद-टिप्पणीके मसौदेमें लिखा था: "गांधीजी ऐसी किसी भी बातको स्वीकार नहीं करेंगे। गुरुदेवने गांधीजी से 'अपने कवि होने के कारण कातने से छूट माँगनी चाही थी, लेकिन गांधीजी ने कहा: 'नहीं, कातने से आपकी कलामें और भी निखार आयेगा'।" पुस्तकके लिए लिखे गये गांधीजी के प्राक्कथनके लिए देखिए "पाठकोंसे दो शब्द", पृ० ५८-५९।

२. इस पाद-टिप्पणीका मसौदा वालजी गो० देसाईने गांधीजी के पास २ अगस्त, १९४४ को भेजा था।

३. मीराबहनको लिखे इस पत्रमें और अन्य पत्रोंमें सम्बोधन देवनागरीमें है।

४ और ५. शान्तिकुमार मोरारजी और सुमति मोरारजी

६. जीवराज मेहता

७. दादाभाई नौरोजीकी पौत्री खुर्शेद नौरोजी

जमीन[1] निश्चित करने में उतावली नही करनी चाहिए। आश्रम जरूरतसे ज्यादा फैल गया है।

स्नेह।

बापू

श्री मीराबाई
बन्द्रा टी एस्टेट
पोस्ट ऑफिस पालमपुर
काँगड़ा वैली, पंजाब

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४९९) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९८९४ से भी

५. पत्र: गोपीनाथ बारडोलोईको

३ अगस्त, १९४४

प्रिय बारडोलोई,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने कागजात पढ़ लिये हैं और उन मित्रोंके साथ लम्बी बातचीत की है। मैं विशिष्ट निर्देश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वैसा कर नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे मार्ग-दर्शनके लिए मैं कुछ सामान्य सिद्धान्त रखूंगा। 'सत्य और अहिंसासे कभी भी जरा-भी विचलित नही होना चाहिए। पूर्ण निर्भयता रहनी चाहिए। गोपनीयता नही होनी चाहिए, और बुराईके साथ पूर्ण रूपसे असहयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूखे लोगोंको बचाने के लालचमें मैं बुराईका साथ नहीं दे सकता, जिस तरह कि गरीबोंका पेट भरने के लिए मैं जहरके प्यालेमें दूध नहीं डाल सकता।

बिहारके उदाहरणको यदि भली-भाँति न समझा गया तो वह गुमराह करेगा। मैंने सहयोग किया और जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे खर्च किया। दो ओरसे चन्दा वसूल किया गया था, लेकिन हमारी ओरसे वसूली सबसे अधिक की गई और सबसे अच्छे ढंगसे खर्च की गई। आज इस तरहकी कोई गुंजाइश नहीं है। बीती बातोंका, सिवाय उनसे शिक्षा ग्रहण करने के, खयाल छोड़ दो।

स्नेह।

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. मीराबहनने लिखा है: "मैं संयुक्त प्रान्तके उत्तर-पश्चिम भागमें एक छोटा-सा आश्रम खोलने का विचार कर रही थी। गांधीजी ने यह बात इसीके सन्दर्भमें लिखी थी।"

६. पत्र : के० श्रीनिवासनको

३ अगस्त, १९४४

प्रिय श्रीनिवासन,[1]

खुर्शेदबहनने, जो मेरे पास है, अभी-अभी बताया कि आपकी प्यारी बेटी चल बसी है। मै लेटा हुआ हूँ और यह पत्र खुर्शेदबहनसे लिखवा रहा हूँ। जब उन्होंने मुझसे इस दुःखद घटनाका जिक्र किया, तो मेरे लिए वह नई खबर-जैसी थी। फिर भी, जब मै उसके बारेमें सोचता हूँ, तो लगता है कि मैंने यह खबर कही पढ़ी थी, और आपको पत्र लिखने का विचार भी किया था। लेकिन तभी शायद कोई व्यवधान आ गया और मैं लिख न सका। मेरे जीवनमें ऐसी बातें कई बार घटित हो चुकी है। मैंने इस दुःखद घटनाके विषयमें आपसे बातें की हों अथवा लिखी हों या नही, आपको अब भी पत्र लिखना शायद अनावश्यक नही। स्वय इस प्रकारका दुःख भोग चुकने के कारण आपका दुःख मैं अधिक अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अतः जीवन-यात्रामें अपने एक भुक्तभोगी साथीकी सहानुभूति स्वीकार करें।

क्या आप जानते है कि सेवाग्राममें महादेव 'हिन्दू' नियमित रूपसे पढ़ते थे और जेलमें पहले प्यारेलालने और बादमें मैंने महादेवका स्थान ले लिया था? कई बार 'हिन्दू' में ऐसी चीजें मिलती थीं, जो अन्य समाचारपत्रोंमें नही होती थी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

1. हिन्दू के सम्पादक।

७. बातचीत : डॉ० रामस्वामीके[1] साथ

सेवाग्राम

[३ अगस्त, १९४४ या उसके पश्चात्][2]

गाँवोंके पुनर्गठनका कार्य एक बहुत कठिन समस्या है, लेकिन यदि हमें ठीक ढंगके आधे दर्जन कार्यकर्त्ता भी मिल जाते हैं तो हम इसे कालान्तरसे हल कर सकते हैं। इसमें मुख्य प्रश्न तो समयका है, लेकिन यदि इसे सही ढंगसे शुरू कर दिया जाये तो यह बड़ी तेजीसे फैलता चला जायेगा। तुमने बुकर टी० वाशिंगटनके बारेमें सुना है। अपने उद्देश्यको प्राप्त करने के लिए हमें उनसे भी अच्छे कार्यकर्त्ता तैयार करने होंगे।

जहाँतक तुम्हारा सवाल है, तुममें जो योग्यता और उत्साह है, उसके साथ-साथ यदि तुम अपनेमें कुछ और गुण भी विकसित कर सको, अर्थात् ईश्वरके प्रति जीवन्त आस्था पैदा कर सको तो तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। तब सारी नीरसता दूर हो जायेगी। सार्वदेशिक[3] दृष्टिकोण होना आवश्यक है, लेकिन वह ईश्वरका स्थान कभी नहीं ले सकता। ईश्वर है, लेकिन ईश्वर-सम्बन्धी हमारी धारणा हमारे मानसिक क्षितिज और हमारे भौतिक परिवेशसे परिसीमित है। उदाहरणके तौरपर, जब तुम 'बाइबिल' पढ़ते हो तो तुम देखते हो कि यहूदियोंका भगवान ईसा मसीहके भगवानसे भिन्न है। ईश्वर-सम्बन्धी प्रचलित धारणासे तुम इसलिए असन्तुष्ट हो कि जो लोग ईश्वरमें आस्था रखने का दावा करते हैं वे अपने आचरणमें एक जीवन्त ईश्वरका उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते।

यदि तुम्हें ईश्वरमें जीवन्त विश्वास नहीं है, जो तुम्हें सहारा दे सके, तो असफलता मिलने पर तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। तुमने जो कार्य हाथमें लिया है उससे तुम्हें कदाचित् अरुचि हो जाये। तुम कदाचित् यह सोचने लगो कि आखिर डॉ० अम्बेडकरने जो बात कही थी वही ठीक थी और तुमने प्रस्तावित उच्च पदोंको स्वीकार न करके भूल की है। तुम्हें मेरी यह सलाह है कि जबतक तुम्हें यह प्रतीति नहीं हो जाती कि ईश्वर है, तबतक तुम्हें इस आश्रमसे नहीं जाना चाहिए। मेरी अपरिमित असफलताओंके बावजूद, मैं सत्यका अन्वेषक हूँ, और इस

१. एक युवा हरिजन स्नातक, जिसने गाँवमें अपने कार्यकी रिपोर्ट गांधीजी को दी और उनसे मदद व मार्ग-दर्शन चाहा। गांधीजी उसकी रिपोर्टसे प्रसन्न हुए थे।

२. यह बातचीत सेवाग्राममें हुई थी जहाँ गांधीजी अपनी रिहाईके बाद ३ अगस्त, १९४४ को पहुँचे थे।

३. महात्मा गांधी — द लास्ट फेज में यहाँ "मानवीय" लिखा है।

आश्रममें रहनेवाले मेरे साथी भी सत्यकी खोजमें लगे हैं। आश्रममें रहनेवालों को छोड़ दें, तो आश्रम जिस शक्तिका प्रतीक है, जिन सिद्धान्तोंका प्रतिनिधित्व करता है, उनसे तुम्हें ईश्वरको जानने में इस हदतक मदद मिल सकती है कि जिस प्रकार तुम यह कह सकते हो कि 'सत्य है', उसी प्रकार यह भी कह सको कि 'ईश्वर है'।

रामस्वामी : मैं यह बात इस अर्थमें कह सकता हूँ कि झूठका उलटा जो-कुछ है वह सत्य है।

गांधीजी : इतना काफी है। ऋषि-मुनियोंने ईश्वरका 'नेति नेति' (यह भी नहीं, यह भी नहीं) कहकर वर्णन किया है। सत्य तुम्हारी पकड़में नहीं आयेगा। जो-कुछ सच्चा है उसका कुल योग, सारा सार सत्य है। लेकिन जो-कुछ सच्चा है उस सबको तुम भाषामें बाँधकर पेश नहीं कर सकते। पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त अधिकांश लोगोंकी तरह तुम्हारी बुद्धि भी विश्लेषणात्मक है। लेकिन, कई चीजें ऐसी हैं जिनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जिस ईश्वरका विश्लेषण मैं अपनी तुच्छ बुद्धि द्वारा कर सकता हूँ उस ईश्वरसे मुझे सन्तोष नहीं होगा। इसलिए, मैं उसका विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करता। मैं सापेक्षके पीछे निरपेक्षको ढूंढ़ता हूँ और इससे मेरे मनको शान्ति मिलती है।

रा० : 'हरिजन' और 'यंग इंडिया' में प्रकाशित आपके लेखोंको मैंने सावधानी से पढ़ा है। आपके जीवनका ढंग मुझे बहुत पसन्द है। इसमें व्यक्तिके अपनी इच्छानुसार काम करने की गुंजाइश है। ईश्वरकी परिकल्पना नियतिवादिताको प्रश्रय देती है और वह मनुष्यको सीमित कर देती है। वह मनुष्यकी स्वतन्त्र इच्छामें व्यवधान डालती है।

गां० : क्या स्वतन्त्र इच्छा-जैसी कोई चीज है? वह कहाँ है? हम तो विधाता के हाथोंके खिलौने-भर हैं।

रा० : ईश्वर और मनुष्यमें, ईश्वर और सत्यमें परस्पर क्या सम्बन्ध है?

गां० : मैं कहा करता था, "ईश्वर सत्य है"। उससे मुझे पूरा सन्तोष नहीं हुआ। तब मैंने कहा, "सत्य ही ईश्वर है"। ईश्वर और उसका विधान दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ईश्वरका विधान ईश्वर ही है। उसको समझने के लिए मनुष्य को गहन प्रार्थना करनी पड़ती है और ईश्वरमें लीन होना पड़ता है। हर व्यक्ति अपनी-अपनी समझके मुताबिक उसकी व्याख्या करेगा। जहाँतक मनुष्य और ईश्वरके सम्बन्धका ताल्लुक है, मनुष्य दो हाथ[1] होने की वजहसे ही मनुष्य नहीं बन जाता। वह मनुष्य तभी बनता है जब उसका हृदय ईश्वरका आवास बनता है।

रा० : जब ईश्वर-सम्बन्धी मेरी धारणा ही स्पष्ट नहीं है, तब आप मनुष्यके ईश्वरका आवास बनने की बात करके सारी चीजको और उलझा देते हैं। . . .

१. महात्मा गांधी — द लास्ट फेज में यहाँ "और दो पैर" भी लिखा है।

गां० : फिर भी यह सही धारणा है। जबतक हमें यह प्रतीति नही होती कि शरीर ईश्वरका आवास है तबतक हम मनुष्य नही है। और सत्य ही ईश्वर है, यह मानने में क्या कठिनाई या उलझन है? तुम यह तो स्वीकार करोगे कि हम असत्यके आवास नहीं, सत्यके आवास है।[1]

जो सच्चा जीवन जीना चाहता है ऐसे प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमें कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ तो सर्वथा अलंघ्य प्रतीत होती हैं। ऐसे समयमें केवल ईश्वर — अर्थात् सत्य — में आस्था ही मनुष्यको ढाढ़स बँधाती है। जो भ्रातृ-भावना तुम्हें भाईके दुःखसे दुःखी करती है वह ईश्वर-परायणता है। तुम भले ही अपने को नास्तिक कहो, लेकिन जबतक तुम मानव-जातिके साथ बन्धुत्वका अनुभव करते हो, तबतक तुम व्यवहारमें ईश्वरको स्वीकार करते हो। मुझे उन पादरियोंकी याद है जो बहुत बड़े नास्तिक ब्रैडलॉकी[2] शव-यात्रामें शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि वे उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आये हैं, क्योंकि वह ईश्वर-परायण व्यक्ति था।

यदि तुम ईश्वरमें, सत्यमें, जीवन्त आस्था लेकर यहाँसे जाओगे, तो मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा कार्य फूले-फलेगा। जबतक तुम्हें यह प्रतीति नही हो जाती कि ईश्वर है, तबतक तुम्हें किसी भी चीजसे सन्तुष्ट नही होना चाहिए और तुम ईश्वरको प्राप्त करोगे।[3]

[अंग्रेजीसे]

ऐन एथीस्ट विद गांधी, पृ० २८-३१। महात्मा गांधी — द लास्ट फेज' जिल्द १, भाग १, पृ० ५७-५८ भी।

८. बातचीत : एक मित्रके साथ[4]

[३ अगस्त, १९४४ या उसके पश्चात्][5]

मित्र : यदि आप ईश्वरसे प्रार्थना करें, तो क्या वह हस्तक्षेप कर सकता है, और आपकी खातिर अपने विधानको बदल सकता है?

गांधीजी : ईश्वरका विधान नही बदलता, लेकिन चूँकि उसी विधानका कहना है कि प्रत्येक कार्यका परिणाम अवश्य निकलता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो ईश्वर-विधानके अनुरूप उसका ऐसा परिणाम अवश्य निकलता है[6] जिसका पहलेसे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। . . .

१. यहाँपर गांधीजी क्षण-भरके लिए चुप हो गये।

२. चार्ल्स ब्रैडलॉ

३. महात्मा गांधी — द लास्ट फेजके अनुसार रामस्वामीने कुछ समयतक आश्रममें रहकर और अपने साथियोंकी सेवा करके ईश्वरकी खोज करने का निर्णय किया।

४ और ५. साधन-सूत्रके अनुसार दक्षिण भारतके एक पुराने राष्ट्रवादी नेता लगभग उसी समय गांधीजी से सेवाग्राम मिलने आये जब डी० रामस्वामी आये थे; देखिए पिछला शीर्षक।

६. साधन-सूत्रमें यहाँ शब्द छूटे हुए हैं।

लेकिन आप जिस ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं क्या आप उसे जानते हैं?

नहीं, मैं नहीं जानता।

तो फिर हम किससे प्रार्थना करें?

उस ईश्वरसे करनी चाहिए जिसे हम नहीं जानते — हम जिस व्यक्तिसे प्रार्थना करते हैं उसे जानते ही हों, ऐसा हमेशा नहीं होता।

यह हो सकता है, लेकिन हम जिस व्यक्तिसे प्रार्थना करते हैं उसे जान सकते हैं।

यही बात ईश्वरके सम्बन्धमें भी है, और चूंकि उसे जाना जा सकता है, इसलिए हम उसे ढूंढ़ते हैं। उसे पाने में हमें कदाचित् अरबों साल लग जायें। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए, मैं कहता हूँ कि यदि आप विश्वास नहीं भी करते तो भी आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए, अर्थात् ईश्वरकी खोज जारी रखनी चाहिए। 'बाइबिल' में एक जगह लिखा है', "हे प्रभु, मुझे मेरी अश्रद्धासे बचाओ"। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। आपके अन्दर असीम धैर्य और आत्मिक लालसा होनी चाहिए। आत्मिक लालसा होने पर सारे संशय दूर हो जाते हैं। 'बाइबिल' में अन्यत्र कहा गया है: "ईश्वरमें विश्वास रखने से तुम पूर्णताको प्राप्त होगे"।

जब मैं अपने आसपासकी प्रकृतिको देखता हूँ, तो अपने-आपसे कह उठता हूँ कि एक सिरजनहार, एक ईश्वर अवश्य होगा और मुझे उससे प्रार्थना करनी चाहिए।

यह भी बुद्धिकी बात हुई। ईश्वर बुद्धिसे परे है। लेकिन यदि आपकी बुद्धि आपको शक्ति देने के लिए काफी है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी — द लास्ट फेज, जिल्द १, भाग १, पृ० ५९

९. सन्देश : रवीन्द्रनाथ ठाकुर दिवसपर[1]

[४ अगस्त, १९४४ या उसके पूर्व][2]

अपने-आपको संगठित करने से आपको सफलता मिलेगी। यह गुरुदेवका सन्देश है। इस सन्देशको अपना आदर्श वाक्य बनायें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ६-८-१९४४

१ और २. रवीन्द्रनाथ ठाकुर दिवस मनाने के लिए हैदराबादमें ४ अगस्तको इसन यार जंग बहादुरकी अध्यक्षतामें एक सार्वजनिक सभा हुई थी। यह सन्देश उसमें पढ़कर सुनाया गया था।

१०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

सेवाग्राम
५ अगस्त, १९४४

बहुत-से कांग्रेसजनोंने मुझसे पूछा कि उन्हें आगामी ९ अगस्त कैसे मनाना चाहिए। यह वह दिन है जिसने भारतकी स्वतन्त्रताकी लड़ाईकी दिशा ही बदल दी। ९ अगस्त, १९४२ का दिन मैंने शान्तिपूर्ण ढंगसे आत्म-निरीक्षण करने और समझौते के लिए बातचीतका सूत्रपात करके बिताने का निश्चय किया था। लेकिन सरकार अथवा भाग्यने कुछ और ही बात सोच रखी थी। सरकार उन्मत्त हो उठी और कुछ लोग भी उत्तेजित हो गये। तोड़-फोड़ और इसी तरहकी अनेक घटनाएँ हुईं और बहुत सारी चीजें कांग्रेस अथवा मेरे नामपर की गईं। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा कांग्रेसके मानसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। कई कांग्रेसी मेरी अहिंसाको अस्वीकार करते हैं। कार्य-समिति ही एक ऐसी संस्था है जो न्यायोचित रूपसे और सच्चे अर्थोंमें कांग्रेसका प्रतिनिधित्व कर सकती है।

तथापि देशके एक पुराने सेवकके नाते मैं सलाह दे सकता हूँ, और कांग्रेसी चाहें तो मेरी उस सलाहको निर्देशके रूपमें स्वीकार कर सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ[1] कि इस समय सार्वजनिक सविनय अवज्ञा नहीं की जा सकती। लेकिन सार्वजनिक सविनय अवज्ञा एक चीज है और आत्म-सम्मान और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए व्यक्तिगत रूपसे कार्रवाई करना बिलकुल दूसरी चीज है। यह तो एक सर्व-सामान्य कर्त्तव्य है और इसे हर समय किया जा सकता है। इसे करने के लिए अपने अन्तःकरणके अलावा किसीसे अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नही है। अपनी एक पिछली टिप्पणीमें मैंने बताया था कि यह कब और कहाँ कर्त्तव्य हो जाता है। लेकिन आगामी ९ तारीख तो विशेष अवसर है।

कांग्रेसके और मेरे उद्देश्यको लेकर लोगोंके दिलोंमें बहुत गलतफहमी है। जिन खतरोंसे बचा जा सकता है उन सब खतरोंसे बचना है। इसलिए, लोगोंको मेरी सलाह है कि बम्बईको छोड़कर अन्य सभी स्थानोंपर उस दिनके लिए पुलिस द्वारा लगाये गये विशेष प्रतिबन्धोंकी उपेक्षा नही करनी चाहिए। बम्बईको मैं बम्बईके महापौरकी मार्फत पहले ही सलाह दे चुका हूँ। मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। बम्बईको मैंने सबसे उपयुक्त मानते हुए इसलिए चुना है, मैं वहाँ आसानीसे आ-जा सकता हूँ, और बम्बई ही वह जगह है जहाँ अगस्त, १९४२ की ऐतिहासिक सभा हुई थी। जो-कुछ भी होगा वह प्रतीकात्मक होगा। इसको लेकर लोगोंके दिलोंमें

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४६२-६३।

कौतूहल होना स्वाभाविक और क्षम्य है, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि लोग संयम से काम लें। यदि मैं मानव-परिवारको यह विश्वास दिलाने मे सफल हो जाता हूँ कि प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष शरीरसे कितना ही दुर्बल क्यों न हो, अपने आत्म-सम्मान और अपनी स्वतन्त्रताका अभिभावक है, तो स्वेच्छासे अपने ऊपर लगाया गया प्रतिबन्ध खत्म हो जायेगा। भले ही सारा संसार व्यक्तिगत प्रतिरोध करनेवाले के विरुद्ध हो, किन्तु सम्मान और स्वतन्त्रताकी रक्षाका यह प्रयत्न सफल होता है।

मैंने यह प्रतीकात्मक कार्रवाई करने का सुझाव यह जानने के लिए दिया है कि जो लोग प्रदर्शनका आयोजन करते हैं उन्हें स्थानीय जनताका समर्थन प्राप्त है या नही। विशुद्ध अहिंसक प्रयत्न द्वारा ४० करोड़ लोगोंकी स्वाधीनता कड़े अनुशासनका — बाहरसे लादे हुए अनुशासनका नही, बल्कि सहज ही भीतरसे उद्भूत अनुशासनका — गुण सीखे बिना प्राप्त होनेवाली नही है। आवश्यक अनुशासनके बिना अहिंसा केवल दिखावा होगी।

आगामी ९ तारीखको दूसरी बात मैं यह चाहूँगा कि जो लोग अज्ञातवास कर रहे है वे प्रकट हो जायें। ऐसा वे अधिकारियोंको अपनी गतिविधियोके बारेमें सूचना देकर और अपना पता बताकर कर सकते हैं अथवा पुलिससे बच निकलने अथवा उसे धोखा देने का कोई प्रयत्न न करते हुए प्रकट रूपसे अपना कार्य करके कर सकते है। अज्ञातवास करने का अर्थ पुलिसको धोखा देना है। इसलिए सच्ची खोज तो पुलिसके आगे अपने-आपको प्रकट करना है। किसी भी व्यक्तिको तबतक कुछ नही करना चाहिए जबतक उसे इस बातकी दृढ़ प्रतीति नही हो जाती कि अमुक कार्य हमारे उद्देश्यके लिए अनिवार्य है। जिन लोगोके दिलोंमें ऐसा विश्वास नही है उन्हें मेरे इस लेखपर ध्यान नही देना चाहिए और देशके लिए वे जो श्रेष्ठ समझते है वही करना चाहिए।

भले ही किसी व्यक्तिकी अहिंसामें आस्था हो अथवा न हो, भले ही वह कांग्रेसी हो अथवा न हो, लेकिन हर किसीको चाहिए कि मैंने अपनी हाल ही की टिप्पणीमें[1] जो १४ सूत्री कार्यक्रम सुझाया है उसपर वह आगामी ९ तारीखको पूर्णतः अथवा आंशिक रूपसे अमल करे। उदाहरणके तौरपर, प्रत्येक व्यक्तिको कातना चाहिए, विभिन्न जातियोंके लोगोंको आपसी समझ-बूझ और भाईचारेकी भावनाको व्यक्त करने के तरीके ढूंढ़ने चाहिए। हिन्दू और मुसलमान प्रार्थनाओंके संयुक्त कार्यक्रमो का आयोजन कर सकते है — ईश्वर मुझे और कायदे-आजम जिन्नाको भारतके हित में किसी सर्वमान्य समझौतेपर पहुँचने की सद्बुद्धि प्रदान करे। हिन्दुओंको हरिजनोके पास जाना चाहिए और जिस सेवाकी उन्हें जरूरत हो उनकी वह सेवा करनी चाहिए। उस दिन सेवा और सहायताकी भावना सर्वत्र होनी चाहिए।

मैं जहाँ-कही भी अंग्रेजों अथवा अमेरिकियोंके सम्पर्कमें आया हूँ, भले ही वे अधिकारी रहे हों अथवा सामान्य जन, उनमें मुझे मित्र-भावके ही दर्शन हुए हैं। मेरा

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४५९-६०।

उनसे अनुरोध है कि वे विशेषकर ९ तारीखको हमें अपना सहयोग दें। वे इस बातको समझ लें कि अगस्त-प्रस्तावकी परिकल्पना घृणासे प्रेरित होकर नहीं की गई थी। उसमें तो इस देशके लोगोंके सहज अधिकारकी बिना किसी लाग-लपेटके घोषणा की गई थी।

और जो लोग मेरे-जैसा विश्वास रखते हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वे इस शुभ दिवसपर उपवास रखें और प्रार्थना करें। लेकिन यह सब यन्त्रवत् नहीं होना चाहिए। यह आत्म-शुद्धि और प्रायश्चित्तके लिए बिना किसी आडम्बरके किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इसकी उन्नयनकारी शक्तिकी परख स्वयं कर सकता है।

जैसा मैंने सोचा है, यदि उसी भावनाके साथ यह प्रदर्शन किया गया, तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इससे जनताके दुःखोंका शीघ्र निवारण होगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ७-८-१९४४

११. पत्र: नगीनदास मास्टरको

सेवाग्राम
५ अगस्त, १९४४

भाई नगीनभाई,[1]

मेरा आजका वक्तव्य[2] आप समाचारपत्रोंमें देखेंगे। पहले तो मेरा विचार था कि बम्बईका सारा कार्यक्रम मैं अपने निवेदनमें दे दूं। लेकिन मैंने इसमें कुछ परिवर्तन करने की बात सोची है। यदि मैं आपके गले उतार सकूं तभी वह किया जायेगा। यह महत्त्वपूर्ण है। इसलिए या तो आप आ जायें अथवा अपने किसी विश्वासपात्र व्यक्तिको भेज दें। कार्यक्रमकी सफलतापर बहुत-कुछ निर्भर करता है। यह पत्र आपको प्रेमाबहन कंटक देंगी। किसी कारणवश यदि आप न आ सकें अथवा किसीको न भेज सकें तो प्रेमाबहनकी मार्फत जवाब भेजें। मैंने जो परिवर्तन करने का विचार किया है वह संक्षेपमें प्रेमाबहन आपको बतायेंगी।

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. बम्बईके महापौर
२. देखिए पिछला शीर्षक।

१२. भेंट : श्यामाप्रसाद मुखर्जीको[1]

सेवाग्राम
५ अगस्त, १९४४

गांधीजी का कहना है कि राजाजी के फार्मूलेसे उनका जो सम्बन्ध है वह व्यक्तिगत है, और उसके कारण उनके अतिरिक्त और कोई उससे प्रतिबद्ध नहीं होता। इसलिए वे इस बातके लिए उत्सुक हैं कि लोग मुक्त भावसे और निश्शंक होकर इसपर अपनी राय व्यक्त करें। हमारी जो बातचीत हुई उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उन्हें ऐसी आलोचना पसन्द है, क्योंकि वे समझने के लिए तैयार हैं। यदि उन्हें उक्त फार्मूलेमें कोई दोष दिखाई दिया, तो वे इसे सुधारने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। उनके मतानुसार फार्मूलेका उद्देश्य सबके साथ न्याय करना है। इसलिए, यदि फार्मूलेको अमलमें लाने से किसी जातिके प्रति अन्याय होने की सम्भावना दिखाई देती हो, तो यह बात उनके ध्यानमें लाई जानी चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि लोग याद रखें कि यदि कायदे-आजम जिन्ना और उनके बीच कोई समझौता हो जाता है, तो जनमत-संग्रह करवाये जाने से पहले सभी पक्षोंके लोग यदि चाहें तो अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, और योजना तभी लागू होगी जब ब्रिटेन भारतके शासनकी पूरी सत्ता और जिम्मेदारी भारतीयोंको दे देगा। इसलिए शान्त और तटस्थ भावसे विचार करने के लिए काफी समय है। उन्होंने यह भी कहा कि राजाजी का फार्मूला आत्मनिर्णय-सम्बन्धी कांग्रेसके प्रस्तावको[2] ठोस रूप प्रदान करने का एक तरीका है, और सभी समुदायोंकी सहमतिके बिना कुछ भी नहीं हो सकता।... उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वे आलोचना सदा पसन्द करते हैं, उससे उनकी उन्नति ही हुई है और उनके प्रभावमें उससे कमी नहीं आई है।

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जिन्ना टॉक्स, पृ० ८३

१. यह ६ अगस्तको हिन्दू महासभाके कार्यकारी अध्यक्ष डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा समाचार-पत्रोंके लिए जारी किया गया था। श्यामाप्रसाद मुखर्जीने बताया था: "कल मैंने व्यक्तिगत हैसियतसे महात्माजी के साथ लम्बी बातचीत की थी और मैंने उन्हें विस्तारसे बताया कि मैं और मेरे-जैसे विचारों वाले अन्य लोग सम्पूर्ण भारतको ध्यानमें रखते हुए राजगोपालाचारीके फार्मूलेका कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं। बातचीत खुलकर और विस्तारसे हुई।... यह सारी बातचीतका सार नहीं है। बातचीतका केवल वही भाग प्रकाशित किया गया है जो लोगोंके दिमागसे इस भयको दूर करने के लिए आवश्यक है कि फार्मूलेकी किसी प्रकार आलोचना करने से गांधीजी का प्रभाव अथवा उनकी स्थिति कमजोर पड़ जायेगी।" यह गांधीजी की स्वीकृतिसे प्रकाशित किया गया था।

२. देखिए परिशिष्ट १।

१३. पत्र : भीमराव रामजी अम्बेडकरको

सेवाग्राम
६ अगस्त, १९४४

आपका ३१ जुलाईका लिखा पत्र[1] मुझे कल मिला, धन्यवाद। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न मेरे लिए जिन्दगी-भरका प्रश्न है। एक समय था जब मैं यह सोचा करता था कि जब यह समस्या सुलझ जायेगी तब भारतकी राजनीतिक परेशानियाँ खत्म हो जायेंगी। अनुभवसे मैंने जाना है कि यह केवल आंशिक रूपसे सत्य है। अस्पृश्यतासे मैं उसी समय घृणा करने लगा था जब मैं किशोरावस्थामें था। लेकिन मेरे लिए यह धार्मिक और सामाजिक सुधारका प्रश्न था। और हालाँकि इसका बड़ा राजनीतिक महत्त्व हो गया है, फिर भी मेरे लिए इसका धार्मिक और सामाजिक महत्त्व बहुत अधिक है। लेकिन स्वयं क्षति उठाकर मैं यह जान पाया हूँ कि इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर आप और मैं भिन्न मत रखते हैं। और मैं यह भी जानता हूँ कि देशके बड़े-बड़े राजनीतिक मसलोंपर हम दोनोंके दृष्टिकोण भिन्न हैं। यदि हम किसी प्रकार इन दोनों प्रश्नोंपर सहमत हो सकें तो यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ कि आपमें महान योग्यता है और मैं आपको साथी और सहयोगीके रूपमें पाना पसन्द करूँगा। लेकिन मैं आपके निकट नहीं आ पाया हूँ, मुझे अपनी इस असफलताको स्वीकार करना होगा। यदि आप मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा सकें जिससे हम दोनों परस्पर सहमत हो सकें, तो मैं उसे देखना चाहूँगा। लेकिन इस बीच मुझे दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदको ही स्वीकार करना होगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-१-१९४५

१. जिसमें अन्य बातोंके साथ-साथ यह भी लिखा हुआ था: "...हिन्दू-मुस्लिम समस्या ही एक अकेली साम्प्रदायिक समस्या नहीं है, जिसका समाधान ढूँढ़ा जाना चाहिए।...हिन्दुओं और अस्पृश्योंको लेकर भी साम्प्रदायिक समस्या है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए।...यदि भारतके राजनीतिक उद्देश्यको प्राप्त करना है, तो मुझे यकीन है कि हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायोंको पारस्परिक समस्याओंके एक सर्वांगीण समाधानपर पहुँचना जरूरी होगा।...लेकिन जिस तरह आप हिन्दू-मुस्लिम समस्याके समाधानके लिए उत्सुक हैं उसी तरह यदि हिन्दुओं और अस्पृश्योंको समस्याके समाधानके लिए भी उत्सुक हों तो मैं सहर्ष उन मुद्दोंकी रूपरेखा तैयार करूँगा जिनका समाधान होना जरूरी है...।"

१४. पत्र : मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैयाको

६ अगस्त, १९४४

प्रिय सर विश्वेश्वरैया,

आपकी कृपा कि मुझे इतना विस्तृत पत्र भेजा। राजनीतिक क्षेत्रमें ऐसे आघातोंको भी यथासम्भव खुशीसे ही झेलना पड़ता है जो हिम्मत पस्त कर देनेवाले होते हैं। अतः मैंने इस क्षेत्रको आत्म-संयम सीखने और अहिंसाका अभ्यास करने की एक पाठशाला मान लिया है। मेरा खयाल था कि एक बड़ी भारतीय रियासतकी दीवानगिरी[1] शौकिया सँभाल चुकने के बाद आप राजनीतिक क्षेत्रसे पलायन नहीं करेंगे। यह मैं आपको किसी प्रलोभनमें डालने के लिए नही कह रहा हूँ। आपने अपने अद्वितीय इंजीनियरी कौशलसे इस देशके जीवनको समृद्ध बनाया है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाके सम्बन्धमें आपके लेखोंको भी मैं बराबर पढ़ता रहा हूँ।

एक महान इंजीनियरके रूपमें तो आपका योगदान है ही, इसके अलावा जिस चीजने मुझे सर्वाधिक मुग्ध किया है वह यह है कि वृद्धावस्थामें भी आपने शारीरिक एवं मानसिक शक्तिको सुदृढ़ बनाये रखने की कला सिद्ध कर ली है। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह अनायास आप नन्दी हिलपर चढ़ जाया करते थे। मैं चाहूँगा कि वृद्धावस्थामें भी युवा तथा ओजस्वी अनुभव करने का जो रहस्य आपने समझा है वह आप इस देशके युवकों व युवतियोंको बतायें। हमारे देशमें तो यह एक दुर्लभ गुण है।

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. मो० विश्वेश्वरैया १९१२ से १९१८ तक मैसूर रियासतके दीवान थे।

१५. तार: मुकुन्दराव रामचन्द्र जयकरको

वर्धागंज
७ अगस्त, १९४४

डॉ० जयकर
विन्टर रोड
बम्बई

सप्रू[1] बुधवारको आ रहे हैं। यदि सुविधाजनक हो तो आइए।

गांधी

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जयकर पेपर्स : फाइल सं० ८२६। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१६. पत्र: अमृतकौरको

७ अगस्त, १९४४

चि० अमृत,[2]

तुम्हारे पत्र मिले। मुझे खुशी है कि एस०[3] शिमला जा सकी और तुम्हें कुछ समय दे सकी। वह अब भी पूनामें मंजुलाकी[4] देखभाल कर रही है। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि डॉ० जीवराज मेहता मेरे साथ है? मैं उनसे तुम्हें पत्र लिखने को कहूँगा। वे मेरी बहुत तरहसे मदद करते हैं, और बिना किसी हलचलके मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। यहाँतक कि मुझे मालूम भी नहीं हो पाता कि वे कुछ कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वे केवल मुझे साथ देने के लिए यहाँ आये हैं।

तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

सबको प्यार।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४१४६) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७७८१ से भी

१. तेजबहादुर सप्रू
२. अमृतकौरको लिखे इस पत्रमें तथा बादके पत्रोंमें सम्बोधन देवनागरीमें है।
३. डॉ० सुशीला नैयर
४. अजलाल गांधीकी पुत्री जिन्हें कानके ऑपरेशनके बाद मुँहमें पक्षाघात हो गया था।

१७. पत्र : कृष्णचन्द्रको

७ अगस्त, १९४४

चि० कृ० चं०,

यह दु:खद कथा है। इसका औषध एक ही है। चि०[1] कहे वह किया जाय। तुम्हारे ही उनसे बात कर लेना। मै नही सा हूं। अगर दृष्टिभेद रहे तो उनकी दृष्टिको मान लेना। सिध्धांतभेद तो होना ही नही चाहीये। है तो मुझे बताना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४४३) से

१८. भेंट : यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडियाको

सेवाग्राम
७ अगस्त, १९४४

प्रश्न : आपने पंचगनीमें कहा था : "साम्प्रदायिक समस्यापर मैंने हाल ही में जो घोषणाएँ की हैं वे सब इस विषयपर व्यक्त किये गये मेरे पिछले विचारोंसे मेल खाती हैं।" लेकिन पहले आपने कहा था : "विभाजनका मतलब है एक स्पष्ट असत्य। मेरी आत्मा इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकती।... इस तरहके सिद्धान्तसे सहमत होना मेरे विचारसे ईश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार करना है। ('हरिजन', १३-४-१९४०)।[2] विभाजनके प्रस्तावने हिन्दू-मुस्लिम समस्याका रूप ही बदल दिया है। मैंने तो इसे एक असत्य कहा है। इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता।... किसी सम्मानजनक समझौतेके आधारपर विभाजन सम्भव नहीं है ('हरिजन', ४-५-१९४०)।[3] मैं हिन्दुस्तानके अंगच्छेदको पाप समझता हूँ।... ('हरिजन', २४-५-१९४२)।"[4] आपके ये कथन आपके हालके बयानोंसे कैसे मेल खाते हैं, क्या आप कृपा करके इसपर प्रकाश डालेंगे? महासभावाले इसी तरह तर्क करते जान पड़ते हैं, इसलिए हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं।

१. चिमनलाल न० शाह
२. देखिए खण्ड ७१, पृ० ४६४।
३. देखिए खण्ड ७२, पृ० ३१।
४. देखिए खण्ड ७६, पृ० १३३।

उत्तर : यद्यपि मुझे कायदे-आजम जिन्ना और मेरे बीच होनेवाली आगामी बातचीतसे पहले इस विषयके सभी प्रश्नोंका उत्तर देने से बचना चाहिए, फिर भी मुझे आपके प्रश्नोंके उत्तर तो दे ही देने चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे मौजूदा रुखसे कई लोगोंको परेशानी और दुःख हुआ है। आपने मेरी जो राय उद्धृत की है, मैंने उसे बदला नही है। मैंने जहाँ वह वक्तव्य दिया था, जिसकी चर्चा आपने की है, वहाँ मैं अ० भा० कांग्रेस कमेटीके आत्मनिर्णय-सम्बन्धी प्रस्तावमें भी भागीदार था। मेरी मान्यता है कि राजाजी का फार्मूला उस प्रस्तावको कार्यान्वित करता है। तथापि मैं अपने आलोचकोंसे अनुरोध करूँगा कि वे मेरी तथाकथित अथवा वास्तविक असंगतियोंका खयाल न करें। वे स्वयं उस प्रस्तावके गुण-दोषकी जाँच करें और यदि हो सके तो इस प्रयत्नको अपना आशीर्वाद दें।

प्र० : श्री जिन्नाके भाषणपर[1] आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि श्री जिन्ना आपके सुझावोंको स्वीकार नहीं करते अथवा उनके साथ आपकी बातचीत असफल हो जाती है, तो क्या आप राजाजी के सुझावोंको दिया गया अपना समर्थन वापस ले लेंगे अथवा वे सुझाव कायम रहेंगे?

उ० : मैं मृत्युसे पहले ही मरने में विश्वास नहीं रखता। आगामी बातचीत असफल होगी, मैं ऐसा नही सोचता। मैं हमेशा अच्छेसे-अच्छे परिणामकी आशा रखता हूँ, और बुरेसे-बुरे परिणामके लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले ही ऐसा न सोचें कि बातचीत असफल रहेगी। जब आपको और मुझे बातचीतके असफल होने के आसार साफ दिखाई देने लगेंगे तब आकर मुझसे पूछिएगा।

प्र० : [अमृतसरमें][2] सर्वदलीय सिख सम्मेलनमें सिखोंने यह आशंका व्यक्त की थी कि आप मुस्लिम लीगके आग्रे और भी झुकेंगे। इसके बारेमें आपको उनसे क्या कहना है?

उ० : मेरे सिख मित्र अनावश्यक रूपसे घबरा रहे हैं। मैं अपने सिवाय और किसीकी ओरसे कोई समझौता नहीं कर सकता। कांग्रेस-प्रस्ताव एक पवित्र दायित्व है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे पूरी तरहसे निभाया जायेगा। बहादुर लोग हौओंसे कभी नहीं घबराते। सिख मित्र प्रस्तावके गुण-दोषपर विचार करें, और यदि उन्हें उसमें कोई स्पष्ट दोष दिखाई देता है तो मैं उसे सुधारूँगा। इसी तरह यदि कायदे-आजमको भी इस बातका सन्तोष हो जाता है कि उसमें दोष है, तो मुझे यकीन है कि वे भी उसे सुधारेंगे।

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जिन्ना टॉक्स, पृ० ८३-८४; हिन्दू, ९-८-१९४४ भी

१. ३० जुलाईको लाहौरमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग परिषद्के अर्धवार्षिक सम्मेलनकी अध्यक्षता करते हुए जिन्नाने राजगोपालाचारीके फार्मूले और गांधीजी की उसपर सम्मतिकी काफी आलोचना की थी।

२. साधन-सूत्रमें "लाहौर" दिया गया है। सर्वदलीय सिख सम्मेलनकी कार्य-समितिकी बैठक १ अगस्तको हुई थी। उसने राजाजी के फार्मूलेको अस्वीकार कर दिया था।

१९. पत्र : जोकिम अल्वाको[1]

[८ अगस्त, १९४४ के पूर्व][2]

आपको मेरी रत्ती-रत्ती शक्ति बचानी चाहिए। समाचारपत्रोमें लिखे मेरे लेखों के रूपमें आपके पास प्रचुर सामग्री है। . . .[3] आपको मुझपर दया करनी चाहिए। . . .[4] मुझे किसीके भी साथ लिहाज नही करना चाहिए। यदि मैं करता हूँ तो मै कही का नहीं रहूँगा। कहिए कि आपने मुझे क्षमा कर दिया।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १५-८-१९४४

२०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

८ अगस्त, १९४४

मुझसे जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि मेरे वक्तव्यमें[5] सविनय अवज्ञा करने की बात कही गई है अथवा उससे बचने की बात कही गई है। मेरे वक्तव्यमें एक सर्व-सामान्य अधिकारका आग्रह किया गया है, और जब उस अधिकारके सामान्य प्रयोगपर रोक लगाई जाती है तो उसका आग्रह करना एक कर्त्तव्य हो जाता है। इसलिए यदि सरकार चाहे तो इसमें सविनय अवज्ञा करने की बात है। बम्बईके २५ नागरिकोंने इसी ३ तारीखको पुलिस कमिश्नरको नोटिस भेजे है। उनमें उन्होंने पाँच-पाँचकी टुकडीमें कूच करने और एक समान स्थलपर इकट्ठे होकर मौन प्रार्थ-नाएँ करने तथा 'झण्डा-वन्दन' और 'वन्देमातरम्' गाने की इच्छा व्यक्त की है और इसके लिए अनुमति माँगी है।[6] यदि उन्हें अनुमति प्रदान नही की गई, तो निश्चय ही सविनय अवज्ञा की जायेगी। इस खयालसे कि जनताको समय और स्थानके बारेमें मालूम न हो, पुलिस कमिश्नरको इसकी पूरी सूचना दे दी गई है, जब कि जनताको नही दी गई है। यदि इस असाधारण सहनशीलताकी कद्र नही की जाती है और अधिकारीगण अनुमति प्रदान न करके एक सार्वजनिक अधिकारके सीधे-सादे प्रतीकात्मक

१. बम्बईसे प्रकाशित होनेवाले पत्र फोरम के सम्पादक
२. प्रस्तुत पत्र फोरम की प्रथम वर्षगाँठके अवसरपर लिखा गया था, जो ८ अगस्तको पडती थी।
३ और ४. साधन-सूत्रमें यहाँ शब्द छूटे हुए हैं।
५. देखिए पृ० १३-१४।
६. देखिए खण्ड ७७, परिशिष्ट २३।

प्रयोगमे हस्तक्षेप करते हैं तो इसमें दोष अधिकारियोंका ही होगा। अब समाचारपत्रों और जनताको यह निर्णय करना होगा कि वर्तमान परिस्थितियोंमें सविनय अवज्ञा कर्त्तव्य हो जाता है अथवा नही।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १०-८-१९४४

२१. भाषण: सेवाग्राममें

९ अगस्त, १९४४

गांधीजी ने पुलिस सुपरिटेन्डेंटसे . . . स्थानीय प्रतिबन्धोंके बारेमें पूछताछ की और उन्हें भरोसा दिया कि वे उनका पालन करेंगे।

यह दिन और दिनोंसे अलग है। आज आप लोग प्रार्थना करें कि भगवान कायदे-आजम जिन्नाको और मुझे सद्‌बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि हम दोनों भारत के हितमें किसी सामान्य समझौतेपर पहुँच सकें। कातते समय आप निरन्तर यही प्रार्थना करते रहें।[1]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-८-१९४४

२२. श्रद्धांजलि: महादेव देसाईको[2]

वर्धागंज
१० अगस्त, १९४४

१५ अगस्तको स्व० महादेवकी अखण्ड निद्राको दो वर्ष पूरे होते हैं। दो-तीन पत्र-लेखकोंने इस वारेमें मुझे मीठा उलाहना दिया है। उसका सार इस प्रकार है:

> आप कस्तूरबा स्मारक निधिके अध्यक्ष बन गये है। महादेवने आपकी खातिर सब-कुछ त्याग दिया और अपने प्राणोंकी आहुति दी। वे कस्तूरबासे बहुत कम उम्रमें चले गये। कहाँ उनका काम, और कहाँ कस्तूरबाका! कस्तूरबा सती थीं, यह सही है, लेकिन हिन्दुस्तानमें बहुत सतियाँ हो गई हैं। महादेव भाई तो एक ही थे, यह सब कबूल करेंगे। यदि महादेवभाई आपके हाथमें न आते तो शायद आज जिन्दा रहते। आप भी कबूल करेंगे कि जैसे दूसरे विद्वान अपनी प्रतिभाकी वजहसे प्रतिष्ठा पा सके, और धन-संग्रह कर सके, अपने परिवारको सुखी बना सके, अपनी सन्तानको ऊँची शिक्षा प्रदान कर

१. गांधीजी तीसरे पहर ६० मिनटके लिए अनवरत सामूहिक कताईका उद्‌घाटन कर रहे थे।
२. इसका प्यारेलाल द्वारा किया गया "अधिकारिक अनुवाद" १२-८-१९४४ के हरिजन में प्रकाशित हुआ था।

सके वैसे ही महादेवभाई भी कर सकते थे और विद्वानोंमें अग्रसर माने जाते। लेकिन वे बिचारे आपमें ही समा गये। आपसे यह पूछने की इच्छा होती है कि जिसे आपने पुत्रवत् माना उसके लिए आपने क्या किया?

यह भाषा मेरी अपनी है। मैंने दो-तीन पत्रोंको एकत्रित करके यह लिखा है।

मुझे ये उद्‌गार स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। दोनोंके बीच जो अन्तर है वह इतना स्पष्ट है कि अनदेखा रह ही नहीं सकता। एक पका फल जो किसी भी क्षण गिर सकता है, दूसरा कच्चा फल। आम तौरपर देखा जाये तो महादेवको तो अभी बहुत आगे बढ़ना था। उनका प्रयास १०० साल जीवित रहने का था। उनकी नोटबुकोंका ऐसा संग्रह है कि उनपर सालोंतक काम हो सकता है। उन्होंने वह काम करने की आशा रखी थी। वे जिस दिन अखण्ड निद्रामें चले गये उसके एक दिन पहले मैंने जो बातचीत की थी उसके नोट मौजूद हैं। मेरे सिवा दूसरा कोई उन नोटोंको समझ नहीं सकता। इसका महादेव क्या उपयोग करते, यह मैं भी नहीं कह सकता। महादेव अजरामरवत्प्राज्ञः[1] की साक्षात् मूर्ति थे। लेकिन यदि हमारे सभी स्वप्न पूरे हो जाते तो हम सब गगनविहारी बन जाते और पृथ्वी मानविहीन होकर रोती-रोती विष्णुके पास चली जाती। इसलिए हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता और हरिकी इच्छासे ही जो होना है वह होता है, यह हम देखते हैं।

यद्यपि महादेव गगनविहारी [आदर्शवादी और स्वप्नद्रष्टा] थे, फिर भी उन्होंने अपने पाँव जमीनसे हटाये नही थे। इसलिए उन्होंने जो भी कुछ किया उसे सुशोभित किया। महादेवके भक्तोंको मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि मेरे संसर्गसे उन्होंने कुछ खोया नही। उनकी अभिलाषा विद्वत्ताके लिए नहीं थी। लक्ष्मी उन्हें लालायित नहीं करती थी। उनकी अभिरुचियाँ बहुमुखी थी। उनकी बुद्धि विशाल थी और उनमें प्रधानता भक्तिकी थी। मेरे पास आने से पहले ही उन्होंने अपनी अभिरुचिके अनुरूप लोगोंका सत्संग किया था। उसकी पूर्तिके लिए ही वे मेरे पास आ गये, यह कह सकते हैं। अथवा यह भी कह सकते हैं कि उनकी अभिरुचिकी पूर्ति मेरे पास भी पूर्णतया न होने की वजहसे वे पूरी जवानीमें ही बन्धु-बान्धवोंको विलखते छोड़कर चल दिये।

महादेवके लिए मुझे एक ही काम करना है। महादेवके अधूरे कामोंको पूरा करना और महादेवकी भक्तिके योग्य अपने-आपको बनाना। स्मारकके लिए धन इकट्ठा करने की अपेक्षा यह काम कठिन है। और ईश्वरकी कृपा होगी तभी यह पूरा होगा। महादेवका बाहरी उद्देश्य स्वराज्य हासिल करना और आन्तरिक उद्देश्य हो सके तो भक्तिका साक्षात्कार करना था। कोई भी इस भुलावेमें न रहे कि उन्हें अपनी विद्वत्ताके प्रचारका मोह था। वह तो उन्होंने मेरे पास आकर छोड़ ही दिया था।

१. अजरामरवत्प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत्।
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्॥

महादेवका भौतिक स्मारक खड़ा करने का काम मेरी मर्यादासे बाहरका है। वह काम तो उनके भक्त और मित्रोंका है। कस्तूरबा स्मारकका आरम्भ मैंने नहीं किया। उसका उद्भव कैसे हुआ, यह मैं अपने पहले निवेदनमें[1] समझा चुका हूँ। मैं उस समितिका अध्यक्ष सिर्फ धनका सदुपयोग करवाने के लिए हूँ। वैसे यदि कोई महादेव स्मारक निधि इकट्ठा करने के लिए कोई समिति नियुक्त करे और धन का सदुपयोग करवाने के लिए मुझे अध्यक्ष बनाये तो मैं तैयार हूँ। यह तो पचास सालका मेरा धन्धा ही है।[2]

एक शब्द साहित्यकारोंसे। वे जानते हैं अथवा उन्हें जानना चाहिए कि महादेव साहित्यसे अधिक चरखेको महत्त्व देते थे। वे आनन्दमग्न हो घंटों चरखा चलाया करते थे। यह उनका दैनिक कार्य था। दिनकी कमसे-कम मात्राको पूरा करने के लिए वे रातको जागकर चरखा चलाते थे। भला यह आग्रह क्यों? मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा वे निश्चय ही मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं करते थे। बहुत सोचने-समझने के बाद ही उन्होंने अपने भाग्यको मेरे साथ जोड़ा था। मैंने उन्हें बिना विश्वास के कभी कोई काम करते नही देखा। मेरे समान ही वे भी यह सोचते थे कि भारतके करोड़ों भूखे लोगोंकी भौतिक स्वतन्त्रता चरखेसे जुड़ी है। उन्होंने यह भी जान लिया था कि वे प्रतिदिन हाथसे जो यह काम करते हैं उससे उनके साहित्यिक कार्यमें भी समृद्धि आती है। उसने उसे जो यथार्थता प्रदान की वह अन्यथा नहीं मिल सकती थी। कोष इकट्ठा करना एक अच्छा और जरूरी काम है। लेकिन महादेवके रचनात्मक कार्यका ईमानदारीके साथ अनुकरण करना ज्यादा अच्छा है। स्मारक निधिके लिए धन इकट्ठा करने को इस अधिक ठोस कामका विकल्प नही बनना चाहिए।

[गुजरातीसे]
गुजरात समाचार, १३-८-१९४४

२३. पत्र : चिमनलाल सीतलवाडको

वर्धा
११ अगस्त, १९४४

मैं आपको अपनी मातृभाषामें[3] पत्र लिख रहा हूँ, उम्मीद है आप इसे सहन करेंगे।

कांग्रेसकी नीति निर्दिष्ट और निश्चित रही है। इसके साथ किसी भी चीजको नहीं मिलाया जा सकता। स्वतन्त्र भारत अपने बीच किसी अजनबीको प्रश्रय नहीं दे सकता। मैंने एक योजना-विशेषपर जो अपनी सहमति दी है, वह इस बातपर

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ३६५-६८।
२. इससे अगला अनुच्छेद हिन्दू, १२-८-१९४४ से लिया गया है।
३. इसका मूल गुजराती पाठ उपलब्ध नहीं है।

निर्भर करती है कि वह योजना कांग्रेसके मुख्य सिद्धान्तपर आधारित है।[1] मेरा देशके जन-साधारणपर प्रभाव है, इसलिए मैं जो बात देशके लिए अहितकर समझता हूँ उसे मैं छिपा नहीं सकता। मेरे विरोधी इस स्थितिका लाभ उठायेंगे और यह विचार बराबर मेरे मनमें था। लेकिन हमारे इस भयका कारण हमारी कमजोरी है।

इस भयको दूर करने का तरीका यह है कि हम निश्शंक होकर लेकिन सम्मानजनक ढंगसे अपने-अपने विचार व्यक्त करें। मेरी विनम्र राय है कि केवल इसी तरह हम विजय पा सकते हैं। कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दें कि मेरे किसी कार्य-विशेषसे देशको कोई हानि नही हुई है। कमसे-कम मैंने यह कभी नही सुना कि ऐसा हुआ है। आपने जो-कुछ लिखा है उसे मैंने बड़े धैर्य और सावधानीके साथ पढ़ा है। लेकिन मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि आप मेरे पक्षकी बात धैर्य और सावधानीसे नहीं परखते। आपका ज्यादातर समय तरह-तरहके कार्योंमें चला जाता है, और यह बात मेरे ध्यानमें रहती है।

अन्तमें मुझे यह लगता है कि आपके पत्रोंका जो सार है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत अभी बहुत समयतक अंग्रेजोंके शासन और प्रभुत्वमें रहेगा। आपके लेखोंसे जान पड़ता है कि भारतका ऐसा ही भाग्य है। लेकिन मेरा दृढ विश्वास इसके बिलकुल विपरीत है। इसके अतिरिक्त, आप हमारे उत्साहको कुचलते हैं और हमें ऐसे रूपमें प्रस्तुत करते हैं मानो हम अंधे हैं। हमारे नेता भी हमारे बीचके इस मौलिक अन्तरको भूल जाते हैं। मेरा खयाल है कि यही कारण है कि आप इतने निराशावादी और हम इतने आशावादी हैं।

मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं जो यह तथाकथित अदूरदर्शितापूर्ण कदम[2] उठाने जा रहा हूँ उससे देशका कोई अहित न हो।

आपका छोटा भाई,
मो० क० गांधी

सर चिमनलाल सीतलवाड
मलाबार हिल, बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे : फाइल सं० ३००१/एच०-पी० १२९। पुलिस कमिश्नर, बम्बई

१. सीतलवाड राजाजी के फार्मूले और गांधीजी की उसपर सहमतिके खिलाफ थे।
२. यहाँ संकेत गांधीजी और जिन्नामें होनेवाली बातचीतकी ओर है।

२४. पत्र : देवदास गांधीको

सेवाग्राम
११ अगस्त, १९४४

चि० देवदास,

दिनशाके[1] बारेमें लिखना रह जाता है। उनको लिखे पत्रकी नकल यदि तुझे न मिली हो तो इसके साथ भेजी जायेगी। इस तरहका ट्रस्ट[2] बनाना है। ट्रस्टियों में घनश्यामदास[3], तू, महावीरप्रसाद पोद्दार, दिनशा और मैं रहेंगे। घनश्याम तुझसे इस बारेमें कहनेवाले थे। यदि उन्होंने नहीं कहा हो तो पूछना और उसपर अमल करना। दस्तावेजका मसौदा मुझे भेजना। इसे हिन्दीमें तैयार किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसे रजिस्टर करवाना होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२५. पुर्जा : जगदीश क० मुन्शीको[4]

[१२ अगस्त, १९४४ या उसके पूर्व][5]

१. भारतका विभाजन मुझे जहर-जैसा लगता है, क्योंकि मेरे विचारसे ऐसा करना पाप है।

१. दिनशा के० मेहता

२. नैसर्गिक उपचार-गृहके लिए, देखिए पृ० ३९-४०।

३. घनश्यामदास बिड़ला

४. गांधीजी ने कन्हैयालाल मा० मुन्शीके ज्येष्ठ पुत्र जगदीश मुन्शीको यह पुर्जा गुजरातीमें बोलकर लिखवाया था। इसके साथ यह टिप्पणी भी थी: "मेरा इरादा तुम्हें अपना वकील नियुक्त करने का है, इसलिए मैं जो-कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यानसे सुनो और उसपर बापाजी के साथ बहस करो।" परन्तु गुजराती पाठ उपलब्ध नहीं है। ९ अगस्तके क० मा० मुन्शीके पत्रके लिए, जिसके उत्तरमें यह पुर्जा था, देखिए परिशिष्ट २। गांधीजी के इस पुर्जेके बारेमें क० मा० मुन्शी ने लिखा है: "जिन्नाके साथ प्रस्तावित बातचीतका मेरे द्वारा विरोध होने पर गांधीजी, जाहिर है, खीज गये थे, क्योंकि मुझे जवाब देने से पूर्व गांधीजी ने अपने साथ रह रहे मेरे पुत्रके हाथ अपना सन्देश भिजवाने का अजीब तरीका अपनाया। मेरे लिए यह एक चेतावनी थी। गांधीजी के साथ मेरे लम्बे और घनिष्ठ साहचर्यके दौरान इस तरहकी बात पहले कभी नहीं हुई थी, और न इसके बाद ही फिर कभी हुई।"

५. इस शीर्षकके पाठसे यह स्पष्ट है कि गांधीजी ने यह पुर्जा १२ अगस्तको क० मा० मुन्शीको लिखे अपने पत्रके पूर्व लिखा था; देखिए अगला शीर्षक।

२. २ अप्रैल[1], [१९४२] का दिल्ली-प्रस्ताव आत्म-निर्णयसे सम्बन्धित था। उसके बाद ३० अप्रैल[2] को राजाजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था और भारतका बँटवारा न करने के बारेमें जगतनारायणका प्रस्ताव[3] स्वीकार किया गया था। मेरे विचारसे यह अत्यन्त अनुपयुक्त और जल्दबाजीका कदम था और केवल इसीके कारण जिन्ना मुसलमान जनतामें जहर फैला सके हैं।

३. मैंने इस मामलेमें मौलानासे[4] भी विचार-विमर्श किया था। उनके अनुसार, जगतनारायणके प्रस्तावके बावजूद, इस मसलेपर जिन्नाके साथ बातचीत करने का मेरा अधिकार बरकरार है, क्योंकि २ अप्रैलका प्रस्ताव अभी कायम है।

४. बादमें जब जिन्नाके साथ मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि यदि उन्हें प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य मिल जाये, तो क्या वे विदेशी ताकतोंसे मदद स्वीकार करेंगे। इसके उत्तरमें उन्होंने "हाँ" कहा।

तब मैंने उनसे पूछा कि वैसी मदद प्राप्त करने के बाद क्या वे भारतपर हमला करेंगे। इसके जवाबमें भी उन्होंने कहा: "हाँ"।

तब मैंने उनसे कहा: "ऐसा काम करना पाप है और उसमें मैं अपने-आपको भागीदार नहीं कर सकता।"

५. जब डॉ० लतीफने[5] पाकिस्तानका जिक्र किया तो मैंने उनसे इस मसले पर मौलानाके साथ बातचीत करने के लिए कहा। लेकिन मौलानाकी इच्छाका सम्मान करके ही मैंने उनके साथ बातचीत की थी।

६. राजाजी के प्रस्तावमें उनकी पहलेकी बात जैसी कटुता नहीं है, इसलिए मैं उससे सहमत हूँ। इस प्रस्तावके मुताबिक यदि रक्षा, वैदेशिक मामले और संचारके सम्बन्धमें कोई अलग सन्धि हो सकती हो, तो बाकी चीजें उन्हें देने में मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आता। उसके बाद तो पाकिस्तानका कोई अर्थ ही नहीं जान पड़ता।

७. यह बात नहीं है कि मेरे जीवनमें शुरूसे ही हर व्यक्ति हर मामलेमें मुझसे सहमत ही रहा हो। मतभेद होना आवश्यक है और यह अच्छा है कि मतभेद है। लेकिन कभी भी किसीने मुझसे यह नहीं कहा कि मैंने कोई काम दुर्भावसे किया हो। यही कारण है कि मैं मोतीलाल[6], चित्तरंजन दास तथा अन्य लोगोंका दिल जीत

१. साधन-सूत्रमें एक पाद-टिप्पणीमें लिखा है कि यह प्रस्ताव ११ अप्रैल, १९४२ को पारित हुआ था। इंडियन ऐनुअल रजिस्टर के मुताबिक यह प्रस्ताव सर स्टैफर्ड क्रिप्सको २ अप्रैलको भेजा गया था। लेकिन वार्ता भंग हो जाने के पश्चात् इसे समाचारपत्रोंको ११ अप्रैलको जारी किया गया था। प्रस्तावके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १।

२. साधन-सूत्रमें दी गई एक पाद-टिप्पणीके अनुसार "२९ अप्रैल"

३. जिसमें लिखा है: "अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी राय है कि किसी भी राज्य अथवा क्षेत्रको भारतीय संघसे पृथक होने की स्वतन्त्रता देकर भारतके टुकड़े करने का कोई भी प्रस्ताव विभिन्न राज्यों एवं प्रान्तोंकी जनता तथा पूरे देशके सर्वोच्च हितोंको हानि पहुँचायेगा। अतः कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रस्तावसे सहमत नहीं हो सकती।"

४. कांग्रेसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद

५. सैयद अब्दुल लतीफ़

६. मोतीलाल नेहरू

सका। मतभेदके बावजूद जब उन्होंने सत्यपर अटल रहने के मेरे निश्चयको देखा तो वे बहुधा मेरे पास आये और अश्रु बहाये। मृत्यु-शय्यापर पड़े हुए चित्तरंजन दासने अपने समर्थकोंको आदेश दिया था कि "यह आदमी जैसा कहे, वैसा करो। यह सच्चा नेता है।" मैं विश्वास और प्रेमसे जिन्नाको भी जीतना चाहता हूँ। मेरे पास और कोई हथियार नही हैं।

८. जिन्नाको भी मुझपर पूर्ण विश्वास है। वे जानते हैं कि इन बातचीतोंसे मुझे व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं सिद्ध करना है। और मेरे पिछले पत्रसे[1] वे कुछ नरम पड़ गये हैं। इसीलिए मेरी केवल यही राय हो सकती है कि ऐसे समयमें किसीको कोई बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। जिस दिन मैंने जिन्नाको एक सभामें अंग्रेजी छोड़कर गुजरातीमें भाषण देने के लिए कहा उसी दिनसे वे मुझसे घृणा करने लगे है। सर चिमनलाल सीतलवाड भी उस दिनसे मेरे बारेमें उसी तरहका खयाल रखते हैं और वह आजतक नही बदला है।

९. अवश्य ही जिन्ना निस्स्वार्थ नहीं हैं। वे अपने गर्वके कारण आसानीसे दूसरोंकी बातोंमें आ सकते हैं। सिर्फ इसीलिए कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मै उनकी बातमें आनेवाला नहीं हूँ। मैंने उनकी कही हर बात नही मान ली है। अन्यथा इसका यह अर्थ होगा कि उन्होंने मुझे पूरी तरह अपने पक्षमें कर लिया है। इसी कारण मैं जब उनसे मिलूँगा भी तो कुछ आशंकाएँ लेकर ही मिलूँगा।

१०. मुन्शीने एक नया नारा उठाया है। मै उन्हें रोक नही सकता, और यदि मैंने उन्हें रोका भी तो वह मुझे शोभा नही देगा।

११. लेकिन मुन्शीको हर जगह प्रभुत्व जमाना और नेता बनना बहुत पसन्द है। मैं जानता हूँ कि इसी कारण हर आदमी उनसे घृणा करता है। हर व्यक्ति यह मानता है कि वे कांग्रेसमें भी अपने पक्षधर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी ही ताकतके कारण अपना प्रभाव फैलाने में समर्थ है, तो उसे कोई कैसे रोक सकता है? जिस आदमीके सारे दाँत मजबूत है, वही सुपारी वगैरह तोड़ सकता है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे काफी परेशान मालूम पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे समयमें हम जो-कुछ सही समझते हैं हमें वही करना चाहिए। यदि वे मुझे वक्तव्य[2] दिखलायें तो मैं उसे अवश्य पढ़ूँगा।[3]

[अंग्रेजीसे]

पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम, भाग १, पृ० ४३८-४०

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४१९।

२. देखिए पृ० ३२-३३।

३. इसके बाद निम्नलिखित टिप्पणी है, जो सम्भवतः जगदीश मुन्शीने लिखी है: राजाजी और डॉ० सुब्बारायनकी बातचीतमें ये बातें अन्तर्निहित होंगी: (१) गांधीजी तथा अन्य सभी लोगोंका विश्वास है कि इस बातकी पूरी सम्भावना है कि समझौता-वार्ता भंग हो जायेगी और हमें जेल जाना पड़ेगा। (२) गांधीजी का यह खयाल है कि यदि समझौता-वार्ताको जन-समर्थन प्राप्त नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि राजनीतिमें उनका यह अन्तिम योगदान होगा और उन्हें हमेशाके लिए उससे अलग हो जाना पड़ेगा। (३) १५ सितम्बरतक सबको छोड़ दिया जायेगा।

२६. पत्र : कन्हैयालाल मा० मुन्शीको

सेवाग्राम
१२ अगस्त, १९४४

भाई मुन्शी,

तुम्हारा पत्र मिला।[1] मैंने जगदीशसे थोड़ी बातचीत तो की है,[2] लेकिन तुम्हारे सन्तोषके लिए उत्तर भेज देता हूँ। दूसरे लोग अगर मुझे नही समझते तो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तुम उन लोगोंमें से हो जो मुझे समझते हैं। यह तो तुम जानते ही होगे कि अखण्ड भारतके सिद्धान्तको स्वीकार करने के बावजूद, कांग्रेसके आत्म-निर्णयके सिद्धान्तका जन्मदाता मैं ही हूँ। अहिंसाका पुजारी मैं भारतकी अखण्डताको तभी अक्षुण्ण रख सकता हूँ जब कि मै प्रत्येक खण्डकी स्वतन्त्रताको स्वीकार करूँ। मैंने जिस क्षणसे जिन्नाकी कल्पनाके पाकिस्तानको पाप-रूप माना, उसी क्षणसे मैं कांग्रेसके आत्म-निर्णयके सिद्धान्तमें विश्वास करने लगा; उदाहरणके तौरपर डॉ० लतीफके साथ हुई अपनी बातचीतमें [मैंने यही कहा]।

पंजाबके बारेमें तुमने जो लिखा है वह मैं समझ गया हूँ। वहाँसे जो-कुछ आयेगा मैं उसका अध्ययन करूँगा। मैंने कही भूल की होगी तो उसे सुधारने में मुझे भला कोई समय लगेगा? मै जो-कुछ भी कहता हूँ या लिखता हूँ, उस सबमें यह भावना निहित है कि "भूल-चूक सुधारकर पढ़ना"। तुम बिलकुल निश्शंक होकर राजाजी के प्रस्तावका विरोध करो, इसमें मै कोई दोष नही देखता। जहाँ मनुष्यका अन्त:करण शुद्ध है, वहाँ लोकापवादके भयकी कोई गुंजाइश नही। मैं जबतक जिन्ना साहबसे मिलूं कदाचित् तुम तबतक अपना वक्तव्य तैयार नही कर सकोगे। लेकिन यदि तैयार कर सको तो जरूर भेजना। मैं उसे पढ़ जाऊँगा। संशोधन-परिवर्तन करने की जरूरत हुई तो करूँगा। निश्शंक रहना। मै उतावलीमें कुछ भी नही करनेवाला हूँ। तुम्हें फुरसत हो और आवश्यक समझो तो राजाजी और मुझसे मिल लेना। और मेरा खयाल है कि हमारी मुलाकातके बाद तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६८०) से। सौजन्य: क० मा० मुन्शी

१. देखिए परिशिष्ट २।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

२७. पत्र : रामेश्वरदास बिड़लाको

१२ अगस्त, १९४४

भाई रामेश्वरदास,

बहुत दिनोंसे लिखने की इच्छा हो रही थी लेकिन लिखने का समय ही नहीं मिला। अब तो लिखना ही चाहिये। जीन्हा साहेबका खत किसी भी वक्त आ सकता है। मैंने लिखा तो है कि ३/४ दिनकी मुद्दत मिलनी चाहिये। मुझपर बहुत दबाव *डाला जाता है कि मैं बिरला हाउसमें तो हरगिज न रहूं।*[1] मैंने साफ कह दिया है कि मैं बिना कारण बिरला हाउसका त्याग नहीं कर सकता हूं। प्रश्न तो इसी कारण खड़ा होता है कि कोई भी संजोगवशात् मेरा वहां रहना अनुचित माना जाय तो बगैर संकोच मुझे कह देना। यह प्रश्न पुनामें ही उठा था और उस वक्त तय हुआ था कि तुम्हारे तरफसे संकोचकी कोई बात हो नहीं सकती। मुझे याद नहीं उस वक्त तुम थे या नही। बात घनश्यामदाससे हुई थी। लेकिन सावधानीके कारण आज तुमको हर प्रकारसे सुरक्षित रखने के कारण जब मुझे बम्बई जाने का समय नजदिक आ रहा है तो पूछ लेना धर्म हो गया है।

दूसरी बात अधिक अगत्यकी है लेकिन समयकी दृष्टिसे इतनी अगत्यकी नही जितनी मंबई निवासकी है। अगर मेरी गिरफ्तारी होनेवाली ही है तो उसके पहले जो कार्य मुझे करने चाहिये उसे मैं कर सकूं तो एक प्रकारका सन्तोष मिलेगा। तालीमी संघका[2] कार्य बहुत अच्छा है ऐसा मेरा विश्वास है। उसके लिये १/२ आधा लाख रुपयेका प्रबन्ध कर लेना चाहता हूं।

मीराबहनके लिये रूपये दानमें मिले थे वह वापस देना चाहता हूं। वह उसे वापस देने का धर्म हो गया है। इसका बोझ यों तो सत्याग्रह आश्रम कोषपर पड़ना चाहिये। थोड़े पैसे हैं भी सही। लेकिन वह नारणदासने रचनात्मक कार्यमें रोक लिये हैं। उसमें से निकल तो सकते हैं लेकिन उस कार्यको हानि पहुंचा करके ही निकाल सकता हूं। हो सके तो उस कार्यमें हानि पहुंचाना नहीं चाहता हूं। इसमें शायद १/२ आधा लाख/लाख तक पहुंच जाता हूं। ठीक रकम कितनी देनी है वह मुझे पता नहीं चला है। वर्षोसे जो रकम आती रही वह दानोंमें लिखी है उसे निकालने में कुछ देर लगती ही है। आश्रमकी सब किताबें इधर-उधर पड़ी हैं। अच्छी तरह रखे हुये चौपड़ेमें से भी ऐसी रकमोंको चुन लेना घासमें गिरी हुई सूईको ढूंढ़ लेना-सा हो जाता है। तब भी मैंने लिख दिया है कि वह सारा हिसाब निकाला जाय।

१. कुछ लोगोंने कहा था कि यदि गांधीजी बिड़ला-परिवारके साथ रहते हुए दुबारा गिरफ्तार किये जाते हैं, तो इससे परिवारको नुकसान पहुँचेगा।

२. हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

कुछ फुटकर खर्च पड़ा है। इसका कुछ करना आवश्यक है। उसमें कुछ १/२ आधा/लाख चला जायगा। मैंने ठीक हिसाव निकाला नहीं है।

क्या इतनी रकमें आरामसे दे सकते हैं। इसका उत्तर नकारमें भी वगैर संकोच दिया जा सकता है। मेरे सव कार्य ईश्वराधीन रहते हैं। ईश्वर अगर वह कार्य रोकना नहीं चाहता है तो किसी न किसीको अपना निमित्त वनाकर मुझको हुंडी भेज देता है। तो न मिलने से मैं न ईश्वरसे रूठूंगा न तुमसे। जिस वृक्षके नीचे मैं वैठता हूं उसी वृक्षका छेदन आजतक नहीं किया, ईश्वरकी कृपा होगी तो भविष्यमे नहीं होगा।

तुम सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यह पत्र चि० जगदीशके मारफत भेजता हूं। वह यहां भाई मुन्शीका खत लेकर आया है।[1] डाकसे क्या भेजा जाये, क्या न भेजा जाय इसका निर्णय करना मुश्किल हो जाता है।

बापुके आशीर्वाद

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ८०६०) से। सौजन्य: घनश्यामदास विड़ला

२८. तार: मुहम्मद अली जिन्नाको

एक्सप्रेस

१३ अगस्त, १९४४

कायदे-आजम जिन्ना
माउन्ट प्लेजेन्ट रोड
बम्बई

धन्यवाद। तार अभी-अभी मिला। अगले शनिवार शाम चार वजे [का समय] मुझे अनुकूल पड़ता है।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. देखिए "पत्र: कन्हैयालाल मा० मुन्शीको", पृ० २९।

२९. पत्र : वालजी गो० देसाईको

सेवाग्राम
१४ अगस्त, १९४४

चि० वालजी,

मुझे इस विचारसे बड़ी शान्ति मिलती है कि मैं कमसे-कम तुम्हारा इतना कर्ज तो आज चुका सका। अभी भी कुछ बाकी रह गया जान पड़ता है। मैंने जो सुधार किये हैं उन्हें स्वीकार कर लेना, लेकिन तुम सुधार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो। यदि ये सुधार स्वीकार करने लायक जान पड़ें तभी स्वीकार करना। यह रजिस्टर्ड डाकसे जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४९९) से। सौजन्य : वालजी गो० देसाई

३०. पुर्जा : कन्हैयालाल मा० मुन्शीको[1]

[१४ अगस्त, १९४४ के पश्चात्][2]

राजाजी के फार्मूलेपर टिप्पणी करने से मेरे इनकारसे देश-भरमें कई मित्रोंको मेरे दृष्टिकोणके बारेमें गलतफहमी हो गई है।

कुल मिलाकर मेरी यही सलाह है कि हमारी जो मुलाकात होनेवाली है, वह जबतक समाप्त न हो जाये, तबतक तुम्हें शान्ति रखनी चाहिए।

बापू

मैं राजाजी के फार्मूलेको स्वीकार नहीं कर सकता। उस फार्मूलेमें हिन्दू और मुस्लिम क्षेत्रका विभाजन सशर्त है। . . . दूसरी ओर विभाजनसे उन प्रान्तोंके हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने क्षेत्रमें ठीकसे बस सकेंगे।

दूसरे तर्कसे पहले तर्कका समर्थन होता नहीं जान पड़ता।

१ और २. क० मा० मुन्शीने अपने वक्तव्यका मसौदा १४ अगस्त, १९४४ के अपने पत्रके साथ भेजा था ताकि "यदि आवश्यक हो तो उसमें वे परिवर्तन सुझायें"। मसौदा अंग्रेजीमें था और उसके केवल कुछ ही अंश यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं। मसौदेपर गांधीजी की गुजरातीमें टिप्पणियाँ अंग्रेजी अनुवाद-सहित प्रकाशित हुई थीं।

परन्तु, राजाजी के फार्मूलेके बारेमें मेरी आपत्ति और अधिक गहरी है। . . . तोड़-फोड़की प्रवृत्तिके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वह है भारतमें इस्लामको एक धार्मिक-राजनीतिक दलका रूप देने और राष्ट्रवादियोंको आतंकित कर और झुकाकर देशपर आधिपत्य स्थापित करने की लालसा। . . . श्री जिन्नाके हालके वक्तव्योंको इतनी जल्दी आसानीसे भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तानकी सशर्त स्वीकृतिके आधारपर, जैसा कि इस फार्मूलेमें निहित है, वे कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि कोई समझौता हुआ भी, तो राष्ट्रवादियों द्वारा पाकिस्तानका सिद्धान्त स्वीकार कर लिये जाने के बाद दूसरे दिन ही वह समझौता समाप्त हो जायेगा।

इन आपत्तियोंका कोई गहरा आधार नहीं है। यदि तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई तर्क नहीं है तो चुप रहने से कोई नुकसान नही होगा।[1]

[अंग्रेजीसे]

पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम, पृ० ४३५-३६

३१. पत्र : तारासिंहको[2]

सेवाग्राम

१५ अगस्त, १९४४

प्रिय मास्टर तारासिंह,

आपके ५ तारीखके सुविचारित पत्रके लिए धन्यवाद। यह मेरे हाथोंमें आज ही आया। यह १० तारीखको यहाँ मिल गया था। लेकिन डाक अब बहुत बढ़ गई है। आपके-जैसे महत्त्वपूर्ण पत्र भी मिलने के बाद तुरन्त ही मेरे हाथमें नही आते। मै अभी इतना स्वस्थ नही हुआ हूँ कि सारा दिन काम कर सकूं। मैंने इतना सब जो लिखा है वह केवल यह बताने के लिए कि मै आपके पत्रको कितना महत्त्व देता हूँ।

लेकिन देर होने से कुछ खोया नही है। हम किसी अन्तिम निर्णयपर नही पहुँचेंगे। छोटेसे-छोटे हितका उतना ही ध्यान रखा जायेगा जितना कि बड़ेसे-बड़े हितका। यह मेरे सिद्धान्तकी माँग है, और यदि मै इस सिद्धान्तपर नहीं चलता तो वह चूक होगी। अभी कुछ समयके लिए तो मै आपको यही आश्वासन दे सकूँगा।

१. यह वक्तव्य समाचारपत्रोंको जारी नहीं किया गया था।

२. पंजाबके एक सिख कांग्रेसी, सरमुखसिंह झबलने इसे समाचारपत्रोंके लिए जारी करते हुए कहा था: "मास्टर तारासिंहने राजाजी के फार्मूलेके सम्बन्धमें गांधीजी को लिखा अपना पत्र तो प्रकाशनार्थ भेज दिया, लेकिन गांधीजी का उत्तर प्रकाशित नहीं किया गया, जब कि वह उस समय मास्टरजीके पास ही था।"

आप ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह हम दोनोंको जो पूर्णतया सही है वही करने की शक्ति प्रदान करे और हम तात्कालिक लाभके लोभमें आकर सही मार्गसे न डिगें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ८-१०-१९४४

३२. पत्र: कोंडा वेंकटप्पय्याको

१५ अगस्त, १९४४

प्रिय वेंकटप्पय्या,

आपके दो पत्र और तीन छोटी-छोटी पर्चियाँ मिलीं। आप सचमुच विलक्षण व्यक्ति हैं। मेरा खयाल है कि आप आयुमें मुझसे कहीं बड़े हैं, लेकिन आपकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। ईश्वर करे वह हमेशा ऐसी ही बनी रहे। सावित्रीके बारेमें क्या है?

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२२६) से

३३. पत्र: मुकुन्दराव रामचन्द्र जयकरको

१५ अगस्त, १९४४

प्रिय डॉ० जयकर,

मैं आपके दो पत्रोंके लिए आपका आभारी हूँ। लम्बावाला पत्र स्थितिपर काफी प्रकाश डालता है। मैं खतरोंके प्रति सचेत हूँ। मुझे खाली हाथ लौटने का भय नहीं है।[1] मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सारी जिन्दगी करता आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको सर्वव्यापी परमात्मामें विश्वास है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ईश्वरसे यह प्रार्थना करें कि वह मुझे सही चीज करने की शक्ति प्रदान करे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जयकर पेपर्स: फाइल सं० ८२६। सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. यहाँ संकेत गांधी-जिन्नाकी प्रस्तावित बातचीतकी ओर है।

३४. पत्र : दादाचानजीको

१५ अगस्त, १९४४

प्रिय दादाचानजी,

प्यारेलालजी को लिखा आपका पत्र मैंने पढ़ा। आप मुझे कुछ ज्यादा ही वकीलो-जैसे लगते हैं। आपके वकीलपनसे आपकी अच्छाईमें बिगाड़ आता है। आप मुझ पर और मेरे आदमियोंपर रहम करें। हम सभीपर कामका बहुत अधिक बोझ है, और मैं बीमार होते हुए भी काममें जुटा हूँ। भारत-बर्मा समस्याको मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता स्पष्ट नही है। प्यारेलालका आशय केवल इतना ही था, लेकिन वह इसे आपको जतला नही पाया। क्या आप भागते घोड़ेको चाबुक मार सकते हैं? आप तो घोड़े, मोटरें आदि रख चुके है। अपने घोड़ों और मित्रोंके साथ आपका जो अनुभव रहा है उसे याद कीजिए। विश्वास कीजिए कि मै भागते घोड़ेसे भी ज्यादा तत्पर हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३५. पत्र : डाह्याभाई वि० पटेलको

१५ अगस्त, १९४४

चि० डाह्याभाई,

मुझसे तुम्हारे घर रहने के लिए बहुत आग्रह किया गया, परन्तु मैं पसीजा नही। किसीको नाराजगी होगी, महज इसलिए मै विड़ला भवन छोड़ नही सकता। मैं निश्चय ही तुम्हारे यहाँ रहना चाहूँगा और फिर मैने तुम्हारा घर भी कभी देखा नही है। परन्तु मुझे तो जो कर्त्तव्य लगे उसीका पालन करना चाहिए।[1]

१. देखिए "पत्र: रामेश्वरदास बिड़लाको", पृ० ३०-३१।

मैं शनिवारको वहाँ पहुँचने की आशा रखता हूँ। सम्भव है, मैं रविवारको वापस आ सकूँ।

तुम सबको
बापूके आशीर्वाद

श्री डाह्याभाई पटेल
६८, मरीन ड्राइव
बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने, पृ० १६२

३६. पत्र : शान्तिकुमार और सुमति मोरारजीको

१५ अगस्त, १९४४

चि० शान्तिकुमार और सुमति,

हम सब वहाँ शनिवारको पहुँच रहे हैं। बिड़ला भवनमें ठहरने का प्रबन्ध हुआ है। तुम दोनों वहाँ ही आना, क्योंकि अभी तो मेरी सुविधाओंको तुम दोनों ही ज्यादा अच्छी तरह समझते हो।[1] बाकी सब मिलने पर।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८४८) से

३७. भेंट : ड्यूटी सोसाइटीके शिष्टमण्डलको[2]

सेवाग्राम
१५ अगस्त, १९४४

महात्मा गांधी शिष्टमण्डलके सदस्योंके साथ बातचीत करते हुए बहुत खुश थे और सारा समय मुस्कराते रहे। महात्मा गांधी द्वारा पूछे जाने पर श्री इबादत यार खाँने विश्वविद्यालयमें पिछले २० सालोंमें जो तरक्की हुई है उसके बारेमें उन्हें बताया, विशेषकर विश्वविद्यालयके उपकुलपति डॉ० सर जियाउद्दीन अहमदके

१. गांधीजी स्वास्थ्य-लाभ करने के दौरान ११ मई से १५ जून, १९४४ तक शान्तिकुमार और सुमति मोरारजीके साथ जुहूमें ठहर चुके थे।

२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयका शिष्टमण्डल, जिसके नेता इबादत यार खाँ और सदस्य मुहम्मद अशफाक, अमीरुद्दीन अल्वी तथा ए० एम० सफी थे।

कार्य-कालमें एक इंजीनियरिंग कालेजकी स्थापना और मेडिकल कालेजकी नींव रखे जाने का उल्लेख किया। . . .

शिष्टमण्डलने वर्तमान राजनीतिक स्थितिकी भी चर्चा की और महात्मा गांधीसे अनुरोध किया कि दो महान नेताओंमें जो बातचीत होने वाली है उसमें लीग और कांग्रेसमें कोई सम्मानजनक समझौता हो जाना चाहिए। श्री गांधीने बताया कि वे मुसलमानोंकी प्रत्येक उचित माँगको स्वीकार करने को तैयार हैं और कहा:

मै चाहता हूँ कि मुझे और कायदे-आजमको एक कमरेमें बन्द कर दिया जाये और जबतक हम इस गतिरोधको दूर करने के लिए किसी निर्णयपर नही पहुँच जाते, तबतक हमें बाहर न आने दिया जाये।

शिष्टमण्डलके सदस्योंने एक बार फिर गांधीजी से गतिरोधको दूर करने का अनुरोध किया और कहा कि ऐसी कोशिश कीजिए जिससे कि भारतपर स्वयं भारतीयोंका शासन हो जाये, जैसा कि आपका इतने लम्बे अरसेसे प्रयास रहा है। गांधीजी ने उत्तर दिया:

मै अपने जीवन-कालमें भारतको स्वाधीन देखना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि जब मैं न रहूँगा तब क्या होगा?

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २०-८-१९४४

३८. सलाह: असमके कांग्रेसी विधायकोंको

[१६ अगस्त, १९४४ के पूर्व][1]

यूनाइटेड प्रेसको पता चला है कि गांधीजी ने असमके कांग्रेसी विधायकोंको, जो जेलसे बाहर हैं, विधान-सभामें शामिल होने और जमीनका बन्दोबस्त, खाद्य सामग्री और निष्क्रमण-जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर अपने विचार व्यक्त करने की सलाह दी है।

खाद्य-समस्याके सम्बन्धमें सरकारके प्रयत्नोंसे कांग्रेसियोंको किस हदतक सहयोग करना चाहिए इस प्रश्नपर गांधीजी ने यह कहा बताते हैं कि देशकी खाद्य-समस्याके सम्बन्धमें सरकारके प्रयत्नोंके साथ सहयोग असम्भव है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-८-१९४४

१. यह तथा अगला शीर्षक "गौहाटी, १६ अगस्त" तिथि-पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

३९. सन्देश : असम-निवासियोंको

[१६ अगस्त, १९४४ के पूर्व]

मेरे पास असमिया भाइयों और बहनोंको देने के लिए आशाका कोई सन्देश नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। भगवान करे कि आप इस अग्नि-परीक्षामें से सफल होकर निकलें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-८-१९४४

४०. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सेवाग्राम

१६ अगस्त, १९४४

भाई सतीशबाबू,

तुम्हारा खत मिला। बलवंतसिंहने तुम्हारे कामका परिचय ठीक-२ कराया है। तुम्हारे अविश्राम प्रयत्नसे मैं आश्चर्यचकित होता हूं। बंगालमें गायका दूध इतना मिल सकता है यह सारी शोध ही तुम्हारी मानी जाय ना? और उसमें ग्वाले भी मुसलमान। बलवंतसिंह तुम्हारा भक्त बन गया। मुझको अच्छा लगता है। वह स्वयं गोभक्त है। परिश्रम बहूत करते हैं। मैंने माना है कि उनका ज्ञान व्यवस्थित नहीं है, उनकी दृष्टि शास्त्रीय नही है इस कारण उनको मार्गदर्शनकी आवश्यकता रहती है। इस अभिप्रायका उसने काफी विरोध किया है और मानते हैं—या तो मानते थे कि मेरे तरफसे, अनजानपनमें सही, लेकिन अन्याय हुआ है। पारनेरकर[1] और बलवंतसिहजीके बीचमें हमेशा विरोध रहा है और इस बातका मुझे कष्ट रहा है। इस विरोधके कारण मैं उन दोनोंसे जितना काम लेना चाहता था उतना नही ले सका। अब पारनेरकर भी वहां है और उनके लायक काम मिल गया। उसे भी गोसेवा प्रिय है। इस त्रिवेणी संगमको मैं यहां पड़ा हूआ रसपूर्वक देख रहा हूं और इसका परिणाम अच्छा आयेगा ऐसी भी आशा रखता हूं।

थोडी मिनिट है इतनेमें यह खत लिखवा रहा हूं। थोड़ा इतिहास दिया है इसका कारण भी समझ गये होंगे। अगर दोनों वहां रह जाय और तुमको पूरा काम दे सके तो मुझे संतोष होगा यद्यपि मुझे उन दोनोंकी यहां भी दरकार है। यहांकी गोशाला इत्यादिका काम चलता रहा है लेकिन शायद संतोषजनक नहीं है। मैं हरगिज

१. यशवन्त महादेव पारनेरकर

नही चाहता हूं कि तुम्हारा काम छोड़कर उनमें से कोई भी यहां आ जाय। मै यह भी नहीं चाहता हूं कि दोनों आवे। मेरा तो कुछ निश्चयपूर्वक कार्यक्रम वन ही नही सकता है। क्या होगा भगवान ही जानता है। १९ तारीखको मुंबई पहुंचता हूं। देखें क्या होता है।

हेमप्रभा[1] अच्छी होगी और अरूण[2] भी अच्छा होगा।

अमतुल सलाम वहां आ गई है। तुमसे मिलेगी तो सही। काम तो भगीरथजी के मातहत करेगी।

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४१. पत्र : महावीरप्रसाद पोद्दारको

१७ अगस्त, १९४४

महावीर प्रसाद,

मुझे मालुम नही कि भाई घनश्यामदासने तुम्हें नैसर्गिक उपचारके बारेमें मेरी योजनाके विषयमें कुछ बातें की है या नही। अगर मेरी योजनाका अमल हो सकें तो मेरी सब संपत्त, जो ईश्वरदत्त है, उसका मैंने यथाशक्ति उपयोग कर लिया होगा। यह विचार मुझको भाई दीनशाके आरोग्य भवनमें[3] रहते हुए आए। मैं उसकी सारी-की-सारी उत्पत्ति नहीं दूगा। यहां तो जैसे विचार बने है वैसे ही संक्षेपमें देता हूं — एक हजार एकड़ जमीनका टूकड़ा कोई भी देहातके नजदीक लेना। वह जमीन कोई अच्छे प्रदेशमें हो, तो अच्छा। देहात किसी शहरसे कितना भी दूर हो और रेलवे स्टेशनसे भी। ऐसे दो टूकड़े लेना — कमसे-कम एक। उसका नकशा आज ही बना लेना — भले जमीन लेनें से भी पहले। नकशा बनाने के समय नीचेका खयाल रखना। उसमें रस्ते बना लेना। एक रास्ता चौड़ा रहेगा, लेकिन आज उसमें मोटर जाने की गुंजाईश नही होगी। बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी जायगी। जमीनपर निर्मल पानी का प्रबंध होना चाहिये। आरामसे आदमी तैर सके ऐसा तालाव, एक अखाड़ा या दो जीसमें व्यायाम हो सके। जमीनमें फल, झाड़ सब्जी, और अनाज पैदा करने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस जमीनपर दरदीओंको नैसर्गिक उपचारसे अच्छे करने की व्यवस्था होगी। नैसर्गिक उपचारोंमें मिट्टीके सब प्रयोग, पानीके प्रयोग — जैसे की कटिस्नान, घर्षण स्नान, वाफ इत्यादि। प्रकाशके प्रयोग जैसे सूर्य स्नान, सूर्य नमस्कार, चंद्र स्नान, तारा दर्शन, मेघ धनुपके सब रंगोका प्रयोग, कपड़े, पानी, सीसा, बोतल इत्यादिके मार्फत, वायुके प्रयोग-प्राणायम, वायुभक्षण ई०। इस जमीनपर बिजली इत्यादि आधुनिक साधनोंका आरंभ-कालमें त्याग रखा जायगा। वह इस दृष्टिसे कि प्रथम यांत्रिक साधनोंका कमसे-कम उपयोग करना और देहाती

१ और २. सतीशचन्द्र दासगुप्तकी पत्नी और पुत्र

३. पूनामें स्थित

लोग आसानीसे उपयोग कर सके ऐसे सब साधनोंकी शोध और उसके उपयोगकी तलाश करना। इस संस्थामें रोगीओंके नैसर्गिक उपचार होंगे, इतना ही नहीं लेकिन ऐसे लोगोंको रखे जायेंगे कि जीसके आरोग्यमें यथासंभव वृद्धि हो सके। और दुर्बलको सबल बनाने की चेष्टा की जाय। इस दृष्टिसे बालकोंको संस्थामें रखे जायेंगे और उनको नैसर्गिक नियमोंके अनुसार सुरक्षित रखने की कोशीश की जायेगी। आरोग्य प्रधान, आरोग्य की रक्षा और आरोग्यकी वृद्धिपर अधिक ध्यान दिया जायगा। इसका मतलब यह हूआ कि इस संस्थाका ध्येय सर्व प्रकारसे स्वावलंबन होगा और संस्था विश्व व्यापक होगी। और एक आदर्श ग्रामका स्थान ले इसमें नई तालीम और खादी ई०, ग्रामोद्योगोंका समावेश होगा। इसमें काफी धनकी आवश्यकता प्रथम तो रहेगी लेकिन धनके इस प्रयोगसे बहतर उपयोग मेरी कल्पनामें नहीं आता। इसके लिये एक ट्रस्ट बनाना चाहिये। ट्रस्टीओंमें मैंने तो सोचा था दीनशा मेहता, घनश्यामदास और मैं। घनश्यामदासने दो नामकी वृद्धि की — तुम और देवदासकी। तुम्हारा ख्याल तो मुझे आया था ही लेकिन इसमें कहां तक आ सकोगे मैं नहीं जानता था और तुम्हारे नामका स्वीकार करूं तो सब कामोंमें से मुक्ति लेकर तुम्हारे इस काममें लगना चाहिये। घनश्यामदास नैसर्गिक उपचारोंको मानते हैं और वे धन ला सकते हैं या दे सकते हैं। यह उनका उपयोग देवदास — घनश्यामदासके प्रतिनिधि बनकर कर सकेगा। इसमें मंत्र-दाता मैं रहूँगा — क्योंकि सारी कल्पना मेरी ही है। नैसर्गिक उपचारोंका उपासक मैं ५० वर्षोंसे हूं ऐसा कहा जा सकता है। मंत्रोंका पालन भली-भांति करानेवाले दीनशा हो सकते हैं ऐसा उमिद से ही इसकी उत्पत्ति हुई। और तुम्हारा इसमें आ जाना मुझे बहूत ही प्रिय लगेगा — अगर इसी कामको शेष आयु संपूर्णतया दे सकते हैं तो। अगर यह विचार अच्छे लगे तो मुझे शीघ्रातिशीघ्र मिल जाओ।

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४२. भेंट : पेगी डर्डिनको[1]

[१७ अगस्त, १९४४ के पश्चात्][2]

प्रश्न : वाइसराय द्वारा आपका प्रस्ताव[3] अस्वीकार कर दिये जाने से क्या अब साम्प्रदायिक समस्याके समाधानकी वांछनीयता अथवा आवश्यकता कम हो जाती है?

उत्तर : कतई नहीं। जैसा कि मैंने पत्र-प्रतिनिधियोंके साथ हुई मुलाकातोंमें कई बार कहा है, वाइसरायके सामने मैंने जो प्रस्ताव रखा था उसके और जिसे राजाजी का फार्मूला कहा जाता है उसके एकसाथ अखबारोंमें प्रकाशित होने से लोगोंने यह

१. टाइम और लाइफकी संवाददाता। साधन-सूत्रमें यह भेंट श्री प्रेस जर्नलसे ही गई थी।

२. संवाददाताने अगस्तमें वाइसराय द्वारा गांधीजी के सुझाव अस्वीकार कर दिये जाने के कुछ बाद गांधीजी से मुलाकात की थी। वाइसरायके साथ गांधीजी का पत्र-व्यवहार १७ अगस्तको समाचार-पत्रोंके लिए जारी किया गया था।

३. देखिए खण्ड ७७, परिशिष्ट २२।

अर्थ लगाया कि दोनोंमें परस्पर कोई सम्बन्ध है, जब कि ऐसी कोई बात नही है। प्रस्तावके अस्वीकृत हो जाने से साम्प्रदायिक समस्याके समाधानकी आवश्यकता और भी तीव्र हो जाती है। मैं ऐसा जरूर कहता हूँ, हालाँकि मै समझता हूँ कि पिछला अनुभव हमें यह बताता है कि जबतक जातियो और हितोको विभाजित करने के लिए तीसरा पक्ष मौजूद है तबतक आपसमें कोई मेल नही हो सकता। लेकिन इससे मुझे कभी नहीं लगा है कि मुझे समस्याके समाधानके लिए, स्वाधीनतासे पहले भी, कोशिश नहीं करनी चाहिए।

प्रश्न: अहिंसाके दृष्टिकोणसे विचार करें तो क्या राष्ट्रीय सरकारके लिए इस युद्धके दौरानकी अपेक्षा इसके बाद पद-भार ग्रहण करना बेहतर नहीं होगा?

उत्तर: यदि ब्रिटेन अथवा मित्र-राष्ट्रोकी स्वेच्छासे राष्ट्रीय सरकार युद्धके दौरान अस्तित्वमें आती है, तो नही। क्योकि तब स्वयं युद्धकी दिशा बदल जायेगी और जो शान्ति स्थापित होगी वह पूर्णतया सम्मानजनक और अहिंसाको बढ़ावा देनेवाली होगी।

प्रश्न: क्या हिन्दू और मुसलमान राष्ट्रवादी मन्त्रियोंका एक शक्तिशाली दल, जो वर्त्तमान संविधानके अन्तर्गत वस्तुतः विधान-मण्डलकी अपेक्षा वाइसरायके प्रति उत्तरदायी होगा, वाइसरायके निषेधाधिकारको विफल नहीं कर देगा? क्या सशक्त राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा एक सामान्य मोर्चा गठित कर लेने पर सरकारके लिए उनके कार्यक्रमों और योजनाओंको स्वीकार करना अनिवार्य नहीं हो जायेगा?

उत्तर: ऐसी कोई चाल पूरे राष्ट्रको प्रभावित नही कर सकती। ऐसा कोई भी प्रयोग आरम्भमें ही विफल हो जायेगा। इसमें भारतके लोगोंमें ब्रिटिश सरकारके विश्वासका अभाव होगा।

प्रश्न: सार्वजनिक सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें आपका दृष्टिकोण मेरी समझमें नहीं आता। क्या मेरा यह विचार सही है कि यदि वाइसरायसे की गई आपकी अपील और श्री जिन्नाके साथ आपकी बातचीत विफल होती है तो आप सविनय अवज्ञाका उपयोग ठीक समझेंगे?

उत्तर: सार्वजनिक सविनय अवज्ञा तभी की जा सकती है जब ध्येयकी प्राप्ति के लिए किये गये अन्य सभी प्रयत्न निष्फल हो जायें। यहाँ हमारा ध्येय स्वाधीनता प्राप्त करना है। वाइसरायसे जो मैंने अपील की वह समझौतेके लिए की थी। अब चूंकि वह अपील व्यर्थ गई है, इसलिए सविनय अवज्ञाके लिए भूमि तैयार हो गई है। कायदे-आजमके साथ सफलतापूर्ण बातचीतका सविनय अवज्ञापर कोई असर नही होनेवाला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, किन्ही कारणोंवश — जिनका कि मै इस समय उल्लेख नही करना चाहता लेकिन जिनके बारेमें मै सार्वजनिक रूपसे कह चुका हूँ — मै इस समय सम्भवतः सविनय अवज्ञा आन्दोलन न करूँ। सार्वजनिक सविनय अवज्ञाकी परिकल्पना रक्तपातपूर्ण युद्धके पूर्णतया प्रभावकारी विकल्पके रूपमे की गई है, और वह किसी भी समय रक्तपातपूर्ण युद्धसे कही श्रेष्ठ है। लेकिन जैसे युद्ध केवल युद्धके लिए नही किये जाते बल्कि किसी उचित अथवा अनुचित उद्देश्यको लेकर

किये जाते हैं, उसी तरह सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्णतया उचित उद्देश्यको लेकर ही छेड़ा जा सकता है। यदि मैंने आपके प्रश्नको ठीक तरह समझा है तो मेरे इस उत्तरसे आपकी सारी शंकाओंका समाधान हो जाना चाहिए।

प्रश्न : बर्मा-असम रेलवेके एक विभाग और कलकत्ता बन्दरगाहके एक हिस्से पर अमेरिकी प्रबन्ध हो जाने से मेरा खयाल है कि अब हम यह कह सकते हैं कि बर्मामें युद्धकी अवधि कम हो गई है। क्या राष्ट्रीय सरकार ऐसे अमेरिकी नियन्त्रण को अनुमति देगी?

उत्तर : मैं अपने पिछले सार्वजनिक वक्तव्योंमें इस प्रश्नका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। मेरे प्रस्तावमें इस तरहके सभी नियन्त्रणोंकी अनुमति देने की बातका स्पष्ट संकेत है। बेशक, यह केवल युद्धके प्रयोजनके लिए ही है।

प्रश्न : यदि सरकार आपके अथवा आपके और श्री जिन्नाके प्रस्तावोंको मानने से इनकार कर देती है तो क्या आप अपनेको फिरसे गिरफ्तार करवायेंगे?

उत्तर : भविष्यकी योजनाओंके बारेमें मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। आप यकीन मानिए कि सब-कुछ ईश्वरके हाथमें है।

प्रश्न : अहिंसा सापेक्ष हो सकती है, पूर्ण नहीं। जो हिंसा पहलेसे ही चल रही है उसमें किसी हदतक शरीक होना, वास्तविक और स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए उसमें शरीक होना अनिवार्य और शायद वांछनीय भी हो सकता है। क्या यह वस्तुस्थितिका सही निरूपण है?

उत्तर : हाँ, है। मैं सिर्फ इसलिए इसका विरोध नहीं कर सकता कि अहिंसा की दृष्टिसे इसके खतरनाक ढंगसे दुरुपयोग किये जाने की आशंका है। पूर्ण शुद्ध अहिंसा तो यूक्लिडकी रेखाकी तरह असम्भव है।

प्रश्न : मेरे खयालसे आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन वर्त्तमान गतिरोधका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता।

उत्तर : आप ठीक कहती हैं।

प्रश्न : तब क्या मैं आपकी ओरसे यह कह सकती हूँ कि आपकी कल्पनाकी राष्ट्रीय सरकार ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिससे जहाँतक सुदूर पूर्वमें चल रहे युद्धका ताल्लुक है, एक भी अतिरिक्त अमेरिकी जीवन खतरेमें पड़ जाये अथवा जिससे किसी अमेरिकी सैनिकके लिए युद्ध लम्बा हो जाये — बल्कि इसके विपरीत ऐसी सरकार जापानके विरुद्ध चल रहे युद्धको जल्दी समाप्त करवाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी?

उत्तर : आप उसी तरह निश्चिन्त होकर यह कह सकती हैं मानो ये मेरे ही शब्द हों।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-१०-१९४४

४३. तार : मुहम्मद अली जिन्नाको

एक्सप्रेस

सेवाग्राम
१८ अगस्त, १९४४

कायदे-आजम मु० अ० जिन्ना
माउन्ट प्लेजेन्ट रोड
मलाबार हिल
बम्बई

आपका टेलीफोन और तार मिला। गहरा दुःख हुआ। आशा है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जायेंगे। आगेका हाल जानने के लिए बेचैनीसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स । सौजन्य : प्यारेलाल

४४. पत्र : श्रीमती के० एल० रलियारामको

सेवाग्राम
१८ अगस्त, १९४४

प्रिय बहन,

आपका ४ अगस्तका पत्र और संलग्न कागज गांधीजी को मिल गये, और वे चाहते हैं कि उन दोनोंके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपने पत्र लिखा, इस बातकी उन्हें खुशी है। मुझे खेद है कि अत्यधिक कार्य-भारके कारण गांधीजी स्वयं पत्र नहीं लिख सके। निस्सन्देह, एकता स्थापित करने के सभी सच्चे प्रयासोंको गांधीजी का आशीर्वाद है।

हृदयसे आपका,
प्यारेलाल

श्रीमती के० एल० रलियाराम
५, मेसन रोड
लाहौर, उ०-प० रेलवे

मूल अंग्रेजीसे : गांधी पेपर्स, फाइल सं० ८४ । सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

४५. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

१८ अगस्त, १९४४

भाई जिन्ना,

आप अचानक कैसे बीमार पड़ गये? सारी दुनिया हमारी मुलाकातकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने बड़ी-बड़ी आशाएँ बाँध रखी थी, हालाँकि मैं मानता हूँ कि मुझे आशंकाएँ भी थीं। इसलिए जब फातिमाबहनने[1] मुझे आपकी बीमारीकी खबर दी, तो मैं घबरा गया। आशा है, ईश्वर आपको जल्दी नीरोग कर देगा, सारी दुनिया जिस मुलाकातकी प्रतीक्षा कर रही है, वह जल्दी ही होगी और उस मुलाकातसे भारतका कल्याण होगा।

आशा है, फातिमाबहन अथवा अन्य कोई मुझे आपकी सेहतके समाचार देते रहेंगे।

आपका भाई,
मो० क० गांधी

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४६. भेंट : एसोशिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको

सेवाग्राम, (वर्धा)
१८ अगस्त, १९४४

प्रकाशित पत्र-व्यवहारसे[2] पता चलता है कि मैंने वाइसरायकी शर्तोंको पूरा करने के लिए कोई कोशिश उठा नहीं रखी। सरकारने जो अन्तिम उत्तर दिया है उससे यह निश्चित रूपसे सिद्ध होता है कि ब्रिटिश सरकारका जनताका समर्थन प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं है। चूँकि भारतके करीब समस्त राजनीतिक दलोंने कांग्रेसकी मुख्य माँगका समर्थन किया है, इसलिए यहाँ मैं अपने-आपको कांग्रेसतक ही सीमित नहीं रख रहा हूँ।

जहाँतक तकनीकी दृष्टिसे युद्ध जीतने का सवाल है, उसे स्पष्टतः ऐसे किसी समर्थनकी जरूरत नहीं है। नैतिक समर्थनकी वह अवमानना करती दीख पड़ती है। संक्षेपमें, वाइसरायके प्रस्तावका अर्थ यह है कि जबतक सभी प्रमुख राजनीतिक दल भारतके भावी संविधानपर एकमत नहीं हो जाते और जबतक ब्रिटिश सरकार

१. मुहम्मद अली जिन्नाकी बहन
२. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४१०-११ और ४५५।

और भारतके प्रमुख राजनीतिक दलोंमें समझौता नहीं हो जाता, तबतक संवैधानिक स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और वर्त्तमान भारत सरकार कायम रहेगी। सरकार ने अपने उत्तरमें जिन राजनीतिक दलोंके नाम दिये हैं वे केवल उदाहरणके तौरपर दिये हैं। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि सरकार उपयुक्त अवसरोंपर जादूगरकी तरह अपने थैलेसे और नाम भी निकालेगी और किसे मालूम है कि ब्रिटिश सरकार कब और कैसे भारतकी बागडोर भारतीयोंको देने को तैयार होगी?

यह बात स्फटिकके समान स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ४० करोड़ लोगोंपर अपने नियन्त्रणको हाथसे तबतक जाने नहीं देना चाहती जबतक कि उन ४० करोड़ लोगोंमें ही इतनी ताकत न आ जाये कि वे बढ़कर उसे सरकारसे छीन लें। भारत विशुद्ध नैतिक साधनों द्वारा ऐसा करके रहेगा — इस आशाको मैं कभी नहीं छोड़ूँगा।

इस बीच खाद्य-समस्या ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। केवल मेरी कल्पनाकी राष्ट्रीय सरकार ही इस समस्याका असली समाधान ढूँढ़ सकती है। अन्य कोई समाधान तो मृग-मरीचिका होगा। यह बहुत दुर्भाग्यकी बात है कि ऐसे नाजुक समयमें कायदे-आजम बीमार पड़ गये हैं और डाक्टरी सलाहके अनुसार वे मुझसे तबतक नहीं मिल सकते जबतक कि रोग-मुक्त नहीं हो जाते। महामहिम वाइसरायके पत्रमें ब्रिटिश सरकारने दृढ़ शब्दोंमें हमारी बातको नामंजूर कर दिया है, लेकिन यदि कायदे-आजम और मुझमें हार्दिक समझौता हो जाता है तो उससे ब्रिटिश सरकारको अपने इस निश्चयपर दुबारा विचार करना पड़ सकता है। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि कायदे-आजम शीघ्र ही इतने चंगे हो जायें कि मुझसे मिल सकें और ईश्वर हमारे दिलोंपर इस तरह छा जाये कि हम उचित समाधान ढूँढ़ सकें।

हमारे समाधानसे प्रभावित होनेवाले सभी पक्षोंको मैं यह आश्वासन देना चाहूँगा कि हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिसमें किसी भी हितकी हानि अथवा उपेक्षा होती हो। कई हिन्दू और सिख मित्रोंने राजाजी के फार्मूलेमें दोष दिखाये हैं। यदि वस्तुतः उसमें वे दोष हैं तो राजाजी के फार्मूलेमें सुधार किया जा सकता है। कोई भी समाधान तबतक स्थायी नहीं हो सकता जबतक कि देखने में वह ठीक न लगे और भारतकी समस्त जनताको स्वीकार्य न हो।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-८-१९४४

४७. पत्र : अनुग्रह नारायण सिंहको

सेवाग्राम
१९ अगस्त, १९४४

भाई अनुग्रह बाबू,

शुभ कार्यमें कार्य ही आशीर्वादरूप है। तुम्हारा कार्य शुभ है इसमें संदेह नही है। तो भी मेरी आशीर्वादकी तुम्हें दरकार है तो लीजिये। भाई श्रीकृष्ण बाबूका और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। राजेन्द्रबाबुके बारेमें लिखिये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४८. पत्र : मुकुन्दराव रामचन्द्र जयकरको

सेवाग्राम, वर्धा
२० अगस्त, १९४४

प्रिय डॉ० जयकर,

आपके १७ तारीखके पत्र[1] [और] शुभ-कामनाओंके लिए धन्यवाद। क्या आपको मालूम है कि कायदे-आजमकी बीमारीकी वजहसे हमारी मुलाकात अभी कुछ समयके लिए रुक गई है?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

आपका पत्र, जिसपर एक्सप्रेस डिलिवरी लिखा हुआ था, आज ही मिला है।

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जयकर पेपर्स : फाइल सं० ८२६। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. जिसमें अन्य बातोंके अलावा यह लिखा था : "मेरी कामना है कि आपको अपने प्रयत्नोंमें पूरी-पूरी सफलता मिले, हालाँकि मुझे लगभग इस बातका विश्वास है कि भारत सरकारके अहंकार और उसी तरह मुस्लिम लीगके नेताके अहंकारको देखते हुए आपका कार्य यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। . . . आपसी मतभेदके बावजूद मेरी कामना है कि आपने जिस महत् कार्यको हाथमें लिया है उसमें आप सफल हों।"

४९. पत्र : पोत्तन जोसफको

२० अगस्त, १९४४

प्रिय पोत्तन,[1]

अच्छा, तो आपकी पुत्री कुकीका[2] १० सितम्बरको विवाह है। मेरी कामना है कि नव-दम्पति सदा सुखी रहें और भगवान तथा इन्सानकी सेवा करने के लिए दीर्घजीवी हो।

स्नेह।

आपका,
बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५०. पत्र : चिमनलाल नटवरलाल शाहको

२० अगस्त, १९४४

चि० चिमनलाल,

शारदापर[3] यहाँ जो बीती उससे शकरीबहन[4] बहुत दुःखी है। मुझे याद पड़ता है कि कनुने[5] इस बारेमें मुझसे कुछ कहा था। इस मामलेके सम्बन्धमें तुम जो जानते हो वह मुझे लिख भेजना। शकरीबहनका कहना है कि लीलावती[6] और कृष्णचन्द्रने बहुत ही गलत रुख अपनाया था। यह सब मुझे ब्योरेवार चाहिए। तुम बहुत सहनशील हो तथापि तुम्हारे लिए आश्रम-धर्म भी है। शकरीबहन अथवा शारदाके प्रति अन्याय हो तो उसे सहन करना एकांगी धर्म नहीं है। आश्रम-धर्म एक ऐसी चीज है. . .[7]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० .एन० १०६१०) से

१. वॉइस ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल हेरल्ड, इंडियन डेली मेल, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और डॉन आदि अनेक दैनिक समाचारपत्रोंके सम्पादक

२. अन्ना

३ और ४. चिमनलाल न० शाहकी पुत्री और पत्नी

५. नारणदास गांधीके पुत्र

६. लीलावती आसर

७. साधन-सूत्रमें यहाँ शब्द छूटे हुए हैं।

५१. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

२० अगस्त, १९४४

तूने वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश किया है। भगवान करे कि तू इसे सुखपूर्वक बिताये और अनेक वर्ष जीये। [मुझमें] तेरी श्रद्धा क्या अन्धी श्रद्धा है? वह अचल है और हमेशा रहेगी। मुझे ऐसी श्रद्धाके योग्य बनना और रहना होगा न?

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृ० २०२

५२. पत्र : कृष्णचन्द्रको

मौनवार, २१ अगस्त, १९४४

चि० कृष्णचंद्र,

मैं तुम्हारी शक्तिसे अधिक कुछ भी करवाना नहीं चाहता हूं।

मै नहींवत् हूं[1] उसका अर्थ इतना ही कि मेरा स्थान तो जेल ही होगा या तो कुछ ऐसा ही। और कोई चारा मेरे लिये नजर नहीं आता है। तुम्हें तो पता है मेरे दिलमें तुम्हारे लिये कितनी कदर है। मैं वाहर हूं तवतक तो मैं तुम्हारे पास ही हूं। तुम्हारी श्रद्धा मैं जानता हूं।

चि०[2] मुख्य व्यवस्थापक है। उनका त्याग वड़ा है। कुटुंव त्याग ही की तुम प्रशंसा करते हो। क्या यह नहीं बताता है कि अपने बारेमें स्वार्थवश होकर कोई निर्णय नहीं करते होंगे। उनसे मेरी बात हुई है। मेरा समय वचाने के लिये उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई शिकायत होगी तब या मतभेद होगा तब जाजूजीका[3] निर्णय सबको कवूल होगा। इतना कवूल करोगे कि मतभेदके साथ अपना मत सर्वथा सही है ऐसा तो नही माना जाय। तुम्हारे कार्यका विभाग होना चाहिए सो तो बिलकुल ठीक है। लेकिन ऐसा होते हुए भी बाज दफा मतभेद पैदा हो जाता है। संस्थाओंमें किसीका अभिप्राय आखरीका मानना पड़ता है।

१. देखिए "पत्र : कृष्णचन्द्रको", पृ० १९।

२. चिमनलाल शाह

३. श्रीकृष्णदास जाजू

इसमें तुम्हारी शंका समाधान होना चाहिए। और भी है तो पूछो।

अस्वस्थ तो हरगीज नही होना चाहिये। जो कुछ भी हो शांति छुटनी नही चाहीये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४४४) से। सी० डब्ल्यू० ५९८० से भी

५३. पत्र: नगीनदास मास्टरको[1]

२२ अगस्त, १९४४

भाई नगीनभाई,

आप जो सबसे ठीक समझते हों वही करें। मैंने इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। यदि आप सत्याग्रह करना चाहते है अथवा कानूनके विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं, तो आपको [सरकारको] इसकी पूर्व-सूचना देनी होगी। यदि आप ऐसा नही करते है तो उसे अहिंसात्मक सत्याग्रह नही कहा जायेगा। मैं सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलनके पक्षमें नही हूँ।

अंग्रेजीकी नकलसे: फाइल सं० ३००१/एच०, पुलिस कमिश्नर, बम्बई

५४. पत्र: अनुपम नानालाल कविको

सेवाग्राम
२२ अगस्त, १९४४

भाईश्री अनुपम,

आपने मुझे चेताकर भला ही किया। यदि आप इसी तरह मेरी भूल बताते रहेंगे तो मैं उसमें सुधार कर लूंगा। इस समय तो न राजकोट प्रसंगकी[2] और न चालू प्रसंगकी ही कोई लज्जा है। मेरा स्वभाव मुझसे ऐसा ही करवायेगा।

अनुपम नानालाल कवि
१२९, ग्रेट वेस्टर्न बिल्डिंग्स
बेकहाउस लेन
फोर्ट, बम्बई

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. मूल पत्र गुजरातीमें था, जो उपलब्ध नहीं है।

२. ३ मार्च, १९३९ को गांधीजी ने "राजकोटके ठाकुर साहब और वहाँकी प्रजाके बीच हुए गम्भीर करारको बहाल कराने के नैतिक प्रश्नपर" अनशन किया था। अनशन ७ मार्चको तोड़ा गया था। ब्योरेके लिए देखिए खण्ड ६९।

५५. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

सेवाग्राम
२३ अगस्त, १९४४

भाई जिन्ना,

समाचारपत्रोंसे देखता हूँ कि आपका बुखार तो उतर गया। इसके लिए ईश्वरको धन्यवाद। लेकिन कमजोरी अभी चल रही है इसलिए डाक्टरोंने मिलनेवालों को फिलहाल मिलने का आग्रह छोड़ने की सलाह दी है। आपका पत्र मुझे कल मिला था। अल्लाह आपको तुरन्त पूरी तन्दुरुस्ती बख्शे। अपनी खातिर मैं आपसे उतावली करवाना नहीं चाहता। लेकिन आप मुझे जल्दसे-जल्द कब बुलवा सकेंगे, यह खबर दें तो मैं अपने दूसरे कामोंकी और मुझसे मिलने आनेवालों के लिए समयकी व्यवस्था कर सकूँगा। यदि आप किसीके मार्फत इतना लिख भेजें अथवा टेलीफोन अथवा तारसे इत्तिला कर दें तो मैं आपका आभारी होऊँगा।

आपका भाई,
मो० क० गांधी

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५६. पत्र : झवेरभाई पटेलको

२३ अगस्त, १९४४

१. मेरी कल्पनाकी समाज-व्यवस्थामें जहाँतक सम्भव हो, सारा उत्पादन गाँवोंमें ही होना चाहिए और वह भी मनुष्यके हाथ-पैरोंकी शक्तिसे। लेकिन, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। हमें कहीं-न-कहीं समझौता करना ही पड़ता है। अनुभव द्वारा ही हम इस समझौतेकी मर्यादा निर्धारित कर सकते हैं। प्रत्येक कार्यकर्त्ता अपने लिए यह मर्यादा निर्धारित कर सकता है, लेकिन जब वह किसी संस्थामें कार्य करता है, तब उसे उक्त संस्था द्वारा निर्धारित की गई मर्यादाको स्वीकार करना पड़ता है। और यदि वह संस्थाकी मर्यादाको और भी मर्यादित करता है तो वह संस्थाका सहायक बनता है, और संस्थाके ध्येयकी ओर जाने की गतिमें ठीक उसी तरह वृद्धि करता है जिस तरह विनोबाने कर दिखाया है।[1] मैं अपने उत्तरको इससे आगे नहीं ले जा

१. विनोबा भावेने स्वयंको नालवाड़ीके निकट स्थित पवनार आश्रमकी गतिविधियोंतक सीमित कर लिया था।

सकता। लेकिन इसके आधारपर तुम चन्द शब्दोंमें और कदाचित् बेहतर ढंगसे ऐसा नियम बना सकते हो जो मेरी कल्पनाके अनुरूप हो और उसका पोषण करता हो। प्रयत्न करना और यदि बनाओ तो मुझे बताना।

२. मेरे लिए हिन्दुस्तान गाँवसे शुरू होता है और गाँवमें ही खत्म होता है। तात्पर्य यह कि एक गाँवके लिए मैं जो कर सकता हूँ वह बात उस स्थितिमें रहने-वाले सब गाँवोंपर लागू होती है। यदि मैं इस दृष्टिसे कागज बनाने के सम्बन्धमें विचार करता हूँ और अन्य संस्थाओंसे भी इसपर विचार करने के लिए कहता हूँ तो हमें अपने ध्येयमें जल्दी सफलता मिलेगी। यदि गाँवके लोग अपने गाँवमें ही ऐसी कोई शक्ति पैदा करें जिससे हरएक व्यक्ति द्वारा कागज बनाये जाने के बजाय चन्द व्यक्ति ही सादा जरूरी कागज बना सकें तो मैं ऐसी युक्तिका स्वागत करूँगा। यदि मनुष्यके हाथ-पैरसे हर चीज तैयार करने के उपक्रमका मनुष्यपर इतना तनाव पड़े कि उसकी त्रिविध शक्तिका विकास ही रुक जाये तो मैं ऐसी व्यवस्थाको दोषी मानूंगा। त्रिविध शक्तिसे मेरा अभिप्राय है शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्ति।

३. तीसरे प्रश्नको यदि मैं ठीक तरह समझा हूँ, तो तुम्हें उसका उत्तर दूसरे प्रश्नके उत्तरमें दिखाई देगा। दिखाई न दे तो मुझसे पूछना। मैंने जान-बूझकर संक्षिप्त भाषामें उत्तर दिये है, जिससे कि तुम जैसे लोगोंके सामने जो समस्याएँ उपस्थित हों उनका समाधान तुम आसानीसे कर सको।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३५७) से

५७. पत्र : सीताको

सेवाग्राम
२४ अगस्त, १९४४

प्रिय सीता,

तुम्हारा पत्र पाकर कितनी प्रसन्नता हुई। अच्छा, तो तुम बैरिस्टरी कर रही हो। उम्मीद है काम पर्याप्त होगा! क्या अभी तुम पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो? मै डॉ० जॉनका प्रयास अवश्य पढ़ूँगा।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५८. पत्र : शारदा गोरधनदास चोखावालाको

२४ अगस्त, १९४४

चि० शारदा,

हालमें तेरा कोई पत्र नहीं आया। कह सकते हैं कि मैंने तो तुझे तेरी तबीयतको देखते हुए ही रोक रखा है और अब देखता हूँ कि तुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। मैंने जो-कुछ सुना है,[1] वह सब-का-सब समयका अभाव होने के कारण मैं यहाँ नही दे रहा हूँ। लेकिन यदि तेरी तबीयत इजाजत दे तो तू तुरन्त यहाँ चली आ। मैं जहाँ भी रहूँगा तेरा भार नहीं पड़ेगा। मैं बम्बई कब जाऊँगा, इसके बारेमें मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन यदि तू चाहती है कि तू वहाँ मुझसे मिले और हम एक-साथ यहाँ आयें तो वैसा करना। आशा है, सबकी तबीयत अच्छी होगी।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००४८) से। सौजन्य : शारदा गो० चोखावाला

५९. पत्र : जीवनजी डाह्याभाई देसाईको

सेवाग्राम
२४ अगस्त, १९४४

भाई जीवनजी,

मृदुलाबहन[2] नवजीवन कार्यालयकी और [गुजरात] विद्यापीठकी खासी शिकायत करती है। उसका कहना है कि मेरे कामके सम्बन्धमें यदि तुमसे कोई मदद माँगता है तो नकारात्मक उत्तर मिलता है। परिणाम यह होता है कि उन जैसे कार्यकर्त्ताओंको जो विचार सूझते हैं उसका लाभ तुम लोग यह समझकर नहीं लेते कि उनकी मददका कोई मूल्य नहीं है और तुम लोग इस विश्वासके साथ व्यवहार करते हो कि तुम जो काम भी करते हो उसमें टीका अथवा मददकी गुंजाइश नहीं है। चूँकि तुम्हारा इन शिकायतोंसे सम्बन्ध है और ये संस्थाएँ तुम्हारी ही कृति हैं, इसलिए लोग यह मानते हैं कि गांधीवादी जो कोई भी काम करते हैं उसमें टीका करने-जैसा कुछ नहीं होता और ये गांधीवादी लोग स्वयं भी अपने कामसे उस-जैसे सेवक और सेविकाओंको यह कहते जान पड़ते हैं : "देखो हम किस कुशलतासे दोनों पलड़ोंको बराबर रखते

१. देखिए "पत्र : चिमनलाल नटवरलाल शाहको", पृ० ४७।

२. अम्बालाल साराभाईकी पुत्री

हैं। हम जनताकी उन्नति करनेवाला साहित्य सस्तेसे-सस्ता देते हैं। हम आलसी बनकर नहीं बैठते, हमने काम करते रहने का मन्त्र सिद्ध कर लिया है। अब तुम आलोचक लोग क्या कहना चाहते हो सो समझमें नही आता। हम कहते है कि तुम लोग हमारे कामकी निन्दा नहीं कर सकते। तुम जिस ढंगसे काम करते हो उस ढंगसे हम नहीं करते। हमें वह रास नही आता। सेवाका क्षेत्र विशाल है। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा तुम करो और हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा हम करते है। इसलिए हम विनती करते हैं कि हम एक-दूसरेको सहन कर लें और अपना काम करते रहें। बाकी गांधीजी जो चाहेंगे वह करने के लिए तो हम हमेशा तत्पर है।" मृदुलाबहन नवजीवन कार्यालय और विद्यापीठ आदि संस्थाओंके मानसका ऐसा चित्रण करती हैं। यह भाषा उसकी नहीं मेरी है। मैंने इसमें कुछ अतिरंजनासे काम लिया है। इसके बिना मैं मृदुला-बहनका अभिप्राय जैसा मैंने समझा वैसे स्पष्ट नही कर सकता था। उसकी भाषामें कटाक्ष है, विष नहीं। उसकी टीकाको मैंने केवल मित्र-भावसे ही देखा है, तुम भी ऐसे ही देखना। और वह जो सहायता माँगे उसे वह यथाशक्ति देना। उसने दो उदाहरण दिये हैं। सरकारी आक्षेपोंका मैंने जो उत्तर[1] दिया है उसका औंध प्रेसने अनेक भाषाओंमें अनुवाद किया है। मृदुलाबहनकी यह मान्यता है कि यदि गुजराती भाषामें, सादी गुजरातीमें, अनुवाद करवाना हो, और वह भी मेरे ढंगका अनुवाद करवाना हो तो उसके साथ गांधीवादी कहे जानेवाले लोग ही न्याय कर सकते है। मृदुला-बहनको इस भाषाके प्रति मोह है। उसने ऐसे ही अनुवादकी माँग की थी लेकिन किसीने इसपर ध्यान नहीं दिया। समय काफी हो गया है इसलिए पत्रको संक्षिप्त करता हूँ। इसपर से तुम समझ लोगे कि मृदुलाबहनकी जरूरत क्या है। जवाब मुझे लिखना।

यह पत्र मैंने मृदुलाबहनको पढ़वाया है। इसमें वह दो चीजें और जोड़ना चाहती है। एक यह कि सामग्री औंध प्रेसको भेजने की प्रेरणा मेरी थी। बात सच है, क्योंकि कागज आदिकी दिक्कतोंके कारण वह अन्यत्र नही हो सकता, ऐसा मुझे लगा। दूसरी यह कि तुम दोनोंमें परस्पर मतैक्य होना चाहिए, जिससे कि उसे दौड़कर मेरे पास न आना पड़े। यह है तो सच। लेकिन कई बार मेरे पास आना अनिवार्य हो सकता है। लेकिन इसका रास्ता पहले से ही बन्द करने का उपाय जगतमे नही मिलता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० १०३-२१३।

६०. पत्र: शामलदास गांधीको

[२४ अगस्त, १९४४][1]

चि० शामलदास,

लौटती डाकसे तेरा जवाब आया, यह मुझे अच्छा लगा। तुझे बधाई और आशीर्वाद। बहुत ज्यादा प्रलोभन होनेके बावजूद तू अपने हाथ साफ रखकर जनताको सच्ची राहपर चलाये, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा करनेवाला भूखों नहीं मरता। तूने जो मर्यादा स्वीकार की है वह मेरे लिए तो काफी है। तेरा तार भी मिला था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

६१. पत्र: सत्यवतीको

२४ अगस्त, १९४४

चि० सत्यवती,[2]

प्रश्न उठा है कि मैंने दो चीजके बारेमें लिखा है या नहीं। मेरा खयाल है मैंने लिखा है। यह भ्रमणा है तो फिर लिखता हूं। कैद रखी गई है उसका उल्लंघन करने में कुछ लाभ मानता नही हूं। अगर ठंडी ऋतुमें यहां आ सकती है तो मैं कहीं भी हूं, तू अवश्य आ सकती है। देखें क्या होता है। खुरशेदबहिन पर तेरे खत आते हैं मैं देखता हूं।

सुशीला बहन[3] आज यहां आयी है। तेरे बारेमें जो लिखा था वह आज सुनाया।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. साधन-सूत्रमें प्रस्तुत पत्र २४ अगस्त, १९४४ के पत्रोंके साथ रखा गया है।
२. स्वामी श्रद्धानन्दकी पौत्री
३. सुशीला नैयर

६२. पत्र : कृष्णचन्द्रको

२६ अगस्त, १९४४

चि० कृ० चं०,

मेरी पुरानी आदतके मुताबिक मेरे उद्‌गार[1] निकले। वह सबके लिये है। जब बरतन इ०की पुरानी शिकायत ऐसी की वैसी चलती है तो विभागका उपरी उसका दोष अपने पर लेता है। इस अर्थसे गभराहत कैसी? मैंने तो यहांतक कह दिया है न कि अगर इन चीजोंमें हम दुरस्त न कर सके तो आश्रम चलाने की प्रवृत्ति छोडना अथवा बिलकुल आखरकी प्रवृत्ति नीति कबूल कर आत्यंतिक सादगीसे रहे। महेमानोंको न लें और जो प्रवृत्ति चला सके उससे तृप्त रहना। मैंने जो कहा उससे तुमारे पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिये था।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४४५) से

६३. पत्र : गणेशशास्त्री जोशीको

२७ अगस्त, १९४४

श्री वैद्यराज जोशीजी,

आपका २४ तारीखका पत्र गांधीजीको मिला है। उन्होंने मुझे आपको उत्तर लिखने को कहा है।

डाकका समय हो रहा है। इसलिए आज तो इतनी ही खबर आपको देना चाहती हूँ कि कलसे पाखाना पतला और दिनमें तीन चार बार आने लगा है। कुर्ची लेना शुरू कर रहे हैं। कोई दूसरी सूचना करना हो तो करें। डिसेन्ट्रीके जन्तु अधिक उत्पात कर रहे हैं ऐसा पाखानेकी परीक्षासे मालूम होता है।

भवदीया,
सुशीला नय्यर

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३२) से। सौजन्य : गणेशशास्त्री जोशी

१. देखिए "पत्र : कृष्णचन्द्रको", पृ० ४८-४९।

६४. पत्र : गणेश वासुदेव मावलंकरको

सेवाग्राम
२८ अगस्त, १९४४

दादा,[1]

रावजीभाई[2] लिखते हैं कि गुजरातमें कहर टूट पड़ा है। बारिश बहुत हुई है। उनका सुझाव है कि संकट-निवारणके लिए चन्दा इकट्ठा किया जाना चाहिए। इस पर विचार करना। मुझे ब्योरेवार लिखना। मुझसे जो करवाना उचित जान पड़े उसके लिए मुझसे कहना। मैं समाचारपत्र बहुत कम पढ़ता हूँ। एक ही काम मेरा सारा समय ले लेता है।

बापूके आशीर्वाद

दादा मावलंकर
महाराष्ट्र सोसायटी
एलिस ब्रिज
अहमदाबाद, बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२५०) से

६५. पत्र : रावजीभाई मणिभाई पटेलको

२८ अगस्त, १९४४

चि० रावजीभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। संकटके समाचार देते रहना। मैंने दादाको लिखा है कि वे स्थितिकी जाँच करके जो उचित लगे वह करें।[3] मेरी मददकी जरूरत हो तो मुझसे माँगें। कानजीभाई कदाचित् वहीं हो। ऐसा हो तो यह पत्र उसे पढ़वाना।

१. गणेश वासुदेव मावलंकर (१८८८-१९५६); बम्बईमें विधान-सभाके अध्यक्ष और १९४७-५६ तक लोकसभाके अध्यक्ष

२. रावजीभाई म० पटेल

३. देखिए पिछला शीर्षक।

सरदारकी कमी सचमुच महसूस हो रही है। तुम सबको सरदार बनना होगा। मैं तो बिलकुल निकम्मा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

श्री रावजीभाई
रवीन्द्र ऐंड कं०
प्रार्थना समाज
चर्नी रोड, बम्बई ४

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०२१९) से। सौजन्य: रवीन्द्र आर० पटेल

६६. पत्र : अमृतलाल नानावटीको

२८ अगस्त, १९४४

चि० अमृतलाल,

सुशीलाबहन आई है और वह मुझे मेरे पुराने पत्र खोज-खोजकर दे रही है। उनमें से एक पत्रमें तुमने मुझे दो पंक्तियाँ लिखने को कहा है। यदि मैंने न लिखी हों तो ये रहीं।

उत्तम कार्यको किसीके समर्थनकी जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कार्यको[1] मैं उत्तम कार्य मानता हूँ। इसलिए, तुम्हें मेरे समर्थनकी क्या जरूरत है? तुम सब हिन्दुस्तानीके ज्ञानमें मुझसे बढ़ गये हो। और बढ़ो।

बापूके आशीर्वाद

श्री अमृतलाल नानावटी
चूड़ा रंगनारनी खड़की, केलापीठ
सूरत, बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०८०४) से

१. हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाका कार्य।

६७. पत्र : बलवन्तसिंहको

२८ अगस्त, १९४४

चि० बलवंतसिंह,

तुम्हारा खत मिला। सिंहके लिये शोभाप्रद है। घनश्यामदासजी ने अपनी शक्ति के अनुसार काम किया ऐसे ही स्वामीने। बात यह है कि जिसके पाससे जितना मिल सके उससे संतुष्ट रहे अथवा हमारे नसीबमें निराशा ही होती है। जो कदर तुम्हारी कहीं न हूई वह सतीश बाबूके पास हुई यह कुछ छोटी बात है? अनासक्त होकर काम किया करोगे तो कभी निराशा नहीं होगी। हम किसीके काजी न बनें।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९४६) से

६८. तार : गणेश वासुदेव मावलंकरको

२९ अगस्त, १९४४

गुजरातकी बाढ़को देखते हुए यदि आवश्यकता महसूस हो तो कस्तूरबा स्मारक कोषका काम स्थगित करके तुम्हें बाढ़ग्रस्त लोगोंकी सहायतार्थ चन्दा इकट्ठा करने के कार्यमें जुट जाना चाहिए।

बापू

[अंग्रेजीसे]
संस्मरणो, पृ० १५६

६९. पाठकोंसे दो शब्द[1]

अधिकृत अनुवाद[2]

मेरे इस पुस्तकका प्राक्कथन लिखने के औचित्यको भला कौन स्वीकार कर सकता है? लेकिन यदि ऐसा करके मैं गरीबोंकी थैली भरने में मदद कर सकता हूँ, तो मुझे संकोच करने की क्या जरूरत है? मालूम हुआ है कि यह पुस्तक उपहारार्थ प्रकाशित नहीं की जायेगी। इसकी बिक्रीसे जो लाभ होगा वह दरिद्रनारायणके लिए मुझे जो थैली दी जानेवाली है उसमें जोड़ दिया जायेगा। पुस्तकके प्रकाशकोंका कहना है

१. गांधीजी की ७५ वीं वर्षगाँठके अवसरपर प्रकाशित होनेवाली स्मारिका गांधीजी — हिज लाइफ एँड वर्क के लिए इसका मसौदा गांधीजी ने गुजरातीमें लिखा था।

२. यह गांधीजी की लिखावटमें है।

कि यदि मैं प्राक्कथनके रूपमे दो शब्द कहूँगा, तो उन्हें पुस्तककी विक्रीमे सहायता मिलेगी। मेरे लिए इतना प्रलोभन ही बहुत है। यदि पुस्तक सत्य और अहिंसा तथा सम्बन्धित विषयोंपर मेरे विचारोको सही रूपमें प्रस्तुत करती है तो मुझे विश्वास है कि इसे प्रचारित करने से लाभ होगा। पुस्तकमें दी गई लेखकोंकी सूचीको[1] देखते हुए लगता है कि मैं जिन चीजोंको लेकर चला हूँ उनके प्रति उन्होंने अवश्य न्याय किया होगा।

मो० क० गांधी

सेवाग्राम
२९ अगस्त, १९४४

[अंग्रेजीसे]
महात्मा, जिल्द ६, पृ० ३३७ के सामने प्रकाशित प्रतिकृतिसे

७०. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

२९ अगस्त, १९४४

भाई जिन्ना,

आपका पत्र मिला। तार नहीं आया, वापसी डाकसे पत्र नहीं आया, इससे मैं अधीर हो उठा और तार भेजा। उसके बाद आपका जवाब मिला। शुक्रिया। आपकी तबीयत अच्छी है, यह जानकर खुश हुआ।

मैंने ७ सितम्बरतक के लिए अपने कार्यक्रम तय कर रखे हैं। उसके बादके दिन खाली रखे हैं। इसलिए ९ तारीख अथवा उसके बाद जब आप बुलायेंगे तब मै हाजिर हो सकूँगा।

आपका,
मो० क० गांधी

मूल गुजरातीसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. जिसमें अन्य लोगोंके अलावा अलबर्ट आइन्स्टाइन, पर्ल एस० बक, वेरियर एल्विन, एफ० आर० मोरेस, मारजोरी साइक्स, जे० बी० कृपलानी, महादेव देसाई, एस० ए० ब्रेल्वी, मॉरिस फ्रीडमैन, जी० ए० नटेशन, आर० के० प्रभु आदि के भी लेख थे और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई भूमिका थी।

७१. पुर्जा : चिमनलाल नटवरलाल शाहको

२९ अगस्त, १९४४

उपर्युक्त मुझे सन्तोष देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और तुम लोगोंका भी इससे सन्तुष्ट होना ठीक नहीं है। हमें इतनी आसानीसे सन्तोष नहीं मान लेना चाहिए।

बापू

[पुनश्च :]

मुन्नालालने जो आपत्ति की है उसके बारेमें मेरा इतना ही कहना है कि आश्रम में जो लोग स्थायी रूपसे रहते हैं उनकी हमें समय-समयपर बैठक बुलानी चाहिए और वे जो सलाह दें अथवा निर्णय करें उसे दर्ज करके रखा जाना चाहिए। इसमें क्या कोई अव्यावहारिक बात है?

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०६०४) से

७२. पत्र : अमतुस्सलामको

सेवाग्राम
२९ अगस्त, १९४४

बेटी अ० स०,

कलके खतमें भूल गया जो तूने माँगा था सो कहने का। भागीरथजी लिखते है, 'पैसेके अभावसे काम रुकेगा नहीं'।

और सब खैर है। पारनेरकर अच्छे हैं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२) से

७३. पत्र: वी० वी० नेनेको

२९ अगस्त, १९४४

भाई नेने,

आपका पत्र मिला। मुझे कुछ पता नही था कि मैं शीघ्र या बिलकुल पकड़ा जाऊँगा। मैंने कुछ प्रोग्राम बनाया तो था, लेकिन वह प्रकट हो सके उसके पहले गिरफ्तार हूआ।[1] और पहले तो मसलन चलनेवाली थी ना? मै नहीं कह सकता कि जिन्ना साहबको मै मिलता या नही।

आपका,
मो० क० गांधी

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

७४. पत्र: डॉ० जयदेव कुलकर्णीको

२९ अगस्त, १९४४

भाई कुलकर्णी,

यही प्रश्न दूसरोंने भी उठाया है। मैंने उत्तर दिया है। सब परिस्थितिसे वाकेफगार होना मेरे लिये असम्भव है। इसलिए व्यक्तिगत प्रश्नोंमें उत्तर देना मेरे लिये अशक्यता है। मैंने सामान्य नियम तो बता दिया है।

आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० जयदेव कुलकर्णी
५७७, मथगली
बेलगांव

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. यहाँ सन्दर्भ १९४२ के "भारत छोड़ो" आन्दोलनका है।

७५. पत्र : के० एल० रलियारामको

२९ अगस्त, १९४४

भाई रलीयारामजी,

यद्यपि उत्तर देने में देर होनी है तो भी इतना मैं खचीत [निश्चित] कह सकता हूं कि हम दोमें से कोई किसीका हक डुबाकर कुछ करनेवाले नहीं हैं।

आपका,
मो० क० गांधी

रेव० के० एल० रलियाराम
ऑफिस ऑफ द ऑनरेरी सेक्रेटरी
मार्फत वाई० एम० सी० ए०
लाहौर

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

७६. सन्देश : अखिल भारतीय छात्रसंघके लिए[1]

वर्धागंज
३० अगस्त, १९४४

आप सम्मेलनकी कार्यवाही अपनी मातृभाषामें, राष्ट्रभाषामें अथवा अगर जरूरत हो तो भारतकी सभी भाषाओंमें करें, लेकिन विदेशी भाषामें न करें।

और दरिद्रनारायणकी खातिर प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा अवश्य कातें।

यदि आप ये दोनों बातें नहीं कर सकते, तो कृपा करके मेरा यह सन्देश लौटा दें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २-९-१९४४, और हिन्दू, १-९-१९४४

१. छात्रसंघके संयुक्त मन्त्री कालू शाहने गांधीजी से २ और ३ सितम्बरको बम्बईमें होनेवाले छात्र सम्मेलनके लिए एक सन्देश लेने के लिए भेंट की थी और रचनात्मक कार्यक्रमसे सम्बन्धित प्रश्नों तथा छात्र आन्दोलनके अन्य पहलुओंपर विचार-विमर्श किया था।

७७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

३१ अगस्त, १९४४

मैंने ओरिएंट प्रेसकी इस आशयकी एक रिपोर्ट देखी है कि मैंने वम्वई पहुँचने पर खाकसारोंकी सलामी लेने की वातपर अपनी स्वीकृति दे दी है। मैं कह दूं कि मैंने ऐसी कोई स्वीकृति नही दी है। मैं एक व्यक्तिकी हैसियतसे वम्वई जा रहा हूँ। इसलिए, मैं सलामी नही ले सकता। मेरा लोगो और संगठनोसे यह अनुरोध है कि वे मूक भावसे प्रार्थना करें कि ईश्वर हम दोनोको सद्वुद्धि दे। मैं उनसे कहूँगा कि वे कोई प्रदर्शन न करें। सभी जातियोके नेताओंको चाहिए कि वे परस्पर मैत्री-सम्वन्ध स्थापित करने के रास्ते और तरीके खोजें।

[अंग्रेजीसे]
हितवाद, १-९-१९४४

७८. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

सेवाग्राम, वर्धा, म० प्रा०
३१ अगस्त, १९४४

प्रिय भाई,

आपका पत्र मिला था। पत्र मिलते ही मैं उत्तर देना चाहता था, लेकिन अत्यधिक कार्यके कारण अबतक विलम्ब हुआ। आप जो-कुछ कहते आये हैं वह सब मुझे मिल गया है। आपके दुःखमें मेरी हार्दिक समवेदना है। लेकिन आपसे मेरी विनती है कि इस दुःखको आप सहन करें। अन्तमें आप समझ जायेंगे कि हमने देशके साथ विश्वासघात नही किया है। अहिंसापर आधारित समाजका निर्माण उसके सभी अंगोंकी स्वतन्त्र और स्वैच्छिक सहमतिके विना नही किया जा सकता। मेरा अनुरोध है कि आप विश्वास रखें। मेरी ओरसे आपको हताश नहीं होना चाहिए।

सस्नेह,

आपका,
छोटा भाई

[अंग्रेजीसे]
टी० आर० वेंकटराम शास्त्री पेपर्स। सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

७९. पत्र : हूटनको

३१ अगस्त, १९४४

प्रिय कर्नल हूटन,

आपके कृपापत्रके लिए अनेक धन्यवाद। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? गाँवोंमें चिकित्सा-कार्यके सम्बन्धमें आपके साथ हुई कई मैत्रीपूर्ण बातचीतोंकी मुझे याद आती है।

इस भीषण विश्व-संकटके दौरान मैंने जो भूमिका अदा की है, उसके बारेमें मेरा अन्तःकरण बिलकुल साफ है।

सादर,

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कर्नल हूटन
यूरोप होटल, जेरर्ड्स क्रॉस
बक्स, इंग्लैण्ड

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

८०. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

३१ अगस्त, १९४४

भाई जिन्ना,

आपका तार मिला। शुक्रिया।

२९ तारीखको मैंने आपको पत्र लिखा था। वह मिला ही होगा। जैसा कि उसमें लिखा है मैं सात तारीखतक दूसरे लोगोंको समय दे चुका हूँ। इसलिए मैं जल्दसे-जल्द ८ सितम्बरको यहाँसे रवाना होकर ९ तारीखको पहुँचूंगा। यदि यह आपको अनुकूल लगे तो बताइएगा।

आपका,
मो० क० गांधी

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

८१. पत्र : नारणदास गांधीको

सेवाग्राम, वर्धा
३१ अगस्त, १९४४

प्रिय नारणदास,

७५ लाख रुपयेकी निधि[1] इकट्ठी की जा रही है। इसका तो जो होना होगा, सो होगा। इसमें से कितना पैसा तुम्हे मिलेगा, यह मै नही जानता। चूंकि यह निधि तुम्हारी ही प्रेरणा पर इकट्ठी की जा रही है, इसलिए इसका काम तुम्हें अपने ढंगसे करना चाहिए, और अपनी योजनानुसार चन्दा इकट्ठा कर सकना चाहिए। जो लोग 'रेंटिया बारस'[2] कोषके लिए हमेशासे तुम्हारी मदद करते आये हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और यदि वे समझ सकें तो जैसे वे हमेशा तुम्हें मदद भेजते रहे हैं उसी तरह इस बार भी भेजेंगे। इन लोगोंमें जहाँ तुम मेरी सिफारिशकी जरूरत महसूस करो वहाँ इस पत्रका उपयोग कर सकते हो। यदि कस्तूरबा निधिके उद्देश्यका गलत अर्थ किया जाता है और उसके फलस्वरूप तुम्हारे काममें विघ्न पड़ता है तो मुझे निश्चय ही दुःख होगा। मैं इस निधिकी सार्थकता तभी मानूंगा जब तुम्हारे कार्यके समान इस कार्यका विस्तार चारों ओर होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६१० से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

८२. पत्र : अमतुस्सलामको

सेवाग्राम
३१ अगस्त, १९४४

प्यारी बेटी अमतुस्सलाम,

तेरे बगैर टिकटके खतपर सात आने लगे। ऐसी क्या जल्दी थी? इस तरह खर्च करना गरीबीकी निशानी नही है।

'बेटी' नहीं लिखा, यह भी याद नही है। कलमपर चढ़ा सो लिखा। 'बेटी' और 'चि०' में कोई फर्क नही है। 'बहन' लिखा होता तो फर्क पड़ता। लेकिन वहमका इलाज कौन कर सकता है?

१. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारकके लिए
२. भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, विक्रम पंचांगके अनुसार गांधीजी का जन्म-दिवस, जिसे कताई-दिवसके रूपमें मनाया जाता था।

मुझसे पूछे बिना जो चाहे सो काम कर सकती है। फिर मेरी नाराजगीका सवाल ही नही रहता। तूने पूछा तो मैंने कहा कि क्या ठीक था। तू जो काम करती है उसमें हिन्दू-मुस्लिमका सवाल भी आ जाता है।

मैंने उन मौलवीकी राह देखी। लेकिन वे आये ही नहीं। तूने गलती की थी, यह स्पष्ट हो गया। लेकिन तेरी गलती होने पर भी मैंने मौलवीको कहला भेजा था कि जरूर आयें।

भगीरथजी की मारफत भेजा हुआ मेरा खत तुझे मिला होगा।

खर्चके लिए हर माह खुशीसे ७५ रु० ले लेना। भाइयोंसे नही माँगना। वे खुद जो भेजें वह आश्रमको भेज देना।

बापूकी दुआ

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३) से

८३. पत्र : लीलावती आसरको

३१ अगस्त, १९४४

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। सुशीला बहनको बा की दैनन्दिनी देकर तूने ठीक किया। इसे मैंने अपने पास रख लिया है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, कदाचित् इसका उपयोग भी करूँ। सुशीलाबहन तो कहती है कि उसके पास यह अमानत है। मैंने उससे कहा कि मुझे सौंपना उसे सौंपने-जैसा है। वहाँके मामलेके बारेमें तूने जो लिखा वह भयानक है, लेकिन ऐसा तो होता ही रहता है। तू सावधान रहना सीख ले, इतना ही काफी है। अधिक तो जब कभी मिलेंगे तब। मामा साहबको[1] मिलने की फुरसत तुझे यदि कभी मिले तो मिल लेना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती लीलावतीबहन उदेशी
जी० एस० मेडिकल कालेज
लेडी स्टुडेण्ट्स होस्टल
परेल, जी० आई० पी० (रेलवे), बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०२१५) से। सौजन्य : लीलावती आसर

१. वि० ल० फड़के

८४. पत्र : सुचनको

[अगस्त, १९४४][1]

प्रिय सुचन,

केवल हमारा देश ही नही, बल्कि सभी देश हाथकी मेहनतके बलपर हमेशा आगे बढ़ सकते हैं।

मेरे स्वदेशीमें मिलके कपड़े शामिल नही है। मिलें देशको पतनकी ओर ले जा सकती हैं। इस विषयपर लिखे साहित्यको तुम्हें पढ़ना चाहिए।

तुम्हारा,
बापू

पी० आर० कालेज
कोकानाडा

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

८५. पुर्जा : देवप्रकाश नैयरको

[अगस्त, १९४४][2]

आर्यनायकम्‌को[3] सब कहो बादमें जो अच्छा समजो वही करो।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे : गांधीजी से सम्बन्धित दस्तावेज। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. यह पत्र अगस्त, १९४४ के पत्रोंके साथ रखा गया है।
२. यह पुर्जा अगस्त, १९४४ के एक पत्रपर लिखा हुआ है।
३. हिन्दुस्तानी तालीमी संघके मन्त्री ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम्

८६. तार: मुहम्मद अली जिन्नाको

सेवाग्राम
१ सितम्बर, १९४४

कायदे-आजम जिन्ना
माउन्ट प्लेजेन्ट रोड
बम्बई

आपका तार[1] मिला। धन्यवाद। आशा है मैं ९ तारीखको ४ बजे आपके पास आऊँगा।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

८७. पत्र: बाल गंगाधर खेरको

१ सितम्बर, १९४४

भाई बालासाहब,[2]

विद्यार्थी सम्मेलनके लिए विद्यार्थियोंने जो प्रस्ताव तैयार किया है, वह भाई लालूभाई लाये थे। उन्होंने सात्विक भावसे मुझसे आग्रह किया, इसका मुझपर अच्छा असर पड़ा। वे बहुत मुश्किलसे मुझसे सन्देश[3] भी ले गये। यह सन्देश, सन्देश नहीं है, बल्कि विद्यार्थियोंको बाँध लेने का आमन्त्रण है। इतना करने का भी मुझे कोई उत्साह नहीं था और न मेरे पास समय था। प्रस्ताव मुझे पसन्द नही आया। प्यारेलालने उसे संक्षिप्त करने का बीड़ा उठाया। उसका मसौदा ठीक था, लेकिन उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। उसे एक मिनटके लिए भी फुरसत नहीं मिलती। रंगूनके बिशपके आने से उसका काम एकदम बढ़ गया है। इसलिए मसौदा तैयार करने का काम मैंने अपने हाथमें लिया है। लेने को तो मैंने ले लिया, लेकिन काम बहुत बढ़ गया। जो किया है वह इसके साथ है।[4] मुझे लगता है कि मैंने गागरमें

१. ३० अगस्तका, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे ७ सितम्बरको अथवा उसके बाद किसी भी दिन गांधीजी से मिल सकेंगे।

२. १९३७ से १९३९ तक बम्बईके मुख्यमन्त्री

३. देखिए पृ० ६२।

४. प्रस्तावका मसौदा उपलब्ध नहीं है।

सागर भर दिया है। पर अधकचरे ज्ञानवाले लोगोंको अनेक बार ऐसी खुशफहमी हो जाती है और वे मन-ही-मन खूब आनन्दित होते हैं। इस मसौदेके बारेमें भी यदि ऐसा हुआ हो तो मुझे कोई आश्चर्य नही होगा, क्योंकि वहुत ज्यादा कामके बीच थोड़ा समय निकालकर मैंने इसे जैसे-तैसे पूरा किया है। इसलिए तुम अपनी इच्छानुसार इसमें काट-छाँट कर सकते हो। इस वातका भय मनमें न लाना कि मुझे बुरा लगेगा। सच्चा साथी वही है जो अपने सहयोगीकी कमियोंको ढूंढ़ निकाले और मित्रतापूर्वक उन्हे दूर करने में मदद करे।

बिशपकी मुलाकातने बहुत अच्छा रूप लिया। परिणाम तो ईश्वरके हाथमें है।

उम्मीद है, तुम्हारा उर्दूका अभ्यास जारी होगा। कामकी भीड़में यदि छूट गया हो तो अब शुरू कर देना। बूंद-बूंदसे सागर भरता है।

मैं ९ तारीखको कायदे-आजम जिन्नासे मिलनेके लिए बम्बई पहुँच रहा हूँ।

उम्मीद है, इसे पढ़ने और समझने में तुम्हें कोई दिक्कत पेश नही आयेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २७७२) से

८८. पत्र : मंगलदास पकवासाको

१ सितम्बर, १९४४

भाई मंगलदास,[1]

तुम्हारा पत्र और तुम्हारी टिप्पणी मिली। दोनों उपयोगी है। मैं वहाँ ९ तारीखको पहुँचने की आशा रखता हूँ। जल्दसे-जल्द १० तारीखको वापस लौटूंगा। इस बीच समय हो तो अवश्य मिलना। नहीं तो सेवाग्राममें यदि कोई मुखतारनामेकी जरूरत हो तो जरूर मँगवाना। तुम्हारी तबीयत, धीरे-धीरे ही सही, पर सुधर रही है, यह सन्तोषकी बात है।

बापूके आशीर्वाद

मंगलदास पकवासा
२९, डूंगरसिंह रोड
मलाबार हिल
बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६८७) से। सौजन्य : मंगलदास पकवासा

१. १९३७ से १९४७ तक बम्बई विधान-परिषद्के अध्यक्ष

८९. भाषण : अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें – १

सेवाग्राम
१ सितम्बर, १९४४

हमें मिलकर दो बरससे अधिक समय हो गया। इन दो बरसोंमें बाहर जो-कुछ हुआ उसका कुछ-कुछ परिचय मुझे मिल गया है। कुछ-कुछ कहने का मतलब यह कि पूरा-पूरा नहीं। इन दो वर्षोंमें मानों एक युग बीत गया। इस अर्सेमें सारे हिन्दुस्तानपर विपत्ति आ गई। इसमें चरखा संघ थोड़े ही बच सकता था?

आज हम फिरसे इस स्थितिमें आ गये है और कुछ काम कर सकते है, लेकिन यह हमारे लिए काफी नहीं है। चरखा संघकी बहुत-सी सम्पत्ति नष्ट हो गई है या सरकारके कब्जेमें पड़ी है। हमारे कई साथी आज यहाँ नहीं है। मैं कांग्रेसकी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने चरखा संघमें विशेष रूपसे सेवा की है, जो इसके ट्रस्टी है वे आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन मैं समझ गया कि इतनोंसे भी हम कारोबार चला सकते हैं। वे चलावेंगे, इतना आश्वासन मिल सकता है।

जेलमें मैंने काफी विचार किया और जिस नतीजेपर पहुँचा उसे संक्षेपमें कहूँगा।

सबसे बड़ी बात जो मैंने जेलमें पाई वह यह थी कि, मैंने देखा कि चरखा संघकी हस्ती मिट सकती है। सरकारने उसे मिटाने की काफी चेष्टा की। हमारा काम कुछ-न-कुछ चलता तो रहा, लेकिन मैंने देख लिया कि सल्तनत चाहे तो हमें नाबूद कर सकती है। यानी मेरी जो कल्पना रही कि इस देशमें अब चरखेकी प्रवृत्ति तो किसी हालतमें नाबूद नहीं हो सकती, सिद्ध नही हुई। मैं जल्दीसे हार कबूल करनेवाला आदमी नहीं हूँ; लेकिन जेल ही में मैंने पाया कि हम सरकारकी दयापर जीते हैं। यह बात मुझे चुभती है। मेरा बस चले तो केवल ईश्वरकी ही दयापर जिन्दा रहूँ और किसीकी नहीं। वैसे तो कोई आदमी दूसरोंकी सहायताके बिना जिन्दा नहीं रह सकता। यह ईश्वरीय न्याय है। लेकिन मै उस मददकी बात नही कर रहा हूँ।

मेरी जो कल्पना है उसपर मेरी सारी प्रवृत्तियाँ खड़ी हैं। उस कल्पनापर चरखा संघकी भी नींव डाली गई थी। दक्षिण आफ्रिकामें मैंने पाया कि अगर अहिंसक तरीकेसे हिन्दुस्तानको जिन्दा रहना है और आगे बढ़ना है तो चरखेके ही सहारे वह होगा — चरखा ही उसका प्रतीक हो सकता है। दूसरे प्रतीकोंसे हम शक्ति पा सकते हैं, लेकिन वह शक्ति जगतका कल्याण करनेवाली नहीं हो सकती। जेलमें मैंने सोचा कि हमारी चरखा-प्रवृत्तिमें कुछ ऐब है, उसे सुधारना होगा। मैंने हिन्दुस्तानको कहा, चरखा चलाओ। किस तरीकेसे चलाना है सो भी मै ठीक-ठीक जानता था। परन्तु जिस दृष्टिसे और जिस दिमागसे उसे चलाना है उसपर मैंने जैसा चाहिए था जोर

नही दिया। मै अपनेको व्यवहार-कुशल मानता हूँ। व्यवहारके पहलूपर ही सब साथी जोर देते रहे। उसे मैंने बरदाश्त किया। उसमें मै साथ भी देता रहा। आज अब मै सिर्फ इतना ही कहता रहूँ कि चरखा चलाओ तो हमारा काम नही चलेगा। अब हम काफी चल आये हैं।

मै सोचता रहा कि अब आगे कैसा काम चलाया जाये। यह भी सोचता रहा कि संघको अपने ही हाथों क्यों न मिटा दूँ? जो-कुछ जायदाद और पैसा है वह लोगोंमें बाँट दूँ। मैंने देखा कि जबतक हमारा चरखेका पैगाम हम घर-घर तक नहीं पहुँचाते तबतक हमारा काम अधूरा ही है। यही कारण है कि हम अपने आदर्शसे अभी बहुत दूर हैं। सात लाख देहात पड़े हैं। इनमें कई देहात ऐसे होंगे जिनको हमारी चरखा प्रवृत्ति क्या चीज है इसका पता नही है। यही हमारा ऐब है। इस बातपर आप विचार करें।

इसी विचार-धारामें से विकेन्द्रीकरणकी बात निकली है। मैंने सोचा, यदि यह सिद्ध हो सके तो कितना अच्छा हो। मैंने यह भी सोचा कि मेरे मार्गमें कठिनाइयाँ बहुत हैं। मेरा दावा है कि चरखेके विषयमें जितना विचार, जितनी साधना, मैंने की है, इतनी शायद ही किसीने की है। यह दावा बड़ा है, इसमें अभिमान भी हो सकता है। लेकिन यदि मै मौकेपर यह न कहूँ तो वह भी झूठी नम्रता होगी। जेलमें भी मैंने चरखेको छोड़ अन्य किसी चीजका चिन्तन नही किया।

मेरी सारी प्रवृत्तियोंकी सारी शक्ति, सविनय भगकी मेरी सब शक्ति मैंने चरखेसे पाई है। जितना परिश्रम मैंने चरखेके लिए उठाया है, जितना द्रव्य लगाया है, उतना दूसरी प्रवृत्तियोंके लिए नही उठाया। तिलक स्वराज्य फंडका करोड़ रुपया भी तो अधिकांश रूपसे हमने चरखेकी ही प्रवृत्तिमें लगाया। इस बातको लेकर मुझ पर काफी इलजाम भी लगाये गये, किन्तु वे मेरे लिए स्तुतिवाक्य हैं। क्योंकि जो-कुछ मैंने किया वह सोच-समझकर किया, जान-बूझकर किया। किसीको धोखा देकर थोड़े ही किया। जो पैसा चरखेके पीछे लगाया, जनताको समझाकर ही लगाया। इसीका परिणाम यह संस्था बनी।

जितना मैंने विचार किया, जितना साहित्य पढ़ा, सबके बलपर मै दावेसे कह सकता हूँ कि मेरी साधना तीव्र होने पर भी वह अपूर्ण रही। मेरा अभ्यास जितना चाहिए उतना सम्पूर्ण नही हुआ इसे मुझे कबूल करना चाहिए। मेरे इन शब्दोंमें आज ज्यादा शक्ति है, क्योंकि इन बातोको मै आज अधिक स्पष्ट रूपसे देख रहा हूँ।

आप सब जो आज यहाँ आये हैं वे चरखा संघके लोग हैं या संघके प्रति या मेरे प्रति सहानुभूति रखनेवाले है, या जनताके प्रतिनिधि हैं। हमारे पीछे जनताका कितना बल है वह हम दिखा सकते थे। आन्दोलनमें जिस प्रकारका बल हिन्दुस्ताननें बताया, उसे हम सच्चे रास्ते ले जा सकते थे; लेकिन वह न कर सके। इसमें दोष आपका नही है, मेरा है। यहाँ जो मै यह कह रहा हूँ सो आपको दोष देने के लिए नही, किन्तु मेरी और आपकी बुद्धिपर प्रहार करने के लिए।

हमने चरखा चलाया, किन्तु सोच-समझकर नही, यन्त्रकी तरह चलाया। चरखेमें जितना अर्थ भरा पड़ा है, उसे आप अपना लेते तो, मै उसमें से जितना अर्थ निकालता

हूँ उतना ही अर्थ आप भी उसमें से निकालते। राजकारण भी उसमें भरा पड़ा है। लेकिन वह धोखाबाजीका राजकारण नहीं है। शुद्ध सात्विक राजकारण चरखेमें जितना भरा पड़ा है उतना अन्य किसी चीजमें नहीं है। यदि यह सही है, तो फिर हम जो कहते हैं कि सूतके धागेमें स्वराज्य है उसका और क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह हरगिज नहीं कि सूतका धागा टूटा वैसे ही स्वराज्य भी टूटा।

हमपर इलजाम लगाया जाता है कि चरखा संघवाले, ग्रामोद्योग संघवाले, गांधीवादी सब जड़ होते हैं। लोगोंकी उनपर श्रद्धा है, लेकिन वे जनताको देशके सब हालात ठीक तरहसे नहीं बता सकते। मार्क्सका साहित्य हमारे बीच आ रहा है। इन बाहरी शक्तियोंके प्रभावके सामने वे टिक नहीं सकते।

जब हम अपनेको अहिंसाके पुजारी बतलाते हैं, तब हम अहिंसाकी शक्ति क्या है, बतला न सकें तो हम कैसे गांधीवादी? असलमें तो गांधीवाद ऐसी कोई चीज ही नहीं है। वास्तवमें कुछ हो तो वह अहिंसावाद है। चरखा संघका हरएक व्यक्ति अहिंसाकी जीवित मूर्ति होना चाहिए। अहिंसावादी या गांधीवादी कहो — तेजस्वी होने चाहिए। आज तो 'गांधीवादी' शब्द गाली हो गया है। वह शब्द स्तुति-सूचक नहीं रहा। हम अहिंसामय नहीं हैं सो स्वीकार कर लें; यदि अहिंसामय होते तो आज हरएक देहातमें चरखा पाते। मैं कबूल करता हूँ कि मैं यह नहीं कर सका। यदि यह इल्म मैंने पाया होता तो कमसे-कम सेवाग्राममें तो उसका दर्शन करवाता। लेकिन अभी तो यहाँके लोगोंके हाथमें चरखा रख भी दूं तो भी वे उसे नहीं अपनाते। हम उन्हें ज्यादा पैसा देते हैं, सिखाते हैं, अन्य काम आदि देकर लालच भी दिखाते हैं, तरह-तरहसे उनकी सेवा करते हैं तो भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। फिर भी, चरखेकी शक्ति पर का मेरा विश्वास अटल है। मैं खुद उसका अध्यक्ष बना, फिर भी नाकामयाब बैठा हूँ।

इसीसे कह रहा था कि, हम यह सब न कर पाये, इस बातको स्वीकार कर लें। यह बात नहीं है कि हममें त्यागी कम हैं। काफी त्यागी भाई-बहन हमारेमें पड़े हैं। मैं उनकी वन्दना करता हूँ। एक-एककी याद करता हूँ तो मेरा हृदय भर आता है। मेरी आत्मा कहती है कि जहाँ इतने त्यागी कार्यकर्त्ता पड़े हैं उस देशकी अवनति हो ही नहीं सकती। परन्तु इतना त्याग होते हुए भी मुल्ककी आजादी नहीं आई। आजादी आ तो रही है; कदाचित् हम मानते हैं उससे कहीं अधिक जल्द आ रही है। लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भरता। मैं अपने खुदको पूछता हूँ कि, "इसमें तेरा हिस्सा कितना?" अपने दिलको मना लेता हूँ कि हमने यथाशक्ति प्रयत्न तो किया है। इसलिए मैं किसीपर इलजाम नहीं लगाता। केवल परिस्थिति दिखा रहा हूँ। परिस्थितिको अच्छी तरह पहचानना भी तो एक बुद्धिका लक्षण है। हमने जो-कुछ किया उससे हम सन्तुष्ट न रहें। जो-कुछ हमसे बन पाया यथाशक्ति हमने किया। परन्तु जो गज हमने अपनेको नापने के लिए रखा था उसके अनुसार संघका काम यदि हम फैला सकते तो आज हममें जो निराशा-सी छा गई है, वह नहीं दीख पड़ती। क्योंकि उससे हमने अहिंसक स्वराज्य हासिल किया होता; लेकिन हम न कर पाये।

आपके सामने एक कड़ा-सा नुस्खा रखता हूँ। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो मुझे भी आप उसमें शामिल समझें, लेकिन यह उपाय अज्ञानवश नहीं स्वीकारना है, वह निरे माहसकी भी बात नहीं है। बुद्धिपूर्वक विचार करके इस नतीजेपर पहुँच सको तो ही ठीक। यदि आप ठीक निर्णयपर पहुँचे तो आप चरखा संघको बिलकुल बन्द कर देंगे। उसकी जो-कुछ जायदाद है, पैसा है, सब कार्यकर्त्ताओंमें कामके लिए बाँट देंगे। आगेका काम चलाने के लिए एक कौड़ी भी रखने की आवश्यकता नहीं। हम सब यही मानें कि चरखा ही अन्नपूर्णा है। अगर चालीस करोड जनता यह समझ जाये तो फिर चरखेकी प्रवृत्तिके लिए एक कौड़ी भी लगाने की जरूरत नहीं। फिर सल्तनतकी ओरसे निकलनेवाले फरमानोंसे घबड़ाने का कोई कारण नहीं। पूंजी-पतियोंके मुँहकी ओर ताकने की जरूरत नहीं। हम खुद ही केन्द्र बन जायेंगे और लोग दौडते हुए हमारे पास आवेंगे। काम ढूँढ़ने के लिए उन्हे कहीं जाना न होगा। हरएक देहात आजाद हिन्दुस्तानका एक-एक चक्रबिन्दु बन जायेगा। बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरोंमें नहीं, किन्तु सात लाख देहातोंमें, चालीस करोड़ जनतामें, आजाद हिन्दुस्तान विभक्त हो जायेगा। फिर हिन्दू-मुसलमानका मसला, अस्पृश्यताकी समस्या, झगड़े-फसाद, गलतफहमियाँ, हरीफाई कुछ न रहेगी। इसी कामके लिए संघकी हस्ती है। इसीलिए हमको जीना है और मरना भी है।

आप कहेंगे, यह बहुत बड़ा काम है। इसके लिए बड़ी बुद्धिकी आवश्यकता है। मैं कहता हूँ कि वह बड़ी बुद्धि लाईब्रेरियोंमें बैठकर पठन-पाठन करने से मिलने वाली नहीं है। अपने हाथोंसे मेहनत करके बुद्धिको तेजस्वी बनाना है। इसीमें से बुनियादी तालीमका जन्म हुआ। इस तालीममें हाथ-पैरोंके श्रमके जरिये बुद्धिको तेजस्वी किया जाता है। पुस्तकोंको जलाना तो नहीं है लेकिन उनका स्थान गौण है। पहला स्थान चरखेको है। उसकी साधनासे ही ग्रामोद्योग, नई तालीम आदि अन्य दूसरी चीजें पैदा हुई हैं। अगर हम बुद्धिपूर्वक चरखेको हासिल कर लेंगे तो देहातोंको फिरसे जिन्दा कर सकते हैं। आज जो साथी संघमें हैं उनकी शक्ति जहाँतक ले जा सकती है वहाँतक ही हम जा सकते हैं। मुझे विश्वामित्रकी तरह नई दुनिया पैदा नहीं करनी है। वे त्रिशंकुको स्वर्गमें ले जाना चाहते थे लेकिन वह तो बीचमें ही लटकता रह गया। इसलिए पृथ्वीमाता जो शक्ति दे उसमें से ही हमें अपना काम करना है।

अगर हम अपने हाथों चरखा संघको मिटा दें तो फिर सल्तनत क्या जब्त करेगी? क्या किसीको गोलीसे उड़ा देगी? हम तो चालीस करोड़में फैल गये होंगे। अगर वह हमें उड़ा देना चाहे तो हम हँसते-हँसते चले जायेंगे। हममें से एकाध करोड़ उड़ भी गये तो क्या? समुद्रमें से चुल्लू-भर बूँदें उड़ गईं तो वह तो सूख नहीं जाता। उसकी शक्तिको कोई नहीं मिटा सकता। उसी प्रकार हमें दबाने की जितनी भी कोशिश होगी उतनी ही हमारी शक्ति बढ़ती जायेगी। शर्त केवल इतनी ही है कि हम अहिंसाकी शक्तिको पहचान लें।

हमको देखना यह है कि हमने चरखेका शोध पर्याप्त मात्रामें कर लिया है क्या? हमने उसके पीछे काफी तपश्चर्या की है, आविष्कार किये हैं। चरखे तो बनाये

बहुत लेकिन अब ऐसा शास्त्री पैदा करना है जो यन्त्रशक्तिसे पूरा परिचित हो। वह ऐसे चरखे बना दे जिससे आज हम जितना सूत निकालते हैं उससे अधिक अच्छा और अधिक सूत निकाल सकें। यदि ऐसा शास्त्री न मिला तो भी मैं हारनेवाला नहीं हूँ। बुद्धिसे बतला दूँगा कि मेरी बात सही है। यह काम विश्वाससे करना है। जब विश्वास मूर्तिमान होता है तो बुद्धिके मारफत चमकता है। यह चीज अपने-आप चमकनेवाली नहीं है। जब श्रद्धा अत्यधिक बढ़ जाती है और उसको दूसरा वाहन मिल जाता है तब वह चमक उठती है। श्रद्धा कभी गुम नहीं होती, वह आगे-आगे ही बढ़ती चली जाती है। उसके सहारेसे बुद्धि तेजस्वी होती जाती है और फिर श्रद्धा बुद्धिवादका सामना कर सकती है। हमें व्याख्यान नही देने हैं; सच्चा वैज्ञानिक परिणाम निकालना है। हम सारी दुनियाको अपनी श्रद्धाका ऐलान करेंगे और कहेंगे तुम सच्चे नहीं हो, हम सच्चे हैं।

आज हम गिरे हुए हैं और इसी हालतमें हमें काम करना है। इसलिए हम अपने कामको सरल कर दें, मनमें कुछ मैल न रखें, सारी झंझटोंका फैसला कर दें, आपस-आपसका झगड़ा मिटा दें। हमारे प्रतिनिधिपर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। हरएक स्पष्टवक्ता बने। हम सत्यकी आराधना करते हैं तो हमें पूरा-पूरा सत्य कहना चाहिए। हममें जितना भय होगा उतना कम सत्य कहेंगे। इसीसे 'गीता' ने अभयको प्रथम स्थान दिया है।

ये सब बातें सूक्ष्म अनुभवसे कह रहा हूँ। हमें निर्भय होकर बातें करनी चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। निजी स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम हिन्दमाताका द्रोह करेंगे, अपनी शक्ति संगठित नहीं कर सकेंगे। स्वार्थने हमारे रास्तेमें काफी रुकावट पैदा की है।

चरखा संघका नवसंस्करण, पृ० १-९

९०. भाषण : अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें – २

सेवाग्राम
२ सितम्बर, १९४४

मैंने कल जल्दबाजी की। कुछ काम तो कल कर लिया सही। लेकिन बादमें उसका विचार करता रहा। मैंने एक बड़ा काम उठा लिया था। और वह था आपके लिए एक ढाँचा बना देना और आपके सामने रखना। कल रात और प्रातःकाल इसके बारेमें सोचता रहा। उसके लिए मौन भी लिया। जैसा लिखा है वैसा पढ़ता हूँ।

१. चरखेकी कल्पनाकी जड़ देहात है और चरखा संघकी कामनापूर्ति उसके देहातमें विभक्त होने में है। इस ध्येयको खयालमें रखते हुए चरखा संघकी यह सभा इस निर्णयपर आती है कि कार्यकी प्रणालीमें निम्नलिखित परिवर्तन किये जायें —

(अ) जितने कार्यकर्त्ता तैयार हों और जिनको संघ पसन्द करे, वे देहातोंमें जायें।

(आ) बिक्री भंडार और उत्पत्ति केन्द्र मर्यादित किये जायें।

(इ) जो शिक्षालय है उन्हे विस्तृत रूप दिया जाये, और अभ्यासक्रम बढाया जाये।

(ई) जो सूबा या जिला स्वतन्त्र और स्वावलम्बी होना चाहे, उसे यदि संघ स्वीकार करे तो स्वतन्त्रता दी जाये।

२. चरखा संघ, ग्रामउद्योग संघ और हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी एक स्थायी समिति नियत हो, जो नई पद्धतिके अनुकूल आवश्यक सूचना निकाला करे। तीनो संस्थाएँ समझें कि उनपर पूर्ण अहिंसाको प्रकट करना निर्भर है। इसके सम्पूर्ण विकासमें पूर्ण स्वराज्य छिपा है।

तीनों संस्थाओंका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सारा राजकारण उनपर अवलम्बित रहे न कि वे प्रचलित राजकारणपर अवलम्बित रहें। यह स्वयंसिद्ध लगना चाहिए।

इसका निचोड़ यह माना जाये कि इन तीनो सस्थाओके कार्यकर्त्ता स्थितप्रज्ञ-से[1] होने चाहिए। अगर यह सम्भव न हो तो हमारी कार्यरेखा बदलनी चाहिए। हमारा आदर्श नीचे जाना चाहिए। आज हमारी हालत विचित्र-सी मालूम होती है।

इसमें चरखा संघ, ग्रामउद्योग संघ और तालीमी सघ इन तीनो संस्थाओंकी सम्मिलित समिति बनाने की सूचना मैंने की है। हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे सारा राजकारण उनपर अवलम्बित रहे।

हमारी बहुत दीन स्थिति रही है। चरखा संघके कट्टे लोगोने मुझसे बताया कि हमें कांग्रेसवालोंसे सहायता नही मिलती। इन दो बरसोमें जो अनुभव हुआ वह भी हमारे सामने है। जेलमें पड़े-पड़े अखबारोंमें मैंने बहुत पढा। जो दीनता हमारे कार्यकर्त्ता प्रकट करते है उसका दर्शन भी मैंने किया था। अब वार्त्तालापसे यह सब स्पष्ट हो गया है।

जेलमें मैंने सारा कम्युनिस्ट साहित्य पढ़ा। मेरे लिए यह नई चीज नही थी। मौलाना हजरत मोहानी जब आश्रममें चले आते थे तब उनसे मेरी दिन-भर इन्ही विषयोंपर चर्चा चलती थी। समाजवादियोके पास आज परिश्रम करनेवाले तथा डिग्री-वाले कार्यकर्त्ता काफी संख्यामें है। इनमें तटस्थ भाव रखनेवाले लोग मेरे पास आते है। वे कहते है कि तुम्हारी जो फिलासफी[2] है, जिस चीजको तुम मानते हो उसको जगतके सामने रखो। जगतके सामने मैंने एक नई चीज रखी है। उसके पीछे इतिहास नही है। चालीस बरसमें मुझे जो-कुछ अनुभव मिला वही मेरी पूंजी है।

हमें कबूल करना चाहिए कि हमारे पास डिग्रीवाले कम है। हमारे पास द्रव्य नही है। उतनी काबिलीयत भी नही है। इन सब मुसीबतोंको मै समझता हूँ। उसके बीच हँसता-हँसता मै पचहत्तर वर्षतक चला आया। निर्भय होकर अपना रास्ता निकालता गया। वही निर्भयता आप लोगोंमें आये, ऐसी आशा करता हूँ।

१. भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक ५४-७२।
२. मूलमें यह शब्द अंग्रेजीमें है।

अगर इस प्रकारकी निर्भयता हममें रहे तो ज्ञानपूर्वक हम अपना मार्ग काट सकते हैं। विरोधी वस्तुका मुकाबला कर सकते है। प्रकाश बताने का तरीका यह है कि वह अन्धेरेको आगे-आगे हटाता जाये। प्रकाशका अभाव याने अन्धेरा। जगतमें यही न्याय रहा है कि प्रकाशको आगे बढ़ना है। फिर तो अन्धेरेको दूसरा रास्ता ही नहीं रह जाता, सिवाय कि वह अपनेको खत्म कर ले। अहिंसाका तरीका यही है। मेरे दिलमें यही चीज भरी है इसलिए मैं किसीसे डरता नहीं हूँ। मेरी गाड़ी गड्ढेमें होकर फिर भी चली है। अहिंसाका यह जो प्रदर्शन है वह मेरी मृत्युके बाद ही आप देखनेवाले हैं, पहले नहीं।

आजतक हम पंगु रहे है इसलिए हम कांग्रेसका मुँह देख रहे हैं। मानते हैं अगर कांग्रेस मदद दे, तो हमारा काम चलेगा। लेकिन कांग्रेसमें चरखा संघका प्रस्ताव[1] बनानेवाला मैं ही था। मैंने देखा कि यही चीज आगे चलनेवाली है। हममें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कांग्रेसवाले हमारे पास पूछने आयें कि बताओ देहातमें हम कैसे काम करें। फिर चरखा संघके बाहर कौन-सा कांग्रेसवाला रह जाता है? अगर हममें यह ज्ञान होता तो हममें आप-आपसमें मेल रहता। दोनों एक-दूसरेमें सम्मिलित हो जाते। हम कांग्रेसका रचनात्मक कार्य करते और कांग्रेस सरकारके साथ लड़ाईका धारासभाओंका काम करती। ये दोनों परस्पर-विरोधी काम मालूम नहीं होते।

इसलिए सब बातोंको हमें नये सिरेसे और नये आग्रहसे सोचना चाहिए। मैंने आपके सामने कोई नई चीज नहीं रखी है। वह अगर आप अपने जीवनमें सिद्ध कर सकते हैं तो वह एक बड़ी चीज होगी। हमारी स्थिति विचित्र-सी हो जाती है। आजतक जिस ढंगसे खादीका कार्य हम करते आये हैं उससे जो शक्ति मैंने चरखे के भीतर मानी है उसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। इस बातका मेरे दिलमें कोई सन्देह नही रहा।

जो लोग यन्त्रवादमें मानते हैं वे भी हिन्दुस्तानके मित्र हैं, इनमें कोई शंका नही। लेकिन उनमें और मुझमें दो ध्रुवों जितना अन्तर है। यन्त्रवादियोंके कथनानुसार शहरवाले भले ही चलें, परन्तु आप देहाती लोग यदि गलतीसे भी उसपर चलेंगे, तो

१. यह प्रस्ताव २२ सितम्बर, १९२५को पारित हुआ था। इसमें लिखा था: "यह निश्चय किया जाता है कि जितना भी राजनीतिक कार्य देशके हितमें जरूरी हो, उसे कांग्रेस हाथमें ले और चलाये, और इसके लिए वह कांग्रेसके सारे तन्त्र और कोषको काममें लाये। केवल उन कोषों और सम्पत्तियोंको छोड़ दिया जाये जो किसी विशेष कामके लिए निर्धारित हैं और अखिल भारतीय खादी मण्डल और प्रान्तीय खादी मण्डलोंकी मिल्कियत हैं। उन्हें सभी मौजूदा वित्तीय देनदारियों सहित, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गये अखिल भारतीय चरखा संघको सौंप दिया जायेगा। चरखा संघ कांग्रेस संगठनका एक अभिन्न अंग होते हुए भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और इसे अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए इन और अन्य कोषोंको व्यवहारमें लाने के पूरे अधिकार होंगे।" प्रस्ताव पेश करते हुए गांधीजी ने जो भाषण दिया था उसके लिए देखिए खण्ड २८, पृ० २२०-२३।

हिन्दुस्तानका नक्शा बदल जाये। यानी करोड़ो गरीब मर जायें और एक करोड़ तगड़े योद्धा यहाँ रहे। मुझे १२५ वर्ष जीने की अभिलाषा है, परन्तु ३९ करोड़को तबाह कर एक करोड़ रहे — उनतालीस करोड़ भस्म हो जाये, यह मुझसे नही देखा जायेगा। मेरी तालीम तो यह है कि जो सबसे अधिक पंगु है उसकी सेवा करूँ और वह चले इतने ही कदम चलूं। यही कार्य खादीके जरिये करने की इतने वर्षोंमे हमारी कोशिश रही है। हमारा इतिहास चन्द वर्षोंका है। लेकिन इतने अरसेमे हमने कितने परिवर्त्तन किये? यदि आपकी यही राय रही कि परिवर्त्तन नही करना है, तो वही सही। मै हार न मानूँगा। आप सब भाँति सोच-विचारकर इसे हल करें। इतने लोग फिर कब मिल सकेंगे, क्या ठिकाना है? जो मेरे दिमागमें चीज आई वह जैसे-के-तैसी मैंने आपके सामने रखी है।

अगर हम मानते हैं कि चरखा ही हमारे लक्ष्यका सर्वोपरि प्रतीक है और अगर हम आजके तरीकेसे अपना दावा सिद्ध नही कर सकते तो हमें अपनी कार्यप्रणाली बदलनी ही चाहिए।

यह नहीं कि आजतक किया सो सरासर गलत-ही-गलत था। जो-कुछ हमने किया — सत्यनिष्ठासे किया और वह क्या कम था? थोड़ी-सी पूँजीमें साढ़े चार करोड़ रुपये देहातोमें पहुँचाये। देहातोंमें पैसे पहुँचाने के लिए जो खर्च किया वह परिमाणमें कम है। लेकिन फिर भी हमारे मकसदके अंदाजसे काम दूसरे दर्जेका हुआ। इस प्रकारके व्यापारी कामके नीचे हमें दब नहीं जाना है। जवाहरने मेरे पास चीनके सहकारी कार्यकी किताब भेजी है। हम जो काम कर रहे है उसके मुकाबलेमें वहाँका काम कुछ नही है। लेकिन कामकी हैसियतसे हमने कुछ भी काम नही किया। हम सात लाख देहातोंमें नही पहुँच सके है। मिलोंके मुकाबलेमें एक प्रतिशत काम हम कर पाये हैं। फिर ऐसे अपने कामके लिए गुमान क्या करें? इसीसे मै कहता हूँ कि यदि हम यह परिवर्त्तन नही कर सकते तो एक निरी पारमार्थिक संस्थाके नाते काम करते हम रह जायें। मुझे इसमें शर्म नही मालूम होगी। अपने दावेको सिद्ध करना है। और यह करने में किसीको धोखा नहीं देना है। यदि यह करना है तब फिर शक्ति कैसे बढ़ाना है यह सोचें। परिवर्त्तन करने के लिए अगर आप अपने हाथोंसे संघ बन्द कर देंगे तो अपनी शक्ति बढनेवाली है।

चरखा संघका नवसंस्करण, पृ० ९-१३

९१. पत्र : कलकत्ताके बिशपको

सेवाग्राम
३ सितम्बर, १९४४

परमप्रिय मित्र,

इस वक्त सुबहके ३-३० बजे हैं। यह नोट मुझे इसी समय लिखना है, अन्यथा कामकी भीड़में यह छूट सकता है।

आपने गाँवोंके अपने दौरेके समय जो स्पष्ट पत्र मुझे लिखा था, वह मिला। मैं जानता हूँ कि आप मेरी इस बातपर विश्वास करेंगे कि मैंने शासकोंके बारेमें जो भी लिखा है, वह जो महसूस किया वही लिखा है — बुरे इरादेसे कभी नही लिखा। अपने लोगोंकी त्रुटियों या गलतियोंको मैंने कभी नहीं छिपाया है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी मित्रतासे कभी वंचित नहीं होऊँगा।

रंगूनके बिशप और उनके पादरीके साथ जो समय बीता वह अत्युत्तम रहा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मेट्रोपोलिटन
बिशप हाउस
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

९२. पत्र : अमृतकौरको

३ सितम्बर, १९४४

चि० अमृत,[1]

मुझे कुछ जरूरी पत्र लिखने थे, इसलिए मैं बहुत सवेरे उठ गया। यह उनमें से एक है। अ० भा० चरखा संघकी बैठककी वजहसे मुझे दिनमें बहुत कम फुरसत मिल पाती है। मै कोई अखबार नहीं पढ़ता और पत्र भी बहुत कम लिख पाता हूँ। आश्चर्य तो यह है कि कामका इतना ज्यादा बोझ होनेके बावजूद मैं ठीक चल रहा हूँ। काश! तुम यहाँ होतीं। लेकिन ईश्वरकी इच्छा सर्वोपरि है, और जो हो वही उत्तम है।

१. साधन-सूत्रमें सम्बोधन और हस्ताक्षर देवनागरीमें हैं।

इस समय अस्पतालका कोई विस्तार नही किया जा सकता। आज हर बात अनिश्चित है और चीजें महँगी है। तुम अपना पैसा महादेव स्मारक निधिमे, जिसके बारेमें विचार चल रहा है, भेज दो। उसका क्या उपयोग किया जाये, यह बादमें तय किया जा सकता है। इस सम्बन्धमें तुम्हें अपना सुझाव देना चाहिए।

महिला सम्मेलनके बारेमें चिन्ता मत करो। हर चीज अभी अनिश्चित है।

सुशीलाका काम चल रहा है।

श्रीमती स्वामीनाथन[1] और उनकी रिश्तेदार श्रीमती मेनन यहाँ है।

तुम बेरिलसे सुन्दर खादी ले सकती हो और अपनी सालाना शालें भी। अब चार बज गये है और मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा देर नही लगानी चाहिए।

हम सबकी ओरसे स्नेह ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुम्हें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए और चिड़चिड़ी अथवा अधीर नही होना चाहिए।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४१४७) से। सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७७८२ से भी

९३. तार : गणेश वासुदेव मावलंकरको

३ सितम्बर, १९४४

तुम्हारा पत्र मिला। असहयोग सामान्य नियम है। लेकिन यदि अधिकारियोंके साथ तुम्हारे सहयोगसे संकटग्रस्त लोगोको वास्तविक राहत मिलती हो, तो तुम्हें झिझकनेकी जरूरत नही है। सर्वोत्तम नियम तो यह है कि मनुष्यको निर्भीक होकर अपनी अन्तरात्माकी आवाज पर चलना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
संस्मरणो, पृ० १५८

1. अम्मु स्वामीनाथन

९४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

३ सितम्बर, १९४४

भयंकर बाढ़से पीड़ित क्षेत्रोंमें कष्ट-निवारणके लिए अधिकारियोंके साथ कांग्रेस-जनोंके सहयोगके सम्बन्धमें गुजरातसे[1] मुझसे प्रश्न पूछा गया है। कांग्रेस एक संगठनके रूपमें काम नहीं कर रही है। जब सरकार कांग्रेसके विरुद्ध लड़ रही है तब सामान्य नियम तो असहयोग है। लेकिन यदि सहयोग करने से संकटग्रस्त लोगोंको कारगर सहायता दी जा सकती हो तो कांग्रेसियोंको व्यक्तिगत स्तरपर वैसा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हर मामलेका निर्णय उसके गुण-दोषके आधारपर होना चाहिए। कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या व्यक्तियोंके लिए पहल करने और जिम्मेदारी उठाने की कोई गुंजाइश छोड़ी गई है? सर्वोत्तम नियम तो यह है कि व्यक्तिको निश्शंक होकर अपनी न्याय-बुद्धिपर भरोसा करना चाहिए, भले ही वादमें वह गलत साबित हो।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ५-९-१९४४

९५. पत्र : अब्दुल मजीद खाँको

३ सितम्बर, १९४४

प्रिय ख्वाजा,

अथवा मैं आपको ख्वाजा साहब कहकर औपचारिकता बरतूं?

मन्त्री महोदय नूरी आपके साथ उनकी जो बातचीत हुई उसके बारेमें और आपकी मजलिसके बारेमें मुझे बताने के लिए बीच यात्रामें उतर पड़े हैं। उनका कहना है कि मैंने आपकी जो उपेक्षा की उसके कारण आप मुझसे नाराज हैं। मैंने आपकी उपेक्षा की, इसका भला क्या अर्थ हो सकता है? जब दिलसे दिलकी बात होती है, तो बोलचालका अवसर नहीं रहता। मैं आपके लेखोंको बराबर देखता रहा हूँ। अवश्य ही आप मुझसे यह नहीं चाहते कि मैं आपसे यह कहने के लिए अपना समय नष्ट

१. ७-९-१९४४ के *बॉम्बे क्रॉनिकल* के अनुसार, सूरत जिला कांग्रेस कमेटी और गुजरात सेंट्रल कांग्रेस वर्कर्स कमेटीके अध्यक्ष कन्हैयालाल देसाईने "वर्तमान राजनीतिक स्थिति और गुजरातमें चल रहे राहत-कार्यके सम्बन्धमें गांधीजी से तीन घन्टेतक बातचीत की थी।. . .गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी हालतमें कांग्रेसियोंको सार्वजनिक सविनय अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।"

करूँ कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं! मैं आपको केवल इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके प्रति, मजलिसके प्रति अथवा इस्लामके प्रति बेवफा नहीं होऊँगा। अब इतना जरूर लिखिए कि आप नाराज नहीं हैं। आपकी तबीयत कैसी है?

प्यार।

आपका,
बापू

अब्दुल मजीद खाँ साहब
गांधी आश्रम
चरखा संघ खद्दर भंडार
इलाहाबाद

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

९६. पत्र : चिमनलाल नटवरलाल शाहको

३ सितम्बर, १९४४

चि० चिमनलाल,

भाई बाबूरामको[1] भाड़ा, खुराक आदिके उपरान्त १० रुपये और दे देना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०६११) से

९७. भाषण : अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें – ३

सेवाग्राम
३ सितम्बर, १९४४

आज मैं अपने भाव आपको अधिक साफ रूपसे समझाने की कोशिश करूँगा। दो दिनतक जो-कुछ मैंने कहा उसे दूसरे ढाँचेमें रखकर सुना दूं।

हमारे कामका आरम्भ छोटी-सी बातसे हुआ था। जब मैंने चरखेका काम शुरू किया, तबसे मेरे साथ विट्ठलदासभाई[2] और चन्द बहनें थीं। उनको मैं अपनी बात समझा सका था। मगनलालभाई[3] आदि दूसरे भी थे। वे जाते तो कहाँ जाते, उनको तो मेरे ही साथ जीना था — मरना था।

१. एक आश्रमवासी जो भारतानन्दजी (मॉरिस फ्रीडमैन) के अधीन काम करते थे
२. विट्ठलदास जेराजाणी
३. मगनलाल गांधी

उन दिनों विट्ठलदास मजदूरोंके लिए लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दूकान छोड़ दी और वे इस भिखारी काममें आ गये। उस वक्त भविष्यमें हमारे लिए क्या रखा है इसकी हमें कल्पना न थी।

आज करोड़-दो करोड़ आदमी चरखेके असरमें आ गये हैं। चरखेमें स्वराज्य पाने की शक्ति है, ऐसा हम आजतक कहते आये हैं। चरखेके द्वारा इतने सालोंमें देहातके लोगोंके बीच काफी पैसा भी पहुँचा पाये हैं। क्या आज भी हम कह सकते हैं कि चरखेके बिना स्वराज्य नहीं आ सकता? जबतक हम अपना यह दावा सिद्ध नहीं कर सकते तबतक चरखा चलाना हमारे लिए एक लाचारीका सहारा मात्र बन जाता है। वह मुक्तिमंत्र नहीं हो पाता। इतनी बात यदि मैं आपको समझा पाया हूँ तो ही दूसरा कदम उठाऊँ।

दूसरा कदम यह है कि हम हमारी यह बात करोड़ोंको नहीं समझा पाये हैं। आज उन करोड़ोंमें चरखेके विषयमें न जिज्ञासा है, न ज्ञान।

कांग्रेसने चरखा अपनाया था सही, लेकिन क्या उसने वह अपनी खुशीसे अपनाया? नहीं, वह तो चरखेको मेरे खातिर बरदाश्त करती है। समाजवादी तो उसकी हँसी उड़ाते हैं। उसके खिलाफ उन्होंने व्याख्यान भी दिये हैं, लिखा भी काफी है। उनका प्रत्यक्ष उत्तर हमारे पास नहीं है। मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊँ कि चरखे से स्वराज्य हासिल हो सकता है। इतने वर्षोंमें तो नहीं बता सका कि इस-इस प्रकारसे हमारा दावा सिद्ध हो सकता है।

अब तीसरा कदम।

अहिंसा तो कोई आकाशकी चीज नहीं है। अगर वह आकाशकी चीज है तो मेरे कामकी नहीं। मैं पृथ्वीमें से आया हूँ और उसीमें मुझे मिल भी जाना है। अगर चरखा सचमुच ही कोई चीज है तो उसका दर्शन, मेरे पैर पृथ्वीपर हैं इसी बीच करना चाहता हूँ। करोड़ों लोग जिसका पालन कर सकें ऐसी अहिंसा मुझे चाहिए। इस समाजमें कोमलता आदि गुण बसते हैं वहाँ अहिंसा न होगी तो कहाँ होगी?

हिंसावादीके घरपर जाओ तो देखोगे कि कहीं शेरका चमड़ा टँगा है तो कहीं हिरणके सींग। दीवारपर तलवार है, बंदूक है। मैं वाइसरायके घर गया हूँ, मुसोलिनी के यहाँ भी मुझे ले गये थे तो देखा कि चारों ओर शस्त्र लगे हैं। मुझे शस्त्रोंकी सलामी दी गई। क्योंकि वही उनका प्रतीक है।

उसी प्रकार हमारे लिए अहिंसाका प्रत्यक्ष दर्शन करानेवाला प्रतीक चरखा है। लेकिन हम जब वैसा ही कार्य कर बतावेंगे तब न वह सिद्ध होगा? मुसोलिनीके दरबारमें तलवार थी। वह कहती थी — अगर तुम मुझे छूओगे तो मैं काटूँगी। उसमें हिंसाका प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। वह कहती है, मुझे छूओ और मेरा प्रताप देखो। उसी प्रकार हमें चरखेका प्रताप सिद्ध करना चाहिए कि चरखेके दर्शन मात्रसे अहिंसाका दर्शन हो जाये। लेकिन आज हम कंगाल बने बैठे हैं। समाजवादियोंको क्या जवाब दें? वे कहते हैं इतने बर्षोंसे तुम लोग चरखा, चरखा रटते रहे। आपने कौन-सी सिद्धि हासिल की?

मुसलमानोंके वक्त भी चरखा चलता था। उन दिनों ढाकाकी मलमल निकलती थी। तब भी चरखा कंगालियतकी ही निशानी थी, अहिंसाकी नही। बादशाह लोग औरतोसे और नीच-से-नीच प्राणियोसे बेगार कराते थे। बादमें ईस्ट इडिया कम्पनीने भी वही किया। कौटिलीय 'अर्थशास्त्र' में भी वही बात कही गई है। तब ही से चरखा हिंसा और जोर-जबरदस्तीका प्रतीक बन रहा था। चरखा चलानेवालेको मुट्ठी-भर अनाज या दो दमड़ियाँ मिलती थी, और उसमें से प्राप्त मलमल गजो पहनने पर भी बादशाहोंकी स्त्रियाँ विवस्त्र दिखाई देती थी।

लेकिन आपको जो चरखा मैंने दिया है वह अहिंसाके प्रतीककी तौरपर दिया है। अगर यह बात मैंने इसके पूर्व आपको नही कही तो वह मेरी त्रुटि है। मै पंगु हूँ, आस्ते-आस्ते चलनेवाला हूँ। तो भी मैं मानता हूँ कि आजतक जो काम हुआ वह बेकार नही गया है।

चौथा कदम इस वक्त नही उठाना चाहता। बगैर चरखेके स्वराज्य प्राप्त नही हो सकता, यह बात हमने सिद्ध नही की है। काग्रेसवालोंको यह बात न समझा सको तबतक वह सिद्ध नही होनेवाली है। चरखा और कांग्रेस एक-दूसरेके पर्यायवाची शब्द बनने चाहिए।

अहिंसाके प्रतिपादनका काम कठिन है। जबतक हम उसकी तहमें न घुस जायें तबतक उसकी सच्चाई हमारे ध्यानमें नही आवेगी। आजतक मैंने जो-कुछ कहा सबका मैं समर्थन करता आया हूँ। जगत मेरी परीक्षा करनेवाला है। अगर मेरी इस चरखेकी बातमें वह मेरी मूर्खता सिद्ध करे, तो हर्ज नही है। जो चरखा सदियोतक कंगालियत, लाचारी, जुल्म, बेगारीका प्रतीक रहा उसे हमने आधुनिक संसारकी सबसे बड़ी अहिंसक शक्ति, संगठन तथा अर्थ-व्यवस्थाका प्रतीक बनाने का बीड़ा उठाया है। हमने उलटी बातको सुलटी बना दी है। इतिहासको बदल दिया है। और यह सब मैं आपके मार्फत करना चाहता हूँ।

अगर ये सब बातें समझकर भी यदि आप नही मानते कि चरखेमें स्वराज्य पाने की शक्ति है, तो आप मुझे छोड़ दें। इसमें आपकी परीक्षा है। श्रद्धा न होते हुए भी अगर आप मुझे धोखा देंगे तो देशका बड़ा अकल्याण करोगे। मेरे अन्तके दिनोंमें आप मुझे धोखा न दें, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है।

यदि आजतक की कार्य-प्रणालीमें दोष रहा हो तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। क्योकि यह सब जानते हुए भी मैं उसका प्रमुख रहा हूँ। लेकिन हम अब गई-गुजरी सब छोड़ दें। क्या आज हम सच्चे दिलसे मानते हैं कि चरखा अहिंसाका प्रतीक है? जो दिलकी तहसे मानते हैं कि चरखा अहिंसाका प्रतीक है, ऐसे हममें कितने हैं?

यह जो आपका तिरंगा झंडा है, वह क्या है? इतने गज चौडा, इतने गज लम्बा एक खादीका टुकडा है? इसके बदलेमें आप दूसरा भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भावना भरी पड़ी है, इसने भावना पैदा की है, इसके पीछे मरने की आपकी ख्वाहिश रही है। वह स्वराज्यका प्रतीक है, जातीय समझौतेका वह प्रतीक है। उसे हम नही भुला सकते, नही मिटा सकते। उसी प्रकार अहिंसाका प्रतीक यह चरखा है।

इस चरखेके नामपर मेरे विचारका स्रोत आप लोगोंपर बहा रहा हूँ। इसे स्वावलम्बन कहो, या जो-कुछ कहो। राष्ट्रीय संगठन और स्वावलम्बनके नामपर खुद पश्चिमी मुल्कोंमें और उन मुल्कोंकी ओरसे करोड़ोंका रक्त शोषण हो रहा है, वैसा स्वावलम्बन हमारा नहीं है। यह तो नॉन एक्सप्लॉईटेशन[1] का एक्सप्लॉईटेशन[2] से और जोर-जबरनसे मुक्ति पाने का तरीका है। मेरा मतलब शब्दोंसे नहीं है, चीजसे है। फिर भी शब्दोंमें चमत्कार भरा होता है। शब्द भावनाको देह देता है और भावना शब्दके सहारे साकार बनती है। हमारे धर्ममें साकार निराकारका झगड़ा हमेशा चलता आया है। सरकारवादी सगुण भक्तिको श्रेष्ठ मानता है। इस भावनाके अनुसार यदि अहिंसाकी उपासना करनी है तो चरखेको उसकी साकार मूर्ति — उसका प्रतीक— मानकर उसे आँखोंके सामने रखना होगा। मैं अहिंसाका दर्शन करता हूँ तब चरखे का ही दर्शन पाता हूँ। जो निराकारवादी है वह तो कहेगा कृष्ण कौन हैं? वह तो पहाड़ोंकी चोटीपर और आसमानके बादलोंपर पैर रखकर चलनेवाला है। हम पृथ्वीपर चलनेवाले हैं। हम हमारी मर्यादाको समझकर चुन लेते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज है, जो हमारे लिए साकार ईश्वरका — हमारी अमूर्त श्रद्धा और भावना का — प्रतीक हो सकती है। यदि आप इस सत्यका दर्शन कर सकते हैं तो मेरे कथन की दृढ़ताको समझ जाओगे। जाजूजी से भी इतनी दृढ़तासे मैंने आगे कभी बातें नहीं की थीं। जेराजाणी कहते हैं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। किन्तु चरखेकी मेरी उपासना के पीछे जो भावना है उसको अपने दिलोंमें स्थान दिये बिना सौ वर्षमें भी अहिंसाका दर्शन न होगा। मुझे चरखेमें अहिंसाकी शक्तिका जो दर्शन हुआ है सो आप जब मेरा-सा हृदय लेकर उसके पास जाओगे, उसे घुमाओगे तभी न होगा? इसीलिए कहता हूँ कि या तो मुझे छोड़ दो या साथ दो। अगर साथ चलना है तो आपको योजना दूँगा, सब-कुछ करूँगा। अगर अभी आप सब समझ नहीं पाये हैं तो सारा दिन आपके साथ बैठूँगा। बिना समझे कहोगे कि समझ गये, तो धोखा खाओगे और धोखा दोगे। हमने कोई शिवजीकी बरात जमा नहीं की है, हम ऐसे पामर थोड़े ही बन गये हैं जो कैसे भी रूखे-सूखे टुकड़ेके लिए पड़े रहेंगे। देशमें सेवाके काम ढेरों पड़े हैं, अनेकों मार्ग मौजूद हैं। मेरी श्रद्धा मुझे ऊँचे ले जायेगी, आपको नहीं। इसलिए धोखेमें मत रहो। मुझे अपना रास्ता काटने दो। यदि यह साबित हुआ कि मैं भी धोखेमें रहा, मेरी चरखेके विषयकी मान्यता निरी मूर्तिपूजा थी, तो या तो आप उसी चरखेकी लकड़ियोंसे मुझे जलाओगे; या तो मैं ही खुद उस चरखेको अपने हाथोंसे जलाऊँगा।

अगर चरखा संघको मिटाना है तो अपने ही हाथों उसे बन्द कर दो। इससे सारी झंझट अपने-आप मिट जायेगी, जैसे सूरजके सामने ओस। फिर जिस चरखेने हमें रौंद रखा है — फँसा रखा है वह चन्द लोगोंके हाथमें रह जायेगा, तब शायद उनके हाथों वह एक बड़ा शस्त्र भी साबित हो। अगर आप उसे मूर्खता-भरी चीज मानते हैं तो मैं एक मूर्खता संघ चलाना और हिन्दुस्तानको गिराना नहीं चाहता।

१ और २. मूलमें ये शब्द अंग्रेजीमें हैं।

अगर आप इस चरखेमें से अहिंसाका दर्शन करा सकोगे तो फिर आपका चरखा सिर्फ चलेगा नही बल्कि दौड़ने लगेगा। तब आपको उसे जिन्दा रखने की फिक्र करने की कोई आवश्यकता नही रहेगी।

आपसे मैं कहता हूँ कि या तो मेरा साथ आप छोड़ दो, या नई चीजको ग्रहण करके मेरे साथ चलो। दो वर्षकी तपश्चर्याके बाद यह नई चीज लेकर मैं आया हूँ। वह आपको दे सकूँगा या नहीं, इसका मुझे पता नही है। लेकिन देने की चेष्टा तो कर ही रहा हूँ। अब मुझे आपको साथ देना कठिन हो रहा है। अगर आपको समझा सका हूँ तो एक चीज करो। आजकी तारीखसे जो मेरे साथ रहना चाहते है वे मुझको लिख दें कि चरखेको हम अहिंसाका प्रतीक मानते है। आज आपको निर्णय करना ही है। अगर आप चरखेको अहिंसाका प्रतीक नही मानते, नही मान सकते; तथापि आप मेरा साथ देते रहेंगे तो खुद तो खतरा खाओगे ही और मुझे भी डुबो दोगे।

चरखा संघका नवसंस्करण, पृ० १३-१९

९८. पत्र : आर० के० प्रभुको

सेवाग्राम
४ सितम्बर, १९४४

प्रिय प्रभु,

श्री हॉकिन्सके साथ मुलाकातके समय तुम निश्चय ही उपस्थित रहोगे।

तुम्हारा,
बापू

श्री प्रभु
'बॉम्बे क्रॉनिकल'
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९२२८) से

९९. पत्र : शारदा गोरधनदास चोखावालाको

४ सितम्बर, १९४४

चि० बबुड़ी,

तू जरूर आना। ९ तारीखको मैं बम्बई होऊँगा। मैंने तो तेरा पत्र दोनोको पढ़वाया। मैंने सोचा कि उन्हें पसन्द आयेगा, और उन्हें पसन्द आया भी।

सबको
बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००४९) से। सौजन्य : शारदा गो० चोखावाला

१००. पत्र : अमतुस्सलामको

४ सितम्बर, १९४४

बेटी,

रेशमकी मछेरी नही चाहीये। गुड मिला। दस्तखत लेने को जब मैं बहूत काममें हूं तब जितेन बाबू[1] आये हुए है। नियम वगैराका देखा जायगा।

तू बीमार हो गई है ऐसा सुशीलाने सुनाया। अब क्या किया जाय? हठसे वहां पड़ी रहेगी तो ठीक नहीं होगा।

बापुकी दुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८४) से

१०१. पत्र : कृष्णचन्द्रको

मौनवार, ४ सितम्बर, १९४४

चि० कृ० चं०,

तुम्हारी चिट्ठी मिली। ऐसी छोटी बातमें इतना कालक्षेप क्यों? उस समय जो ध्यू[न]में आया ऐसे किया। इतना काफी होना चाहीये। तुम्हारी चिट्ठी एक प्रकारके रोगका लक्षण है। उसे निकालो।

बापूके आ०

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४४६) से

१. जितेन्द्र चक्रवर्ती, बंगाल चरखा संघके मन्त्री और कस्तूरबा सेवा मन्दिरके संयुक्त मन्त्री, जो मन्दिरके विधानपर गांधीजी की स्वीकृति लेने आये थे।

१०२. पुर्जा : मुन्नालाल गंगादास शाहको

[४ सितम्बर, १९४४ या उसके पश्चात्][1]

मैंने छगनलालके नाम पत्र लिखा है, उसे पढ़ना और उसपर विचार करनेके बाद जो उचित लगे सो करना। आभाका[2] नाम अभी शामिल न करो, तो कोई हर्ज नही। मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८४७०) से। सी० डब्ल्यू० ७१७७ से भी; सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

१०३. तार : नारणदास गांधीको

वर्धागंज
५ सितम्बर, १९४४

नारणदास गांधी
राजकोट

जानकीदेवी बजाज हमारे समारोहकी[3] अध्यक्षता करेंगी। पत्र लिख रहा हूँ।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६११ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

१. गांधीजीने इसे मुन्नालाल गं० शाहसे प्राप्त ४ सितम्बर, १९४४ के पत्रके नीचे लिखा था।
२. अमृतलाल चटर्जीकी पुत्री
३. "रेंटिया बारस दिवस" पर; देखिए "पत्र : नारणदास गांधीको", पृ० ८९ और १०२-३।

१०४. पत्र : प्रभाशंकर हरखचन्द पारेखको

५ सितम्बर, १९४४

भाई प्रभाशंकर,

मुझे आपका पोस्टकार्ड मिला। इस बातका ध्यान रखना कि चम्पाको[1] जीतने का भार आपपर है। यह कैसे हो सकता है, सो तो आप ही जानें।

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्

श्री प्रभाशंकरभाई
डेरा शेरी
राजकोट[2]

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२०) से

१०५. पत्र : मुन्नालाल गंगादास शाहको

[५ सितम्बर, १९४४ या उसके पश्चात्][3]

तुम्हारा पत्र हमेशाकी तरह खरा है। मैं जो प्रयोग करता हूँ, यदि साथियोंसे पूछकर करूँ तो यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने ईश्वरसे पूछकर किया है। और फिर नई जमीनको जोतते समय मैं किससे साथ देने की अपेक्षा कर सकता हूँ? मैंने जितने भी महान प्रयोग किये हैं वे सारे-के-सारे मैंने अकेले ही किये हैं और बादमें अनेक लोग आ मिले। मैं जानता हूँ कि मेरा यह प्रयोग बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके परिणाम भी महान हो सकते हैं। यह प्रयोग मेरे मनसे तभी निकलेगा जब मैं इसमें कोई अनिष्ट देखूँगा। तुम सब मेरी बुद्धिपर आघात कर सकते हो। हृदय पर एक ही तरहसे आघात किया जा सकता है — मेरा त्याग करके। तुमने जो विचार व्यक्त किये हैं, यदि वे ठीक हैं तो मेरा त्याग करना और मेरा भण्डाफोड़ करना तुम्हारा धर्म है। तुमने शास्त्रोंका जो उदाहरण दिया है वह दोषपूर्ण है। तुम किसीके बारेमें जल्दी ही कोई धारणा बना लेते हो और उतनी ही जल्दी बदल भी देते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम जो भी करो, सोच-समझकर करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८४६९) से। सी० डब्ल्यू० ७१७६ से भी, सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

१. प्रभाशंकर पारेखकी पुत्री चम्पा रतिलाल मेहता
२. पता देवनागरीमें लिखा है।
३. यह मुन्नालाल गं० शाहके ५ सितम्बर, १९४४ के पत्रके नीचे लिखा गया है।

१०६. पत्र : बालकृष्ण भावेको

[५ सितम्बर, १९४४ या उसके पश्चात्][1]

यह सब बहुत स्पष्ट ढंगसे लिखा गया है। मेरे प्रयोगको पूरी तरहसे समझा ही नहीं गया है। तुमने जो वक्तव्य[2] लिखा है, मेरा सारा व्यवहार उसके विपरीत दिखाई देता है, यह बात विचारणीय है। लेकिन यह चर्चा . . .।[3]

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ८११) से। सौजन्य : बालकृष्ण भावे

१०७. पत्र : नारणदास गांधीको

सेवाग्राम
६ सितम्बर, १९४४

चि० नारणदास,

मैंने तुम्हें कल तार दिया है कि जानकीबहन 'रेंटिया बारस' के दिन वहाँ पहुँचेंगी। उनके साथ कोई-न-कोई जरूर होगा।

थैलीके बारेमें जैसा मैंने लिखा[4] है वैसा ही करना। फिर भी मुझसे जो बन सकेगा मैं करूँगा। बाकी तो कनैयो लिखेगा।

बहुत सम्भव है कि मैं ९ तारीखको बम्बईमें होऊँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुमने ६०वें वर्षमें प्रवेश किया है न? हम सबको सौ वर्षतक जीवित रहने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। तुम्हें अभी बहुत काम करना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६१२ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

१. यह बालकृष्ण भावेके ५ सितम्बर, १९४४ के पत्रके नीचे लिखा हुआ है।

२. गांधीजी ने १९३८ में एक निजी वक्तव्य इस बारेमें जारी किया था कि वे स्त्रियोंसे ऐसी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें शारीरिक स्पर्श होता हो। यहाँ जिक्र उसी वक्तव्यका है। देखिए खण्ड ६७, पृ० ११९।

३. साधन-सूत्रमें यह पत्र अधूरा है।

४. देखिए पृ० ६५।

१०८. पत्र : विजयलक्ष्मी पण्डितको

सेवाग्राम
६ सितम्बर, १९४४

चि० सरूप,

तेरा नाम मैं कस्तूरबा निधिके ट्रस्टीयोंमें रखना चाहता हूं। लेकिन मैं तभी रखुं जब तूं उसे समय दे सकती है और ट्रस्टीकी सभामें हाजर हो सके और ट्रस्टका जो उद्देश्य है कि सिर्फ हिन्दुस्तानके देहातोंमें स्त्री और लड़के लड़कियोंके लिए खर्च होगा उसमें पूर्णतया सहमत है। मुझे तारसे खबर देना। ता० ९, १० को मैं मुबइ हूंगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१०९. बातचीत : छात्र-प्रतिनिधिमण्डलके साथ[1]

६ सितम्बर, १९४४

हरिप्रसन्न मिश्र : हमें आपका श्री जिन्नासे मिलने जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके द्वारा ठगे जा सकते हैं और इससे जिन्ना साहब आपसे नाजायज फायदा उठा सकते हैं और हमारा नुक़सान हो सकता है।[2]

गांधीजी : आप निश्चिन्त रहें, मैं किसीके भी हितकी अवहेलना नहीं करूँगा और न कोई ऐसा समझौता करूँगा जिससे किसीके हितको नुकसान पहुँचता हो।

बंगालके छात्रोंसे, जिन्होंने महात्मा गांधीसे यह अनुरोध किया था कि वे कोई समझौता न करें, महात्मा गांधीने पूछा :

क्या मैंने हिन्दुओंका कोई हित नहीं किया है?

हरिप्रसन्न मिश्रने महात्मा गांधीसे पूछा कि साम्प्रदायिक निर्णयके फलस्वरूप बंगालमें जो-कुछ हो रहा है, उसके लिए वे अपनेको जिम्मेदार मानते हैं या नहीं। इसपर गांधीजी ने उत्तर दिया :

इसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ?

बंगालके छात्रोंने गांधीजी से अनुरोध किया कि वे साम्प्रदायिक प्रश्नको सभा और लीगपर छोड़ दें।[3]

१. छात्रोंने अ० भा० हिन्दू छात्र संघके महासचिव हरिप्रसन्न मिश्रके नेतृत्वमें सेवाग्राममें गांधीजी की कुटियाके बाहर धरना दिया था।

२ और ३. ये दो वाक्य हितवाद से उद्धृत किये गये हैं।

महात्मा गांधीने छात्रोंको आश्वासन दिया कि वे बंगालके लोगोंसे सलाह किये बिना कुछ नहीं करेंगे। इन आश्वासनोंके बावजूद, छात्रोंने गांधीजी को बताया कि उनका इरादा धरना जारी रखने का है। गांधीजी ने उत्तर दिया :

यदि आप लोग इस तरह मुझे जाने से रोकेंगे, तो मुझे श्री जिन्नाको तार देना पड़ेगा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए मुलाकात स्थगित कर दी जाये।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ९-९-१९४४, और हितवाद, ८-९-१९४४

११०. पत्र : मास्टरजी महाराजको

सेवाग्राम, वर्धा
७ सितम्बर, १९४४

मास्टरजी महाराज,[1]

कस्तुरबा स्मारक निधिके लिये आपने जो चेक भेजा है उस लिये आपको धन्यवाद। कोई रोज आपके दर्शनकी आशा रखता हूं।

आपका,
मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २१६७) से

१११. पत्र : बगारजीको

७ सितम्बर, १९४४

भाई बगारजी,

इसके साथ मास्तरजी महाराजके लिये खत[2] और चेककी स्वीकृति भेजता हूं। आपकी ही दी हुई पेनसे यह लिखा है।

आपका,
मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २१६२) से

१. हिन्दुओंके राधास्वामी सम्प्रदायके एक गुरु
२. देखिए पिछला शीर्षक।

११२. एक परिपत्र

सेवाग्राम
८ सितम्बर, १९४४

भाई,

श्री देशपांडेजी ने मुझको परसों यानी ६ तारीखकी रातको सुनाया कि जाजूजी सन्त पुरुष हैं लेकिन उनमें एडमिनिस्ट्रेटीव यानी कारोबारी शक्ति नही है इसलिये ये मन्त्रीपदके लायक नही हैं। साधु समाजमें वे श्रेष्ठ पद सुशोभित कर सकते है। अपने कर्तव्यके समर्थनमें उन्होंने कहा कि चर्खा संघके जीतने प्रान्तीय मन्त्री या एजेंट यहांसे लौटे हैं सबके सब निराश होकर और मजबूर होकर गये है इसलिये मुझे डर है कि चर्खा संघ अपने ही बोझके नीचे दबकर मर जानेवाला है। यदि यह बात सही है तो चर्खा संघके प्रधानकी हैसियतसे मुझे दुबारा विचार करना होगा क्योंकि मेरा अनुभव देशपांडेजी के मन्तव्यसे बिलकुल विरुद्ध है। मेरा अनुभव मुझे कहता है कि सच्ची साधुता के साथ कार्यदक्षता होनी ही चाहिए और जाजूजी उस सत्यकी जीवीत मूर्ति है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि जाजूजी की कारोबारी शक्तिके बारेमें तहकीकात करनी चाहिये। जाजूजी से मैंने बात कर ली है और वे भी इससे सम्मत हैं। यदि आप लोगोंने निराश होकर मुझको खुश रखने के लिए जाजूजी का मन्त्री पद स्वीकार किया है तो आपने चर्खा संघकी सच्ची वफादारी नही की है, और यदि देशपांडेजी की भविष्यवाणी सिद्ध होगी और चर्खा संघ मर जायगा, तो उसका कारण मेरे अभिप्रायमें जाजूजी नहीं होंगे लेकिन आप लोगोंकी दुर्बलता होगी। क्योंकि कोई भी शक्तिशाली मन्त्री अपने नीचेके पदाधिकारियोंके हार्दिक सहयोग के बिना सफलता प्राप्त कैसे करता है? चर्खा संघके पास किसीको मजबूर करने का बल नहीं है। जो बल है वह चर्खा संघके सब पदाधिकारियोंका हार्दिक सहयोग अर्थात् एक दूसरेके प्रति प्रेम है। यह नहीं है तो कुछ नही है। इसलिए आप अपना सही अभिप्राय मुझको लिखें कि क्या जाजूजी मन्त्री पदके लायक नही हैं? क्या जाजूजी में कारोवारी शक्ति नहीं है? क्या आपने अनिच्छासे ही उनके पदका स्वीकार किया है? आपका उत्तर यदि देशपांडेजी के कथनके समर्थनमें है तो आप कृपा करके मुझको विशेष आक्षेप तथा उदाहरणके साथ लिखें जिससे मै अपना कर्त्तव्य निश्चित कर सकूं।

कृपा करके उत्तर शीघ्र भेजें।

आपका,

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

११३. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

वम्बई जाते हुए रास्तेमें
८ सितम्बर, १९४४

प्रिय सर तेज,

आपका पत्र मिला। मैं उम्मीद लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अपेक्षाके साथ नही। इसलिए यदि मैं खाली हाथ लौटता हूँ तो उससे मुझे निराशा नही होगी। उम्मीद है, आप अपने रोगीके स्वास्थ्यमें ठोस सुधार पायेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स; सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता। जी० एन० ७५७५ भी

११४. पत्र : रंगूनके बिशपको

बम्बई जाते हुए रास्तेमें
९ सितम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

मुझे आपकी शुभकामनाओंवाला आपका कृपापत्र मिला। मैं तो ईश्वरके हाथो में हूँ। मेरी समझसे मैं आपका मतलब समझ गया हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

राइट रेवरेंड रंगूनके बिशप
होटल सेसिल
दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

११५. बातचीत : मुहम्मद अली जिन्नाके साथ[1]

बम्बई
९ सितम्बर, १९४४

यह मेरे धैर्यकी परीक्षा थी। . . . मुझे अपने धीरजपर खुद हैरानी होती है। तथापि बातचीत मैत्रीपूर्ण थी।

तुम्हारे (राजाजी के) फार्मूलेके प्रति और तुम्हारे प्रति उनके (जिन्नाके) मनमें जो तिरस्कार-भाव है उसे देखकर मैं भौंचक्का रह गया। लेकिन तुम उनके साथ इतनी देरतक बातचीत कर सके और तुमने वह फार्मूला तैयार करने का कष्ट उठाया, इससे तुम मेरी नजरोंमें और भी ऊँचे उठ गये हो।

उनका कहना है कि तुमने उनकी माँग स्वीकार कर ली है, इसलिए मुझे भी उसे मान लेना चाहिए। मैंने कहा, "मैं राजाजी के फार्मूलेका अनुमोदन करता हूँ और यदि आप चाहें तो उसे पाकिस्तान कह सकते हैं।" उन्होंने लाहौर प्रस्तावका[2] जिक्र किया। मैंने कहा, "मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है और मैं उसके बारेमें बातचीत नही करना चाहता। आइए, हम राजाजी के फार्मूलेके बारेमें बातचीत करें और यदि आपको उसमें कोई दोष दिखाई दें तो आप मुझे बता सकते हैं।"

बातचीतके दौरान वे पुराना राग अलापने लगे: "मै तो समझा था कि आप एक हिन्दूके रूपमें, हिन्दू कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें यहाँ आये हैं।" मैंने कहा, "नहीं, मैं यहाँ न तो एक हिन्दूके रूपमें आया हूँ और न ही कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें आया हूँ। मैं यहाँ एक व्यक्तिके रूपमें आया हूँ। आप मुझसे एक व्यक्तिके रूपमें अथवा लीगके अध्यक्षके रूपमें, आपको जो भी पसन्द हो, बातचीत कर सकते हैं। यदि आप राजाजी से सहमत होते और उनके फार्मूलेको स्वीकार कर लेते, तो आप और वे अपने-अपने संगठनोंके सम्मुख जाते और उनसे फार्मूलेको स्वीकार करने के लिए कहते। यही कारण है कि राजाजी आपके पास आये थे। उसके बाद आप उसी ढंगसे उसे अन्य दलोंके सम्मुख रख सकते थे। अब यह काम आपको और मुझे करना है।" उन्होंने कहा कि वे लीगके अध्यक्ष हैं। और यदि वहाँ मैं अपने अतिरिक्त किसी औरका प्रतिनिधित्व नही कर रहा तो फिर बातचीतका आधार ही क्या है? समझौतेको कार्यान्वित कौन करेगा? उन्होंने कहा कि १९३९ में उन्होंने जैसा मुझे देखा था मैं आज भी वैसा ही हूँ। मुझमें कोई परिवर्तन नही आया है। मेरी इच्छा हुई कि मैं कहूँ, "हाँ, मै अभी भी वैसा ही हूँ और चूँकि आप समझते

१. मुलाकात सवा तीन घन्टेतक चली थी। बादमें गांधीजी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको बातचीत की रिपोर्ट दी थी।

२. २३ मार्च, १९४० का; देखिए खण्ड ७१, परिशिष्ट ८।

है कि मेरे साथ बातचीत करना बेकार है, अतः मै चला जाऊँगा।" लेकिन मैंने अपने-आपको रोका। मैंने उनसे कहा, "क्या एक व्यक्तिका मत बदलना आपके लिए महत्त्वपूर्ण नही होगा? निःसन्देह, मै वही पुराना व्यक्ति हूँ। यदि आप मेरे विचारोको बदल सकते हों तो आप बदलिए, और तब मै आपका पूरे हृदयसे समर्थन करूँगा।" उन्होंने कहा, "हाँ, मैं जानता हूँ कि यदि मै आपका हृदय-परिवर्तन कर सकूँ तो आप मेरे अली[1] होंगे।"[2]

उन्होंने कहा कि मै उनकी पाकिस्तानकी माँगको स्वीकार कर लूँ तो वे मेरी हर बात मानेंगे। वे जेल जायेंगे, यहाँतक कि गोलियोंकी बौछार सहेंगे। मैंने कहा, "मैं आपके साथ गोलियोंकी बौछार सहूँगा।" उन्होने कहा, "शायद आप ऐसा न करें।" मैंने कहा, "आप मुझे आजमाकर देखें।"

हम फिर फार्मूलेपर लौट आये। वे अभी पाकिस्तान चाहते है, स्वाधीनताके बाद नही। उन्होंने कहा, "स्वाधीनता पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके लिए होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि "हम दोनोके बीच कोई समझौता हो जाना चाहिए, और तब हमें सरकारके पास जाना चाहिए। उससे उसे स्वीकार करने को कहना चाहिए, हमारा हल मानने के लिए उसे विवश करना चाहिए।" मैने कहा कि मै इसमें कभी भागीदार नही होऊँगा। मै अंग्रेजोसे भारतका विभाजन करने की बात कभी नही कह सकता। मैंने कहा, "यदि आप सब लोग अलग होना चाहते है तो मै आपको रोक नही सकता। मेरे पास आपको मजबूर करने की शक्ति नही है और अगर होती तो भी मै उसका इस्तेमाल नही करता।" उन्होने कहा, "मुसलमान पाकिस्तान चाहते है। लीग मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करती है और वह विभाजन चाहती है।" मैंने कहा, "मै यह मानता हूँ कि मुस्लिम लीग मुसलमानोंका सबसे अधिक शक्तिशाली संगठन है। मै यह भी मान सकता हूँ कि मुस्लिम लीगके अध्यक्ष होने के नाते आप भारतके मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करते है, लेकिन इसका मतलब यह नही कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चाहते है। आप उस क्षेत्रके सभी लोगोसे मतदान करवा लें और तब देखें।" उन्होने कहा, "आप गैर-मुसलमानोंसे क्यो पूछना चाहते हैं?" मैंने कहा, "आप जनताके एक हिस्सेको वोट देने के अधिकारसे वंचित नहीं कर सकते। आपको उन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। और यदि आप बहुमतमें है तो आपको भय किस बातका है?" किरण शकर रायने मुझसे जो कहा था वह मैंने उन्हे बताया: "जो नही होना चाहिए यदि वह हो ही गया तो हम बंगालके सभी लोग पाकिस्तानमें चले जायेंगे, लेकिन भगवानके लिए बंगालका विभाजन न करें। उसका अंगच्छेद न करे।"

मैंने आगे कहा, "यदि आप लोग बहुमतमें है तो आपको अपनी मनपसन्द चीज जरूर मिलेगी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए यह एक बुरी चीज है, लेकिन

१. पैगम्बरके दामाद और चचेरे भाई, जो पैगम्बरका सन्देश ग्रहण करनेवालोंमें अग्रणी थे।

२. साधन-सूत्रके अनुसार गांधीजी ने बादमें कहा: "यह मेरे लिए एक रहस्योद्घाटन था। मैं पाकिस्तानके पैगम्बरसे मिल रहा था जिसे अपने अलीकी तलाश थी।"

यदि आप फिर भी उसे चाहते ही है तो यह आपको मिलेगी। लेकिन यह बात तो आपके और मेरे बीच तय होगी। यह तबतक नहीं हो सकती जबतक अंग्रेज यहाँ हैं।"

उन्होंने फार्मूलेकी विभिन्न धाराओंको लेकर मुझसे जिरह करनी शुरू की। मैंने उनसे कहा, "यदि आप उन चीजोंका स्पष्टीकरण चाहते है, तो क्या यह बेहतर नही होगा कि आप उसके रचयितासे ही स्पष्टीकरण माँगें?" "अरे नही!" वे ऐसा नहीं चाहते थे? मैंने कहा, "आपके मुझसे जिरह करने से क्या फायदा है?"

वे सँभले, "अरे नहीं। मै आपसे जिरह नहीं कर रहा हूँ।" और आगे कहने लगे, "मैं सारी जिन्दगी वकील रहा हूँ, इसलिए मेरे ढंगसे आपको लगा होगा कि मैं आपसे जिरह कर रहा हूँ।" मैंने उनसे कहा कि फार्मूलेके विरुद्ध उन्हें जो आपत्तियाँ है, वे लिखकर दें। वे इसके लिए इच्छुक नही थे। उन्होंने पूछा, "क्या ऐसा करना जरूरी है?" मैंने कहा, "हाँ, मैं चाहूँगा कि आप लिखकर दें।" इसपर वे मान गये।

अन्तमें उन्होंने कहा, "मैं आपके साथ कोई-न-कोई समझौता करना चाहता हूँ।" मैंने उत्तर दिया, "आप याद कीजिए मैंने कहा था हमें तबतक मुलाकात जारी रखनी चाहिए जबतक कि हम किसी समझौतेपर न पहुँच जायें।" उन्होंने कहा, "हाँ, मैं इसपर सहमत हूँ।" मैंने उनसे पूछा कि "क्या इस बातको भी हमें अपने वक्तव्यमें[1] कहना चाहिए?" उन्होंने उत्तरमें कहा, "नही कहें तो बेहतर होगा। तथापि हम दोनोंके दिलोंमें यह बात रहेगी और बातचीतमें जो सौहार्द और मैत्रीकी भावना है वह हमारे सार्वजनिक बयानोंमें भी झलकेगी।"[2]

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी – द लास्ट फेज, जिल्द १, भाग १, पृ० ८४-८६

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको बातचीतकी यह रिपोर्ट देने के बाद गांधीजी और उनके बीच निम्नलिखित बातचीत हुई :

राजाजी : क्या आप समझते हैं कि वे समझौता चाहते हैं?

गांधीजी : मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। मेरा खयाल है कि शायद वे ऐसा चाहते हैं।

राजाजी : तब तो आप बातचीतको सफलतातक ले जायेंगे।

गांधीजी : हाँ, . . . यदि मेरे मुँहसे सही शब्द निकलते रहे तो।

११६. भेंट : समाचारपत्रोंको[1]

९ सितम्बर, १९४४

"हमारे बीच खुलकर मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई और सोमवारको साढ़े पाँच बजे हम अपनी बातचीत फिर आरम्भ करेंगे। कल रमजानका[2] २१वाँ दिन है, इसलिए सभी मुसलमान रमजान मनायेंगे। अतः मैंने श्री गांधीसे अनुरोध किया है कि रमजान के २१वें दिन वे मुलाकात न रखकर मुझपर अनुग्रह करें।" इसपर गांधीजी बीचमें बोल उठे :

अनुग्रह नहीं; मैं तो समर्पणको तैयार हूँ।

[अंग्रेजीसे]
महात्मा, जिल्द ६, पृ० ३४१

११७. पत्र : लॉर्ड वैवेलको

कैम्प "बिड़ला भवन"
बम्बई
१० सितम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

मैंने आपको १७ जुलाई, १९४४को पत्र[3] लिखा था, जिसमें आपसे अनुरोध किया गया था कि आप प्रधान मन्त्रीको लिखा उसी तारीखका मेरा पत्र[4] उन्हें भेज दें। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने वह पत्र प्रधान मन्त्रीको भेज दिया है या

१. पहले दिनकी बातचीत समाप्त होने पर मु० अ० जिन्नाने गांधीजी और अपनी ओरसे यह वक्तव्य लिखवाया था। इसके पूर्व एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वे जिन्नासे कुछ लाये हैं, गांधीजी ने कहा था: "सिर्फ फूल।"

२. हिजरी सम्वत्का नौवाँ महीना, जब कि मुसलमान दिनके समय उपवास रखते हैं।

३ और ४. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४१७-१८।

नहीं? मै यह इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अभीतक अपने पत्रकी प्राप्तिकी सूचना नही मिली है।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

महामान्य वाइसराय
वाइसराय हाउस
नई दिल्ली

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० १०५००) से। सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लन्दन

११८. पत्र: वान्दा दीनोवस्काको

बम्बई
१० सितम्बर, १९४४

प्रिय उमा,[2]

पोलैण्ड आज जिस संकटसे गुजर रहा है उसके सम्बन्धमें मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि यूरोपके किसी भी छोटे राष्ट्रको मित्र-राष्ट्रोंके कथनोंके बावजूद उनसे किसी वास्तविक सहायताकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मैंने हल सुझाया था, लेकिन उसे तुरन्त अस्वीकार कर दिया गया। हमें भगवानपर भरोसा रखना चाहिए।

सस्नेह,

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२०६) से। सी० डब्ल्यू० ५१०१ से भी; सौजन्य: वान्दा दीनोवस्का

१. इसपर वेवेलकी टिप्पणी है: "... प्रधान मन्त्रीके नाम गांधीका एक निहायत मूर्खतापूर्ण पत्र मिला। यह कुछ समय पूर्व लिखा गया था। उन्होंने एक तरह हमपर इस पत्रको दबा देने का आरोप लगाया है (सम्भव है उनके सचिव या अनुयायियोंने वह भेजा ही न हो...)। मेरे विचारमें यह दिखाता है कि गांधीकी बौद्धिक शक्तिका ह्रास हो चुका है...।" (वाइसरायज जर्नल, पृ० ९०-९१)।

२. एक पोलिश महिला, जिन्होंने अपना यह भारतीय नाम रख लिया था

११९. तार : नारणदास गांधीको

बम्बई
११ सितम्बर, १९४४

नारणदास गांधी
राष्ट्रीय शाला
राजकोट

कमलनयन जानकी देवी[का] सन्देश[1] लेकर आ रहा है। उसे तीन दिनसे ज्यादा नही रखना।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६१४ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

१२०. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

११ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

मुझे आपका पत्र[2] कल शाम साढ़े तीन बजे मिला। उस समय मैं कार्य-व्यस्त था। मौका मिलते ही मैं आपकी बातोंका उत्तर जल्दीसे-जल्दी दे रहा हूँ।

मैं अपने पत्रमें आपको यह बता चुका हूँ कि मैं आपके पास व्यक्तिगत रूपसे आया हूँ। राजाजी के फार्मूलेमें इसका संकेत है और मै यह सार्वजनिक रूपसे कह भी चुका हूँ। मेरे जीवनका उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता रहा है। मैं एकताकी खातिर एकता चाहता हूँ, लेकिन यह विदेशी शक्तिको बाहर किये बिना प्राप्त नही हो सकेगी। अतः आत्म-निर्णयके अधिकारके प्रयोगकी प्रथम शर्त यह है कि भारतके सभी दल व समुदाय संयुक्त कार्रवाई करके स्वतन्त्रता प्राप्त करें। यदि दुर्भाग्यवश ऐसी संयुक्त कार्रवाई असम्भव हो, तो मैं केवल उन लोगोंकी सहायतासे लड़ूंगा जिन्हें एक जगह लाया जा सकता है। इसलिए, मुझे प्रसन्नता है कि जब मैंने प्रतिनिधिकी हैसियत ग्रहण या स्वीकार करने से इनकार कर दिया, आपने तब भी वार्त्तालाप भंग नही किया।

१. देखिए पृ० ८७, ८९ और १०२-३ भी।
२. १० सितम्बरका; देखिए परिशिष्ट ३।

अवश्य ही मैं इस बातसे बँधा हुआ हूँ कि मैं आपके साथ हुए अपने समझौतेपर कांग्रेसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने प्रभावको पूरी तरहसे काममें लाऊँगा। क्या मैं आपको यह स्मरण करा सकता हूँ कि राजाजी का फार्मूला पहले आपकी स्वीकृति प्राप्त करने और फिर मुस्लिम लीगके आगे रखे जाने के खयालसे बनाया गया था?

यह सत्य है कि मैंने यह कहा था कि मेरे और आपके दृष्टिकोणोंमें जमीन-आसमानका अन्तर है। लेकिन इसका लीगके लाहौर-प्रस्तावसे कोई सम्बन्ध नहीं था। लाहौर-प्रस्ताव अनिश्चित है। राजाजी ने उसका सारांश ले लिया है और उसे एक रूप दे दिया है।

अब मैं आपके द्वारा उठाये गये प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ:

(१) इसका उत्तर मैं ऊपर दे चुका हूँ।

(२) संविधानकी रचना [राजाजीवाले] फार्मूलेमें बताई गई अस्थायी सरकार द्वारा की जायेगी या ब्रिटिश सत्ताके हटने के बाद उसके [अस्थायी सरकारके] द्वारा इसी कार्यके लिए स्थापित किसी विशेष प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। स्वतन्त्रताका अर्थ सम्पूर्ण वर्तमान भारतकी स्वतन्त्रता है।

अस्थायी अन्तरिम सरकार बनाने का आधार लीग व कांग्रेस द्वारा मिलकर निश्चित किया जायेगा।

(३) कमीशनकी नियुक्ति अस्थायी सरकार द्वारा की जायेगी। "पूर्ण बहुमत" का अर्थ गैर-मुस्लिम लोगोंकी तुलनामें स्पष्ट बहुमत है, जैसा कि सिन्ध, बलूचिस्तान व सीमा प्रान्तमें है। जनमत-संग्रह व मताधिकारके स्वरूपका विषय ऐसा है जिसपर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(४) "सब दलोंका" अर्थ समस्त सम्बन्धित दलोंसे है।

(५) "आपसी समझौते" का अर्थ समझौता करनेवाले पक्षोंका समझौता है। "प्रतिरक्षा आदिके लिए संरक्षण" का अभिप्राय मैं एक केन्द्रीय या संयुक्त नियन्त्रण बोर्ड समझता हूँ। संरक्षणका अर्थ यह है कि सामान्य हितोंकी उन सभी लोगोंसे रक्षा की जाये जो उनके लिए खतरा पैदा करते हों।

(६) सत्ता देशको — अर्थात् अस्थायी सरकारको — हस्तान्तरित की जानी है। फार्मूलेकी अपेक्षा यह है कि ब्रिटिश सरकार शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरित कर दे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह पसन्द करूँगा कि सत्ता जितनी भी जल्दी हो सके, हस्तान्तरित कर दी जाये।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१. जिन्नाके जवाबके लिए देखिए परिशिष्ट ४।

१२१. भाषण : प्रार्थना-सभामें

११ सितम्बर, १९४४

११ सितम्बरको बम्बईमें प्रार्थनाके बाद हिन्दुस्तानीमें[1] बोलते हुए गांधीजी ने हमेशाकी तरह हरिजन-कोषके लिए चन्दा देनेकी अपील की। पिछली शामको सभामें उपस्थित भीड़ने जिस अत्युत्साहका परिचय दिया था, उसकी चर्चा करते हुए गांधीजी ने कहा कि वर्षोंके प्रशिक्षणके बावजूद इस प्रकारका अत्युत्साहपूर्ण प्रेम-प्रदर्शन बम्बईके नामपर धब्बा लगाता है। यह एक बुरा लक्षण है। यदि ठीक मौकेपर सावधानी न बरती गई होती तो मुझे और मेरे साथकी कुछ बहनोंको चोट आ गई होती। श्री शान्तिकुमारको[2] भी चोट पहुँच सकती थी। यही नहीं, जो गड़बड़ी फैली, उसके परिणामस्वरूप श्री शान्तिकुमारके हाथमें हरिजन-कोषकी जो थैली थी वह भी गुम हो जा सकती थी। गांधीजी ने कहा, आप लोग जानते हैं कि हरिजनोंकी एक-एक पाईको मैं कितना सहेजकर रखता हूँ। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पिछले दिनकी घटनाको फिर कभी नहीं दोहरायें। स्वयंसेवकोंको मेरे चारों ओर घेरा क्यों बनाना पड़े? मैं कोई रक्षक नहीं चाहता। मेरा रक्षक तो केवल ईश्वर है। मैं हरिका ही काम कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जबतक ईश्वरको मेरी सेवाओंकी जरूरत होगी तबतक वह मेरी रक्षा करेगा।

श्री जिन्नाके साथ अपनी भेंटका जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा कि मैं जानता हूँ, आप लोग वार्त्तालापकी प्रगतिके बारेमें जानने के लिए कितने उत्सुक होंगे। आपकी यह उत्सुकता स्वाभाविक है और मैं उसको यथासम्भव सन्तुष्ट करनेकी कोशिश करूँगा, किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि इससे उस उद्देश्यमें कोई बाधा न पहुँचे जो हम सबको समान रूपसे प्रिय है।

इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शनिवार (९ सितम्बर)को, और फिर आज (सोमवारको) हम पुराने मित्रोंकी भाँति मिले। हम कल भी दिनमें साढ़े १० बजेसे १ बजेतक और शामको साढ़े ५ से ७ बजेतक मिलेंगे। इसके बाद हमें कोई दूसरा काम करने और बातचीतका सार पचानेके लिए कुछ थोड़ा-सा समय मिल पायेगा। हम अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि हमारे सिरपर कितनी भारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि करोड़ों लोग वार्त्तालापकी ओर दृष्टि लगाये हुए हैं, और चाहते हैं कि ऐसा समझौता हो जो किसी भी दल अथवा जातिके हितोंकी ही नहीं, बल्कि समूचे भारतके हितोंकी सेवा करे। गांधीजी ने कहा:

१. हिन्दुस्तानी पाठ उपलब्ध नहीं है।
२. शान्तिकुमार न० मोरारजी

हमारा ध्येय सारे भारतके लिए स्वाधीनता प्राप्त करना है। उसीके लिए हम प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन उत्सर्ग कर देनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जिन्ना साहब और मेरे बीचमें केवल परमात्मा ही गवाह है। इन दिनों मेरी यह सतत प्रार्थना रही है कि परमात्मा मेरी वाणीका इस प्रकार नियमन करे कि मेरे मुखसे एक भी ऐसा शब्द न निकले जिससे जिन्ना साहबकी भावनाको चोट पहुँचे अथवा उस कार्यको धक्का लगे जो हम दोनोंको प्रिय है। मुझे यकीन है कि जिन्ना साहबके बारेमें भी यही बात है। उन्होंने मुझसे आज कहा, "यदि हम समझौता किये बिना ही अलग हो गये, तो यह हमारी बुद्धिके दिवालियेपनकी घोषणा होगी।" इससे भी बड़ी बात यह है कि करोड़ों देशवासियोंकी आशाएँ चकनाचूर हो जायेंगी। आज दुनियाके तमाम पीड़ितोंकी आँखें हमपर जमी हुई हैं। अतः हमें अपनी जिम्मेदारीका पूरा अहसास है और हम समझौतेपर पहुँचनेकी पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। किन्तु हम महसूस करते हैं कि अन्ततः परिणाम तो परमात्माके हाथमें है। इसलिए आप सब प्रार्थना करें कि वह हमारा पथ-प्रदर्शन करे और भारतकी सेवा करने के लिए हमें सद्बुद्धि प्रदान करे।

महात्मा गांधीने इस बातका आश्वासन दिया कि वे किसी भी व्यक्ति या जातिके हितोंका बलिदान नहीं करेंगे।[1]

अन्तमें महात्मा गांधीने समाचारपत्रोंसे अपील की कि वे अपनी कल्पनाशक्ति पर अंकुश रखें और दिमागी घोड़े न दौड़ायें। न तो मैं और न जिन्ना साहब ही किसीसे कुछ कहेंगे, अतः बात फूट नहीं सकेगी।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-जिन्ना टॉक्स, पृ० ३८-३९, और **हिन्दू**, १३-९-१९४४

१२२. पत्र : नारणदास गांधीको

बम्बई

१०/१२ सितम्बर, १९४४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला है। तुमने जो लिखा है वह मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा सुझाव मुझे पसन्द है। जो रकम अभी कहीं नहीं लगाई है वह काठियावाड़ खादी मण्डलको उधार दे देना। नये मण्डलकी रचना होने पर भले वह आप प्रबन्ध करे। नये मण्डलके बारेमें सुझाव लिखना। वहाँ मित्रोंके साथ परामर्श करना।

जानकीबहन नहीं जा सकती। उनका सन्देश लेकर चि० कमलनयन आ रहा है। उसे दो-एक दिनसे ज्यादा न रोकना। वह बहुत कार्योंको अधूरा छोड़कर आ रहा है। आशा है कि तुम्हारा कार्य सफल होगा। यदि इस बार वहाँ पहले जैसी

१. यह अनुच्छेद **हिन्दू** से लिया गया है।

सफलता नहीं मिलती, तो समझना तुम्हारे ही उपक्रमने देशव्यापी रूप ग्रहण कर लिया है। इसलिए यदि तुम्हारा मूल झरना छोटा दिखाई दे, तो यह बात तुम्हे बुरी नही लगनी चाहिए। राष्ट्रीय कोषका सदुपयोग होगा अथवा नही, यह देखने के लिए मै जीवित रहूँगा या नही, अथवा मेरे पीछेवाले लोग इसे निभा सकेंगे या नही, यह तो ईश्वरके हाथमें है। हमारे लिए तो एक कदम ही काफी है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

१२ सितम्बर, १९४४

अधिक विचार करने पर मुझे लगता है कि हमारा सच्चा धन सोना, चाँदी अथवा ताँवा नही है, वल्कि सूत है। उसमें अभी तो हमारे साथ स्पर्धा करनेवाला कोई नही है। इस बार सूतका ढेर यदि पहलेसे कही ज्यादा हो, तो कितना अच्छा हो? और अन्तमें यदि तुम सूतकी पहली टकसाल वन जाओ, तो यह बात मुझे अच्छी लगेगी। सूत तो बहुत जगहोंपर काता जाता है, लेकिन उससे सारी जगहों पर टकसालें नहीं बन जातीं। टकसालकी किसी खास स्थानपर ही क्यों स्थापना की जाती है, इसपर विचार करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६१३ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

१२३. बातचीत : मुहम्मद अली जिन्नाके साथ[1]

१२ सितम्बर, १९४४

गांधीजी : उन्होंने पाकिस्तानकी सरकारका बहुत ही मोहक चित्र खीचा। उन्होंने कहा कि वह पूर्ण लोकतन्त्र होगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मुझसे यह नही कहा था कि लोकतन्त्र भारतकी परिस्थितियोंके अनुकूल नही है। उन्हें इस बातकी याद नही थी। उन्होंने मुझसे, उन्होंने जो कहा था सो बताने के लिए कहा, इसलिए मैंने उन्हें सब-कुछ बता दिया और कहा कि शायद मैं ही गलत समझा होऊँगा। यदि ऐसी बात है तो उन्हें मुझे ठीक बात बतानी चाहिए। लेकिन जब मैंने, उन्होंने मुझे जो बताया था, उसे विस्तारसे दोहराया, तो वे इनकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा कहा तो जरूर था, लेकिन वह तो ऊपरसे लादे गये लोकतन्त्रके बारेमें था।

तब उन्होंने कहा, "क्या आप यह समझते हैं कि यह हमारे लिए धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाल है?" मैंने कहा, "हाँ।" और अगर नही है तो वे स्वयं ही बतायें कि फिर क्या है। इसपर उन्होंने जोरदार तकरीर की। वह सब मैं यहाँ नहीं दोहराऊँगा। मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तानमें सिख, ईसाई, दलित

१. गांधीजी ने बातचीतकी यह रिपोर्ट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दी थी।

वर्ग आदि अल्पसंख्यक समुदायोंका क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान के अंग होंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका अभिप्राय यह है कि वहाँ संयुक्त निर्वाचक-मण्डल होंगे। वे जानते थे कि मैं इसी विषयपर आनेवाला हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मैं चाहूँगा कि वे समस्त पाकिस्तानका एक अंग हों। मै उन्हें संयुक्त निर्वाचक-मण्डलोंके लाभ बताऊँगा, लेकिन यदि वे चाहेंगे तो उनके लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डलोंकी व्यवस्था की जायेगी। सिख यदि चाहेंगे तो उनके लिए गुरुमुखी की व्यवस्था की जायेगी और इसके लिए पाकिस्तान सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी। मैंने पूछा, "जाटोंका क्या होगा?" पहले तो उन्होंने इसे हँसीमें उड़ा दिया। बादमें कहने लगे, "यदि वे चाहेंगे तो उन्हें भी दी जायेगी। उनकी इच्छा हुई तो उनका अस्तित्व पृथक् होगा।" मैंने कहा, "और ईसाइयोंके बारेमें आपका क्या कहना है? वे भी ऐसी जगह चाहेंगे जहाँ वे बहुसंख्यामें हों और जहाँ वे शासन कर सकें, उदाहरणार्थ त्रावणकोरमें?" उन्होंने कहा कि यह हिन्दुओंकी समस्या है। मैंने कहा कि मान लीजिए त्रावणकोर पाकिस्तानमें हो? उन्होंने कहा कि वे त्रावणकोर ईसाइयों को दे देंगे। उन्होंने न्यूफाउण्डलैंण्डका उदाहरण दिया। बाकीकी बातचीत बेकार थी। मुझे उनके मनकी थाह लेते रहना होगा।[1]

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी — द लास्ट फेज, जिल्द १, भाग १, पृ० ८६

१२४. बातचीत : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीके साथ

बम्बई
१२ सितम्बर, १९४४

राजाजी : पता लगाइए कि वे[2] क्या चाहते हैं।

गांधीजी : हाँ, यही तो मै कर रहा हूँ। मैं स्वयं उनके मुखसे यह बात कहल-वाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानका सारा सुझाव ही बेतुका है। मेरा खयाल है कि वे साफ बताना नही चाहते। जहाँतक मेरा सवाल है, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। लेकिन वे मुझसे अपरिभाषित पाकिस्तानके अनुमोदनकी अपेक्षा नही कर सकते।

राजाजी : क्या आप समझते हैं वे अपना दावा छोड़ देंगे?

गांधीजी : यदि कोई समझौता होना है तो उन्हें दावा छोड़ना ही होगा। वे समझौता तो चाहते हैं, लेकिन वे क्या चाहते हैं सो नहीं जानते। मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूँ कि आपका फार्मूला ही वह चीज है जिसकी वे युक्तियुक्त रूपसें माँग कर सकते है।

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी — द लास्ट फेज, जिल्द १, भाग १, पृ० ८६-८७

१. इसके बाद राजाजी के साथ हुई बातचीतके लिए देखिए अगला शीर्षक।
२. मुहम्मद अली जिन्ना

१२५. पत्र : अहमद नवाज जंगको

[१२ सितम्बर, १९४४ के पश्चात्][1]

:जनाब नवाब बहादुर,

आपका अंग्रेजी खत मिला है और साथमें कुरान शरीफका हिंदी तरजुमा। मेरे पास हसन निझामी साहबका हिंदी तरजुमा तो है। उसके साथ इस तरजुमाको मिलाकर देखने की कोशीश करूंगा। अगर भेज सकें तो तीन और कोपी भेजें।

मूल पत्रसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१२६. तार : डॉ० शौकत अन्सारीको

बम्बई
१३ सितम्बर, १९४४

डॉक्टर शौकत अन्सारी
राजपुर रोड
दिल्ली

फरीदके इस शोकमें कृपया मेरी समवेदनाएँ उसतक पहुँचा दें।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. गांधीजी ने अपने पत्रका यह मसौदा अहमद नवाज जंगके १२ सितम्बर, १९४४ के पत्रके उत्तरमें तैयार किया था।

१२७. भेंट : समाचारपत्रोंको

१३ सितम्बर, १९४४

सवेरेकी बातचीतके बाद जब गांधीजी और जिन्ना बाहर निकले, तो पत्रकारोंके दलने, जो बड़ी देरसे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उनसे रोजकी तरह प्रश्न किया: "क्या हमारे लिए कुछ है?" दोनों नेता रुक गये और. . .गांधीजी ने उत्तर दिया:

मेरे पास [बताने को] कुछ नही है, लेकिन आप पूछते है तो चलिए, मैं कहूँगा। कल आपने हम लोगोंके चेहरोंपर कुछ पढ़ा था। इस समय हम दोनों उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हम दोनोंके चेहरोंपर आशा और केवल आशा ही पढ़ें, आशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ें।

ऐसा कहकर गांधीजी जिन्नाकी ओर मुड़े और उनसे पूछा:

क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या आपने सवेरेके अखबार देखे है?

जिन्नाने उत्तर दिया, "नाहक उसकी चिन्ता क्यों करते हैं।"

उनमें इतनी भयानक बातें लिखी हैं।

गांधीजी ने फिर मुड़कर पत्रकारोंसे कहा:

आप नहीं जानते कि शरारतपर तुले लोग किस हदतक जा सकते है। आप सब लोग हम दोनोंको जानते हैं। आपको हम दोनोंको बिलकुल अकेले छोड़ देना चाहिए, अथवा यदि आप हमारे दिलों और चेहरोंको पढ़ सकते हैं तो आपने जो-कुछ लिखा है उसे हममें से किसी एकको दिखा लेना चाहिए। अन्यथा यदि आप भारत और मानवताकी सेवा करना चाहते हैं, तो आपको बिलकुल चुप रहना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १४-९-१९४४

१२८. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

१४ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

आपका १३ तारीखका पत्र मिला।[1] आपसे जो बातचीत हुई उससे मै यह समझा था कि आपको मेरे उत्तरकी जल्दी नही है। इसलिए मैं मामलेको बड़े आराम से ले रहा था, यहाँतक कि मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे-जैसे हमारी बातचीत आगे चलेगी और सौहार्दकी भावना बढ़ेगी, वैसे-वैसे कई बातें स्वयंमेव स्पष्ट हो जायेंगी, और हमें केवल अन्तिम समझौतेको ही लिपिबद्ध करना होगा। लेकिन मैं दूसरे दृष्टि-कोणको समझता हूँ और उसकी कद्र करता हूँ। हमें किसी भी चीजको बिना प्रमाण के मानकर नही चलना चाहिए। राजाजी के फार्मूलेको समझने में आपको जो दिक्कतें पेश आ रही हैं मुझे उन्हे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और इसी तरह आपको अपने अर्थात् मुस्लिम लीगके १९४० के लाहौर-प्रस्तावको समझने में मेरी मदद करनी चाहिए।

जहाँतक लाहौर-प्रस्तावकी बात है, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, मैं उसके बारेमें एक अलग पत्रमें लिखूँगा।

सम्भवतः हमारी बातचीतके अन्तमें हम देख सकेंगे कि राजाजी ने लाहौर-प्रस्ताव को बहुत ज्यादा काँटा-छाँटा या बिगाड़ा तो नहीं ही है, उन्होने उसे अर्थ और आकार प्रदान कर दिया है।

वस्तुतः इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि आपको राजाजी का फार्मूला पसन्द नही है, मैंने कमसे-कम फिलहाल उसे अपने दिमागसे निकाल दिया है और अब मैं पारस्परिक समझौतेके लिए एक आधार ढूंढ़ने की उम्मीदमें अपना सारा ध्यान लाहौर-प्रस्तावपर लगाये हुए हूँ।

इतना सब तो आपके पत्रके प्रथम अनुच्छेदके सम्बन्धमें रहा।

जहाँतक दूसरे अनुच्छेदका ताल्लुक है, मेरी जरूर यह मान्यता है कि जबतक हम तीसरे पक्षको निकाल बाहर नही करेंगे, तबतक हम परस्पर शान्तिपूर्वक नही रह सकेंगे। इसका मतलब यह नही है कि मैं हिन्दू-मुसलमानोके बीच जीवन्त शान्ति स्थापित करने के तरीके और साधन ढूंढ़ने की कोशिश नही करूँगा।

आपने पूछा है कि अस्थायी अन्तरिम सरकारके आधारकी मेरी कल्पना क्या है। यदि मेरे मनमें कोई योजना होती तो मैं अवश्य आपको बता देता। मेरा खयाल है कि यदि हम दोनों सहमत हो सकें तो फिर हम दोनो अन्य पक्षोंसे परामर्श कर

१. अपने पत्रमें श्री जिन्नाने शिकायत की थी कि गांधीजी ने उनके ११ सितम्बरके पत्रका कोई उत्तर नहीं दिया है।

लेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इस समय लोगोंमें विश्वास जगा सके ऐसी किसी भी अस्थायी सरकारको सभी पक्षोंका प्रतिनिधित्व करना होगा। जब वह समय आयेगा तब मेरी जगह कोई अधिकृत व्यक्ति ले लेगा, यद्यपि जब आप मुझे अपने विचारोंका कायल कर लेंगे अथवा मैं आपको अपने विचारोंका कायल कर लूँगा, या आपसी मत-परिवर्तन द्वारा हम दोनों एकमत हो जायेंगे तो आप मुझे हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार पायेंगे।

तीसरे मुद्देके सम्बन्धमें, अस्थायी सरकार ही चूँकि कमीशनकी नियुक्ति करेगी, अतः वह कमीशनके निर्णयोंको अमलमें लायेगी। मेरा खयाल था कि यह बात मेरे पिछले उत्तरमें निहित थी।

राजाजी ने मुझे बताया है कि उनके फार्मूलेमें "पूर्ण बहुमत" शब्दका प्रयोग उसी अर्थमें किया गया है जिसमें कि सामान्य कानूनी बोल-चालमें दो दलोंसे अधिकका मामला होने पर किया जाता है। मै अपने उत्तरपर कायम हूँ। लेकिन कदाचित् आप कोई तीसरा अर्थ बता सकें और मुझे उसे मानने के लिए तैयार कर सकें।

जनमत-संग्रह और मताधिकारका स्वरूप क्या हो, इसका निर्णय अस्थायी अन्तरिम सरकारपर छोड़ना होगा, बशर्ते कि इसे हम अभी ही तय न कर लें। मुझे कहना चाहिए कि यह पाकिस्तान क्षेत्रके सभी निवासियोंके वयस्क मताधिकार द्वारा होना चाहिए।

जहाँतक चौथे मुद्देका सवाल है, "सभी पक्षों" से तात्पर्य है कि आप और मैं और वे सभी व्यक्ति जो प्रस्तुत प्रश्नके सम्बन्धमें अपने कोई विचार रखते हैं, जनता को शान्तिपूर्ण ढंगसे समझा-बुझाकर जनमतको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करना भी चाहिए, जैसा कि उन सभी स्थानोंपर किया जाता है जहाँ पूर्ण अथवा आंशिक लोकतन्त्र है।

पाँचवेंके सम्बन्धमें, मान लीजिए कि जनमत-संग्रह विभाजनके पक्षमें होता है, तो अस्थायी सरकार तो सामान्य हितके मामलोंकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें सन्धि और करारोंका मसौदा तैयार करेगी, लेकिन उसपर दोनों राज्योंकी सरकारोंका अनुमोदन और उनकी पुष्टि लेनी होगी। सामान्य हितके मामलोंके निपटारे और व्यवस्थाके लिए जिस तन्त्रकी आवश्यकता होगी उसकी योजना पहले तो अन्तरिम सरकार बनायेगी, लेकिन बादमें दोनों सरकारें उसका निपटारा प्रत्येक सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त की गई एजेंसियोंके माध्यमसे मिलकर करेंगी।

अब रही छठे मुद्देकी बात। मुझे आशा है कि उपर्युक्त उत्तर लिखने के बाद अब कुछ और लिखना व्यर्थ होगा।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१. श्री जिन्नाके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ५।

१२९. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

१५ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

यह पत्र हमारी बुधवार १३ तारीखकी बातचीतके सम्बन्धमें है।

फिलहाल मैंने राजाजी के फार्मूलेको अलग उठाकर रख दिया है, और आपकी सहायतासे अब मैं मुस्लिम लीगके प्रसिद्ध लाहौर-प्रस्तावपर बहुत गम्भीरतापूर्वक अपना ध्यान लगा रहा हूँ।

आपको यह मानना होगा कि प्रस्ताव स्वतः दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तका कोई उल्लेख नहीं करता। हमारी बातचीतके दौरान आपने जोरोंसे यह दलील पेश की है कि भारतमें दो राष्ट्र हैं — हिन्दू और मुसलमान; और मुसलमानोंके भारतमें उसी प्रकार घर हैं जैसे हिन्दुओंके। हमारी बहस जितनी ज्यादा आगे बढ़ती है, आपके द्वारा पेश की गई तसवीर मुझे उतनी ही अधिक भयप्रद प्रतीत होती है। यदि यह सच्चा होती तो मोहक होती। लेकिन मेरी यह शंका बढ़ती जाती है कि यह सर्वथा अवास्तविक है। मैं इतिहासमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाता जो यह प्रकट करता हो कि धर्म बदलनेवालोंके किसी समुदाय और उसकी सन्ततिने अपने मूल पूर्वजोंसे अलग एक राष्ट्र होने का दावा किया हो। यदि इस्लामके आगमनसे पहले भारत एक राष्ट्र था, तो इसे अब भी एक ही रहना चाहिए — भले ही इसके बहुत-से बच्चोंने अपना धर्म-परिवर्तन कर लिया हो।

आप किसी विजयके अधिकारसे एक पृथक् राष्ट्र होने का दावा नहीं कर रहे, बल्कि इस्लाम ग्रहण करने के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। यदि समस्त भारत इस्लाम ग्रहण कर ले, तो क्या दोनों राष्ट्र एक हो जायेंगे? बंगाली, उड़िया, आन्ध्र, तमिल, महाराष्ट्री, गुजराती आदि सब-के-सब मुसलमान बनने पर क्या अपनी-अपनी विशेषताओंको छोड़ देंगे? राजनीतिक दृष्टिसे ये सब एक हो गये हैं, क्योंकि ये एक ही विदेशी शक्तिके कब्जेमें हैं। आज ये उस दासताके जुएको उतार फेंकने का प्रयत्न कर रहे हैं।

आपने राष्ट्रीयताकी एक नई कसौटी शुरू की लगती है। यदि मैं इसे स्वीकार कर लूँ, तो मुझे और कई दावोंको मानना पड़ेगा और एक असाध्य समस्याका सामना करना होगा। हमारी राष्ट्रीयताकी एकमात्र सच्ची, यद्यपि भयावह कसौटी हमारी समान राजनीतिक दासतामें से उभरती है। यदि आप और मैं अपने संयुक्त प्रयाससे इस दासताके जुएको उतार फेंकें तो कष्टोंसे उबरकर हम राजनीतिक दृष्टिसे एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें जन्म लेंगे। यदि उस समयतक हमने अपनी स्वतन्त्रताका महत्त्व नहीं समझा, तो हम आपसमें लड़ते रहेंगे और एक समान

मालिकके अभावमें, जो हमें लोहेके शिकंजेमें जकड़कर रखता, हम छोटे-छोटे समूहों या राष्ट्रोंमें बँट जायेंगे। उस स्तरपर उतरने से हमें कोई नही रोक सकेगा और हमें किसी मालिककी तलाश नही करनी पड़ेगी। सिंहासनके अनेक दावेदार होते हैं। वह कभी खाली नही रहता।

इस पृष्ठभूमिके साथ मैं आपके प्रस्तावको स्वीकार करने में अपनी कठिनाई पेश करूँगा।

१. "पाकिस्तान" प्रस्तावमें नही है। क्या इसका अर्थ, जैसा आरम्भमें था, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिन्ध व बलूचिस्तान है, जिनको लेकर यह नाम रखा गया है? यदि नही, तो फिर यह क्या है?

२. क्या पाकिस्तानका ध्येय अखिल इस्लाम है?

३. यदि धर्म नही, तो फिर वह क्या चीज है जो एक भारतीय मुसलमानको अन्य भारतीयोंसे अलग करती है? क्या वह एक तुर्क व एक अरबसे भिन्न है?

४. चर्चित प्रस्तावमें आये "मुसलमानों" शब्दसे आपका अभिप्राय क्या है? क्या इसका मतलब भौगोलिक भारतके मुसलमानोंसे है या भावी पाकिस्तानके मुसलमानोंसे?

५. क्या यह प्रस्ताव मुसलमानोंको ज्ञान कराने के लिए है, या समूचे भारतके लोगोंसे एक अपीलके रूपमें है, या यह विदेशी शासकोंके लिए एक चुनौती है?

६. क्या दोनों क्षेत्रोंके घटक "स्वतन्त्र राज्य" बनेंगे, जिनमें से प्रत्येकके घटकोंकी संख्या अनिश्चित होगी?

७. क्या नये राज्योंकी हदबन्दी ब्रिटिश शासनके रहते हुए होगी?

८. यदि पिछले प्रश्नका उत्तर 'हाँ' में है, तो यह योजना ऐसी होगी जिसका प्रस्फुटन भीतरसे भारतकी जनताकी स्वतन्त्र इच्छासे नही हुआ है। यह पहले ब्रिटेन द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए और फिर भारतपर ऊपरसे थोपी जानी चाहिए।

९. क्या आपने प्रश्नका अध्ययन कर अपनेको सन्तुष्ट कर लिया है कि ये "स्वतन्त्र राज्य" छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँटकर भौतिक और अन्य दृष्टियोंसे लाभान्वित होंगे?

१०. कृपया मेरी यह तसल्ली कर दें कि ये स्वतन्त्र प्रभुता-सम्पन्न राज्य छोटे-छोटे गरीब राज्योंके समूह-मात्र होकर अपने लिए और शेष भारतके लिए खतरा नहीं बनेंगे?

११. आप कृपया तथ्यों और आँकड़ों द्वारा या अन्य किसी प्रकारसे मुझे यह भी बताएँ कि इस प्रस्तावको स्वीकार करने से समूचे भारतको स्वतन्त्रता कैसे मिलेगी और उसकी भलाई कैसे होगी?

१२. इस योजनाके परिणामस्वरूप देशी रियासतोंके मुसलमानोंका क्या होगा?

१३. "अल्पसंख्यकों" की आप क्या व्याख्या करते हैं?

१४. क्या आप प्रस्तावके द्वितीय भागमें उल्लिखित अल्पसंख्यकोंके "उपयुक्त, प्रभावशाली और आदेशात्मक संरक्षणों" की परिभाषा करेंगे?

१५. क्या आप नहीं देखते कि लाहौर-प्रस्तावमें मात्र एक लक्ष्यका अभिकथन

है और उसमें यह नहीं बताया गया है कि इस विचारको कार्यरूप देने के लिए क्या उपाय अपनाने होंगे और उनके ठोस परिणाम क्या होंगे? उदाहरणके लिए : (क) क्या इस योजनाके अधीन आनेवाले क्षेत्रोंके लोगोंकी पृथक् होने के मामलेमें राय ली जायेगी? यदि हाँ, तो वह कैसे ली जायेगी। (ख) लाहौर-प्रस्तावमें रक्षा और इसी तरहके सामान्य मामलोंके विषयमें क्या व्यवस्था सोची गई है? (ग) मुसलमानों के बहुत-से वर्गोंने लगातार लीगकी नीतिके विरुद्ध मत प्रकट किया है। मैं यह तो मानने को तैयार हूँ कि मुसलमानोंमें लीगका प्रभाव और स्थिति सर्वोपरि है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, किन्तु क्या यह हमारा संयुक्त कर्त्तव्य नहीं है कि लीगसे असहमत मुसलमानोंकी शंकाओंको दूर करें और उन्हें यह अनुभव कराकर कि उन्हें तथा उनके समर्थकोंको वस्तुतः मताधिकारसे वंचित नहीं किया गया है, उन्हें अपने साथ लें? (घ) क्या इसका पुनः यह अर्थ नहीं निकलता कि लीगके प्रस्तावको सम्बन्धित क्षेत्रोंके समस्त अधिवासियोंके सामने स्वीकृतिके लिए रखा जाये?

इस पत्रको लिखते हुए जब मैं प्रस्तावके अमलके बारेमें सोचता हूँ, तो मैं समस्त भारतके लिए विनाशके सिवाय कुछ नहीं देखता। विश्वास रखिए कि मैं आपके पास एक जिज्ञासुकी भाँति आया हूँ। यद्यपि मैं अपने सिवा किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिर भी मैं भारतके सभी अधिवासियोंका प्रतिनिधि होने की आकांक्षा रखता हूँ; क्योंकि मैं उनके उस कष्ट और अपमानको अनुभव करता हूँ जो बिना किसी वर्ग, जाति या धर्मके भेदके उन सबको समान रूपसे सहन करने पड़ते हैं। मैं जानता हूँ कि आपने मुसलमान जनतापर असाधारण प्रभाव प्राप्त कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस प्रभावको उनकी सर्वांगीण भलाईके लिए इस्तेमाल करें, जिसमें बाकी लोगोंकी भलाई भी शामिल है।

जल्दीमें लिखे गये इस पत्रमें मैंने अपनी शंकाका केवल एक संकेत-मात्र किया है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१३०. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

१५ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

आपका १४ सितम्बरका पत्र[1] सवेरे ९-४० पर मिला।

लाहौर-प्रस्तावपर जो पत्र[2] भेजने का मैंने वादा किया था उसे पूरा करने के लिए मैं आज सवेरे ३ बजे जग गया था।

तारीखके बारेमें मैंने कोई गलती नहीं की है; क्योंकि मैंने १३ सितम्बरके आपके याददिहानीके पत्रके जवाबमें पत्र लिखा था।

आजादीका वही अर्थ है जिसकी कल्पना १९४२ के अ० भा० कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावमें की गई है। लेकिन वह संयुक्त भारतके आधारपर नहीं हो सकती। वह तो हम अगर किसी समझौतेपर पहुँच जायें, तो उस समझौतेके आधारपर ही होगी, बशर्ते कि उसे देशकी आम स्वीकृति प्राप्त हो। प्रक्रिया बहुत-कुछ इस तरह होगी: वर्तमान हिन्दुस्तानको पहले अपने संयुक्त प्रयत्नोंसे हम आजाद कर लें। हिन्दुस्तानके आजाद हो जाने के बाद हदबन्दी, जनमत-संग्रह और, यदि सम्बन्धित लोग विभाजनके पक्षमें मत दें तो, विभाजन होगा। राजाजी के फार्मूलेमें यह सब बातें हैं।

अस्थायी अन्तरिम सरकारके बारेमें जो-कुछ कह चुका हूँ उससे आगे कुछ नहीं कह सकता। अस्थायी सरकारकी कोई योजना यद्यपि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर-प्रस्तावमें भी एक अन्तरिम सरकारकी आवश्यकता मानी गई है, अतः आपके पास यदि उसकी कोई योजना हो तो हम उसपर विचार कर सकते हैं।

राजाजी ने अपना फार्मूला सद्भावनाके साथ तैयार किया। मैंने भी उसी तरह सद्भावनाके साथ उसे स्वीकार किया। आशा तो यह थी कि आपको वह ठीक लगेगा। हमारा अब भी यही खयाल है कि परिस्थितियोंको देखते हुए वही सर्वोत्तम है। आपको और मुझे हो सके तो उसे और पुष्ट करना है। जिस प्रक्रियासे होकर हमें गुजरना है वह मैं समझा चुका हूँ। आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शायद आप यह जानना चाहते हैं कि यदि मुझे अस्थायी सरकार बनाने का निमन्त्रण मिला, तो मैं उसका निर्माण कैसे करूँगा। यदि ऐसी अवांछनीय स्थितिमें पड़ गया तो मैं सब पक्षोंका ध्यान रखूंगा और उन्हें सन्तुष्ट करने की कोशिश करूँगा। इस कार्यमें मेरा सहयोग पूरी तरह उपलब्ध रहेगा।

आपने पूछा है, "मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी अस्थायी अन्तरिम सरकारके अधिकार क्या होंगे, इसका निर्माण कैसे होगा और यह किसके प्रति जिम्मेदार

१. देखिए परिशिष्ट ५।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

होगी?" इस बारेमें मैं आपका पूरा समाधान कर सकता हूँ। अस्थायी अन्तरिम सरकार वर्तमान विधान-सभाके अथवा नये सिरेसे चुनी गई विधान-सभाके निर्वाचित सदस्योंके प्रति उत्तरदायी होगी। लड़ाईके दौरान उसे प्रधान सेनापतिके अधिकारोंको छोड़कर बाकी तमाम अधिकार होंगे और लड़ाईके बाद सम्पूर्ण अधिकार होंगे। कांग्रेस और लीगके बीच सम्पन्न हुए और अन्य पक्षों द्वारा समर्थित समझौतेको वही सरकार अमली रूप देगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१३१. पत्र : पूरणचन्द्र जोशीको

बम्बई
१५ सितम्बर, १९४४

प्रिय जोशी,

आपके पत्रके[1] लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपके पत्रमें जो आवेशका भाव आ गया है उसका मैं बुरा नहीं मानता। मेरे शब्दोंसे आपको जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप विश्वास करें कि मैंने जो-कुछ लिखा था, सद्भावनासे प्रेरित होकर लिखा था। यदि मैं [कम्युनिस्ट] पार्टीके प्रति अपने मनके पूर्वग्रहोंतक को प्रकट नहीं करता तो मैं पार्टी के साथ निकट के सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता था। मैंने तो उम्मीद की थी कि आप मेरे मैत्रीपूर्ण रवैये और स्पष्टवादिताकी कद्र करेंगे। तथापि मैं पार्टी और उसके नेताओंके बारेमें जानने-समझने की कोशिश जारी रखूँगा।

मैंने आपकी सलाह मान ली है। मैंने आपका पत्र श्री भूलाभाईको सौंप दिया है और कहा है कि वे मुझे ठीक जानकारी दें और मेरा मार्ग-दर्शन करें।

मैं आपको सीधे पत्र लिखकर परेशान नहीं करूँगा। आपने जिन समान मित्रोंका जिक्र किया है उनके द्वारा मैं आपको जानने का प्रयत्न करूँगा। सरोजिनी देवी श्री भूलाभाईके साथ हैं। राजाजी मेरे साथ हैं। जब आपका पत्र श्री भूलाभाईसे वापस मेरे पास आयेगा तब मैं उसे राजाजी को दिखाऊँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
कॉरस्पॉण्डेन्स बिटवीन एम० के० गांधी ऐंड पी० सी० जोशी, पृ० ३६

१. १२ सितम्बरका, जो गांधीजी के ३० जुलाईके पत्रके उत्तरमें था। देखिए खण्ड ७७, पृ० ४६३-६६।

१३२. तार : घनश्यामदास बिड़लाको

बम्बई
१६ सितम्बर, १९४४

घनश्यामदास बिड़ला
बिड़ला भवन
बनारस

मेरी यह दृढ़ इच्छा है कि तुम्हें मसूरी जरूर जाना चाहिए। यदि मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम अपना मसूरी प्रवास कम कर देना।

बापू

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७८६९) से। सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१३३. पत्र : चिमनलाल नटवरलाल शाहको

बम्बई
१६ सितम्बर, १९४४

चि० चिमनलाल,

मणिलालको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा। आज मुझे कुछ फुरसत है, इसलिए मैं लोगोंको पत्र लिख रहा हूँ।

मैंने शारदाको पत्र लिखा है और कहा है कि लोगोंकी आलोचनाके भयसे उसे अपनी यात्रा स्थगित नही करनी चाहिए।

आश्रमको भंग करने का तुम्हारा विचार ठीक ही जान पड़ता है। हम जैसे हैं, हमें वैसा ही दिखना चाहिए। आश्रमको भंग करने के बाद हमारे लिए व्यक्तिके रूपमें प्रगति करने की अधिक सम्भावना है। आश्रमके टूट जाने के बाद भी जो लोग परस्पर एक-दिल हैं वे लोग इकट्ठे रह सकते हैं और सम्मिलित रूपसे कुछ काम कर सकते हैं। जो लोग सेवाग्राममें रहना चाहें, वे रह सकते हैं। हर किसीको सुव्यवस्थित ढंगसे और अच्छी तरह सोच-विचार करने के बाद जाना चाहिए। [इस बारेमें] तुम्हें परस्पर बातचीत और विचारोंका आदान-प्रदान करना चाहिए।

मेरे बारेमें तुम जो कहते हो सो मैं समझता हूँ। इसमें छगनलाल और काशी पर कोई बोझ नही पड़ना चाहिए। दोनोंमें से किसीको भी रसोई बनाने में शामिल होना नही पड़ेगा।

सभी सम्बद्ध व्यक्ति इस पत्रको पढ़ सकते हैं।

उम्मीद है कि शकरीबहन बिलकुल शान्त होगी। उसको शिक्षा देने की समस्या के सम्बन्धमें तुमने विचार किया होगा। उसे नजरअन्दाज नही किया जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यदि लज्जावती ना० पटेल वहाँ आये तो उसे यहाँ भेज देना चाहिए।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०६४४) से

१३४. पत्र : मुन्नालाल और कंचन शाहको

१६ सितम्बर, १९४४

चि० मुन्नालाल और कंचन,

आने में विलम्ब हो गया है। यदि मुझे निश्चित रूपसे इतनी देर रहने की बात मालूम होती तो कंचनको साथ लाता। वह आकर क्या करती सो किसे मालूम। क्योंकि मैं तो कदाचित् ही किसीसे बात करता हूँ। वह मेरी सेवा भी नही कर सकती थी। मुख्य सेवा तो दिनशाजी करते हैं और बाकीकी मणिलाल करता है। और यह बात इस दृष्टिसे भी ठीक है कि कंचनके वहाँ रहने से तुम दोनोंको आत्म-विश्लेषण करने का समय मिला।

उम्मीद है, तुम भाई पाटिलसे मिलते होगे। उसकी तबीयत अच्छी हो गई होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८३८५) से। सी० डब्ल्यू० ७१७८ से भी;
सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

१३५. पत्र : शारदा गोरधनदास चोखावालाको

बम्बई
१६ सितम्बर, १९४४

चि० बबुड़ी,

तुझे लिवा लाने के लिए व्यक्ति [स्टेशनपर] गया था। तेरे देवरका स्वर्गवास हो गया, यह दुःखकी बात है। तुम दोनोंको और परिवारको ईश्वर धीरज दे। जन्म-मरणका चक्र तो चलता ही रहेगा। यदि लोक-लाजकी खातिर तू न आ रही हो तो तुम दोनों इतने आगे बढ़ आये हो कि ऐसी लोक-लाजके वश नहीं होओगे। ऐसा शोक मिथ्या है। इस तरहके शोकको हमारे कार्योंमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। मेरे पास आकर तुझे कोई राग-रंग नही करना है। मेरे पास आना तेरा धर्म है, ऐसे अवसरपर विशेष रूपसे। मैं यहाँ मंगलवारतक तो हूँ ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१३६. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१६ सितम्बर, १९४४

चि० कृ० चं०,

तुम स्वस्थचित्त होगे। यह समय हम सबकी सख्त कसौटीका है। अब क्या करना है उसका विचार करो और मेरे आने तक जवाब देने की तैयारी हो सके तो रखो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४४७) से

१३७. भाषण : प्रार्थना-सभामें

१६ सितम्बर, १९४४

गांधीजी ने कहा कि प्रार्थना-सभामें सामान्यतया बहुत भीड़ रहती है। मेरे पास लोग हरिजन-कोषमें चन्दा देने और मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए आते हैं। इसके कारण बच्चों और कमजोर लोगोंको हर रोज खासी दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो लोग मुझे पैसा देना अथवा मेरे हस्ताक्षर लेना चाहते हैं केवल वही ठहरें, बाकी लोगोंको प्रार्थना समाप्त होने के तुरन्त बाद प्रार्थना-स्थलसे चले जाना चाहिए।

दूसरे, मेरे उठकर चल पड़ने के बाद सब कोई मेरे पीछे भागने लगते हैं। इससे परेशानी होती है। स्त्रियों और बच्चोंको असुविधा होती है। जुहूपर तो बहुत सारी जगह थी। हालाँकि यहाँ उतनी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी काफी है। भीड़-भाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि लोग भीड़ न करें और मेरे पीछे न भागें तो सब लोग प्रार्थना-स्थलसे जल्द ही जा सकेंगे। इससे वे खुश होंगे और मुझे भी कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही मैं बड़े आरामसे चन्दा इकट्ठा कर सकूँगा और हस्ताक्षर दे सकूँगा।

तीसरे, प्रार्थना बौद्ध धर्मकी प्रार्थनासे आरम्भ की जाती है। इसके बाद दो मिनट का मौन होता है। मौन प्रार्थनाका अविभाज्य अंग है। मैं लोगोंको मौनके दौरान बातचीत करते हुए देखता हूँ। जब मौन प्रार्थनाका ही एक अंग है तो लोगोंको अपनी आँखें मूँदकर ध्यान करना चाहिए। किसीको बातचीत नहीं करनी चाहिए। यही उचित व्यवहार और सही अनुशासन है। हर किसीको इस अनुशासनका पालन करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-९-१९४४

१३८. पत्र : सर एवन एम० जेन्किन्सको

बिड़ला भवन
माउन्ट प्लेजेन्ट रोड
मलाबार हिल, बम्बई
१७ सितम्बर, १९४४

प्रिय सर एवन,

आपके १३ तारीखके पत्रके[1] लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह मेरा पहला अनुभव है कि एक महत्त्वपूर्ण पत्र डाकमें गड़बड़ हो गया। ये रहीं न मिले पत्रादिकी[2] नकलें। हालाँकि मनोवैज्ञानिक क्षण गुजर गया है, फिर भी मैं अपने उस पत्रको जो मैंने गहरे आत्म-मंथनके बाद लिखा था, बहुत महत्त्व देता हूँ। इसलिए इतने विलम्बके बावजूद मैं चाहूँगा कि मेरा पत्र प्रधान मन्त्रीके पास भेज दिया जाये।[3]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर एवन एम० जेन्किन्स, के० सी० एस० आई०
वाइसरायका कैम्प
भारत

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०५०१) से। सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लन्दन

१. इसमें सूचित किया गया था कि गांधीजी का वाइसरायके नाम लिखा १७ जुलाईका पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, और अनुरोध किया गया था कि उस पत्रकी नकल और उसके साथ संलग्न कागजात फिरसे भेज दिये जायें।

२. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४१७।

३. जी० ई० बी० एबेलने २० सितम्बरको उत्तर देते हुए गांधीजी को सूचित किया कि गांधीजी का पत्र "तेज हवाई डाक" से प्रधान मन्त्रीको भेज दिया गया है।

१३९. पत्र : नारणदास गांधीको

१७ सितम्बर, १९४४

चि० नारणदास,

तुम्हारा कार्य सम्पूर्ण हुआ जान पड़ता है। वहांका विवरण लिखना। कमलनयनने कैसा काम किया?

इसके साथ कमलाबाईका पत्र है। उसके लिए ३० रुपये प्रतिमास नियत कर देना। सितम्बरसे तय करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६१५ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी

१४०. पत्र : पुरुषोत्तमदास टंडनको

१७ सितम्बर, १९४४

भाई पुरुषोत्तमदासजी,

आज कुछ फुरसद है इसलिए पुराने पत्रोंकी फाईल देख रहा हूं। आपका पत्र है।

हरनियाके लिए ट्रस लिया होगा। आप जैसे संयमीको हरनिया कैसे? क्या हर कोईको बीना कारण हो सकता है?

मेरे तारका अर्थ जो आपने किया यह मेरे मनमें नही था। मैंने तो स्वास्थ्यके बारेमें ही लिखा था। लेकिन जो अभिप्राय भेजा है मुझे सहाय देगा। हमारी वातें चल रही है। कुछ कहा नही जा सकता क्या होगा।

बापु

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१४१. पत्र : पुंडलिक कातगड़ेको

१७ सितम्बर, १९४४

भाई पुंडलिक,

तुम्हारा खत मिला है। मैं अवश्य मानता हूं कि जिन्होंने न दोष किया है वे अपना धर्म समझे तो कबूल करें। लेकिन मेरे कहने के कारण नहीं। हृदयगत धर्म होना चाहिये। इसलिये मैं जाहिर निवेदन नहीं निकालुंगा। उसका अनर्थ होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२२६) से

१४२. पत्र : छगनलाल जोशीको

[१८ सितम्बर, १९४४ के पूर्व][1]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। पत्र नारणदासकी जानकारीके लिए [नारणदासके पास] भेजा है। इस सम्बन्धमें नारणदासके साथ बातचीत करने के बाद और कोई हल न निकलने पर यदि तुमने मुझे लिखा होता तो मेरी मेहनत बच जाती। वहाँ तो नानालाल[2] और नानाभाई[3] जैसे धुरन्धर पड़े हुए हैं न?

पैसा इकट्ठा करते हुए थकावट क्यों? जिस क्षेत्रको जिस कामकी जरूरत है उसके लिए वह क्षेत्र पैसा देता ही है। जहाँ जरूरत न हो वहाँ काम करने का ढंग अवश्य भिन्न होता है। चाहे जो हो, यदि सेवकमें अपने कामके लिए द्रव्य इकट्ठा करने की कामना होती है और उसमें उसे आनन्द आता है तो ऐसा करके वह सीखता भी है। हमपर पैसेकी बरसात यदि ऊपरसे होती तो हम जान ही न पाते कि उसका क्या उपयोग किया जाये।

भगवानजी[4] यदि हमें ८० रुपयेका काम देते हैं तो क्या उन्हें देना हमारा धर्म नहीं है?

१. साधन-सूत्रमें इस पत्रको १८ सितम्बर, १९४४ के पत्रोंके पूर्व रखा गया है।

२. नानालाल कालिदास जसानी, जो डॉ० प्राणजीवन मेहताके सचिव एवं सहयोगी थे और सौराष्ट्र हरिजन सेवक संघके सदस्य भी थे।

३. नृसिंहप्रसाद कालिदास भट्ट, जो लोक भारती संस्था, सनोसराके प्रधानाचार्य थे।

४. वढवान, काठियावाड़के भगवानजी पुरुषोत्तम पण्ड्या, जो उन दिनों कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यासके लिए धन एकत्र कर रहे थे।

केलवणी मंडलके मकानका इस्तेमाल फिलहाल हम करते हैं न? वे उसमें से हमें क्यों निकालना चाहते हैं? निकालेंगे तो कहाँ काम करोगे? ढेढ अथवा भंगी निवासमें क्यों नहीं? भगवानजीको तो इस तरहकी आदत भी है।

तुम चिन्तित हो। जब आना चाहो, आ जाना। मेरा अनिश्चित है। इसलिए यहाँ भी आ सकते हो। यदि यहाँ समय न निकाल सकूँ तो यहाँसे मैं जहाँ जाऊँ, मेरे साथ चलना।

वाँकानेरवालोका पत्र वापस भेज रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

छगनलाल जोशी
हरिजन सेवा संघ
राजकोट

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१४३. पत्र : मीराबहनको

बम्बई
१८ सितम्बर, १९४४

चि० मीरा,

रिवाड़ीसे लिखा तुम्हारा पत्र मिला। देवदासने मुझे तुम्हारे सन्देश दिये हैं। उसका यह भी कहना है कि तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है। मुझे लगता है कि इसके लिए मैं भी, यदि पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूपसे, जिम्मेदार हूँ। काश इसे सुधारने का यश भी मुझे मिल सकता! तुम कुछ दिन दिनशाका अथवा शिव शर्माका इलाज क्यों नहीं करा लेती? दोनों आजकल यहीं हैं। शिव शर्मा तो विशेप रूपसे आये हैं। मैंने अभी उनकी दवा लेनी शुरू तो नहीं की है, लेकिन वे मुझे दवा लेने को रजामन्द करने के लिए यहाँ आये हैं।

तुम्हारे किसीके प्रभावमें आ जाने के भयको मैंने अपने मनसे पूरी तरहसे निकाल दिया है। आखिर हम सब ईश्वरके मार्ग-दर्शनमें हैं।

मैं देवदासको तुम्हारे लिए पाँच हजार रुपये और दे रहा हूँ। भविष्यमें तुम्हारे लिए जो भी आयेगा वह निश्चय ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें वह ५०० रुपया भेजने के लिए मैं सेवाग्राम पत्र लिख रहा हूँ।

मुझे लिखना कि गायोंको कसाईके हाथोंसे कैसे बचाया गया।

तुम एक आश्रमका निर्माण और संचालन करने की गम्भीर जिम्मेदारी सँभालो,[1] इसके पहले मैं तुमसे अपना स्वास्थ्य सुधारने का अनुरोध करूँगा।

मेरी बातचीत किसी-न-किसी प्रकार चल रही है। इसका अन्त क्या होगा, यह तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं इस श्रम-भारको आरामसे

१. देखिए पृ० ६, पा० टि० १।

वहन कर पा रहा हूँ। मेरे शरीरमें अंकुश-कृमि (हुकवर्म) और एमीबा, ये दो शत्रु मौजूद होने के बावजूद मैं स्वस्थ हूँ। और यह भी अच्छी बात है कि हम दोनों एक-दूसरेके बहुत निकट ही रहते हैं।

मणिलाल मेरी सेवा-शुश्रूषा कर रहा है। वह मेरा शय्या-संगी है। देवदास भी यहीं है, और राजाजी भी यहीं हैं। खुर्शेदबहन आफिसका काम करती है, और मृदुला भी, लेकिन मेरा खयाल है कि अस्थायी रूपसे। ये सब पूरी रफ्तारके साथ काम कर रहे हैं — प्यारेलाल, सुशीला और कनु तो हैं ही। प्यारेलालके पास एक आशु-लिपिक और टाइपिस्ट है। वह चुप रहनेवाला और खूब मेहनती है, ऐसा आदमी दुर्लभ होता है। वह सुदूर दक्षिणका रहनेवाला है। आभा डाक्टरी जाँचके लिए यहाँ आई है। उसे कोई बीमारी नहीं है। मनु अपने पिताके[1] साथ कराचीसे वापस आ गई है। प्यारेलालकी माँ और बच्ची[2] भी यहीं हैं। और ये सब बहुत खुश हैं। मैंने तुम्हें पूरे समाचार लिख दिये हैं। आज मौनवार है, इसलिए मैं बकाया काम पूरा करने में लगा हुआ हूँ।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६५००) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९८९५ से भी

१४४. पत्र: एफ० मेरी बारको

१८ सितम्बर, १९४४

चि० मेरी,[3]

मणिलालको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा। वहाँ[4] तुम दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की कर रही जान पड़ती हो। मेरा खयाल है कि निकट भविष्यमें तुम्हारे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वहाँ भी तुम यहाँके जैसा अच्छा काम कर रही हो। कमला[5] कुछ दिनोंके लिए मेरे पास सेवाग्राममें थी। वह खेड़ीमें काफी खुश जान पड़ती है और उसे अपना काम बहुत पसन्द है।

बापूके आशीर्वाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०८४) से। सी० डब्ल्यू० ३४१४ से भी; सौजन्य: एफ० मेरी बार

१. जयसुखलाल गांधी
२. प्यारेलालकी भतीजी नन्दिनी, जिसकी माताका देहान्त हो गया था।
३. सम्बोधन और हस्ताक्षर देवनागरीमें हैं।
४. दक्षिण आफ्रिकामें
५. मार्गरेट जोन्स, मेरी बारकी एक अंग्रेज मित्र, जो उनकी अनुपस्थितिमें खादी-कार्य कर रही थी।

१४५. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

१८ सितम्बर, १९४४

प्रिय सी० आर०,

यह रहा मेरे उत्तरका[1] असंशोधित मसौदा। तुम इसमें परिवर्तन, परिवर्धन अथवा जो चाहे सो कर सकते हो। यह उत्तर कल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चला जाना चाहिए।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०९६) से

१४६. पत्र : नारणदास गांधीको

१८ सितम्बर, १९४४

चि० नारणदास,

कमलनयनके बारेमें लिखा तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा कहना ठीक है।

तुम गिर गये थे, क्या उसका असर अभी भी है? किसी समय सेवाग्राम आने का विचार करो तो अच्छा होगा।

भाई छगनलालने अपने पत्रमें जो सुझाव दिया है उसके बारेमें तुम्हारा क्या कहना है?

मैं इसके साथ मीराबहनका पत्र भी नत्थी कर रहा हूँ। मीराबहनको जो उत्तर लिखना उसे मेरे पास भेज देना। मैं उसे भेज दूंगा। उसने जो सुझाव दिया है उसपर अमल करना।

मैं तो अभी यहीं फँसा हुआ हूँ। क्या मालूम यहाँसे कब निकलूंगा।

बापूके आशीर्वाद

संलग्न : २

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६१६ मे भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

१. सम्भवतः मुहम्मद अली जिन्नाको; देखिए पृ० १२६-२७।

१४७. पत्र : चिमनलाल नटवरलाल शाहको

बम्बई
[१८ सितम्बर, १९४४][1]

चि० चिमनलाल,

तुम्हारा पत्र समाचारोंसे भरा हुआ है। मैंने चोखावालाको[2] पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उन्हें शान्त रहने की सलाह दी है।

गोखलेजीका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि २७ अक्टूबरको वहाँ पहुँच जाऊँगा। आशा है कि उस समय मैं गोखलेजीके लिए कुछ कर सकूँगा। हिम्मत हार बैठने का तो कोई कारण नहीं है। सुशीलाबहनने बहुत नाम कमाया है। गोखलेजीके सम्बन्धमें भी ऐसा ही होगा।

क्या गोविन्द अभीतक वहाँ खाना खाता था?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०६१२) से

१४८. पत्र : सुशीला गांधीको

१८ सितम्बर, १९४४

चि० सुशीला,

तुम्हारे दो पत्र मिले। देशकी हालत तूने जैसी लिखी है वैसी ही है। इसमें भी भगवानका ही हाथ होगा न? यदि हम अपने कार्य-क्षेत्रमें शोभित होते हैं और उसे शोभान्वित करते हैं तो हम अपना कर्त्तव्य पूरा करते हैं।

मणिलाल तो मेरी सेवामें लीन रहकर पितृऋण अदा कर रहा है। उसकी फिक्र न करना। सीता[3] सेवाग्रामकी नई तालीम पाठशालामें दाखिल हो गई है। सुमी[4] उसके साथ है और लक्ष्मी बाबू नामक बिहारी सज्जनकी पुत्री भी उसके साथ है। और चौथी आशादेवीकी अपनी लड़की है। इस तरह चारों लड़कियाँ इकट्ठी हैं। आशादेवी उनकी माँ बनी है। आशादेवी विदुषी महिला है। मेरे विचारानुसार यह सबसे अच्छी शिक्षा है। ये चारों लड़कियाँ सेवाग्रामके लड़कोंके साथ पढ़ती हैं और उन्हें कुछ पढ़ाती भी हैं। यह सब पढ़कर तू घबरा नहीं जाना। सीताने खुद ही

१. जी० एन० रजिस्टरके अनुसार
२. गोरधनदास चोखावाला, चिमनलाल शाहके दामाद
३. सुशीला गांधीकी पुत्री
४. रामदास गांधीकी पुत्री

सोच-समझकर वहाँ जाना पसन्द किया है। तथापि तू यह समझ कि मणिलाल और सीताके मनमें यह विचार डालने की और उन्हे प्रलोभित करने की जिम्मेदारी मेरी है। तू यहाँ होती तो मैं तुझे भी इसके लिए प्रलोभित करता। तू मेरी बातोंमें आती कि नही, यह तो ईश्वर ही जाने। अब तो तू मोटर चलाने लग गई है, मैं भला तेरे साथ क्या मुकाबला कर सकता हूँ? तू आगे बढ़ती जा।

जिन्ना साहबके साथ मेरी लगभग रोज बातचीत होती है। जबतक यह पत्र तुझे मिलेगा, तबतक तुझे इस बातचीतके परिणामके बारेमें मालूम हो चुका होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९३६) से

१४९. पत्र : लक्ष्मीदास आसरको

१८ सितम्बर, १९४४

चि० लक्ष्मीदास,

तुम्हारे दो पत्र मिले। दोनों निर्मल हैं। जाजूजीके[1] प्रश्नके बारेमें अन्य उत्तर आ रहे हैं। इसलिए फिलहाल कुछ नही लिखूँगा। अहिंसाके बारेमें स्पष्टीकरण किया जा सकता है, ऐसा सोचता हूँ। हाथ चलता नही और काता नही जाता, इसके लिए कौंसिलसे[2] निकल जाने की तनिक भी जरूरत नही है। जिसका हाथ टूटा हो और वह न काते, तिसपर भी वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ चरखा-सेवक हो सकता है, क्या इसकी कल्पना नही की जा सकती? हाथ बेकार नही रहने चाहिए, ऐसी कोई बात है क्या?

बापूके आशीर्वाद

हरिजन आश्रम
साबरमती

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. श्रीकृष्णदास जाजू; देखिए पृ० ९२।
२. अखिल भारतीय चरखा संघकी

१५०. पत्र : भगीरथ कनोड़ियाको

१८ सितम्बर, १९४४

भाई भागीरथजी,

आपका प्यारेलाल पर खत पढ़ा। मैंने कभी नही कहा है कि राजाजी ने मुझे धोका दिया है। वे मुझे धोका दे नहीं सकते हैं। कभी दिया नही है। राजाजी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। उनके और मेरे विचारोमें आज अंतर पड़ गया है सही परंतु प्रेम ज्यों-का-त्यों है। मनोरंजन बाबूने लिखा है उसमें मजाककी बात है। मेरा मजाक लोग न समझें उसका क्या किया जाय? इस पत्रका जो उपयोग करना आवश्यक समझा जाय किया जाय।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१५१. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

१९ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

आपके १७ सितम्बरके पत्रके[1] लिए अनेक धन्यवाद।

मुझे यह कहते खेद होता है कि मेरे १, २ और ६ नं० के प्रश्नोंको छोड़ते हुए आपने जो उत्तर दिये हैं, उनसे मुझे सन्तोष नही हुआ।

हो सकता है कि लाहौर-प्रस्तावके सिर्फ स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे मेरे सब प्रश्न उत्पन्न न होते हों, लेकिन मैं जिज्ञासु हूँ और इस दृष्टिसे वे बहुत प्रासंगिक है। आप यह आशा नही कर सकते कि लाहौर-प्रस्तावमें जो दावा है उसे कोई १५(क) और १५(ख)[2]–जैसे सवालोंके जवाब पाये बगैर ही, जिन्हें स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे असंगत कहकर आपने टाल दिया हैं, मान लेगा या उसकी जिम्मेवारी उठा लेगा।

डॉ० अम्बेडकरका शोध-प्रबन्ध लिखा तो योग्यताके साथ गया है, किन्तु उससे मैं सहमत नहीं हो सका। जिस दूसरी पुस्तकका आपने जिक्र किया है, मुझे दुःख है कि उसे मैंने नहीं पढ़ा है।

१. देखिए परिशिष्ट ६।
२. देखिए पृ० १०९-११।

आप मेरे इस कथनको स्वीकार क्यो नही कर सकते कि मै भारतीय जनताके सभी वर्गोका प्रतिनिधित्व करने की आकाक्षा रखता हूँ? क्या आप ऐसी आकाक्षा नहीं रखते? क्या हरएक हिन्दुस्तानीको ऐसी आकांक्षा नही रखनी चाहिए? ऐसी आकाक्षा कभी भी पूरी न हो, यह दूसरी बात है।

मेरे बारेमें आपकी जो राय है उसके बावजूद, आपने मेरे साथ बातचीतमे जिस धीरजसे काम लिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मुझे आशा है कि इसे आप कभी नही छोड़ेंगे, बल्कि मेरा मत-परिवर्तन करने के अपने प्रयत्नोको जारी रखेंगे। मै आपसे कहूँगा कि मेरे प्रबल विचारोकी और अगर मुझमें कोई पूर्वग्रह हो तो उसके भी बावजूद आप मुझे स्वीकार करे।

मेरी नीति और मेरे कार्यक्रमके बारेमें आपका निर्णय ऐसा है जिसपर हम सहमत नही हो सकते। कारण, मुझे उनके बारेमें कोई पछतावा नही है। साम्प्रदायिक एकताके प्रेमीके नाते मेरा उद्देश्य यह है कि मै अपनी सेवाएँ आपके लिए प्रस्तुत करूँ।

मुझे आशा है कि लाहौर-प्रस्तावके फलितार्थोको समझे बगैर उसे स्वीकार करने की आप मुझसे आशा नही करते है। आपका पत्र यदि आपकी अन्तिम बात है तो आशा बहुत कम है। क्या यह सम्भव नही कि "दो राष्ट्रों" की बातपर सहमत न होते हुए भी हम आत्म-निर्णयके आधारपर समस्याको हल कर लें? यही आधार मुझे आपके पास लाया है। मुस्लिम-बहुमतवाले प्रदेशोकी लाहौर-प्रस्तावके अनुसार यदि अलहदगी होनी हो, तो अलहदगीका यह गम्भीर कदम स्पष्ट रूपसे उस इलाकेके लोगोंके सामने रखना चाहिए और इसपर उनकी सहमति लेनी चाहिए।[1]

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१. जिन्नाके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ७।

१५२. भाषण: प्रार्थना-सभामें

बम्बई
१९ सितम्बर, १९४४

प्रार्थना-सभामें अपने भाषणमें गांधीजी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि श्रोताओंमें कितने मुसलमान भाई-बहन हैं, किन्तु कमसे-कम एक अवश्य है और वह है रेहाना बहन तैयबजी। मेरे लिए अभी इतना काफी है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी यह हार्दिक प्रार्थना है कि यदि वे दिलसे देशका भला चाहते हैं और भारतको जल्दीसे-जल्दी स्वाधीन और स्वतन्त्र देखना चाहते हैं, तो उन्हें हिन्दुओं और मुसलमान तथा अन्य सभी जातियोंके लोगोंमें मित्रताके गहरे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। यह कमसे-कम बात है जिसकी हममें से हरएकसे आशा की जाती है और जो वह कर सकता है। क्या यहाँ कोई ऐसा भी आदमी है जिसे इस बारेमें शक हो कि यदि हम दिलसे एक हो जायें तो भारतकी स्वाधीनता ज्यादा जल्दी आयेगी? जबसे मैं हिन्दुस्तान लौटा हूँ, इस सत्यकी जोरोंसे घोषणा करता आ रहा हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि हम हाथपर-हाथ धरे बैठे रहें और स्वाधीनता हमारी गोदमें आ टपकेगी। यदि यह आजादी हासिल हो जाये तो और बहुत-सी बातें अपने-आप होंगी।

श्री जिन्नाके साथ अपनी बातचीतका जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा कि हम — दो भाई — मित्रतापूर्ण बातचीत कर रहे हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्यकी बात है। मैं बातचीतका स्वरूप नहीं बता सकता। किन्तु आप सन्तोष रखें कि हम बिना किसी आशाके बातचीत नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मुझे आशा नहीं रह जायेगी, मैं उसकी घोषणा करने से नहीं हिचकूँगा।

मैं चाहता हूँ कि ईदके दिन आप एक-दूसरेसे मेल-जोल बढ़ायें और परमात्मासे प्रार्थना करें कि वह हमारा सही पथ-प्रदर्शन करे।

अन्तमें गांधीजी ने जनताको चेतावनी दी कि देशी और विदेशी पत्रकार जो अटकलबाजियाँ कर रहे हैं, आपको उनपर विश्वास नहीं करना चाहिए।

कभी-कभी हम देखते हैं कि तरह-तरहकी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ईश्वर हमारे साथ है। हम भविष्यवाणियोंके सहारे नहीं चल रहे हैं, बल्कि ईश्वरकी प्रेरणासे चल रहे हैं। अखबारोंमें हर तरहकी बातें छपती हैं और विदेशोंमें भी तरह-तरहकी खबरें भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टोंपर विश्वास करने से लोगोंका लाभ नहीं होगा, बल्कि कहूँ कि उनपर विश्वास करना गलती होगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २०-९-१९४४

१५३. पत्र : नानजी कालिदासको

बिड़ला भवन, बम्बई
२० सितम्बर, १९४४

भाईश्री नानजीभाई,

बापाको[1] लिखे तुम्हारे तार और पत्र मैंने पढ़े। पढ़कर दुःखी हुआ। तुमने तो मुझे साफ-साफ कहा था कि तुम्हारा पैसा बिना किसी शर्तके केन्द्रीय कोषमें जायेगा। तुम्हारे पत्रसे पता चलता है कि तुम्हारे पैसेके लिए एक समिति नियुक्त की गई है और वह पैसा उसके कब्जेमें रहेगा। यदि यही बात है तो इसकी गिनती चालू कोषमें नहीं की जा सकती। बादमें तुम्हारी समितिको जो उचित जान पड़े उसमें तुम पैसा लगा सकोगे। मेरी माँग केवल यही है कि एक अनपढ़ ग्रामीण स्त्रीका नाम उसके साथ न जोड़ना।

उम्मीद है, तुम्हारी तबीयत सुधर गई होगी।

बापूके आशीर्वाद

राजश्री सेठश्री नानजी कालिदास
पोरबन्दर (काठियावाड़)

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६१७) से। सौजन्य : नारणदास गांधी

१५४. पत्र : बी० ओरलैण्डको

कैम्प बिड़ला भवन
माउन्ट प्लेजेन्ट रोड
मलाबार हिल, बम्बई
२१ सितम्बर, १९४४

प्रिय लेफ्टिनेंट ओरलैण्ड,

आपका १७ तारीखका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई।

आपने जिस पंडितका जिक्र किया है, मुझे उसका स्मरण नहीं है। आपका प्रश्न बहुत उपयुक्त है। मेरी 'महाभारत' की व्याख्या यह है कि उसमें मनुष्यका सूक्ष्म अध्ययन है और यह बताया गया है कि हिंसाका प्रयोग चाहे भले उद्देश्यके लिए हो अथवा बुरे उद्देश्यके लिए, उसका फल अनिष्ट ही होता है। पाण्डवोंकी विजय हुई,

1. अमृतलाल वि० ठक्कर

किन्तु वह विजय खोखली थी। उस जमानेके सामाजिक चलनके मुताबिक भीष्म सही थे, वे नमकहलाल थे। 'महाभारत' के नर-नारियोंका आकलन आधुनिक मापदण्डके मुताबिक करने से हम पूर्णतया गलती कर बैठेंगे। और आधुनिक मापदण्ड को 'महाभारत' के जमानेके मापदण्डसे अनिवार्यत: अधिक ऊँचा माना जाये, यह जरूरी नहीं है। इस महाकाव्यकी गाथाको उसके परिवेशमें रखकर पढ़ना होगा। तब भीष्म एक उच्चात्मा प्रतीत होंगे।

मो० क० गांधी

लेफ्टि० बी० ओरलैण्ड
१०४, फील्ड पार्क
एस० ई० ए० सी०
बी० ए० पी० ओ०

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१५५. पत्र : सीता गांधीको

बम्बई
२१ सितम्बर, १९४४

चि० सीता,

तेरा सुन्दर अक्षरोंमें लिखा पत्र मिला। अब तो हम जल्दी ही मिलेंगे, तब बात करना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

"रहा" नहीं बल्कि "राह"।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९३७) से

१५६. पत्र : चिमनलाल नटवरलाल शाहको

२१ सितम्बर, १९४४

चि० चिमनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। हमारी बातचीत पूरी न हो तो भी मैंने वहाँ पहली तारीखको पहुँचने का निश्चय किया है। २ तारीखसे[1] निपटकर वापस आऊँगा।

वल्लभ स्वामीने बहुत सोच-समझकर उपवास किया होगा। उपवासकी मर्यादाको निश्चित करना विकट हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०६१३) से

१५७. एक परिपत्र

बम्बई
२१ सितम्बर; १९४४

भाईश्री,

मैं यह पत्र जिन लोगोंको भेज रहा हूँ वे गुजराती जानते हैं, इसलिए मैं उसी भाषामें लिख रहा हूँ। इसके साथ मैं दस अतिरिक्त न्यासियोंके नामोंकी सूची भेज रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं यह नाम आपकी सूचनार्थ ही भेजूंगा। जैसे-जैसे मेरा कर्त्तव्य स्पष्ट होता जाता है वैसे-वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आग्रह छोड़कर ही अध्यक्षका कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही जो दूसरी सूची है वह कार्यकारी समितिके सदस्योंके नामोंकी है।

इन दोनों सूचियोंको तैयार करने में मैंने निम्नलिखित नीति अपने सामने रखी है।

जो लोग मेरी कार्य-प्रणालीको अधिकाधिक समझते हैं और जिन्होंने ग्रामसेवा की है अथवा जो ग्रामसेवाकी मेरी विचारधाराको मानते हैं उन लोगोंको इसमें रखा जाये। मैं जितनी बहनोंको चाहता था उतनी बहनोंको इसमें शामिल नहीं कर सका, इसका मुझे दुःख है। यह स्मारक-निधि एक अनपढ़ लेकिन ग्रामसेवा-भावसे पूरित स्त्रीकी स्मृतिमें शुरू की गई है, इसलिए यदि इस बोर्डमें सभी स्त्रियाँ हों तो मैं अपनेको कृतकृत्य मानूँगा। लेकिन ऐसा समय अभी नहीं आया है। हम सब आशा करें कि ऐसे कार्यके लिए प्रौढ़ और कार्यदक्ष स्त्रियाँ तैयार हो सकेंगी।

१. गांधीजी का जन्मदिवस समारोह

मैंने जो नाम सुझाये हैं उनमें से जो नाम आपको नापसन्द हों उसे आप निस्संकोच अस्वीकार कर सकते हैं। आप चाहें तो हम न्यासियोंकी बैठकमें अतिरिक्त न्यासियोंका चुनाव करेंगे। आप अपनी राय समयपर भेजने की कृपा कीजिएगा।

अतिरिक्त न्यासियोंके नामोंकी सूची

१. श्री मंगलदास पकवासा
२. श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम
३. श्रीमती गोसीबहन कैप्टेन
४. श्रीमती रेहाना तैयबजी
५. श्रीमती मृदुला साराभाई
६. श्री गुलजारीलाल नन्दा
७. श्री गणेश वासुदेव मावलंकर
८. श्री श्रीकृष्णदास जाजू
९. श्री लक्ष्मीनारायण बाबू (बिहारके)
१०. श्रीमती जानकीबहन बजाज

कार्यकारी-समितिके सदस्य

१. श्री मो० क० गांधी (अध्यक्ष)
२. सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास (उपाध्यक्ष)
३. श्री अमृतलाल वि० ठक्कर
४. श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम
५. श्रीमती मृदुला साराभाई
६. श्री गणेश वासुदेव मावलंकर
७. श्री श्रीकृष्णदास जाजू
८. श्री देवदास गांधी

आपका,
मो० क० गांधी

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८७३) से। सौजन्य: एन० बी० खरे

१५८. तार: पुरुषोत्तम मोतीभाई पटेलको

२२ सितम्बर, १९४४

पुरुषोत्तम मोतीभाई पटेल
अध्यक्ष, इण्डो-ब्रिटिश फ्रेंडशिप ग्रुप
ब्रॉन्टन ११४

अनेक धन्यवाद[1]। ईश्वरकी इच्छा ही होगी।

गांधी

मूल अंग्रेजीसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१५९. पत्र: मुहम्मद अली जिन्नाको

२२ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

कल (२१ सितम्बर) के आपके पत्रने[2] मुझे इतना बेचैन किया कि मैंने सोचा कि मैं अपना उत्तर हमारी आम समयपर मुलाकातके बादतक के लिए स्थगित रखूंगा। यद्यपि हमारी मुलाकातमें मैंने कोई प्रगति नही की, मेरा खयाल है मैं अब अधिक स्पष्ट रूपसे समझता हूँ कि आपका आशय क्या है। मैं दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तके बारेमें जितना अधिक सोचता हूँ वह मुझे उतना ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। आपने जिस पुस्तकको पढ़ने के लिए मुझसे कहा उससे मुझे कुछ सहायता नहीं मिली। उसमें अर्धसत्य हैं और उसके निष्कर्ष अथवा अनुमान अयुक्तियुक्त हैं। मैं इस प्रस्तावको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि भारतके मुसलमान शेष भारत-वासियोंसे भिन्न एक राष्ट्र है। जोर देकर कहने से ही कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाती। ऐसे प्रस्तावको स्वीकार करने के परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। एक बार इस सिद्धान्तके स्वीकार कर लिये जाने पर भारतको अनेक भागोंमें विभाजित करने के दावोंका कोई अन्त नही रह जायेगा, जिसका अर्थ भारतका विनाश होगा। अतः मैंने एक मार्ग सुझाया है—यदि बँटवारा होना ही है तो वह उसी तरह हो जैसा भाइयोंके बीच होता है।

१. पुरुषोत्तम पटेलने गांधीजी के एकता और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के प्रयासोंके लिए सफलता की कामना की थी।

२. देखिए परिशिष्ट ७।

आप जनमत-संग्रहके विरुद्ध जान पड़ते है। लीगका महत्त्व स्वीकार करने के बावजूद इस बातका स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि बँटवारेसे प्रभावित होनेवाले लोग वास्तवमें बँटवारा चाहते हैं। मेरी राय है कि उस क्षेत्रके सब निवासियोंको विभाजनके इस अकेले प्रश्नपर अपनी स्पष्ट राय जाहिर करनी चाहिए। इसके लिए वयस्क मताधिकार सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन मैं इससे मिलते-जुलते किसी दूसरे मताधिकारको भी स्वीकार कर लूँगा।

आप दोनों क्षेत्रोंके सामान्य हितोंके विचारका तुरन्त खण्डन करते हैं। मैं ऐसे विभाजनमें स्वेच्छासे साझीदार नहीं बन सकता जिसमें प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले आदि सामान्य हितोंकी रक्षाके लिए भी साथ-साथ व्यवस्था न की गई हो। भौगोलिक संलग्नतासे उत्पन्न स्वाभाविक तथा पारस्परिक दायित्व जबतक स्वीकार नहीं किये जाते, तबतक हिन्दुस्तानके लोग अपनेको सुरक्षित महसूस नही करेंगे।

आपका पत्र हम दोनोंके बीच मत तथा दृष्टिकोणका एक बड़ा अन्तर प्रकट करता है। मसलन आप उस मतपर अटल है और इसे आपने कई बार प्रकट किया है कि अगस्त, १९४२ का प्रस्ताव "मुसलमानोंके आदर्शों तथा उनकी माँगोंके लिए हानिकर है"। इस अमर्यादित कथनके पक्षमें आपने कोई प्रमाण नहीं दिया।

हम एक वृत्तमें घूमते जान पड़ते हैं। मैंने एक सुझाव रखा है। यदि हम समझौता करने के लिए तुले हुए हैं, जैसा कि मैं आशा करता हूँ हम हैं, तो हमें किसी और पक्षको या पक्षोंको पथ-प्रदर्शन — या मध्यस्थता तक करने के लिए बुलाना चाहिए।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१. मु० अ० जिन्नाके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ८।

१६०. पत्र : श्रीमन्नारायणको

[२२ सितम्बर, १९४४][1]

मैं यह पत्र पढ़ गया हूं।[2] भदंतजीका निवेदन सुना। तुम्हारा खत जल्दीसे लिखा गया लगता है। नाणावटीजीके[3] उत्तरकी प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। कुछ स्मृति दोष या जल्दी हुई है तो सुधारणा करना धर्म हो जाता है। नाणावटी जो बताते हैं उसमें तो कुछ दोष नहीं पाता हूं।

मैं वहां १ली तारीखको पहुंचने की आशा करता हूं।

बापुके आशीर्वाद

पांचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३००-१

१६१. पत्र : अजीजुल हकको

[२२ सितम्बर, १९४४ या उसके पश्चात्][4]

प्रिय मित्र,

आपके कृपापूर्ण पत्र और पुस्तकके[5] लिए मैं आपका हृदयसे आभारी हूँ। मुझे मालूम है कि इसे मैं दिलचस्पीके साथ पढ़ूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजीसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१ और २. साधन-सूत्रके अनुसार मगनभाई देसाईने २२ सितम्बर, १९४४ को श्रीमन्नारायणको एक पत्र लिखा था, जिसे उन्होंने डाकमें डालने से पूर्व गांधीजी को दिखलाया था। गांधीजी ने प्रस्तुत पत्र उसी पत्रके नीचे लिख दिया। श्रीमन्नारायणने भदन्त आनन्द कौसल्यायनको एक पत्रमें लिखा था कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा केवल उर्दूमें परीक्षा लेगी। इस सम्बन्धमें मगनभाई देसाईने अपने पत्रमें श्रीमन्नारायणसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था।

३. अमृतलाल नानावटी

४. यह पत्र अजीजुल हकके २२ सितम्बर, १९४४ के पत्रके नीचे लिखा हुआ है।

५. मैन बिहाइन्ड द प्लाउ

१६२. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

२३ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

कल शामकी बातचीतने मन खराब कर दिया। हमारी बातचीत तथा पत्र-व्यवहार दो समानान्तर मार्गोंमें चलते दिखाई देते हैं और एक-दूसरेको कभी नहीं छूते। कल शाम हम वार्त्ता-भंग होने की सीमापर पहुँच गये थे, लेकिन ईश्वरकी कृपा है कि हम बिछुड़ना नहीं चाहते थे। हमने बातचीत फिर शुरू की और मेरी संध्याकालीन सार्वजनिक प्रार्थनाके लिए ही उसे स्थगित किया।

ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलेमें किसी गलतीकी कोई सम्भावना न रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लिखकर मुझे यह बतला दें कि आप ठीक-ठीक किन बातों पर मेरे हस्ताक्षर चाहेंगे?[1]

मैं अपने इस सुझावपर कायम हूँ कि हम इस मौकेपर अपनी सहायताके लिए किसी बाहरी व्यक्तिकी मदद लें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१. जिन्नाने अपने उत्तरमें लिखा: "...मैं यह कह दूँ कि जबतक आप प्रातिनिधिक हैसियत नहीं प्राप्त कर लेते और आपको अधिकार नहीं मिल जाता, तबतक आपके किसीके प्रतिनिधि की हैसियतसे हस्ताक्षर करने का सवाल नहीं उठता। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ हम मार्च, १९४० वाले लाहौर-प्रस्तावके बुनियादी सिद्धान्तोंपर दृढ़ हैं। मैं आपसे अपनी नीति और कार्यक्रम को बदलने की फिर से अपील करता हूँ, क्योंकि इस उप-महाद्वीपके भविष्य और भारतकी जनता के हितोंकी यह माँग है कि आप वास्तविकताओंको स्वीकार करें।"

१६३. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

ईद [२३ सितम्बर, १९४४][1]

भाई जिन्ना,

आज आपको क्या भेजूं, मैं यह सोच रहा था। [मैंने सोचा कि] मेरे लिए जो खाखरा बनता है उसमें से यदि आधा भाग आप दोनों भाई-बहनको[2] भेजूं तो यह मेरे जैसे लोगोंको शोभा देगा। तो यह रहा वह आधा भाग। मुझे उम्मीद है इसे प्रेमकी भेंट समझकर आप अवश्य खायेंगे।

ईद मुबारक

मो० क० गांधीकी ओरसे

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१६४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

बम्बई

२४ सितम्बर, १९४४

जिस-किसीने भी सेवाग्राम आश्रम-सम्बन्धी समाचार प्रचारित किया है, उसने सत्यकी सेवा नहीं की है। समाचारके बारेमें सचाई यही है कि सेवाग्राम आश्रमका विघटन और रूप-परिवर्तन करनेकी बात विचाराधीन है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन यह कहना कि मेरे कारावासके दौरान आश्रमवासियोंका जो आचरण रहा उससे असन्तुष्ट होकर ऐसा किया जा रहा है, सरासर झूठ है। इसके विपरीत कष्टों और चिन्ताओंके उन २१ महीनोंमें आश्रमवासियोंने जिस एकाग्र निष्ठाके साथ आश्रमका संचालन किया, उसके लिए मैंने उनकी बहुत प्रशंसा की है। यदि अन्ततः आश्रमके विघटनका निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा आश्रमवासियोंके क्रिया-कलापको और भी ऊँचे स्तरपर ले जाने के उद्देश्यसे ही किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २५-९-१९४४

१. यह पत्र सितम्बर १९४४के पत्रोंके साथ रखा गया है। उस वर्ष ईद इसी तारीखको पड़ी थी।

२. फातिमा

१६५. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको[1]

२४ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

मेरे २२ और २३ सितम्बरके पत्रोंके उत्तरमें आपके २३ सितम्बरके दोनों पत्र[2] मिले।

आपकी सहायतासे मैं समझौतेपर पहुँचने की सम्भावनाओंकी खोज कर रहा हूँ, ताकि मुस्लिम लीगके लाहौर-प्रस्तावमें उल्लिखित माँग युक्तियुक्त रूपसे पूरी की जा सके। इसलिए आपको इस बारेमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव हमारे समझौतेपर पहुँचने के मार्गमें बाधक होगा। उस प्रस्तावमें भारत बनाम ब्रिटेनके प्रश्नपर विचार किया गया है, और वह हमारे समझौतेके मार्गमें बाधक नहीं हो सकता।

मैं यह मानकर चलता हूँ कि भारतको दो या दो से अधिक राष्ट्र नहीं, बल्कि कई सदस्योंका एक परिवार माना जाना चाहिए, जिनमें से उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों अर्थात् बलूचिस्तान, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तके मुसलमान और पंजाबके जिस भागमें अन्य सभी जातियोंकी अपेक्षा मुसलमान पूर्ण बहुमतमें है तथा बंगाल और असमके जिन हिस्सोंमें मुसलमान पूर्ण बहुमतमें हैं वहाँके मुसलमान शेष भारतसे अलग रहना चाहते हैं।

आपसे सामान्य आधारपर मतभेद रखते हुए भी, मैं मुस्लिम लीगके १९४० के लाहौर-प्रस्तावमें निहित पृथकताकी माँगको अपने आधारपर और नीचे लिखी शर्तों पर मान लेने के लिए कांग्रेस और देशसे सिफारिश कर सकता हूँ:

क्षेत्रोंका सीमा-निर्धारण कांग्रेस और लीग द्वारा मान्य एक कमीशन करे। जिस क्षेत्रका सीमा-निर्धारण हो उसके निवासियोंकी इच्छाओंका पता या तो उस क्षेत्रके बालिग लोगोंके मतों द्वारा अथवा किसी ऐसे ही तरीके द्वारा लगाया जाये।

यदि पृथकताके पक्षमें मत आये तो यह मान लिया जायेगा कि भारतके विदेशी प्रभुत्वसे मुक्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र ही ये क्षेत्र एक पृथक राज्य कायम करेंगे। और इसलिए भारतमें दो सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य कायम हो सकते हैं।

पृथकताके बारेमें एक सन्धि की जायेगी, जिसमें वैदेशिक मामलों, प्रतिरक्षा, आन्तरिक संचार, सीमा-शुल्क, वाणिज्य आदि विषयोंके कारगर और सन्तोषजनक संचालनकी व्यवस्था होगी। ये विषय सन्धि करनेवाले दोनों पक्षोंके बीच अनिवार्य रूपसे समान हितके विषय रहेंगे।

१. इस पत्रका गांधीजी के स्वाक्षरोंमें लिखा हुआ मसौदा जी० एन० २०५६ में उपलब्ध है।
२. देखिए पृ० १३६, पा० टि० १ और परिशिष्ट ८।

सन्धिमें दोनों राज्योंके अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाकी भी व्यवस्था होगी।

कांग्रेस और लीग इस समझौतेको मंजूर कर लेने के बाद तुरन्त ही भारतकी आजादी प्राप्त करने के लिए समान कार्य-विधि निर्धारित करेंगी।

किन्तु लीग ऐसी किसी प्रत्यक्ष कार्रवाईसे अलग रहने को स्वतन्त्र होगी जिसे कांग्रेस शुरू करे और जिसमें भाग लेने के लिए लीग तैयार न हो।

अगर आपको ये शर्तें मंजूर न हों, तो क्या आप मुझे निश्चित रूपमें बतायेंगे कि आप लाहौर-प्रस्तावकी दृष्टिसे मुझसे क्या मनवाना चाहेंगे और कांग्रेससे क्या सिफारिश करवाना चाहेंगे? यदि आप कृपा करके ऐसा कर सकें तो, हमारे रुख विभिन्न होने के बावजूद, मैं यह सोच सकूँगा कि किन निश्चित शर्तोंको मैं स्वीकार कर सकता हूँ। अपने २३ सितम्बरके पत्रमें आपने "लाहौर-प्रस्तावमें उल्लिखित बुनियादी और मूलभूत सिद्धान्तों" का जिक्र किया है और मुझसे उन्हें मान लेने को कहा है। मैं महसूस करता हूँ कि जब मैंने वैसी स्वीकृतिसे उत्पन्न होनेवाले ठोस परिणामको स्वीकार कर लिया है, तो निश्चय ही यह अनावश्यक है।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१६६. पत्र : गणेश वासुदेव मावलंकरको

बम्बई
२४ सितम्बर, १९४४

दादा,

बापाको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा। यदि तनिक भी सम्भव हो तो २ तारीखको वर्धा आना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२५१) से

१. मुहम्मद अली जिन्नाके उत्तरके अंशोंके लिए देखिए परिशिष्ट ९।

१६७. बातचीत: मुहम्मद अली जिन्नाके साथ[1]

२४ सितम्बर, १९४४

जिन्नाने बापूके प्रस्तावपर बातचीत तक करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें (बापूको) कोई अधिकार प्राप्त नहीं था; वे किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

[जिन्ना:] "यदि आप रक्षा और अनेक चीजोंको समान रखना चाहते हैं तो फिर आपके मनमें एक केन्द्रकी कल्पना होगी?"

[गांधीजी:] ऐसी बात तो नही है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि इन चीजोंका नियमन करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा चुने गये व्यक्तियोंकी एक समितिका गठन तो करना ही होगा।

तब वे अगस्त (१९४२) के प्रस्तावपर आये। उन्होंने कहा कि यह मुसलमान-विरोधी है।

"लेकिन क्या आप यह नहीं समझते कि यह बिलकुल निराधार आरोप है? आपकी जैसी तीव्र कानूनी बुद्धि बताई जाती है, उसके बावजूद आप यह क्यों नही देख सकते कि अगस्त-प्रस्ताव सिर्फ भारत और ब्रिटिश शासनकी समस्याके बारेमें है? उसका मुसलमानोंसे कोई सरोकार नहीं है। आप इस मामलेको किसी भी ख्याति-प्राप्त वकीलके पास ले जा सकते हैं और इस बातपर उसकी राय ले सकते हैं कि क्या उस प्रस्तावमें ऐसी कोई बात कही गई है जो मुस्लिम लीग अथवा मुसल-मान-विरोधी हो।"

श्री जिन्नाने कहा कि वे इसकी जरूरत नहीं समझते। "जब मुझे यह बात खुद ही मालूम है तब मुझे किसी और की राय लेने की क्या जरूरत है?" तब मैंने उनसे कहा कि मैं २ अक्तूबरको सेवाग्राममें रहने की बात तय कर चुका हूँ, इसलिए मैं ३० तारीखको रवाना होना चाहूँगा और मैं चार-पाँच दिनोंमें लौट आऊँगा। जिन्नाने कहा, "हमें इतनी देर क्यों लगानी चाहिए? बेहतर है कि हम बातचीत अब खत्म कर दें। मैं मंगलवारको सब चीजें तैयार रखूंगा। आप नकलोंकी[2] जाँच कर लीजिएगा, मैं भी ऐसा ही करूँगा।" उन्होंने प्रस्तावना भी तैयार कर रखी थी, जो उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाई। मैंने कहा कि मुझे इसके विरोध में कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि मुझे इसकी एक नकल मिल जाये तो मै

१. साधन-सूत्रके अनुसार, बातचीतकी यह रिपोर्ट प्यारेलालकी डायरीसे ली गई है। गांधीजी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको जो "अन्तिम रूपसे बातचीत भंग होने की कहानी" बयान की थी, यह रिपोर्ट उसपर आधारित जान पड़ती है।

२. यहाँ संकेत उनके आपसी पत्र-व्यवहारकी ओर है।

इसकी जाँच कर सकूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा आप मंगलवारको कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है। वे तीसरे पक्षको रखने को तैयार नही हैं और न वे अपनी योजना ही बताते है। उन्होंने अगस्त-प्रस्तावकी निन्दा की। उन्होंने साफ शब्दोंमें कहा कि भूल-सुधार किया जाना चाहिए, अर्थात् उसे वापस ले लिया जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी – द लास्ट फेज, जिल्द १, भाग १, पृ० ९३-९४

१६८. एक सन्देश

२५ सितम्बर,[1] १९४४

मैंने भले ही अनेक स्नेही मित्रोंके लिए सन्देश न भेजा हो लेकिन आचार्यकी सेवामें तो मैं हूँ ही, क्योंकि हम तो बचपनके मित्र हैं। उनके पिताजीके समयसे हमारे सम्बन्ध हैं। यह उन्हें पढ़वाना।

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१६९. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

[२५ सितम्बर, १९४४][2]

प्रिय सी० आर०,

यदि तुम मेरे कलके पत्रको[3] हमारी ओरसे अन्तिम बात समझते हो तो तुम्हें निम्नलिखित बातें करनी चाहिए :

१. तुम श्री जिन्नासे कहो कि वे तुमसे मिलें। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें तुम्हारे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, आदि। यदि भूलाभाईको स्थिति अच्छी तरहसे समझमें आ गई है तो वे भी जिन्नासे मिलें। तुम दोनो एकसाथ उनसे मिलने की पेशकश कर सकते हो।

२. अगस्त-प्रस्तावकी जिन्नाकी व्याख्यापर कानूनी रायको मैं बहुत महत्त्व देता हूँ।

३. जिन्नाके नाम निम्नलिखित पत्रपर विचार करो :

"प्रिय कायदे-आजम,

१. साधन-सूत्रमें "अगस्त/सितम्बर" लिखा है।

२ और ३. जिन्नाको २४ सितम्बर, १९४४को लिखे पत्रको "कलका पत्र" कहा है, इसी आधारपर तिथि तय की गई है; देखिए पृ० १३८-३९।

कलकी बातचीतने[1] मुझे आपको यह पत्र लिखने के लिए विवश कर दिया। इसके लिए कृपया आप मुझे क्षमा करें।

आपने तर्क किया है कि मेरे कलके पत्रके उस अनुच्छेदका[2] ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है जिससे लीगकी भावनाओंको ठेस पहुँचे। आपके इस तर्कके औचित्यको मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए आप उसके स्थानपर यह पढ़ें:

'स्वाधीनताके आन्दोलनके दौरान कांग्रेस अथवा लीगका कोई सदस्य अथवा सदस्योंका दल सीधी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें स० अ० [सविनय अवज्ञा] भी शामिल होगी।'

तथापि यह एक बहुत छोटी-सी बात है। यह आपत्तिजनक अनुच्छेद जिस सन्दर्भमें आया है उससे उसकी सदाशयता स्पष्ट देखी जा सकती है।

इस पत्रका मुख्य उद्देश्य आपसे यह अनुरोध करना है कि मेरे प्रस्तावको ठुकराने से पहले आप पचास बार सोचें। यह लाहौर-प्रस्तावकी अनिवार्य अपेक्षाओंको पूरा करने का एक सच्चा प्रयास है। इससे पहले कि आप इसे अस्वीकार करें, मैं चाहूँगा कि आप मुझे लीग कौंसिल, बल्कि लीगके खुले अधिवेशन तकमें भाषण करने का मौका दें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे प्रस्तावको ठुकराने की जिम्मेदारी आप अपने कन्धोंपर न लें। आप पंच-निर्णय अथवा मार्गदर्शनके मेरे प्रस्तावको इस आधार पर मानने से इनकार करते हैं कि मैं आपके पास किसीका प्रतिनिधि बनकर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियतसे गया हूँ। इसमें आप बहुत ज्यादा बारीकीमें पड़ रहे हैं। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि मैं एकता स्थापित करने की खातिर सेवा-भावनासे आपके पास आया हूँ?

कलकी अपनी बातचीतके समय मैंने जो सुझाव रखा था उसे मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अगस्त (१९४२) प्रस्तावकी अपनी व्याख्यापर वकीलकी राय लेनी चाहिए।

राजाजी, जिनकी ईमानदारी और कानूनी योग्यताके बारेमें आपके मनमें बहुत आदर-भाव है, मुझसे इस बातपर सहमत हैं कि अगस्त-प्रस्ताव किसी भी तरह मुसलमान-विरोधी नहीं है। आपका यह कहना गलत है कि कांग्रेस एक हिन्दू अथवा साम्प्रदायिक संगठन है। यदि लीग समस्त भारतकी, भले ही उसे एक, दो या कई भारत माना जाये, स्वतन्त्रताके लिए अकेले ही लड़ती है, तो क्या आप गैर-मुसलमानों के विरोधी होंगे?"

४. यदि तुमने शिवरावको बुलाया नहीं है तो उन्हें बुलाना ठीक होगा।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०५७) से

१. देखिए पृ० १४०-४१।
२. २४ सितम्बर, १९४४ के पत्रमें अन्तिमसे पूर्वका अनुच्छेद, देखिए पृ० १३९।

१७०. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

२५ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

कल आपके साथ जो बातचीत हुई, उसके फलस्वरूप मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। आशा है कि आप बुरा नही मानेंगे।

गत जुलाई महीनेमें राजाजी के साथ उनके फार्मूलेके सम्बन्धमें आपका जो पत्र-व्यवहार हुआ था और उसपर आपने मुस्लिम लीगकी कार्यकारिणीसे जो सलाह-मशविरा किया और हम दोनोंकी मुलाकातका सुझाव रखते हुए मैंने आपको जो पत्र[1] लिखा, उसके फलस्वरूप हमारी बातचीत हुई। कल मैंने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा, वह लाहौर-प्रस्तावकी अनिवार्य अपेक्षाओंको स्वीकार करने का सच्चा प्रयास है। अतएव मैं यह चाहता हूँ कि आप उस प्रस्तावको, जो साम्प्रदायिक मेल-मिलाप कायम करने के सेवा-भावसे ही पेश किया गया है, अस्वीकृत करने से पहले पचास बार सोचें। मैं प्रार्थना करूँगा कि इस प्रस्तावको ठुकराने की जिम्मेवारी आप अपने ऊपर न लें। आप इसे लीग कौंसिलमें पेश करें। मुझे भी उसमें भाषण देने का अवसर दें। यदि कौंसिलका विचार इसे अस्वीकृत करने का हो तो मैं चाहूँगा कि आप कौंसिलको सलाह दें कि वह इसे लीगके खुले अधिवेशनके सामने पेश करे। यदि आप मेरी सलाह मान जायें और अनुमति दें, तो मैं खुले अधिवेशनमें शामिल होऊँगा और उसमें भाषण दूँगा।

मतभेदके मुद्दोंपर पंच-निर्णय अथवा किसी बाहरी मार्गदर्शनके प्रस्तावको भी आपने रद्द कर दिया। यहाँ आप बहुत अधिक बारीकीमें पड़ रहे हैं। यदि मैं प्रातिनिधिक हैसियतसे नही, व्यक्तिगत हैसियतसे आपके पास आया हूँ तो इसका कारण यह है कि यदि मैं आपके साथ कोई समझौता कर सकूँ तो कांग्रेस और लीगके बीच समझौता होने में सहायता मिलेगी और देश भी उसे स्वीकार कर लेगा। अतएव यदि हम दोनों एक-दूसरेको यकीन दिलाने के लिए बाह्य सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श लें अथवा पंच-निर्णयसे काम लें, तो क्या यह असंगत अथवा अविचारणीय है?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४१९।

१७१. पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाको

२६ सितम्बर, १९४४

प्रिय कायदे-आजम,

कल मैंने जो पत्र आपको लिखा था उसको दृष्टिमें रखते हुए यदि मै अपने निर्णयके अनुसार काम करता, तो मैं आज मुलाकात होने से पूर्व आपके पत्रका[1] उत्तर न देता। लेकिन राजाजी की सलाहके अनुसार मै पत्र-व्यवहारकी शृंखला पूरी करना चाहता हूँ।

मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि मेरी समझमें यह नहीं आता कि आप इस तथ्यको मानने से क्यों लगातार इनकार करते हैं कि २४ सितम्बरके मेरे पत्रमें आपको जो फार्मूला दिया गया था तथा राजाजी ने आपके समक्ष जो फार्मूला रखा है, उनसे आपको प्रायः वह सब मिल जाता है जो लाहौर-प्रस्तावमें निहित है, और साथ ही देश इस प्रबन्धको स्वीकार कर सके, इसके लिए नितान्त आवश्यक व्यवस्था भी हो जाती है। आप यह कहते जाते हैं कि मैं कुछ सिद्धान्त स्वीकार कर लूँ, जब कि मैं यह कह रहा हूँ कि हम लोगोंके लिए, जो समस्याके प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि प्रस्तावमें निहित माँगको मूर्त रूप दें और इस तरह निष्पन्न करें कि वह हम दोनोंको स्वीकार हो। मेरा खयाल है कि राजाजी के फार्मूलेको हमें इसी आधारपर देखना है और इसी आधार पर मैंने अपनी बातचीतके दौरान और उसके फलस्वरूप उसे निष्पन्न किया है। मेरा यह कहना है कि दोनों ही आपको लाहौर-प्रस्तावका सार प्रदान कर देते हैं। दुर्भाग्यवश आप दोनोंको अस्वीकार करते हैं। और मैं लाहौर-प्रस्तावको उस रूपमें स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें कि आप चाहते हैं, विशेषकर जब कि आप उसकी व्याख्यामें ऐसे दावे तथा सिद्धान्त शामिल करने की कोशिश करते हैं जिनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता और न कभी देशसे मनवा सकने की आशा कर सकता हूँ।

आपका बार-बार यह कहना कि मुझे प्रतिनिधिका अधिकार नहीं मिला हुआ है, वास्तवमें अप्रासंगिक है। मैं आपके पास इस विचारसे आया हूँ कि यदि आप और मैं किसी एक मार्गको स्वीकार कर लें तो कांग्रेस तथा देशसे उसे मनवाने के लिए जो भी प्रभाव मेरे पास है, मैं उसे काममें ला सकूँ। यदि आप वार्ता भंग करेंगे तो इसका कारण यह नहीं है कि मैं प्रतिनिधिकी हैसियत नहीं रखता या

१. देखिए परिशिष्ट १०।

मैं लाहौर-प्रस्तावमें निहित दावेके बारेमें आपको सन्तोष देने के लिए अनिच्छुक रहा हूँ।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१७२. पत्र : कमलनयन बजाजको

२६ सितम्बर, १९४४

चि० कमलनयन,

तेरा पत्र पढ़ा। हम घोषित समयमें वह नहीं करेंगे। आश्रममें ही करेंगे। दो बजे थैली लूँगा। नियमपूर्वक अनुमति नहीं ली जा सकती। आनेवाले व्यक्तियोंको तो कोई जोखिम नहीं होनेवाला। कभी-कभी नियमका पालन न करने में ही फायदा है। यह एक इसी तरहका उदाहरण है।

तू स्वस्थ रहना। आनेवाले सज्जनोंकी सुख-सुविधाकी ठीक व्यवस्था हो, इतना ही पर्याप्त है। बाकी ईश्वरके हाथमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१७३. तार : किशोरलाल घनश्याम मशरूवालाको

एक्सप्रेस

बिड़ला भवन, मलाबार हिल, बम्बई
२७ सितम्बर, १९४४

किशोरलाल मशरूवाला
सेवाग्राम
वर्धा

ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। पूरी तरह आराम करो। मैं जल्दी ही पहुँच रहा हूँ।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. जिन्नाके इसी तारीखके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ११।

१७४. भाषण : प्रार्थना-सभामें[1]

बम्बई
२७ सितम्बर, १९४४

गांधीजी ने कहा कि मैं पहलेकी भाँति हिन्दुस्तानीमें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उपस्थित लोगोंमें से अधिकतर गुजराती हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्द सीधे उनके दिलोंमें प्रविष्ट हो जायें। मुझे खास तौरपर स्त्रियोंका खयाल है, जो हिन्दुस्तानीकी अभ्यस्त नहीं हैं।

जिन्नाके साथ हुए अपने पत्र-व्यवहारका भेद खुल जाने और कुछ अखबारोंमें उस पत्र-व्यवहारके अनधिकृत प्रकाशनकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने समाचार-पत्रोंको अटकलें लगाने के विरुद्ध पहले ही चेतावनी दे दी थी,[2] क्योंकि मुझे लगा कि उससे उद्देश्यको हानि पहुँचेगी। लेकिन अखबारोंमें अब जो-कुछ प्रकाशित हुआ है वह महज अटकलबाजी नहीं है। लगता है कि अखबारोंको किसी प्रकार पत्र-व्यवहारकी असली नकलें हाथ लग गई हैं। इसमें शायद उनकी होशियारी तो दिखती है, लेकिन उनके लिए इसमें कोई श्रेयकी बात नहीं है। प्रत्येक धन्धेकी तरह पत्रकारिताके भी कुछ नैतिक नियम होते हैं। मैं यहाँ उन अखबारोंके बारेमें कोई फैसला नहीं देना चाहता। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पत्रकारिताके क्षेत्रमें भी मैंने शायद एक भिन्न नैतिक नियमका पालन किया है।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पत्र-व्यवहारका भेद हमारे दफ्तरसे बाहर नहीं निकला है, और ऐसा मानने के मेरे पास काफी मजबूत कारण हैं। अभी उस दिन मैंने कायदे-आजमका ध्यान पत्र-व्यवहारके रहस्योद्घाटनकी ओर दिलाया था; किन्तु कायदे-आजम उसकी ओरसे उदासीन रहे। लोक-नेताओंको ऐसी उदासीनता धारण करने का अभ्यास करना होता है, अन्यथा जीवन ही दूभर हो जाये। लेकिन इस प्रकारकी बातोंमें जनताको मजा नहीं लेना चाहिए। यदि जनता ऐसी चीजोंके प्रति अपनी जोरदार नापसन्दगी जाहिर कर दे, तो अखबार ऐसी बातें दुबारा नहीं करेंगे। यह बात असहनीय है कि कोई बिना अधिकारके किसीके निजी पत्र-व्यवहार का भेद लेने और उसे प्रचारित करने का प्रयत्न करे।

उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब बातचीत समाप्त हो जायेगी तो मैं नतीजा आपको बता दूँगा। वह स्थिति कल ही आ चुकी थी, किन्तु चूँकि पत्र-व्यवहारकी नकलें तैयार नहीं थीं, इसलिए उसे प्रकाशनार्थ देने के लिए आजतक

१. इसे गांधीजी के गुजरातीमें दिये गये भाषणकी "अधिकृत" रिपोर्टके रूपमें जारी किया गया था।

२. देखिए पृ० १०६।

प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब पत्र-व्यवहारकी अधिकृत नकलें कायदे-आजम के प्रारम्भिक वक्तव्यके साथ समाचारपत्रोंको भेज दी गई हैं।

अबतक मैंने आपसे कहा था कि मैं बातचीतके परिणामके बारेमें निराश नहीं हूँ। मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि मैं जिस परिणामकी आशा लगाये था, वह नहीं आया। किन्तु में निराश या हताश नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि इस विफलतासे भी अच्छा नतीजा ही निकलेगा।

यद्यपि कायदे-आजम और मैं एक-दूसरेको सार्वजनिक जीवनमें पहले भी काफी अच्छी तरह जानते थे, किन्तु हमें इतने घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्पर्कमें आने का कभी मौका नहीं मिला था। हमारी बातचीत मित्रता और सौहार्दके साथ हुई। मैं चाहता हूँ कि तमाम जातियाँ एक-दूसरेके साथ वैसी ही मित्रता और हार्दिकताकी भावना बढ़ायें। उसके द्वारा वे एक-दूसरेका मत-परिवर्तन करने की कोशिश करें।

आप पूछेंगे, "फिर मैं और कायदे-आजम एक-दूसरेको क्यों नहीं बदल पाये?" मेरा उत्तर यह है कि मैंने कायदे-आजमका दृष्टिकोण मानने के लिए अधिकसे-अधिक हदतक जाने की भरसक कोशिश की। मैंने उन्हें समझने और अपनी बात उन्हें समझाने की बेहद कोशिश की। किन्तु मैं विफल रहा।

मैंने कायदे-आजमके सामने राजाजी का फार्मूला रखा, किन्तु वह उन्हें पसन्द नहीं आया। तब मैंने उसके बजाय अपना खुदका प्रस्ताव पेश किया, किन्तु उसे भी जिन्ना साहबकी स्वीकृति न मिल सकी। इसी प्रकार, जिन्ना साहबके प्रस्तावको मैं नहीं मान सका। यदि हममें से कोई भी कमजोर होता, तो हम शायद किसी-न-किसी समझौतेपर पहुँच जाते। किन्तु जिम्मेदार आदमी होने के नाते हम कमजोर नहीं हो सकते थे। जहाजके कप्तानको मजबूत और दृढ़ होना पड़ता है, अन्यथा जहाज चट्टानसे टकरा जायेगा। हरएकने दूसरेको समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि हम दोनों गलतीपर हों। किन्तु जबतक हममें से प्रत्येक अपनेको सही समझता है, वह अपनी बातको नहीं छोड़ सकता।

मैं जानता हूँ कि बातचीत भंग होने की खबरसे भारतके मित्रोंको दुःख होगा, और शत्रुओंको इससे खुशी हो सकती है। मैं आपका ध्यान उनके[1] वक्तव्यकी आखिरी पंक्तिकी ओर खींचता हूँ, जिसमें कहा गया है कि यह हमारी कोशिशोंका अन्त नहीं है।

यद्यपि हम एक-दूसरेके दृष्टिकोणको मानने में असमर्थ रहे, किन्तु जनता ऐसा करने में हमारी सहायता कर सकती है। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि किसीको निराशा होनी चाहिए तो वह मैं हूँ। मैंने कायदे-आजमका द्वार खटखटाया था। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। सत्य और अहिंसाका पुजारी, यदि कभी उसके प्रयत्नोंका वांछित परिणाम न निकले तो, निराश नहीं होता। विफलतासे तो आगे और प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। परमात्मा ही जानता

१. साधन-सूत्रमें यहाँ "हमारे" दिया गया है। यहाँ संकेत मु० अ० जिन्नाके वक्तव्यकी ओर है; देखिए परिशिष्ट १२।

है कि हमारा हित किसमें है। हमें परमात्माके तरीकोंपर शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए निराश होने के बदले इस विफलताको आप अपनी आस्थाके लिए एक चुनौती समझें, और विभिन्न जातियोंमें सच्ची एकता स्थापित करने की ओर भी अधिक कोशिशके लिए इससे प्रेरणा प्राप्त करें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

१७५. पत्र : श्रीमन्नारायणको

[२७][1] सितम्बर, १९४४ [के पश्चात्]

चि० श्रीमन्,

तुमारी पोथी[2] मिलि है। पढने की कोशीश करूंगा।

हिंदी-उर्दुके बारेमें तुमने जो लिखा है उससे काफी अशांति फैल गई है ऐसा मगनभाई कहते हैं। मेरा खत[3] मिला होगा। मैं ३० तारीखको रवाना हूंगा। उससे पहले हो सकता है।

बापुके आशीर्वाद

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३०१

१७६. तार : विजयलक्ष्मी पण्डितको

एक्सप्रेस २८ सितम्बर, १९४४

विजयलक्ष्मी पण्डित
२, मुकर्जी रोड
इलाहाबाद

कोई वचन दिये बिना यह वादा करते हुए औपचारिक प्राप्ति-सूचना भेज दो कि आगे जवाब दोगी। यदि सुविधाजनक हो तो २ अक्तूबरको सेवाग्राम पहुँच जाओ।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. २७ सितम्बरतक गांधीजी के रवाना होने की तारीख निश्चित नहीं हुई थी; देखिए "तार : किशोरलाल घनश्याम मशरूवालाको", पृ० १४५।
२. गांधियन प्लान की
३. देखिए पृ० १३५।

Bombay 28-9-44

Dear Subbulakshmi.

Rajaji has told me everything about your good work in connection with Kasturba Memorial Fund by using your musical gifts. May God bless you.

Yours

[illegible]

१७७. पत्र : एम० एस० सुब्बुलक्ष्मीको

बम्बई
२८ सितम्बर, १९४४

प्रिय सुब्बुलक्ष्मी,[1]

अपनी संगीत-प्रतिभाका प्रयोग करके तुमने कस्तूरबा स्मारक-कोषके लिए जो उत्तम कार्य किया है, उसके बारेमें राजाजी ने मुझे सब-कुछ बताया है। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी[2]

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०६००) से। सौजन्य : टी० सदाशिवम्

१७८. पत्र : गिरधरलाल मोदीको

बम्बई
२८ सितम्बर, १९४४

भाई गिरधरलाल,

सुशीलाबहनने तुम्हारी बीमारीकी बात मुझे बताई। मेरा मन तो कहता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए जाऊँ, लेकिन मेरी विवशता तो तुम जानते ही हो।

और अधिक प्यारेलालजी लिखेंगे। झटपट ठीक हो जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०२१३) से। सौजन्य : जयाबहन मोदी

१. (जन्म १९१६); कर्नाटक संगीतकी प्रख्यात गायिका
२. हस्ताक्षर तमिलमें हैं।

१७९. भेंट : समाचारपत्रोंको[1]

२८ सितम्बर, १९४४

यह अत्यन्त खेदकी बात है कि हम दोनों कोई समझौता नहीं कर पाये। लेकिन इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं है। बातचीत तो नाममात्रको भंग हुई है। वस्तुतः इसे अनिश्चित कालके लिए स्थगित कर दिया गया है। अब हम दोनोंको जनतासे बात करनी होगी और उसके सम्मुख अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने होंगे। यदि हम निष्ठापूर्वक ऐसा करते हैं और जनता हमारे साथ सहयोग करती है, तो यह सम्भव है कि हम इस असाध्य दिखाई देनेवाली समस्याका जल्द ही कोई समाधान ढूंढ़ निकालें। पिछले तीन हफ्तोंके अनुभवसे मेरा यह विचार पक्का हो गया है कि एक तीसरी शक्तिकी उपस्थितिसे समस्याके समाधानमें बाधा पहुँचती है। जिस व्यक्ति का मन गुलाम हो वह स्वतन्त्र व्यक्तिकी तरह काम नहीं कर सकता। जो मुझे स्वयंसिद्ध सत्य जान पड़ता है उसे सिद्ध करने के लिए मुझे शासकोंकी नीयतपर शक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी, मैं, जैसा कि मैं पिछले तीन सप्ताहसे करता आ रहा हूँ, समस्याके समाधानकी दिशामें अपने प्रयत्न जारी रखूंगा। जो प्रश्न विचाराधीन हैं, वे बहुत सरल हैं। क्या राजाजी का अथवा मेरा फार्मूला एक ठीक हदतक लाहौर-प्रस्तावके निकट पहुँच पाया है? यदि दोनों अथवा उनमें से कोई ऐसा कर पाया है तो सब पक्षोंको और विशेषकर मुस्लिम लीगके सदस्योंको कायदे-आजम जिन्नासे अपनी राय बदलने के लिए कहना चाहिए। यदि राजाजी ने और मैंने लाहौर-प्रस्तावको प्रभावहीन किया है, तो हमें यह समझाना चाहिए। मुख्य बात तो यह है कि समाचारपत्रों और जनताको पक्षपात और कटुतासे बचना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि उनका भविष्यका कार्यक्रम क्या है, क्या वे हिन्दू-मुस्लिम समस्याके समाधानपर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहेंगे अथवा राजनीतिक कार्य शुरू करना और यदि जरूरी हुआ तो जेल जाना चाहेंगे, महात्मा गांधीने उत्तर दिया :

मेरी अन्तरात्मा जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा।

जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वह किस हदतक लीगके लाहौर-प्रस्तावमें की गई माँगको स्वीकार करता है, तो महात्मा गांधीने इस

१. बिड़ला भवनमें ४० भारतीय और विदेशी पत्रकारोंका सम्मेलन हुआ था; इसमें अन्य लोगोंके अलावा सरोजिनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भूलाभाई देसाई, नगीनदास मास्टर, एम० वाई० नूरी, डॉ० एम० डी० डी० गिल्डर और एस० के० पाटिल भी उपस्थित थे। गांधीजी ने पहले अपना संक्षिप्त वक्तव्य पढ़कर सुनाया।

बातपर जोर दिया कि राजाजी के फार्मूलेमें अथवा मैंने जो फार्मूला रखा उसमें लीगकी माँगके सारको स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा :

मेरे विचारसे, समस्त भारतके हितोंको ध्यानमें रखते हुए युक्तियुक्त रूपसे जितना दिया जा सकता है उतना इन दोनों फार्मूलोंमें दिया गया है।

यह पूछे जाने पर कि क्या यह समझा जाये कि उन्होंने अपना प्रस्ताव अब वापस ले लिया है, महात्मा गांधीने उत्तर दिया कि जहाँतक मेरा ताल्लुक है, मेरा प्रस्ताव अब भी कायम है। यह किसी सौदेबाजीकी भावनासे प्रेरित होकर नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा :

मेरा खयाल है कि यह समस्याका उचित समाधान है, और साम्प्रदायिक प्रश्नके सिलसिलेमें कांग्रेसकी हमेशाकी नीति अर्थात् आत्म-निर्णयकी भावनाके अनुरूप है।

बातचीत करनेवाले दोनों नेताओंके प्रातिनिधिक रूपको लेकर कई प्रश्न पूछे गये और यह भी पूछा गया कि बातचीतके पहले दिन ही जब महात्मा गांधीको श्री जिन्नाके दृष्टिकोणके बारेमें पता चल गया था तब उन्होंने बातचीत क्यों जारी रखी। महात्मा गांधीने उत्तर दिया :

मेरे बारेमें यह प्रसिद्ध है कि मुझमें असीम धैर्य है और मुझे इस बारेमें निराश होने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि या तो कायदे-आजम जिन्ना मुझे अपने विचारोंका कायल कर देंगे अथवा मैं उन्हें कायल कर दूंगा। इसलिए जबतक थोड़ी-सी भी गुंजाइश थी, मै यह आशा लगाये रहा कि हम कोई-न-कोई हल ढूँढ निकालेंगे। ऐसे मामलोंमें जल्दबाजी करना बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आपको यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कलका दिन ही सचमुच वह दिन था जब हमें जनताको सब-कुछ बता देना चाहिए था। जहाँतक मेरा सवाल है, मुझे इस बातका पूरा सन्तोष है कि हमने ये तीन हफ्ते व्यर्थ नहीं खोये हैं। और मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम दोनों एक-दूसरेको पहलेसे ज्यादा अच्छी तरह जानने लगे हैं।

जब आपने श्री जिन्नासे मिलने जाना स्वीकार किया, तब क्या आप उनसे यह सोचकर मिलने गये थे कि श्री जिन्ना मुसलमानोंके एकमात्र प्रतिनिधि हैं ?

मैंने इस दावेको कभी स्वीकार नही किया है, लेकिन मैं हमेशा यह कहता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग मुसलमानोंका सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक संगठन है। यदि मैं इस बातको स्वीकार न करता तो यह मेरी मूर्खता होती, लेकिन मुझे इस बातका हमेशा भान रहा है कि मुस्लिम लीगके बाहर मुसलमानोंकी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लीगके विचारोंसे सहमत नहीं है और जिसे दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तमें विश्वास नही है।

महात्मा गांधीने इस बातपर बल दिया कि कायदे-आजमके साथ बातचीत करते वक्त स्वाधीनताकी लड़ाई स्थगित नहीं कर दी गई थी। उन्होंने कहा :

कायदे-आजमके पास मेरा जाना भी स्वाधीनताकी लड़ाईका एक अंग ही था।

यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों नेताओंके निकट भविष्यमें मिलनेकी कोई सम्भावना है, महात्मा गांधीने कहा:

मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब इसे सम्भव बनाना और इस अवसरको निकट लाना समाचारपत्रों और जनताका काम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने शत्रुके रूपमें नहीं, बल्कि मित्रके रूपमें परस्पर एक-दूसरेसे विदा ली है।

यदि राजाजी के फार्मूलेमें या आपके फार्मूलेमें लाहौर-प्रस्तावको सार रूपमें स्वीकार किया गया है, तो आप लाहौर-प्रस्तावको ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते?

हालाँकि प्रस्तावमें ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन यदि आप पत्र-व्यवहार पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह प्रस्ताव दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तपर आधारित है और उसे पाकिस्तान-प्रस्तावके रूपमें जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, कायदे-आजम जिन्नाने प्रस्तावको स्पष्ट करते हुए अपने अनेक भाषणों और वक्तव्योंमें उसकी जो व्याख्या की है उसको ध्यानमें रखते हुए मुझे प्रस्तावकी जाँच करनी थी। यद्यपि प्रस्तावमें [दो राष्ट्रोंके] सिद्धान्तकी घोषणा नहीं की गई है, तथापि यह निर्विवाद है कि उक्त प्रस्ताव इसी सिद्धान्तपर आधारित है। कायदे-आजमने उस पर आग्रह किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तके सिवा, यदि मैं लीगकी माँगके अनुरूप भारतके विभाजनके सिद्धान्तको स्वीकार कर सकूँ, तो उन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यसे ठीक इसी मुद्देपर हममें मतभेद हो गया।

यह पूछे जाने पर कि अस्थायी अन्तरिम सरकारके बारेमें श्री जिन्नाके क्या विचार हैं, महात्मा गांधीने कहा:

कायदे-आजम अस्थायी सरकारको बहुत महत्त्व देते हैं, मैं यह यकीनके साथ नहीं कह सकता। अन्तरिम सरकारकी मेरी जो कल्पना है उसके बारेमें मैंने उन्हें निःसंकोच होकर विस्तारपूर्वक बताया। मेरे पत्रोंसे[1] यह बिल्कुल स्पष्ट है। यदि मैं और आगे नहीं गया तो इसका कारण यही है कि मैं इससे आगे जा नहीं सकता था और यदि आप मुझसे और जिरह करेंगे तब भी मैं कहूँगा कि मैं इससे आगे जा नहीं सकता था। लेकिन यदि, जैसा कि आपका संकेत है, कायदे-आजम इसे अधिक महत्त्व देते हैं तो वे इसे स्पष्ट रूपमें रख सकते थे। तब मैं भी पूरा जोर लगाता और सुझावको स्वीकार करने की पूरी कोशिश करता या कोई और सुझाव रखता।

महात्मा गांधीको बताया गया कि जो मुसलमान मुस्लिम लीगसे सहमत नहीं हैं उन्हें सचमुच मुसलमानोंका समर्थन प्राप्त नहीं है। इसके उत्तरमें महात्मा गांधीने कहा:

१. देखिए पृ० १०७-८ और ११२-१३।

इसीलिए तो मैंने यह कहा है कि मुस्लिम लीग मुसलमानोके मतका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहकर अन्य लोगोंका तिरस्कार नही कर सकता कि उन्हें मुसलमानोंका समर्थन प्राप्त नही है। यदि एक मुसलमान अथवा उँगलियोंपर गिने जा सकनेवाले मुसलमानोंकी एक संस्थाका मत सचमुच अच्छा और ठोस है, तो उन्हें अधिकांश मुसलमानोंका समर्थन प्राप्त है या नही, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी प्रश्नपर विचार करते समय हमें इस बातकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उस प्रश्नके अमुक दलके पक्षमें कितने लोगोंने अपनी राय व्यक्त की है, बल्कि गुण-दोषके आधारपर उस रायकी जाँच करते हुए यह देखना चाहिए कि वह कितनी ठोस है। यदि हम ऐसा नही करते हैं, तो हम कभी भी कोई हल नहीं ढूँढ़ सकेंगे और यदि हम कोई हल ढूंढ भी लेते हैं तो वह एक विचारशून्य हल होगा, जिसका आधार केवल यही होगा कि बहुमत उसके पक्षमें है। यदि बहुमत गलतीपर है तो मेरा काम उसके आगे समर्पण न करके उसे उसकी भूलका भान कराना है। बहुमतके सिद्धान्तका तात्पर्य यह नही है कि उसमें एक भी व्यक्तिकी रायको, यदि वह ठोस है तो, कुचला जाये। एक व्यक्तिकी राय यदि गुण-दोषके आधारपर ठोस है, तो उसकी रायको अनेक लोगोंकी रायके मुकाबले अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। मेरे विचारसे सच्चा लोकतन्त्र यही है।

महात्मा गांधीसे पूछा गया कि भाषा, संस्कृति और साम्प्रदायिकताके आधार पर प्रान्तोंकी रचना करने का जो विचार है उसके बारेमें उनकी क्या राय है। उन्होंने उत्तर दिया कि १९२०से मैं भाषाके आधारपर प्रान्तोंकी रचना किये जाने के पक्षमें हूँ। जहाँतक सांस्कृतिक आधारपर प्रान्तोंके पुनर्गठनकी बात है, मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, और यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि साम्प्रदायिक आधारपर प्रान्तोंकी पुनर्रचना तबतक कैसे की जा सकती है जबतक कि विभिन्न सम्प्रदायोंके लोगोंको खास-खास इलाकोंमें इकट्ठा करने के लिए आबादीकी अदला-बदलीकी बात न हो। मुझे तो यह बात हवाई और असम्भव दिखाई देती है। उन्होंने कहा :

हम किसी ऐसे देशमें नही रहते जो रेगिस्तानी और बंजर इलाकोंसे भरा हो। हमारा देश तो बहुत घनी आबादीवाला देश है और मुझे आबादीके इस तरहके पुनर्वितरणकी तनिक भी सम्भावना दिखाई नही देती। इस दृष्टिसे लाहौर-प्रस्ताव काफी अच्छा है। जहाँ मुसलमानोंका स्पष्ट बहुमत हो वहाँ उन्हें अपने अलग राज्यका गठन करने देना चाहिए और इस बातको राजाजी के अथवा मेरे फार्मूलेमें पूर्णतया स्वीकार किया गया है। उन दोनोंमें कोई विशेष अन्तर नही है। इस अधिकारको बिना किसी संकोचके मान लिया गया है। लेकिन यदि उसका अर्थ सर्वथा स्वतन्त्र प्रभुसत्तासे है, जिससे उन दोनोंके बीच कोई भी समान चीज न रहे, तो मैं इसे एक असम्भव प्रस्ताव मानता हूँ। इसका अर्थ तो यह है कि आखिरी दमतक संघर्ष चलेगा। यह ऐसा प्रस्ताव नही है जिसमें स्वेच्छापूर्ण या मैत्रीपूर्ण हलकी गुंजाइश हो।

इसलिए, राजाजी के फार्मूले और मेरे फार्मूलेमें प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्योंके बीच कुछ बातें समान रखने का सुझाव दिया गया है। इसलिए एक पक्षके दूसरे पक्षपर हावी होने का अथवा केन्द्रमें हावी हिन्दू बहुमत होने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा विचार है कि हमारे फार्मूलेपर बारीकीसे और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और ऐसा करने पर मालूम होगा कि यदि हम अपने-आपको एक परिवारके सदस्य मानते हैं, तो उसमें हर ऐसी बातको स्वीकार किया गया है जो युक्तियुक्त रूपसे स्वीकार की जा सकती है। एक ही परिवारके सदस्योंको यदि धर्म-परिवर्तनके कारण एक-दूसरेसे असन्तुष्ट होकर अलग होना ही पड़े, तो हमें भीतर-ही-भीतर अलग होना चाहिए और सारे संसारके सामने अलग नहीं होना चाहिए। जब दो भाई एक-दूसरेसे अलग हो जाते हैं, तो वे दुनियाके सामने शत्रु नहीं बन जाते। दुनिया तो उन्हें तब भी भाईके रूपमें ही जानेगी।

एक पत्रकारने कहा कि कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान यह महसूस करते हैं कि महात्मा गांधीके जरिये कांग्रेसने जिन्नासे मिलकर उनको विषम स्थितिमें डाल दिया है, और शायद उन्हें भारतीय राष्ट्रवादके प्रति अपने दृष्टिकोणको बदलना होगा।

महात्मा गांधीने उत्तर दिया कि यह तो बहुत विचित्र बात है। राष्ट्रवादी मुसलमान इसलिए राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि वे कुछ और हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा:

मैं राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन किसीको खुश करने के विचारसे राष्ट्रवादी नहीं हूँ, बल्कि इसलिए हूँ कि इसके अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता। और यदि मैं कायदे-आजम जिन्नाके पास गया हूँ तो स्वयं अपने, राष्ट्रवादी मुसलमानों और अन्य राष्ट्रवादियोंके समान हितोंकी खातिर गया हूँ। जहाँतक मैं जानता हूँ, राष्ट्रवादी मुसलमान मेरे कायदे-आजमसे मिलने जाने की बातपर प्रसन्न हुए थे और इस विश्वासके साथ एक उचित समाधानकी अपेक्षा कर रहे थे कि वे जिन हितोंका प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें मैं बेचूँगा नहीं।

बेशक, एक राष्ट्रवादी मुसलमान राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह उन मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व भी करता है जो राष्ट्रके अंग हैं। यदि वह मुसलमानों के हितोंकी बलि देता है तो वह विश्वासघातका दोषी होगा। लेकिन मेरे राष्ट्रवादने मुझे यह सिखाया है कि यदि मैं एक भी भारतीयके हितोंकी बलि देता हूँ तो मैं विश्वासघातका दोषी होऊँगा।

यह पूछे जाने पर कि मुस्लिम लीगकी माँगके प्रति उनका आज जो रुख है और १९४२ में उन्होंने जो रुख अपनाया था, इन दोनोंमें कोई अन्तर है या नहीं, महात्मा गांधीने उत्तर दिया:

दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर है। जिस तरह राजाजी आगाखाँ महलमें एक ठोस सुझाव लेकर 'आविर्भूत' हुए, उस तरह १९४२ में नहीं हुए थे। इससे उनकी लगन-शीलताका परिचय मिलता है। वे जबतक पूरी तरहसे सोच-विचार नहीं कर लेते तबतक कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाते, और किसी दृष्टिकोणको एक बार अपना

लेने के वाद उसे अन्ततक नहीं छोड़ते। उन्हें मेरी वफादारीपर वहुत ज्यादा विश्वास है और जिस तरह मैंने उन्हें कभी नही छोड़ा उसी तरह उन्होंने भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब आगाखाँ महलमें मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे सामने अपना फार्मूला रखा तब मुझे सोचने में पाँच मिनट भी नही लगे और मैंने कह दिया 'हाँ', क्योंकि मैंने उसे एक ठोस रूपमें देखा।

मेरा मन संकीर्ण है। मैंने ज्यादा साहित्य नही पढ़ा है। मैंने ज्यादा दुनिया नही देखी है। मैंने जीवनमें कुछ चीजोंपर ही ध्यान केन्द्रित किया है और उनके परे मेरी और किसी चीजमें रुचि नहीं है। इसलिए, मैं राजाजी के दृष्टिकोणको नही समझ सका था और वह मुझे अच्छा नही लगा था। लेकिन जब वे एक ठोस फार्मूला लेकर मेरे सामने आये — मैं स्वयं हाड़-मांसका बना एक ठोस प्राणी हूँ — और जब उन्होंने कोई चीज ठोस रूपमें प्रस्तुत की तो मैंने महसूस किया कि में उसे अपना सकता हूँ, उसे छू सकता हूँ। इसलिए आप मेरे १९४२ के और आजके दृष्टिकोणमें वहुत बड़ा अन्तर देखते है। तथापि ऐसा करके मैं कांग्रेसकी आम स्थिति से अलग नहीं हटा हूँ। कांग्रेसने आत्म-निर्णयके सिद्धान्तको स्वीकार किया है और राजाजी के फार्मूलेमें भी इसे माना गया है, इसलिए यह फार्मूला एक सामान्य आधार बन गया है।

आगे बोलते हुए महात्मा गांधीने कहा कि मैं मैत्री भावके अनुरूप प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्योंके सिद्धान्तको स्वीकार करता हूँ। उन्होंने कहा :

मित्रताका मतलब यह है कि हम सारी दुनियाके सामने एक राष्ट्रकी तरह व्यवहार करें। हमारी एकता बाहरी परिस्थितियों या ब्रिटेनकी सैनिक शक्तिकी बनाई हुई एकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वयं अपने दृढ़ संकल्पकी महत्तर शक्ति द्वारा हम एकताके सूत्रमें बँधे रहें।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-जिन्ना टॉक्स, पृ० ४२-४६, और बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-९-१९४४

१८०. भेंट : 'न्यूज क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको[1]

बम्बई

२९[2] सितम्बर, १९४४

श्री गांधीने मुझे आज बताया कि श्री जिन्नाके साथ उनकी बातचीतसे हिन्दू-मुस्लिम मतभेदोंका हल क्यों नहीं निकला।

मैं दो राष्ट्रोंके आधारको स्वीकार न कर सका। यह माँग श्री जिन्नाकी थी। वे चाहते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध, समस्त पंजाब, बंगाल और असमको तुरन्त प्रभुसत्ता-सम्पन्न और पूर्णतया स्वतन्त्र पाकिस्तान स्वीकार कर लिया जाये।

वे चाहते हैं कि श्री गांधी जनमत-संग्रह द्वारा वहाँके निवासियोंकी इच्छाका पता लगाये बिना ही भारतके इस विभाजनको स्वीकार कर लें। उन्होंने राजगोपालाचारी फार्मूलेको अस्वीकार कर दिया। मैंने श्री गांधी से पूछा कि वे पाकिस्तानको किस रूपमें स्वीकार करने को तैयार हैं और भविष्यमें किस आधारपर समझौतेकी आशा की जा सकती है? श्री गांधीका उत्तर स्पष्ट और साफ था। उन्होंने कहा :

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे खयालमें श्री जिन्ना खरे हैं, किन्तु ऐसा समझना उनका भ्रम है कि भारतका अप्राकृतिक विभाजन सम्बन्धित लोगोंकी सुख-समृद्धिका कारण होगा। मेरा यह सुझाव था कि यदि जनमत-संग्रहका संरक्षण मान लिया जाये, तो मुस्लिम बहुमतवाले क्षेत्रोंको प्रभुसत्ता स्थिति प्राप्त हो सकती है। किन्तु प्रभुसत्ताके साथ-साथ हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके बीच मित्रताका गठबन्धन भी होना चाहिए। वैदेशिक मामलों, प्रतिरक्षा, संचार और ऐसे ही अन्य मामलोंके बारेमें समान नीति और काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जाहिर है कि यह भारतके दोनों भागोंके हितोंके लिए आवश्यक है।

गांधीजी ने कहा कि यह व्यवस्था मुसलमानोंके जो किसी भी तरह हिन्दुओंके प्रभुत्वमें नहीं रहेंगे, आन्तरिक जीवनमें बाधा नहीं डालेगी। इस प्रकारका विभाजन उन लोगोंके बीच अस्वाभाविक अन्तर उत्पन्न नहीं करेगा जो भिन्न धर्मावलम्बी होने के बावजूद एक ही वंशमूलसे उत्पन्न हुए हैं और सब भारतीय हैं।

दुर्भाग्यवश श्री जिन्ना ऐसी कोई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं और चाहते हैं कि मैं पूर्णतया स्वतन्त्र दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तोंको स्वीकार कर लूँ।

१. लन्दनका एक समाचारपत्र, जिसके प्रतिनिधि स्टुअर्ट गेल्डर थे।

२. हिन्दू, २-१०-१९४४ में यह भेंट-वार्त्ता ३० सितम्बरकी तिथि-पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुई है।

मैंने श्री गांधीजी से पूछा कि क्या आपका मौजूदा रवैया इसलिए है कि आप देशसे ऐसा विभाजन नहीं मनवा सकेंगे अथवा सिद्धान्ततः आप इस बातको गलत समझते हैं? गांधीजी ने उत्तर दिया :

क्योंकि यह सिद्धान्ततः बुनियादी रूपसे गलत है। यदि मैंने श्री जिन्नाके विचार को ठीक समझा होता तो चाहे सारी दुनिया मेरे विरुद्ध क्यों न होती, स्वयं मैंने उसे स्वीकार कर लिया होता, और निःसंकोच उनका साथ दिया होता।

यदि श्री जिन्ना विभाजन-सम्बन्धी आपके विचारको स्वीकार कर लें, किन्तु इसपर आग्रह करें कि जनमत-संग्रह न हो अथवा हो तो केवल मुसलमानोंका हो, तो क्या इस आधारपर आप समझौता कर लेंगे?

कभी नहीं। मैं व्यक्तिगत रूपसे अथवा अन्य किसी हैसियतसे करोडों लोगोंका भविष्य निर्धारित करने की बात कैसे मान सकता हूँ, जब कि उन्हें अपने भाग्यके बारेमें कुछ भी कहने का मौका न दिया जानेवाला हो?

आपने जुलाईमें मेरे सामने जिस अन्तरिम राष्ट्रीय सरकारकी रूप-रेखा रखी थी[1] उसके बारेमें श्री जिन्नाके रवैयेके बारेमें आपका क्या खयाल है?

श्री जिन्नाने कहा कि स्वाधीनताके प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी है। पर वे पाकिस्तानको तत्काल मनवाने को जितना महत्त्व देते हैं मुझे प्रतीत नहीं हुआ कि वे स्वाधीनताको उतना महत्त्व देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मेरा हमेशा यह विचार रहा है कि जबतक हम साम्राज्यवादी प्रभुत्वसे मुक्त नहीं हो जाते, तबतक हम आपसमें स्वतन्त्र नहीं हो सकते। हम मित्रोंकी भाँति जुदा हुए हैं। ये दिन व्यर्थ नहीं गये हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि श्री जिन्ना अच्छे आदमी हैं। मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे। मैं प्रार्थनामें विश्वास रखता हूँ और मैं समझौतेके लिए प्रार्थना करूँगा। इस बीच जनताका कर्त्तव्य है कि वह स्थितिका अध्ययन करे और हमपर लोकमतका दबाव डाले।

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जिन्ना टॉक्स, पृ० ४७-४८

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ३७०-७४।

१८१. भाषण : प्रार्थना-सभामें[1]

बम्बई
शुक्रवार, २९ सितम्बर, १९४४

प्रार्थनाके अन्तमें भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा कि मैं स्त्रियों और पुरुषोंको बहुत बड़ी संख्यामें हर शाम प्रार्थना-सभामें शामिल होते और हरिजन-कोषके लिए दान देते हुए देखता हूँ। मैंने कल तीसरे पहर सेवाग्रामके लिए रवाना होने का निश्चय किया है और इस कारण मुझे कल आपके सम्मुख भाषण देने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज शाम आपसे हरिजनोंके सम्बन्धमें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वर्षोंसे अस्पृश्यता-निवारणके लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं जहाँ-कहीं भी गया हूँ मैंने हमेशा इस बातपर जोर दिया है कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है और यह जड़मूलसे नष्ट किया जाना चाहिए। यह दुःखकी बात है कि यह अभिशाप अब भी भारतमें मौजूद है। बहुत सारे हरिजन मुझसे मिलने के लिए आते रहे हैं। मुझे यह देखकर शर्म महसूस होती है कि बम्बई-जैसे शहरमें भी, जो दलितोंके लिए इतना सब करने का दावा रखता है, हरिजनोंको मकान ढूँढ़ने में दिक्कत होती है। केवल हरिजन-कोषमें चन्दा देने से कोई लाभ नहीं है। लोगोंका सच्चा कर्त्तव्य तो हरिजनोंके उद्धार के लिए कार्य करना है। गांधीजी ने कहा :

यह बात आपके या मेरे तय करने की नहीं है कि कौन उच्च है और कौन नीच है, क्योंकि हम सब ईश्वरकी सन्तान हैं। अस्पृश्यताके अभिशापका नाश किये बिना हिन्दू धर्म जीवित नहीं रह सकता।

अन्तमें गांधीजी ने कहा कि साम्प्रदायिक एकताके मामलेमें भी यदि हम सबके साथ भाई और बहनों-जैसा व्यवहार करें, तो आज जो काले बादल छाये हुए हैं वे छँट जायेंगे और उनके स्थानपर सूर्यकी किरणें बिखर जायेंगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-९-१९४४

१. रूँगटा हाउसके प्रांगणमें शामकी सभामें तीन हजार लोग उपस्थित थे, और चूँकि दूसरे दिन गांधीजी सेवाग्रामके लिए रवाना होनेवाले थे इसलिए सप्ताह-भरमें इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ थी।

१८२. पत्र : मोहन कुमारमंगलम्को

बम्बई
३० सितम्बर, १९४४

प्रिय मोहन,

तुमने यह कार्य बहुत होशियारीसे किया है। लेकिन मैं अभी इससे अधिक कुछ न कहूँ तो बेहतर होगा।

बापू

श्री कुमारमंगलम्

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१८३. पत्र : मुकुन्दराव रामचन्द्र जयकरको

बम्बई
३० सितम्बर, १९४४

प्रिय डॉ० जयकर,

आपके कृपापूर्ण पत्रके[1] लिए अनेक धन्यवाद।

मुझे देशके लिए जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ा वही मैंने किया। बेशक, अब आपको इस प्रश्नपर मुक्त भावसे अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। केवल उसी तरह हम सत्यतक पहुँच सकेंगे।

१. २९ सितम्बरका, जिसमें कहा गया था: "तो आपकी बातचीत निष्फल रही। इसपर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। आप दोनोंमें समझौतेका कोई आधार नहीं हो सकता। . . . आपके प्रयत्न अब खतम हो गये हैं और मैं समझता हूँ कि यदि मैं चाहूँ तो अब आपके प्रयासके स्वरूप और परिणामपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं स्वतन्त्र हूँ . . .। मेरा यह स्पष्ट मत है कि मुस्लिम लीगके नेताने आपसे हानि उठाने के बजाय लाभ ही अधिक उठाया है। . . . आपका फार्मूला जिन्नाके हाथमें है और . . . वह फार्मूलेका उपयोग ब्रिटिश सरकारके साथ सौदेबाजी करने में करेंगे और भारतीय नेताओंके साथ भविष्यमें होनेवाली बातचीतोंमें भी इसे प्रारम्भिक मुद्दा बनायेंगे। यदि श्री जिन्ना उन बातचीतोंमें इस फार्मूलेको फिर उठायें, तो उसका प्रतिरोध करने में आप अक्षम होंगे। मेरे विचारसे खतरा यहीं है। मेरे खयालसे . . . जिन्ना अपने ही देशवासियोंके साथ कोई समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेजोंके साथ करना अधिक पसन्द करेंगे। . . ."

मैं यहाँसे जाने की तैयारी कर रहा हूँ और समय न होने पर भी यह लिख रहा हूँ। इसीलिए पत्र छोटा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जयकर पेपर्स: फाइल सं० ८२६। सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार

१८४. पत्र: कन्हैयालाल मा० मुन्शीको

३० सितम्बर, १९४४

भाई मुन्शी,

संलग्न[1] कागज देख जाना और उसपर यदि तुम कुछ प्रकाश डाल सको तो डालना। होमी तलयारखानने इसके बारेमें मुझसे पूछा था और मेरा उत्तर[2] 'जामे [जमशेद'[3]] में प्रकाशित किया था।

मैं यह पत्र जल्दीमें लिख रहा हूँ। अपनी तबीयतका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६८२) से। सौजन्य: क० मा० मुन्शी

१८५. पत्र: आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

बम्बई
३० सितम्बर, १९४४

चि० आनन्द,

मैं आज वर्धा जा रहा हूं। तुम्हारा खत मिला है। जब आना है वर्धा आओ। शांत होवो।[4]

बापुके आशीर्वाद

श्री आनन्द हिंगोरानी
शारदा विला
फैजाबाद रोड
लखनऊ, यू० पी०

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१ और २. उपलब्ध नहीं है।
३. बम्बईसे प्रकाशित एक पारसी दैनिक
४. २० जुलाई, १९४३ को आनन्द हिंगोरानीकी पत्नी विद्याका स्वर्गवास हो गया था।

१८६. पत्र : हुंडराज मूलचन्द परवानीको

१ अक्तूबर, १९४४

प्रिय परवानी,

आपका पत्र मिला।[1] मै असमर्थ हूँ। मेरे पास कोई अधिकार नही है। इसके अलावा मैं सिन्धकी राजनीति समझता भी नही।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री हुंडराज मूलचन्द परवानी
बन्दर रोड
कराची, सिन्ध

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१८७. पत्र : डॉनल्ड जी० ग्रूमको

सेवाग्राम
१ अक्तूबर, १९४४

प्रिय मित्र,

आप जब भी वापस लौटेंगे, मुझे भरोसा है आपकी शर्तोंपर आपको फिर जगह दे दी जायेगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

फ्रेंड डॉनल्ड जी० ग्रूम
फ्रेंड्स सेटलमेंट
होशंगाबाद (म० प्रा०)

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. श्री परवानीने अपने १ अगस्तके पत्रमें यह सुझाव दिया था कि सिन्ध प्रान्तमें व्याप्त असाधारण स्थितिके कारण सिन्ध विधान-सभाके कांग्रेसी सदस्योंको त्यागपत्र दे देना चाहिए।

१८८. पत्र : शेख मुहम्मद अब्दुल्लाको

१ अक्तूबर, १९४४

प्यारे शेख साहेब,[1]

आपका तार मुझे मुंबईमें मिला था। मुझे एक मिनिटकी भी फुरसद नहीं थी। आपका जलसा अच्छी तरहसे खतम हुआ होगा। मृदुला[2] बहनने मुझको सब हाल कहे हैं। काश्मीरके बारेमें आपकी किताब भी दी है। फुरसद मिलने पर मैं पढूंगा।

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१८९. पत्र : जोहरीलाल झांझोरियाको

सेवाग्राम
१ अक्तूबर, १९४४

भाई जोहरीलाल,

तुम्हारा खत मैंने वैजनाथजीको[3] भेजा था। मैं देखता हूं कि वह सारा झगड़ा आप लोगोंको तय करने का है। मैंने जो कहना था कह दिया है।

बापुके आशीर्वाद

जोहरीलाल झांझोरीया
जूना तोपखाना
मेन रोड
इन्दौर

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. नेशनल कान्फरेन्सके नेता, बादमें जम्मू और कश्मीर राज्यके मुख्य मन्त्री
२. मृदुला साराभाई
३. वैजनाथ महोदय

१९०. पत्र : बैजनाथ महोदयको

सेवाग्राम
२ अक्तूबर, १९४४

भाई बैजनाथ,

तुमारा लंबा खत पढ़ गया। उस बारेमें जो उचित समझो वह किया जाय। मेरी बुध्धि नहीं चलेगी।

बापुके आशीर्वाद

श्री बैजनाथ महोदय
१७९, रामबाग
इन्दौर (सी० आई०)

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१९१. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको

२ अक्तूबर, १९४४

आज सुबह जब उनसे मिलकर मैंने पूछा कि इस शुभ दिन देशके लिए क्या वे कोई सन्देश देना चाहेंगे तो उत्तरमें उन्होंने कहा :

मैं ऐसे अवसरोंपर सन्देश देने का आदी नही हूँ।

गांधीजी ने हँसीके बीच कहा :

मैं १२५ वर्ष जीना चाहता हूँ। लेकिन पर्णकुटी, पूनामें मालवीयजीका जो तार आया उसमें उन्होंने मेरे शतायु होने की कामना करते हुए मेरी आयुमें २५ वर्ष कम कर दिये।

बर्नर्ड शॉका सन्देश आज प्राप्त हुआ . . . कि वे गांधीजी को जन्म-दिनकी शुभकामनाएँ नहीं देंगे। गांधीजी जोरसे हँसे और बोले :

यह हुई न कोई बात। कुछ साल पहलेतक मुझे यही पता नही था कि मेरा भी जन्म-दिन होता है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ४-१०-१९४४

१९२. भाषण: कस्तूरबा स्मारक न्यासकी बैठकमें[1]

सेवाग्राम
२ अक्तूबर, १९४४

गांधीजी ने उपस्थित लोगोंको स्मरण दिलाया कि आजकी यह बैठक कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उन्होंने कहा, एक निषेधाज्ञाके अन्तर्गत सम्पूर्ण वर्धा जिलेमें बिना पूर्व सरकारी अनुमतिके सार्वजनिक सभा करने की मनाही है। आप सब जानते हैं कि मैं एक पक्का सविनय प्रतिरोधी हूँ। लेकिन सविनय अवज्ञा करने का यह कोई अवसर नहीं है। सविनय अवज्ञा करने का अपना एक तरीका है। यह बैठक तो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधिके न्यासियों और संग्रहकर्त्ताओंकी बैठक है, जो एकत्र हुआ चन्दा मुझे समर्पित करने के लिए हो रही है।

वर्धा और वर्धासे बाहरके बहुत सारे लोग इस अवसरपर जमा हो गये थे। उनकी चर्चा करते हुए गांधीजी ने कहा कि इस अवसरपर इन लोगोंकी उपस्थितिका कारण यह है कि वर्षोंसे सारे भारतके लोगोंमें मेरा जन्म-दिन भारतीय और अंग्रेजी, दोनों पंचांगोंके अनुसार मनाने का रिवाज पड़ गया है। दोनों तिथियोंके बीच पड़नेवाली अवधिको भी मेरे जन्मदिवसपर मनाये जानेवाले समारोहमें शामिल कर लिया जाता है। इस बार लोगोंको बहुत पहलेसे ही मालूम हो गया था कि मैं २ अक्तूबर को थैली स्वीकार करने के लिए सेवाग्राम आनेवाला हूँ।

निधिके मन्त्रीने आप लोगोंको बताया है कि निधिका विचार कैसे उत्पन्न हुआ। आप लोग शायद जानना चाहेंगे कि मैं इसका अध्यक्ष कैसे बना। निधिके लिए धन-संग्रह जब आरम्भ किया गया तब मैं जेलमें था। न्यासियोंने मुझे अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए मेरी सहमति माँगी। बीमारीके कारण अचानक मेरी रिहाई[2] हो जाने पर न्यासियोंने मुझसे परामर्श किया, और एकत्र की जानेवाली धनराशि स्वर्गीया श्रीमती कस्तूरबाकी स्मृतिके अनुरूप किस प्रकार खर्च की जाये, इस मामलेमें न्यासियोंका मार्ग-दर्शन करने की खातिर मैं अध्यक्ष बन गया। बुनियादी जिम्मेदारी तो न्यासियोंकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुझपर ही है।

यह धन उन गाँवोंके ऊपर खर्च होना है जो शहरोंके अंग नहीं हैं। जो गाँव शहरोंसे जितने ज्यादा दूर और जितने ज्यादा गरीब हों उनपर इस राशिको खर्च करना उतना ही अच्छा रहेगा। निधिका धन औरतों और बच्चोंकी शिक्षा और कल्याण

१. गांधीजी ने कस्तूरबा गांधी स्मारक निधिके न्यासियों और संग्रहकर्त्ताओंकी इस बैठकमें हिन्दुस्तानीमें भाषण दिया था। न्यासियोंकी ओरसे सरोजिनी नायडूने गांधीजी को ८० लाख रुपयेकी एक थैली भेंट की थी। इस भाषणकी रिपोर्ट समाचारपत्रोंके लिए प्यारेलाल ने जारी की थी।

२. ६ मई, १९४४ को

के लिए ही खर्च किया जायेगा। पहले लड़कोंके लिए उम्रकी सीमा १२ वर्ष तय की गई थी। खुद मैंने उसे बढ़ाकर १६ वर्ष करने की बात सोची थी। लेकिन मुझे बताया गया कि वैसी हालतमें लड़कोंको अनुपातसे ज्यादा हिस्सा मिल जायेगा और लड़कियाँ नुकसानमें रहेंगी। इसलिए उनकी उम्र घटाकर सात वर्ष कर दी गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस धनका उपयोग औरतों और बच्चोंकी शिक्षाके लिए किया जायेगा। इस मामलेमें जबतक मेरी कोई सुनवाई होगी, तबतक शिक्षा बुनियादी तालीमके ढंगकी होगी। बुनियादी तालीमके दायरेमें समूचे समाजकी शिक्षा शामिल है। इसकी शुरुआत बच्चोंसे होती है और बढ़ते-बढ़ते इसके अन्दर वयस्क और बूढ़े स्त्री-पुरुष भी आ जाते हैं। यह शिक्षा दस्तकारी, गाँवकी सफाई और बीमारियोंकी, खास तौरसे पौष्टिकताकी कमीसे पैदा होनेवाली बीमारियोंकी, रोकथाम और उनके इलाजसे सम्बन्धित चिकित्सा-सहायताके जरिये दी जानी होगी।

भारतके सात लाख गाँवोंमें इन सुधारोंको लागू करना एक बहुत जबरदस्त काम है। यह काम जितना बृहत् है, उसको देखते ७५ लाख रुपये या एक करोड़ रुपये भी कुछ नहीं हैं। जिस क्षेत्रसे जितना धन इकट्ठा होगा, उसका ७५ प्रतिशत उस क्षेत्रमें ही खर्च किया जायेगा — लेकिन वहाँके शहरों या कस्बोंपर नहीं — और बाकी २५ प्रतिशत केन्द्रीय निधिमें चला जायेगा। लेकिन बड़े शहरों से इकट्ठा होने-वाला सारा धन केन्द्रीय निधिमें चला जायेगा और उसमें से कोई भी रकम शहरोंमें नहीं खर्च की जायेगी। चन्दा इकट्ठा करनेवाली समितियोंके स्थानपर अब नई समितियाँ बनानी होंगी, जो इस बातका खयाल रखेंगी कि धन ठीक ढंगसे खर्च किया जाये। इन समितियोंमें चन्दा जमा करनेवाली समितियोंके कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें नये नाम भी जोड़े जाने चाहिए। यदि किसी स्थानपर निधिके उद्देश्यके अनुसार सन्तोषजनक ढंगसे धन खर्च करने के तरीके नहीं ढूँढ़े जा सकेंगे, तो वैसी हालतमें वह धन केन्द्रीय निधिमें ही रहेगा। इसके विपरीत, यदि किसी स्थानपर ज्यादा बड़ी योजनाओंको सन्तोषजनक ढंगसे चलाने के लिए पर्याप्त संख्यामें योग्य कार्यकर्त्ता मिलेंगे, तो उन्हें और धन दिया जायेगा।

मेरी इच्छा है कि जहाँतक हो सके, धन महिला कार्यकर्त्ताओंके जरिये खर्च किया जाये। यह दुःखकी बात है कि उपयुक्त योग्यतावाली कार्यकर्त्रियाँ काफी संख्या में सामने नहीं आ रही हैं। इसका दोष पुरुषोंपर है, जिन्होंने औरतोंको घरके काम-काजमें फँसा रखा है। उन्हें चाहिए कि वे औरतोंको बाहर निकालें और आगे करें। ऐसा तो है नहीं कि पुरुष विशेष योग्यता लेकर ही पैदा होते हैं। ज्यादा बड़ी तादादमें और कुशल कार्यकर्त्रियाँ तैयार करने की जिम्मेदारी पुरुषोंपर है। कुशल कार्यकर्त्ता बनने से पहले पुरुषोंसे भी गलतियाँ होती हैं। इसलिए, औरतोंको कोई जिम्मेदारीका काम सौंपे बिना ही उनसे कुशल कार्यकर्त्री बनने की उम्मीद पुरुषोंको नहीं करनी चाहिए। यह निधि एक बूढ़ी, अशिक्षित और ग्रामीण मानसिकतावाली स्त्रीकी यादमें इकट्ठी की गई है। यदि औरतें, खास तौरसे बूढ़ी औरतें स्मारक-निधिके लक्ष्यको पूरा करने में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगी तो इससे दिवंगताकी आत्माको शान्ति प्राप्त होगी।

यह निधि दिवंगताकी स्मृतिके प्रति लोगोंके अत्युत्साह और प्रेमके फलस्वरूप एकत्र की जा सकी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बातका ध्यान रखें कि इस निधिका धन उस भावनाके अनुरूप ढंगसे ही खर्च किया जाये। यह काम सिर्फ २६ न्यासियों का नहीं है। इसके लिए सैकड़ों कार्यकर्त्ताओंकी आवश्यकता होगी। मैं यह पहले ही कह चुका हूँ कि धन उचित ढंगसे खर्च करना धन जमा करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए वैसी ही योग्यताका प्रदर्शन करना होगा जैसी योग्यता धन जमा करने में दिखाई गई है। जबतक मैं सशरीर आपके बीच हूँ तबतक मैं आपसे बहस करूँगा, झगड़ूँगा, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बातका खयाल रखें कि आपका काम इस तरह चले जिससे दिवंगत आत्माको किसी प्रकारका असन्तोष न होने पाये।[1]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ४-१०-१९४४

१९३. पत्र: जे० शिवषण्मुखम् पिल्लैको

४ अक्तूबर, १९४४

प्रिय पिल्लै,

आपके पत्रके लिए[2] अनेक धन्यवाद। उत्तर देने में देर हुई, इसका मुझे खेद है। मेरा खयाल है कि आपको वही करना चाहिए जो 'दलित वर्गों' के हित-साधन के लिए आपको सर्वोत्तम लगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९२५७) से। सी० डब्ल्यू० ५०६५ से भी; सौजन्य: जे० एस० पिल्लै

१. न्यासकी एक बैठकमें बहसके दौरान यह प्रश्न उठा था कि कस्तूरबाका जीवनके प्रति क्या दृष्टिकोण था। कहा जाता है कि गांधीजी बोले कि "जीवनके प्रति कस्तूरबाके दृष्टिकोणका अर्थ कस्तूरबा गांधी द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणसे है, मोहनदास करमचन्द गांधी द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण से नहीं"।

२. अपने २७ जुलाई, १९४४ के पत्रमें शिवषण्मुखम् पिल्लैने, जो दलित वर्गके एक विधायक थे, दलित वर्गीय विधायकोंकी पहलपर और गैर-दलित वर्गीय कांग्रेसी तथा कुछ अन्य विधायकों की सहायतासे मद्रासमें मन्त्रिमण्डल बनाने की इजाजत माँगी थी।

१९४. पत्र: शुएब कुरैशीको

सेवाग्राम
४ अक्तूबर, १९४४

प्रिय शुएब,

मैंने वही किया है जो मैं ज्यादासे-ज्यादा कर सकता था।[1] अब तुम्हें सूत्र पकड़ना है, बशर्ते कि तुम्हारे खयालसे मैंने सारा मामला गड़बड़ न कर दिया हो। यदि मैंने ऐसा किया है, तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे वैसा स्पष्ट कह दोगे।

तुम सबको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१९५. एक पत्र

सेवाग्राम
४ अक्तूबर, १९४४

प्रिय नवाब साहब,

इस साम्प्रदायिक गुत्थीको सुलझाने में आपसे हस्तक्षेपकी माँग करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। यदि मैंने कहीं भूल की हो तो कृपया मुझे बताइए। मैंने वही किया जो मैं ज्यादासे-ज्यादा कर सकता था।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. यहाँ संकेत जिन्नाके साथ हुई बातचीतकी ओर है।

१९६. पत्र : जाकिर हुसैनको

सेवाग्राम
४ अक्तूबर, १९४४

प्रिय जाकिर,

तुमने जिन दोस्तोंको भेजा था, वे तुम्हें यहांका सारा हाल बतायेंगे।

कायदे-आजमके साथ हुई बातचीतपर अपनी प्रतिक्रिया मुझे लिखो। मैंने नई तालीमको जो व्यापक अर्थ दिया है उसके बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है?

तुम्हें कस्तूरबा न्यासमें सक्रिय दिलचस्पी लेनी ही चाहिए। बापा तथा अन्य लोग शिकायत कर रहे थे कि तुम एक भी बैठकमें शामिल नहीं हुए।

अन्तमें, तुम्हारा क्या हाल है?

प्यार।

बापू

डॉ० जाकिर हुसैन

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१९७. पत्र : हीरालाल शर्माको

सेवाग्राम
४ अक्तूबर, १९४४

चि० शर्मा,

तुमको लिखना चाहता था। इतनेमें गाडोदीयाजी[1] आ गये। तुम्हारे कामसे उनको कुछ संतोष नहीं है। वे कहते हैं कुछ काम होता नहीं। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। सही क्या है? आ सकते हो तो थोड़े दिनोंके लिये यहां आ जाओ।

बापुके आशीर्वाद

हीरालाल शर्मा
खुर्जा रोड, स० प्रा०[2]

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ३२४-२५ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे

१. लक्ष्मीनारायण गाडोदिया, जो हीरालाल शर्मा द्वारा संचालित संस्था एवं चिकित्सालय, दधीचि सेवा संघके कोषाध्यक्ष और न्यासी थे

२. पता प्यारेलाल पेपर्ससे लिया गया है।

१९८. पत्र : तेजवन्ती धीरको

सेवाग्राम
४ अक्तूबर, १९४४

चि० तेजवंती,

तुम्हारा खत मिला है। भले गई। दिल चाहे तब आना। बड़ा लड़काको अपने रास्ते पर जाने दो। ईश्वर उसको जैसी मति देगा ऐसे करेगा। तुम्हारे आदिवासियोंमें काम करना है तो वह करो, भंगी निवासमें रहकर सेवा करना है तो वह करो। जो बहतर समझा आय वह करो। इसमें तुम्हारे पत्रका उत्तर मिल गया?

आश्रमका कुछ निश्चय नहीं हुआ।

तेजवंती धीर
पो० नकोदर, जि० जालंधर
(पंजाब)

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१९९. पत्र : पोट्टी श्रीरामुलुको

सेवाग्राम
५ अक्तूबर, १९४४

प्रिय श्रीरामुलु,

प्रचार बेशक करते रहो, लेकिन उपवास अभी नहीं।[1]

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११०) से

१. मूलमें कुछ सुधार करके इस वाक्यका अनुवाद किया गया है।

२००. पत्र : रामेश्वरी नेहरूको

सेवाग्राम
५ अक्तूबर, १९४४

प्रिय भगिनी,

तुमारे खतका[1] उत्तर तो मैंने पंचगनीसे बराबर भेजा। ऐसे खतोंकी नकल नहीं रहती है। एक चीज तो मुझे याद है। तुमारे प्रतिबंधोको जल्दीसे नहीं तोडना। पिताजी का ख्याल रखने का धर्म है।

तुमारा स्वस्थ अच्छा होगा।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८००६) से। सी० डब्ल्यू० ३१०३ से भी; सौजन्य: रामेश्वरी नेहरू

२०१. तार : होरेस अलेक्जेंडरको

वर्धागंज
६ अक्तूबर, १९४४

होरेस अलेक्जेंडर
१४४, ओक थुलेन
बर्मिंघम २९

तुम्हारा, एगथा[2] और म्यूरियलका[3] स्वागत है। स्नेह।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४३९) से

१. गांधीजी ने रामेश्वरी नेहरूको यह पत्र १६ जूनको पूनासे लिखा था; देखिए खण्ड ७७, पृ० ३३६।

२. एगथा हैरिसन

३. म्यूरियल लेस्टर

२०२. पत्र : जहाँगीर आर० डी० टाटाको

सेवाग्राम
७ अक्तूबर, १९४४

प्रिय जहाँगीरजी,

आप मुझे यथासम्भव पूर्णतया समझ सकें, इसलिए यह पत्र अंग्रेजीमें लिख रहा हूँ, वैसे मैं तो आपको गुजरातीमें ही पत्र लिखना पसन्द करता। और इसीलिए यह टाइप भी किया जायेगा।

आपके मैत्रीपूर्ण बधाई-पत्रके लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप वर्धामें शनिवार, ४ नवम्बरको होनेवाली न्यासियोंकी[1] अगली बैठकमें हिस्सा लेकर उस मैत्री-भावको ठोस रूप प्रदान करें। शनिवारका दिन खास तौरसे चुना गया है ताकि मूल न्यासियोंको उपस्थित होने में कमसे-कम असुविधा हो। न्यासी-मण्डल और छोटी-सी कार्यकारिणीके लिए मैंने जो अतिरिक्त नाम सुझाये थे, उन्हें आपने पहले ही स्वीकृति दे दी है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि मूल न्यासी निष्क्रिय सदस्य हो जायेंगे।[2]

मैं जानता हूँ कि मैं इस विचारको प्रचारित करने का दोषी हूँ कि न्यास-निधियोंका प्रबन्ध व्यवहारतः मेरी पसन्दके न्यासियोंके हाथोंमें छोड़ देना चाहिए। कोई नुकसान होने से पहले ही मैंने अपनी भूल पहचान ली। मैं इसके बारेमें जितना ही सोचता हूँ, उतना ही यह महसूस करता जाता हूँ कि इस धारणामें कितनी संकीर्णता है। पूरा न्यासी-मण्डल बहुत ही सुन्दर रूपसे गठित है, और यदि अधिकांश न्यासी निधिके प्रबन्धमें सक्रिय दिलचस्पी लें तो हम ऐसे कल्याणकारी परिणामोंकी भी आशा कर सकते हैं जिनकी कल्पना नहीं की गई है। शीर्षस्थ शहरी लोगों और ग्रामीण मानसिकतावाले सरल स्त्री-पुरुषोंका यह सक्रिय मेल और सहयोग रोजमर्राके अनुभव की चीज नहीं है। अतः मुझे भरोसा है कि आप आगामी बैठकमें अवश्य भाग लेंगे, और यदि न्यासियोंको बैठकमें भाग लेने के लिए राजी करने की वस्तुतः कोई जरूरत हो, तो उन्हें इसके लिए राजी कर लेंगे।

मो० क० गांधी

जे० आर० डी० टाटा, बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधिके
२. देखिए पृ० १३१-३२।

२०३. बातचीत : श्रीकृष्णदास जाजूके साथ[१]

७ अक्तूबर, १९४४

प्रारम्भमें श्री जाजूजी ने बापूजी को प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जो बापूजी ने संघके कार्यकर्त्ताओंके सितम्बर मासके सम्मेलनमें पेश किया था और जिसपर सभामें कुछ चर्चा भी हुई थी।

उक्त प्रस्तावमें[२] यह सुझाव था कि संघके आगामी कार्यकी रूप-रेखा बनाने में ग्रामउद्योग संघ और तालीमी संघसे भी सलाह-मशविरा किया जाये।

जाजूजी ने पूछा कि क्या इस फेहरिस्तमें हरिजन सेवक संघ, गोसेवा संघ और कस्तूरबा ट्रस्ट भी शामिल किये जायें?

बापूजी : हाँ, क्योंकि इन सबका ग्रामोंके उत्थानके कार्यक्रमके साथ वैसा ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है जैसा कि चरखा संघका। इन सबके पीछे आर्थिक दृष्टि है, राजनैतिक नहीं। सघोंके एकीकरणमें केवल ग्रामोंकी समग्र सेवाकी दृष्टि है, परन्तु कस्तूरबा ट्रस्टको इससे अलग रहने दें।

जाजूजी : ट्रस्टको अलग रखने से सम्मिलित समितिका एक अंग पंगु हो जायेगा। छः संघोंके एक-एक या अधिक प्रतिनिधियोंकी एक सम्मिलित समिति बनाई जा सकती हैं।

बापूजी : ट्रस्टकी संस्थाओंसे हम अपना काम करवा सकेंगे। उनका काम भी ग्रामसेवासे बिलकुल अलग नहीं रह सकेगा। लेकिन कस्तूरबा ट्रस्टको इसमें शामिल न समझें। चरखा संघके आगे जब मैंने उस प्रस्तावको रखा था, तब कस्तूरबा ट्रस्ट मेरी आँखके सामने नहीं था। ग्रामउद्योग संघ, तालीमी संघ, यही थे। मेरा मतलब इतना ही था कि इन सब संघोंके मुखिया सम्मिलित होकर सारे ग्रामीण कार्यकी बुनियादी नीति और दृष्टिके संरक्षक बनें, और परस्परके काममें दखल न देते हुए अपना नैतिक प्रभाव एक-दूसरेपर डालें।

चरखा संघके मध्यवर्ती दफ्तरका काम इतना ही हो कि संघका विकास कहाँ तक पहुँच सकता है इसकी वह नैतिक हैसियतसे देखभाल करे। सम्भव है युक्लिडके बिन्दुकी तरह संघके आदर्श बिन्दुतक पहुँचना असम्भवित हो। व्यावहारिक बातोंको छोड़कर अन्य बातोंका केवल नैतिक नियमन करना यही विकेन्द्रीकरण है। मैं जानता हूँ कि गोसेवा संघ, हरिजन सेवक संघ सभीको ऐसे विकेन्द्रीकरण तक मैं नहीं ले जा सकूँगा। चूँकि सभीकी जड़ ग्रामोंकी सेवा और उत्थान है, इसलिए यदि संचालक

१. अखिल भारतीय चरखा संघके मन्त्री श्रीकृष्णदास जाजूके साथ हुई इस तथा इसके बाद की बातचीतोंका विवरण स्वामी आनन्दने लिखा था।

२. देखिए पृ० ७४-७५।

और कार्यकर्त्ता अलग-अलग संघोमें सच्चे हृदयसे काम करते होंगे तो भी वे स्वेच्छापूर्वक एकसाथ बैठकर सब-कुछ जरूर सोचेंगे ही। यह भी सोचेंगे कि चरखा संघका काम क्यों रुका? कोई कहेगा कि काम तो कोई रुका नही है। १५ हजार देहातोंमें संघका काम फैला, साढ़े चार करोड़ रुपये गरीबोंमें बाँटे गये। यह सब तो ठीक है, पर इतनेसे हमें सन्तोष न होना चाहिए। बल्कि यह बात हमें चुभनी चाहिए कि अभीतक हम हमारे कार्यका केवल एक सौवाँ हिस्सा ही अदा कर पाये है।

वहाँ यदि चरखा संघका काम करनेवाला कार्यकर्त्ता होगा तो वह केवल खादीका ही विचार नही करेगा, किन्तु व्यापक अर्थमें वह ग्रामउद्योग, गोसेवा आदिका प्रतिनिधि बनेगा। ऐसा न हो कि कार्यकर्त्ता इन सब कामोंको अपने क्षेत्रके बाहरके मान कर अपनेपर यह एक नया बोझ पड़ रहा है ऐसा मान ले। यदि ऐसा हुआ तो हमारी दृष्टि और नीति अहिंसक नही रहेगी। कार्यकर्त्ता ऐसा हो जो गाँवमें जाकर इन सभी कामोंमें —यानी गाँवके समग्र जीवनमें ओतप्रोत हो जाये और इन सब कामों का कुछ भी बोझ महसूस न करे।

जाजूजी : ऐसे कार्यकर्त्ता कहीं गोसेवा संघकी ओरसे, कहीं ग्रामउद्योग संघकी ओरसे, कहीं तालीमी संघकी ओरसे और कहीं चरखा संघकी ओरसे हो सकते हैं।

बापूजी : इसीके माने हुए सब संघोंका एकीकरण और सम्मिलित नीति। इसमें कार्यके नियन्त्रणकी बात नही है, सबके सम्मिलित नैतिक प्रभावसे और एक समग्र दृष्टिसे काम करने की ही बात है।

जाजूजी : चरखा संघमें व्यापार विभाग और जन-सेवा (वेलफेयर[1]) विभाग दोनों क्या अलग-अलग चलाने होंगे? गाँवके सारे कामोंको ऐसी समग्र दृष्टिसे चलाने और मार्गदर्शन कराने के लिए इन कार्यकर्त्ताओंका नियन्त्रण भी मेरे खयालसे सब संघोंकी सम्मिलित समिति द्वारा होना आवश्यक होगा।

बापूजी : मेरा खयाल ठीक वैसा नही है। एक बार संघोंकी सम्मिलित समिति मिलकर यह सोच सकती है कि कौन-सी व्यवस्था ठीक होगी। ऐसी व्यवस्था यदि सभी संघ एकत्रित होकर संगठित रूपसे करें तो तन्त्र-संचालनका कार्य बहुत ही सरल बनेगा और कृष्णा नदी जो मूलमें १०-२० बिन्दुकी जरा-सी धारा थी और जिसका आगे चलकर कृष्णसागरका-सा विशाल पट बन जाता है, वैसे ही हमारे कार्यका अखण्ड प्रवाह बढ़ने लगेगा। मेरी सम्मिलित समितिकी कल्पना इस प्रकारकी है।

जाजूजी : सारी मुसीबत कार्यकर्त्ताओंके बारेमें है। आप तो नये-नये काम निकालते ही रहते हैं, लेकिन कार्यकर्त्ताओंके अभावसे सब कामोंको हम पहुँच नहीं सकते। फिर आप कहेंगे कि हमें तो सात लाख देहातोंमें पहुँचना है।

बापूजी : अलबत्ता कहूँगा। लेकिन जब हारेंगे तब मैं भी तो आपके साथ ही रहूँगा न?

१. मूलमें यह शब्द अंग्रेजीमें है।

जाजूजी : तब इतना निश्चय समझें कि अच्छे कार्यकर्त्ता तैयार करने हैं। फिलहाल अधिक संख्यामें सम्पूर्ण योग्य ऐसे कार्यकर्त्ता मिलने की आशा न रखें। आज दूसरी श्रेणीके कार्यकर्त्ताओंसे ही काम चलाना होगा। बादमें उन्हींमें से प्रथम श्रेणीके कार्यकर्त्ता निकल सकेंगे।

बापूजी : क्या चरखा संघके कार्यकर्त्ता दो हजार होंगे।

जाजूजी : करीब तीन हजार हैं।

बापूजी : तब इन्हींसे काम लो। इन सब नये कामोंका बोझ इन्हींपर डालो। काम करने में इनको कुछ अधिक स्वतन्त्रता भी दो। कुछ खतरा उठाकर भी यह विकेन्द्रीकरण हमें करना होगा।

जाजूजी : आपके इस विकेन्द्रीकरणका ठीक अर्थ मेरी समझमें नहीं आया है।

बापूजी : कामको गाँव-गाँवमें फैलाना है। जब इतना बड़ा काम करना है, तो वह दबावसे नहीं होगा। कार्यकर्त्ताओंको मध्यवर्ती नियन्त्रणसे काफी मात्रामें मुक्त करना होगा। और उन्हींसे यह काम लेना है। यदि इतना बोझ उठाने से वे इनकार करें और चले जायें तो जाने देना होगा। लेकिन हम किसीको निकालनेवाले नहीं हैं।

महाराष्ट्रमें सूतकी गुंडियाँ लेकर तैयार कपड़ा अपने स्टॉकमें से देने का काम आपने शुरू किया। यह बात मुझे बड़ी रोचक लगी। अभी वह व्यापक नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा कार्यकर्त्ताओंसे ही तो वह हम करवाते हैं न? काम ऐसे ही बढ़नेवाला है। जो कार्यकर्त्ता रुकावट डालेंगे वे जायेंगे; उन्हें निकालने में मुझे क्षोभ न होगा। संघ जो नीति निश्चित करेगा उसका वे भंग करेंगे तो जायेंगे ही और समय-समय पर नीतिमें परिवर्तन करने का हक संघको है ही। कार्यकर्त्ता ऐसा नही कर सकते कि ऐसे परिवर्तन किये जायेंगे यह हम नही जानते थे। खादी फर्जियात पहनना, प्रोविडेंट फंड लागू होना आदि नियम पीछेसे किये गये, वे भी हमने सबको लागू किये न? जिन्होंने कहा हमको यह मंजूर नहीं उन्हें हटना पड़ा। इस तरह लोग चले जायें तो भले ही जायें। दूसरे कारणोंसे हम लोगोंको नही निकालेंगे। बल्कि हम उनसे विस्तृत रूपका नया काम पूरा-पूरा लेंगे। हमारे ढाँचेमें जो रहेंगे वे रहेंगे, जो रहना नापसन्द करेंगे वे आप ही चले जायेंगे। मेरे दिमागमें यह कभी नही आया कि आजके कार्यकर्त्ताओं को हमें बिखेर देना है और नये सिरेसे काम शुरू करना है। एक जगह यदि हमें पाँच आदमी मिलें और यदि हम देखेंगे कि यहाँ अधिक कामकी गुंजाइश है तो हम कहेंगे कि अब हाथ-कागजका भी काम करो, और वैसे ही अन्य उद्योग भी निकालेंगे। यदि गुंजाइश है तो खूब खादी पैदा करो, और जहाँ करो वहीं इर्दगिर्दमें बेचो। यही विकेन्द्रीकरण है।

खादी : क्यों और कैसे? पृ० २१०-१४, और **चरखा संघका नवसंस्करण,** पृ० २०-२५

२०४. पत्र : सैयद महमूदको

८ अक्तूबर, १९४४

प्रिय महमूद,[1]

शाबाश। आशा है कि तुम काफी स्वस्थ होगे। मै अपेक्षा करूँगा कि तुम ठीक होते ही यहाँ आ जाओगे।

प्यार।

बापू

डॉ० सैयद महमूद
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२०५. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

८ अक्तूबर, १९४४

भाई घनश्यामदास,

सोहनलालजीसे[2] मेरी बातें हुई हैं। देवदाससे भी। मेरा अभिप्राय है कि महादेवके स्मरणार्थ एक लाख रुपया इकट्ठा करना रमत बात है। उस निमित्त सोहन-लालजीकी पुस्तक[3] बाजार दामसे ज्यादा लेकर बेचना अच्छा नहीं लगता है। पुस्तक बाजार दामसे बिका जाय और अपने गुणपर इससे जनता ऐसे पुस्तकको कहांतक आवकार देती है पता चल जायगा।

महादेवके स्मरणकी बात अलग रखी जाय। उस बारेमें जब यहां आओगे तब बात करेंगे।

१. डॉ० सैयद महमूद कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य थे, जिन्हें ३ अक्तूबर, १९४४ को रिहा किया गया था। देखिए "पत्र : सैयद महमूदको" १४-१०-१९४४ और "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", २२-१०-१९४४ भी।

२ और ३. सोहनलाल द्विवेदी, एक हिन्दी कवि जिन्होंने गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ का सम्पादन किया था।

सोहनलालजी समझ गये हैं। देवदास और श्रीमनने मेरी दलीलका स्वीकार किया है। देवदाससे समझा हूं कि तुम नैतिक बंधनमें आ गये हैं कि वह पुस्तक महादेव स्मारक निधिके लिये प्रगट होगा। अगर ऐसा है तो उसका अर्थ तो इतना ही न कि एक लाख उस निधिमां जायेगा? पुस्तक द्वारा ही होने में तो कुछ अर्थ नहीं है, अनर्थ मैं स्पष्ट देखता हूं।

पारनेरकरकी[1] नियुक्तिके लिये तुम्हारा आज्ञापत्र आवश्यक होगा। आजकल सर्वसत्ता तुम्हारे हाथमें हैं। कमिटी स्थगित की गई थी। अब अगर उसकी पुनः स्थापना करनी है तो जब मिलेंगे तब कर लेंगे। लक्ष्मणराव आजकल सेक्रेटरी है उनको आज्ञाकी आवश्यकता रहती है। तब ही पारनेरकरको चार्ज मिल सकता है।

मेरे पराक्रमका तो अखबारोंसे देखा होगा। विशेष मिलने पर।

मुसुरीमें स्वास्थ्यको लाभ हुआ होगा।

बापुके आशीर्वाद

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ८०६१) से। सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

२०६. बातचीत: श्रीकृष्णदास जाजूके साथ

८ अक्तूबर, १९४४

जाजूजी: अब कार्यकर्त्ता कैसे होने चाहिए और उनमें क्या-क्या गुण होने चाहिए, यह समझाइए।

बापूजी: अभी मैं अन्य संस्थाओंको भूल जाता हूं। चरखा संघके कार्यकर्त्ताको ही नजरके सामने रखकर कहूंगा। उसे प्रथम तो अपनी मातृभाषाके अतिरिक्त प्रान्त की भाषाका और राष्ट्रभाषाका ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजीके ज्ञानको मैं जरूरी नहीं समझता। उसको मुल्ककी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हालत क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा-सा दुनियाकी हालतका भी। यह सब कठिन है सही, लेकिन उसे पृथ्वीके भूगोलका तथा दुनियाकी हालतका तो पता होना चाहिए न? दूसरे देशोंमें क्या चल रहा है, वहाँकी राज्यव्यवस्था कैसी है, यह सब वह जानेगा तब ही न उसे पता चलेगा कि भारतवर्ष कहाँ है, और हमें कहाँ जाना है। ऐसी दशामें हमारा कार्यकर्त्ता जिस क्षेत्रमें जाकर बैठेगा वहाँकी परिस्थितिका तो उसे खास और अधिक तफसीलसे ज्ञान होना चाहिए।

इतनी तैयारी तो मामूली हुई। अकेले चरखेका पूरा ज्ञान काफी नहीं है, चरखा और तकली दोनोंका भी चाहिए। वैसे ही केवल कातने का ही नहीं, उसके पूरे शास्त्रका यानी अंक निकालना, धुनाई, कपासकी जात पहचानना, किस धुनाईकी पद्धति के लिए किस प्रकारकी कपास चाहिए आदिसे लेकर सूत निकालने तककी सारी क्रियाओं

१. यशवन्त महादेव पारनेरकर, एक डेरी विशेषज्ञ

का ज्ञान; धुनाईकी पद्धतिमें सुधार होते-होते आजकी स्थिति कैसे आई, इसका पूरा इतिहास। चरखेमें आजतक जितने-जितने सुधार तथा आविष्कार हुए उन सबका ज्ञान; चालू चरखेकी दुरुस्ती और मरम्मतका पूरा ज्ञान उसे होना चाहिए। यरवडा ही में मैं सिलसिलेसे कातना, मरम्मत, दुरुस्ती सब कुछ सीखा। वहाँ मुझे कोई सहायक भी न था। इसीसे कहता हूँ कि कार्यकर्त्ताको मामूली बढ़ईगिरी का भी ज्ञान होना चाहिए। देहाती लोग बिगड़े चरखे लायेंगे और कार्यकर्त्ता यदि मरम्मत न कर दे तो वे बैठे रहेंगे।

चरखेको मैंने ग्रामोंके उत्थानका मध्यबिन्दु यानी सूर्य माना है, इसीसे मैंने इतना बताया है। इसके अलावा अपने गाँवमें कौनसे देहाती उद्योग चल सकते हैं, यह भी उसे देखना होगा। इसमें प्रथम आयेगी तेलघानी। मगनवाडीके झवेरभाई पटेलने इसका पूरा शास्त्र बना लिया है, उसे भी जानना होगा। तीसरा उद्योग है हाथ-कागजका। इसे सारे हिन्दुस्तानको कागज पूरा करने की दृष्टिसे नहीं, लेकिन अपने गाँवको स्वावलम्बी बनाने और कुछ आमदनी बढाने की दृष्टिसे सीखना है।

जाजूजी : कागजका काम बढ़ने पर उसे एक छोटी-सी फैक्टरी चलाने का ही स्वरूप आ जाता है।

बापूजी : मैं सिर्फ रूपरेखा दे रहा हूँ। तेल, हाथकागजके उपरान्त आटेकी हाथ-चक्की हर देहातमें सजीवन करनी चाहिए। यह न हुआ तो आटेकी मिल हमारे नसीबमें लिखी है ही। इस बातको लेकर मेरे दिलमें कई वर्षोंसे घबराहट-सी है। जैसे आटेका वैसे ही चावलका। यदि पूरे चावल (होल राइस[1]) खाने की आदत हम देहाती लोगोंमें फिरसे न डालेंगे तो खुराककी समस्याको हम हल न कर पायेंगे। कूटा चावल (पॉलिश्ड राइस[2]), सफेद चीनी वगैरह सब मनुष्यके स्वास्थ्यके लिए बड़े ही हानिकारक हैं, यह तो अब मानी हुई बात है। सभी बड़े विशारदोंने इसे स्वीकार किया है। अमेरिकासे बहुत कुछ साहित्य इन विषयोंपर आता है। वहाँ अब ब्राउन यानी पीली चीनी चल पड़ी है। यहाँतक कि व्यापारी लोग सफेद पॉलिश्ड चीनीको हानिकारक रंग लगाकर पीला बनाते और बेचते हैं। चावलके लिए भी हाथ-चक्की ही चलानी होगी।

अब मैं खेतीको लूँगा। देहातियोंकी गुजर खेतीपर है और खेतीकी गायपर। मैं इस विषयमें अन्धा-सा हूँ। निजी अनुभव मुझे नहीं है। परन्तु ऐसा एक भी गाँव नहीं जहाँ खेती नहीं और गाय नहीं। भैंसें हैं लेकिन वे कोंकण वगैरहको छोड़कर खेतीके लिए अधिक उपयोगी नहीं हैं। तब भी भैंसका हमने बहिष्कार किया है ऐसी बात नहीं है। इसलिए ग्राम्य पशुधनका, खासकर अपने गाँवके मवेशियोंका हमारे कार्यकर्त्ताको पूरा खयाल रखना होगा। इस बडी भारी समस्याको यदि हम हल न कर सके तो हिन्दुस्तानकी बरबादी होनेवाली है और साथ-साथ हमारी भी। क्योंकि उस अवस्थामें हमें पश्चिमी देशोंकी तरह इन पशुओंको, वे आर्थिक बोझरूप होने पर, कत्ल किये बिना चारा न रहेगा।

१ और २. मूलमें ये शब्द अंग्रेजीमें हैं।

इसलिए हमारे कार्यकर्त्ताको इन बातोंका भी कुछ-न-कुछ इल्म हासिल करना ही होगा। इस प्रश्नका हल करने के लिए हिंसक तरीका कौन-सा है और अहिंसक तरीका कौन-सा है, यह भी समझ लेना होगा। इसीमें हमारी जनवृद्धि (सरप्लस पापुलेशन[1]) की समस्याका भी हल है। हमारा अहिंसक तरीका सफल होगा या असफल, यह मैं नही जानता। यदि अहिंसक तरीका न चला तो हम निकम्मे साबित होंगे, न कि अहिंसा। हमारी तपस्या, यानी सामान्य भाषामें हमारा प्रयत्न अधूरा साबित होगा। लेकिन हम सभी सेवकोंको कुछ-न-कुछ प्रयत्न तो करना ही होगा।

फिरसे खेतीपर आता हूँ। वहाँ भी आज केवल अराजकता है। सब जमीन टुकड़ो-टुकड़ोंमें बँट रही है। भाई-भाई अलग होते हैं और खेतोंके टुकड़े होते जाते है। एक छोटा-सा रास्ता निकालना हो तो बीचके खेतवाला नही निकालने देता। इस टुकड़ेकी नीतिसे तो हम मर ही जानेवाले है। गाँवमें लोगोंको मिलजुलकर, सहयोगसे खेती करने का सिद्धान्त अपनाना होगा। ग्रामसेवक अपने यहाँकी परिस्थितिकी पूरी जाँच करेगा और लोगोंको इस ओर खीचेगा।

जमीनके बाद अपने-आप ही पानीकी बात आती है। यह पानीकी बात खेतीके पानीकी नहीं पीने के पानीकी है। सेवक कार्यकर्त्ता गाँवके सभी कुओंकी जाँच करेगा। वह उसके अन्दरकी और बाहरकी सारी सफाई करेगा। गाँवमें इतने कुएँ है, कितनों पर सब लोग पानी भर सकते हैं। उनके इर्दगिर्दकी सफाई कैसी है, पाखाने या पाखाने जाने की जगह कुओंसे कितनी दूर है, यह सब देखेगा। नजदीक हों तो पाखाने नजदीक रहने के खतरे गाँववालोंको समझायेगा और उनका सहयोग प्राप्त करके उनको दूर हटायेगा। इसीमें सारे गाँवकी सफाईकी बात आ जाती है। ग्रामसेवकको कितने हदतक जाना है, इसका अब हमको खयाल आ गया है। ग्रामसेवा करनेवालों के लिए सारे ग्रामकी सफाई व खाद-कचरेके व्यवस्थित गड्ढे वगैरहके विषयमे जानना तथा करना अनिवार्य है। कामका बँटवारा तो होगा ही, लेकिन यह नही कि रेलवेकी झंडी हिलानेवाले पोर्टरकी तरह या चमड़ेकी फैक्टरीमें काम करनेवाली औरत की तरह अपने तले (सोल्स[2]) बनाने के अतिरिक्त उसको और किसी क्रियाका इल्म ही न हो, तो वह निकम्मी चीज है। हमारे यहाँ तो हम सभीको सारा शरीर बनाने का पूरा इल्म प्राप्त करना होगा। गाँवमें थोड़ी सिलाई भी चलेगी। गाँवके काश्तकार, लोहार, बढ़ई, चमार आदि सभीका आपसमें सहयोग कराके उनमें मेल बिठाना, इसके मानी हुए ग्रामोंका संगठन। ये सब बातें दीखने में बहुत-सी दीखती हैं, परन्तु असलमें वैसी नही है। निश्चयी तथा शरीर और बुद्धि दोनोंसे पूरा काम लेनेवाले कार्यकर्त्ताको ये बहुत कठिन नही लगनी चाहिए।

अन्तमें मेरी आखिरी बात सुना दूँ। गाँवमें जाकर बैठनेवाला कार्यकर्त्ता यदि अहिंसामें अनपढ़ होगा तो काम नहीं चलेगा। यदि वह केवल अर्थशास्त्रको ही सामने रखेगा और नीतिशास्त्रको जरूरी नही समझेगा, तो सब काम अन्तमें केवल ढकोसला

१ और २. मूलमें ये शब्द अंग्रेजीमें हैं।

हो जायेगा। अहिंसा ही हमारी बुनियाद है और उसीपर हम अपने पैर जमाकर खड़े रह सकते हैं। उसे आड़में रखने से हमारा काम नही चलेगा। चाहे लोग भले ही आरम्भमें कुछ कर भी जायें, स्वराज्यका मकान बगैर बुनियादके नही होगा। सेवकों को अपने हर व्यवहारमें अपने चरित्रसे ही इसकी शिक्षा देनी होगी; सिर्फ पुस्तकोसे या वर्ग चलाकर नहीं। यदि यह सब वह नहीं कर सकेगा तो गोलमाल ही होगा। हमारा इतिहास ऐसा ही गोलमालसे भरा है।

जाजूजी : देहातमें एकके बदले दो कार्यकर्त्ता रहें तो अधिक सुभीता रहेगा। कुछ काम एक करेगा और कुछ दूसरा और उन्हें एक-दूसरेका सहारा होगा।

बापूजी : कई लोगोंने मुझे यही प्रश्न पूछा है। मै इस विषयमें निश्चित नीति नही बतलाऊँगा। कार्यकर्त्ता यदि अकेला ही चला जायेगा तो मुझे प्रिय लगेगा। वह अकेला ही परिस्थितिसे झगड़कर निर्भय बनेगा। किन्तु एकसे काम नही निपटता हो तो दो भेजो। जब आर्थिक परिस्थिति हमको रोकेगी तब हम देख लेगे। और मै तो यहाँतक जाने को तैयार हूँ कि विवाहित कार्यकर्त्ता जायेगा तो वह एक, और उसकी पत्नी दूसरा कार्यकर्त्ता होनी चाहिए।

जाजूजी : कुछ कार्यकर्त्ता ऊँचे दर्जेके होंगे और कुछ सामान्य। अच्छे कार्यकर्त्ताके हाथके नीचे यदि आसपासके देहातोंमें पाँच-सात कार्यकर्त्ता हों तो?

बापूजी : कई लोगोसे मैंने इसकी चर्चा की है। लेकिन हर जगह यह सब शक्य नहीं होगा। तिमप्पा नाइकसे मैने कहा था कि तुम बहुत से कार्यकर्त्ता तैयार करो, नही तो तुम्हारा काम चलनेवाला नही है। वे कर्नाटकके बड़े सुयोग्य कार्यकर्त्ता है। पाँच-सात रुपयेमें अपना गुजर करते थे। जब कार्यकर्त्ता तैयार करने पड़े तब उन्होंने देखा कि स्थानीय कार्यकर्त्ता ही कम खर्चमें तैयार होंगे। और ऐसे ही कार्यकर्त्ताओंको उन्होने इल्म दिया और तैयार किया।

जाजूजी : लेकिन अक्सर अनुभव उलटा आता है। विवाहित कार्यकर्त्ताकी पत्नी कई बार उसकी मददरूप नहीं, पर झंझटरूप होती है।

बापूजी : इसीसे तो इस बारेमें कोई कायदा नहीं बनाऊँगा। राजाजी तो कहते हैं कि कार्यकर्त्ता विवाहित ही होना चाहिए।

जाजूजी : एक कार्यकर्त्ताके पीछे कितना खर्च करना होगा?

बापूजी : आज तो युद्धकी महँगाईका समय है। मुझे भय है कि लम्बे समय तक ऐसा ही चले। मै ऐसे कार्यकर्त्ताके पीछे माहवार पचास भी खर्च करूँगा और सौ भी।

जाजूजी : खाने को तो सभीको देना होगा; फिर परिवार, बालकोंकी पढ़ाई, इनका बोझ भी तो है?

बापूजी : हमको मध्यम मार्ग लेना होगा। अधिक झंझटवालो को छोड़ना होगा। पुरुष, पत्नी और दो बालक, ऐसे चार या अधिकतम पाँचकी परवरिशका भार हो इतनी ही मर्यादा समझी जाये। इससे अधिक झंझटवालों को न लें तो अच्छा।

जाजूजी : कई कार्यकर्त्ता अपने भाई-बहनोंको, माता-पिताको, ऐसी ही अन्यान्य जिम्मेवारी यहाँ पेश करते हैं।

बापूजी : ऐसोंके लिए स्थान नही रहेगा।

जाजूजी : कार्यकर्त्ताका वेतन निश्चित करने में हम उसकी योग्यताको महत्त्व दें या उसके परिवारके बोझको?

बापूजी : वल्लभस्वामीको तो मै पाँच दूँगा, सौ नही। लेकिन किसी बड़े परिवारवाले को अधिकतम देकर भी न छोड़ूँगा। याने दोनों रहेंगे और दोनोंको आपसमें कोई द्वेष न होगा, न किसीकी आशा।

जाजूजी : हमारे कार्यकर्त्ता देहातियोंसे किस हदतक सहायता (रिस्पांस[1])की अपेक्षा रखेंगे? क्षेत्र चुनावके समय क्या उनपर कुछ शर्तें लगाना उचित होगा? आजकी हालत तो ऐसी है कि हम देहातमें जाते है तो लोग समझते है कि ये पैसे-वाले हैं। इनसे जितना मिले उतना ले लो। दो साल काम करने के बाद जब कार्यकर्त्ता गाँव छोड़कर चला जाता है तो पीछे सारा शून्य हो जाता है।

बापूजी : मेरे विचारमें हम कोई शर्तें नही कर सकेंगे। उदाहरणस्वरूप, आदिवासियोंके बीच उनकी सेवा करने के हेतु हम जाकर बसेंगे तो उनसे क्या शर्त हो सकती है? पर असल बात तो यह है कि जहाँ हमने कुछ-न-कुछ काम किया है, कुछ अनुभव लिया है, वहाँ बैठकर काम करेंगे तो ही काम आगे बढ़ेगा और फैलेगा।

लेकिन सब-कुछ आखिरमें तो कार्यकर्त्तापर ही निर्भर रहेगा। देहातियोका प्रेम सम्पादन करके उनके पाससे वह जो-कुछ ले सके तो भले ही ले।

जाजूजी : कार्यकर्त्ता कितने वर्षमें स्वावलम्बी होना चाहिए? पाँच वर्षमें?

बापूजी : आपने ही तो कहा कि पाँच वर्ष। कार्यकर्त्ता एक मासका खर्च लेकर गाँवमें जायेगा। देहातियोसे ही जमीनका एक टुकड़ा माँग लेगा और उसपर झोंपड़ी बना लेगा। यदि किसीका घर खाली मिलेगा तो लेगा। जेबसे तकली निकालेगा, पेड़ तले रहेगा, चरखा गाँववालोंके पास होगा तो उसे ही लेकर दुरुस्त कर लेगा और चलायेगा। गाँवके लड़कोंको जमा करेगा, खेल खेलायेगा, कहानियाँ कहेगा, गाना सिखायेगा और गाँवकी सफाई करेगा। वेतनके अलावा उद्योगके या अन्य कामके लिए पूँजीके रूपमें एक कौड़ी भी नहीं दूँगा; सब-कुछ वह अपनी उपज-शक्ति (रिसोर्सफुलनेस[2]) और प्रेमसे जुटायेगा। इसीमें उसके प्रेमकी, उसके सेवाभावकी, उसकी शक्तिकी परीक्षा है।

जाजूजी : बड़ी कठिन परीक्षा है।

बापूजी : अवश्य कठिन है। यहाँ तलवार थोड़ी ही लेनी है? प्रेमका और सेवाका मार्ग तो यही है, जो मैंने बताया है। अहिंसक तरीकेसे स्वराज्य लेना है तो मेरे पास दूसरा तरीका नही है।

खादी क्यों और कैसे? पृ० २१४-२१, और **चरखा संघका नवसंस्करण**, पृ० २५-३२

१ और २. मूलमें ये शब्द अंग्रेजीमें हैं।

२०७. पत्र : कन्हैयालाल मा० मुन्शीको

सेवाग्राम
९ अक्तूबर, १९४४

भाई मुन्शी,

तुमने जल्दी उत्तर भेजकर अच्छा किया। उससे काम तो हो गया। लेकिन क्या अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रताके अधिकारकी दृष्टिसे उस मनाहीके आदेशका बचाव किया जा सकता है? होमीके[1] सामने मैंने जो मत व्यक्त किया था क्या उसे तुम ठीक समझते हो?

मैं तुम्हारा जयपुरका वक्तव्य पढ़ गया। वह मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या उसमें कांग्रेसकी नीतिका विरोध नहीं है? नागपुरमें हमने साथ-साथ जो नीति निर्धारित की थी,[2] जयपुरकी नीतिको क्या तुम उसके विपरीत मानोगे? मैं नीति विपरीत होने में कोई दोष नहीं मानता। मेरा प्रश्न केवल अपनी जानकारीके लिए है। क्या इस मामलेमें भी हममें मतभेद हो गया।[3]

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६८३) से। सौजन्य: क० मा० मुन्शी

२०८. पत्र : मंगलदास पकवासाको

सेवाग्राम
९ अक्तूबर, १९४४

भाई मंगलदास,

अमृतलालको यह बात अवश्य प्रकट कर देनी चाहिए कि वे कागजात उसके हाथ कैसे लगे? बापाको मैंने बता दिया है। आशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६८८) से। सौजन्य: मंगलदास पकवासा

१. होमी तलयारखाँ
२. २४ अप्रैल, १९३६ को अखिल भारतीय साहित्य परिषद्में; देखिए खण्ड ६२, पृ० ३७०-७३।
३. क० मा० मुन्शीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट १३।

२०९. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

सेवाग्राम
९ अक्तूबर, १९४४

बापा,

*　　　*　　　*[1]

प्यारेलालको लिखा तुम्हारा पत्र पढ़ा। न्यासी उपस्थित थे। उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि ४ नवम्बरको वर्धामें मिलेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें इस तारीखका नोटिस जारी करना चाहिए था। अब भी यदि विलम्ब हुआ न समझो तो नोटिस जारी करना। यदि समाचारपत्रमें प्रकाशित करना चाहो तो करना, जिससे कि न्यासियोंको तुरन्त मालूम हो सके। व्यक्तिगत रूपसे तार देना पड़े तो तार देना। तीन वकीलों में से एक ही वकील किसलिए? मंगलदास बीमारीके कारण नहीं आ सकते, यह समझता हूँ। मुन्शीजीको क्या हुआ? दादाको[2] क्या हुआ? जहाँगीरजीको मैंने पत्र[3] लिखा है, वह मृदुलाबहन बतायेगी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यदि मैं बम्बई आऊँ तो सारी झंझट ही खत्म हो जाये। लेकिन मेरे न आने का कारण मेरा स्वास्थ्य नहीं है। न आने के पीछे राजनीतिक कारण हैं। इसलिए मुझे सबको कष्ट देने में कोई शर्म महसूस नहीं होती।

बापू

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२१०. पत्र : दिनशा मेहताको

९ अक्तूबर, १९४४

चि० दिनशा,

तुम्हें लिखने में इतने दिन निकल गये।

इतना याद रखना है :

१. मेरा भरोसा न करना। मै जेल जाऊँ, मैं मर जाऊँ, अथवा मैं यहाँसे छूट नहीं पाऊँ, [कुछ भी हो सकता है]। यदि मेरे बिना यह प्रयोग करने की हिम्मत न हो तो प्रयोग न करना।

१. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

२. गणेश वासुदेव मावलंकर

३. देखिए पृ० १७१।

२. यदि प्रयोग करने की हिम्मत हो और आत्म-विश्वास हो, तो उसके लिए जरूरी जमीन ढूंढ निकालना।

३. जब वह मिल जाये तो उसका नक्शा बनाना और उसमें किस तरहसे व्यवस्था होगी सो बताना। उसके मध्यमें अथवा एक कोनेमें प्रयोगगृह और उपचारगृह होगा। आसपास रहने के लिए अच्छी झोपड़ियाँ होंगी। उनमें रोगी रहेंगे और वे बच्चे रहेंगे जो हमें सौंपे जायेंगे। उसमें फलोंके पेड होंगे, फूलोंकी क्यारियाँ और साग-सब्जी तथा अनाज उगाने की व्यवस्था होगी। इस आरोग्य-सदनमें पशुओंके रहने का स्थान होना चाहिए; सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए जिससे गाड़ियाँ आ-जा सकें; व्यायामशाला, नहाने के लिए तालाब होने चाहिए। इस आरोग्य-सदनमें सभी आवश्यकताओंको पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सब-कुछ एकदम नहीं हो सकता। लेकिन पाँच वर्षमें सारा-का-सारा तैयार हो जाना चाहिए। रोगियोंको आरम्भसे ही भर्ती किया जाना चाहिए। और बिजलीके बिना जो उपचार हो सकें इसमें वे ही हम करें — यथा गर्म और ठंडे पानीका उपचार, भाप, मिट्टीका उपचार और सूर्यकी किरणोंसे किया जानेवाला उपचार।

इन सबपर विचार करना। हालमें ही मेरे पास आन्ध्रके एक प्राकृतिक चिकित्सक आये थे। उनके पास तीस एकड़ जमीन है। वे नब्बे रोगियोंका इलाज करते हैं। तुम्हें उनका भवन देखने के लिए भेजने की मेरी इच्छा है। ऐसी संस्थाओंमें तुम्हें जाना चाहिए।

बापूकी दुआ

मूल गुजरातीसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२११. पत्र : मनु गांधीको

९ अक्तूबर, १९४४

यह चि० मनुडी[1] या सुशीलाबहनके लिए है।

छः सप्ताहका प्राथमिक चिकित्साका पाठ्यक्रम।

१. शरीर-रचनाका सामान्य विवरण। इसमें पेटके आन्तरिक विभाग, मुख्य-मुख्य अस्थियाँ, धमनियाँ और नसें आती हैं।

२. सामान्य जख्मों, जैसे लड़ाईके मैदानमें होनेवाले घावोंका विवरण और उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकारकी पट्टियाँ : खोपड़ीकी पट्टी, पेटकी पट्टी, अंगुलीकी पट्टी, पैरकी पट्टी आदि।

३. बहते खूनको बन्द करने का अपेक्षित ज्ञान शिक्षण-क्रमके अन्तर्गत, साथ-साथ शिक्षण-क्रमके बाहरका कामचलाऊ ज्ञान भी, जैसे कि कंकरीके द्वारा खून बन्द करना।

१. जयसुखलाल गांधीकी पुत्री

४. अस्पतालका सामान उपलब्ध न होने की स्थितिमें काम चलाने का तरीका, जैसे कि उबले पानीके बदले गर्म राख, कागज और रुईकी राख; सूखे कपड़े या फलालेन न मिलने पर पढ़ने को मिले अखबार आदिका उपयोग। . . .

५. जहाँ डॉक्टर न मिल सके वहाँ डूबे हुए व्यक्तिका, साँप-बिच्छू काटेका 'देहाती' उपचार।

६. घायल अथवा बीमारको ले जाने के लिए स्ट्रेचर ड्रिल, और यदि अस्पतालका स्ट्रेचर न मिले तो बन्दूक या लकड़ी तथा जैकेटसे कामचलाऊ स्ट्रेचर बनाना।

७. हजारों लोगों द्वारा सामान्य ढंगसे प्रयाण और नियमानुसार प्रयाण ड्रिल।

८. लड़ाईके मैदानमें कुछ ही मिनटोंमें तम्बू तानना, पानी इस्तेमाल करने के नियम और पाखाने, रसोईघर आदि किस तरह और कब बनाने चाहिए।

यह सम्भव है कि इसमें कुछ छूट गया हो। इसमें से बहुत-कुछ केटलीकी पुस्तक में आ गया है। "सेंट जॉन्स एम्बुलेंस" में भी बहुत-सी चीजें हैं। हमारे यहाँ भी ये सब पुस्तकें थीं तो सही। लगता है कि यदि मैं यहाँ बोलता होता तो इससे ज्यादा नहीं दे सकता था। इसलिए तूने कुछ बहुत नही गँवाया।

बापू

[गुजरातीसे]
बा बापुनी शीली छायामां, पृ० २१८-१९

२१२. पत्र : एस० जी० वझेको

सेवाग्राम
१० अक्तूबर, १९४४

प्रिय वझे,

अच्छा हुआ कि तुमने पत्र लिख दिया। तुम्हारा पत्र मुझे इतनी देरसे मिला कि तार तक करने के लिए विलम्ब हो चुका था। राजा साहबको[1] अपनी रियासतके लोगोंके लिए उठाये गये उदार कदमोंके लिए बधाई दो। औंधमें[2] जो सुधार लागू किये गये उनके लिए उसे पछताने का कोई कारण नहीं है और न फलटनको ही वहाँ लागू किये सुधारोंके लिए पछताना पड़ेगा।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्री एस० जी० वझे
सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
पूना

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. फलटनके राजा मालोजीराव एम० नायक निम्बलकर, जिन्होंने अपने राज्यमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार आरम्भ की थी।

२. सुधारोंको लागू करनेवाला दक्षिणका पहला राज्य औंध था।

२१३. पत्र : नगीनदास मास्टरको

सेवाग्राम
१० अक्तूबर, १९४४

भाई नगीनभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें जो उचित लगे वही करना चाहिए, यही अगस्त [१९४२] प्रस्तावका मार्गदर्शन है न?[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२१४. पत्र : कान्तिलाल और सरस्वती गांधीको

सेवाग्राम
१० अक्तूबर, १९४४

चि० कान्ति और सरस्वती,

तेरा (कान्तिका) एक पत्र मेरे सामने है। पत्र समाचारोंसे भरा है। तू ठीक काम कर रहा है। अधिक नही लिखता। इस समय तो कुटुम्बियोंका अच्छा खासा मेला जमा हुआ है। लेकिन अब जल्दी ही बिखर जायेगा। मेरी तबीयत ठीक रहती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३६९) से। सौजन्य : कान्तिलाल गांधी

१. गुजरात समाचार, १०-१०-१९४४ के अनुसार नगीनदास मास्टरको गांधीजी का सन्देश जनतातक पहुँचाने का कार्य सौंपा गया था। सन्देशमें कहा गया था कि "हमारी लड़ाई अटल है और प्रत्येक भारतीयको आजादीके संग्राममें अपना योगदान देने के लिए तैयार रहना है।"

२१५. बातचीत : श्रीकृष्णदास जाजूके साथ

१० अक्तूबर, १९४४

जाजूजी : कार्यकर्त्ता स्वावलम्बी कैसे बनेंगे? गाँववाले उन्हें या तो दान दे सकते हैं या रोजगार दे सकते हैं; या गाँववाले खुद कोई उद्योग चलाकर उसके मुनाफेमें से कार्यकर्त्ताका निर्वाह चला सकते हैं।

बापूजी : दोनों करना होगा। कार्यकर्त्ताओंको हम वेतन तो देंगे ही और उसके अलावा गाँववाले या वह खुद कुछ-न-कुछ गाँवके लाभका धन्धा करेगा ही। कोई अति बुद्धिशाली कार्यकर्त्ता देहातमें बैठ जाये और अपना ही नहीं बल्कि अपने सारे कारोबारका खर्च अपनी बुद्धिसे निकाले और मित्रोंसे कुछ न ले, यह हो सकता है। फिर भी इस तरह बुद्धिसे धन उपार्जन करने को मैंने बुद्धिका दुर्व्यय कहा है। ऐसी सब आमदनी मुल्कको ही जानी चाहिए।

जाजूजी : हमारे कार्यकर्त्ताको खादीके ही आधारपर जीना हो तो वह सिर्फ स्वावलम्बी खादीसे नहीं हो सकेगा। व्यापारी ढंगकी खादी तैयार करवाना, बेचना, बाहर भिजवाना आदि काममें से उसे अर्थलाभ करना होगा।

बापूजी : मेरी योजनामें यह बात इस तरह नहीं। मैं मानता हूँ कि यदि खादीसे ग्रामको स्वाश्रयी बनाना हो तो अतिरिक्त खादी बाहर भेजनी पड़ेगी।

किसीने मुझे एक बार यह बात समझाई थी कि स्वावलम्बनकी खादीके सिवा और भी खादी यदि काफी मात्रामें हम न बनायेंगे और हमारे पास या हमारे देहातियोंके पास जमीन आदि अन्य कोई आधार नहीं होगा तो केवल स्वावलम्बी खादी बनाना काफी नहीं होगा। आज मेरी कल्पना इतनी ही है कि वस्त्र, अनाज आदि बुनियादी आवश्यकताओंको देहाती अपने यहाँ ही पैदा कर लें। इसीको हम स्वावलम्बी (सेल्फ सफिशिएन्ट[1]) कहेंगे।

लेकिन इसका भी अनर्थ होना सम्भव है। इसलिए इस चीजको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सेल्फ सफिशिएन्सी[2] का अर्थ कूपमण्डूकता नहीं है। सेल्फ सफिशिएन्ट[3] यानी सेल्फ कन्टेंट[4] नहीं। किसी भी हालतमें हम सभी चीजें पैदा कर भी नहीं सकते और न हमें करना है। हमको तो पूर्ण स्वावलम्बनके नजदीक पहुँचना है। जो चीजें हम पैदा नहीं कर सकते उन्हें पाने के लिए उनके बदलेमें देने के लिए हमें अपनी आवश्यकतासे अधिक पैदा करना ही होगा। लेकिन जो-कुछ अधिक पैदा करेंगे वह बम्बई नहीं भेजेंगे और न ऐसे दूरके शहरोंपर नजर रखकर उन्हींके कामकी चीजें पैदा करने की इच्छा रखेंगे। वैसा करेंगे तो वह मेरी स्वदेशीकी

१, २, ३ और ४. मूलमें ये शब्द अंग्रेजीमें हैं।

कल्पना से विरुद्ध होगा। स्वदेशीका अर्थ है अपने नजदीकके पड़ोसीको छोड़कर दूरके बसनेवालेकी सेवा करने न जाना।

दृष्टि यही रखनी चाहिए कि प्रथम इर्दगिर्दके देहात, पीछे जिला, पीछे प्रान्त। इस ढंगसे काम करने पर चरखा संघको सिर्फ नीतिका रक्षक बनकर ही सन्तोष मानना पड़ेगा। हमें सभी झंझटोंमें पडना नहीं है। हमारे पास तीन हजार कार्यकर्त्ता और कई बिक्री-भण्डार वगैरह हैं। उन्हें आज ही भस्म नहीं करना है। परन्तु हमारा झुकाव किस तरफ रहना चाहिए यही मैं बता रहा हूँ।

जाजूजी : कार्यकर्त्ता अपने कार्यक्षेत्रकी मर्यादा पाँच मील त्रिज्याकी रखेगा?

बापूजी : हाँ, कहीं उससे भी कम होगी। जैसे बंगाल-विहारमें तो पाँच मील त्रिज्यामें कई देहात आ जाते हैं।

जाजूजी : कार्यकर्त्ता सुबह अपने यहाँसे निकलकर शामतक घूमकर वापस लौट सके इतनी मर्यादा ठीक होगी।

बापूजी : हाँ, हो सकती है।

जाजूजी : क्या चरखा संघ ही यह काम प्रथम करेगा?

बापूजी : जरूर, क्योंकि चरखा संघ सूर्य है, दूसरे उद्योग ग्रह हैं। सूर्यकी गति ठीक रहेगी तभी दूसरे ग्रह चलनेवाले हैं। आज तो ग्रामउद्योग की स्थिति धूमकेतु-जैसी है।

जाजूजी : अस्पृश्यता-निवारणके काममें कभी-कभी बहुत झंझटें पैदा हो जाती हैं। हमारे कार्यकर्त्ता उन झंझटोंमें कहाँतक फँसें?

बापूजी : जिससे काम रुक जाये ऐसे झंझट में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन कार्यकर्त्ता खुदके जीवनमें अस्पृश्यताको बिलकुल स्थान नही देगा। हरिजन जहाँसे पानी भरते होंगे वहीसे ग्रामसेवक भी भरेगा, उनके कुएँ साफ करेगा, बाँध, नाली आदि बाँधेगा, सफाई करेगा।

जाजूजी : दूसरी बात राजनैतिक है। मान लीजिए कि मैं एक जगह काम करता हूँ और मेरे सम्मानपर हमला होता है, मेरे आने-जाने पर पाबन्दी लगाई जाती है, तब मेरा सविनय भंग करना उचित होगा? परन्तु अन्य राजनैतिक मामलों में शायद मुझे अलिप्त रहना पड़े। लेकिन जब आम सविनय भंग चलता है तब कार्यकर्त्ता उससे बच नहीं सकता। ऐसी दशामें क्या करना चाहिए?

बापूजी : आम सविनय भंगमें तो एक प्रकारकी अराजकता-सी चलती है। सब अपने-अपने सरदार हो जाते हैं। लड़ाईकी भाषा चलने लगती है। मगर आम सविनय भंगका जो कोई प्रधान या सेनापति होगा उसकी आज्ञानुसार चलना होगा। आम सविनय भंगमें से तो शायद ही कोई अलिप्त रह सकता है। लेकिन तब भी जो कोई चरखा संघका प्रधान होगा उसको कार्यकर्त्ता अपनी परिस्थिति निवेदन करेगा, और प्रधान भी परिस्थितिको समझकर अपनी राय देगा। वैसा आम सत्याग्रह आज मेरी दृष्टिकी मर्यादामें नही है।

खादी : क्यों और कैसे? पृ० २२१-२४, और चरखा संघका नवसंस्करण, पृ० ३२-३५

२१६. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

वर्धा

११ अक्तूबर, १९४४

जन्म-दिनपर सभी स्थानोंसे असंख्य सन्देश मिले हैं और अब भी मिल रहे हैं। व्यक्तिगत रूपसे उन सबकी प्राप्ति स्वीकार करना मेरे लिए असम्भव है। इसलिए शुभकामनाएँ भेजनेवाले सभी लोगोंको समाचारपत्रोंके सौजन्यसे धन्यवाद दे रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-१०-१९४४

२१७. पत्र : कुंदर दीवानको

११ अक्तूबर, १९४४

भाई कुंदर,

चर्खा अहिंसाका प्रतीक है उनके लिये जो चर्खेमें अहिंसाकी स्थापना करते हैं। वह साथ है वह समझाने के लिये मेरा वक्तव्य था। यह बात समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहीये।

बापु

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२१८. पत्र : रामकृष्ण डालमियाको

११ अक्तूबर, १९४४

भाई डालमीया,

तुम्हारा खत मिला है। मेरा खयाल है कि मैंने जो किया वही सही था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा पत्र प्रेमसे प्रेरित था। ऐसे ही लिखा करो।

बापुके आशीर्वाद

डालमीया-जैन निवास
नई दिल्ली

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२१९. बातचीत : श्रीकृष्णदास जाजूके साथ

११ अक्तूबर, १९४४

जाजूजी : मैं आपकी विकेन्द्रीकरणकी बात अभीतक ठीक नहीं समझ पाया। उसे समझाइए।

बापूजी : मेरा दृष्टिकोण यह है कि जितने प्रान्त कहे कि हमको आजाद करो उनको आजाद कर देना है। वे कहेंगे, नैतिक व्यवस्था भले आपकी रहे, जितनी हमसे बन पड़ेगी निभायेंगे; बाकी सब काम-कारोबार हमारी ही रायसे अपनी ही जिम्मेवारीसे करेंगे, तो मुझको अच्छा लगेगा। वे यदि मेरी नीतिपर चलते होंगे, और स्वयं साधु-चरित्र होंगे, ईमानदारीसे स्वच्छ प्रामाणिक प्रयोग करने के पीछे उन्होंने खतरे उठाये होंगे, तो मैं उन्हें पूरी आजादीसे काम करने दूंगा। बस मेरी शर्त इतनी ही रहेगी कि जितनी खादी पैदा करो वह सब वहीं इर्दगिर्दके गाँवमें, तहसील, जिला या आखिर प्रान्ततक में ही बेचो। यह नहीं कि चिकाकोलवालोंके माफिक सब-कुछ बम्बईके लिए ही पैदा करें और खुद घरमें पहने ही नहीं।

जाजूजी : चिकाकोलकी खास बात है। सारे देश-भरकी महान खादीका वही एक उत्पत्ति-केन्द्र है।

बापूजी : हाँ, ऐसी हालतमें भी मैं पैदा करनेवालोंको और पैदा करानेवाले विक्रेताओंको यही कहूँगा कि यदि वहाँका काम चलाना है तो भले ही चलाओ, परन्तु यदि वहाँके कारीगर खादीको छुएँ भी नहीं और मिलका ही कपड़ा पहनते रहेंगे और सिर्फ बम्बईके लिए ही खादी पैदा करते रहेंगे, तो संघकी ओरसे वहाँका केन्द्र नहीं चल सकता। मैं उसे बन्द कर दूंगा, इतनी सख्ती मेरेमें है।

जाजूजी : कारीगरोंकी मजदूरी में से कुछ अंश काटकर आज हम उन्हें उसमें से कुछ खादी पहनाते तो हैं। परन्तु उसमें कुछ जबराई है। वे अपनी मर्जीसे नहीं पहनते।

बापूजी : इतनेसे भी मैं सन्तोष मान लूंगा, परन्तु कुछ समयतक ही। अहिंसाको स्वीकार करके लोग तुरन्त खादी पहनने लग जायें ऐसा मेरा आशय नहीं है। सच्चे अर्थशास्त्रकी दृष्टि यदि हम उन्हें बता सकेंगे तो वे अन्तमें अहिंसा को भी समझ जायेंगे। जिस अर्थ-सम्पत्तिके साथ शुद्ध नीतिका मेल नहीं बैठ सकता वह शुद्ध अर्थ नहीं हो सकता। हमारे कार्यकर्ता शुद्ध अहिंसा और नीतिसे प्रेरित होकर काम करनेवाले होंगे तो सच्ची अर्थदृष्टि लोगोंमें आयेगी। यह तभी होगा कि जब हमारा आचार शुद्धतम होगा और हम लोगोंका शोषण नहीं करेंगे। यह नहीं कि कारीगरोंको दु:खी करें, योग्य दाम न दें, उनके दु:ख-सुखमें शामिल न रहें, वे शराबी हों तब भी उस तरफ ध्यान न दें और सारे हिन्दुस्तानको खादी पहनाने का

प्रयास करें। इस तरह हिन्दुस्तानका भला करने से तो खादीको जला देना अच्छा होगा। मैं शराबीको भी निभाऊँगा, उसे काम दूँगा, हटाऊँगा नहीं। लेकिन उसकी मैत्री करूँगा और रोज उसे समझाऊँगा। बिना इतना किये केवल खादीका काम मैं नहीं करूँगा।

चिकाकोलकी खादी सब लेते हैं और दूर-दूरके प्रान्तकी बिक्रीमें भी इसका हिस्सा काफी रहता है यह मैं जानता हूँ, लेकिन यह मुझे चुभता है। किसी प्रान्त, जिला, तालुका या देहातमें कहीं भी यदि हम नई प्रणालीसे खादी-काम करने में सफलता चाहते हों तब यह चीज चलनी चाहिए। हमारी यह नीति है ही नहीं कि एक जिला किसी अन्य जिलेके ऊपर जाकर पड़े, यानी उससे स्पर्धा करे। सभी जिले अपनी-अपनी आवश्यकताको पूरी कर लेंगे। इससे बिक्रीके सब झंझटोंसे हम छुटकारा पायेंगे। सम्भव है कि इस नई नीतिका अमल करने की वजहसे फिलहाल हम शून्यवत् बन जायें, परन्तु बादमें यह काम आगे बढ़ेगा। हिसाब जोड़कर तो मैं नहीं कह सकता। सिवाय इसके हिसाबको अभी मै जानता नहीं हूँ। वह तो मुझे आप बता सकते हैं। लेकिन इतना मै जानता हूँ कि खादीसे अहिंसाकी प्रतिष्ठा करनी है तो यह करना ही होगा।

जाजूजी: इसलिए क्या प्रान्तोंमें अलग-अलग ट्रस्टमण्डल या एसोसिएशन बनाकर संघका सब काम उनके सुपुर्द करना होगा?

बापूजी: ठीक क्या करना पड़ेगा यह मेरी बुद्धिमें अभी नहीं आया है। इतना जानता हूँ कि जैसा मेरा खयालमें है वैसा विकेन्द्रीकरण करना हो, तो आज जैसा सब कारोबार केन्द्रित होकर चलता है वैसा न चलेगा। आज तो हमारा यन्त्र टॉप हेवी[1] हो गया है। दूसरा हो भी क्या सकता था? हाँ, यदि शुरूसे ही म समझ जाता और आग्रह रखता कि बस ऐसा करना है, अन्य तरीकेसे नहीं, तो कदाचित् ऐसा हो पाता। यह सब ठीक दिशामें नहीं चल रहा है, यह बात बिलकुल ही मेरे ध्यानके बाहर रही हो, ऐसी भी बात नहीं थी। लेकिन मैं भी कुछ काम कर लेना है ऐसे लोभमें पड़ गया और जिस किसी तरह भी काम आगे बढ़ने दिया और इसीमें से केन्द्रीय मण्डल बना।

जाजूजी: फिर भी कुछ विधान तो सोचना ही होगा। प्रान्तोंका काम यदि किसीके हवाले कर देना है तो रजिस्टर्ड सोसायटियाँ बनानी होंगी और हरएक सोसायटीके कम-से-कम सात ट्रस्टी हों।

आप आज्ञा दें तो बिक्रीका विकेन्द्रीकरण मैं जल्द ही कर दूँ। आज खादीके व्यवसायमें इतना मुनाफा और गुंजाइश है कि व्यापारियोंकी भीड़ लगी है। मेरे पास चिट्ठियाँ आ रही हैं कि हमको यह भण्डार सौंप दो, वह भण्डार सौंप दो। लेकिन जो विकेन्द्रीकरण होनेवाला है वह कैसा होगा इसका चित्र अभीतक मेरी आँखोंके सामने नहीं आया है। इसलिए मुझे अभी ठीक नहीं सूझता कि क्या करें?

१. मूलमें यह शब्द अंग्रेजीमें है।

व्यक्तिको या किसी मण्डल या संस्थाको खादी-काम सौंप देना हो तब भी तीन बातें देखनी ही होंगी — (१) खादीकी शुद्धता, (२) जीवन-मजदूरी, और (३) नफाखोरीका अभाव। ये तीन बातें हम सँभाल न सके तो सब ढकोसला होगा। जो-कुछ करना है बड़ी सावधानीसे करना है। संघके कामका ही उदाहरण लीजिए। हम बार-बार परिपत्र निकालकर मजदूरी बढ़ाने तथा किसी भी तरह कामगारोंका नुकसान न हो इस बारेमें कार्यकर्त्ताओंसे अनुरोध करते रहते हैं। फिर भी अनुभव यह है कि सूतका अंक निकालना, हिसाबमें पैसा-दो पैसे इधर या उधर मिलाना, ऐसी ही कई-एक छोटी-मोटी बातोंमें हरएक केन्द्रके हरएक कार्यकर्त्ताको पूरे नियन्त्रणमें रखना असम्भव-सा हो जाता है। इसमें भी खयाल करने की बात तो यह है कि इसमें हमारे कार्यकर्त्ताका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता है। एक ओरसे हमने खादीकी कीमतके बारेमें खरीदारोंकी ऊँची भावनाओंको जाग्रत करके उनके मुँह बन्द किये और दूसरी ओर कारीगरोंको मजदूरी कम पहुँची।

यह तो हुई चरखा संघके प्रत्यक्ष नियन्त्रणमें चलनेवाले केन्द्र या कार्यकर्त्ताओंके व्यवहारकी बात। इस दशामें जब हम विकेन्द्रीकरण करने निकलेंगे और नियन्त्रण बहुत-कुछ ढीला हो जायेगा या नहीं-सा रहेगा, तब प्रमाणित व्यापारी लोग सारे क्षेत्रमें कितना गोलमाल करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या व्यक्ति, क्या संस्था, जो कोई खादी-बिक्रीका काम आज कर रहे हैं उनमें काफी स्पर्धा है। संस्थावाले भी काफी नफा करते हैं। इस अवस्थामें यदि चरखा संघको बिक्री काममें से हटना है तो फिर यह काम किसे सौंपना, किस प्रकारकी शर्तें या मर्यादाएँ लगाना, यह एक जटिल समस्या है। प्रान्तोंको अपना-अपना इन्तजाम सौंप देना हो तो उनके पास भी खादीकी समुचित दृष्टि रखनेवाले कार्यकर्त्ता मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है।

बापूजी : क्या इसकी कोई कुंजी नही मिलती ?

जाजूजी : थोड़े प्रान्तोंमें शायद यह प्रान्तीय स्वतन्त्रताकी समस्या इतनी कठिन न होगी, लेकिन बहुतसों में तो अवश्य कठिन हो जायेगी। फिलहाल विकेन्द्रीकरणकी नीतिको प्रान्ततक न ले जाकर जिलेतक ही मर्यादित रखना शायद अधिक उचित होगा। आज ही सारा परिवर्तन एकदम न किया जाये।

बापूजी : विकेन्द्रीकरण फिलहाल उत्पत्तिका ही रहे। उत्पत्ति करनेवाले अपने आसपासके प्रदेशोमें ही खादी बेचें, ऐसी मर्यादा उनपर रहे। यदि दूर कही भेजना हो तो मध्यवर्ती दफ्तरकी सम्मति जरूरी समझी जाये।

जाजूजी : हरएक केन्द्र अपनी तहसीलकी मर्यादामें ही खादी बेचे, ऐसी मर्यादा रखने में कोई हर्ज नहीं है।

बापूजी : ठीक है। असल बात यही है कि जो बनाये वही पहने। या उसी गाँवके या आसपासके रहनेवाले पहनें। यह तो हम मानते है कि अन्य स्थानोंके लिए भी खादीकी जरूरत तो रहेगी ही।

जाजूजी : कार्यकर्त्ताओंको हम कहेंगे, जहाँ खादीका काम ठीक चलता हो वहाँ जाओ और इस नई नीतिके अनुसार जितना काम बढ़ा सको बढ़ाओ। जहाँ-

जहाँ ऐसे कार्यकर्त्ता जाकर बैठें, वहाँसे संघ हट जायेगा और इस तरह विकेन्द्रीकरण होता जायेगा। लेकिन एक बात रहेगी। कार्यकर्त्ताओंको हमें कहना होगा कि जहाँ खादी पैदा करो वहीं बेचो, तहसीलमें बेचो, बहुत-बहुत जिलेतक में बेचो। इतने पर भी जो खादी नहीं बिकेगी उसे बेचने में फिलहाल संघ सहायता करेगा। अब यह सिद्ध बात है कि इस काममें घाटा नहीं है। आज जितनी खादी पैदा होगी सब बिक जायेगी। अब बिक्रीमें दिक्कत नहीं है, जो है सो भेजने-भिजवाने की है।

बापूजी : खादी जिन उत्पत्ति-केन्द्रोंमें बनती है, वहीं बिक जाती है।

जाजूजी : नहीं, यहाँतक कि आसपासमें भी नहीं। आज बिक्रीका जो तन्त्र बना है, वह यह है कि जिलेके शहरमें संघके खादी-भण्डार हैं, कहीं तहसीलकी जगहमें। कहीं-कहीं एजन्सी प्रथा भी चलती है। ये एजेन्सियाँ जिला-भण्डारसे खादी ले जाकर जिलेके अन्य स्थानोंमें बेचती हैं। उत्पत्ति-केन्द्रोंमें कामगारोंकी मजदूरीमें से रुपयेमें दो आने, चार आने, आठ आने तक भी काटकर हम कामगारोंको खादी देते हैं। इसके अतिरिक्तकी अधिकांश खादी शहरोंमें ही बिकती है।

बापूजी : इसके बदलेमें मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्त्ता देहातमें जाये और उतनी ही खादी-उत्पत्ति करे जितनी कि वहाँके लोगोंको पहना सके। बाहरवालोंके लिए पैदा न करें और वह केवल खादी ही पैदा करना सिखाकर चुप नहीं बैठेगा, दूसरे व्यवसाय भी लोगोंको सिखायेगा। उसमें से जो प्राप्ति होगी सो भी देहातियोंके जेबमें ही जायेगी। जहाँके देहाती कहेंगे — "हम खादी पैदा करेंगे। हमारा सारा परिवार उसे पहने तो भी हमें नकद पैसोंकी जरूरत रहती ही है। इसलिए हम खादी अधिक मात्रामें पैदा करेंगे। आपको ही लेनी होगी।" इस तरह पैदा हुई अतिरिक्त खादी भी हम लेंगे, लौटायेंगे नहीं। लेकिन सम्भव है कि ऐसे गाँव खादीके हाथउद्योगके केन्द्र बनेंगे। परन्तु मेरी नजरके सामने यह परिस्थिति नहीं है। मेरी कल्पनामें ऐसे ही देहात और कार्यकर्त्ता-कामगार हैं जहाँ खादीकी उत्पत्ति दोयम धन्धेके ढंगसे ही चलेगी और जहाँ गाँव केवल इस धन्धेपर निर्भर नहीं रहेगा किन्तु अन्यान्य धन्धे भी करेगा। अधिकांश गाँव यही करेंगे। यही हुआ सच्चे अर्थमें विकेन्द्रीकरण।

जाजूजी : देहातोंका मुख्य पेशा काश्तकारी है। तेलघानी वगैरह अलबत्ता चल सकते हैं, परन्तु उससे अर्थलाभ थोड़ोंको ही होगा। गरीबोंकी बेकारीके लिए व्यापक मात्रामें देहातमें खादी ही काम आ सकती है। स्वावलम्बनके लिए खादी पैदा करने में अर्थलाभकी गुंजाइश बहुत कम है। स्वावलम्बनके उपरान्त यदि प्रत्यक्ष अर्थलाभके रूपमें दो पैसे देहातियोंके जेबमें डालने होंगे तो फिर कुछ अंशमें बिक्रीके लायक खादी भी देहातियोंके घरोंमें पैदा हो और वह बिक्रीके लिए बाहर भेजी जाये, ऐसा प्रबन्ध करना होगा। इसके बिना जिनको दिनभर पूरा धन्धा नहीं है ऐसे आंशिक बेकार देहातियोंको राहत देने में हम असफल रहेंगे।

बापूजी : इसमें अड़चन यह है कि खादी सर्वव्यापक नहीं बनेगी। कुछ लोगोंका ही पेशा बनी रहेगी।

जाजूजी : कताई तो सब जगह चलेगी और बुनाई तो आज भी खास पेशा है। और जबतक मिलें हैं तबतक खादीकी उत्पत्ति बड़े पैमानेपर नहीं हो सकेगी। सुरगाँवमें हमने वस्त्र-स्वावलम्बनका काम शुरू किया। पाँच वर्षका कार्यक्रम रखा। वल्लभस्वामीका अनुभव यह है कि लोग खादीको अपनाते हैं सही, लेकिन समझते नहीं। हम वहाँसे हटें तो कुछ समयके बाद खादी भी हट जायेगी। लोग गाँवके सामुदायिक अर्थशास्त्रको समझेंगे तब ही टिकेंगे, अन्यथा नहीं। स्वावलम्बनमें अर्थलाभ यत्किंचित् है। वह इतना थोड़ा है कि आकर्षक नहीं होता।

बापूजी : वही मेरी भी दिक्कत है। वल्लभका कथन मेरे कानोंमे गूंज रहा है। गाँवमे दलबन्दी हुई। उपवास करने पड़े। इन सब घटनाओंके पीछे कहीं-न-कहीं विचारदोष है, ऐसा मुझे लगा है। हमने लोगोंको प्रलोभन दिये, सुविधाएँ दीं। लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। खादी अपने ही बलपर हिन्दुस्तानको कहाँतक ले जा सकती है इसकी हमें खोज करनी है। इस खोजमें हम अबतक यहाँतक पहुँच पाये हैं कि खादी शहरोंमें बिक सकती है, देहातोंमें नहीं। देहातियोंके लिए अभी हम उसे सहज प्राप्य नहीं बना सके हैं। यदि हम हारे हैं तो अपनी हार हमें कबूल करनी होगी और आगे चलना होगा। अनुभवसे शुद्ध बनकर हमें आगेके प्रयत्नोंमें लगना होगा। इसीसे कहता हूँ कि खादी शहरोंके लिए ही बनाना और शहरोंमें ही बेचना अब बन्द करना होगा। आज एक करोड़की खादी शहरोंमें बिकती है। परन्तु अब हम शहरवालोंको यह कहें कि अब हम तुम्हें तैयार खादी न देंगे, बल्कि खादी पैदा करना सिखायेंगे, तुम अपने लिए खादी पैदा कर लो या करवा लो। मुझे उनके एक करोड़का प्रलोभन नहीं है। हम खादीमें अपनी बुद्धि और हृदय लगायेंगे, रुपया नहीं। यानी हमें अब निर्दय बनकर खादीकी शक्ति कहाँतक है और कहाँतक नहीं है, इस बातकी खोज करनी होगी। यदि देखेंगे कि खादी हमें वहाँतक नहीं ले जा सकती जहाँतकका हमने दुनियाके सामने दावा किया है, तब उसे छोड़ेंगे या अपना दावा नीचा करेंगे या कोई अन्य बुनियाद पकड़ेंगे, जैसे खेती।

प्रारम्भसे ही मेरी यह श्रद्धा अवश्य रही है कि इस देशके वासियोंके लिए खेती ही एकमात्र अटूट, अटल सहारा है। इसकी भी खोज करेंगे और देखेंगे कि इसके सहारे कहाँतक जाया जा सकता है। यदि हमारे लोग खादीके बदले खेतीमें विशारद होकर लोगोंकी सेवा करेंगे तो मुझे अफसोस न होगा। मैं इतना देख चुका हूँ कि हमें बहुत कष्ट उठाना है। अब खेतीकी ओर ध्यान देने का समय आ गया है। आज तक मैं मानता रहा कि जबतक सरकारके अधिकार अपने हाथोंमें नहीं आते, देशकी खेतीका सुधार असम्भव है। अब मेरे उन विचारोंमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। मैं यह महसूस करता हूँ कि मौजूदा हालतमें भी हम कुछ हदतक सुधार कर सकते हैं। यदि यह ठीक है तो लगान वगैरह आसानीसे देकर भी जमीनके सहारे किसान अपने लिए कुछ प्राप्त कर सकेगा। जवाहरलाल कहता है कि खेती सुधारोगे तब भी जबतक विदेशी सरकार हमपर है तबतक किसी-न-किसी बहानेसे या तरीकेसे वह किसानकी कमाई लूटती रहेगी। अब मैं सोचने लगा हूँ कि इसलिए

खेतीका ज्ञान और जानकारीका प्रचार करने से हम क्यों रुकें? फिर भले ही हमारा किया-कराया लूट लें। लूटेंगे तो हम भी लड़ेंगे। लोगोंको लड़ने को कहेंगे, सिखायेंगे। सरकारको बता देंगे कि तुम इस तरह लूट नहीं सकते। यह तो मैंने केवल एक चित्रमात्र खीचा है।

यानी अब हमें ऐसे कार्यकर्त्ता ढूंढ़ने हैं जिनको कि खेतीमें दिलचस्पी हो।

जाजूजी : खेतीका प्रश्न तो प्रारम्भसे ही हमारी आँखोंके सामने देहातियोंकी मुख्य समस्याके नाते था, लेकिन अति विकट समझकर हमने उसे छोड़ ही रखा था, और इस विचारसे भी कि हमें अपनी हरएक मर्यादाको समझकर ही चलना है। खेतीमें भी किसान आज बाहरी परिस्थितिके अधीन है, जो उसके बसकी नहीं है। हमने उसे बहुत-कुछ सिखाया, बताया और उसने पैदावार भी अधिक की, लेकिन उधर कपासके दाम १०० के ५० हो गये और किसान वैसा-का-वैसा ही बरबाद स्थितिमें ही रहा, ऐसी हालत है।

बापूजी : इसका भी इलाज है। एक तो हमने उसको तालीम नहीं दी और दूसरे पूंजीवालोंने उसे वैसी ही फसल बोना सिखाया जिससे उन्हें पैसा मिले। अन्य फसल बन्द करवाई गई।

जाजूजी : जहाँ राजबलपर अर्थशास्त्र चलता है वहाँ यही होता है।

बापूजी : गोसेवाके क्षेत्रमें भी वही दशा है। गाय-बैल जमीनके साथ ही जुड़े हुए हैं। उस तरफ भी हम लोगोंका उतना ही दुर्लक्ष हुआ है जितना कि जमीनके बारेमें। इसलिए जो कार्यकर्त्ता देहातोंमें जायेंगे उनकी तरफ से इन सभी बातोंकी अपेक्षा है। इनकी जानकारी और ज्ञान, सेवाके लिए, उनको लेना होगा। उनके हाथों यह सब कहाँतक होगा सो एक भगवान ही जानता है। परन्तु दिलमें जो बात आई वह मैंने कह दी, कहना भी चाहिए।

खादी : क्यों और कैसे? पृ० २२४-३२, और **चरखा संघका नवसंस्करण,** पृ० ३६-४५

२२०. पत्र : बी० ए० सुन्दरम्‌को

सेवाग्राम
१२ अक्तूबर, १९४४

चि० सुन्दरम्,[1]

तुम्हारा पत्र और पुस्तिका मिली। तुम जब चाहो, आ सकते हो।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१७९) से

१. सम्बोधन देवनागरी और तमिल दोनों लिपियोंमें है।

२२१. पत्र : ए० एन० शर्माको

सेवाग्राम
१२ अक्तूबर, १९४४

प्रिय शर्मा (प्राकृतिक चिकित्सक),

क्या तुममें विनोद-वृत्तिका इतना अभाव है? तुम्हारे नागपुर जाने के बारेमें मैंने कोई बुरी बात नहीं सोची थी। दरअसल मेरे मनमें यह खयाल आया था (और वह सच भी निकला) कि तुम किसी मित्रकी मदद करने गये हो। उस कामके लिए तुमने मेरे मौनवारका उपयोग किया। तुम्हारे विषयमें मुझे दिलचस्पी थी और इसीलिए मैंने तुम्हारे काम-काजके बारेमें पूछताछ की। एक गृह-विहीन रमते जोगीके रूपमें तुम्हारे जीवनका खुलासा करके मैंने तुम्हारी प्रशंसा ही की है। मैंने तुम्हे 'गीता' के "अनिकेत"[1] के समान बताया और कहा, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम्हारा घर कहीं नहीं है और सर्वत्र है। इस सबका अर्थ तुम यह कैसे लगा सकते हो कि इसमें तुम्हारी बदनामी है। इससे तो यही प्रकट होता है कि विदेशी भाषा कितनी खराब चीज है। क्या किया जाये? क्या मुझे अपने देशवासियोंके साथ अंग्रेजी मुहावरोंका प्रयोग बन्द कर देना चाहिए? अथवा तुम बिलकुल छुई-मुई हो? जो भी हो, आशा है कि तुम इस पत्रकी भाषा समझ लोगे।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२२२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

सेवाग्राम
१२ अक्तूबर, १९४४

बापा,

तुम्हारे पत्र मिले। एक या दो वैतनिक नौकर जरूर रखो। ज्यादा वेतन तो देना ही पड़ेगा। शान्तिकुमारभाई तुम्हारी जगह ले, और वैकुंठभाई तथा स्वामी आनन्द जो काम दें, सो किया जाये। वैतनिक नौकर तो रहेगा ही। वैतनिक नौकर को राजनीतिमें बिलकुल नहीं पड़ना चाहिए।

१. भगवद्गीता, अध्याय १२, श्लोक १९।

बैंकके बारेमे मैं समझ गया। यदि तुम अभी और पैसे बैंकमें जमा करना चाहो तो कर दो।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११९४) से

२२३. पत्र : सुशीला गांधीको

सेवाग्राम
१२ अक्तूबर, १९४४

चि० सुशीला,

तेरा पत्र मिला। सीता यहाँ रह तो गई, लेकिन वह ऊँचे उड़ना चाहती है। शायद अकोलामें पढ़ेगी। वह बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरे साथ खूब हिल-मिल गई है। मैं आनन्दपूर्वक हूँ। तू तो मणिलालके वहाँ पहुँचने के बाद ही यहाँ आ सकेगी न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९३८) से

२२४. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१२ अक्तूबर, १९४४

चि० कृ० चं०,

तुम्हारे खतका उत्तर तो नहीं चाहते हो। शून्यवत होकर रहना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४४८) से

२२५. बातचीत : श्रीकृष्णदास जाजूके साथ

१२ अक्तूबर, १९४४

जाजूजी : विकेन्द्रीकरणका विचार आगे चलाने के पहले खादी-कार्यका विस्तार जो आज हुआ है उस विषयमें आपसे थोड़ा-सा निवेदन कर दूं, जिससे प्रस्तुत विषयमें कुछ मदद मिलेगी। खादी-कार्यका विस्तार दो दिशाओंमें हुआ है: (१) व्यापारी खादी अधिकसे-अधिक पैदा करना और उसे बेचना, और (२) वस्त्र-स्वावलम्बनको अधिकसे-अधिक बढ़ाना। आज दोनोंके बारेमें संघपर दोष लगाया जाता है कि इन क्षेत्रोंमें संघने पर्याप्त रूपसे काम नहीं किया है।

बापूजी : एक बात बीचमें पूछ लूं। क्या वस्त्र-स्वावलम्बनके क्षेत्रमें हमने पूरी-पूरी खोज करके यह पाया, क्या यह निश्चयपूर्वक सिद्ध हो चुका कि वस्त्र-स्वावलम्बनकी खादी मिलके कपड़ेसे सस्ती पड़ती है? यदि हम यह नही बतला सकते तो देहाती लोग वस्त्र-स्वावलम्बी नहीं होंगे और कार्यकर्त्ता निराश होंगे। बस, अब आगे चलिए।

जाजूजी : क्या व्यापारी, क्या स्वावलम्बी, दोनों प्रकारके खादीके काममें मर्यादा है, यह हम समझ लें तो निराश नहीं होंगे। व्यापारी खादीमें काम बहुत-कुछ बढ़ा है, फिर भी हमने देखा है कि उसकी गति एकदम नहीं बढ़ सकती। जबतक कपड़ेकी मिलें मौजूद हैं तबतक लोकाश्रयपर ही खादी बढ़ेगी। लेकिन उसके इस तरह बढ़ने में हमारी कठिनाइयाँ भी बढ़ती हैं। आज एक करोड़का काम होता है। इसको बढ़ाकर पाँच करोड़तक ले जाने का कार्यक्रम बनाने की बात पिछले साल चली थी। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे भी कार्यकर्त्ता मिलें उन्हें लेकर काम बढ़ाना और अन्य पहलुओंकी ओर दुर्लक्ष करना। हमने हिसाब लगाकर देखा है कि हम हद दर्जेका परिश्रम करने के बाद भी साल-भरमें सवा गुना या पराकाष्ठासे डेढ़ गुना काम कर सकते हैं; दो-चार गुना काम होना असम्भव है। फिर इस तरह परिमाण बढ़ाने के पीछे पड़ने में और भी खतरे हैं ही। ऐसी अवस्थामें हमें जैसे मिलें वैसे कार्यकर्त्ताओंको भर्ती करना पड़ता है और इनमें सत्य, अहिंसादिके विषयमें विशेष ज्ञान या आग्रह न होने से परिणाम यह आता है कि चरखा संघकी नीतिकी तो क्षति होती ही है और उनके राग-द्वेषपूर्ण व्यवहारसे लोग यही कहने और मानने लगते हैं कि चरखा संघवाले सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए इस तरह काम बढ़ाने के पक्षमें मैं नहीं हूँ।

इसी तरह स्वावलम्बनके क्षेत्रकी भी मर्यादा है। देहातियों द्वारा कपास-संग्रहसे लेकर ओटाई-धुनाई-कताईतक की सब क्रियाएँ उन्हींके घरोंमें करवाने पर भी केवल बुनाईके दाम ही इतने लगते हैं कि मिलके कपड़ेकी अपेक्षा देहातियोंको जो बचत

होती है वह इतनी अल्प होती है कि देहाती इन सब झंझटोंमें पड़ने को आसानीसे राजी नहीं होता। और फिर खादीकी अपेक्षा मिलका कपड़ा सुन्दर भी तो अधिक होता है।

असलमें वस्त्र-स्वावलम्बन न्यारे ढंगसे, न्यारी दृष्टिसे कार्यकर्त्ताओंको समझाना और समझना चाहिए। वह यह कि वस्त्र-स्वावलम्बनसे समूचे देहातका पैसा बचकर देहातमें ही रहता है, बेकार समयका उपयोग होने से लोग उद्यमशील बनते हैं। यानी वस्त्र-स्वावलम्बनका काम अहिंसक ग्रामोत्थानका या ग्राम-संगठनका अंगस्वरूप समझकर करने से ही स्थायी लाभ हो सकता है। अमुक वर्षोंमें इतने ग्रामोंको पूर्ण वस्त्र-स्वावलम्बी बना लेना है, ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं जँचता। सही समझके साथ जितना काम करना सीखेंगे, वही सच्चा काम होगा। केवल जोश और भावनावश होकर किया हुआ काम आखिर टिकता नहीं।

यही बात अन्य ग्रामउद्योगोंकी भी है। फिलहाल तेलघानी देहातोंमें ठीक चल रही है, परन्तु बादमें उसका चलना कहाँतक सफल होगा, इस बारेमें शंका है। असल बात यह है कि हमारी ग्राम-व्यवस्था, जिसके खादी, चक्की आदि ग्रामउद्योग अंग थे, टूट गई है। आज कपड़ा, आटा, चावल, तेल सब-कुछ मशीनकी स्पर्धाके आगे महँगे बन बैठे हैं। यदि उनको फिर देहातोंमें सजीवन करना है तो समूची ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामें हाथ डालना होगा, उसे नये सिरेसे जिन्दा करना होगा। केवल किसी एक अंगपर खोज और मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी। जड़ताने देहातियोंको घेर लिया है। प्रगति वेगसे नहीं होगी, बहुत धीरे-धीरे विस्तार होगा। बड़ी कठिन समस्या है।

बापूजी : मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाना चाहूँगा। आपने बताया वह सब मैं मानता हूँ। इसीलिए तो चरखा संघके सामने मैंने तीन दिन अपना दिल खोलकर सारी बातें बतलाई[1] और यह सारा गोलमाल मचाया। हमको अब सारा काम इसी समूचे ग्रामोत्थानकी कल्पनाके ढाँचेमें ढालकर नये सिरेसे करना है। देखें, कहाँतक कर पाते हैं। एक कदम आगे जाकर भी मैं जो करने को कहता हूँ सो यह है कि इन परिवर्तनोंके कारण कुछ समयके लिए यदि हमारा काम मन्द हो जाये, शून्यवत् भी हो जाये, तब भी यह करना है। खादीके बारेमें जो भावना हमने लोगोंमें पैदा की है, वह सही होने पर भी उसकी शक्तिके विषयमें जो खयाल हमने लोगोंमें पैदा किया है, उसमें यदि कहीं भूल थी तो फिरसे सोचना चाहिए। हमारा दावा यदि गलत था तो घोषणा करके उसे वापस खींचना होगा।

शहरवालोंको मैं कहूँगा कि आप अपने लिए खादी स्वयं पैदा कर लें। इधर-उधरसे खादी जुटाकर शहरवासियोंको पहुँचाने का लोभ छोड़ूँगा और फिर हम ग्रामोंमें डटकर बैठ जायेंगे। इस परिवर्तनके कारण कार्यकर्त्ता भाग जायेंगे तो उन्हें जाने

१. देखिए पृ० ७०-७७ और ८१-८५।

देंगे। हमारे दिल और दिमागका परिवर्तन जब इस हदतक होगा, तब ही हम जो चाहते हैं वह परिणाम मिलनेवाला है। चरखा संघ नीति मात्रका संरक्षक रहेगा और कामको जितना विभक्त कर सकेंगे कर देंगे और सारे बोझगे हलके हो जायेंगे। फिर हम सारी शक्ति और ध्यान जिस देहातमें हम डटे होंगे वहीके इर्दगिर्दके पंच-कोशीमें चलनेवाले कामोंके निरीक्षणके पीछे लगायेंगे। तब ही हमको पता चलेगा कि हमारे कामोंमें तथ्यांश कितना है। इतने दिन मैं इस प्रलोभनमें फँसा रहा कि साढ़े चार करोड़ रुपया हमने गरीबोंकी जेबमें डाला है। मैं साढे चार करोड़के ही नही, बल्कि साठ करोड़के मोहमें रहा। मै कहता रहा कि यदि हम चाहे तो साठ करोड़ का कपड़ा एक वर्षमें ही पैदा कर लें और तब स्वराज्य हमारे हाथमें है। उसीके पीछे पड़ता तो शायद काम करा भी लेता, परन्तु एक सालमें जो कर पाता वह दूसरे साल खत्म हो जाता। लेकिन आज तो जितनी गहरी जड़ जा सके उतनी गहरी डालनी है।

जाजूजी : मतलब यह हुआ कि शहरवाले कार्यकर्त्ता भी खादीका काम कम करके सूतके बदलेमें खादी दें और दूसरे ग्रामउद्योगोंके कामोंमें हिस्सा लें।

बापूजी : ठीक। यदि हम यह न करेंगे तो हम अपनेको और दुनियाको धोखा देंगे। आज तो हम खुश होते हैं कि कालबादेवीके भण्डारमें इतने हजारकी खादी हमने एक ही दिनमें बेचकर खत्म कर डाली।

जाजूजी : तब भी सूतके बदले खादी देने का इन्तजाम करना ही होगा। यदि चरखा संघ यह नहीं करेगा तो फिर खानगी व्यापारी कहेंगे कि हम सब करेंगे, आप केवल प्रमाणपत्र दे दीजिए। यदि यह करने जायेंगे तब तो फिर बड़ी ही झंझटमें पड़ जायेंगे। उनके हिसाब, उनकी कार्यवाही सब-कुछ देखनी पड़ेगी। यह सब कैसे पार पड़ेगा?

बापूजी : सतीशबाबू कहते हैं कि इस विषयमें हमें लोगोंको आजादी देनी पड़ेगी।

जाजूजी : उनका कहना है कि सब क्रय-विक्रयका काम लोगोंको सौंप दो। संघ न करे।

बापूजी : हाँ, उनकी सूचनाके बारेमें हमको पूरा-पूरा सोचना जरूरी है।

जाजूजी : यह पैसे-टकेका मामला है। इसमें अच्छे, भले लोग भी मुनाफा करने के मोहको संवरण करने में असमर्थ पाये गये हैं। मजदूरी चुकाना, नम्बर निकालना आदि बातोंमें कार्यकर्त्ताकी कुछ-न-कुछ मुनाफेकी दृष्टि रहती ही है। कत्तिन सूत लाती है। कार्यकर्त्ता सबसे मोटे सूतवाली गुंडी लेकर अंक निकालता है, फिर वही अंक सब गुंडियोंका लगाता है। सूतका साढ़े नौका अंक निकलने पर नौका हिसाब लगाता है। इस तरह अनजाने भी झुकाव मुनाफेकी ओर रहता है। फिर कारीगर भी अपने अर्थलाभकी युक्तियाँ चलाते हैं। इस प्रकार मनुष्य-स्वभाव अपना खेल खेलता है। मतलब खादी-काम खानगी व्यक्तियोंके सुपुर्द करने में बड़े खतरे हैं।

बापूजी : इसका जवाब मेरे पास है। सतीशबाबूके सुझावमें ठीक क्या है, इसका मुझे ठीक पता नहीं है। परन्तु मेरे सामने जो चित्र है, उसमें खादी-काम लोगोंके सुपुर्द करने की बात नहीं आती। हम तो शहरवासियोंको इतना ही कह देंगे कि यदि खादी पहनना है तो उसका शास्त्र हमने जो ढूँढ़ा है वही है। वह केवल कोरा अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि अनिवार्य रूपसे नीतिशास्त्र भी है। इसीसे सबको अपनी-अपनी खादी बनानी होगी। यदि शहरमें बुनाईका प्रबन्ध नहीं है तो शहरमें ही या नजदीकमें ही कहीं बुननेवालोंकी बस्तियाँ या ग्राम बना लें। वहाँ कपड़ा बुना जाये। वहाँ स्पर्धा नहीं रहेगी। हम शहरवालोंको समझायेंगे कि आज जो खादी हम आपको दे रहे हैं वह निकम्मी चीज है। इसमें गरीबोंको ठीक कितना मिला इस बात का आपको पता नहीं है, इसलिए आप अपनी जानकारीमें अपनी आँख तले खादी बुनवा लें। इस प्रकार हम अपनी नीति बदल देंगे। आज हमें शहरवालोंको यह कहना पड़ता है कि खादीसे लाखोंका पेट भरता है, इसलिए खरीदो। लेकिन ऐसा करने में संघको व्यापार-व्यवसाय करना पड़ता है। यदि व्यवसाय ही करना है तो इसके बलपर कितने ही लोगोंका पेट पाल सकते हैं।

इसलिए खादीका व्यवसाय करनेवालोंको प्रमाणपत्र देकर उनको हम संघकी प्रतिष्ठा न देंगे। हम उनके क्षेत्रमें से ही निकल जायेंगे, ताकि प्रमाणपत्रका कोई अर्थ ही न रहने पाये। इतनी ही मर्यादा रखेंगे कि इर्दगिर्दके देहातोंमें कोई काम चलता हो और वहाँ हमारे पास कुछ खादी बच जाये और वह यदि शहरवालोंके कामकी है तो वे भले ही ले जायें, लेकिन शहरवालोंको ही आँखके सामने रखकर हम खादी पैदा नहीं करेंगे। यदि इससे कार्यका संकोच हो तो क्या परवाह है? आज जिस तरीकेसे कर रहा हूँ इससे तो सच्चे अर्थमें गरीबोंका अर्थलाभ मैं नहीं कर सकूँगा। आज तो मैं देहातियोंको केवल प्रलोभन दे रहा हूँ कि यह चरखा संघवाले तुम्हें अच्छी मजदूरी देते हैं। इस तरीकेसे हम कामको टिका नहीं सकेंगे। हमें बेकारोंको काम तो देना है, यदि वे चाहें तो। ऐसे ढंगसे हमारा काम चलाना है कि उनको दाम भी मिलें और शहरोंमें खादी भी न भेजनी पड़े।

जाजूजी : यह मुझे अधिक समझना होगा।

बापूजी : आज हम सच्चे अर्थमें देहातियोंकी मदद नहीं करते। कातनेवालों को मैं ३, ४, ६, ८ आना देता हूँ और सन्तोष मानता हूँ कि मैंने उनको रोजी दी। सच्चे अर्थमें मैं उनको भिक्षा (डोल[१]) देता हूँ। कारण कि उन्हें मैं जो काम दे रहा हूँ उसको मैं टिका नहीं सकूँगा। यदि हमारे हाथमें राजसत्ता आई और उसके बलपर मान लो कि हमने मिलें बन्द कर दीं, तब शायद वह टिक जाये तो भले ही टिक जाये। लेकिन आज मैं उनको ऐसे धोखेमें कैसे रखूँ कि मैंने उनकी बेकारी टाली है। यदि मुझको उन्हें पैसे ही देने हैं तो दूसरे धन्धे भी उन्हें सिखाऊँगा। आजकी आर्थिक अवस्थाकी पूरी समझ और ज्ञान उन्हें दूँगा। मनमें तो यही रहेगा

१. मूलमें यह शब्द अंग्रेजीमें है।

कि जितनी कत्तिनें आयें उन सबको काम दूं। परन्तु जो खादी पैदा होगी, उसको बम्बई नहीं भेजूंगा। इर्दगिर्दमें ही बेचने को कार्यकर्त्तासे कह दूंगा। कातने के सिवा और भी कौन-सा काम उनको दिया जा सकता है, इसकी खोज करूँगा। यदि हम यह न करेंगे तो हमारा काम स्थिर नही होगा। यह मै मान लेता हूँ कि क्या देहातियोंको, क्या हमको, शहरोंका कुछ-न-कुछ प्रलोभन तो रहेगा ही। परन्तु शहरो के प्रभावके नीचे आज जैसा हमारा जीवन बीतता है उससे तो हम छूटेंगे। शहरोकी अपेक्षा देहातोंमें अधिक सुविधाएँ किस प्रकार रह सकती है यह हम बता देंगे। यदि ८ आने मजदूरी देकर बनाई खादीका दाम बढ़ाकर हम बम्बई भेजते रहेंगे तो यह काम कभी चलनेवाला नही है।

आपके साथ रोज एक घंटा वार्त्तालापके लिए इसलिए रखा था कि जब यह प्रश्न नित्य मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मेरा दिमाग भी साफ होगा और मुझे स्पष्ट दर्शन होगा। मै देखता हूँ कि हमको जड़से लेकर सारा-का-सारा परिवर्तन करना होगा। यदि गिरना ही है तो जड़तासे क्यों, ज्ञानसे, सावधानीसे गिरेंगे, मूर्ख बन-कर नही। इतना करने पर भी यदि लोग मेरी हँसी करेंगे, तो उसे मै बरदाश्त करूँगा। लोग कहेंगे कि गांधीने करोड़ रुपया बरबाद किया। किया, लेकिन खा तो नही गया। यह सब बातें कर तो रहा हूँ, लेकिन वे सही है या नही इस विषय में आपके सहारेकी मुझे जरूरत है। आपकी राय जानना चाहता हूँ।

जाजूजी: कारीगरोंको मजदूरी देकर जो खादी हम आज शहरोंमें भेजते है, इससे देहातियोंको आज तात्कालिक अर्थलाभ होता है। इसके बदलेमें अब हम उन्हें क्या देंगे?

बापूजी : यदि मेरा बस चला तो यही कहूँगा कि आजतक जिनको मैंने खादीके जरिये रोजी दी उनको धीरे-धीरे निकालना है, उनको दूसरा काम देना है। कौन-सा काम देना, यह भी सोचना है। यदि सेवाग्रामको मिसाल मान लूं तो हम खादी-कामके अतिरिक्त अन्यान्य काम भी यहाँकी बस्तीको, जो ज्यादातर हरिजन हैं, दे सकते हैं।

जाजूजी: यहाँको परिस्थिति अलहदा है। यहाँ इतनी संस्थाएँ बन गई है, मेहमान आते है, मकान बनते हैं, कई काम चलते रहते हैं। इससे लोगोंको काम मिल जाता है।

बापूजी : हर जगह मै यही स्थिति पैदा करूँगा। कुछ-न-कुछ काम पैदा करने के लिए हमको अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगानी होगी।

जाजूजी: खेती, गो-पालन इत्यादिके बारेमें आपने जो कहा सो सही है। लेकिन खादी द्वारा स्थायी आर्थिक लाभ देहातियोंको कैसे दिया जाये, यह सोचना होगा। यदि मिलका कपड़ा सामने न रहता तब तो लाभ-ही-लाभ था, परन्तु जबतक यह शत्रु सामने खड़ा है तबतक क्या किया जाये?

बापूजी : इसलिए मै देहातियोंको समझाऊँगा कि मिलके जैसा कपड़ा नही मिलेगा। खादी यदि एक पैसा महँगी गिरती है तो उसे कहूँगा कि वह पैसा उसको,

उसके परिवारको, या गाँवको ही मिलता है और ग्रामकी नीतिकी रक्षा भी इसीमें है। इस नीतिका पहलू भी उसे समझाऊँगा और साथ-साथ देहातमें रहकर कमाने के अन्य तरीके भी उसे सिखाऊँगा। केवल खद्दरके ही जरिये जीवन-निर्वाह करने की बात तो अब मेरे दिमागमें से छूट गई है।

जाजूजी : यानी खादीके और अन्य ग्रामउद्योगोंके जो नैतिक और सामाजिक गुण हैं उन्हें समझाकर ही उनसे काम लेना है।

बापूजी : हाँ, अब केवल खादीको ही मैं आँखके सामने नहीं रखना चाहता। यही सोचता हूँ कि खेती, गो-पालन और अन्य सब ग्रामीण उद्योगोंको किस तरह देहातोंमें फिरसे बसाऊँ, जिससे लोगोंकी स्थिति अच्छी हो। यदि दो-चार देहातमें भी यह कर सका तो मेरी समस्या हल हो जायेगी। 'यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे'।

जाजूजी : अर्थात् समग्र-दृष्टि रखकर विकास करना होगा। हम खादीके केवल आर्थिक पहलूपर जोर न दें, परन्तु नैतिक और सामाजिक अंगको भी लोगोंको पूरे जोरसे समझायें।

बापूजी : इसीलिए वल्लभस्वामीका तरीका भी मुझे एक हदतक चुभता है। उसने एक ही अंगपर जोर दिया। कहा कि सारे गाँवको मैं इतने अरसेमें खादी-मय कर दूँगा। एक समय था जब मुझे यह बात प्रिय लगती थी, परन्तु अब मैं देखता हूँ कि इसमें मेरी भूल थी। अकेली खादी ग्रामोंका उत्थान नहीं कर सकेगी। सारे ग्राम-जीवनको, सारे ग्रामउद्योगोंको जीवित करके ही ग्रामवासियोंको हम उद्यम-शील बना सकेंगे और तब ही ग्रामोंका उत्थान होगा।

खादी : क्यों और कैसे ? पृ० २३२-४१, और **चरखा संघका नवसंस्करण**, पृ० ४५-५४

२२६. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

सेवाग्राम आश्रम

सुबह ७ बजे, १३ अक्तूबर, १९४४[1]

जो ईश्वरको अपना सहारा मान लेते हैं वे मृत या जीवित व्यक्तियोंका सहारा नहीं ढूँढ़ते।

अगर तुम इस बातको समझ गये हो तो कभी उदास नहीं होगे।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. आनन्द तो० हिंगोरानीके अनुसार

२२७. पत्र : पी० टी० राजनको

सेवाग्राम
१३ अक्तूबर, १९४४

प्रिय मित्र,

कस्तूरबा स्मारक निधिके लिए अपने जेब-खर्चसे १३३ रु० देकर विद्यार्थियोंने आत्म-त्यागका कार्य किया है।

धन्यवाद।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री पी० टी० राजन
इण्डियन स्टुडेंट्स होस्टल
कैण्डी, सीलोन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९७) से

२२८. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

१३ अक्तूबर, १९४४

प्रिय सी० आर०,

बीमेके कागज साथमें भेज रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इन्हें तुम सर अल्लादिको[1] या जिसे तुम ठीक समझो दिखाकर इसपर उसकी सलाह लो। मैं समझता हूँ कि जुर्मानेके बारेमें केन्द्रीय सरकारको एक आवेदन-पत्र भेजा जाना चाहिए।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०९७) से

१. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर

२२९. बातचीत : श्रीकृष्णदास जाजूके साथ

१३ अक्तूबर, १९४४

जाजूजी : आज आप विकेन्द्रीकरणके विषयमें कहिए। एक दृष्टिसे देखा जाये तो उत्पत्तिका विकेन्द्रीकरण है ही, क्योंकि उत्पत्तिके केन्द्र जगह-जगह बिखरे हुए हैं। हाँ, पूँजी जरूर एक जगहसे लगती है। मैं तो मानता हूँ कि आज जो केन्द्रीय नियन्त्रण है, सो संघकी नीतिका ही है। पूँजीकी दृष्टिसे सोचना हो तो यह सोचना पड़ेगा कि देहातोंमें जो काम चलेगा सो किसकी ओरसे चलेगा और अन्तमें आनेवाला घाटा-नफा किसका माना जायेगा? एक ढंग तो यह हो सकता है कि जिस कार्यकर्त्ताको हम बिठायें वही सब-कुछ करे। दूसरा तरीका यह है कि देहातियोंकी मददसे हम खादी-काममें रस लेनेवाले ग्रामीणोंकी कमेटियाँ बनाकर उनके मार्फत काम लें। देहातवासी ही चन्दा, शेअर वगैरह भी जुटायें। तीसरा प्रकार खादीके कारीगर अपनी सोसायटियाँ बनाकर अपना कारोबार स्वयं मालिकके नाते चलायें। कार्यकर्त्ताको यदि मालिक बनना है तो उसके सुपुर्द धन-सम्पत्ति वगैरह देनी होगी। वह किस शर्तपर दी जाये या उसे ट्रस्टी ही समझा जाये? कार्यकर्त्ता यदि व्यक्तिगत स्वार्थकी दृष्टिसे काम चलायेगा तो उसके काममें गोलमाल होने का काफी सम्भव रहेगा। सबसे अच्छा तरीका सहयोगी सोसायटियाँ बनाने का है। कारीगरोंके स्वार्थ-सम्बन्धके कारण कुछ गोलमाल होने की सम्भावना है, लेकिन इस भयसे रुकना ठीक नहीं होगा। जैसे खादीके वैसे ही तेलघानी, हाथकागज, आदिके भी सहयोगी संघ बनें। आवश्यकतानुसार बादमें कई गाँवोंके संघोंका एक संयुक्त यूनियन बनाकर भी काम किया जा सकता है।

बापूजी : इस विषयमें मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है। जहाँ कार्यकर्त्ता जुट जायें और उनका विश्वास हो वहाँ काम शुरू हो। तीनों ढंगके प्रयोग एकदम चलने में हर्ज नहीं है। परन्तु कल जो प्रश्न उठा था और जिसपर चर्चा हुई थी वह अगर सच है तो इन सारी बातोंकी बहुतसी झंझटोंसे हम छूट जाते हैं। जबतक खादी बेचने की चीज रहेगी तबतक ये सब झंझटें उठानी ही होंगी। यह भी मैं मानता हूँ कि आज ही हम इससे न छूट पायेंगे। परन्तु जबतक हम यह मानते हैं कि खादी रोटीकी तरह घरमें ही पकनी चाहिए, यदि बिस्किट बाजारमें सस्ते भी मिलें तो भी उनको खाकर नहीं जीना है, तबतक लोगोंको यही समझना है कि बाजारका खाकर जीनेमें नाश है। लोग यदि इसे समझ जायेंगे तब फिर घर-ही-घर पकाने का आसान तरीका ढूँढ़ने का बाकी रह जायेगा। जैसे रोटी वैसे कपड़ा, यही नारा बनेगा। फिर सब झंझट निकल जाती है। जब सहयोगी संघ निकलेंगे तब उनकी शक्ल न्यारी होगी।

आपने जब कहा कि उत्पत्तिमें तो विकेन्द्रीकरण है ही, तभी मैं कहने जा रहा था कि नही है, मसलन्, लंकाशायरमें भी कुछ कपड़ा घरोंमें बनता है, लेकिन घरोंके उपयोगके लिए नही। जो मालिक हैं उनके लिए। इसे विकेन्द्रीकरण कहना अनर्थ होगा। वैसे ही जापानमें घर-घरमें सब-कुछ बनता है, लेकिन घरके उपयोगके लिए नही। सबका-सब सरकारके लिए। सरकारने सबका केन्द्रीकरण कर रखा है। चीजें घरोंमें ही बनती हैं। बनाने का ढंग भी इंग्लैण्डसे बढ़िया है। लेकिन घरवाले उसमें से कुछ भी अपने उपयोगके लिए नही रख सकते। यह या तो सरकार कराती है, या कहिए कि दो-चार व्यापारी सरकारके लिए करते है। फिर उन चीजोंको देश-देशके बाजारोंतक पहुँचाने के लिए जहाज वगैरह सब-कुछ सरकार ही देती है और इस तरह अन्यान्य देशोंका धन अपनी तरफ खींच लाती है। लंकाशायरका भी वही हाल है। वहाँकी मिलोंमें लाखों धोतियाँ बनती है लेकिन उन्हे यदि वहाँ खरीदना चाहे तो नही मिलेंगी। सब हिन्दुस्तानियोंके लिए मद्रास, बम्बई, कलकत्ता जायेंगी। वैसे ही आफ्रिका के लिए जो माल बनेगा वह वहाँ जायेगा। इस सबको मैं विकेन्द्रीकरण नही कहूँगा।

हमने भी वही किया। हमारे कारीगर इतना ही जानते हैं कि वे चरखा संघ का काम करते हैं और तैयार माल उसीको देना है। हमने मजदूरी बढ़ाई। कारीगर खुश हुए। यदि हम इस नतीजेपर पहुँचे हों कि खादी बेचने की चीज नही है, पहनने की चीज है, तभी मानना चाहिए कि हम खादीका सन्देश पूरा समझ गये और खादीकी शक्तिकी मर्यादा भी जान गये। हो सकता है कि जब राजतन्त्र हमारे हाथमें आयेगा, सारे मुल्कको हम खादी पहना देंगे। जहाँ आज खादी पैदा होती है वहाँसे सारे देशमें खादीको फैला देंगे। तब आज ही से ऐसी व्यवस्था क्यो न पैदा करें जिससे यदि भविष्यमें देशकी सरकारने चरखा संघको कहा कि तुम देशको वस्त्र-स्वावलम्वी करनेवाली खास संस्था हो, तुमको हम सब साधन जुटा देंगे, तुम देशको स्वावलम्बी कर दो, तब हम तुरन्त उनको वह करके दिखला सकें। लेकिन आज यदि सरकार कहे कि लो, हम सब मिले बन्द करते हैं, सारे देशको आप खादी पहना दो, तो हम यह नहीं कर सकेंगे। इसलिए खादी हमको कहाँतक ले जा सकती है, यह हमें जानना होगा। मैं खुद नही कह सकता कि मैं भी यह ठीक-ठीक जानता हूँ। लेकिन इतना तो स्पष्ट रूपसे जान गया हूँ कि खादी बेचने की चीज नही है, पहनने की ही चीज है। इसीसे खादीकी कार्य-नीति बदलने की बात आती है। मेरे मस्तिष्कमें तो आज यह बात चल रही है कि सारे देहातका आज पुनरुत्थान करना है, और उसमें खादी एक चीज है—और खासी बड़ी चीज है। वैसे ही घानी और अन्य उद्योग भी हैं। इस दृष्टिसे यदि हम देखेंगे तब फिर हमारे कामसे हिन्दुस्तानको निरा लाभ-ही-लाभ है। और जब कभी सरकारके अधिकार हमारे हाथमें आयेंगे, तब भी हम डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।

जाजूजी : फिर सारा प्रयत्न वस्त्र-स्वावलम्बन यानी खुदके पहनने के लिए कातने की ही दिशामें करना है, यही निष्कर्ष निकला न?

बापूजी : हाँ, यही। परन्तु यह मेरा आग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा इस विषयमें निजी अनुभव नहीं है। मैंने पहले खादी चलाई, पीछे उसका अभ्यास किया। इस प्रकार अपनेको धोखा देता रहा हूँ। मैने जो दिया सो पैसा दिया। असली चीज — स्वावलम्बन — लोगोंको नहीं दे सका। मैंने मजदूरीके रूपमें पैसा दिया और लोगोंको कहा कि इसमें स्वराज्य भरा है। लोगोंने मेरा भरोसा किया और मान लिया। आज भी मानते हैं। लेकिन इस विषयमें अब मुझे शंका पैदा हुई है कि यह अब कहाँतक चल सकेगा। मुझे भय है कि यदि इसी तरीकेसे खादीको चलाते रहेंगे तो वह चलनेवाली चीज नहीं।

जाजूजी : ऐसा कोई चित्र आपकी आँखके सामने है कि शहरोंमें आज जो खादी-भण्डार चल रहे हैं, वे हमेशा चलनेवाले नहीं है?

बापूजी : हाँ, ऐसा चित्र मेरे सामने है।

जाजूजी : तब हमें इस बातपर आना होगा कि लोगोंको सूत देकर ही खादी लेनी होगी।

बापूजी : हम कातना सीखे, जब हमने देखा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन बुनाई हम अधिक नहीं कर पाये। अब हम महसूस करते हैं कि बुननेवाले भी उसी तरह तैयार करने पड़ेंगे। जो-कुछ यहाँ परिवर्तन करने हैं सो हमें बुद्धिसे समझ-बूझकर करने होंगे।

जैसे जीवन-मजदूरीके विषयमें हमने किया था, कुछ कालतक जैसा सूझा, करते रहे। तब दिमाग साफ हुआ और हम समझ सके कि यह खादी परमार्थ नहीं है, कत्तिनोंका शोषण है। तभी हमने मजदूरी बढ़ाई। मैंने आठ आने देने को कहे। आप लोगोंने कहा, आठ आने नहीं, तीन आने। मैंने कहा, अच्छा तीन आने ही सही। फिर तीनके चार आने हुए। इसी तरह इस नई चीजका भी है। आप इसे स्वीक़ार कर लें, बादमें शोध करते-करते आगे बढ़ें। आपने तीन पहलुओंसे सोचने को कहा। जरूर सोचें। हर सूबेमें हमारे तन्त्र पड़े हैं। संचालक पड़े हैं। कुछ कार्यकर्त्ताओंको बुलाइए और तफसीलसे सोच लीजिए। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूँगा कि कामका संकोच हो जायेगा। इस बातसे मैं नही डरूँगा। कोई नही कातेगा, तब मैं अकेला कातूँगा। खादीके प्रारम्भ कालमें मुझे कहा गया था कि खादीकी धोती होने-वाली नहीं है। मैंने कहा था कि मैं टाट या कम्बल ओढ़कर फिरूँगा, लेकिन मिलकी धोती नहीं पहनूँगा। बस, एक महीनेके अन्दर ही मगनलालने धोती पैदा कर दी। गंगाबहन मजूमदारने भी धोती भेजी और लिखा कि जितनी चाहो बनवाकर भेजूँ।

जाजूजी : यानी खादीकी बिक्री जो शहरोंमें बड़े पैमानेपर चलती हैं, उसे हमें बन्द करना होगा। लोगोंको कातने को कहना होगा। इसके फलस्वरूप एक बार तो हमारा बहुतसा काम बन्द हो जायेगा।

बापूजी : आपकी सूचना व्यवहारकी दृष्टिसे है, यह स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोग तो आज कंगाल बन गये हैं। जो करने को कहोगे और

रोटी दोगे वही करेंगे। परन्तु बिना सोचे काम चलाते रहेंगे, तो हम उनको भी धोखा देंगे और खुदको भी। आज हम उनको रोजी क्या देते हैं, एक किस्मकी भिक्षा ही देते हैं, जैसे पत्थर तुड़वाकर या सड़क बनवाकर दुर्भिक्षके समय दी जाती है। उसका कोई स्थायी मूल्य नहीं होता।

जाजूजी : खादी पहननेवालोंको खादी मोल लेनेके बजाय स्वयं कातनेको कहनेके पहले हम यह सोच लें कि हममें स्वयं कातनेका अनुराग कितना है? खुद चरखा संघके कार्यकर्त्ताओंकी ही बात कहूँगा। हमने संघके नियम बना रखे हैं कि हरएक कार्यकर्त्ताको हर महीने कमसे-कम साढ़े सात गुंडी कातना होगा। लेकिन इसका परिणाम सन्तोषकारक नहीं आया। जनतामें कातनेवालोंकी संख्या थोड़ी ही है। और देहातमें जो कातते हैं सो सिर्फ मजदूरीके लिए, अपने लिए तो बहुत ही कम। ऐसी स्थिति है। ऐसी परिस्थितिमें आप सुझाते हैं ऐसा परिवर्तन कहाँतक सफल होगा, यह कहना कठिन है।

बापूजी : इतना तो सभी समझ ले कि खादी केवल रोजी देनेवाला एक उद्योग-भर है, इस खयालको हम छोड़ दें। यदि वह एक उद्योग है तो उसे फिर व्यापारके ही ढंगसे चलाना होगा। मिलके द्वारा हम एक-एक शहरमें एक लाख या कई हजार लोगोंको रोजी देते हैं और खादीके जरिये पन्द्रह हजार गाँवोंमें हम करोड़ रुपया गरीबोंकी जेबमें डालते हैं, इतना ही फर्क रहा। दोनों उद्योग ही हुए। फिर खादीको पहनो और मिलका बहिष्कार करो, यह बात ठंडी पड़ जाती है और न उसमें स्वराज्यका दावा ही रह जाता है। असलमें जो दावा खादीकी कल्पनाके पीछे है, वह तो ग्रामोंके उत्थानका और उसके जरिये अपने-आप स्वराज्यकी शक्ति जनतामें पैदा करने का है।

शहरवालोंकी भावनाके बलपर देहातियोंको मदद देते रहना पर्याप्त नहीं है। बल्कि देहातियोंको उनकी जीवन-समस्याओंका सामना करने में शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ना है। यदि मिलोंको हम बढ़ायेंगे, तो लोगोको कपड़ा पूरा मिल जायेगा। और यदि मिलोंपर सरकारका कब्जा रहा, तो कपड़ेके दाम भी शायद कम होंगे, और लोगोंका शोषण भी नहीं होगा तथा लोगोंको उचित मजदूरी भी मिलेगी। परन्तु आज लोगोंको आलस्य-रोगसे हटानेका खादी एक बड़ा साधन है। जनतामें स्वराज्यकी शक्ति पैदा करनेवाली वह चीज है। यदि दूसरी चीजोंको भी वैसी ही बना लेंगे तब ही देहात स्वावलम्बी बनेंगे। साबुन-जैसी चीजें सज्जी मिट्टीसे घरमें ही बनाकर वे साफ रहेंगे। उस साबुनमें टाटाके या गोदरेज साबुनके कारखानोकी खुशबू नहीं होगी, न वैसा सुहावन पैकिंग। परन्तु देहातके लिए खादीके जितनी ही उपयोगिता और स्वावलम्बन उसमें भरा होगा। सारे ग्रामोत्थानकी शक्ति रखनेवाला खादीका जो बहुत बड़ा चित्र मैंने अपनी कल्पनामें इतने दिन रखा था, वह अब धुंधला बन रहा है। जितने कार्यकर्त्ताओसे मै बात करता हूँ उस परसे यही देख रहा हूँ कि उस चित्रको मुझे अपने ही हाथोंसे मिटाना होगा। मै ही खादीका मन्त्र देनेवाला हूँ, इसलिए मुझे ही यह स्वीकार करना चाहिए। सत्यकी यही मांग

है। हारकर या दुर्बलताके वश होकर मैं यह नही करूँगा, ज्ञानपूर्वक ही करूँगा। खादीके लिए मैंने जो दावा किया उसमें यदि अतिशयोक्ति थी तो मुझे उसे संसारके सामने दुरुस्त करना ही चाहिए।

जाजूजी: हमारा दावा मुख्यतः यह था कि खादी साल-भरमें चन्द महीनों तक मजबूरन बेकार रहनेवाले देहातीको कुछ-न-कुछ आमदनी देनेवाला उद्योग है।

बापूजी: इतना ही कहकर मैं चुप नही रहा था। मैंने उसमें इस शक्तिका भी आरोपण किया था कि उसके धागेमें स्वराज्य लाने की शक्ति है।

जाजूजी: हाँ, लेकिन जीवनको समृद्ध करनेवाली उस शक्तिपर पहले कभी इतना जोर नहीं दिया था जितना कि आज आप दे रहे हैं। करीब तीन लाख लोग आज खादीके उद्योगमें हैं। उनमें रोजी या स्वावलम्बनके अलावा न्यारे-न्यारे गुणोंका विकास इतनी जल्दी अभी नहीं होगा जितना कि आप चाहते हैं। शायद समय लेकर हो। आज खादीकी बिक्री हम बन्द करें और लोग अपने लिए कातें, यही आप चाहेंगे न?

बापूजी: हाँ।

जाजूजी: लेकिन बिक्री बन्द करने पर काफी परिमाणमें मजदूरीके लिए कातना बन्द हो जायेगा।

बापूजी: हाँ, फिर भी जो-कुछ कताई चालू रहेगी वह सचमुच ही सूतके धागेसे स्वराज्य लानेवाली होगी। क्योंकि वह शक्ति तो उसमें है ही।

जाजूजी: आज खादीके जरिये करीब तीन लाख लोगोंसे हमारा सम्पर्क है। अपने लिए कातने को कहने पर शायद तीस हजारसे अधिक लोगोंसे वह न रहेगा।

बापूजी: बादमें उन तीस हजारके शायद तीन करोड़ भी हो सकते हैं। जो भी हो, उसमें कही धोखेके लिए गुंजाइश नही रहेगी। तब हमें देहातियोंकी और कारीगरोंकी खुशामद करके काम कराना नहीं होगा। उनके जीवनमें हमारा प्रवेश होगा। मनकी बातें कार्यकर्त्ता देहातियोंको और देहाती लोग कार्यकर्त्ताओंको सच्चे दिलसे सुनायेंगे। आज तो हम पैसेकी थैली बाँधकर जाते हैं और लोगोंसे कहते हैं कि कातो तो चार आना मजदूरी देंगे, छः आना देंगे। हमें कत्तिनोंकी मजदूरी तो बढ़ाना ही है। मैं तो उन्हें पुरुषकी जितनी ही मजदूरी दूंगा, लेकिन उन्हें साफ-साफ कह दूँगा कि केवल मजदूरीके लिए वे कातती हैं इसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं हर कत्तिनसे कहूँगा, तू अपने लिए कात। तेरा सूत मैं बुनवा दूंगा। तेरे बच्चोंको मैं शिक्षा दूंगा, उद्योग सिखाऊँगा। तेरा बजट मुझे बता, मैं तुझे हर तरहसे मदद करूँगा। तेरी मुसीबतें हटाऊँगा। आरम्भसे अगर हम यह करते जो और ऐसे कार्यकर्त्ता मिलते तो अबतक हम स्वराज्य लेकर बैठ गये होते। परन्तु जो हुआ उसका मुझे पश्चात्ताप नहीं है।

जाजूजी: ऐसी भावनावाले कार्यकर्त्ता बहुत संख्यामें मिलेंगे ऐसा आप मानते हैं? मिल जायें तब तो फिर रहा ही क्या?

बापूजी : भूल तो हमारी ही रही। इस दृष्टिको सामने रखकर काम करने का और कार्यकर्त्ता तैयार करने का काम ही हमने नही किया। जल्दबाजी भी काफी की। सोच-समझकर और ध्यानावस्थित होकर काम करते तो मिल भी जाते।

जाजूजी : आपने तो अनेकों बार कहा कि अच्छे कार्यकर्त्ता देहातमें जाकर बैठें।

बापूजी : इसी बिनापर तो मैंने चरखेको अहिंसाका प्रतीक कहा। यदि हम यह न कर सकें तो खादीके विषयका हमारा दावा नही चलेगा।

जाजूजी : आखिर कार्यकर्त्ता भी तो आजका लोक-समाज जैसा है उसीमें से निकलेंगे न?

बापूजी : अगर यही हमारा जवाब हो तो फिर अहिंसाके मार्फत स्वराज्य नही मिलेगा। यानी मेरी कल्पनाके स्वराज्यके लिए लोग तैयार नही है।

इसलिए मैं कहूँगा कि यदि मैं अकेला रह गया, तब भी मुझे यही काम करना है। चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ, वगैरह संघवाले यदि साथ दें तो अच्छा ही है। यह भी सम्भव है कि लोग हमारा साथ न दें। तब यही न साबित होगा कि हमारेमें हिंसा भरी है, हम जिस अहिंसाकी बात करते है वह अहिंसा नही है, कायरता है?

जाजूजी : यह सब सही है। लेकिन प्रश्न इतना ही है कि इसपर अमल कैसे हो?

बापूजी : तब हमने जो लम्बा दावा किया है उसे छोड़ना होगा। वास्तवमें सत्यको ही चिपके रहें। बिना संकोच और बिना अन्य किसीको अपनेसे कम समझते हुए हमको यह कह देना है कि जैसे सब वैसे ही हम भी है। फिर यदि स्वराज्य मिला भी तो वह हमारी कोई विशेषताके कारण मिला, ऐसा सिद्ध नही होगा।

खादी : क्यों और कैसे ? पृ० २४१-४९, और चरखा संघका नवसंस्करण, पृ० ५४-६३

२३०. तार : नगेन्द्र विजय भट्टाचार्जीको

सेवाग्राम
१४ अक्तूबर, १९४४

नगेन्द्र विजय भट्टाचार्जी
अध्यक्ष, कांग्रेस
बाड़ीसाल

कांग्रेस पदाधिकारियोंसे पूछिए।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२३१. पत्र : सैयद महमूदको

१४ अक्तूबर, १९४४

प्रिय महमूद,

तुम्हें क्या करना है यह मेरे आगे बिलकुल स्पष्ट है। तुम्हारा पत्र एक स्पष्टीकरणके साथ समाचारपत्रोंको दे दिया जाना चाहिए। तुम्हें सरकारको तार देकर पत्रको प्रकाशित करने की अनुमति माँगनी चाहिए।

पत्रके प्रकाशित होने का इन्तजार करने के बजाय इस बीच तुम्हें समाचारपत्रोंके लिए एक वक्तव्य जारी करना चाहिए। "मैंने समाचारपत्रोंमें छपी ऐसी रिपोर्टें देखी हैं जिनमें मुझपर निराधार आरोप लगाये गये हैं। मेरा पत्र निजी और गोपनीय था, लेकिन मैंने उसे प्रकाशित करने की अनुमति माँगी है। मैं लोगोंसे कहूँगा कि मेरे उक्त पत्रके प्रकाशित होने तक वे कोई राय न बनायें। तथापि मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि न मैं कांग्रेससे अलग हुआ हूँ, और न गांधीसे, जिनके साथ मैं इस समय ठहरा हुआ हूँ और जिनकी सलाहके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ।"[1]

मेरा सुझाव है कि तुम वाइसरायके निजी सचिवको निम्नलिखित तार भेजो :

"चूंकि मेरी रिहाईके बारेमें समाचारपत्रोंमें अनेक व्यंगोक्तियाँ छपी हैं, अतः क्या मैं वाइसराय महोदयको लिखा अपना . . .तारीखका पत्र प्रकाशित कर सकता हूँ। यदि मेरे अनुरोधपर सरकार उसे प्रकाशित कर दे तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी।"

बाकी भेंट होने पर। मै देखता हूँ कि मैं ४.१५ से पहले तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरे सामने इस समय जो काम है उसमें से कुछ मुझे निपटा ही देना चाहिए। आशा है, तुमने रात आरामसे बिताई होगी। चिन्ता मत करो। सब ठीक हो जायेगा।

प्यार।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५०६८) से

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", पृ० २३३।

२३२. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

१४ अक्तूबर, १९४४

'ट्राई अगेन' कविता पढ़ी है न तुमने? कोशिश छोड़ देने की इजाजत नहीं है। बाकीके सब भरोसे व्यर्थ हैं। सिर्फ भगवानपर भरोसा रखो। विद्याकी मृत्युसे यही शिक्षा लो। यह तुम्हारे प्रेमकी परीक्षा है।

आज इतना ही।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२३३. पत्र : पुरुषोत्तमदास टंडनको

१४ अक्तूबर, १९४४

भाई टंडनजी,

यह राष्ट्रभाषा है क्या?[1]

आपका,
मो० क० गांधी

मूल पत्रसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२३४. बातचीत : श्रीकृष्णदास जाजूके साथ

१४ अक्तूबर, १९४४

जाजूजी : अब सारे ग्रामोत्थानके कार्यक्रमको हाथमें लेना होगा, और इसलिए सुयोग्य कार्यकर्त्ताओंको जुटाना और तैयार करना होगा। . . .

बादमें आता है शिक्षाका प्रबन्ध। कार्यकर्त्ता तैयार करने के लिए हर प्रान्तमें विद्यालय खोलने होंगे और उनके लिए अभ्यासक्रम बनाने होंगे। इस कामके लिए योग्य शिक्षक बहुत ही कम पाये जाते हैं। प्रथम श्रेणीके जो कार्यकर्त्ता हैं, वे अपने-अपने क्षेत्रको ही अपनी साधना-भूमि समझकर बैठे हैं। अपना गाँव, तहसील या जिला ही उनका क्षेत्र है। आपने भी इस प्रकारकी वृत्तिको बढ़ावा दिया है। इन

१. गांधीजी ने यह पत्र हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबादसे अंग्रेजीमें जारी किये गये एक छपे परिपत्रपर लिखा था।

श्रेष्ठ कार्यकर्त्ताओंमें से कमसे-कम कुछको अपने-अपने क्षेत्रमें से निकालकर जबतक हम शिक्षा केन्द्रोंमें नहीं लगा सकेंगे तबतक यह काम कैसे बनेगा? ग्रामसेवकोंको सच्चे संस्कार और दृष्टि उनके सिवा कौन दे सकेंगे?

बापूजी : खादीका काम शुरू हुआ सो भी प्रारम्भमें एक ही केन्द्रसे शुरू हुआ था। इसमें भी वही होगा। आरम्भमें यहाँ जो एक शिक्षाकेन्द्र खुला है वही चलेगा। यहाँसे विशारद तैयार करके हम उनको अन्य केन्द्रोंमें भेजेंगे। उनके मातहत वहाँ और कार्यकर्त्ता तैयार होंगे। वे जाकर और-और केन्द्र खोलेंगे।

जाजूजी : इसमें काफी समय लग जायेगा। पाँच, सात, दस वर्ष भी लग जायेंगे।

बापूजी : हो सकता है, परन्तु मेरा खयाल वैसा नहीं है। हम जिन कार्यकर्त्ताओंको प्रथम लेंगे वे ऐसे होंगे जो काफी तैयारीके साथ आये होंगे, यानी उनको तैयार होकर बाहर जाने में अधिक समय नहीं लगेगा। फिर एक हदतक उनकी तैयारी हो जाने के बाद हम उन्हें कहेंगे कि अब जाओ और काम करते-करते ही अनुभवसे अपना ज्ञान बढ़ाओ। इसलिए बहुत समय लगने का डर मुझे नहीं लगता। फिर भी यदि लगे तो भले ही लगे। यदि हमें दीखता है कि दूसरा मार्ग नहीं है तो आज जैसा चलता है उसीपर चलना है। आज ऊँचे दर्जेके कार्यकर्त्ता नहीं मिलते तो न सही। हम यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे, फिर जो भी मिल जायें।

जाजूजी : सन् १९२० में जो कार्यकर्त्ता आये उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की। उसके बाद इतनी बड़ी संख्यामें ऊँची योग्यताके लोग नहीं आये। आये सही, आज भी आते हैं, परन्तु बहुत कम।

बापूजी : बात यह है कि हमारे कार्यमें काफी अपूर्णता थी, और अच्छे-अच्छे लोगोंको आकर्षित करे ऐसा कार्यक्रम भी कम था। बुद्धिके विकासके लिए गुंजाइश दीख नहीं पड़ती थी, और बुद्धिका विकास तो सबको चाहिए ही। इसी कारणसे इस काममें बहुतोंको दिलचस्पी नहीं हुई। इसके अलावा जो अर्थलाभ अन्य क्षेत्रोंमें दीखता है उसका यहाँ अभाव था। लेकिन अर्थलाभसे भी अधिक खटकनेवाली बात तो सच्चे ज्ञानकी न्यूनता थी। एक प्रकारकी जड़ता ही खादी-क्षेत्रके कार्यकर्त्ताओंमें उनके देखने में आती रही, इसीसे उन्हें आकर्षण नहीं हुआ। खादी-कार्यकर्त्ताओंकी वे हँसी-मजाक भी करते रहे। लोगोंने यहाँतक कहा कि खादीभक्त खादी पहनता है, सो भी ढंगसे नहीं पहनता, मैला-कुचैला रहता है और व्यवहार ज्ञान-शून्य होता है। चरखेकी शास्त्रीय जानकारी तथा दूसरोंको उसे समझाने की उत्सुकता और शक्ति यह सब उसमें देखने में नहीं आते थे। कोई उसे कहे कि हमें यह समझाओ, बताओ तो वह नहीं समझा सकता था। हम देहातियोंके बीचमें जाकर बसे। हमने देहातियोंको काम दिया, उन्हें देहातमें ही रोजी मिलने का प्रबन्ध किया। लेकिन हमारेमें जो बुद्धिमान थे उन्होंने काफी संख्यामें देहातियोंमें बैठकर काम नहीं किया और जो गये वे किसी जिज्ञासु या अभ्यासु व्यक्तिको अपनी बात समझाने का ढंग नहीं सीखे।

यदि हम वैसा करते तो अपने विषयमें इस भाँति पारंगत होते कि अर्थशास्त्रियोंको कह सकते कि आप जो जानते हैं वह तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमको जो ज्ञान है वह आपके पास नहीं है, हम वह आपको बता सकते हैं।

जाजूजी : हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारेमें काफी न्यूनताएँ हैं सही, तथापि मूल्यमापनकी हमारी कसौटी भी तो न्यारी है।

बापूजी : है सही। लेकिन हममें इतनी योग्यता आनी चाहिए थी कि हम उनको समझा सकें कि उनका मूल्यमापन सही नहीं है।

जाजूजी : लेकिन नैतिक मूल्योंकी और भौतिक मूल्योंकी तुलना भी कैसे हो सकती है?

बापूजी : फिर इतना तो कह सकते थे कि यही उसकी विशेषता है। और इस तरह उनका नैतिक मूल्य है। यही बात दुनियाके सामने आप सिद्ध करें। आज यदि मैं समझ पाया कि अकेली खादी चलनेवाली चीज नहीं है तब मुझे यह बात दुनियाको कहनी पड़ेगी। वैसे तो सरकारी रिपोर्टमें भी कबूल किया जाता है कि रिलीफके एक साधनके रूपमें चरखेका स्थान है, जैसे पत्थर फोडना, सड़क बनाना इत्यादि का है। तुम भी इतना बता सके कि खादीका स्थान रिलीफके तौर पर हमेशाके लिए है। वह स्थान तो मिटनेवाला नहीं है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना था वह तो उसके पूरे समूचे अर्थशास्त्रकी अनिवार्यता थी।

स्वावलम्बनकी नीति चलानेमें कितनी दिक्कतें हैं, यह भी हम अमल करके देखेंगे। व्यापारी खादी भी कुछ समयतक चालू रह सकती है, परन्तु संघकी नीति स्वावलम्बनकी ही रहेगी और उसीपर कार्यकर्त्ता अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करेंगे।

खादी : क्यों और कैसे? पृ० २४९-५२, और **चरखा संघका नवसंस्करण,** पृ० ६४-६७

२३५. पत्र : मगनलाल प्राणजीवन मेहताको

सेवाग्राम
१५ अक्तूबर, १९४४

चि० मगन,

तुम सबकी जब इच्छा हो, यहाँ आ सकते हो। यह लिखनेका कारण भाई मायाशंकरका पत्र है। उसने अपने पावनेके बारेमें लिखा है। मुझे लगता है, इस मामलेको साफ कर लेना ठीक होगा। ज्योतिलालने चम्पाके[1] बारेमें लिखा है। वह

१. मगनलालके सबसे बड़े भाई रतिलाल प्रा० मेहताकी पत्नी

यहाँ आना चाहती है। मैं समझता हूँ, ये सब मामले बहुत जल्दी तय किये जा सकते हैं।

बापूके आशीर्वाद

श्री मगनलाल प्राणजीवन मेहता, बैरिस्टर
८२, घोड़बन्दर रोड
अन्धेरी, बम्बई (बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे)

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०३०) से। सौजन्य: मंजुला म० मेहता

२३६. पत्र : प्रभुदास गांधीको

सेवाग्राम
१५ अक्तूबर, १९४४

चि० प्रभुदास,

रेंटिया बारसके दिन लीखा हुआ तेरा खत पढा और चि० अंबा[1] उर्फ सुजाताने लिखा हुआ भी पढा। अब हम जानते हैं कि कही भी बैठे हुए मृत्युके मुखमें ही नाचते है तब वह मुख बंध करे और हमको निगल जाय उसमें डर क्या? परिताप क्या? एक दिन जाना तो है तो आज क्यों नही? यह हम भी जानते हैं कि मृत्यु आत्माकी समाप्ति नहीं है।

तुलसीरामजी कहते हैं वह ठीक है। लेकीन उसे अचलित नियम न माना जाय। आजकी परिस्थितियोंमें तुमारे वकीलकी सहायता लेना या खुद जो लिखना चाहे वह लिखना उचित तो है ही। शायद धर्म भी है।

तेरा अभ्यासक्रम पढ़कर मुझे बहुत खुशाली हांसल हुई। उर्दू छोडना नहीं चाहिये। आधा घंटा पंदरा मिनीट भी नित्य देने से वृद्धि होती जायगी।

तबियत अच्छी रखना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे: छगनलाल गांधी पेपर्स। सौजन्य: साबरमती संग्रहालय

1. प्रभुदास गांधीकी पत्नी

२३७. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

१५ अक्तूबर, १९४४

ईश्वरकी कृपा ईश्वरके काम करने से आती है। तुम्हारे ईश्वरका काम करना है। कभी चर्खा चलाता है? चर्खा चलाना सबसे बड़ा यज्ञ है। रोते रोते भी चर्खा चलाओ। इस पर आज सोचो।

पंडित शिव शर्माने जो बताया है ऐसा करो। निर्दोष उपचार बताये हैं।

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२३८. प्रस्तावना

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल उन युवकोंमें से हैं जिन्होंने मातृभूमिकी सेवाके लिए समृद्धिमय बल्कि शायद वैभवमय जीवनका त्याग किया है। इसके अतिरिक्त, मैं जिस जीवन-पद्धतिका समर्थक हूँ उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। इस पुस्तिकामें आधुनिक राजनीति विज्ञानके सन्दर्भमें उस जीवनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य अग्रवालने इस विषयसे सम्बन्धित आधुनिक साहित्यका मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है। मुझे दु:खके साथ कहना पड़ता है कि इस पुस्तिकाको जितने ध्यानसे पढना अपेक्षित था उतने ध्यानसे मैं नही पढ पाया हूँ। फिर भी इसे इतना तो पढ़ ही गया हूँ जिससे कह सकूं कि उन्होंने मुझे कही भी गलत रूपमें पेश नही किया है। चरखेके अर्थशास्त्रके फलितार्थोको विस्तार-पूर्वक पेश करने का इसमें कोई दावा नही किया गया है। इसमें जो दावा किया गया है वह यह है कि पुस्तिका अहिंसापर आधारित चरखेके अर्थशास्त्र और उस औद्योगिक अर्थशास्त्रका तुलनात्मक अध्ययन है जो हिंसा अर्थात् जिन देशोका औद्योगी-करण नहीं हुआ है उनके शोषणपर आधारित होने पर ही लाभदायक हो सकता है। लेकिन आगेके पृष्ठोंमें लेखक क्या-कुछ कहने जा रहे हैं वह सब मुझे यही नही बता देना चाहिए। देशकी वर्तमान अधोदशाके प्रत्येक अध्येतासे मेरी सिफारिश है कि वे इस पुस्तिकाका मनोयोगपूर्वक अध्ययन करें।

[अंग्रेजीसे]
द गांधियन प्लान ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेन्ट फॉर इंडिया

२३९. पत्र : श्रीमन्नारायणको

मौनवार, १६ अक्तूबर, १९४४

चि० श्रीमन्,

यह मेरी प्रस्तावना[1] या जो-कुछ माना जाये। अगर इसके अलावा कुछ चाहते हो तो कहो। बहुत मेहनत की लेकिन पूरी पुस्तिका नहीं पढ़ सका। कमसे-कम चार घंटे चाहिए। कहाँसे निकालूं?

बापुके आशीर्वाद

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३०१

२४०. पत्र : पी० एच० गद्रेको

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

प्रिय गद्रे,

आपने जैसी बातें बताईं, वैसी तो होती रहेंगी। आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप लोगोंको आमन्त्रित करते रहिए। प्रबन्ध-समितिके सदस्योंसे सतर्क और व्यवहार-कुशल रहने के लिए कहा जा सकता है। यदि आपको आना ही है तो किसी भी इतवारको आ सकते हैं। आज दीवाली है। मैं चाहूँगा कि आर्थिक परेशानी होने पर आप बापासे सम्पर्क स्थापित करें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री पी० एच० गद्रे
नासिक

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

---

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२४१. पत्र : रामनारायण पाठकको

१६ अक्तूबर, १९४४

भाई रामनारायण,[1]

तुम्हारे और भाई उमाशंकरके[2] हस्ताक्षरोंवाला पत्र मिला। तुम दोनोंके इसमें शामिल होने की बात जब मालूम हुई तब मुझे आश्चर्य तो जरूर हुआ। अब श्री जाजूजी की देखरेखमें पूछताछ की जा रही है। इसलिए अभी तुरन्त मैं तुम्हें अपनी राय निश्चयपूर्वक नही बताऊँगा। तीन-चार दिनमें दूसरा पत्र लिखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

आचार्य रामनारायण पाठक
भारती निवास
एलिसब्रिज, अहमदाबाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२४२. पत्र : मंगलदास पकवासाको

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

भाई मगलदास,

यह तो मेरी भूल ही है कि मैं तुम्हारी बात नही समझ सका। उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। वैसे तुम दोनों भाइयोंको गलत समझने की भूल तो शायद क्षम्य हो, लेकिन तुमने चोरी होने की बात कही, तो उसमें मैंने जो मजा लिया और वह खबर सुनकर जो बातें कही, उसके लिए मैं कहाँ क्षमा माँगूं? जिन्ना साहबने उसकी अच्छी सजा दे दी, इसलिए थोड़ा निश्चिन्त हूँ। लेकिन मेरे लिए उतनी सजा काफी नहीं है।

तुम्हारी तबीयत दो दिन अच्छी तो दो दिन खराब रहे, यह तो ठीक नही लगता। यदि तुम अपनी तबीयत सुधार लो, तो अच्छा हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६८९) से। सौजन्य : मंगलदास पकवासा

१. (१८८७-१९५५); गुजराती भाषाके विद्वान और साहित्यकार
२. उमाशंकर जोशी, गुजराती कवि और साहित्यकार

२४३. पत्र : जेठालाल गो० सम्पतको

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

चि० जेठालाल,

जाजूजी ने जाँच कर ली है और मुझे उसे पढ़ा गये है। तुम्हें लिखा पत्र भी मुझे पढ़ाया। मैं देखता हूँ कि तुमपर किसी अधिकारीने कोई तोहमत नही लगाई है। भाई धोत्रेके[1] मनमें कभी कोई वहम नही हुआ। हो भी कैसे? तुम कोई दिये हुए पैसे तो वापस माँगते नही। [तुम तो] तुमपर कोई तोहमत [लगाई गई] हो तो उसका सबूत माँगते हो। तोहमत तो कोई नहीं है। लेकिन तुमने जाजूजी को जो उत्तर लिखा है वह मुझे अच्छा नही लगा। यह तो वकीलों-जैसा है। अहिंसाके पुजारीको शोभा दे वैसा नहीं है। जाजूजी ने तो अपनी याददाश्तको ताजा करने के लिए सवाल पूछे थे। तुम्हें उनका उत्तर देना चाहिए था। अभी भी उत्तर दो, ऐसा मैं चाहता हूँ।

अभी वहाँ क्या कोई खादी-प्रवृत्ति चल रही है? आजकल तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है? अनन्तपुर-निवासियोंके जीवनमें तुम कहाँतक ओतप्रोत हुए हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२४४. पत्र : वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहताको

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

भाई वैकुण्ठ,

प्यारेलालको लिखा तुम्हारा पत्र पढ़ा। महादेव-स्मारक तो होना ही चाहिए। लेकिन कब और किस तरह, यह विचारणीय है। मैं तो सोचता ही रहता हूँ। जब ४ नवम्बरके लिए यहाँ आओगे तब एक दिन ज्यादा रुकने का समय निकालकर आना। उस समय चर्चा करेंगे।

बापूके आशीर्वाद

वैकुण्ठ मेहता
पोस्ट बॉक्स ४२२
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

1. रघुनाथ श्रीधर धोत्रे, गांधी सेवा संघके मन्त्री

२४५. पत्र : वियोगी हरिको

१६ अक्तूबर, १९४४

भाई वियोगी हरि,

तुम्हारा तार मिला था, आज खत मिला। बिलकुल ठीक है। बादमें पता चला कि वह हरिजन तुमारे पास आ चुका था। भला है। मजूर सा है कुछ घुन है। उसने एक बहिनका अपमान किया उसको दूसरोंने डांटा तो परसो भागा। उसको घर जाने का किराया देकर रवाना किया। मेरा ख्याल है कि ऐसे हरिजन जबतक हमारे नियमनमें रहे हमारे रखना चाहिये। ऐसा विपाक हिंदु संसारके पापका फल है। लेकिन तुम्हारी अडचने मैं समझ सकता हूं। वो विद्यार्थी यहां आ गया उसने कुछ तुमको कहा होगा। उसका नाम भूल गया हू।

बापुके आशीर्वाद

वियोगी हरि
हरिजन निवास
किंग्सवे, दिल्ली

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११००) से

२४६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

भाई घनश्यामदास,

इसके साथ हिगिनबोटमके[1] बारेमें पत्रिका रखता हूं। प्रो० जोषी यहां आये थे कि मै उसमें हस्ताक्षर दू। मैंने कहा मै हस्ताक्षर नही दूगा लेकिन कुछ मित्रोंको लिखुंगा। शायद तुमने उसका फार्म देखा होगा। यदि अच्छा समजें तो कुछ मदद दें और दिलवावे। सिंघानीयाको मैं लिखना चाहता था, लेकिन इस वक्त तो तुमको ही लिखकर संतुष्ट रहता हूं।

मेरा कलका खत पहोंचा होगा।

बापुके आशीर्वाद

साथमें पत्रिका

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ८०६२) से। सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. सैम हिगिनबॉटम, इलाहाबाद कृषि संस्थानके प्रिंसिपल

२४७. पत्र : सोहनलाल द्विवेदीको

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

भाई सोहनलालजी,

आपके दोनों पत्र पढ़ गया। मेरा कुछ ख्याल रहा था कि मेरा अभिप्राय आपको उचित लगा। वह यह था। किसी भी ग्रंथका दाम उचित से अधिक लेकर दान करने की प्रथा अनुचित है। ऐसे दामके साथ किसी व्यक्तिका नाम रखना और भी अनुचित है। मैंने यही अभिप्राय घनश्यामदासजीको लिखा है।[1]

आपकी कृतिके गुणदोष बारेमें क्या कहूं? काव्योंकी परीक्षा करने की मेरेमें कोई योग्यता नही पाता। मेरी स्तुतिमें जो काव्य लिखे गये हैं उस बारेमें मैं क्या कह सकता हूं? हां, इतना मैं कह सकता हूं सही [कि] आपने परिश्रम काफी उठाया है। कोई भी शुभ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है।[2]

आपका ग्रंथ यदि आप बाजार दामसे बेचेंगे तो उसकी कुछ तुलना तो हो ही जायगी। ग्रंथ बेचने का खास परिश्रम न किया जाय। अनेक ग्रंथ बिना परिश्रम अपने गुणसे बिकते हैं। आपने जो धन इकट्ठा किया है वह अपना खर्च निकालकर दानियोंकी सम्मति लेकर मुझे हरिजन सेवाके लिये भेजे या कोई परमार्थिक कार्यमें देवे।

इस खतका आप जाहिर उपयोग कर सकते हैं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२४८. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

१६ अक्तूबर, १९४४

शांतिमें सुखमें तो सब कुछ होता है। चर्खा दुःखीका, भूखोंका सहारा है। दुःखमें तो छूटना ही नहीं चाहीये। केवलरामको[3] मैं पत्र लिख दूंगा। दोपहरको लिखवा जाओ।

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. देखिए पृ० १७५-७६।
२. यह अनुच्छेद गांधी अभिनन्दन ग्रन्थमें, पृ० ३ पर प्रकाशित प्रतिकृतिसे लिया गया है।
३. आनन्द तो० हिंगोरानीके श्वसुर; देखिए अगला शीर्षक।

२४९. पत्र : के० बी० केवलरमानीको

सेवाग्राम
१६ अक्तूबर, १९४४

प्रिय केवलरमानी,

तुम्हारा पुर्जा मिल गया है। विद्या तो अनमोल लड़की थी। उसके विचार सदा ईश्वरोन्मुख रहते थे। उसकी कमी मुझे भी शायद उतनी ही महसूस होती है, जितनी कि तुम्हें। लेकिन आनन्द शोकसे कातर है। मैं उससे कहता हूँ कि ऐसा करके तुम विद्याके प्रति न्याय नहीं कर रहे हो। उसकी आत्माको यह जानकर निश्चय ही शान्ति नहीं मिल सकती कि उसके प्रियजन उसकी धर्मपरायणताका अनुकरण करने और ईश्वरके कार्यको करने के बजाय उसके नश्वर शरीरके अन्तको लेकर ही दुःखी हैं। आनन्द शान्तचित्त होने की और काममें लगे रहने की कोशिश कर रहा है।

अंग्रेजीकी नकलसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२५०. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

सुबह ७ बजे, १७ अक्तूबर, १९४४

तुम्हें अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी बना लेनी चाहिए कि उसमें क्षण-भरकी भी फुरसतकी गुंजाइश न हो। यही दिवंगताके प्रति सच्चा प्रेम है। अंग्रेजोंका उदाहरण लो। वे भी अपने प्रियजनोंको प्यार करते हैं। लेकिन जब वे उनसे बिछुड़ जाते हैं तो वे अपनेको सेवा-कार्यमें और अधिक प्रवृत्त कर देते हैं।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२५१. पत्र : अमृतलाल चटर्जीको

सेवाग्राम
१७ अक्तूबर, १९४४

भाई अमृतलाल,

तुमारे खत सहेलन[1] पर लिखे हुए देखे। तुमारे मानना नही चाहीये था कि मैं तुमको खबर न दूं और शादी[2] कर लुं। लेकिन तुमने तो सम्मति दे दी है। जब मैं कैदमें था तभी शादी करवाना चाहते थे। मैंने उस समय इनकार किया। अब तो आभा रोकने से भी रुक नही सकती। एक दूसरे बहूत निकट आये हैं। मर्यादा तो रखते है लेकिन परस्पर प्रेम बढ़ रहा है। ता० ५ नवेम्वरके आसपास सेवाग्राममें लग्नविधि करना चाहता हूं।[3] तुम्हारे तरफसे आशीर्वादकी अपेक्षा करूंगा। आ सकते है तो अवश्य आना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०३५६) से। सौजन्य : अमृतलाल चटर्जी

२५२. पत्र : अमतुस्सलामको

सेवाग्राम
१७ अक्तूबर, १९४४

बेटी अ० स०,

तेरा खत मिला। अच्छा है। तेरी सेहत अच्छी है उस लीये धन्यवाद। जितनी अच्छी होगी अच्छा काम करेगी। जो पैसा चाहिये सब में भेज सकता हूं अगर भागीरथजीसे सर्टीफिकेट भेज देगी तो। बाके फंडमें से भी भेज सकता हूं। उस बारेमें कुछ विधि करना पडेगा। उसका बजट चाहीये। गायके बारेमें तो सतीश बाबु भी लिख सकते हैं। खादीके बारेमें भी वह बता सकते हैं। वे ट्रस्टी भी है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अकबर[4] गूजरातकी देहातमें गया है। जोहरा[5] आश्रममें नर्संका काम सीखकर अकबरके पास जायगी।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८५) से

१. अमृतलाल चटर्जीके पुत्र शैलेन (शैलेन्द्र)
२. अमृतलाल चटर्जीकी पुत्री आभा और नारणदास गांधीके पुत्र कनुकी
३. शादी ७ नवम्बरको हुई थी।
४ और ५. अकबरभाई चावडा और उनकी पत्नी

२५३. पत्र : अरुणचन्द्र गुप्तको

१८ अक्तूबर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपके २ अक्तूबर और २७ जुलाई, १९४४ के पत्र गांधीजी को मिल गये हैं। शुभकामनाओंके लिए धन्यवाद।

बंगालके बारेमें आपका कहना बिलकुल ठीक है। गांधीजी के भी मनमें इस बारेमें काफी मंथन चल रहा है। लेकिन अभी कोई प्रभावकारी कदम उठाने की गुंजाइश बहुत कम है। वे इन बाधाओंको महसूस करते हैं और उनकी सीमाएँ उन्हें परेशान करती हैं। इसलिए वे ईश्वरकी आस लगाये हुए हैं कि वही उन्हें राह दिखायेगा।

हृदयसे आपका,
प्यारेलाल

श्री अरुणचन्द्र गुप्त
सिक्यूरिटी प्रिजनर, स्पेशल रिजर्व जेल
डाकघर–बूना द्वार
जलपाईगुड़ी जिला (बंगाल)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६७०) से

२५४. एक पत्र

सेवाग्राम
१८ अक्तूबर, १९४४

प्रिय बहन,

आपने पैसा हस्तान्तरित करने का जो सुझाव दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसे आप अपने ही पास रखिए या फिर वि०[1] आश्रमके नाम कर दीजिए, और शास्त्री अथवा उनके द्वारा नामजद लोगोंकी रायसे उसे खर्च कीजिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. विनय

२५५. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

१८ अक्तूबर, १९४४

चि० विट्ठलदास,

तुम्हारा विस्तृत पत्र मिला। तुम्हारे प्रति मेरा पक्षपात तो अबतक प्रसिद्ध हो चुका है। तुम जहाँ भी काम करोगे, विचारपूर्वक ही करोगे। जहाँ कताईका काम आसानीसे चलाया न जा सके वहाँ कातने का आग्रह नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने कपड़ोंके लिए पींजें, कातें या बुनें अथवा बुनवा लें, वे वैसा करें। इस सम्बन्धमें मेरे विचारोंसे[1] सम्बन्धित टिप्पणी जाजूजी भेजेंगे। उसे पढ़ना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९८०६) से

२५६. पत्र : इन्दु पारेखको

कार्तिक सुदी १ [१८ अक्तूबर, १९४४][2]

चि० इन्दु,

तुम सबको नववर्षकी बधाई।

बापूके आशीर्वाद

गजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. ये विचार श्रीकृष्णदास जाजूके साथ बातचीतके दौरान व्यक्त किये गये थे; देखिए पृ० १७२-७४, १७६-८०, १८६-८७, १८९-९४, १९७-२०२, २०४-९ और २११-१३।

२. यह पत्र १९४४ के पत्रोंमें शामिल किया गया है। इस वर्ष कार्तिक सुदी १ इसी तारीखको पड़ी थी।

२५७. पत्र : नृसिंहप्रसाद कालिदास भट्टको

कार्तिक सुदी १, २००१ [१८ अक्तूबर, १९४४]

भाई नानाभाई,

तुम्हारे बच्चेकी शल्यक्रिया अवश्य ही निर्विघ्न होगी। ऐसी क्रियाओंमें सामान्यतया कोई भय नहीं होता। तुम वापस लौटो उससे पहले तुम्हे मुझसे मिल जाना होगा। तुम्हें अगर कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो कमसे-कम मुझे तो पूछना ही है। मनुभाई[1] और विजयाको[2] जब भेजा जा सके तब भेजना। उन्हे जबतक अच्छा लगे तबतक वे रह सकते हैं। इस बीच आंबला[के काम]को कौन सँभालेगा? हीरालाल और पोचीबहनको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२५८. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

१८ अक्तूबर, १९४४

मुए जिंदोंको कुछ भेजते हैं उसका हमें पता नहीं चलता है लेकिन जिंदे मुओंको भेजते हैं नि:संदेह है। इसलिये हम उनके पीछे कभी न रोवें।

ईश्वर कृपा ईश्वरके काम करने मे आती है। ईश्वरके काम शरीर से मनसे वाचासे दुःखीकी सेवा करने से होती है।

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१ और २. मनुभाई और विजया पंचोली

२५९. पत्र : डाह्याभाई वि० पटेलको

सेवाग्राम
१९ अक्तूबर, १९४४

चि० डाह्याभाई,[1]

तुम्हारा पत्र मिला। मेरा खयाल है कि हम तलाशीकी शर्त हरगिज नहीं मान सकते। तलाशीकी शर्तपर ही जाना हो तो जाने का लोभ छोड़ दिया जाये। मेरा खयाल है कि उन लोगोंने यह शर्त न रखी हो तो हो आना और यदि वे तलाशी लेना चाहें तो इनकार कर देना।

मणिबहनको[2] ईश्वर सँभालनेवाला है।

बड़ी जल्दीमें यह लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

श्री डाह्याभाई पटेल
६८, मरीन ड्राइव
बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–४ : मणिबहेन पटेलने, पृ० १६२

२६०. पत्र : बाल गंगाधर खेरको

सेवाग्राम
१९ अक्तूबर, १९४४

भाई बालासाहब,

आखिर तुम्हारे पत्रका उत्तर वापसी डाकसे नहीं ही दे सका। 'फ्री प्रेस [जर्नल]' को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा किसी अखबार या प्रेस एजेन्सी को भेंट देना ही काफी होगा। सरकारको तुमने जो जवाब दिया है, उसे मैं बिलकुल निर्दोष और पूर्ण मानता हूँ। कैवल्यधाममें[3] तुम्हारी तबीयत ठीक हो जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

किशोरलालकी तबीयत ठीक ही कही जा सकती है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २७७३) से

1 और 2. सरदार वल्लभभाई पटेलके पुत्र और पुत्री
3. बम्बईका एक योगाश्रम

२६१. पत्र : दादूभाई देसाईको

सेवाग्राम
१९ अक्तूबर, १९४४

भाई दादूभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। स्त्रियोंकी संस्थामें स्त्रियाँ ही काम करें, यह हमें शोभा देगा। भूल करनी होगी तो करेंगी। ऐसा करते-करते सीखेंगी। सरकार भी ऐसा ही कहती है ना कि हम सीखेंगे तभी हमें स्वराज मिलेगा। उससे हमें सीखना चाहिए कि यदि स्त्रियोंको, जिन्हें हम कुचलते आये हैं, स्वतन्त्र होने में हमें मदद करनी है तो उन्हें भूल करने का अधिकार होना ही चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

दादूभाई देसाई
नडियाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२६२. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

१९ अक्तूबर, १९४४

ऐसा सोचो कि गरीब आदमी तुम्हारी हालतमें क्या कर सकता है। उसकी पत्नी मर जाय तो दोगुना काम करेगा। वह भी ईश्वरका भक्त है। भीतरका आनंद ईश्वरका काम करने से ही पैदा होता है। हम अपनेको गरीबोंकी हालतमें रख दें। वहेनापनको ईश्वरीय बख्शीश समझें। एक क्षण भी बगैर कामके रहना ईश्वरकी चोरी करना है। मैं दूसरा कोई रास्ता भीतरी या बाहरी आनंदका नहीं जानता हूं।

यह सब समझमें आता है? अंग्रेजीमें लिखुं तो अच्छा लगेगा क्या?[1]

*   *   *

पुण्य तिथि मनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि कताई अथवा अपनी पसन्दके किसी अन्य आश्रम-कार्यमें पूर्णतः लग जाओ और रामनामको उससे जोड दो।

*   *   *

यह फिजूलखर्ची है।[2] वास्तवमें जो जरूरतमन्द हैं उन्हें कुछ दिया जा सकता है।

बापू

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. अगले दो अनुच्छेद और हस्ताक्षर अंग्रेजीमें हैं।

२. आनन्द हिंगोरानीने गांधीजी से पूछा था कि क्या उन्हें प्रत्येक महीने २० तारीखको फल और मिठाइयाँ बाँटना जारी रखना चाहिए?

२६३. पत्र : अनुसूया और शंकरलाल बैंकरको

सेवाग्राम
२० अक्तूबर, १९४४

चि० अनुसूयाबहन और शंकरलाल,

तुम दोनोंके पत्र आये हैं। भगवान करे कि तुम दोनों तन और मनसे स्वस्थ रहो।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (जी० एन० ११५६५) से

२६४. पत्र : सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धनको

सेवाग्राम
२० अक्तूबर, १९४४

चि० अप्पा,

तुम्हारा पत्र मिला। प्रिय मिलने पर हर्षित न हों और अप्रिय मिलने पर दुःखी न हों। इसलिए तुम्हें जो हर्ष और शोकका अनुभव एक साथ हुआ, यह ठीक ही हुआ। तुम्हें कांग्रेससे निकल जाने की जरूरत नहीं है। चुनावसे जो ओहदा मिले उसे छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। उसपर बने रहना कदाचित् [तुम्हारा] धर्म भी हो। जब हमारे बिछड़ जाने का भय हो तब निकलने का धर्म उपस्थित होता है। चुनावसे प्राप्त ओहदेके लिए हमें इतना प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे हम अपनी सुध-बुध ही भूल जायें। उपर्युक्त दोनों धर्मोंमें से कौन-सा धर्म कब उपस्थित होता है, इसका निर्णय तो तुम्हें ही करना होगा।

बापूके आशीर्वाद

अप्पा पटवर्धन
रत्नागिरी

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२६५. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२० अक्तूबर, १९४४

आजका दिन तुमारे लिये शुभ दिन है। विद्याको मैंनें काफी रुलाई थी। वह तुम्हारे जैसे रो देती थी और कहती थी भगवान बताओ। मैंने उसे डांटा और कहा भगवानको चर्खेमें देखेगी। मेरे पास बैठकर नही देखेगी। आखर समज गई। हम यंत्र है और यांत्री भी। शरीर यंत्र है आत्मा यांत्री है। आज तुम्हारे यंत्रसे यंत्रवत काम लेना है और मुझे हिसाब देना है।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२६६. पत्र : जी० सी० सोंधीको

सेवाग्राम
२१ अक्तूबर, १९४४

प्रिय सोंधी,

यह तुम्हारे ६ तारीखके पत्रके जवाबमें है।

तुम्हें मेरा आशीर्वाद तो है ही। तुम्हारे खुदके प्रयाससे अलग क्या मेरे आशीर्वादकी कोई कीमत है?

तुम्हारा,
बापू

श्री जी० सी० सोंधी
लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२६७. पत्र : शुएब कुरैशीको

सेवाग्राम
२१ अक्तूबर, १९४४

प्रिय शुएब,

तुम्हारी अपनी सामान्य शैलीमें लिखा तुम्हारा पत्र मिला। मुझे तुम्हारे आने की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी होगी। नवाब साहबका तार बिलकुल उनके अनुरूप है। देखें, क्या होता है।

आशा है, तुम्हारी तरफ सब ठीक होगा।

प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

२६८. पत्र : वी० वेंकटकृष्णैयाको

सेवाग्राम
२१ अक्तूबर, १९४४

प्रिय मित्र,

मैं चाहूँगा कि आप सेवाग्राममें अपना प्रयोग करें, लेकिन आप मेरे मनमें जो आस्था जगाना चाहते हैं, उसकी मुझमें कमी है। आपका इरादा पूरी तरह नेक है, लेकिन अमलमें दोष है। फिर भी, जब मैं अपने-आपको ठीकसे जमा महसूस करने लगूँ तो आप मुझसे मिलने आ जाइए। जब ऐसा होगा, आपको मालूम हो जायेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री वेंकटकृष्णैया
खद्दर संस्थानम
बेजवाड़ा

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

२६९. पत्र : गोविन्दलालको

सेवाग्राम
२१ अक्तूबर, १९४४

प्रिय गोविन्दलालजी,

यह आपके १३ तारीखके कृपा-पत्रके उत्तरमें लिख रहा हूँ।

संसदीय कार्यक्रममें मेरा कभी भी विश्वास नहीं रहा। अन्य बहुत-सी बातोंके समान मैं इसे भी सहन करता रहा हूँ। मेरा विश्वास किसमें है, यह तो आप जानते ही हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री गोविन्दलालजी
१५, लैन्ड्सन एंड रोड, मलाबार हिल
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे : फाइल सं० ३००१/एच०/पी० २९७। पुलिस कमिश्नर, बम्बई

२७०. पत्र : आत्माराम भट्टको

सेवाग्राम
२१ अक्तूबर, १९४४

भाई आत्माराम,

अभी-अभी सुना है कि तुमने अहिंसाके नामपर दूध और उससे बने पदार्थों तथा दवाओंका त्याग किया है। यह मुझे तो तनिक भी उचित नहीं जान पड़ता। ऐसी मान्यताओंका मूल तो मैं ही हूँ ना? तुम जानते हो कि मैं गाय-भैंसका तो नहीं लेकिन फिर भी दूध तो लेता ही हूँ। इस तरह मेरे दूध-त्यागका तो कोई अर्थ नहीं रहा। दूध-मात्रका ज्ञानपूर्वक त्याग करनेवाला कोई पैदा होगा तब हम सब दूधका त्याग करेंगे। ऐसा ही दवाके बारेमें समझो। जो खाओ उसे दवा समझकर ही खाओ तो वह दवाका सच्चा त्याग किया माना जायेगा। जिस शरीरका

प्रयोग परोपकारार्थ करना है उसकी अच्छी तरहसे सार-सँभाल करना हमारा धर्म है, ऐसा समझना।

बापूके आशीर्वाद

आत्माराम भट्ट
भावनगर[1]

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२७१. पत्र : बलवन्तसिंहको

२१ अक्तूबर, १९४४

संस्कृत अवश्य पढ़ो। उच्चारण शुद्ध बनानेमें किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ नहीं जायगा। प्रत्येक भाषाके उच्चारण शुद्ध होने चाहिये, परन्तु संस्कृत भाषाके लिए शायद शुद्ध उच्चारण अत्यावश्यक है। अंग्रेजीका अभ्यास तुम्हारे लिये बिलकुल आवश्यक नहीं है। जो ज्ञान है उसे व्यवस्थित करो और उसमें वृद्धि करो।

मेरे आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हैं ही।

बापु

बापूकी छायामें, पृ० ३५८

२७२. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२१ अक्तूबर, १९४४

मनुष्य जिसका ध्यान करता है उसके मार्फत ईश्वरको निश्चय देखता है। चर्खा सबसे अच्छा प्रतीक है और इसका दृश्य फल भी है।

मनुष्यको मनुष्यका सहारा चाहीये। इसलिये तो आश्रम इ० संस्थाए रहती है। मनुष्यका सहारा सानिध्यसे ही होता है ऐसा नहीं है। कोई डाक द्वारा करते हैं, कोई सिर्फ विचारसे, कोई मरे हुए के सद्वचनोंसे, जैसे हम तुलसीदाससे रोज मिलते हैं।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. यह पत्र सर्वश्री जादवजी, रसिकलाल और जेठालाल जोशीके हाथों भेजा गया था।

२७३. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

सेवाग्राम
२२ अक्तूबर, १९४४

कांग्रेसजनोंको चाहिए कि वे डॉ० महमूद द्वारा वाइसरायको लिखे गये पत्रोंको तथा उन पत्रोंको प्रकाशनार्थ जारी करते हुए समाचारपत्रोंको दिये गये उनके वक्तव्य को शान्तभावसे पढ़ें। निस्सन्देह ये पत्र लिखने में उनका इरादा बिलकुल नेक था। वे अपनी रिहाई कार्य-समितिके अपने सहयोगियोंसे पहले नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि डॉ० महमूदने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके ८ अगस्त, १९४२ वाले प्रस्तावकी[1] सविनय प्रतिरोध-सम्बन्धी धारासे शुरूसे ही अपनेको स्पष्ट शब्दोंमें अलग कर लिया था, अत: सरकार अपनी घोषित नीतिके अनुसार उन्हें नजरबन्द नहीं रख सकती थी।

डॉ० महमूदकी गलती थी तो यह कि उन्होंने अपने नजरबन्द साथियोंको इन पत्रोंके बारेमें सूचित नहीं किया। यदि उन्होंने इतने लम्बे समयतक अपने-आपको दबाकर रखा था, तो वे अपने नजरबन्द साथियोंसे परामर्श किये बिना या उनकी स्वीकृति लिये बिना सरकारको लिखकर यह सूचित नहीं कर सकते थे कि जिस समय प्रस्ताव पास किया गया उस समय उनकी राय क्या थी। कांग्रेसजनोंके लिए व्यावहारिक प्रश्न यह है कि उन्हें डॉ० महमूदकी सेवाओंका उपयोग करना चाहिए, अथवा जो 'अनुचित काम' वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने किया, उसके कारण उन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। मेरे मनमें इस बारेमें कोई सन्देह नहीं है कि कांग्रेसके साथ अपने लम्बे और सतत सम्बन्धके कारण वे जिन सेवाओंके लिए अत्यन्त उपयुक्त बन चुके हैं उन सेवाओंका अच्छेसे-अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। अपने अविवेकपूर्ण कार्यके बावजूद वे मेरे लिए वैसे ही प्यारे दोस्त हैं जैसे कि वे खिलाफतके जमानेमें, बल्कि उससे भी पहलेसे रहे हैं। लोगोंको पता है कि उनके ससुर स्वर्गीय मौलाना मजहरुल हकके[2] साथ मेरे कैसे सम्बन्ध थे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २४-१०-१९४४

१. देखिए खण्ड ७६, परिशिष्ट १०।

२. बिहारके एक राष्ट्रवादी नेता, जो मुस्लिम लीगके संस्थापकोंमें से थे और बादमें लीगके अध्यक्ष हुए। चम्पारन तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलनोंमें उन्होंने गांधीजी का साथ दिया था।

२७४. रचनात्मक कार्यकर्त्ताओंके लिए सुझाव[1]

कार्यकरोंने निश्चित रूपसे समझ लेना चाहिये कि रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण स्वराज्य हासिल करने का अहिंसा और सत्यपर रचा हुआ रास्ता है। उसकी संपूर्ण परिपूर्ति ही संपूर्ण स्वतंत्रता है। मान लीजिए कि सारी ही चालीस करोड़ जनता रचनात्मक कार्यक्रममें लगी है — जो कार्यक्रम राष्ट्रका पुनर्विधान नीचेसे ऊपर तक करने के लिये रचा गया है। फिर क्या कोई इसका विरोध कर सकता है कि इस कार्यक्रम की परिपूर्तिसे संपूर्ण स्वाधीनता उसके हरेक अर्थमें हासिल होगी, जिसमें विदेशी सत्ता का विनाश भी आ जाय? जब टीकाकार इस विधानकी हंसी उड़ाते हैं तब उनका अभिप्राय यही होता है कि चालीस करोड़ जनता इस कार्यक्रमकी परिपूर्तिमें लगी कभी सहकार नहीं देगी। इस हंसीमें काफी सत्य है। मेरा उसके लिये यह जवाब है कि यह प्रयत्न करके देखने जैसा प्रश्न है। एकनिष्ठ सेवकोंका एक छोटा-सा दल भी अगर अदम्य निश्चयके साथ काम करने के लिये उपलब्ध हो तो यह कार्यक्रम दूसरे किसी भी कार्यक्रमकी तरह सुसाध्य होगा — इतना ही नहीं दूसरे बहुतसे कार्यक्रमोसे ज्यादा सुसाध्य होगा। यह मेरा मन्तव्य सच हो या न हो, मेरे पास रचनात्मक कार्यक्रमकी जगह दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है, जो अहिंसापर रचा हुआ हो।

वैयक्तिक या सामूहिक सविनय कानून भंग रचनात्मक प्रयत्नमें सहायरूप है और सशस्त्र विप्लवका संपूर्ण पर्यायरूप है। जिस तरह सशस्त्र विप्लवके लिये फौजी तालीम लाजिमी है, उसी तरह सविनय कानून भंगके लिये रचनात्मक क्रियाओंकी तालीम इतनी ही जरूरी है। और जिस तरह शस्त्रोंका उपयोग खास समयपर ही आवश्यक होता है, उसी तरह सविनय विरोधका उपयोग खास समयपर ही हो सकता है। इससे कार्यकरोंको चाहिये कि वे सविनय विरोधकी खोजमें न बैठे रहें। लेकिन वे हमेशा सविनय विरोधके लिये तैयार रहेंगे और जब रचनात्मक कार्यको निष्फल बनाने की कोशीश विरोधिओंसे होगी तब उसका अमल उन्हें करना होगा। एक दो उदाहरणोंसे यह बात स्पष्ट होगी। कौमी मित्रताके प्रयत्नमें हारने की शक्यता नहीं है, लेकिन राजकीय करारमदारोंमें हम हार सकते हैं। फिर भी पहले मित्रताका अभाव होने से राजकीय करारमदारोंकी आवश्यकता रहती है। उसी तरह खादीका उत्पादन और उसका उपयोग इन दोनोंमें हम कभी हार नहीं सकते, यदि दोनों काफी सार्वत्रिक बन जायें। खादीका उत्पादन और उसका उपयोग लोगोंपर जबरदस्तीसे लादके हम सिद्ध नहीं करेंगे। लेकिन लोगोंने स्वतंत्रताके आंदोलनका एक आवश्यक अंग गिनकर

१. ये सूचनाएँ बम्बईमें २८ और २९ अक्तूबरको एन० वी० गाडगिलकी अध्यक्षतामें हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलनके लिए भेजी गईं थीं। इस सम्मेलनमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटकके कांग्रेसजनोंने भी भाग लिया था।

उनको समझबूझकर अपनाना चाहिये। और वह स्वतन्त्रताके आंदोलनका आवश्यक अंग तभी बनेगा जब देहातोंको केन्द्र बनाके वहांसे उसका संचालन हो। ऐसे कार्य-क्रमोंमें भी शुरूके कालमें कार्यकरोंका काफी विरोध होगा। दुनियाभरमें ऐसे पुरोगामी कार्यकरोंको मुसीबतोंकी आगका सामना करना पड़ा है। विना दुःखोंका सामना किये स्वराज्य हासिल नहीं हो सकेगा। हिंसामें सत्यको ही ज्यादासे-ज्यादा दुःख सहना पड़ता है, जब अहिंसामें सत्यका हमेशा विजय ही होता है।

यह प्रारंभिक विचार अगर पाठकोंके दिलमें जच जायं तो रचनात्मक कार्यक्रममें उनकी गहरी दिलचस्पी पैदा होगी। राजकारणके नामसे पहचानी जाती प्रवृत्तियां और सभाओंमें बनाया जाता वक्तृत्व दोनोंके समान ही यह कार्यक्रम उनको आकर्षक लगेगा।

रचनात्मक कार्यक्रमका विस्तृत स्वरूप उसके बारेमें मैंने लिखी हुई पुस्तिकामें[1] और उसपर टिप्पणियोंके रूपमें डा० राजेन्द्रप्रसादने लिखी हुई पुस्तिकामें[2] पाठक पा सकेंगे। ख्यालमें रखना चाहिए कि यह पुस्तिका सिर्फ मार्गदर्शक है, पूर्ण नही। स्थानिक परिस्थितिके अनुसार मेरी छपी हुई पुस्तिकासे और कई ज्यादा अंग सुझाये जा सकते हैं जिनका मैंने उल्लेख भी नही किया है। सारे हिन्दुस्तानके लिये एक ही पुस्तिकामें उन सभी अंगोंका समावेश करना असंभव है। ऐसे अंगोंको खोजके उनके बारेमें जरूरी इन्तजाम करना स्थानिक कार्यकरोंका काम है।

मैंने मेरी पुस्तिका प्रसिद्ध की उसके बाद मुझे जो अनुभव मिला उस परसे रचनात्मक कार्यमें जिन अंगोंपर ज्यादा भार देने की जरूरत मुझे दिखाई दी उनको मैंने इन सूचनाओंमें खास तौरपर समाविष्ट किया है।

पहला आता है, किसान, जिसमें अपनी मालीकीकी जमीनपर मजदूरी करनेवाले और पराई जमीनपर मजदूरी करनेवाले दोनोंका समावेश होता है। यह तो धरती-माताका श्रेष्ठ पुत्र है। जमीनकी मालीकी उसीकी है—उसीकी होनी चाहिए न कि अनुपस्थित जमीन मालिक या जमींदारकी। फिर भी अहिंसा मार्गमें जमीनका मजदूर अनुपस्थित जमींदारको जबरदस्तीसे हटा नहीं सकता। उसने इस तरह काम करना चाहिये जिससे जमींदारके लिये उसको चूसना असंभव हो जाय। किसानोंमें घनिष्ठ सहकार अत्यन्त आवश्यक है। इसीके लिये ग्राम व्यवस्थापक मंडल या समितियोकी स्थापना जहा ये न हों वहां करनी चाहिये। जहा ऐसे मंडल है उनको जरूरतके अनुसार सुधार लेना चाहिये। किसान तो ज्यादातर निरक्षर है। बड़ी उम्रके किसान और मजदूरोंमे जाने लायक उसके बच्चे—दोनोंको पढाना चाहिये। यह भाई और बहन दोनोंके लिये है। जहा किसान जमीन मालीक नही है सिर्फ मजदूर है वहां उनकी मजदूरीकी मर्यादा इस तरह बढानी चाहिये कि जिससे उनका जीवन समृद्ध बन जाय। ऐसे जीवनमें संपूर्ण पोषक खोराक, और तनदुरस्ती रखने के लिये जरूरी ऐसा मकान और ऐसे कपड़े इन सब बातोंका समावेश हो जाता है।

१. कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम : इट्स मीनिंग ऐण्ड प्लेस, देखिए खण्ड ७५, पृ० १६१-८३।
२. देखिए खण्ड ७५, पृ० २९०।

जमीनके कानूनोंकी जांच करनी चाहिये। किसानोंके कर्जेके वारेमें जांच करने का अमर्याद क्षेत्र हमारे सामने है। खेतीके जानवरोंका प्रश्न भी हिन्दुस्तानकी खेतीका एक महत्त्वका अंग है। इसलिये इस जटिल समस्याको हल करने के लिये जानवरोंके तज्ञ सेवकोंने अपनी शक्ति उसमें डालनी चाहिये।

किसानोंके साथ घनिष्ठ संवंध रखनेवाला वर्ग है मजदूरोंका। यहां मजदूरका अर्थ है कारखानोंके मजदूर, जो केन्द्रित क्षेत्रोंमें काम करते हैं और इसलिये उनका कार्यक्षेत्र मर्यादित रहता है। इसके अलावा यह मजदूर वर्ग राजकीय आन्दोलन करनेवालोंके हाथोंमें आसानीसे चला जाता है। यह वर्ग लाजीमी तौरसे शहरोंमें ही रहता है। इसलिये किसानोंसे ज्यादा इन मजदूरोंका आकर्षण कार्यकर्त्ताओंको रहता है।

रचनात्मक कार्यक्रमके अंगकी हैसियतसे उसका प्राथमिक ध्येय मजदूरको अपने योग्य स्थानपर चढाने का ही है। इसलिये मजदूरोंकी नैतिक और वौद्धिक भूमिकाको ऊंचे चढाने का ही मजदूर कार्यकर्त्ताओंका ध्येय होना चाहिये। इस तरह सिर्फ अपनी ताकतसे ही उसको अपनी सांसारिक हालतका सुधारने के लिये सिर्फ शक्तिमान करना ही नहीं, वल्की मजदूरको उत्पत्तिके साधनोंके गुलामकी जगह उनका स्वामी वनना होगा। पूंजी मजदूरोंकी दासी वनकर रहनी चाहिये न कि मजदूरी पूंजीकी गुलाम। मजदूरको उसकी फर्जका ख्याल कराना चाहिये, जिसके पालनसे उसके हक स्वाभाविक तौरसे उसको मिल जाय। प्रत्यक्ष व्यवहारकी दृष्टिसे।

(क) मजदूरोंके अपने संघ चाहिये। (ख) स्त्री और पुरुष दोनोंकी सामान्य और शास्त्रीय शिक्षा रात्रिशालाओंके जरिये व्यवस्थित रूपसे होनी चाहिये। (ग) मजदूरोके वालकोंकी शिक्षा वुनियादी तालीमकी पद्धतिसे होनी चाहिये। (घ) हरेक केन्द्रके साथ जोड़ा हुआ एक अस्पताल, वालगृह, प्रसूतिगृह होना चाहिये (ङ) हड़तालके वक्त मजदूर अपना निभाव करने में समर्थ होना चाहिये। (मजदूरोंको सफल अहिंसक हड़ताल चलाने का शास्त्र सिखाना चाहिये।)

यह सव कार्य जो मैंने (क)में वताया है ऐसे संघोंसे ही किया जायेगा। मेरे ख्यालसे अहमदावाद मजदूर संघ सवसे अच्छा संघटित संघ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संघ मेरे आदर्शको पहूंचा है। वह प्रयत्न कर रहा है। सव संघ अगर एक ही दिशामें कार्य करें तो मजदूरकी परिस्थिति आज है इससे कई गुना अच्छी होगी। श्रमिकोंमें यदि एकता हो और नैतिक तथा वौद्धिक दृष्टिसे उनका ठीक प्रशिक्षण हुआ हो तो वे पूंजीकी अपेक्षा हमेशा श्रेष्ठ होंगे।[1]

वारह वर्षके उपरका विद्यार्थी वर्ग इसके वाद महत्त्वका है। अगर हमारे पास योग्य प्रकारके काफी कार्यकर्त्ता होते तो मैं इतना कहने के लिये तैयार होता कि वचपनमें जव वे लिखना शुरू करते हैं तभीसे हमें उनके वीचमें कार्य करना चाहिये। क्योंकि उन्हें स्कूल जाने की उम्रसे ही हाथमें लेना है। उनका राजकीय उपयोग मेरे खयालमें नहीं है, यह कहने की मुझे जरूरत नहीं है। हालमें शालायें ज्यादातर सरकारी शासनमें हैं या उसके प्रभावमें हैं, इसलिये विद्यार्थियोंकी शिक्षा महत्त्वपूर्ण

१. यह वाक्य बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-१०-१९४४ से लिया गया है।

विषयमें त्रुटियोंसे भरी है। वे जो अखबारोंसे और व्यासपीठके वक्ताओंसे जान सकते हैं इससे अलावा देशकी राजकीय परिस्थितिसे अस्पृष्ट रहते हैं। इन्हें अपनी वर्तमान शिक्षाकी पूर्ति संयोजित रीतसे कांग्रेसी कार्यकर्त्तासे करनी चाहिये। वर्तमान शिक्षण प्रणालीमें यह कैसा ठीक बिठाया जाय यह एक मुश्किल सवाल है। फिर भी उसे हल करना ही है। मैट्रिक वर्ग तक मावापका सहकार आवश्यक हैं। विद्यार्थी जगतने राजकीय स्पर्धासे अलग रहना चाहिये ऐसे मेरे बारबार प्रदर्शित किये गये विचार पर मैं मुस्तकिल हूं। सामूहिक सविनय कानून भंगका आंदोलन हो तो दूसरी बात है। लेकिन आज तो यह बात प्रस्तुत नहीं है लेकिन उन्हें राष्ट्रीय जागृतिकी शिक्षा मिलनी चाहिये। स्वतंत्र देशकी अपने शहरीओंको देशभक्त बनने की शिक्षा देने का फर्ज है। हमारी प्रचलित शिक्षा परदेशियोंसे दी जाती है। यह शिक्षा हमारी राष्ट्रीय भावनाओंसे विरुद्ध है। इसलिये एक ऐसा कार्यकर्त्ताओंका संघ चाहिये जो ऊपर बताया हुआ बड़ा कार्य अपने हाथमें लेने का फर्ज समझे इस अर्थमें यह एक नया क्षेत्र है और हमारे लिये इसका महत्त्व बड़ा है। हमें यह याद रखना चाहिये कि विद्यार्थीओंको शाला और कालेजोंसे बाहर निकालना नहीं है। नये दाखिल होने-वालोंकी तेजसे बढ़ती जाती संख्या इनका पक्का पुरावा है। व्यवस्थित रीतिसे इनकी शिक्षाकी पूर्ति करने का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। परदेशी पद्धतिसे ज्यादा बेहतर हो ऐसा राष्ट्रीय प्रयास इस दिशामें चलाने में ही हमारी मुक्ति है।

मो० क० गांधी

सेवाग्राम
२२ अक्तूबर, १९४४

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२७५. पत्र : हीरालाल शास्त्रीको

२२ अक्तूबर, १९४४

भाई हीरालाल शास्त्री,

तुम्हारे उत्सवके लिये किसीके आशीर्वाद क्यों चाहिये? यूं भी मेरे तो हैं। लेकिन तुम्हारे जैसोंके लिए तो उनका काम ही आशीर्वाद होना चाहिये। तुम्हारे काम की तारीफ तो काफी सुनी है। आ सकते थे तो अच्छा ही होता। लेकिन जो अपने काममें ओतप्रोत है वह किसी जगहमें जाकर अपने समयका दुर्व्यय क्यों करें?

बापुके आशीर्वाद

वनस्थली
(जयपुर)

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२७६. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको[1]

२२ अक्तूबर, १९४४

आशा अमर है। उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती।

बापु

बापूके आशीर्वाद, पृ० vi

२७७. बातचीत : मित्रोंके साथ

[२२ अक्तूबर, १९४४ या उसके पश्चात्][2]

मित्रों और सहयोगियोंने उनके साथ बहस करनेकी कोशिश की। अभी-अभी उन्होंने उनके सामने अधिक विस्तृत और नई जीवनी शक्तिसे पूर्ण अपना रचनात्मक कार्यक्रम पेश किया था। प्रश्न यह था कि उनके उपवासके कारण भावनाका जो प्रबल ज्वार उठेगा उससे क्या उस "शान्ति और स्थिरता" के वातावरणमें बाधा नहीं पड़ेगी जिसमें अब वे लोग निश्चिन्त होकर अपने-अपने काममें लग रहे हैं। गांधीजी ने उत्तर दिया :

लेकिन मैं यही तो चाहता हूँ। आप या कोई और "निश्चिन्त होकर किसी काममें लग जायें", यह मैं नहीं चाहता हूँ। सिपाहियों, नागरिकों और सत्यकी इस भयंकर तिहरी संहार-लीलाके बीच कोई निश्चिन्त होकर किसी काममें लग जाये, यह असम्भव है। हमें शरीर और आत्मा दोनों धरातलोंपर निरन्तर आगे बढ़ते जाना है। मेरा काम अपने-आपको और अपने परिवेशको जाग्रत करना है और हम सबको सन्तुष्ट भावसे बैठे रहने की स्थितिसे निकालना है।

लेकिन आपका उपवास लोगोंकी सोचनेकी शक्तिको कुण्ठित करनेके बजाय उन्हें सोचने को मजबूर करेगा, ऐसा मानने का आपके पास क्या कारण है?

उत्तरमें उन्होंने कहा कि मुझ-जैसे अदना आदमीके लिए ऐसा मानना शायद अहंकार ही हो कि मेरे उपवाससे लोगोंमें नया जीवन आ जायेगा, फिर भी मेरा ऐसा विश्वास है कि इतने वर्षोंसे मैं सत्य और अहिंसाका जीवन जीनेके लिए व्यर्थ ही प्रयत्न नहीं करता रहा हूँ। इसी चीजने मुझे अपने उपवासके जरिये बोलनेका अधिकार दिया है।

१. आनन्द हिंगोरानीके अनुसार यह "एक चित्रपर, जिसका शीर्षक 'आशा' था और जिसे देखकर विद्या अति प्रसन्न हुआ करती थी, लिखा गया था"।

२. "रचनात्मक कार्यकर्त्ताओंके लिए सुझाव" के सन्दर्भसे; देखिए पृ० २३४-३७।

आज लाखों लोग असहाय बैठे भूखकी ज्वालामें तड़प रहे हैं। स्वेच्छासे और ज्ञानपूर्वक यदि इस दुःखका शतांश भी झेला जाये तो उससे परिस्थिति बदल सकती है। यह उपवास किये बिना और भूखके कष्टोंको झेले बिना मैं इन लाखों लोगोंके लिए कैसे बोल सकता हूँ, इनके साथ अपना तादात्म्य कैसे स्थापित कर सकता हूँ?

उन्होंने कहा कि उपवास करने की अपनी इच्छाका कोई एक कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुल मिलाकर इस स्थितिने मुझे विवश कर दिया है।

आश्चर्यकी बात यह है कि मैं अब भी जीवित हूँ और जीने के आनन्दका अनुभव कर सकता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं मृत्युके आनन्दको भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि सुख और दुःख एक ही सिक्केके दो पहलू हैं, इसीलिए मुझ-पर दोमें से किसीका असर नहीं होता और ईश्वर जैसा कहता है मैं वैसा करता हूँ।

लेकिन क्या आपको भूखकी व्यथाके माध्यमसे ही बोलना चाहिए? क्या और कोई उपाय नहीं है?

उपाय अनेक हैं। वे आपके लिए हैं। लेकिन मैं तो अपने ही उपायसे काम लूँगा और मैं मानता हूँ कि लोगोंके हृदय और आत्मातक अपनी बात पहुँचाने के लिए ईश्वरने मुझे यह विशेष वरदान दिया है।

इससे मित्रोंको सन्तोष नहीं हुआ। उनको शंका यह थी कि अगर गांधीजी को कुछ हो गया तो इस बातको क्या गारंटी है कि उसके कारण ऐसा तूफान न उठ खड़ा होगा जिसे नियन्त्रित करनेवाला उनके बाद कोई नहीं होगा।

हाँ, यह हो तो सकता है। वैसे मैं नहीं चाहता कि यह हो। लेकिन अगर आधी सदीतक सत्य और अहिंसाका प्रबुद्ध जीवन जीने का परिणाम यही होना है कि भारतको भी रक्तपातमें से गुजरना है तो मैं उस खतरेको भी झेलने को तैयार हूँ।

इसपर मित्रोंने फिर एक प्रश्न जड़ दिया: "तब आप अहिंसाकी साधना करते हुए अपने जीते-जी अव्यवस्थाके खतरेको ही क्यों नहीं आमन्त्रित करते, ताकि आप उसपर काबू भी पा सकें?"

इसलिए कि मैं अराजकता या अव्यवस्था नहीं चाहता। मुझे अराजकताके लिए नहीं, व्यवस्थाके लिए काम करना है। लेकिन अगर अपने इस प्रयत्नमें मेरे रास्ते अव्यवस्था आ जाती है तो उससे मैं विचलित नहीं होऊँगा। जापानियोंकी जाँबाजीसे भरी बहादुरीने सारी दुनियामें सनसनी फैला दी है। यदि जंगलके नियमके स्थानपर प्रेमके नियमको प्रतिष्ठित करना है, तो इस संकटके समय अहिंसासे उसकी बनिस्बत बहुत अधिक साहस और बहादुरीकी अपेक्षा है।

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी – द लास्ट फेज, जिल्द १, भाग १, पृ० ९८-९९

२७८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

वर्धा

२३ अक्तूबर, १९४४

श्री हॉर्नीमैनने[1] १९ तारीखको श्री प्यारेलालको कृपापूर्वक निम्नलिखित तार भेजा :

> क्या आप इलाहाबादसे प्रकाशित इस खबरकी पुष्टि या उसका खण्डन कर सकते हैं कि गांधीजी साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने के लिए उपवास करने का विचार कर रहे हैं?

प्यारेलालने निम्नलिखित उत्तर भेजा :

> धन्यवाद। खबर निराधार है।

यह उत्तर सही है -- इस अर्थमें कि मैं साम्प्रदायिक एकता या किसी भी विशेष उद्देश्यसे उपवास करने का कोई विचार नहीं कर रहा हूँ। फिर भी, यह उत्तर पूरा उत्तर नहीं है।

समयसे पहले अपनी रिहाईके बादसे ही मैं खुदसे और कुछ मित्रोंसे यह कहता रहा हूँ कि मेरे भाग्यमें एक और उपवास बदा है। जो चीज मैं अस्पष्ट रूपसे अनुभव करता था वह कुछ समयसे धीरे-धीरे मूर्त रूप ग्रहण करती रही है, और इसलिए मैं अपने मनकी बात और ज्यादा मित्रोंसे करता रहा हूँ। अब यह खबर अखबारों तक पहुँच गई है। इसलिए जनताके लिए यह बेहतर होगा कि मैं मित्रोंके साथ जो बातचीत करता रहा हूँ उसका सही विवरण वह जान ले।

उपवासका सत्याग्रहकी योजनामें एक निश्चित स्थान है। अहिंसाके शस्त्रागारका यह अन्तिम अस्त्र है। उपवास प्रायश्चित्त, शुद्धि, विरोधके रूपमें किया जाता है। यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझे प्रायश्चित्त करना ही चाहिए। मेरे चारों ओर जो संगठित हिंसा हो रही है, उसके विरुद्ध मेरी अहिंसा विद्रोह करती है। इस हिंसाके कई रूप हैं। झूठ बोलना उतनी ही बड़ी हिंसा है जितनी कि किसीको शारीरिक हानि पहुँचाना। मेरा अभिप्राय यहाँ केवल शासकोंकी हिंसासे ही नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि जो हिंसा अजेय प्रतीत होती हो, उसके समक्ष अहिंसाको सबसे अधिक सक्रिय होना चाहिए।

लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। जो मुझे आह्वान प्रतीत होता है, सम्भव है, आह्वान हो ही नहीं। इसलिए मैं अपनेको परख रहा हूँ, मित्रोंके साथ इसके पक्ष-विपक्षपर चर्चा कर रहा हूँ, और लोगोंको मुझे प्रभावित करने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने उपवासको कभी अपनी सनक नहीं बनाया है।

१. बॉम्बे क्रॉनिकलके बी० जी० हॉर्नीमैन

मैं उपवास करनेके लिए कभी उत्सुक नही रहता, तथापि उपवाससे अक्सर मेरी व्यथित आत्माको शान्ति मिली है, क्योंकि सच्चा उपवास स्रष्टाके साथ आत्माका तादात्म्य स्थापित कर देता है। उपवास मनुष्यकी प्रार्थनामें जीवन डाल लेता है। मैं अपनी भावनाके बारेमें मित्रोंके साथ बराबर बातचीत कर रहा हूँ। मैं परमात्मासे प्रकाश और मार्ग-दर्शनके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ, जिसके बिना कोई उपवास नहीं होगा। प्रकाशकी अपनी इस तलाशमें मैं संसार-भरके मित्रोंसे उनका सहयोग मांगता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २५-१०-१९४४

२७९. पत्र : श्रीमती हिगिनबॉटमको

२३ अक्तूबर, १९४४

प्रिय बहन,

आपका कृपा-पत्र मिला। यहाँ अंग्रेजी जाननेवाली लड़कियाँ बहुत कम हैं। मेरी इच्छा है कि आप मुझे ग्रामीण मानसकी हिन्दी जाननेवाली लड़कियोंके लिए ग्रामीण प्रसूति-विद्याका एक पूरा पाठ्यक्रम दें। क्या वह पाठ्यक्रम चार सालसे कममें पूरा नहीं हो सकता? मैं इस सम्बन्धमें कुछ भी नही जानता। मेरे चिकित्सक मित्रोंका भी यही हाल है, क्योंकि उन्होंने गांवोंमें काम नही किया है। लेकिन आप अमेरिकाकी दृष्टिसे न सोचें। गांवकी दाइयोंको इस कार्यके प्रारम्भिक सिद्धान्तोंका प्रशिक्षण कैसे दिया जाये?

आप दोनोंको मेरा स्नेह-वन्दन।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती सैम हिगिनबॉटम
होम-मेकिंग डिपार्टमेंट
इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इंस्टीट्यूट
इलाहाबाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०४९८) से। सौजन्य: श्रीमती सैम हिगिनबॉटम

२८०. पत्र : मंगलदास पकवासाको

सेवाग्राम
२३ अक्तूबर, १९४४

भाई मंगलदास,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम व्यर्थ ही घबरा गये हो। मैं कुछ करनेवाला नहीं हूँ। फिर भी, तुम और बापा मुझे समझाना कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो अपना अपराध प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। लेकिन यदि वह मेरा भ्रम ही सिद्ध हुआ, तो मुझे प्रसन्नता होगी। तुम बीमार पड़ते रहते हो, इसका कारण कहीं तुम्हारा भावुक हृदय तो नहीं है? अपने मनको कठोर बनाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६९०) से। सौजन्य : मंगलदास पकवासा

२८१. पत्र : दिनशा मेहताको

सेवाग्राम
२३ अक्तूबर, १९४४

चि० दिनशा,

तुम्हारा ब्योरेवार पत्र मिला। उम्मीद है न्यास-पत्रका काम चल रहा होगा। देवदास धीमा है, लेकिन मैं उसे भूलने नहीं देता।

तुम जिन अड़चनोंकी लिखते हो मैं उनकी फिक्र नहीं करता, क्योंकि हम दोनों की फिक्र रखनेवाला परमेश्वर है। हमें कहाँ अपने लिए कुछ करना है? जमीनके बारेमें और यात्राकी सुविधाकी बाबत मैं रामेश्वरदासको लिख रहा हूँ।

मेरा पिछला पत्र[1] मिला होगा।

अरदेशिर[2] रोज तरक्की कर रहा होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुम उपचारोंमें कोई दवाइयाँ बढ़ाना चाहते हो? यह करना पड़ा तो करेंगे। तुम्हारी गुजराती ठीक है।

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए पृ० १८२-८३।

२. दिनशा मेहताके पुत्र

२८२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

सेवाग्राम
२३ अक्तूबर, १९४४

चि० मथुरादास,

स्वामीको[1] लिखा दिलीपका[2] पत्र है। उसपर से देखता हूँ कि तेरी तबीयत फिर खराब हो गई है। इन्फ्लूएंजा हुआ है। यह क्या है? कैसे हुआ? मुझे विस्तारसे समाचार चाहिए। तू न लिख सके तो दिलीप लिखे। मैं तो काममें उलझा हुआ हूँ। उम्मीद है, दिलीप शान्त होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२८३. पत्र : परीक्षितलाल मजमूदारको

सेवाग्राम
२३ अक्तूबर, १९४४

चि० परीक्षितलाल,

रिवाजके मुताबिक मुझे साथी-कार्यकर्त्ताओंके माता-पिता और परिवारके बारेमें कुछ मालूम नहीं होता। तुम्हारे पिता मौजूद थे, यह बात भी मुझे उनके गुजर जाने से मालूम हुई। और यदि मालूम थी तो भूल गया। तुम्हारे साथ शोक व्यक्त क्यों करूँ? एक-न-एक दिन हमें अपने सगे-सम्बन्धियोंको खोना है और हमें स्वयं भी उसी राह जाना है। अपवाद-जैसा यहाँ कुछ नहीं मिलता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम [पिताकी] अन्तिम क्रिया सम्पन्न कर काममें लग गये होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. स्वामी आनन्द
२. मथुरादास त्रिकमजीके पुत्र

२८४. पत्र : गंगाबहन पटेलको

सेवाग्राम
२३ अक्तूबर, १९४४

प्रिय गंगाबहन,

मुझे तो गोकुलभाईके पत्रसे ही मालूम हुआ कि तुम्हारा सेवाभावसे परिपूर्ण पुत्र जाता रहा। लेकिन [इससे] तुम्हें कोई घबराहट होती है क्या? तुम्हें हो सकती है, लेकिन तुम्हें जितने चाहिए उतने बच्चे तुम्हारे पास हैं। जितने सेवक और सेविकाएँ हैं वे सब तुम्हारे लड़के-लड़कियाँ हैं। इसलिए तुम दुःखी होकर दूसरोंको घबराहटमें नहीं डालोगी। जन्म और मृत्युका जोड़ा तो अखंडित है और हमेशा रहेगा।

बापूके आशीर्वाद

गंगाबहन पटेल

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२८५. पत्र : रामेश्वरदास बिड़लाको

सेवाग्राम
२३ अक्तूबर, १९४४

भाई रामेश्वरदास,

गोदरेज फार्मवाली जमीन मिल सकती है क्या? जीवनलालजी का क्या उपयोग होता है? दीनशाकी खोज चल रही है। मुसाफरीका कोई वाहन आजकल मिलता ही नहीं। इस बारेमें कुछ शक्य है?

सेवाग्राममें बिरला हाउसका उपयोग मैटर्निटी होमके लिये करने का इरादा है। इसमें कोई हर्ज है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

२८६. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२३ अक्तूबर, १९४४

मेरे पास बैठने में कोई हानी नही है लेकिन ऐसे वक्तपर जैसे महादेव करता था और सिपन्लानी तकली चलाता। पीछे ईश्वरका समयकी चोरी नही होगी। तकली हमारा मूक मित्र है। कुछ आवाज ही नही करती और जगतके लीये जो धागा चाहीये उसे निकालती रहती है। तकली चलाते समय हम सब कुछ देख सकते है और सुन सकते है। मै तो यहां तक जाता हूं कि ईश्वरकृपा होगी तो उस तरह यज्ञकर्ममें जुते हुए रहने से कान भी खुल जाये। लेकिन जब इस तरह कर्मयोगी बनोगे तब कानकी परवा ही, थोडी रहेगी। वानर गुरु तो जानबूझकर कान बंध करता है क्योंकि आसपासका आवाज उनके रास्तेमे रुकावट डालती है।[1]

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२८७. पत्र : जमीलुद्दीन अहमदको[2]

सेवाग्राम
२४ अक्तूबर, १९४४

भाई जमील साहब,[3]

आपका ७ अक्तूबर, १९४४ का खत मिला। कायदे-आजम द्वारा दी गई किताब में आपके लेखोंकी दलीलोंसे ज्यादा अच्छी दलीलें है। मुझपर उसका असर नहीं हुआ। मैं क्या करूं? जो काम कायदे-आजम नही कर सके वह आप कैसे कर सकेंगे? मुसलमानोंपर उनका कितना ज्यादा असर है, यह कौन नही जानता?

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १३-११-१९४४

१. यहाँ संकेत तीन चीनी बन्दरोंकी मूर्तिकी ओर है।
२. मूल पत्र उर्दूमें है, जो उपलब्ध नहीं है।
३. अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी लेखक-समितिके संयोजक

२८८. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२४ अक्तूबर, १९४४

मेरी शांति और मेरे विनोदका रहस्य है मेरी ईश्वर यानी सत्यपर अचलित श्रद्धा। मैं जानता हूं कि मै कुछ कर नहीं सकता हूं। मेरेमें ईश्वर है वह मुझसे सब कुछ कराता है तो मैं कैसे दुखी हो सकता हूं। यह भी जानता हूं कि जो कुछ मुझसे कराता है मेरे भलेके ही लिये हैं। इस ज्ञानसे भी मुझे खुश रहना चाहिये। वा को ईश्वर ले गया सो वा के भलेके लिये और मेरे भी भलेके लिये। इसलिये वा का वियोग मुझे दु:ख देनेवाला नहीं होना चाहीये।

इस वास्ते विद्याके मृत्युसे तुमारे दु:ख मानना पाप समझो।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२८९. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

२५ अक्तूबर, १९४४

प्रिय सर तेज,

कायदे-आजम जिन्ना और मेरे बीच हुई वार्ताके[1] भंग होने पर अखबारोंमें प्रकाशित टिप्पणियोंकी कतरनें देखने से पता चलता है कि ज्यादातर आलोचनाएँ अनुपयोगी हैं और कुछ मामलोंमें तो खेदजनक हैं। इन परिस्थितियोंमें यदि कोई प्रातिनिधिक सम्मेलन किया जाये, तो शायद वह लाभजनक सिद्ध हो। किसी भी हालतमें उससे कोई नुकसान तो नहीं ही होगा। इस मामलेमें पहल करने के लिए आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति और कोई नही है।[2] इस सम्मेलनका

१. यह वार्ता ९ सितम्बर से २७ सितम्बर, १९४४ तक चली थी।

२. १४ अक्तूबर, १९४४ के अपने पत्रमें तेज बहादुर सप्रूने गांधीजीको लिखा था: “श्रीमती पण्डितने आपका सन्देश दिया, जिसमें आपने मेरे द्वारा एक सम्मेलन बुलाने की सम्भावनाका जिक्र किया है। मैं एक लम्बे अर्सेसे इसके बारेमें सोचता रहा हूँ और मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि इस प्रकारका सम्मेलन बुलाने का न केवल मुझे कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इस प्रकारके सम्मेलनसे कोई लाभ भी नहीं होगा। पहली बात तो यही है कि मुझे इसमें सन्देह है कि श्री जिन्ना अथवा हिन्दू सभावाले इसमें कोई रुचि दिखायेंगे, क्योंकि वे मुझे यह कहकर आसानीसे टाल सकते हैं कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है और मेरे पीछे कोई पार्टी नहीं है। दूसरी बात यह है—और यह ज्यादा महत्त्वपूर्ण है — कि मुझे भय है कि इस प्रकारके सम्मेलनसे कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ लोग दलगत-भावनासे प्रेरित होंगे, और इस बातसे डरेंगे कि कोई स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने पर उनके पार्टीवाले उनकी आलोचना करेंगे। वास्तवमें मुझे तो भय है कि

काम उपर्युक्त पत्र-व्यवहारके प्रकाशमें पाकिस्तानके सवालपर विचार-भर करना होना चाहिए।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर तेज बहादुर सप्रू
१९, अल्बर्ट रोड
इलाहाबाद

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स; सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता। जी० एन० ७५७४ से भी

२९०. पत्र : रावजीभाई मणिभाई पटेलको

सेवाग्राम
२५ अक्तूबर, १९४४

चि० रावजीभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। 'साधना' के बारेमें, मैंने जो सुझाव दिया है वैसा करो। वालजीभाई[2] यहीं है। वे भी कहते है कि 'इंडियन ओपिनियन' के साथ उन्होंने सब मिला लिया है। इसलिए मेरी सूचना तो ठीक ही होनी चाहिए। मेरी निजी सेवा तो तुम नहीं कर पाओगे। इसके अतिरिक्त, उपवासकी तलवार सिरपर झूल रही है। आश्रम बिखरा-बिखरा-सा हो रहा है। इसलिए बारैया लोगोंमें[3] काम करो, यही मैं उत्तम मानता हूँ। शिक्षाके बारेमें तुम जो कहते हो वह समझमें आता है। अतएव इस समय जो शिक्षा है वे वही शिक्षा ग्रहण करें।

बापूके आशीर्वाद

रावजीभाई म० पटेल
नडियाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

हमारे मतभेद वहाँ खुलकर सामने आ जायेंगे। यही कारण है कि मैं सोचता हूँ कि यदि आप और श्री जिन्ना ऐसी कोई समिति नियुक्त कर सकते हों, और वह समिति कोई रिपोर्ट पेश कर सके, तो उस अवस्थामें एक ज्यादा बड़े सम्मेलनके लिए राह तैयार हो सकती है। इसलिए मेरी निश्चित राय है कि इस समय कोई सम्मेलन नहीं बुलाया जाना चाहिए।"

१. गांधीजी का यह पत्र पाने के बाद सप्रूने उत्तरमें २९ अक्तूबरको उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने की भरसक कोशिश करने का आश्वासन दिया।

२. वालजी गो० देसाई

३. गुजरातकी एक जाति

२९१. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२५ अक्तूबर, १९४४

शारीरिक काम ज्यादा करो। पढने का पढाने का अवश्य करो। लेकिन तकली, चर्खापर खूब काम करो। भाजी साफ करो। आश्रमके काममें हिस्सा लो और सब काम करने में ईश्वरके दर्शन करो। क्योंकि ईश्वर सबमें भरा है।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२९२. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२६ अक्तूबर, १९४४

कलके अनुभवसे सीखो कि अकेले कहीं नहीं जाना।[1] किसीको साथ ले जाना। भले कोई लडकाको, बेबीको ही और खूब शारीरिक काममें लग जाओ। रोना खराब चीज है। नन्दिनी[2] जैसे हसती है ऐसे हसा करो।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२९३. बातचीत : मृदुला साराभाईके साथ[3]

सेवाग्राम
२६ अक्तूबर, १९४४

इस देशमें तथा विश्वमें व्याप्त अन्याय, शोषण तथा असत्यकी असह्य शक्तियोंके कारण मेरा दम घुटा जा रहा है। सरकार झूठपर टिकी हुई है, लेकिन हम लोगोंमें भी ऐसे लोगोंकी संख्या कम नहीं है जो इस झूठपर जिन्दा है और जिन्होंने अन्याय

१. आनन्द हिंगोरानी जब सायं अकेले घूमने गये तो विद्याकी याद करके रो पड़े थे।

२. मोहनलाल मैंथरकी पुत्री

३. इसकी गुजराती रिपोर्ट मृदुला साराभाईने समाचारपत्रोंको जारी की थी, परन्तु बादमें यह पता चलने पर कि गांधीजी का इस विषयमें एक वक्तव्य देने का इरादा है, वह उन्होंने वापस ले ली थी। परन्तु वह वक्तव्य उपलब्ध नहीं है। इंटेलिजेन्स ब्यूरोके उप-निदेशकने होम डिपार्टमेंटको इसका अनुवाद भेजते हुए लिखा था : "ये टिप्पणियाँ दिलचस्प हैं, क्योंकि इनसे इस बातकी कुछ झलक मिलती है कि गांधीजी का दिमाग किस तरह काम कर रहा है।"

एवं शोषणको अपना जीवन-सिद्धान्त बना लिया है। इन बातोंके रहते जीवनके उत्तम तत्त्व बिलकुल दब गये हैं और वे निस्सहाय लगते हैं। नैतिकतापूर्ण जनमत-जैसी कोई चीज तो रह ही नहीं गई है।

एक ओर तो संगठित हिंसा अभूतपूर्व पैमानेपर कार्यान्वित हो रही है, और दूसरी ओर मैंने यह दावा किया है कि अहिंसामें चाहे जितनी सुसंगठित और सामूहिक हिंसासे टक्कर लेने की शक्ति है। सवाल है कि दावेको कैसे पूरा किया जाये। भारतमें तथा विश्वमें बहुत-से उत्तम तत्त्व हैं, लेकिन उन्हें जाग्रत कैसे किया जाये? यह कार्य कैसे किया जा सकता है? सत्याग्रहका अन्तिम सहारा उपवास ही है। जब लोगोंसे कुछ करवाया न जा सके, तब अकेले सत्याग्रहीको यह अधिकार है कि वह इस अन्तिम उपायका सहारा ले। यदि मेरा उपवास हुआ तो यह सम्भव है कि दुनियाके सामने वह शोषित मानवताकी फरियाद हो।

जिन्हें इस व्यापक असत्यके विरोधमें जन-आन्दोलनकी सम्भावना दिखाई देती है, वे ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन जो ऐसा करे, उन्हें उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं उसके लिए अपना आशीर्वाद नहीं दे सकता। आज परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल नहीं हैं। इसके अलावा, जनतामें रोष है, अतः जन-आन्दोलनसे हिंसा पैदा हो जायेगी। हमारी थोड़ी-सी हिंसाका सामना सरकारकी सौ गुनी हिंसासे होगा। हमें उनसे दयापूर्ण व्यवहारकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसके मूक दर्शक बने रहें, अथवा हमें उसे सहन करते रहना चाहिए। जो लोग वर्तमान स्थितिको उत्पीड़क समझते हैं और यह पाते हैं कि कानूनसे अन्याय तथा शोषणको बढ़ावा मिल रहा है तथा व्यक्तिको उसकी स्वतन्त्रतासे वंचित किया जा रहा है, वे निश्चित रूपसे सत्याग्रहका सहारा ले सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सत्याग्रह व्यक्तिगत रूपसे होना चाहिए और उसमें नम्रताका अभाव नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह केवल पूर्ण अहिंसासे ही किया जा सकता है। उसमें भारी शक्ति निहित है। यदि एक करोड़ लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करें तो सरकार घबरा जायेगी। तब सरकार या तो बेबस हो जायेगी अथवा वह बन्दूकके इस्तेमालका सहारा लेगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जा सकता है, ऐसा कहने के बाद आप चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। सत्याग्रह करना तो कर्त्तव्य हो जाता है। यदि जनतामें कोई दम है तो वह अपनी आँखोंके समक्ष होनेवाली लूट-मारका विरोध कर सकती है। एक करोड़ लोगोंकी बातको छोड़ो, यदि एक स्थानके सभी (स्थानीय) लोग ऐसा करें तो वह भी काफी है।

यदि व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वीकार नहीं किया जाता है, तो आजकल फैले असत्य का किसी अन्य तरीकेसे विरोध होना चाहिए। आज हमारे ही लोग जनताको अनाजसे वंचित कर रहे हैं। यदि वे ऐसा न करें तो लोग भूखे नहीं मरेंगे। अन्न पैदा करनेवाले किसानको अनाज होते हुए भी खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं है, अन्यथा उसका उपाय निकाला जा सकता था। यह स्थिति भयावह है। मैं अपने लोगोंका इस प्रकारका व्यवहार और जनताकी भुखमरीकी

कीमतपर विशाल धन-दौलत एकत्र करना बर्दाश्त नही कर सकता। यदि हम अपने लोगोंको असत्य और ठगीसे मुक्त करा सकें तो सरकारका झूठ नही चल पायेगा। हम सर्वत्र फैले भ्रष्टाचारको दूर करें। सरकारमें तो यह पहलेसे ही है, लेकिन यह उन बिचौलियोंमें भी बहुत ज्यादा बढ गया है जिनकी आजीविका दलाली है। यदि ये लोग खुद ही सुधर जायें तो दूसरे भी ऐसा करेंगे। आज हिंसाकी शृंखला इसी प्रकार बनी हुई है। हमें इसके खिलाफ अहिंसापूर्वक कार्य करना है। उपवास अहिंसाका अन्तिम शस्त्र है।

भ्रष्टाचार सरकार तथा अन्य क्षेत्रोंमें दोनों ही जगह व्याप्त है। अगर गैर-सरकारी क्षेत्रोंमें भ्रष्टाचार बन्द हो जाये तो सरकारी भ्रष्टाचार चल ही नहीं पायेगा। अहिंसाको अच्छे तत्त्वोंको एक करना है। हिंसा दुष्ट तत्त्वोंको एक करती है। यह हिंसाका पहला प्रदर्शन है।

दूसरा अस्पृश्यता है। हिन्दू-धर्मको यह समझना होगा कि अस्पृश्यता एक पाप है। अगर अस्पृश्यता टिकी रही तो हिन्दू-धर्म जीवित नही रहेगा। यदि अस्पृश्यता दूर कर दी गई तो हिन्दू-धर्म सुरक्षित रहेगा। अस्पृश्यता-निवारणमें और भाई-चारेके साथ रहने में सरकार दखलन्दाजी नहीं कर सकती।

हिंसाका तीसरा प्रदर्शन साम्प्रदायिक कटुता है। राजनीतिक समझौता हो सकता है और नही भी हो सकता। जबतक वर्तमान सरकार कायम है, वह सम्भव नहीं होगा। समझौता करने ही नही दिया जायेगा। लेकिन हम आपसमें अच्छे सम्बन्ध तो बढ़ा ही सकते हैं। जो बातें हमारे हाथमें हैं उनके बारेमें हमें शिकायतका कोई मौका नहीं देना चाहिए। इलाहाबाद नगरपालिकाके कांग्रेसियोंके व्यवहारसे मुझे बहुत दुःख हुआ है। संक्षेपमें, हमें अस्पृश्यता-निवारणके लिए और साम्प्रदायिक एकता कायम करने के लिए आपसमें अच्छे सम्बन्ध विकसित करने चाहिए। ऐसे प्रयासोंमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

रचनात्मक कार्यक्रमके सम्बन्धमें दिये गये पिछले सुझावोंके बारेमें पूरक टिप्पणी को देखो और उनपर विचार करो। हर बार छोटी-छोटी बातोंके लिए मेरा मुँह देखने का अर्थ यह है कि तुम अपनी बुद्धि प्रयोगमें लाना नहीं चाहती। हर आदमीको अपना मार्ग-दर्शक होना चाहिए। यदि तुमसे भूल हो जाती है तो कोई बात नहीं। मैं भूल बता दूँगा। तुम उसे सुधार लेना और उसे परिशोधन माना जायेगा। गलतियाँ करते हुए ही हमें सच्चा मार्ग प्राप्त होगा। इसका यह अर्थ नही है कि मैं तुम्हारा मार्ग-दर्शन नहीं करूँगा। जबतक मैं ऐसा कर सकता हूँ, करता रहूँगा।

जब गांधीजी से यह अनुरोध किया गया कि वे जनताको अपने मनमें उमड़ती वे सब बातें बता दें जिससे कि उन्हें कष्ट हो रहा है और तबतकके लिए अपना उपवास स्थगित रखें, तो उन्होंने कहा:

मैं उपवास करने की जल्दीमें नहीं हूँ और न उसके लिए इच्छुक ही हूँ। लेकिन मेरा खयाल है कि मुझे उपवास करना होगा। उपवासका समय या उसकी अवधि मुझे

मालूम नहीं है। मैं उस विचारको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतमें तथा विश्वमें चल रही भयानक लूट-मार और असत्यका एक मूक दर्शक-मात्र मैं कैसे रह सकता हूँ? तब, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जन-सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए? अथवा क्रान्ति? वह सम्भव है। मैं क्रान्ति करवा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। उसमें अहिंसा नहीं रह सकती। मैं वह खतरा नहीं उठाऊँगा। उसके लिए वातावरण नहीं है। यह मुझे पहले ही दिखाई दे रहा है। अत. सत्याग्रहीके लिए एक ही हथियार शेष है और वह है उपवास। यदि मैं उसके द्वारा अपनी शक्तियाँ सचालित कर सका तो मैं ऐसा करूँगा। लेकिन अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। उपवासके इस प्रश्नपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हर वार निर्णय हो जाने के बाद ही जनताको मालूम हुआ है। इस वार मैं यह प्रश्न अपने साथियोके समक्ष चर्चाके लिए और अच्छी तरह सोचने-विचारने के लिए रख रहा हूँ और अब इसकी घोषणा सारे देशके सम्मुख हो चुकी है। यदि मेरे साथी तथा जनता चाहे तो वे इसके कारणोंको कम करके उसे रोकने में अपना योगदान कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
फाइल संख्या ५१/४/८४ से। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

२९४. बातचीत : हिन्दुस्तानी तालीमी संघके प्रतिनिधियोंके साथ

सेवाग्राम
[२७ अक्तूबर, १९४४ के पूर्व][1]

पहला सवाल इस सुझावको लेकर उठा कि न्यास-पत्रमें "बुनियादी शिक्षा" शब्द शामिल कर दिया जाये, ताकि यह बात सभी सम्बन्धित लोगोंपर स्पष्ट हो जाये कि निधिके[2] अन्तर्गत जिस प्रकारकी शिक्षाका विचार किया गया है वह केवल बुनियादी ढंगकी ही होगी। गांधीजी ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे न्यासियोंके ऊपर किसी प्रकारका बन्धन लगाना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि यदि कोई इकाई बुनियादी शिक्षाको नहीं अपनाना चाहती तो वे उसे मण्डल द्वारा स्वीकृत अन्य किसी प्रकारकी प्रणाली अपनाने की छूट देना चाहेंगे।

लेकिन तालीमी संघको इस बातका भरोसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसकी प्रणालीसे बेहतर प्रणाली नहीं खोज सकेगा।

[उन्होंने आगे कहा :] बुनियादी शिक्षा अपने आन्तरिक गुणोंके कारण आगे बढ़ेगी। मैं जानता हूँ कि केवल बहस-मुबाहिसेसे सुधार नहीं आयेगा। वह तो प्रत्यक्ष

१. दिनांक "वर्धा, २७ अक्तूबर, १९४४" के अन्तर्गत प्रकाशित इस रिपोर्टमें इस बातचीतको "हाल में" हुई बताया गया था।
२. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि

उदाहरण पेश करने से ही आयेगा। यदि आप अपने प्रयोगको एक भी गाँवमें सफलतापूर्वक चलाकर दिखा सकें तो समझिए कि आधी लड़ाई जीत ली। अतः मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ने में ही सन्तुष्ट हूँ। इतना ही काफी है कि न्यासियोंने यह बात स्वीकार कर ली है कि निधिका पैसा गाँवोंकी ही स्त्रियों और बच्चोंकी शिक्षा और उनके कल्याण-कार्यपर ही खर्च किया जायेगा।

आपका काम मुख्यतया औरतोंके बीच होगा। मेरे मनमें हमेशासे स्त्री-जातिकी सेवा करने की ललक रही है। मेरे भारतमें आने के बादसे ही स्त्रियाँ मुझे अपना मित्र और सेवक मानती रही हैं। वे मुझे अपनेमें से ही एक मानती हैं। औरतें जिसे गलतीसे अलंकार समझती हैं, उन जंजीरोंसे उन्हें मुक्त करने के बारेमें मेरे विचार बहुत क्रान्तिकारी हैं। यदि ईश्वरने चाहा तो मैं आशा करता हूँ कि अपना शोध-कार्य समाप्त होने के बाद मैं अपने कुछ निष्कर्ष जनताके सामने रखूँगा। अनुभवों ने मेरे इस विचारकी पुष्टि की है कि स्त्रियोंकी सच्ची प्रगति केवल उनके अपने प्रयत्नोंसे ही हो सकती है। इसलिए मैं उत्सुक हूँ कि न्यासके अन्तर्गत ज्यादासे-ज्यादा महिला कार्यकर्त्ताओंको तालीमी संघका कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

तालीमी संघका दूसरा सुझाव यह था कि योजनाके अन्तर्गत आनेवाले लड़कोंकी उम्र ७ वर्षसे बढ़ाकर १२ वर्ष कर दी जाये।

महात्मा गांधीने स्पष्ट किया कि लड़कोंकी उम्र १२ वर्षसे घटाकर ७ वर्ष करने के लिए वे क्यों सहमत हो गये थे। उन्होंने कहा कि मेरे ध्यानमें यह बात लाई गई कि यदि लड़कों और लड़कियों, दोनोंके लिए शिक्षाकी समान सुविधाएँ होंगी तो माताएँ लड़कोंको तो स्कूल भेजेंगी लेकिन लड़कियोंको नहीं भेजेंगी, क्योंकि वे उन्हें घरके काम-काजसे छुट्टी देना पसन्द नहीं करेंगी। नतीजा यह होगा कि लड़कोंको अनुपातसे ज्यादा लाभ पहुँचेगा और लड़कियाँ उससे वंचित रह जायेंगी। लेकिन यदि किसी जगह लड़कियाँ काफी संख्यामें आगे नहीं आतीं तो वहाँ आप ७ वर्षसे ऊपरके लड़के भी ले सकते हैं, लेकिन इस शर्तपर कि जब लड़कियाँ आने लगें तो उन लड़कोंको उनके लिए जगह देनी होगी और शिक्षाके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। उद्देश्य यह नहीं है कि ७ सालसे अधिक उम्रके लड़कोंको बाहर रखा जाये, बल्कि यह है कि लड़के स्मारक निधिके ऊपर भार न बनने पायें। तालीमी संघको उस निधिमेंसे कुछ नहीं लेना चाहिए जो औरतोंके लिए अलग रखी गई है। मुझे तो सिर्फ इसी बातसे मतलब है कि कस्तूरबा निधिका पैसा लड़कियोंको नुकसान पहुँचाकर ७ वर्षसे ऊपरके लड़कोंपर न खर्च किया जाये।

किसीने पूछा कि "यदि लड़के और लड़कियाँ, दोनोंके लिए पर्याप्त जगह न हो तो वैसी दशामें क्या लड़कियोंके लिए अलग बुनियादी स्कूल खोलना उचित नहीं होगा?" महात्मा गांधीने जवाब दिया कि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मान लीजिए कि करोड़ों लड़के हमारे पास शिक्षाके लिए आते हैं, तो क्या हम स्थानाभावके कारण उन्हें शिक्षा देने से मना कर देंगे? मैं आपसे कहता हूँ कि

मैं मना नहीं करूँगा। यदि जरूरी होगा तो मैं उन्हे पेड़की छायामें बिठा दूंगा, उनके हाथोंमे बांसकी तकलियां थमा दूंगा, और सीधे इन्हीके जरिये उन्हे शिक्षा देना आरम्भ कर दूंगा।

प्रौढ़ शिक्षाके बारेमें गांधीजी ने कहा कि मेरे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि बुनियादी शिक्षाका क्षेत्र और बढ़ाना होगा। इसमे हर व्यक्तिको जीवनके हर स्तरपर शिक्षा देना शामिल होना चाहिए।[1]

बुनियादी स्कूलके अध्यापकको चाहिए कि वह अपने-आपको सबका अध्यापक समझे। किसी भी व्यक्तिके, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जवान हो या बूढ़ा, सम्पर्कमें आते ही उसे अपने-आपसे सवाल करना चाहिए कि "मैं इस व्यक्तिको क्या दे सकता हूँ?"

क्या यह उसके लिए कर्त्तव्यका अतिरेक नहीं होगा?

नहीं। मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे बूढ़े आदमीसे मिलूं जो गन्दा और नादान है। उसका गांव ही उसकी दुनिया है। उस हालतमे मेरा यह कर्त्तव्य होगा कि मैं उसे सफाई सिखाऊँ, उसका अज्ञान दूर करूँ, और उसका मानसिक क्षितिज विस्तृत करूँ। मुझे उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उसका शिक्षक हूँ। मैं उसके मनके साथ जीवन्त सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश करूँगा और उसका विश्वास प्राप्त कर लूंगा। वह मेरी दोस्तीके हाथको अस्वीकार कर सकता है। मैं हार नही मानूंगा, बल्कि जबतक उसे दोस्त नहीं बना लेता तबतक अपनी कोशिश जारी रखूंगा। एक बार ऐसा हो जाये तो बाकी सब चीजे अपने-आप हो जायेंगी।

फिर, मुझे बच्चेके जन्मके समयसे ही उसपर निगाह रखनी चाहिए। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहूंगा कि शिक्षाशास्त्रीका काम तो उससे भी पहले शुरू हो जाता है। उदाहरणके लिए जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो आशा देवीको उसके पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए: "मैं भी एक माँ हूँ, जैसी कि तुम होनेवाली हो। मैं तुम्हे अपने अनुभवसे बता सकती हूँ कि अपने अजन्मे बच्चेके और स्वयं अपने स्वास्थ्यके लिए तुम्हे क्या करना चाहिए।" वे उस औरतके पतिको बतायेंगी कि उसका अपनी पत्नीके प्रति क्या कर्त्तव्य है और होनेवाले बच्चेकी देख-भालमें उसका क्या योगदान है। इस तरह बुनियादी स्कूलका शिक्षक सारे जीवनको शिक्षाके दायरेमे समझेगा। स्वभावतः उसके कार्यमे प्रौढ शिक्षा भी शामिल होगी।

बहुत-से स्थानोंपर प्रौढ़ शिक्षाके लिए कुछ काम किया जा रहा है। ज्यादातर काम मिल-मजदूरों आदिके बीच बड़े-बड़े शहरोंमे ही किया जा रहा है। गाँवोंको

१. इससे पहले एक मित्रसे बातचीत करते हुए गांधीजी ने कहा था कि नजरबन्दीके दौरान मैं नई शिक्षाकी सम्भावनाओंपर विचार करता रहा हूँ। मेरा मन उद्विग्न हो उठा है। उन्होंने कहा: "हमें अपनी वर्तमान उपलब्धियोंसे ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें बच्चोंके घरोंमें प्रवेश करना चाहिए, हमें उनके माता-पिताओंको शिक्षा देनी चाहिए; बुनियादी शिक्षा सचमुच जीवन-भरकी शिक्षा बन जानी चाहिए।"

सचमुच किसीने नहीं छुआ है। केवल पढ़ना-लिखना और हिसाब जोड़ना सिखाने और राजनीतिके बारेमें व्याख्यानोंसे ही मुझे सन्तोष नहीं होगा। मेरी कल्पनाकी प्रौढ़ शिक्षाको स्त्री-पुरुषोंको हर दृष्टिसे बेहतर नागरिक बनाना होगा। प्रौढ़ शिक्षाका पाठ्यक्रम तैयार करना और इसका संगठन करना बच्चोंके लिए सात-साला पाठ्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा ज्यादा कठिन काम है। दोनों पाठ्यक्रमोंकी मुख्य और समान बात यह होगी कि शिक्षा ग्रामीण दस्तकारीके जरिये दी जायेगी। बुनियादी शिक्षाके अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षामें खेतीबाड़ीकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए। मौखिक रूपसे बहुत-सी जानकारी दी जायेगी। किताबें होंगी, लेकिन वे छात्रोंकी अपेक्षा शिक्षकोंके लिए ही ज्यादा होंगी। बहुसंख्यक लोगोंको अल्पसंख्यकोंके प्रति और अल्पसंख्यकोंको बहुसंख्यकोंके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए — यह हमें उन्हें सिखाना होगा। सही किस्मकी प्रौढ़ शिक्षा आसपासके लोगोंके साथ मिल-जुलकर रहने की शिक्षा देगी और अस्पृश्यता तथा साम्प्रदायिक समस्याकी जड़पर प्रहार करेगी।

किस स्थानपर किस उद्योगकी मार्फत शिक्षा दी जाये, इसका निश्चय प्रत्येक स्थानकी स्थानीय दशाके आधारपर किया जायेगा। उदाहरणके लिए, किसी गाँव के लोग आपसे कह सकते हैं कि वे खेती-बाड़ीमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उन्हें चरखेमें दिलचस्पी नहीं है। उस हालतमें आप खेती-बाड़ीको शिक्षाका माध्यम चुनेंगे। आप उस गाँवके मवेशीकी गणना करके शिक्षाकी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरणके लिए, मैं देखता हूँ कि सेवाग्राममें लगभग हरएकके पास एक बैल और एक बैलगाड़ी है। यह फिजूलखर्ची लगती है। गाँववालोंको परस्पर सहयोग करना सिखाना चाहिए। फिर, हमें स्त्री-पुरुषके सम्बन्धके सही सिद्धान्त उन्हें सिखाने चाहिए। एक जैसा काम करने पर भी पुरुषोंको स्त्रियोंके मुकाबले लगभग दुगुनी मजदूरी मिलती है। कभी मर्द तो घरमें निठल्ले बैठकर तम्बाकू पीते हैं और स्त्रियाँ सारा दिन खटती रहती हैं। लोगोंको समझाना चाहिए कि यह बात बिलकुल गलत है, और यह खत्म होनी चाहिए। यदि आप मुझसे सहमत हैं कि बुनियादी शिक्षाका क्षेत्र और विस्तृत किया जाना चाहिए, तो आपको शायद अपना संविधान बदलना होगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २९-१०-१९४४

२९५. पत्र : मुन्नालाल गंगादास शाहको

२७ अक्तूबर, १९४४

मैं किसीको निकम्मा नहीं मानता। सबने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार काम किया है और उससे मुझे सन्तोष है। लेकिन मेरा माप जरा बड़ा है, और उसके अनुसार न तो तुममें से कोई उतरा और न मैं उतरा हूँ। कल जो मैंने कहा था, उसपर मैं कायम हूँ। तुम रसोईघरको आदर्श बनाओ। उसमें कंचन[1] यदि हार्दिक सहयोग दे सके, तभी उसे लेना, नहीं तो वह निरुत्साहित हो जायेगी। यदि वह सहयोग दे तो तुम दोनों अथवा फिर जिसे तुम पसन्द करो उसे लेकर मूक भावसे काम किये जाओ। मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछते रहना। प्रत्येकका काम व्यवस्थित हो जाना चाहिए और उसकी मुझे सूचना देनी चाहिए। जो लोग यहाँके ग्रामीण जीवनमें घुल-मिल सकें वे ही रहें, बाकीको जहाँ ठीक लगे वहाँ चले जाना चाहिए। उसमें मैं उनकी मदद करूँगा। हमें बाहरसे और भीतरसे सत्यमय हो जाना है, अहिंसक हो जाना है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ५८०६) से। सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

२९६. पत्र : शान्तिकुमार नरोत्तम मोरारजीको

२७ अक्तूबर, १९४४

चि० शान्तिकुमार,

आभाका विवाह दिसम्बरतक रोक रखने में मुझे कई अड़चनें दिखाई देती हैं।[2] अगर मेरे भाग्यमें उपवास करना बदा ही हो तो अच्छा यही होगा कि यह कार्य उसके पहले हो जाये। तुम दोनोंका और माँजीका प्रेम मैं समझ सकता हूँ। लेकिन तुम सब मेरी अड़चन समझ सकोगे। यदि आभाके पिता न आयें अथवा आकर भी कन्यादानका आग्रह न करें, तो तुम और सुमति खुशीसे कन्यादान करना। लेकिन जब तुम इतने निकट आ गये हो (कि वह करने की इच्छा करते हो), तो इतना याद रखो कि तुम्हें आभा और कनुकी सादगीका अनुकरण करना पड़ेगा, अन्यथा

१. मुन्नालाल शाहकी पत्नी

२. देखिए "पत्र: अमृतलाल चटर्जी को", पृ० २३२।

वे भी अपनी सादगी खो बैठेंगे। हम लोगोंकी यह इच्छा तो है ही न कि यह अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्जातीय विवाह प्रत्येक प्रकारसे आदर्श सिद्ध हो?[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८०३) से। सौजन्य: शान्तिकुमार न० मोरारजी

२९७. पत्र: अमृतलाल वि० ठक्करको

सेवाग्राम
२७ अक्तूबर, १९४४

बापा,

बड़े शहरोंके बारेमें तुम्हारा पत्र मिला। प्रधान केन्द्रमें कितने रहेंगे, यह सवाल नहीं है। सवाल उनका उपयोग गाँवोंमें और गाँवोंके लिए करने का है। इसलिए हम ४ तारीखकी बैठकमें इसका निपटारा करेंगे। तबतक धीरज रखो।

बापू

ठक्कर बापा
दिल्ली

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

२९८. पत्र: कृष्णचन्द्रको

सेवाग्राम
२७ अक्तूबर, १९४४

चि० कृ० चं०,

साधनाकी बात तो समजमें आई होगी। मैंने कल जो बात कही उसपर खूब विचार करो। मेरा वचन यह है विचारकी अस्थिरता विचार व्यभिचार है वह ब्रह्मचर्या न कही जाय। युवावस्थामें ऐसे हुआ करता है लेकिन जो ब्रह्मचारी होना चाहता है वह दिन प्रति दिन स्थिर होता चलेगा। इस ख्यालकी चर्चा बालगोवासे[2]

१. अन्तमें शान्तिकुमार मोरारजी और उनकी पत्नीने मामाका कन्यादान किया था और रविशंकर महाराज पुरोहित बने थे।

२. बालकृष्ण भावे

करो अथवा अंतर्मुख होकर निर्णय करो। कलकी मु० की फेहरिस्तमें था कि शायद तुम दोनों यू० पी० की देहातमें जाना पसंद करोगे। यदि यह निर्णय करोगे तो मेरे आशीर्वाद मिलेंगे। यहां रहो तो विचारपूर्वक समझबूझकर सेवाकार्य पसंद करके रहो। जो कुछ हो निश्चय करो।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४४९) से

२९९. पत्र : बलवन्तसिंहको

२७ अक्तूबर, १९४४

चि० बलवन्तसिंह,

तुम्हारा खत मिला। अुसमें तुमने बुद्धिका बल नहीं बताया है। खादी-विद्यालय आदि लाकर मैंने बिगाडा नहीं है। मेरी ही बनाअी हुअी संस्थाओंको मेरे नजदीकमें ही कार्य करना था। अगर अुनके सब सेवक अेक कुटुम्ब होकर न रह सकें तो दोष किसका? मेरा? हो सकता है कि दोष देखनेवाले का? मैंने समझ-बूझकर साबरमती सत्याग्रह आश्रमका परिवर्तन किया। मेरा विश्वास है कि सच्चे होकर हमने कुछ भी गंवाया नहीं है। आज जो मंथन हुआ अुसमें भी कुछ हानि नहीं हुअी है। इस हम सोते थे, जागते हुअे।

कल जो हुआ अुसका नतीजा यह है कि हम अैसे ही रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। जो बाहर जाकर ज्यादा सेवा कर सकते हैं उन्हें जाना ही चाहिये। मेरे कार्य और परिवर्तनको जो न समझ सके, वे मेरे सान्निध्यसे क्या लाभ अुठा सकते हैं? फायर बकेट बनो तब तो मूक हो जाओ, नर्म बनो, सबको आश्वासनरूप बनो और यह सब समझकर बनो। संस्कृत अभ्यास बराबर करो। प्रथम कार्य तुम्हारा यह है कि तुम्हारे खतमें जो विचारदोष है अुसे दुरस्त करना। किशोरलालसे मशविरा करो। मेरे साथ संवाद करना है तो समय मांगो।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९४७) से

३००. पत्र : डी० डी० साठयेको

सेवाग्राम
२७ अक्तूबर, १९४४

भाई साठ्ये,

आपने ग्राम रचनाके बारेमें जो लेख दिये थे मैं बरोबर पढ़ गया। उसमें मैं अनुभवका अभाव पाता हूं। जो सूक्ष्मता आंखकी पुस्तकमें मिलती है वह इस रचनामें नहीं पाता, लेकिन आंख सुधारसे ग्रामसुधार तो बहुत ज्यादा अभ्यास और सूक्ष्मताकी अपेक्षा रखता है।

आपका,
मो० क० गांधी

डी० डी० साठ्ये
३९, पेड्डर रोड
कम्बाला हिल
बम्बई

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३०१. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२७ अक्तूबर, १९४४

मैंने सोचा है कि तुमारे हालमें तो यही रहकर बहिर्मुख होना है। जब विद्या को भूलोगे तब विद्याको न्याय मिलेगा और तुम्हारा सच्चा प्रेम प्रगट होगा। तुमारे कानके साथ तुमारे मनका संबंध है। जब सारा दिन सेवा कार्यमें जायगा तब कान शायद खुलेगा। आश्रमकी सब प्रवृत्तिमें रस लो और सबसे मिलो।

बापु

[पुनश्च :]

अमीनका परिचय करो।

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

३०२. पत्र : शान्तिकुमार नरोत्तम मोरारजीको

सेवाग्राम
२८ अक्तूबर, १९४४

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हें तार किया था, मिला होगा।[1] भाई अमृतलाल, उनकी पुत्री और छोटा पुत्र आ गये हैं। पूरा कुटुम्ब प्रसन्न है। अमृतलाल कहता है कि तुम खुशीसे कन्यादान करो। अतः सब-कुछ आसान हो गया है। तुम्हारे, जहांगीरजी[2] और जिसे तुम लाओगे, सबके लिए यही गुंजाइश निकल आयेगी। माँजीको तकलीफ मत देना। उनका ऑपरेशन करा लेना। उनके आशीर्वाद ही काफी होंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८०४) से। सौजन्य : शान्तिकुमार न० मोरारजी

३०३. पत्र : गोकुल भट्टको

सेवाग्राम
२८ अक्तूबर, १९४४

किशोरलालके नाम तुम्हारा पत्र पढ़ा। अपने पत्रमें मैंने तुम्हें निमन्त्रित किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। ऐसा लिखा होगा कि तुम्हारी मर्जी हो तो आ जाना। सम्भव है, यह भी लिखा हो कि अपने राज्यके मामलेसे तो तुम खुद ही निपट लो। जिस चीजको मैंने अपनी आँखों नहीं देखा हो उसके बारेमें निश्चयपूर्वक कुछ करते मुझे बुरा लगेगा। अब अगर मर्जी हो और जरूरत महसूस हो तो आ जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. यह उपलब्ध नहीं है।
२. जहाँगीर पटेल

३०४. पत्र : मृदुला साराभाईको

२८ अक्तूबर, १९४४

चि० मृदु,

तुझे वे पत्र नहीं भेज रहा हूँ। देखता हूँ, वे छप नहीं सकते। ज्यादा तेरे आने पर।

बापूके आशीर्वाद

[मृदुला] साराभाई
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३०५. पत्र : विजयलक्ष्मी पण्डितको

२८ अक्तूबर, १९४४

चि० सरूप,

तेरा खत मिला। मैं दुबारा लेख पढ़ गया। मैं तो उसे अच्छा मानता हूं। लेकिन तू मुझे एक नमूना भेज दे तो मैं समजूंगा तू क्या चाहती है, ऐसा जवाहरलालसे मैंने करवाया था। शायद तू जानती भी होगी।

बापुके आशीर्वाद

२, मुखर्जी रोड
इलाहाबाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३०६. वक्तव्य : प्रस्तावित उपवासके बारेमें[1]

२९ अक्तूबर, १९४४

दुनियामें अन्याय, शोषण और असत्यका बोलबाला है, और वह दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखकर मेरा मन बहुत दुःखी है। इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि दुनिया-भरमें भले और अच्छे तत्त्वोंको जगाया जाये। इसका तरीका सामूहिक सविनय अवज्ञा है, लेकिन आज वह सम्भव नहीं है। इस बातकी बहुत सम्भावना है कि ऐसी किसी सामूहिक कार्रवाईकी परिणति हिंसामें हो जाये। अगर हम इतना कर सकें कि गैर-सरकारी स्तरपर असत्य और अन्याय न हो तो सरकारी स्तरपर भी असत्य और अन्याय समाप्त हो जायेंगे। मुझे लगता है कि उपवास द्वारा मुझे तपश्चर्या करनी चाहिए।

मुझसे कहा जा रहा है कि मैं उपवास न करूँ। मुझे नहीं पता कि उपवास कब होगा और कितने दिनोंका होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उपवास न करूँ, इसका उपाय जनताके हाथोंमें है। मैं शोषण, अन्याय और असत्यका विनाश चाहता हूँ। यदि इनको नष्ट कर दिया जाये, तो मेरे उपवासकी जरूरत नहीं रहेगी।

सत्याग्रहीके नाते मैं इन चीजोंको मौन दर्शकके रूपमें नहीं देख सकता। क्रान्ति अथवा सामूहिक सविनय अवज्ञा सम्भव नहीं है। ऐसी हालतमें मुझे उपवासके जरिये अहिंसाके अपने पहियोंके सहारे आगे बढ़ना होगा।

आज मैंने अपने विचार किसी व्यक्तिको बताये हैं। मैं उन्हें सारे देशके सामने प्रकट कर रहा हूँ। मैं जो काम करने का इरादा रखता हूँ, लोग उसमें अपना योग दे सकते है।

मैं लोगोंको भूखा मरते नहीं देख सकता। उनके अधिकार दूसरे छीन रहे हैं। किसीको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें असत्य और बदमाशीसे बचना चाहिए। हम विचौलियोंका काम करनेवाले लोगोंको सुधार सकते हैं और इस प्रकार लोगोंके बोझको कम कर सकते हैं। शोषणकी कार्रवाइयाँ पूरे जोरपर हैं और असह्य हो उठी हैं। सरकार अडिग खड़ी है और अपनी स्थिति असत्यकी नींवपर कायम किये हुए है। लेकिन लोगोंके बीच भी अन्याय और शोषणकी नीतिको अनदेखा नहीं किया जा सकता है।[2]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-१०-१९४४

१. साधन-सूत्रके अनुसार गांधीजी ने विभिन्न लोगोंके साथ बातचीतके दौरान जो-कुछ कहा था, यह उसीका सारांश है।

२. गांधीजी के उपवासके बारेमें सेवाग्रामसे जारी किये गये वक्तव्यके लिए देखिए परिशिष्ट १४।

३०७. पत्र : बालकृष्ण भावेको

२९ अक्तूबर, १९४४

चि० बालकृष्ण,

आज बारिश हो रही है, इसलिए उसे रोक लो। सोमवारको छोड़कर श्रीराम[1] १० तारीखके बाद चाहे जब आये।

रामेश्वरदास भले घीकी एजेंसी ले ले, लेकिन शर्त यह है कि उसमें मिलावट बिलकुल नहीं होगी, और वह घी गाय या भैंसके दूधसे बना घी कहकर नहीं बेचा जायेगा, और न ऐसे घीमें मिलावट करने के काम आयेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१३) से

३०८. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२९ अक्तूबर, १९४४

तुम्हारा खत पढ गया। हां, मेरे लेखोंमें से जो निकालना है सो निकालो। यह कार्य अच्छा है लेकिन शारीरिक परिश्रम खूब उठाना चाहीये। विद्याका स्मरण करना और रोना बहूत हानिकर है। वह स्मरण अच्छा है जो आत्माको उंचे चढाता है, जागृत करता है। आत्माका स्वरूप सत् (सत्य) चित् (ज्ञान हृदयसे मिला हूआ, अनुभव सिद्ध) और आनंद है। आनंदमें दोनोंकी परीक्षा है। आनंद भीतरका जो बाहरमें देखने में आता है। अगर यहां शांति न मिले तो अच्छा है। आंध्र देश जल्द जाओ। वहां सत्संग है और चिकित्सा है ऐसा मैं मानता हूं। दोनों न मिले तो वहांसे हट जाना।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. रामेश्वरदास पोद्दारका पुत्र

३०९. भेंट : एन० जी० रंगाको[1]

२९ अक्तूबर, १९४४

प्रो० रंगा : आप कहते हैं कि न्यायकी दृष्टिसे धरती किसानोंकी है या होनी चाहिए।[2] इससे आपका अभिप्राय क्या केवल यह है कि किसान जिस जमीनको जोतता है उस जमीनपर उसका नियन्त्रण होना चाहिए अथवा यह कि वह जिस समाज और राज्यमें रहता है उसमें भी उसकी आवाजका प्रभाव होना चाहिए और उसे सत्ता प्राप्त होनी चाहिए? यदि किसानोंके पास केवल जमीन होगी, किन्तु प्रभावकारी राजनीतिक सत्ता नहीं होगी तो उनकी स्थिति उतनी ही खराब होगी जितनी कि सोवियत रूसमें है। वहाँ राजनीतिक सत्तापर सर्वहारा तानाशाहीने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है, जब कि किसानोंको शुरूमें तो थोड़ी-बहुत भूमिपर स्वत्वाधिकार रखने दिया गया, लेकिन बादमें भूमिके सामूहिकीकरणके नामपर उन्हें जमीनके अधिकारसे वंचित कर दिया गया।

गांधीजी : मुझे नहीं पता कि सोवियत रूसमें क्या हुआ है। लेकिन मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि हमारे यहाँ लोकतान्त्रिक स्वराज्य हुआ — और यदि स्वतन्त्रता अहिंसात्मक तरीकोंसे प्राप्त की जायेगी तो ऐसा होगा ही — तो किसानको सभी स्तरोंपर सत्ता प्राप्त होगी, जिसमें राजनीतिक सत्ता भी शामिल है।

क्या आपके इस कथनका यह अर्थ लगाना सही होगा कि भूमिपर "अनुपस्थित जमींदारका अधिकार नहीं होना चाहिए" और अन्ततः जमींदारी प्रणालीका उन्मूलन करना होगा, बेशक अहिंसात्मक तरीकेसे?

हाँ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मैं एक न्यास-प्रणालीकी कल्पना कर रहा हूँ, जिसका राज्य द्वारा नियमन होगा। दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो मैं अकारण जमींदारोंको (अथवा किसी भी वर्गको) शत्रु नहीं बनाना चाहता।

१. एन० जी० रंगाके साथ हुई इस भेंट और २८ नवम्बर, १९४४को हुई भेंटकी रिपोर्ट प्यारेलालने अखबारोंको इस टिप्पणीके साथ प्रकाशनार्थ दी थी: "जेलसे रिहा होनेके तुरन्त बाद प्रोफेसर रंगाने सेवाग्राममें गांधीजी से भेंट की। उन्होंने गांधीजी के साथ क्रमशः २९ अक्तूबर, १९४४ और २८ नवम्बर, १९४४को दो भेंटें कीं। दोनों पक्षोंमें एक प्रकारका मूक समझौता था कि इस भेंटका विवरण प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन चूँकि इन भेंटोंकी आंशिक रिपोर्ट अखबारोंमें पहले ही छप चुकी है, अतः मैं गांधीजी के निर्देशानुसार इन वार्ताओंका मेरे द्वारा लिखा गया पूरा विवरण अखबारोंको प्रकाशनार्थ जारी कर रहा हूँ।" पहली भेंटमें प्रो० रंगाने गांधीजी को एक लम्बी प्रश्नावली लिखकर दी थी।

२. एन० जी० रंगा द्वारा उद्धृत किये गये गांधीजी के वक्तव्योंके लिए देखिए "रचनात्मक कार्यकर्ताओंके लिए सुझाव", पृ० २३४-३७।

जब आप कहते हैं कि "किसानको इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि जमींदार के लिए उसका शोषण करना असम्भव हो जाये", तो क्या इसमें सत्याग्रह आन्दोलनों और कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारोंके अलावा यह भी शामिल है कि किसान अपने मताधिकार और राजनीतिक प्रभावके प्रयोग द्वारा राज्यको मजबूर करें कि वह उनकी वैयक्तिक और सामूहिक दशाको सुधारे और जमींदारोंकी शक्तियोंको कम करे?

सविनय अवज्ञा और असहयोग उस स्थितिमें प्रयोग किये जानेवाले अस्त्र हैं जब जनताके, अर्थात् भूमि जोतनेवालों के पास कोई राजनीतिक सत्ता न हो। लेकिन उन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद स्वभावतः उनकी शिकायतें, वे किसी भी प्रकारकी हों, वैधानिक तरीकोंसे दूर की जायेंगी।

लेकिन आप शायद कहेंगे कि "हो सकता है, उसे इतनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त न हो।" मेरा उत्तर यह है कि यदि स्वराज्य सारी जनताके प्रयत्नोंके फल-स्वरूप प्राप्त होगा, जैसा कि अहिंसात्मक उपायोंके अधीन होगा ही, तो किसान अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त कर लेंगे और उनकी आवाज सर्वोपरि होगी। किन्तु यदि ऐसा नहीं हुआ और जनता तथा सरकारके बीच सीमित मताधिकारके आधारपर कोई कामचलाऊ समझौता हो गया, तब वैसी स्थितिमें जमीन जोतनेवालों के हितोंकी सावधानीसे रक्षा करनी होगी। यदि विधानमण्डल किसानोंके हितोंकी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होता है, तो किसानोंके पास सविनय अवज्ञा और असहयोगका रामबाण उपचार तो हमेशा रहेगा ही। लेकिन जैसा कि मैंने १९२१में[1] ही चिरला-पेरलाके सम्बन्धमें कहा था, अन्याय और अत्याचारके खिलाफ जनताकी वास्तविक सुरक्षा-दीवार अन्ततः अहिंसात्मक संगठन, अनुशासन और त्यागकी शक्ति है, न कि कागजी कानून या बड़ी-बड़ी बातें अथवा उग्र भाषण।

आपका मतलब है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ मौजूदा किसान संगठनोंका सुधार किया जाना चाहिए। मैं इस बातकी आवश्यकताको स्वीकार करता हूँ कि उन कांग्रेस-जनोंको, जो किसानोंके बीच कार्य करते हैं, किसान वर्गके संगठनोंके सामान्य राज-नीतिक दृष्टिकोणको नई दिशा देनी चाहिए, ताकि वे हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत राजनीतिक नेतृत्वकी आवश्यकताको महसूस कर सकें। मुझे यह भी विश्वास है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस हम सब लोगोंको — विशेष रूपसे किसानोंको — सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र और नेतृत्व प्रदान करती है। लेकिन यदि हम किसानोंको एक 'किसान कांग्रेस' के रूपमें संगठित करें, जो कि कांग्रेसके राजनीतिक नेतृत्वको स्वीकार करती हो, तो क्या इसमें कोई हर्ज है?

बातको इस प्रकार प्रस्तुत करने में शुद्ध आत्म-प्रवंचना भी हो सकती है। जब मैंने कहा कि किसान-सभाओंमें सुधार किया जाना चाहिए, तो मेरा मतलब यह था कि अबतक किसान-सभाओंका संगठन सरकारसे सत्ता छीनने के लिए नहीं, बल्कि

१. साधन-सूत्रमें '१९३२' है; देखिए खण्ड २१, पृ० १६-१८।

कांग्रेस संगठनपर कब्जा करने की नीयतसे किया गया है। यही बात छात्रों और मजदूरोंके संगठनोंपर भी लागू होती है।

आपकी बात आंशिक रूपसे सही है। पहले ऐसा ही था। लेकिन हमने अब इस विचारको बिलकुल त्याग दिया है। १९३८ में[1] जब आपने इस विषयपर अपना वक्तव्य दिया था तभीसे यह विचार बिलकुल छोड़ दिया गया। हमने 'कांग्रेस' शब्दको प्रतिद्वन्द्विताकी भावनासे नहीं अपनाया है, बल्कि इसलिए अपनाया है कि हम अपनेको कांग्रेसके साथ जुड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं। हमारी सदस्यता दोहरी होगी। किसान कांग्रेसका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेसका सदस्य भी होगा।

तो फिर कांग्रेसको ही क्यों न चलायें? एक स्वतन्त्र और समानान्तर संगठन क्यों खड़ा करते हैं? क्या आप यह नहीं देखते कि किसान सभाएँ अगर वास्तविक संगठन हैं तो वे ही कांग्रेस हैं? आज देशकी आबादीका एक छोटा-सा अंश ही कांग्रेसका सदस्य है। कांग्रेसकी आकांक्षा सारे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करने की है। सेवाके अधिकारसे वह उन लोगोंकी ओरसे भी बोलने का दावा करती है जो उसके सदस्य नहीं हैं। जब वह कानूनी रूपमें पूरी तरह एक राष्ट्रीय संस्था बन जायेगी, जैसी कि आज वह नैतिक अधिकारसे है, तब स्वभावतः उसके सदस्योंका बड़ा अंश किसानोंका होगा, और वे कांग्रेसकी नीति निर्धारित करने की स्थितिमें होंगे।

दिक्कत तो यह है कि हमारे कुछ कांग्रेसी सहयोगी सोचते हैं कि हम उन्हें सत्ता और अधिकारकी उनकी न्यायोचित स्थितिसे अपदस्थ करना चाहते हैं। वे शायद हमारे अस्तित्वका स्वागत करने या हमारी ईमानदारीपर विश्वास करने को तैयार न हों। हम कांग्रेसके राजनीतिक नेतृत्वको खुशीसे स्वीकार करके कांग्रेसके अन्दरूनी संघर्षको बचाना चाहते हैं। हम अपने आर्थिक कार्यक्रमको कार्यान्वित करने के लिए वर्ग-चेतनासे युक्त एक अलग संगठन चाहते हैं, जो सामान्य जनतासे अपने सम्पर्क द्वारा स्वयं अपने लिए और कांग्रेसके लिए शक्ति प्राप्त करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो दूसरे लोग मैदानमें आयेंगे और किसानोंको भ्रमित कर देंगे।

यहाँ आपने अपने-आपको एक भ्रममें डाल लिया है। आपको कांग्रेसको किसानोंकी पूरी तरह प्रतिनिधि संस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए। जबतक हम इस बुनियादी बातपर ध्यान नहीं देते और बिलकुल नीचेसे लेकर ऊपरकी ओर काम नहीं करते, तबतक स्वराज्य नहीं मिलेगा। हर कांग्रेसीको कांग्रेसको एक ईमानदार संगठन और इसीलिए एक किसान संगठन बनाने का संकल्प करना होगा। रही बात अधिकारोंकी, तो वे सेवाके स्वाभाविक परिणामके रूपमें आने चाहिए। अन्यथा केवल अधिकार छीनने की बात रहती है।

आप पिछले पच्चीस वर्षोंसे कांग्रेस संगठनका पुनर्गठन करने की कोशिश करते रहे हैं और आप उसके नतीजेसे परिचित हैं। इसकी विफलताके लिए अन्य लोगोंके

१. साधन-सूत्रमें '१९२९' है; देखिए खण्ड ६७, पृ० २८-२९।

साथ में भी अपना दोष स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि हमें ऐसा विश्वास नहीं है कि हम ऐसा आचरण कर सकेंगे और इस प्रकार कार्य कर सकेंगे कि अन्तमें कांग्रेस एक किसान संगठन बन जायेगी। हमें भय यह है कि अगर हम आपकी कार्य-प्रणालीका अनुसरण करेंगे तो न चाहते हुए भी हम निहित स्वार्थोंके हाथों अपना शोषण होने देंगे। यह तथ्य ही कि बिड़ला और उन-जैसे अन्य लोग आज आपको आश्रय देते हैं और आप उसे स्वीकार करते हैं, किसी प्रकारके क्रान्तिकारी सुधारके रास्तेमें आड़े आता है। इसलिए हालाँकि मुझे अलग होना कष्टदायी प्रतीत होगा, तथापि मैं आपके रास्तेपर कार्य कर सकने में अपनेको असमर्थ अनुभव करूँगा।

तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आप कांग्रेसके तत्त्वावधानमें काम करते हुए भी, एक समानान्तर स्वतन्त्र संगठन भी चलायेंगे। मेरा दिमाग सीधा चलता है। मैं इस टेढ़ी-मेढ़ी चालको नहीं समझता। जब कांग्रेस एक प्रभावकारी संगठन बन जायेगी, तब इससे केवल परेशानी ही पैदा होगी। मैं अपने करोड़ों पददलित देशवासियोंकी बात सोच रहा हूँ, जो नहीं जानते कि उन्हें क्या आशा करनी चाहिए और क्या नहीं। एक समानान्तर संगठन उनके दिमागको और ज्यादा भ्रमित ही करेगा। कांग्रेससे बिलकुल अलग रहना ज्यादा युक्तिसंगत होगा।

हम कांग्रेसमें शरीक रहेंगे, लेकिन हम पद या सत्ताके लिए नहीं लड़ेंगे। क्या आप हमें अहमदाबाद श्रमिक संघके समान ही नहीं मान सकते?

देखिए, अच्छी नीयतका सबूत अच्छे कार्यसे मिलता है। सब-कुछ इसपर निर्भर करेगा कि वह किस भावनासे किया गया है। मैंने अपनी आशंका पहले ही बता दी है। उस भयको दूर करना आपका काम है। आप अपने संगठनको अहमदाबाद श्रमिक संघके नमूनेपर संगठित कर सकते हैं। श्रमिक संघके सभी सदस्य कांग्रेसके सदस्य हैं। वे कांग्रेसके अनुशासनके अधीन हैं। तथापि कांग्रेसमें उनकी एक शक्ति है और नगरपालिकामें भी। आपको अपनी प्रवृत्ति केवल आन्ध्रतक ही सीमित रखनी चाहिए। सभी किसान आपसे-आप आपके सदस्य होने चाहिए। लेकिन सदस्य बनाने का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए — किसानोंको कांग्रेसोन्मुख करना और उन्हें राजनीतिक रूपसे जाग्रत करना होना चाहिए।

मुझे खुशी है कि आप पर्याप्त वेतनपर विशेष जोर दे रहे हैं, जिससे भूमिहीन किसानोंके लिए एक न्यूनतम और अपेक्षित जीवन-स्तर सुनिश्चित हो सके। क्या आप कृषि-उत्पादनोंके लिए न्यूनतम मूल्यकी भी आवश्यकता नहीं स्वीकार करते, ताकि खुद-काश्त किसानोंके लिए एक अपेक्षित और न्यूनतम जीवन-स्तर सुनिश्चित हो जाये।

बेशक, मैं करता हूँ।

बम्बईमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावमें[1] जनताको आश्वासन दिया गया है कि राष्ट्रीय सरकार और स्वराज्यवाले भारतमें सत्ता खेतों, कारखानों तथा अन्य जगहोंमें काम करनेवाले मेहनतकशोंके हाथमें होनी चाहिए। क्या हम कह सकते हैं

१. देखिए खण्ड ७६, पृ० ५१०-११।

कि प्रस्ताव की भावना यह है कि कांग्रेस स्वराज्य प्राप्त करने के बाद एक लोकतान्त्रिक-किसान-मजदूर-प्रजा-राज स्थापित करना चाहती है?

बादमें ही नहीं, पहले भी। कांग्रेस लोकतान्त्रिक-किसान-मजदूर-प्रजा-राज ही चाहती है।

क्या आपके नये निर्देशोंमें यह विचार नहीं है कि गाँवोंसे लेकर ऊपर तक ऐसे किसान संगठनोंका विकास किया जाये जो किसानोंको नेतृत्व प्रदान करें और सहकारिता के आधारपर काम करने की प्रेरणा दें, लेकिन ये संगठन स्थानीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और उसके नेताओंके साथ मिल-जुलकर काम करें? मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेसके हरिपुरा अधिवेशनमें[1] किसानोंके अपना अलग वर्ग-संगठन बनाने के अधिकारको स्वीकार किया गया है। किन्तु पिछले चार वर्षोंके अनुभवको देखते हुए हम इस बातके लिए उत्सुक हैं कि कांग्रेसजन किसानोंका अपने संघ संगठित करने में नेतृत्व करें, ताकि किसान संगठनों और कांग्रेस कमेटियोंके बीच वास्तविक एकता और सहयोग हो सके।

किसान संगठन और कांग्रेस संगठन मेरे लिए एक ही चीजके दो नाम हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन सच्चे अर्थोंमें राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन तभी होंगे जब वे किसान संगठन हों; उसके बिना वे कुछ हो ही नहीं सकते।

जहाँ-जहाँ भी कार्यकर्त्ता है, वहाँ-वहाँ क्या हम भूमिहीन खेतिहर मजदूरोंको उनके पृथक् संघोंमें संगठित कर सकते हैं, ताकि वे मजदूरोंको न्यूनतम आर्थिक और सामाजिक न्याय दिला सकें? मैं इन संघोंकी कल्पना स्थानीय किसान संघोंके प्रतिद्वन्द्वीके रूपमें नहीं, बल्कि उनके पूरकके रूपमें करता हूँ।

हाँ, लेकिन कांग्रेसके पुनर्गठन-कार्यके एक अंगके रूपमें ही।

आपके निर्देशोंमें पहाड़ी कबीलों और पिछड़े हुए क्षेत्रों, जिन्हें अपवर्जित या आंशिक रूपसे अपवर्जित क्षेत्र कहा जाता है, के लोगोंमें जागृति उत्पन्न करने और उन्हें संगठित करने की आवश्यकताका विशेष रूपसे उल्लेख नहीं है। सारे भारतमें उनकी संख्या कमसे-कम लगभग तीन करोड़ तो होगी ही। वे कई तरहकी निर्योग्यताओंके शिकार हैं और उन्हें हमारी मददकी बहुत जरूरत है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि इन लोगोंको इनके संघोंमें संगठित करने के लिए कांग्रेसजनोंको अपनी शक्ति लगानी चाहिए?

अवश्य। आदिवासी लोग उतने ही पिछड़े हुए हैं जितने कि हरिजन हैं, और उनसे ज्यादा उपेक्षित हैं। कांग्रेसजन उनकी मानवीय दृष्टिसे जो भी सेवा कर सकें, उसके वे अधिकारी हैं। दुर्भाग्यवश बहुत कम कांग्रेसियोंने इस कार्यको अपनाया है।

क्या हमारे किसान और उनके संगठन किसी जमींदार अथवा राजस्व अधिकारीके अत्याचारी तरीकों या नीतियोंके विरुद्ध उस हालतमें सत्याग्रह आन्दोलन कर सकते हैं जब स्थानीय कांग्रेस कमेटीके माध्यमसे समझौतेकी हर सम्भावना खत्म हो गई हो? इस प्रकारके आन्दोलनोंके बारेमें १९३९ में बम्बईमें अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी

1. फरवरी, १९३८ का

किये गये निर्देशोंसे[1] हम अवगत हैं, और हम यह स्वीकार करते हैं कि जब भारतमें ऐसी राष्ट्रीय सरकार होगी जिसके साथ कांग्रेस सहयोग करेगी, तब किसान संघों और स्थानीय कमेटियोंको प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंसे इस विषयमें मार्ग-दर्शन लेना होगा कि इस प्रकारका सत्याग्रह कब और किस प्रकार चलाया जाये।

अगर वे [किसान] ऐसा नहीं करते तो वे बेवकूफ होंगे।

आप किसान संघों और हाथकरघा बुनकर संघों और उन अन्य संघोंके लिए किस प्रकारके झंडेका सुझाव देंगे जो राष्ट्रीय कांग्रेसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं? मैं आपको बता दूँ कि हमने लाल झंडा त्यागने और राष्ट्रीय झंडा अपनानेका निश्चय किया है, जिसपर वर्ग-विशेष या धन्धेका संकेत करनेवाला निशान होगा, जैसे हल या करघा, जो झंडेके एक कोनेमें होगा। चरखेका चिह्न तो होगा ही, जिसका स्थान पहले ही झंडेके बीचोंबीच तय है।

मुझे एतराज नहीं है। पृथक् दिखानेके लिए आप वर्ग-चिह्नको राष्ट्रीय चिह्न के बगलमें दिखा सकते हैं।

क्या आप इस बातकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते कि सारी उपनिवेशी जनताको एक-दूसरेके निकट आनेकी कोशिश करनी चाहिए और स्वतन्त्रताकी लड़ाई में एक-दूसरेके अनुभवसे शिक्षा लेनी चाहिए और एक-दूसरेकी मदद करनी चाहिए?

"उपनिवेशी जनता" शब्दका चुनाव अच्छा नहीं है। "संसारकी उत्पीड़ित जातियाँ" कहनेसे बात ज्यादा अच्छे ढंगसे व्यक्त होती है। "उपनिवेशी" शब्दका अंग्रेजीमें अर्थ है वे गोरे जो उपनिवेशोंमें जाकर बस गये हैं।

क्या हमारा यह सोचना ठीक है कि साम्राज्यवादके प्रति आपके विरोधका उद्देश्य जिस प्रकार भारतके ४० करोड़ लोगोंको लाभ पहुँचाना है उसी प्रकार आफ्रिकी, चीनी, रेड-इंडियन और अन्य अश्वेत जातियोंको भी लाभ पहुँचाना है?

नजरबन्दीके दौरान सरकारके साथ हुए मेरे पत्र-व्यवहारसे[2] यह बात बहुत स्पष्ट रूपमें देखी जा सकती है।

एक "उपनिवेशी जनता स्वतन्त्रता मोर्चा" खड़ा करने और इस प्रकार केवल सलाह और सूचना प्रदान करनेवाला एक शोध, प्रचार और विचार-प्रधान मंच तैयार करनेका हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? मैं आपको बता दूँ कि उपनिवेशोंकी जनता और अश्वेत जातियोंके उद्धार के लिए इंग्लैण्ड, आफ्रिका और वेस्ट इंडीजमें हमारे अनेक मित्र और आपके प्रशंसक, जैसे श्री रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्स, कुमारी स्टॉक केन्याटा, श्री जॉर्ज पैडमोर आदि आपके बताये मार्गपर पहले ही कार्य कर रहे हैं।

मैं 'हाँ' कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसके फलितार्थोंको समझना चाहता हूँ।

१. देखिए खण्ड ६९, पृ० ३९९-४०१।
२. देखिए खण्ड ७६ और ७७।

आजके जमानेकी सबसे बड़ी सामाजिक समस्या यह है कि खेती करनेवाले लोगोंकी अपार जनसंख्याका उद्योगोंमें लगे हुए लोगों और उद्योग-प्रधान देशों द्वारा शोषण किया जा रहा है, क्योंकि दुनियाके बाजारोंपर, वित्तपर और साम्राज्यवादी तन्त्रपर उन्हें जो नियन्त्रण प्राप्त है उसके जरिये वे खेती करनेवाले लोगोंके ऊपर असमान विनिमय-व्यवस्था थोप सकते हैं। क्या हमारा यह सोचना ठीक है कि आप बुनियादी वस्तुओंके उत्पादकों और संसारकी कृषक जनताके शोषणकी इस प्रक्रियाके उन्मूलनके पक्षमें हैं?

हां, मैं तो इसका जड़-मूलसे उच्छेद चाहता हूं।

क्या हमारा यह सोचना सही है कि विश्व-पूंजीवाद और साम्राज्यवादके विरुद्ध उपनिवेशोंकी जनताका जो सामान्य संघर्ष चल रहा है, हमारा संघर्ष उसका एक हिस्सा-भर है, और दुनियामें आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताके लिए उपनिवेशोंकी और किसानोंकी जो लड़ाई चल रही है, भारत उसका अग्रदूत है?

मैं ऐसी ही आशा करता हूं।

आज जब कि व्यक्तिके जीवनका हर पहलू सरकारके मूल्य-नियन्त्रण, अन्नकी उगाही, अधिग्रहण और प्राप्ति तथा राशनिंग कार्योंके अधीन हो गया है, तब क्या हमारा कर्त्तव्य यह नहीं है कि हम कांग्रेसजनोंको स्थानीय खाद्य परिषदों और इस प्रकारके अन्य अर्ध-सरकारी संगठनोंमें शामिल होने और काम करने की अनुमति दे दें, बशर्ते कि हमें यह यकीन हो कि हम इस प्रकार अपनी जनताको कुछ कारगर मदद पहुंचा सकते हैं या शरारतको रोक सकते हैं?

हां। उन्हें इसकी अनुमति दे दी जानी चाहिए, बशर्ते कि इससे उनकी पहल करने की सामर्थ्य और स्वतन्त्रतापर कोई असर न पड़ता हो और वे सचमुच कारगर मदद कर सकें।

वे किसान क्या करें जिनसे गांधी-अर्विन समझौतेके अन्तर्गत दी गई नमक-सम्बन्धी रियायतें[1] अनुचित रूपसे वापस ले ली गई हैं या उनमें कटौती कर दी गई है?

यदि समझौतेकी धाराके अन्तर्गत आता हो, तो उन्हें नमक बनाना चाहिए।

क्या आप इस बातकी आवश्यकता नहीं स्वीकार करते कि छात्रोंको और उनकी छात्र-कांग्रेसको छात्रोंके रूपमें अपनी जिम्मेदारीका भी पालन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी विचार-धाराको समझना चाहिए, लोकप्रिय बनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए?

बेशक, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और यह सब चीजें समझनी चाहिए। इनकी मर्यादाएं मैंने अपने "सुझावों" में निर्धारित कर दी है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २३-१-१९४५

१. देखिए खण्ड ४५, पृ० ४६५।

३१०. पुर्जा : शैलेन्द्रनाथ चटर्जीको

मौनवार [३० अक्तूबर, १९४४ या उसके पूर्व][1]

जितने भी संतरों या मुसम्बियोंका रस ले सकते हो लेना। अगर भूख लगे तो फलोंके रसके साथ द्राक्षा-शर्करा (डेक्स्ट्रोस) लो, अन्यथा नहीं। दो-तीन दिन सिर्फ फलोंके रसपर रहना ठीक होगा। इससे तुम अच्छे हो जाओगे। तुम निर्भय होकर बम्बई जा सकते हो।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०४९६) से। सौजन्य : अमृतलाल चटर्जी

३११. पुर्जा : शैलेन्द्रनाथ चटर्जीको

मौनवार [३० अक्तूबर, १९४४ या उसके पूर्व]

मैं नाम[2] सुझा चुका हूँ, यह उसे[3] बता देना। मदालसाको मालूम है। मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसे याद होगा। सुशीलाको भी याद होगा।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०४९७) से। सौजन्य : अमृतलाल चटर्जी

३१२. पत्र : वी० ए० सुन्दरम्‌को

सेवाग्राम
३० अक्तूबर, १९४४

चि० सुन्दरम्,[4]

तुम्हारा पुर्जा मिला। मैंने तो सोचा था कि तुम निश्चय ही आ रहे हो। किस कोषमें से तुम मुझसे १००१ रुपये भेजने की अपेक्षा रखते हो? तुम, जो खुद ही लाखों जुटा सकते हो, मुझसे विश्वविद्यालयके लिए एक मामूली कुटिया बनवाने के लिए पैसा भेजने के लिए कह रहे हो? क्या इस असंगतिकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता?

१. अमृतलाल चटर्जीके अनुसार, यह और अगला पुर्जा, सेवाग्राममें अक्तूबर, १९४४ में एक मौन दिवसपर लिखा गया था। महीनेका अन्तिम सोमवार ३० अक्तूबरको था।

२. गांधीजी ने गोरधनदास चोखावालाके पुत्रके लिए "अशोक" नाम सुझाया था।

३. गोरधनदास चोखावालाको

४. सम्बोधन देवनागरी और तमिल दोनों लिपियोंमें है।

रही उस छोटी-सी पुस्तिकाकी एक लाख प्रतियाँ छपवाने की बात, तो जिन लोगोंको इसमें रुचि है उन्हे छपवाने दो। तुम्हारे पास करने को इससे ज्यादा अच्छा काम पड़ा है।

तुम सबको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२०४) से

३१३. पत्र : कोंडा वेंकटप्पय्याको

सेवाग्राम
३० अक्तूबर, १९४४

प्रिय देशभक्त,

बापाका कहना है कि आप बीमार पड़ गये हैं। जब आपके आसपास सभी भुखमरी और बीमारीके शिकार हों, तब आप ऐसा नही कर सकते। आप अपने बारेमें किसीसे दो शब्द लिखवाकर भिजवा दें। आपकी सेवा-शुश्रूषा कौन कर रहा है?

स्नेह।

बापू

देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या
गुन्टूर

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३१४. एक पत्र[1]

३० अक्तूबर, १९४४

प्रिय बेबी,

तुम बिलकुल बच्ची ही हो — सदाकी तरह लापरवाह। पत्रमें पते-जैसी कोई चीज नहीं है, तारीख अधूरी है, हिज्जे गलत हैं और फिर तुम्हारा पत्र मिला भी कल — यानी शादीके दिन। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। 'एक्स' और उसकी पत्नीके लिए आशीर्वाद लो। कौन किसके योग्य साबित होगा?

स्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी — द लास्ट फेज, जिल्द १, भाग १, पृ० १११-१२

१. यह पत्र एक मित्रकी बेटीको लिखा गया था।

३१५. पत्र : कुलसुम सयानीको

३० अक्तूबर, १९४४

चि० कुलसुम,

तू कैसी लड़की है! गुजरातीमें नहीं, उर्दूमें नहीं, हिन्दीमें नहीं, बल्कि अंग्रेजीमें पत्र लिखती है! अपने देशकी भाषाओंके प्रति यह हमारा कैसा विचित्र प्रेम है! मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर लोगोंको जरूरत होगी तो एक हजार प्रतियाँ तो चटनी-जैसी साबित होंगी। अगर लोगोंको जरूरत न हो, तो जबतक वैसी लगन उत्पन्न नहीं हो जाती तबतक धीरज रख।

बापूकी दुआ

श्रीमती कुलसुमबहन सयानी

मूल गुजरातीसे : बेगम कुलसुम सयानी पेपर्स। सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३१६. पत्र : धीरेन्द्रनाथ चटर्जीको

सेवाग्राम
३० अक्तूबर, १९४४

चि० धीरेन,

तेरा खत बहुत अच्छा लगा। काम बिलकुल अच्छा मिल गया। सबकी सेवा करो, काममें दत्तचित हो जाओ। मुझे लिखा करो। शरीर अच्छा करो, मछेरी इस्तेमाल करो।

धीरेन चटर्जी
सोदपुर

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३१७. पत्र : जेनाबहन रजबअलीको

[३१ अक्तूबर, १९४४ के पूर्व][1]

प्रिय वहन,

तुमने तो मुझे खुशखबरी दी है। तुम्हे और चि० लतीफको मुबारकबादी। आशा रखनी चाहिए कि डॉ० लतीफ पिताजीकी गद्दीको ठीक सँभालेगा और लाखोंकी दुआएँ हासिल करेगा।

बापूके [आशीर्वाद]

जेनावहन रजवअली
५७ सी०, वार्डन रोड
वम्वई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३१८. पत्र : पुरुषोत्तम कानजी जेराजाणीको

सेवाग्राम
३१ अक्तूबर, १९४४

भाई काकुभाई,

तुम्हारा २३ तारीखका पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ गया; जाजूजी ने भी पढ़ा। अपने स्वभावके मुताविक जाजूजी स्पष्टीकरण माँगते है और कहते है कि हम पाँच जने आपसमें बैठकर विचारोका आदान-प्रदान करें, और उसमें से मैं जो निष्कर्ष निकाल सकूँ वह भी आप सवको वता दिया जाये। लेकिन जाजूजी तुममें से किसीको फिलहाल तकलीफ देना नही चाहते। इसलिए तुम तीनों यदि चरखा संघकी बैठकके तीन दिन पहले आ जाओ तो हम विस्तारसे चर्चा कर सकते है और अपनी नीति भी निर्धारित कर सकते हैं। मन्त्रि-पदमें परिवर्तन करना उचित लगे तो हम वह भी कर सकते हैं। तुम जाजूजी से मन्त्रि-पद स्वीकार करने के लिए आग्रह तो करना ही। आग्रह तो मेरा ही था न? तीनोंका मतलव तुम, विट्ठलदास और लक्ष्मीदास। उन दो भाइयोंको तुम्ही लिख देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०८५३) से। सौजन्य : पुरुषोत्तमदास कानजी जेराजाणी

१. साधन-सूत्रमें यह पत्र ३१ अक्तूबर, १९४४ के पत्रोंके पहले रखा गया है।

३२१. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

१ नवम्बर, १९४४

प्रिय सर तेजबहादुर,

आपका २५ अक्तूबरका बहुत ही स्नेहपूर्ण पत्र पाकर बड़ा अच्छा लगा।[1] मैं अपने मार्ग-दर्शनके लिए आप-जैसे मित्रोंकी हर सम्भव सहायता चाहता हूँ। आज मैं जैसी स्थितिमें हूँ वैसी स्थितिमें पहले कभी नहीं पड़ा था। मेरा अन्तिम मार्ग-दर्शक सत्य है — जिस नामसे मैं ईश्वरको सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँतक मैं जानता हूँ, जल्दीबाजी नहीं की जायेगी। मैं अपनी दिनचर्या सुचारू रूपसे चला रहा हूँ — जैसे कि उपवासकी कोई सम्भावना ही न हो। इसलिए आप जितनी बार भी मुझे चेतावनी देना चाहें बेझिझक दें। आशा है कि डॉ० बेणीप्रसादकी[2] मार्फत भेजा मेरा पत्र[3] आपको मिल गया होगा।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

गांधी-सप्रू पेपर्स। सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता। जी० एन० ७५७३ से भी

३२२. पत्र : एन० आर० जोशीको

सेवाग्राम

१ नवम्बर, १९४४

प्रिय जोशी,

गत २ तारीखके आपके पत्रका[4] उत्तर मैं आज दे पा रहा हूँ, यह शर्मकी बात है। उसका कारण आप जानते हैं। चूँकि आपका मेरे पास आने का विचार है, इसलिए आपके पहुँचने तक मैं आपकी अपीलपर कार्रवाई स्थगित कर रहा हूँ। सोमवारको छोड़कर आप जिस दिन भी आ सकें, कृपया अवश्य आइए। यदि मैं कहीं चला

१. देखिए परिशिष्ट १५।

२. इलाहाबाद विश्वविद्यालयके राजनीति विज्ञानके प्रोफेसर

३. देखिए पृ० २४६-४७।

४. एन० आर० जोशीने इलाहाबाद कृषि संस्थानके विकासके लिए प्रयुक्त होनेवाली हिगिनबॉटम सम्मान निधिके लिए धन एकत्र करने में गांधीजी से मार्ग-निर्देशन और मदद माँगी थी। डॉ० सैम हिगिनबॉटम अक्तूबरमें अपने ७० वर्ष पूरे कर चुके थे और संस्थानसे अवकाश ग्रहण करनेवाले थे।

गया अथवा मेरे साथ कुछ घटित हो गया, तो आपको समाचारपत्रोंसे पता चल जायेगा। तब तदनुसार ही कीजिएगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एन० आर० जोशी
मन्त्री, हिगिनबॉटम सम्मान निधि
इलाहाबाद कृषि संस्थान
इलाहाबाद

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

३२३. पत्र: अरुणकुमार चन्दको

१ नवम्बर, १९४४

प्रिय अरुणकुमार चन्द,

आशा है, अब तुम बेहतर होगे। उपवासके बारेमें तुम्हारी सलाहको मैंने ध्यानमें रख लिया है।[1] मैं भगवानके हाथोंमें हूँ। पूर्वी प्रान्तोंकी बात मेरे मनमें नहीं है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है?

बापू

श्री अरुणकुमार चन्द
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. असम कांग्रेस संसदीय दलके उपनेता अरुणकुमार चन्दने गांधीजी को अगला उपवास शुरू करने से पहले बंगाल, बिहार और असम आकर वहाँकी पीड़ित जनतासे सम्पर्क स्थापित करने का निमन्त्रण दिया था। उनकी दलील यह थी कि गांधीजी का जीवन "जितना उनका खुदका है उतना ही देशका भी है"।

३२४. पत्र : नारणदास गांधीको

सेवाग्राम
१ नवम्बर, १९४४

चि० नारणदास,

यदि विवाहके बहानेसे ही तुम आ गये होते तो मैं तुम दोनोंसे मिल लेता। हम लोग कुछ विशेष मामलोंके बारेमें बातचीत कर लेते। किन्तु तुम्हारे न आने की बात मैं समझ सकता हूँ। तुम सब बीमार रहते हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। किन्तु यह मानकर निश्चिन्त रहता हूँ कि तुम समझदार व्यक्ति हो और सब-कुछ विवेकपूर्वक ही करते होगे।

उपवास करना न करना तो ईश्वराधीन है। जो होना होगा वही ईश्वर मुझसे करायेगा।

कस्तूरबा निधिके बारेमें तो जो करना होगा वह विचारपूर्वक ही करूँगा। इस सम्बन्धमें तुम्हें जो बातें सूझें, मुझे भेजते ही रहना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुम्हें ३,५०० रु० मिलेंगे।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८६१८ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

३२५. पत्र : टी० आर० देवगिरिकरको

१ नवम्बर, १९४४

भाई देवगिरिकर,

वसुकाकाके[1] बारेमें मेरे तरफसे क्या मांगोगे? हम दोनोंमें बहुत बातोंमें साम्य था। मेरी कलम कैसे आगे चल सके?

आपका,
मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९१४) से

१. वासुकाका जोशी

३२६. बातचीत : हेमचन्द्रराव जागोबा खाण्डेकरके साथ

[२ नवम्बर, १९४४ या उसके पूर्व][1]

अपनी योजना[2] जल्दी भेज दीजिए। मैं उसपर विचार करूँगा।

जब श्री खाण्डेकरने यह इच्छा प्रकट की कि गांधीजी दलित वर्ग संघके अगले अधिवेशनमें शामिल हों, तो महात्माजीने जवाब दिया :

यदि सम्भव हुआ तो होऊँगा।

एक और प्रश्न यह किया गया कि हरिजन सेवक संघमें हरिजनोंका बहुमत हो, इस दृष्टिसे क्या हरिजन सदस्य संघमें पर्याप्त संख्यामें नियुक्त किये जा सकते हैं। उत्तरमें गांधीजी ने कहा :

नहीं। यह तो प्रायश्चित्त करनेवालों की संस्था है और प्रायश्चित्त सिर्फ सवर्ण हिन्दुओंको करना है। स्पृश्योंको अस्पृश्योंकी सेवा करनी है और अस्पृश्योंको उनकी सेवा स्वीकार करनी है।

अस्पृश्यता कबतक मिटेगी, इसके जवाबमें गांधीजी ने कहा :

सम्भवतः हम दोनों वह दिन देखने को जीवित नहीं होंगे। लेकिन यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हिन्दू धर्मको जीवित रहना है, तो अस्पृश्यताको मिटना ही होगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ७-११-१९४४

३२७. पत्र : एमिली किनेर्डको

सेवाग्राम
२ नवम्बर, १९४४

प्रिय माँ,

ईसाई भोजनकी मेज क्या होती है? वह हिन्दू या मुस्लिम भोजनकी मेजसे किस रूपमें भिन्न है?

यदि मेरा उपवास हुआ तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो वह ईश्वर करवायेगा और उसका जो परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी ईश्वरकी ही होगी।

१. यह रिपोर्ट दिनांक "नागपुर, २ नवम्बर" के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

२. अखिल भारतीय दलित वर्ग संघके कार्यकारी अध्यक्ष हेमचन्द्रराव जागोबा खाण्डेकर, एम० एल० ए० की माँग थी कि सवर्ण हिन्दुओंके पैसेसे हरिजन लड़के-लड़कियोंके लिए पृथक् हरिजन विश्वविद्यालय, पाठशालायें और छात्रावास स्थापित किये जायें।

अपनी पत्नीके नामसे निर्मित कमरेके खर्चके लिए मैं भला एक पाई भी कैसे दे सकता हूँ? आप स्वयं एक आना दे सकती है।

आपका प्यारा पुत्र,
बापू

श्रीमती एमिली किनेर्ड
वाई० डब्ल्यू० सी० ए०
५७, केन्टोनमेन्ट रोड
लखनऊ

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

३२८. पत्र : के० पी० चक्रवर्तीको

सेवाग्राम
२ नवम्बर, १९४४

प्रिय चक्रवर्ती,

आपका हृदयस्पर्शी पत्र मिला। अपनी पत्नीकी स्मृति हृदयमें सँजोकर रखें और अपने-आपको आसपासकी संतप्त मानवताकी सेवामें लगा दें। वास्तवमें मरता कोई नहीं है। शरीरकी नियति नष्ट होना है; कुछ आज नष्ट होते हैं, कुछ कल।

बापू

श्री के० पी० चक्रवर्ती
टौलीगंज
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

३२९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

२ नवम्बर, १९४४

मैं तेरे दोनों पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ गया। मैं अन्तिम वाक्य लूंगा। मैं तबतक कदापि उपवास नहीं करूँगा जबतक कि वह मुझे सूर्यके प्रकाशकी भाँति स्पष्ट [जरूरी] नहीं लगेगा। दूसरे, किसकी पुकार—सत्य भगवानकी या अहंकारकी? यदि यह पिछली बार सत्य भगवानकी रही हो तो इस बार भी उसीकी होगी। मेरे पास अन्य सब दलीलोंका जवाब है। उपवास करने की घोषणा करके मैं अपने मनको टटोल रहा हूँ। [उपवासके विरुद्ध] कोई भी दलील यदि मेरे गले उतर गई तो मैं अपना विचार बदल दूंगा। किन्तु आखिर जब मुझे सत्य भगवानकी स्पष्ट पुकार सुनाई पड़ने लगेगी तो मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तू बहस करता रह, किन्तु चिन्ता मत

कर। हम यदि मिल सकें तो अच्छा हो, किन्तु इस बारेमें मिलना बेकार है। मुझे भगवानके चरणोंमें छोड़ दे। अपना स्वास्थ्य अच्छा बना ले। . . .[१]

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० २०४

३३०. पत्र : भगवानजी पुरुषोत्तम पण्ड्याको

२ नवम्बर, १९४४

चि० भगवानजी,

कस्तूरबा स्मारक [निधि] के बारेमें तुम्हारे सुझाव बहुत अच्छे हैं। उनपर जिस हदतक अमल किया जायेगा, उतनी ही सफलता हमें मिलेगी। आशा है, तुम्हारा सब ठीक चल रहा होगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री भगवानजी पुरुषोत्तम
हरिजन आश्रम
वढ़वान सिटी
काठियावाड़

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३९९) से। सौजन्य : नवजीवन ट्रस्ट

३३१. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सेवाग्राम
२ नवम्बर, १९४४

भाई सतीशबाबु,

बलवंतसिंहको भेजुंगा तो सही लेकिन जब तक वहां कोई स्थायी सेवक तैयार नहीं होगा तब तक गौ पालनमें कठिनता तो आवेगी ही ना? धीरेनका काम छुडवा कर गो कार्यमें डालना ऐसी मेरी वृत्ति नहिं है। लेकिन जो कार्य करता है उसके अलावा इसे भी सीख सके तो अच्छा। इसमें विचार दोषका पूरा सम्भव है क्योंकि गोसेवा सारा समय लेवे ऐसा हो।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अरूण[२] क्यों बीमार पडता है? उसका मरीज बिलकुल अच्छा हो गया?

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १६३९) से

१. साधन-सूत्रमें यह अंश छोड़ दिया गया है।
२. सतीशचन्द्र दासगुप्तके पुत्र

३३२. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२ नवम्बर १९४४

नन्दिनी जीती है और उसकी दादीने उसका पालन किया। मा तो उसको जन्म देकर मर गई। इसलिये केले बांटना मेरा धर्म था। विद्याका स्मरण ही तुमको रुलाता है इसलिये तुमारा केले बाँटना मोह होगा और तुमको मैं समजा सकता हूं कि विद्याके निमित्त कुछ करना है तो केले न लेने से पैसे बचे सो सच्चे भूखों मरते हुए के लिये बचा लो। आदमी आदमीको देखकर काम करना पड़ता है। उसीमें तो सद्वर्तनकी परीक्षा होती है। जैसी जिसकी योग्यता ऐसा उसको देना।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

३३३. पत्र : अमतुस्सलामको

सेवाग्राम
२ नवम्बर, १९४४

बेटी अ० स०,

तेरे दो खत मिले। तूने गुस्सा भले किया। मैं इतना जानता हूं [कि] मैं जो कुछ करता हूं, तेरे भलेके लिए और धर्म समझकर। तू मरने तक मेहनत करेगी, लेकिन हिसाब तू नही जानती है। इसलिए मुझे दूसरोका सर्टिफिकेट चाहिए। इतना समझ जायेगी तो तुझे कोई तकलीफ होनेवाली नही है। तेरे खानेका खर्च तो यहांसे जाता ही है। अभी चि० [चिमनलालभाई] से पूछा, वे बराबर भेजते हैं। तुझे एक साथ चाहिए? सेहत बिगाड़ेगी और वह भी खानेमें किफायत करके, तो झगड़ा होगा।

मुझे उपवास करना पड़ा तो खुदा करवायेगा। तू अपने काममें डटी रहेगी।

डा० महमूद और उनके दो लड़के मेरे साथ है। लड़के बहुत भले हैं।

शाबास और धन्यवादमें फर्क नही है। एक है फारसी, दूसरा संस्कृतमें से। एक भेजा।[1] अब ले शाबाश। यह हुआ हि० मु० [हिन्दु-मुस्लिम] इत्तेहाद।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८६) से

१. देखिए "पत्र: अमतुस्सलामको", पृ० २२२।

३३४. पत्र : गोखलेको

सेवाग्राम
२ नवम्बर, १९४४

भाई गोखले,

तुम्हारा प्यारेलालजी पर जो खत है सो मैंने पढ़ा। तुम्हारे प्रश्न सुंदर हैं लेकिन उसके उत्तरमें मैं पड़ना नहीं चाहता। मुझे क्षमा करें। मेरा उपवास नहीं होगा तो मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। अगर उपवास हुआ भी और मैं बच गया तो भी आओगे और हम बातें करेंगे। दरम्यान जो सेवा बन सके करो। हिंदी सीख लो। यह पत्र किसीसे पढ़वा लो। इसकी पहोंच मराठी या हिंदीमें भेजोगे तो मुझे आनंद होगा।

मो० क० गांधीके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३३५. पत्र : लक्ष्मणप्रसाद तिवारीको

सेवाग्राम
२ नवम्बर, १९४४

श्री पंडित लक्ष्मणसिंहजी तिवारी,

आपकी पुत्रीका हृदयद्रावक खत मेरे सामने है। वह चाहती है जिस युवकसे वह शादी करना चाहती है उससे शादी करने में आप आशीर्वाद दें। यदि यह न हो सके तो फिरसे अब दूसरेसे शादी करने के लिये उसे मजबूर न करें। मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति हो नहीं सकती। आजकल हम अपनी लडकियोंको मजबूर कैसे करें?

आपका,
मो० क० गांधी

लक्ष्मणप्रसाद तिवारी
नरसिंगपुर
होशंगाबाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३३६. पत्र : अमतुस्सलामको

[२ नवम्बर,] १९४४ [के पश्चात्][1]

चि० अ० स०,

तू ठीक कहती है कि मेरा विश्वास तेरे कथनपर नही रहा है। कैसे रहे। मेरा गुस्सा धरा भी नही है। मैं तो तेरे प्रति मेरा धर्म क्या है यही सोचता हूं। मैं पैसेकी जिम्मेवारी नही उठाउंगा। जाजुजी को तेरा बजट दे दे। वह पास करे वह पैसे मिलेंगे ही। तेरे खर्चके लिये बारीखांको[2] तंग करना मुनासब नही है। दूसरे भाई देवे तो ठीक है। नहीं तो आश्रमसे लेना। आश्रममें जगह है ही। मेरी गैरहाजिरीमें तो जरूर। तुझे हवाई किल्ले बनाना छोडना चाहीये। जो एक काम ले उसपर कायम रहना।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६९१) से

३३७. पत्र : बिपिन बिहारी चटपटको

[३ नवम्बर, १९४४ के पूर्व][3]

भाई बिपिन बिहारी चटपट,

शारदाबहनने मुझे तुम्हारे मूल पत्रकी नकल दी है। उसे मैं पढ़ गया हूँ।

तुम्हारे विचार मुझे रुचे। एक ही तन्त्रके अधीन काम चले तो अच्छा है। मैंने एक बार (अगस्त १९४२ के पूर्व) प्रयत्न किया, पर असफल रहा। और भी करनेवाला हूँ।

भाई अमृतलालने तुम्हें जो उत्तर दिया उसमें तुमने क्या दोष देखा? यह प्रयत्न मेरा श्रम बचाने के लिए था। वह जो काम कर रहा है वह काकासाहबके विचारो पर अमल करने के लिए कर रहा है। वह काम वह धर्म समझकर करता है— जैसे कि तुम करते हो। फर्क इतना ही है कि तुमसे मेरा परिचय नही है, उससे

१. पत्रके पाठके आधारपर यह मालूम पड़ता है कि यह पत्र गांधीजी ने अमतुस्सलामको २ नवम्बरको लिखे पत्रके बाद ही लिखा था; देखिए पृ० २८१।

२. अमतुस्सलामके भाई

३. साधन-सूत्रमें यह पत्र ३ नवम्बर, १९४४ के पत्रोंके पूर्व रखा गया है।

बहुत है। सब अलग-अलग काम करते हुए भी एक रहकर काम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे पत्रसे देखता हूँ कि तुम्हारी विचार-सरणी और मेरी विचार-सरणीमें अन्तर है। इसका विवेचन मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। टंडनजीके[1] यहाँ आनेकी सम्भावना है। कौसल्यायनजी[2] तो आयेंगे ही। मैं चर्चा करूँगा। किसी दिन तुम आये तो तुम्हें भी सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

३३८. पत्र: बाल दत्तात्रेय कालेलकरको

सेवाग्राम
३ नवम्बर, १९४४

चि० बाल,[3]

तेरा बहुत ही सुन्दर पत्र मिला। मैं समझ सकता हूँ कि पाश्चात्य संगीतने तुझे मोह लिया है। इसका अर्थ तो यही हुआ न कि तेरा श्रवण इतना सूक्ष्म है कि उस संगीतका मर्म तू ग्रहण कर सकता है? मेरी इच्छा है कि वहाँ जो ग्रहण करना है उसे ग्रहण करके समय आने पर यहाँ आ और हिन्दुस्तानको शोभान्वित कर। तुझे मैं देख पाऊँगा या नहीं, नहीं जानता। जानकर करना भी क्या है? हम सब तो ईश्वराधीन हैं न? तेरा पत्र मुझे इतना रुचा है कि उसका लम्बा उत्तर दे सकूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वह तो होनेसे रहा। यह भी प्रातःकालीन प्रार्थनाके शीघ्र बाद लिख दिया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

1. पुरुषोत्तमदास टंडन
2. भदन्त आनन्द कौसल्यायन
3. द० बा० कालेलकरके पुत्र

३३९. पत्र : सतीश दत्तात्रेय कालेलकरको

सेवाग्राम
३ नवम्बर, १९४४

चि० शंकर,[1]

साथका पत्र तुझे देरसे भेज पा रहा हूँ, क्योंकि बालके नाम अपना पत्र मैं तेरी मार्फत भेजना चाहता था। बालका पत्र तू काकाको भेज देना। तू या चन्दन[2] एरोग्रामकी नकल करके भेज दे। मैं तो अपने लिए उसकी नकल करवाकर ही उसे पढ़ सका।

तुम सब मजेमें होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३४०. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

एक्सप्रेस

सेवाग्राम, वर्धा
३ नवम्बर, १९४४

राजाजी
त्यागरायनगर
मद्रास

क्षमा चाहता हूँ। तबीयतमें क्या खराबी है तार द्वारा बतायें।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. द० बा० कालेलकरके पुत्र
२. सतीश द० कालेलकरकी पत्नी

३४१. तार : जुगलकिशोर बिड़लाको[1]

३ नवम्बर, १९४४

सेठ जुगलकिशोर
मार्फत लकी
बनारस

यह विश्वास रखो कि मैं ईश्वरके हाथोंमें हूँ।

बापू

मूल अंग्रेजीसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३४२. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

३ नवम्बर, १९४४

प्रिय सर तेजबहादुर,

यह पत्र मैं जल्दीमें लिख रहा हूँ।[2]

मैं सलाह दूंगा कि आजमायशी सार्वजनिक वक्तव्य जारी करने के बजाय आप कुछ प्रतिनिधियोंको व्यक्तिगत पत्र लिखकर पूछें कि क्या वे सम्मेलन बुलाने के पक्षमें हैं।

मेरे मनमें एक केन्द्रकी नहीं, बल्कि एक बोर्डकी स्थापनाका विचार है, जिसमें दोनों राज्योंके प्रतिनिधि होंगे। यह बोर्ड दोनों राज्योंकी समान हितोंवाली बातोंकी व्यवस्था करेगा और सन्धिकी शर्तोंको पूरा करवायेगा।

सम्मेलन वार्त्ताकी विफलताके कारणोंपर विचार करने के लिए, विफलताके लिए कौन दोषी है, यह पता लगाने के लिए, और स्वतन्त्र रूपसे कोई हल निकाल सके तो वैसा हल सुझाने के लिए आयोजित किया जायेगा। सम्मेलन लोगोंको वस्तु-स्थितिसे अवगत करायेगा और उनका मार्ग-दर्शन करेगा। इसलिए विफलताका कोई

१. जुगलकिशोर बिड़लाने गांधीजी को तार देकर यह अनुरोध किया था कि वे उपवास करके अपना जीवन खतरेमें न डालें।

२. यह पत्र तथा १ नवम्बरको लिखा पत्र देवदास गांधीने तेजबहादुर सप्रूको ३ नवम्बरको वर्धा स्टेशनपर दिये थे।

भय नहीं है। हाँ, सम्मेलन कोई सर्वसम्मत या लगभग सर्वसम्मत निर्णय न करे तो अलग बात है।[1]

आपको स्वस्थ रहना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स; सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता। जी० एन० ७५७२ से भी

३४३. पत्र : सुशीला गांधीको

सेवाग्राम
३ नवम्बर, १९४४

चि० सुशीला,

मेरे उपवासकी खबर पढ़कर घबराना मत। जो होना होगा सो होगा। मुझसे ईश्वर जो करायेगा, वही मैं करनेवाला हूँ। लेकिन इस बार सब-कुछ विचित्र ढंगसे चल रहा है। फिर भी मैं निश्चिन्त हूँ। तू वहाँ अकेली पड़ी है, यह अच्छा नहीं लगता और एक तरहसे अच्छा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि तू कठिन परीक्षामें से गुजर रही है। मैं तो मणिलालको वापस भेजने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन उसका लौटना उपवासके डरके मारे अनिश्चित हो गया है। अब मैं उसे जबरदस्ती कैसे भेज दूँ? यदि उसमें हिम्मत होगी तो जरूर वापस चला जायेगा।

यदि सीता मेरे पास होती तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन देखता हूँ, उसका स्वार्थ आधुनिक शिक्षण पूरा करने में है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह नाम कमायेगी और हमारा गौरव बढ़ायेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९३९) से

१. तेजबहादुर सप्रूके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट १६ (क)। गैर-दलीय सम्मेलनकी स्थायी समितिकी बैठक दिल्लीमें १८ और १९ नवम्बरको तेजबहादुर सप्रूकी अध्यक्षतामें हुई थी। इस बैठकमें स्वीकार किये गये प्रस्तावके लिए, जिसमें गांधीजी द्वारा सुझाये गये परिवर्तन शामिल कर लिये गये थे, देखिए परिशिष्ट १६ (ख)। समझौता समितिके लिए सुझाये गये नामोंकी सूचीके लिए देखिए परिशिष्ट १६ (ग)।

३४४. एक प्रस्ताव[1]

[३ नवम्बर, १९४४ के पश्चात्][2]

स्वामी आनन्दका सह [मं] त्री श्री पदसे मुक्त होने का राजीनामा स्वीकार करते हुए ट्रस्टीओंकी यह सभा स्वामीजीका उद्योगपूर्वक और एकनिष्ठासे कार्य करने के लिये आभार मानती है।

कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट पेपर्स। सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३४५. पत्र: कलकत्ताके बिशपको

५ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

अधिकसे-अधिक स्पष्टवादिता मित्रताकी पक्की कसौटी है। अत: आपकी सारी आलोचनाकी मैं एक सच्चे मित्रकी ओरसे की गई आलोचना की तरह कद्र करता हूँ।

क्या आप ढाकाके अपने श्रोताओंको यह बता सकेंगे कि धार्मिक झगड़े, खासकर ऐसे स्थानमें जो विद्याका केन्द्र है, होने ही नहीं चाहिए? विश्वविद्यालयका प्रभाव उसकी चारदीवारीके बाहर भी जाना चाहिए। धर्मकी शक्ति विघटनकारी होने के बजाय संयोजक होनी चाहिए। मुझे इस बारेमें अधिक कहने की जरूरत नहीं है। आपका पत्र पढ़ते समय यह विचार मेरे मनमें आ गया था।

सीमावर्ती जन-जातियोंमें कुछ मिशनरियोंने जो अच्छा कार्य किया है, स्वर्गीय चार्ली एन्ड्रयूजने मुझे उसके बारेमें बताया था। खानसाहब अब्दुल गफ्फार खाँने उस बातकी पुष्टि की थी। अत: आपका साक्ष्य मेरे लिए कोई नया नहीं है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कलकत्ताके लॉर्ड बिशप
बिशप्स हाउस
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१ और २. इसका मसौदा गांधीजी ने तैयार किया था और यह कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधिकी बैठकमें ५ नवम्बरको पास हुआ था। स्वामी आनन्दका त्यागपत्र ३ नवम्बर, १९४४ का था।

३४६. पत्र : सर्वेपल्ली राधाकृष्णनको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

प्रिय सर राधाकृष्णन,

आपके दो कृपापत्र प्राप्त हुए।

जहाँतक कस्तूरबा गांधी स्मारक निधिके उपयोगके बारेमें आपके सुझावोंका सम्बन्ध है मैंने न्यासियोंको आपका वह पत्र पढ़कर सुना दिया है।[1] आपके सुझावको मैं ध्यानमें रखूंगा। आप भी बैठकमें उपस्थित रह सकते तो अच्छा होता।

प्रस्तावित उपवासके बारेमें अन्तिम निर्णय मेरा न होकर ईश्वरका ही होगा। मैं जिस अन्तर्द्वन्द्वसे गुजर रहा हूँ उसके बारेमें यदि मित्रोंको नहीं बताता, तो मैं उनके प्रति झूठा होता।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन
उप-कुलपति
हिन्दू विश्वविद्यालय
बनारस

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. सर्वेपल्ली राधाकृष्णनने यह सुझाव दिया था कि निधिका पैसा ऐसे कार्योंके लिए खर्च नहीं होना चाहिए जिन्हें पूरा करना सरकारका काम है। उसका उपयोग अनाथालयों और तीर्थयात्री केन्द्रोंकी स्थापनाके लिए तथा ग्रामोत्थान कार्यके अध्ययनके लिए कुछ महिलाओंको रूस और जापान भेजने के लिए होना चाहिए।

३४७. पत्र : पद्मजा नायडूको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

प्रिय लोटस-बॉर्न,[1]

तो तुम अपने निर्धारित जीवन-कालका एक और वर्ष शीघ्र ही समाप्त कर लोगी। कौन जानता है कि तुम्हारा जीवन-काल कितना है? अतः यह आशा करना क्षम्य है कि तुम्हें मातृभूमिकी सेवाके लिए अभी बहुत वर्ष प्राप्त होंगे। आशा है, तुम अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखती होगी।

स्नेह।

बापू

श्रीमती पद्मजा
हैदराबाद

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३४८. पत्र : दुर्दना बेगमको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

प्रिय राजकुमारी,

अभी-अभी सरोजिनी देवीने[2] मुझे यह दुःखद समाचार दिया है कि आपके यशस्वी पिताजी अब इस संसारमें नहीं रहे। मेरी सारी सम्वेदनाएँ आपके साथ है। इस मौतसे मुझे खिलाफतके वे शानदार दिन याद आ रहे हैं जब थोड़े अरसेके लिए हिन्दू-मुसलमानोंमें इतनी एकता हो गई थी कि लगता था कि उन्हें कोई भी आदमी या चीज कभी भी जुदा नहीं कर सकेगी। अफसोस है कि ऐसा नही हुआ। सरोजिनी देवीने मुझे यह भी बताया है कि आप भारतके अपने क्षेत्रके गरीबोंकी किस तरह सेवा कर रही हैं। ईश्वर आपको सुखी रखे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

बरारकी राजकुमारी
हैदराबाद

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. "पद्मजा" शब्दका अंग्रेजी अर्थ
२. सरोजिनी नायडू

३४९. पत्र: डॉ० लक्ष्मीपतिको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

प्रिय लक्ष्मीपति,

मेरी तो सबसे अप्रिय स्थिति है। आपको याद होगा कि जब आशादेवीके पुत्र की मृत्यु हुई तब आप कितने लाचार हो गये थे। मैं एलोपैथीकी दवा नही चाहता, फिर भी उसके चंगुलसे निकल नही पाता हूँ। आप बहुत अच्छे है, लेकिन असलियतको मानने से आप इनकार करते है। अब मै पण्डित शिव शर्मा को आजमा रहा हूँ। वुरा-भला क्या होगा, यह मै नही जानता।

आपका,
बापू

डॉ० लक्ष्मीपति
बैजवाड़ा

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

३५०. पत्र: डॉ० एम० ई० नायडूको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

प्रिय डॉ० नायडू,

आपकी सुपरिचित लिखावट देखकर प्रसन्नता हुई। मैं हर तरहसे आपके साथ हूँ। लेकिन आपमें धीरज नही है। समय हमारे साथ है।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० एम० ई० नायडू
कोट्टार

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५) से। सी० डब्ल्यू० ९१९७ से भी

१. डॉ० नायडूका खयाल था कि मैलापुर और तन्जौरके ब्राह्मण वास्तवमें हरिजनोंके साथ सामाजिक समानताके पक्षमें नहीं हैं। वे चाहते थे कि गांधीजी अन्तर्जातीय भोजकी शुरुआत करें।

३५१. पत्र : पुरुषोत्तम गणेश मावलंकरको[1]

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

चि० पुरुषोत्तम,

तूने अपने लिए उत्तम और कठिन आदर्श चुना है। ईश्वर तेरी सहायता करेगा। कभी यहाँ हो जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १७१७) से

३५२. पत्र : प्रेमा कंटकको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

चि० प्रेमा,

तू बिलकुल पगली है। मौतसे पहले ही मर रही है क्या? उपवासका ही डर है न? वह आया तो नहीं। ईश्वरकी आज्ञाके विना थोड़े ही आयेगा? जो उसका रहस्य समझता है वह तो उसका स्वागत ही करेगा और [जिस दिन यह शुरू होगा] उस दिनको धन्य मानेगा। यदि उपवास आया तो वह मुझ अकेलेको ही करना होगा। मेरे साथ कोई उपवास नहीं कर सकता। मेरे चल बसने के बाद एकके बाद दूसरेके उपवास करने का अवसर जरूर आ सकता है। परन्तु इसकी बात आज क्यों की जाये? तू अपने काममें मशगूल रह और दूसरोंको रख।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०४३२) से। सी० डब्ल्यू० ६८७१ से भी; सौजन्य : प्रेमा कंटक

१. पुरुषोत्तम गणेश मावलंकरने गांधीजी की राय जानने के लिए अपने दो लेख उनके पास भेजे थे। एक लेख उनके अपने आदर्शके बारेमें था और दूसरा उनके पिताजीकी ओरसे ए० बी० ध्रुवको दी गई श्रद्धांजलिका गुजराती अनुवाद था। गांधीजी ने गणेश मावलंकरको यह पत्र यह कहकर दिया था कि वे श्रद्धांजलिके बारेमें अपनी राय बादमें भेज देंगे। देखिए खण्ड ७९, "पत्र: गणेश वासुदेव मावलंकरको", २८-१-१९४५।

३५३. पत्र : अकबरभाई चावडाको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

चि० अकबर,

तेरा सुन्दर पत्र मिला। ईश्वर तुझे अच्छी तन्दुरुस्ती दे। तेरा काम अच्छा है।

जोहरा तुझे पत्र लिखेगी और बतायेगी कि उसका काम कैसा चल रहा है। नहरवा (गिनी-वर्म)के बारेमें सुशीलाबहन तो तुझे लिखेगी ही। सर्वोत्तम उपाय यह है कि जहाँ नहरवेका निशान हो, वहाँ गरम पानीका सेक किया जाये, पट्टी बाँधी जाये, और नहरवा निकले तो उसे बाँधके रखा जाये तथा तार टूटने न दिया जाये। वह धीरे-धीरे निकल जायेगा।

एनीमाकी सरल रीति तुझे मालूम है न? वल्लभराम वैद्यकी गोलियाँ आती हैं, जो मजूर महाजनमें मिल सकती हैं। शायद पालनपुरमें भी किसीके पास होंगी। लेकिन इस सम्बन्धमें भी अधिक तो सुशीलाबहन ही लिखेगी।

मेरे उपवासकी चिन्ता मत करना। अभी तो कुछ भी निश्चित नहीं है। मुझे बराबर लिखते रहना।

बापूकी दुआएँ

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२३५) से

३५४. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

चि० मथुरादास,

तुझे क्या लिखूँ? तू सब चिन्ता छोड़ना — मेरी, दिलीपकी[1] या कोई और हो तो वह भी। फिर तू जल्दी अच्छा हो जायेगा। तू खुद मुझे न लिखकर दिलीपकी मार्फत ही लिखवाकर सन्तोष करना। मैं तो बहुत अधिक काममें फँस गया हूँ। लेकिन शरीर ठीक चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

मथुरादास, बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. मथुरादास त्रिकमजीके पुत्र

३५५. पत्र : दिलीप मथुरादास त्रिकमजीको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

चि० दिलीप,

तेरा पत्र मिला। तेरा धर्म अभी पिताकी सेवा करना है। उसे अपने बारेमें निश्चिन्त करना। तेरे द्वारा की गई उसकी सेवामें से जो आशीर्वाद स्फुटित होगा वह तेरे लिए सभी प्रकारसे श्रेयस्कर होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३५६. पत्र : ज्योतिलाल ए० मेहताको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

भाई ज्योति,

तुम्हारा तार मिला था; पत्र भी मिला था। परीक्षितभाई[1] यहीं है। मैंने उससे बात की है। रतिलालको[2] कोई मारे-पीटे नहीं, इस बातका ध्यान रखना चाहिए। आखिर वह चि० चम्पाका पति है। खयाल सिर्फ इतना रखना है कि वह चम्पाको सताये नहीं। बाकी बातोंमें तो हमें उसके साथ उदारतासे ही काम लेना चाहिए।

बंगला[3] तो डॉक्टरने[4] आश्रमके लिए ही बनवाया था। इतना अवश्य था कि जब वे उसमें रहना चाहते थे, रहते थे। मेरे मेहमान आयें, उन्हें भी वहाँ रखना

१. परीक्षितलाल मजमूदार

२. डॉ० प्राणजीवन मेहताके ज्येष्ठ पुत्र

३. साबरमती आश्रम, अहमदाबादके निकट स्थित लाल बंगला

४. डॉ० प्राणजीवन मेहता; जिन्होंने बम्बईके ग्रांट मेडिकल कालेजसे स्वर्णपदक सहित डाक्टरीकी उपाधि प्राप्त करने के साथ बैरिस्ट्री भी पास की थी। वे गांधीजी के सबसे पुराने मित्रोंमें थे। उनसे गांधीजी की पहली मुलाकात १८८८ में लन्दनमें हुई थी; तभी से वे गांधीजी के "मार्ग-दर्शक और सलाहकार" रहे थे। फीनिक्स आश्रमकी स्थापनासे लेकर अगस्त, १९३२ में अपनी मृत्युतक वे गांधीजी की प्रवृत्तियोंमें आर्थिक सहायता देते रहे थे। उन्होंने **एम० के० गांधी एण्ड साउथ आफ्रिकन प्रॉब्लम** नामक पुस्तक भी लिखी। गांधीजी द्वारा उन्हें अर्पित श्रद्धांजलिके लिए देखिए खण्ड ५०, पृ० ३४४-४५।

होता था। डॉक्टर तो गये। मैंने उनसे कुछ लिखवाया नहीं। बादमें तो रतिलाल सनकी ही निकल गया। प्रभाशंकरको[1] मैं क्या समझा सकता हूँ? चम्पा प्रभाशंकरके कहेमें थी, अब तुम उसके सलाहकार बने हो। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि यह बंगला बेचो नहीं। तुम उसका अलग ट्रस्ट बना दो या आश्रमके प्रबन्धमें रख दो। वहाँ जो हरिजन रह रहे हैं उन्हें निकालना मैं बिलकुल ठीक नहीं मानूँगा। बाकी तो तुम्हारी और चम्पाकी मर्जी। मगनलालके[2] बारेमें कुछ निश्चित नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३५७. पत्र : सरलाको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

चि० सरला,

सूत मिला। सेठ अब अच्छे हो गये होंगे। जब आना हो, आ जाना। बहुत जल्दीमें हूँ।

बापूके आशीर्वाद

सरलाबहन
[मार्फत] सेठ गटुभाई जमीयतराम
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. चम्पा र० मेहताके पिता, प्रभाशंकर हरचन्दभाई पारेख
२. डॉ० प्राणजीवन मेहताके कनिष्ठ पुत्र

३५८. पत्र : तोताराम सनाढ्यको

सेवाग्राम
६ नवम्बर, १९४४

भाई तोतारामजी,

भाई परीक्षितलालने सब हाल दिये हैं। शरीर तो जीर्ण हुआ ही है। जाना है तब जायगा। तुमने जीवन भर सेवा ही की है। तो जो दिलसे सेवा करे उनकी सेवा लेना धर्म है। रामनामका सहारा तो हमेशा है ही।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५३०) से

३५९. पत्र : कृष्णचन्द्रको

मौनवार, ६ नवम्बर, १९४४

चि० कृ० चं०,

अगर तालीमी संघमें काम करोगे तो भी मेरे नजदीक ही होगा न? नहीं तो क्या चाहते हो मुझे बताओ।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४५०) से

३६०. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

[६ नवम्बर, १९४४][1]

मैं तुमारे लिये कुछ लिखना तो चाहता हूं लेकिन एक क्षण नहीं मिलती।

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

1. आनन्द तो० हिंगोरानीके अनुसार

३६१. हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके प्रस्तावका मसौदा

[७ नवम्बर, १९४४ या उसके पूर्व][1]

हिंदुस्तानी प्रचार सभाका अभिप्राय है हिंदुस्तानीका शीघ्रतासे प्रचार होने के लिये आवश्यक है कि हिंदुस्तानी सीखनेवाले देवनागरी और फारसी लिपिका ज्ञान हासल कर लें और इस कारण यह सभाका फर्ज है कि वह उचित पाठ्य पुस्तक बनवावे और ऐसी परीक्षाओका निर्माण करे जिससे दोनों लिपिमें और हिंदुस्तानी भाषामें बोलने-लिखने की योग्यताका प्रमाणपत्र मिल सके। परीक्षाओंकी तफसील और पाठ्यक्रम कार्य कमिटि तैयार करें।

मसौदेकी फोटो-नकल (जी० एन० १८) से

३६२. पत्र : ऋषभदास रांकाको

सेवाग्राम
७ नवम्बर, १९४४

चि० ऋषभदास,

गुणेजीकी ख्याति मैंने सुनी है। दवाका नाम और उसके गुण लिख भेजें। मैं उसका उपयोग करूँगा। एक पुस्तिका लिख भेजें तो उत्तम। अच्छी लगी तो उसे छपवाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. जुलाई, १९४२ के मंगलप्रभात के अनुसार इस प्रस्तावका मसौदा ७ नवम्बर, १९४४ की सभाके लिए तैयार किया गया था।

३६३. एक पत्र[1]

[८ नवम्बर, १९४४ के पूर्व][2]

उपवास कब करूँगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैंने उपवास किया तो वह संसारके पीड़ित वर्गोंके कल्याणके लिए होगा।

सारे भारतमें कांग्रेसी मेरे उपवासके इरादेसे चिन्तित हैं। लेकिन चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

ऐसी स्थितिमें, जब लोग निष्क्रिय हो गये हैं और कांग्रेसकी रोजमर्राकी गतिविधियाँ ठप्प हैं, उपवास ही सत्याग्रहीका अन्तिम और एकमात्र प्रभावकारी हथियार है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १०-११-१९४४

३६४. एक पत्र[3]

[८ नवम्बर, १९४४ के पूर्व][4]

शास्त्रोंका कथन है कि वाणी और लेखनीके निष्प्रभाव हो जाने पर आदमीको उपवास करना चाहिए। फिर उपवासपर आपत्ति क्यों?

आत्माका नाश नहीं होता। नाश तो शरीरका होता है। इसलिए चिन्तित होने की क्या जरूरत है? और फिर उपवास तभी किया जायेगा जब ईश्वरकी इच्छा होगी।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १०-११-१९४४

१. यह पत्र "गुजरातके एक प्रमुख कांग्रेसीको" लिखा गया था। मूल गुजराती पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. यह रिपोर्ट दिनांक "अहमदाबाद, ८ नवम्बर", के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

३. यह पत्र केन्द्रीय विधान-सभाके एक कांग्रेसी सदस्यको हिन्दीमें लिखा गया था। मूल हिन्दी उपलब्ध नहीं है।

४. यह रिपोर्ट दिनांक "नई दिल्ली, ८ नवम्बर", के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

३६५. पत्र : अमृतकौरको

सेवाग्राम
८ नवम्बर, १९४४

चि० अमृत,

मैं तुम्हारी उपेक्षा करता रहा हूँ। क्यों, यह तो तुम जानती ही हो। सुबह सात बजेके बाद शुरू होनेवाले प्रातःभ्रमणके पहले तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। डॉ० जीवराज मेहता पास ही खड़े हैं। काय-चिकित्सकोंके समक्ष भाषण देने मद्रास जाते हुए वे एक दिनके लिए यहाँ रुक गये हैं।

राजाजी अस्वस्थ हैं और इसलिए विभिन्न बैठकोंमें भाग लेने नही आये।

अमतुस्सलाम कलकत्तामें रहकर अच्छा कार्य कर रही है।

कनुकी शादी बहुत अच्छी निबटी। लगभग ३०० लोगोंने भोजन किया। सेवाग्रामके हरिजन और सवर्ण उसमें शामिल हुए थे। उनमें से १५० से ऊपर सेवाग्राम आश्रमके निवासी और अतिथि थे।

मेरे उपवासको लेकर तुम चिन्तित नहीं हो, यह ठीक है। ईश्वरकी इच्छा होगी तो उपवास करूँगा।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४१४८) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७७८३ से भी

३६६. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

सेवाग्राम
८ नवम्बर, १९४४

प्रिय सी० आर०,

तुम्हारे बीमार पड़ने से काम नही चलेगा। मैं तुम्हें आने में जल्दी करने की तकलीफ नही दूँगा। तुम्हें नागपुरतक भी आने की परेशानी नहीं उठानी है।[1] तुम अपना अभिभाषण भेज सकते हो या उसे पढ़ने के लिए कोई आदमी तय कर सकते हो। लेकिन यदि तुम नागपुर आते ही हो, तो अपनी सुविधानुसार, सेवाग्राम या वर्धाको कुछ दिन देने होंगे।

१. २५ नवम्बरको होनेवाले नागपुर विश्वविद्यालयके दीक्षान्त समारोहके लिए

तुम्हें मैंने यह बताया है या नहीं कि क्रिप्स-प्रस्तावके बारेमें तुम्हारी पुस्तिकाको मैं ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ? मुझे तो वह जँची नहीं। तुम चाहो तो फिरसे कोशिश कर सकते हो। उसपर मुन्शीके[1] साथ मेरी चर्चा हुई थी। अधिक विचार-विमर्शके लिए मैंने मुन्शीको फिरसे बुलाया है। उनके फिर आने की सम्भावना है।

जहाँतक उपवासका सवाल है, उसके बारेमें ज्यादा सोचना मैंने छोड़ दिया है। मैं तो केवल आत्म-निरीक्षण कर रहा हूँ और सत्यका आसरा लगाये हुए हूँ कि कभी वही मुझे मार्ग दिखायेगा। मेरे अन्दर दोहरी प्रक्रिया चल रही है। देखें, क्या होता है।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०९८) से

३६७. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

८ नवम्बर, १९४४

चि० मथुरादास,

डॉ० मेहतासे तेरी तबीयतके बारेमें सुना। कोई विशेष गड़बड़ नहीं है। तूने परिश्रम करके और चिन्ता करके अपनी तबीयत बिगाड़ ली है। अपने स्वास्थ्यके लिए तुझे अपने ज्ञानका भी उपयोग करना चाहिए। अंग्रेज कोई तत्त्वज्ञानी नहीं होते, लेकिन अपने शरीरको स्वस्थ रखने के लिए निश्चिन्त रहते हैं, और शरीरके लिए ही बाह्य उपाधियोंको अपने ऊपर सवार नहीं होने देते। तुझमें भी यह शक्ति है। मेरे बारेमें या अन्य बातोंके बारेमें चिन्ता मत कर। पड़ा-पड़ा भी तू काम तो कर ही रहा है। उपवासके बारेमें अभी कुछ निश्चित नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

मथुरादास त्रिकमजी
बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० २०४। पत्रकी नकल से भी: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१. कन्हैयालाल मा० मुन्शी

३६८. बातचीत : गुलजारीलाल नन्दाके साथ[1]

[९ नवम्बर, १९४४ के पूर्व]

अगर सभी अपने-अपने धर्मका पालन करें, अपने-अपने कर्त्तव्यका निर्वाह करें, तो उपवास करनेवाला मैं कौन होता हूँ? और तब ईश्वर मुझे उपवास करने भी कैसे देगा? लेकिन अगर लोग बेचैन होकर बैठे रहेगे तो उपवास रुकनेवाला नहीं है।

जबतक मेरे सामने कुछ काम पड़े हुए हैं, तबतक उपवासकी कोई बात हो ही नहीं सकती। जब ऐसा कुछ नही रहेगा और मुझसे लेने को कोई काम नही रह जायेगा, तभी ईश्वर मुझसे उपवास करने को कहेगा। उपवास करने की गूँज तो मेरे अन्दर होती ही रहती है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नही है कि तुरन्त उपवास शुरू कर दूँ। जब ईश्वरकी ओरसे आदेश आयेगा तब कोई मुझे रोक नही सकेगा। आप चाहें तो ईश्वरसे प्रार्थना कर सकते है कि वह ऐसा करे जिससे मुझे उपवास न करना पड़े? प्रार्थना ही सच्ची चीज है। ईश्वरके नामपर सच्चा काम करना ही प्रार्थना है। मेरे मनमें तो जो बात आती है वही कहता हूँ। आज मेरे मनमें एक नही, वल्कि दो-तीन बातें है। जो बात मुझे बहुत परेशान करती है वह मैंने कही है। इसमें और कोई इजाफा हुआ, तो वह भी कहूँगा। इन बातोंसे कांग्रेसवालोंका सम्बन्ध बहुत कम है। आजकल लोग दगाबाजी, कालाबाजारी और चाहे जैसे भी पैसा बनाने में फँस गये हैं। लोग इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनका हृदय-परिवर्तन कौन कर सकता है? मेरे उपवाससे ऐसा होगा या नहीं, मुझे नही मालूम। मैं तो केवल ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ। अब उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। आज किसीको नहीं मालूम कि क्या होगा। हर व्यक्ति अगर अपने कर्त्तव्यका पालन करे, तो सम्भव है कि उपवास रुक जाये। एक व्यक्ति सारा बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन बहुत-से लोग कुछ करें तो कोई परिणाम हो सकता है। दुःखी या बेचैन होने के बजाय चित्तको शान्त रखकर सब अपना-अपना काम करें, इससे ज्यादा मुझे कुछ नही चाहिए। ईश्वर भी इससे अधिक कुछ नहीं चाहता। मैं तो शान्तिसे बैठा हुआ हूँ।

[गुजरातीसे]

गुजरात समाचार, १४-११-१९४४

1. अहमदाबाद मजूर महाजन संघके मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाने वर्धासे लिखे अपने ९ नवम्बर, १९४४ के पत्रमें गांधीजी के ये उद्‌गार संघके मुखपत्र मजूर सन्देश को भेजे थे।

३६९. पत्र : मुन्नालाल गंगादास शाहको

[९ नवम्बर, १९४४ या उसके पूर्व][1]

शुक्रवारको सवेरे कंचनको वैद्यको दिखा देना ठीक होगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं कही जा सकती। यदि मच्छरदानीके लिए कपड़ा कटवाया जा सके तो एक सिलवा लो, जिससे जरूरत पड़े तो काम आ सके। खुर्शेदवहनने एक मच्छरदानी सी देना कबूल किया है। इसी तरह काम बाँट देना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ६९७३) से। सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

३७०. तार : कैलाशनाथ काटजूको

सेवाग्राम
९ नवम्बर, १९४४

डॉ० काटजू
१९, एडमॉन्स्टन रोड
इलाहाबाद

खुशी है कि उनकी[2] यन्त्रणा समाप्त हो गई। आप काफी समझदार हैं, इसलिए शोक किये बगैर विछोह बर्दाश्त कर लेंगे। ईश्वर आपका भला करे।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. डाककी मुहरसे
२. डॉ० काटजूकी पत्नीकी

३७१. पुर्जा : आनन्द कौसल्यायनको[1]

९ नवम्बर, १९४४

१. जाहर है कि सभाके सभ्यके लिये कमसे कम वही केद हो जो आपने बताई है। सभाका उद्देश तो विधानसे स्पष्ट है। मेरी चाह अवश्य है कि सब हिंदवासी दोनों लिपि सीखे। और दोनों हिं० मु० समज सके। ऐसी भाषा बोलें।

२. हिंदी और उर्दू शैलि गंगा यमुना है। हिंदुस्तानी सरस्वती है। वह अप्रकट है और प्रकट भी। सभाका प्रयत्न उसे पूर्ण प्रकट करने का रहना चाहिये।

३. हिं० प्र० सभा दोनोंकी पूरक होगी। दोनोंसे मदद मागेगी। लेकिन इस सभाका कार्य दोनोंसे हि भिन्न होगा और समझे तो अभिन्न भी। दोनोंके कार्यको व्यर्थ करे तो खुद व्यर्थ हो जायेगी। संगमके सिवाय सरस्वती कैसी।

१. हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धाके मन्त्री। गांधीजी ने यह पुर्जा निम्नलिखित प्रश्नोंके उत्तरमें लिखा था:

(१) ऐसा लगता है कि १९४२ में जिस समय हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी स्थापना हुई थी, उस समय आपकी इच्छा और प्रयत्न यह था कि जो लोग सभाके सदस्य हों, वे राष्ट्रभाषाकी दोनों लिपियाँ अनिवार्य तौरपर सीखें। क्या आज भी आप केवल सदस्योंसे ही उक्त ज्ञानकी अपेक्षा रखते हैं अथवा चाहते हैं कि देशके सभी आबाल-वृद्ध दोनों लिपियाँ अनिवार्य तौरपर सीखें?

(२) हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके कार्यक्रमके बारेमें कुछ लोग समझते हैं कि इसका उद्देश्य हिन्दी और उर्दू दोनोंका प्रचार करना है। किन्तु कोई-कोई कहते हैं कि इसका उद्देश्य न तो हिन्दीका प्रचार करना है, न उर्दूका, बल्कि हिन्दुस्तानीका प्रचार करना है। १९४२ में आपका कहना था कि हिन्दुस्तानी-रूपी सरस्वती तो प्रकट ही नहीं हुई। क्या आज उस समयसे कुछ भिन्न स्थिति है? यदि हिन्दुस्तानी आज भी अप्रकट है, तो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा किस चीजका प्रचार करेगी?

(३) हिन्दी साहित्य सम्मेलनके तत्वावधानमें अनेक संस्थाएँ देवनागरी लिपि और हिन्दीका प्रचार कर रही हैं, और अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू फारसी लिपि तथा उर्दूका प्रचार कर रही है। क्या हिन्दुस्तानी प्रचार सभा इन दोनों संस्थाओंके कार्यको मात्र समन्वित करनेवाली तीसरी संस्था होगी, अथवा इन दोनों संस्थाओंके कार्यकी पूरक संस्था होगी? अथवा यह दोनोंके कार्यको व्यर्थ कर अपना ही कार्यक्रम चलानेवाली तीसरी संस्था बनेगी?

(४) क्या दक्षिण भारत, और गैर-हिन्दी प्रान्तोंके लिए हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी नीति तथा कार्यक्रम वही रहेगा, जो अन्य प्रान्तोंके लिए है, अर्थात् दोनों लिपियोंका अनिवार्य प्रचार?

(५) दक्षिण भारत तथा अन्य गैर-हिन्दी प्रान्तोंमें पिछले अनेक वर्षोंसे राष्ट्रभाषा-प्रचारका जो कार्य चालू है उसे चालू रखने में हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी इस नई नीतिसे कोई बाधा तो उपस्थित नहीं होगी?

४. इस सभाका कार्य तो सारे देशके लिये होगा। होना चाहिये। प्रांतप्रांतकी भिन्नताके लिये प्रणालिमें भिन्नता आ सकती है।

५. वाघा होनी नहीं चाहिये। अगर दोनों मिलकर काम करें।

मो० क० गांधी

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

३७२. पत्र: अब्दुल गनीको

सेवाग्राम
१० नवम्बर, १९४४

प्रिय अब्दुल गनी,[1]

तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारी पत्नी पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो जायेगी और तुम भी अपनी तकलीफका उपचार करवाओगे। नियन्त्रणके बारेमें जैसा तुम्हारा मन गवाही दे वैसा ही करना। अपने क्रिया-कलापके बारेमें और अपने तथा अपनी पत्नीके स्वास्थ्य-सुधारके बारेमें मुझे जानकारी देते रहना।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

३७३. पत्र: मुन्नालाल गंगादास शाहको

सेवाग्राम
१० नवम्बर, १९४४

चि० मुन्नालाल,

आखिर तुम्हारे पिता नहीं रहे। यह तो अच्छा ही हुआ। वे दुःखसे छूटे और सेवा कराने के ऋणसे मुक्त हो गये। अतः तुम्हें और तुम्हारे कुटुम्बियोंको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। समस्त जीव मरणको साथ लेकर ही शरीर धारण करते हैं। वे केवल यह नहीं जानते कि मृत्युकी घड़ी कौन-सी है। फिर इसमें शोक कैसा? अपने सम्बन्धीके मरणसे यह शिक्षा लेना हमारा कर्त्तव्य है। हम उनके गुणोंका अनुकरण करें।

१. अब्दुल गफ्फारखाँके पुत्र

जबतक आवश्यक हो तुम दोनों वहाँ रह सकते हो। यहाँ सब पूर्ववत् चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८४६८) से। सी० डब्ल्यू० ७१७९ से भी; सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

३७४. पत्र : चम्पा रतिलाल मेहताको

१० नवम्बर, १९४४

चि० चम्पा,

तेरा पत्र मिला। यह दुःखकी बात है कि चि० सरला फिर बीमार पड़ गई। अच्छी होकर यहाँ आये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे सिरपर उपवास जो झूल रहा है। तब मैं सरलाकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? जब ज्योति और तू आयेगी तब विचार करेंगे। चिमनलालको लिखा तेरा पत्र पढ़ा, लेकिन वह मैं पूरा नहीं समझ सका। अब चिमनलालसे समझूँगा। लाल बंगलेके बारेमें ज्योतिको मैंने जो लिखा था[1] तूने पढ़ा होगा।

बापूके आशीर्वाद

चम्पाबहन मेहता
[मार्फत] शशिकान्त रतिलालकी पेढ़ी
सर लाखाजी रोड
राजकोट परा

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८७५७) से। सी० डब्ल्यू० १०४३ से भी; सौजन्य : चम्पा र० मेहता

१. देखिए "पत्र : ज्योतिलाल पु० मेहताको", पृ० २९४-९५।

३७५. पत्र : कावसजी जहाँगीरको

सेवाग्राम
१० नवम्बर, १९४४

प्रिय सर कावसजी,

किसीने मुझे आपके प्रिय पुत्रके स्वर्गवासका समाचार सुनाया था। मैंने सोचा था कि शोकपत्र लिखूंगा। लेकिन कामकी भीड़में भूल गया। कल रात डाह्याभाईके नाम सरदार वल्लभभाईके पत्रमें यह खबर फिर पढ़कर स्मरण हो आया। आज यह लिखने बैठा हूँ। आप अपने दुःखमें मुझे भागीदार मानें। मुझ-जैसे भागीदार तो आपको सैकड़ों मिले होंगे। यही कामना है कि वे सब आपका भार हल्का करें और ईश्वर आपको शान्ति दे।

आपका,
मो० क० गांधी

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३७६. पत्र : रामेश्वरदास बिड़लाको

सेवाग्राम
१० नवम्बर, १९४४

भाई रामेश्वरदास,

मैं चि० शंकरन्को ६ मासके लिये ग्राम सफाईका शास्त्र पढ़ने के लिये भेज रहा हूं। चि० शारदाको कुछ होमियोपैथीके इलाजके लिये। तुम्हारे पास एक धर्मशाला रहती है। वहां इन दोनोंको रख सकता हूं? अगर शारदाको वहां रखा जाय तो उसका पति उसके साथ रहेगा। जो हो सो बगैर संकोच लिखें। घनश्यामदास आज गये। आये अच्छा ही हुआ। काफी काम हो सका।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

शंकरन् आज जा रहे हैं। रैहानाबहनके[1] साथ रहेंगे। वहाँ जगह कम है। थोड़े दिनके लिये रह सकेंगे।

रा० बिड़ला
बम्बई

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. रेहाना तैयबजी

३७७. भाषण : हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी बैठकमें

१० नवम्बर, १९४४

यहाँ हिन्दुस्तानी तालीमी संघके सदस्योंकी जो बैठक चल रही है, उसमें सदस्योंको सम्बोधित करते हुए महात्मा गांधीने कहा कि अब संघको राष्ट्रीय शिक्षाके पूरे हल्केको अपना कार्य-क्षेत्र बना लेना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षाके लिए ऐसा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जो जीवनकी हर अवस्थाके लिए हो और जिसका साधन शारीरिक श्रम और दस्तकारियाँ हों। उन्होंने बताया कि इस तरह राष्ट्रीय शिक्षाका भावी कार्यक्रम मौजूदा बुनियादी तालीमका ही ऊपर और नीचेकी ओर विस्तार-मात्र होगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-११-१९४४

३७८. एक टिप्पणी

११ नवम्बर, १९४४

(१) मैंने श्री वाडियाका ३१-१०-४४ का पत्र पढ़ा है। मुझे कतई याद नहीं कि मैंने श्री अग्निभोजके बारेमें वह बात कही थी जो कि वस्तुतः कही बताई जाती है। ऐसी नियुक्तियोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। कार्य-समितिका सदस्य मैं न तब था और न अब हूँ।

(२) हरिजन सेवक संघकी कार्यकारिणीमें एक हरिजनको रखने से मेरे इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। वस्तुतः केन्द्रीय बोर्ड तथा उसकी शाखाओंमें भी हरिजन हैं। लेकिन मैं सिद्धान्त-रूपमें ऐसी नियुक्तियोंके खिलाफ हूँ, क्योंकि संघका गठन प्रायश्चित्त करनेवाले उन सवर्ण हिन्दुओंके एक निकायके रूपमें किया गया है जिन्होंने अस्पृश्यताको मिटाने की प्रतिज्ञा की है। अतः यह एक देनदारोंका संघ है। हरिजन तो लेनदार हैं। मैंने अपनी यह राय हाल में ही भेंटके लिए आये हरिजनोंके एक दलके समक्ष व्यक्त की थी।[1]

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "बातचीत : हेमचन्द्रराव जागोबा खाण्डेकरके साथ", पृ० २७८।

३७९. पत्र : के० आर० आर० शास्त्रीको

११ नवम्बर, १९४४

प्रिय प्रो० शास्त्री[1]

आपके कृपापत्रके लिए धन्यवाद।

(क) मेरा अनुभव आपकी मान्यताकी सचाईका समर्थन नहीं करता। मैं सन्त होने का दावा नहीं करता। लेकिन मैं राजनीतिको कठोरसे-कठोर नीति-संहितासे भी असंगत नहीं मानता। मेरे खयालसे राजनीति तो एक उत्कृष्ट कला है, जिसका अभ्यास हर अच्छे नागरिकको करना चाहिए . . .।[2] पेशेवर राजनीतिज्ञ जो खेल खेलते हैं उसमें नहीं . . .।[3]

(ख) का उत्तर (क)में निहित है।

(ग) भावी पीढ़ियाँ ही बता सकती हैं। स्पष्ट है, मैं नहीं।

(घ) मुझे खेद है, मैं आपकी रायसे सहमत नहीं हो सकता। मेरा प्रयोग तो नया है। मेरा निवेदन यह है कि किसी भी निष्कर्षपर पहुँचने के लिए धैर्यसे काम लेना चाहिए।

आपके रचनात्मक सुझावोंपर मैं बहस नहीं करूँगा। आशा है, आप इसके लिए क्षमा करेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८८१०) से

३८०. पत्र : सतीशचन्द्र और हेमप्रभा दासगुप्तको

११ नवम्बर, १९४४

चि० सतीशबाबु और चि० हेमप्रभा,

तुम दोनोंके खत मेरे सामने हैं। उपवासके बारेमें चिंता करना भगवानमें अविश्वासका द्योतक है। क्या इतना नहीं मानते हैं कि जो भगवान मुझे कहे वही करूँगा? तो फिर चिंता क्यों? धर्मपालन करो वही पर्याप्त होगा।

१. इलाहाबाद विश्वविद्यालयके विधि विभागके प्राध्यापक
२ और ३. साधन-सूत्रमें कुछ शब्द पढ़े नहीं जा सके।

अब खादीके बारेमें जो परिपत्र[1] जाजूजी ने भेजा है वह मेरे विचार हैं। तुम्हारा विचार मैं भिन्न पाता हूं। मेरी भूल मुझे बताना होगा। चर्खा संघकी सभामें तो हाजर होंगे ही।

बलवंत सिंहके बारेमें क्या करना है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १६४०) से

३८१. पत्र : सोहनलाल द्विवेदीको

सेवाग्राम
११ नवम्बर, १९४४

भाई सोहनलाल,

घनश्यामदासजीसे मेरी बात हो गई है। मेरी उम्मीद है तुम शांत हो गये होगे। इस बिनाने मुझे तो नया मार्ग बताया है। आशा रखूं कि तुमको भी ऐसे हुआ है? थोड़े मित्र तो मेरी बात समझ गये हैं।[2]

बापुके आशीर्वाद

सोहनलाल द्विवेदी

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३८२. पत्र : सत्यवती देवीको

सेवाग्राम
११ नवम्बर, १९४४

चि० सत्यवती,

तेरा खत मिला। चांदरानीको भेज दो। तुझको लाहौर तबियतके लिये भी जाने की इजाजत न मिले तो कुछ भी कदम उठाने के पहले मुझको लिखो।

आज तो इतना ही। मेरे अनशनकी चिंता मत करो। मै भगवानके हाथमें हूं।

बापुके आशीर्वाद

सत्यवती देवी
जुहार, वाया शिमला हिल्स

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. इस परिपत्रमें गांधीजी और श्रीकृष्णदास जाजूके बीच ७ अक्तूबरसे १४ अक्तूबरतक हुई बातचीतका सार था।

२. देखिए पृ० २२०।

३८३. तार : वी० के० कृष्ण मेननको[1]

१२ नवम्बर, १९४४

जवाहरलाल तो इन्सानोंमें एक जवाहर हैं। वह देश भाग्यशाली है जहाँ उन्होंने जन्म लिया। जिस व्यवस्थामें उन-जैसे आदमीका एक कैदीके सिवा और किसी रूपमें उपयोग नही उसमें मूलतः कुछ खराबी है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १४-११-१९४४

३८४. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय मैथ्यू,

तुम्हारा पत्र मिला। ईश्वर मेरा सही मार्ग-दर्शन करे, यही प्रार्थना करो।
स्नेह।

बापू

प्रो० पी० जी० मैथ्यू
एस० एच० कॉलेज
तेवर, वरास्ता एर्नाकुलम
कोचिन राज्य

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५४५) से

१. यह तार १४ नवम्बरको जवाहरलाल नेहरूके जन्मदिनके उपलक्षमें भेजा गया था।

३८५. पत्र : कार्ल हीथको

१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपका सुखद पत्र मेरे हाथ आज ही आया। मैं अभी उमड़ते तूफानके बीच पड़ा हूँ और अक्सर मन-ही-मन गुनगुनाता हूँ :

> **हे शाश्वत शरणदाता**
> **मुझे अपने अंकमें ले, शरण दे।**

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कार्ल हीथ
व्हाइटविंग्स, ५७ मैनर वे
गिल्डफोर्ड, सरे (इंग्लैण्ड)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५१) से। सी० डब्ल्यू० ४४४१ से भी; सौजन्य : एफ० एच० चॉपिंग

३८६. पत्र : के० टी० घनश्यामको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि संकल्पित उपवासके विरोधमें आनेवाली हर दलीलको मैं उचित महत्त्व दे रहा हूँ। पता नहीं, यह पत्र आपतक पहुँच भी पायेगा या नहीं, क्योंकि आपने मुझे पता ही नहीं दिया है।

हृदयसे आपका,

के० टी० घनश्याम
कराची

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३८७. पत्र : अर्नेस्ट एफ० पैटनको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय अर्नेस्ट,

आपका हिम्मत बढ़ानेवाला पत्र मिला। आपका पत्र प्रकाशित करना यदि मुझे उपयोगी लगे और उसे प्रकाशित कर दूं तो आप बुरा तो नही मानेंगे? मेरा तो अनुमान है कि आप भी डाक्टर हैं। क्या हम पहले कभी मिले हैं?

आपका,
बापू

अर्नेस्ट एफ० पैटन
क्रिस्टू कुला आश्रम
तिरुपत्तूर

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३८८. पत्र : अतुलानन्द चक्रवर्तीको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय अतुलानन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। धन्यवाद।

ऐसे बहुत-से लोग आते हैं जिन्हें मैं निराश नहीं कर सकता। मैं अभी तुम्हें बढ़ावा देना नहीं चाहता। मुझे किसी-न-किसी तरह निश्चिन्त होकर अपने काममें लग जाने दो।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

साधु अतुलानन्द
मार्फत पोस्ट मास्टर
नई दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३८९. पत्र : चार्ल्स ए० आइजकको

सेवाग्राम, बरास्ता वर्धा, म० प्रा०
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय आइजक,

जिस तरहके पत्र मुझे रोज मिल रहे हैं, आपका पत्र उन्हीका एक नमूना है। ईश्वर मेरा सही मार्ग-दर्शन करे, मेरे साथ यही प्रार्थना कीजिए।

आपका,
बापू

ब्रदर चार्ल्स ए० आइजक
कोचुमुरी
कायनकुलम, त्रावणकोर रियासत
दक्षिण भारत

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३९०. पत्र : पी० सुब्बारायनको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय सुब्बारायन,

मैं आप-जैसे मित्रों द्वारा पेश की जानेवाली हर दलीलको गौरसे सुन रहा हूँ। लेकिन आखिरी फैसला तो अन्तरात्माकी आवाज ही करेगी।

मुझे आशा है कि राजाजी पूरी तरह स्वस्थ होने तक दौड़-धूप नहीं करेंगे।

यदि राधाबाई[1] यात्राके बीच यहाँ उतरें तो मुझे खुशी होगी।

फिर भी उन्हें सचेत कर दें कि मेरी शारीरिक क्षमताएँ समाप्त होने को आ रही हैं।

आपका,
बापू

डॉ० सुब्बारायन
मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. पी० सुब्बारायनकी पत्नी

३९१. पत्र : सैयद मुस्तफाको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय सैयद साहब,

आपके कृपापत्रके लिए धन्यवाद। आप भरोसा रखिये कि मैं ईश्वरके आह्वान वगैर कुछ नही करूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सैयद मुस्तफा, बार-एट-लॉ
लखनऊ

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३९२. पत्र : हेमचन्द्रराव जागोबा खाण्डेकरको

सेवाग्राम, वरास्ता वर्धा, म० प्रा०
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय खाण्डेकर,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने हमारी वातचीतकी[1] जो अनधिकृत और भ्रामक रिपोर्ट दी है उसके वादसे मैं तुमसे डरने लगा हूँ। तुम्हारी संकल्पित बैठक[2] या उसके कार्यक्रमके वारेमें मैं अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करता।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्री हे० जा० खाण्डेकर, एम० एल० ए०
इतवारी, नागपुर

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए पृ० २७८।

२. अखिल भारतीय दलित वर्ग संघके झण्डे तले हरिजनोंको संगठित करने के लिए नागपुरके हरिजन कार्यकर्ताओं और प्रान्तीय नेताओंकी बैठक, जो दिसम्बर, १९४४ के अन्तिम सप्ताहमें होनेवाली थी।

३९३. पत्र : जी० लक्ष्मी अम्माको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपने जो स्थिति बताई है, वह सचमुच शोचनीय है। हम जो अच्छेसे-अच्छा कर सकते हैं, मुझे व आपको तो वही करना है। धैर्य और लगन-जैसी और कोई चीज नहीं है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

जी० लक्ष्मी अम्मा
दलित वर्ग मिशन
मंगलौर

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३९४. पत्र : देवीबहन पण्डितको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

चि० देवी,

तेरा पत्र मिला। पैसा भी मिला। सूत काकुभाईको[1] देना है। उसका जो पैसा मिले वह हरिजन-सेवामें इस्तेमाल किया जाये। वसुमती[2] कहती थी कि तू बीमार हो जाया करती है। यह कैसे?

बापूके आशीर्वाद

देवीबहन पण्डित
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. पुरुषोत्तम का० जेराजाणी
२. वसुमती पण्डित

३९५. पत्र : शिवाभाई गो० पटेलको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

चि० शिवाभाई,

मैं क्या मार्ग-दर्शन दूं? जो लिख रहा हूँ उसीमें से लेना। रविशंकर महाराज[1] से बात हुई है। वे कुछ मार्ग-दर्शन दे सकते हैं। तुम सब यथाशक्ति करो।

बापूके आशीर्वाद

शिवाभाई पटेल
बोचासन

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

३९६. पत्र : नृसिंहप्रसाद कालिदास भट्टको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

भाई नानाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं इस तरह जल्दी निर्णय नहीं दे सकता। मिलने पर ही कुछ कह सकता हूँ। बचुका सब-कुछ निर्विघ्न निवटे, यही कामना करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

नानाभाई भट्ट
हिन्दुस्तान स्टोर्स
चौपाटी
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. रविशंकर व्यास, जो गुजरातके खेडा जिलेके बारैया नामक पिछड़ी जातिके लोगोंके बीच काम करते थे।

३९७. पत्र : अद्वैत कुमार गोस्वामीको[1]

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

भाई अद्वैत कुमार,

मेरा अभिप्राय है कि कोई भी कांग्रेसमेन व्यक्तिगत रूपमें कुछ भी कर सकता है जो कांग्रेसकी दर्शित नीतिके विरोधमें न हो। याद रक्खो मैं कांग्रेस रजीष्टर पर नहीं हूं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८०४) से

३९८. पत्र : बलवन्तसिंहको

१३ नवम्बर, १९४४

चि० बलवंतसिंह,

तुम्हारे १८को जाना। यहां तो कुछ भी होगा। यहांके रसोडाके लिये कुछ काम रूकना नहीं चाहीये।

सतीश बाबुका खत देखा। मैंने उनको लिखा है।[2]

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९४८) से

१. अद्वैत कुमार गोस्वामी, वृन्दावनके एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे। उन्होंने पूछा था कि सत्यार्थ प्रकाश के १४ वें अध्यायपर सिन्ध सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धके खिलाफ सिन्धमें किये जा रहे सत्याग्रहमें क्या कोई कांग्रेसी भाग ले सकता है।

२. देखिए "पत्र: सतीशचन्द्र और हेमप्रभा दासगुप्तको", पृ० ३०८-९।

३९९. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१३ नवम्बर, १९४४

चि० कृ० च०,

तुम्हारा निश्चय अडग रहो। सावधानता मुझे प्रिय है। हां तुम हमेशा आश्रमवासी रहोगे। आश्रममें ही रहोगे। कार्यके लिये ता० सं० के साथ रहना पड़े वह अलग बात होगी। आज तो तुम्हारा जातिखर्च आश्रमसे ही निकलेगा। आश्रम कार्यमें कुछ समय दे सकोगे या नही यह देखने की बात है। इसका पता अनुभवसे मिलेगा। ऐसी बातोंसे व्यथित नहीं होना। ईश्वर पर विश्वास रखना। 'मने एक डगलुं बस थाय।'

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

इसकी प्रतिलिपि चिमनलालको देना।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४५१) से

४००. पत्र : सरस्वती कान्तिलाल गांधीको

१३ नवम्बर, १९४४

चि० सुरू,

तेरा खत मिला। कांतिने[1] लंबा खत भेजा है, अच्छा है। दोनों खुब पढो, आगे बढो और सेवा करो। शांतिको[2] देखने की आशा तो रखता हूं, कभी होगा। तू पहेले जैसी पागल नही है कैसे मानुं?

तीनोंको
बापुके आशीर्वाद

श्री कान्ति गांधी
२९९४/१, वाणी विलिया मुहल्ला
मैसूर

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३४५६) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी। जी० एन० ६१८२ से भी

१. सरस्वती गांधीके पति और हरिलाल गांधीके पुत्र
२. सरस्वती गांधीके पुत्र

४०१. पत्र : अनिल के० मिश्रको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

भाई अनिल,

अगर मुझसे कुछ कार्यक्रम बनाना है तो तुम कुछ नही कर पाओगे। मैंने जो सर्वसाधारणके लिये लिखा है उससे अपना मार्ग शोधन करो।

बापुके आशीर्वाद

मूल पत्रसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४०२. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

तुम्हारा धर्म स्पष्ट है। पिताजीकी सेवा तो हो रही है। तुम्हारे अच्छे होने का प्रयत्न तो करना ही है। यहां या आंध्रमें यही प्रयत्नके लिये हो। माताजी अकेली तो है लेकिन लाचार नही है। लड़काकी देखभाल होती है। जुदापन सहन करने लायक है। ईश्वर कृपा होगी तो तुम अच्छे होगे और जो आज जूदे हैं वे सब साथ होंगे। ऐसा समझकर निश्चित हो जाना और सब ईश्वर करता है और वह जो करता है वह अच्छेके लिए है ऐसा समझकर आनंदमें रहो।

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

४०३. पत्र : श्रीपाद दामोदर सातवलेकरको

सेवाग्राम
१३ नवम्बर, १९४४

पंडितजी,

आपका पत्र मिला। यह रहा अप्पासाहेबका[1] उत्तर। मुझे ऐसे कामोंसे बचाइये। मैं ऐसे कामोंमें योग्य नहीं रहा हूं। मेरी शक्ति परिमित है। बोज बहुत है।

आपका,
मो० क० गांधी

पंडित सातवलेकर
औंध

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४०४. पत्र : दुर्लबसिंहको

सेवाग्राम
१४ नवम्बर, १९४४

प्रिय सरदार दुर्लबसिंह,[2]

आपके प्रश्नोंके मेरे उत्तर ये रहे :[3]

(१) कायदे-आजम जिन्ना उसे स्वीकार कर लें तो भी राजाजी के फार्मूलेके[4] साथ मेरी सहमतिसे सिखोंकी स्थितिपर जरा भी असर नहीं पड़ता। आपने कांग्रेसके लाहौरवाले जिस प्रस्तावका[5] उल्लेख किया है, वह अपनी जगह कायम है। कायदे-आजमकी स्वीकृतिका नतीजा यह हुआ होता कि हम दोनों सिखों और इस मामलेमें दिलचस्पी रखनेवाले अन्य लोगोंके पास उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जाते। मास्टरजीको लिखे अपने पत्रमें[6] मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी।

१. अप्पासाहब पन्त, औंधके शासक।
२. सेंट्रल सिख यूथ लीगके महामन्त्री
३. दुर्लबसिंहके पत्रके अंशोंके लिए देखिए परिशिष्ट १७।
४. देखिए खण्ड ७६, परिशिष्ट ८।
५. देखिए खण्ड ४२, पृ० ३७०।
६. देखिए पृ० ३३-३४।

(२) अकालियोंके रोषका कारण मैं नही समझ पाता। मैंने जो पक्का आश्वासन दिया है उसको देखते किसी शिष्टमण्डलसे मेरा मिलना आवश्यक नही था। यदि मेरे आश्वासनके बावजूद मास्टरजी अपने मित्रोको मेरे पास लाना चाहते, तो मैं उनसे उतनी ही खुशीके साथ मिलता जितनी खुशीके साथ मैं स्पष्टीकरण चाहनेवाले अन्य मित्रोंसे मिला था।

(३) मौलाना साहबने जगतनारायण लालवाले प्रस्तावके[1] फलितार्थ समझाये है। आप पढ़ लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि राजाजी के फार्मूलेके साथ उसकी संगति नहीं बैठती और कांग्रेस राजाजी के फार्मूलेको स्वीकार कर लेती है, तो कांग्रेस प्रस्तावको रद्द कर सकती है।

(४) मैंने सिख मित्रोंके साथ हमेशा घनिष्टतम सहयोग किया है, फिर मैं किसी विरोधी रायका समर्थन कैसे कर सकता हूँ? जो सिख कांग्रेसके सिद्धान्तोंमें विश्वास नही रखते वे, ऐसे अन्य लोगोंकी भाँति, स्वभावतः कांग्रेसमें शामिल नहीं होते।

(५) सिकन्दर[2]-बलदेवसिंह समझौतेके बारेमें मुझे कुछ पता नही है, उस समझौतेसे कांग्रेस हाई कमानके सम्बन्धकी तो बात ही छोड़िए। ना ही मुझे आजाद पंजाब योजनाका ब्योरा पता है।

जो चीज राष्ट्रीय हितके विरुद्ध है, उसे अपना आशीर्वाद देने का दोषी मैं कभी नही हो सकता। निश्चय ही आप यह विश्वास कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी सिखों और सभी राष्ट्रवादियोके हित मेरे हाथोंमें — और मैं समझता हूँ — कांग्रेसके हाथों में भी सुरक्षित है, हालाँकि आप जानते हैं कि मुझे कांग्रेसकी ओरसे बोलने का कोई अधिकार नही है।

मेरे बारेमें बहुत-सी मनगढ़न्त बातें कही जा रही है। मैं मित्रोंको सचेत कर दूं कि बिना मुझसे पूछे वे इनमें से किसीपर भी विश्वास न करें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, १९४४, जिल्द २, पृ० २२२

१. देखिए पृ० २७, पा० टि० ३।
२. सर सिकन्दर हयात खान

४०५. पत्र : कलकत्ताके बिशपको

सेवाग्राम
१४ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

अभी-अभी प्राप्त आपके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद। पता नही, आपने मेरा वक्तव्य[1] देखा है या नहीं। यदि उपवास हुआ, तो उसका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होगा। आपकी सुविधाके लिए मैं आपको अपने वक्तव्यकी एक प्रति भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मेट्रोपोलिटन
बिशप्स हाउस
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४०६. पत्र : मुहम्मद अन्सारीको

सेवाग्राम
१४ नवम्बर, १९४४

प्रिय सरदार साहब,

आपका पत्र मिला। आपकी उपेक्षा करने का तो प्रश्न ही नहीं था। आपका संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है, जिसे अपने पक्षमें लाने की कोशिश करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। लीगकी उपेक्षा न तो मैं कर सकता हूँ और न आप कर सकते हैं। हमें लीग तथा वैसी अन्य शक्तियोंको अपने पक्षमें करना है। मैंने कायदे-आजम के साथ कोशिश की। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि मैं इसमें असफल रहा,

१. देखिए पृ० २४०-४१।

फिर भी हमने गँवाया कुछ नहीं है। बुनियादी सिद्धान्तोंका त्याग किये बिना बैर कम करने के लिए मुझे व आपको यथाशक्ति अच्छेसे-अच्छे ढंगसे कार्य करना है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सरदार मुहम्मद अन्सारी
बिहार मोमिन कॉन्फ्रेन्स
डेहरी-ऑन-सोन, ई० आई० आर०

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४०७. पत्र : अमतुस्सलामको

सेवाग्राम
१४ नवम्बर, १९४४

प्यारी बेटी,

तेरे दो पत्र मिले। पत्र बहुत लम्बे हैं। उपवास तो ईश्वर भेजेगा तभी आयेगा। उससे माँगने से नहीं मिलेगा। इस तरह घबराने से काम थोड़े ही चलेगा। अपनी तन्दुरुस्तीका खयाल रखकर काम किये जा। यदि सब काम करते रहें, तो उपवासकी नौबत ही नहीं आयेगी। लेकिन जो लोग उपवासके नामसे ही घबरा जाते हैं, उन्होंने सत्याग्रहका पहला पाठ भी नहीं सीखा।

जोहरा मजेमें है।

बापूकी दुआ

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७) से

४०८. पत्र : वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहताको

सेवाग्राम
१५ नवम्बर, १९४४

भाई वैकुण्ठ,

तुम्हारा नोट मुझे अच्छा लगा है। कुछ काट-पीट की है, उसे तुम समझ जाओगे।

एक सुझाव दूं? तुम बहुत सटा-सटाकर लिखते हो। इसलिए बीचमें कुछ जोड़ना हो तो कठिनाई उपस्थित हो जाती है। इस नोटके बारेमें ऐसा हुआ है, यह देख लेना। कागजका लोभ तो करना ही चाहिए। लेकिन उसकी कोई सीमा तो होगी ना?

[पुनश्च :]

नोट साथमें है।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजरातीसे : वी० एल० मेहता पेपर्स। सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४०९. पत्र : दिनशा मेहताको

सेवाग्राम
१५ नवम्बर, १९४४

चि० दिनशा,

पत्र मिला। हमें जमीनके बारेमें उतावली नहीं करनी चाहिए। देर हो रही है, इसमें ईश्वरका हाथ है। मेरे उपवासके विषयमें तुमने जो कहा है, उसे मैं समझता हूँ। अभी कुछ निश्चित नही है। अगर करूँगा तो चालीस दिनोंके लिए या कम दिनोंके लिए, यह भी तय नहीं है। मेरी प्रार्थना चल रही है। उपवास तुम्हारे साथ रहकर करूँ, यह मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन इस उपवासके सम्बन्धमें मेरी कोई पसन्द चलनेवाली नहीं है। और क्या मेरे लिए अपनी सुविधा देखने की गुंजाइश है? यह उपवास क्या मैं कोई अपने स्वास्थ्यकी खातिर करूँगा? वह तो ईश-कार्यके लिए ही होगा। उसे मुझे जहाँ ले जाना होगा वहाँ ले जायेगा। तुम मेरे लिए कोई तैयारी न करना। अपने काममें मशगूल रहना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। चिन्ता तुम दोनोंमें से किसीको नहीं करनी है। अरदेशिर प्रगति करता रहे। अभी तो उसे बहुत प्रगति करनी है। उसके कानमें अहिंसाका मन्त्र डालना।

बापूके आशीर्वाद

डॉ० दिनशा मेहता
पूना

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४१०. पत्र : रावजीभाई मणिभाई पटेलको

सेवाग्राम
१५ नवम्बर, १९४४

चि० रावजीभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरी सलाह है कि अभी कोई यहाँ भागा न आये। सभी अपने-अपने काममें डूब जायें। ऐसा करने से शायद उपवास रुक जाये।

बापूके आशीर्वाद

रावजीभाई मणिभाई पटेल
विट्ठल कन्या विद्यालय
नडियाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४११. पत्र : हरिभाई डाह्याको

सेवाग्राम
१५ नवम्बर, १९४४

भाई हरिभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। एक अनिष्ट दूर करने के लिए दूसरा अनिष्ट नहीं करना चाहिए। यह सत्य या अहिंसाका रास्ता नही माना जायेगा। इससे सीधा रास्ता यह है कि जितना हमसे न्यायपूर्वक दिया जा सके उतना दे दें। उससे बात न बने, तो जो दुःख पड़े उसे सहन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कभी पछताना न पड़ेगा।

बापूके आशीर्वाद

हरिभाई डाह्या
पो० ऑ० बॉ० ८९
वेलिंगटन
न्यूजीलैण्ड

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४१२. पत्र : तेजवन्ती धीरको

१५ नवम्बर, १९४४

चि० तेजवन्ती,

तुम्हारा खत मिला। अगर तुमको लालाजीके मकानमें रहने है तो रहना। तीन मासमें अच्छी तरह तैयार न हो सके तो अधिक समय देना। पक्की तैयार करके ही देहातमें जाना।

बापुके आशीर्वाद

तेजवन्ती बहन
आदमपुर

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४१३. पत्र : मैसूर कांग्रेस विधान-सभाई दलके मन्त्रीको

[१६ नवम्बर, १९४४ के पूर्व][1]

श्री प्यारेलालने . . . मैसूर कांग्रेस विधान-सभाई दलके मन्त्रीको दलके सम्मेलनमें (जो कल हो चुका है) निमन्त्रित करने पर गांधीजी की ओरसे एक पत्र लिखकर धन्यवाद प्रकट किया है। धन्यवाद-पत्रमें यह भी कहा गया है कि ऐसे हर कामको, जिससे रचनात्मक प्रवृत्तियोंको बढ़ावा मिलता है और जो जन-स्वातन्त्र्यको बल देता है, उनके आशीर्वाद सदा प्राप्त हैं। नये संविधानके अन्तर्गत अपने प्रथम कार्य-कालमें दलने विधान-सभामें जो श्रेष्ठ कार्य किया है उसके लिए भी उन्होंने उसे बधाई दी है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १९-११-१९४४

४१४. पत्र : जे० जे० सिंहको

१६ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपके व आपके मित्रोंके कृपापूर्ण सन्देशके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सरदार जे० जे० सिंह
इंडिया लीग ऑफ अमेरिका
४० ईस्ट, ४९ वीं स्ट्रीट
न्यूयॉर्क १७, एन० वाई०

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. सम्मेलन मैसूरमें १६ नवम्बर, १९४४को हुआ था।

४१५. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

सेवाग्राम
१६ नवम्बर, १९४४

चि० जयसुखलाल,

तुमने फिर मूंगफली और खजूरका प्रयोग शुरू करके ठीक नहीं किया। यह प्रयोग गलत है। बिन-पके भोजनका प्रयोग एक प्रकारका दुराग्रह है। उन्हें बनाना आना चाहिए। सामान्य भोजन बनाने में कोई तकलीफ नही होती, और तुम वही करना। या फिर मनुको वहाँ भेजूं? वह खुद भी तुम्हारे प्रयोगकी बात सुनकर यहाँ रह नही सकेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२४) से

४१६. पत्र : लीलावती आसरको

सेवाग्राम
१६ नवम्बर, १९४४

चि० लीली,

तेरे दो पत्र मिले। लोग तो सर्वत्र मरते हैं और मरते रहेंगे। तुझे तो अभी अपने अध्ययनको चमकाना है। बादमें सब-कुछ हो जायेगा। सेवाग्रामका वातावरण भी यहाँके जैसा हो जाये, इतना प्रयत्न करना।

बापूके आशीर्वाद

लीलावती उदेशी
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४१७. पत्र : डॉ० सांगाणीको

सेवाग्राम
१६ नवम्बर, १९४४

भाई सांगाणी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने संयुक्ताकी[1] बहुत अच्छी तीमारदारी की है। वह बहुत कष्टमें थी। प्रभु तुम्हें इसका प्रतिदान दे। चि० संयुक्तासे कहना कि उसका पत्र मिला था। तुम अनुमति दोगे, तभी वह आ सकती है।

बापूके आशीर्वाद

डॉ० सांगाणी
हरकिशनदास हॉस्पिटल
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४१८. पत्र : जयेन्द्रको[2]

सेवाग्राम
१६ नवम्बर, १९४४

भाई जयेन्द्र,

आपका खत मैं ध्यानसे पढ़ गया हूं। उसका दलीलसे उत्तर देना मुझे समय नहीं है। ईश्वर जैसे कहेगा वही करूंगा। अबतक तो कुछ आदेश नहीं है।

आपका,
मो० क० गांधी

श्री जयेन्द्र, साहित्यरत्न
हिन्दी प्रचारक
अमादल पल्ली

मूल पत्रसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. जयसुखलाल गांधीकी पुत्री
२. पूरा पता न होने के कारण यह पत्र डाकमें नहीं डाला गया था।

४१९. पत्र : बलवन्तसिंहको

१६ नवम्बर, १९४४

चि० ब० सिं०,

सब कागज भेजता हूं। दूसरोके बारेमें कुछ कहना नहीं है। आजके खतके बारेमें इतना कि कि [शोरीलाल] भाईके लिये रहने का धर्म हो सकता है। उसका निर्णय तुम्हारे ही करना चाहीये। रसोडाके लिए रहने का धर्म नही है। तुम्हारेसे अंतमें क्या काम लूंगा वह मेरे पर छोडो। अबसे निर्णय नही कर सकता। हां तुम्हारे शास्त्रीय दृष्टि आ जायगी तब तो मुझे बड़ा ही आनंद होगा। अ० स० के बारेमें मैंने कुछ सुना नही था। तुम्हारे बारेमें कोई शक नही है। मै क्यों खाली समय दूं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९४९) से

४२०. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

१६ नवम्बर, १९४४

रोना हसना दिलमें से निकलता है। दुःख मानकर रोता है, उसी दुःखको सुख मानकर हसता है इसलिये ही रामनामका सहारा चाहीये। सब उनको अर्पण करना तो आनंद ही आनंद है। नही सुनने में दुःख क्यों उससे बहुत निकम्मी चीजें सुनने से बच जाते है। कामकी बात तो लिखकर जानते हैं। मै तो यह भी मानता हूं कि अगर चित्तमें आनंद प्रगट होगा तो काम दुरस्त हो जावेगा।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

४२१. पत्र : वि० गो० सहस्रबुद्धेको

सेवाग्राम
१६ नवम्बर, १९४४

भाई सहस्रबुद्धे,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं किस अधिकारसे श्री जाजूको कहूं सूत सहस्रबुद्धेको दो? वह पैसे जाजूके नाम पर क्यों रक्खे। ऐसा ही न की यदि तुम्हारे नही थे तो उसका सूत्र तुमको कैसे मिले? सब हकीकत तो याद भी नही है। मै तो अनुमान निकाल कर लिख रहा हूं। तुम्हारा गुजारा नही होता है तो तुम्हारे ज्यादा तनखा मांगना चाहिये। अथवा दूसरा धन्धा पसन्द करना। यदि यह पैसे तुम्हारे है तो तुम्हारे कोरटका हुकम लेना या कोई बातका मुझे स्मरण नही है तो मुझे बताना।

बापुके आशीर्वाद

वि० गो० सहस्रबुद्धे
खादी वस्त्रालय, महाल
नागपुर

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४२२. पत्र : हेमचन्द्रराव जागोबा खाण्डेकरको

सेवाग्राम
१६ नवम्बर, १९४४

भाई खांडेकर,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे बालकके स्वर्गवासकी बात सुनकर मैं दुःखी हुआ। ईश्वर तुमको शान्ति व धीरज दे। मेरे पास तुमसे जो बातचीत हुई उसकी नोंध तो है लेकिन मैं भेजना नहीं चाहता। तुम्हारे शब्दोंसे नहीं तुम्हारे वर्तनसे ही विश्वास पैदा हो सकता है। भगवान तुम्हारा भला करे।

मो० क० गांधी

हेमचन्द्रराव जागोबा खाण्डेकर
इतवारी
नागपुर

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४२३. पत्र : डॉ० बलदेवको

सेवाग्राम
१६ नवम्बर, १९४४

भाई बलदेव,

तुमने क्या किया है? सुभद्रा क्यों दुःखी है? मुझे लिखोगे?

बापूके आशीर्वाद

डा० बलदेवजी
अमृतधारा [फार्मेसी]
लाहौर

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४२४. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

सेवाग्राम
१७ नवम्बर, १९४४

प्रिय सर तेज,

आपका १३ तारीखका पत्र गांधीजी को मिल गया है। उनकी राय है कि आगामी सम्मेलनके सिलसिलेमें उनके नामका सार्वजनिक उपयोग न करना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप जरूरी समझते हैं, तो वे एतराज नहीं करेंगे।

हृदयसे आपका,
प्यारेलाल

परम माननीय सर तेजबहादुर सप्रू
१९, अल्बर्ट रोड
इलाहाबाद

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स। सौजन्य: नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

४२५. पत्र : नेदरलैण्ड्स ट्रेडिंग सोसाइटीको

१७ नवम्बर, १९४४

प्रिय महोदय,

मेरे नाम आपके बिना नम्बरके १४-११-१९४४ के १,००० पौंडके ड्राफ्टके सन्दर्भमें आपको सूचित करता हूँ कि मैंने बैंक ऑफ नागपुर लिमिटेड, वर्धाको आपसे यह रकम हासिल करने का अधिकार दे दिया है।

आपका विश्वासपात्र,
मो० क० गांधी

मेसर्स द नेदरलैण्ड्स ट्रेडिंग सोसाइटी
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४२६. पत्र : खण्डूभाई देसाईको

१७ नवम्बर, १९४४

भाई खण्डूभाई,

मजूर दिन का उत्सव[1] सफल हो। अहमदाबादमें मजदूर भाइयोंने बहुत प्रगति की है, लेकिन अभी और प्रगति करनी बाकी है। जबतक मजदूरीकी प्रतिष्ठा पूंजीकी प्रतिष्ठासे अधिक नहीं हो जाती, मैं आरामसे नहीं बैठूंगा, न मजदूर बैठें। और जबतक हममें एकता, शत-प्रति-शत ईमानदारी तथा ज्ञानमय शिक्षाका प्रसार नही होगा, तबतक हम इस स्थिति तक नहीं पहुँचेंगे। मजदूरीमें जात-पाँत और साम्प्रदायिकताका कोई स्थान नही है। स्त्रीके अधिकार भी इतने ही है जितने पुरुषके।

बापूके आशीर्वाद

गुजरात समाचार, ३-१२-१९४४ में प्रकाशित गुजरातीकी प्रतिकृतिसे

१. अहमदाबादके टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (कपड़ा मजदूर संघ) की स्थापनाका २६ वाँ वार्षिकोत्सव

४२७. पत्र : ब्रह्मकुमार भट्टको

सेवाग्राम
१७ नवम्बर, १९४४

भाई ब्रह्मकुमार भट्ट,

तुम्हारा लम्बा पत्र आज पूरा पढ़ गया। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे मण्डलने अच्छी प्रगति की है। अभी और प्रगति करो।

आम काम-काजमें तुम अपना (पत्र लिखने का) मुहरवाला कागज क्यों इस्तेमाल करते हो? इसमें हर ओर लगभग एक-तिहाई स्थान बेकार जाता है और छपाई का खर्च भी व्यर्थ जाता है। यह एक अतिरिक्त हानि है।

देखता हूँ, तुम्हारी प्रवृत्तियोंमें हरिजन-सेवाको जैसा चाहिए वैसा स्थान नहीं दिया गया है।

तुम सब लोग क्या हिन्दुस्तानी (हिन्दी-उर्दू) सीखते हो?

तुम्हारे कार्यवाहकोंमें किसी मुसलमानका नाम नहीं देखता। तुम्हारे मण्डलमें कोई मुसलमान है क्या?

रचनात्मक कार्यके सम्बन्धमें मैंने जो सुझाव लिखे हैं[1], उन्हें तुमने देखा है क्या? बेशक, मैं चाहता हूँ कि उसमें विद्यार्थियोंके विषयमें मैंने जो-कुछ लिखा है, उसका मनन तुम्हारा मण्डल करे।

मो० क० गांधीके आशीर्वाद

ब्रह्मकुमार भट्ट
राष्ट्रीय विद्यार्थी मण्डल
रायपुर
अहमदाबाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए पृ० २३४-३७।

४२८. पत्र : डॉ० जीवराज मेहताको

सेवाग्राम
१७ नवम्बर, १९४४

भाई जीवराज,

चि० सुशीला[1] मथुरादास[2] और उसके बीमार मित्रको देखने वहाँ जा रही है। यहाँ शीघ्र ही प्रसूति-गृह आरम्भ करने का मेरा उत्साह मन्द पड़ गया है। सुशीला अपना सारा वक्त इसी काममें नहीं देगी, इसलिए इसमें उसका स्थान क्या होगा, इस विषयमें विचार कर रहा हूँ। अगर वह कमेटीमें नहीं होगी तो कमेटीका काम ठीकसे कैसे चलेगा, यह भी मेरी समझमें नहीं आ रहा है। खुद सुशीलाकी मान्यता है कि वह जितना समय देती है उतनेमें ही वह यहाँके प्रसूति-गृह और कमेटी, दोनों के कामोंको ठीक चला सकेगी। प्रसूति-गृहके कामके लिए उसके मातहत एक डॉक्टर होना चाहिए। इस विषयकी चर्चा करनी हो तो उसके साथ करना। भाई आबिद अलीसे मैंने कहा है कि खर्चका अनुमान आदि तो लगवा ले, लेकिन अभी किसी खर्चमें न पड़े।

तुम मजेमें होगे।

बापूके आशीर्वाद

डॉ० जीवराज मेहता
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४२९. पत्र : वल्लतोल नारायण मेननको

सेवाग्राम
१८ नवम्बर, १९४४

प्रिय वल्लतोल,[3]

ईश्वर करे मल्लिका तथा उसका पति प्रेमपूर्वक रहते हुए दीर्घजीवी हों और अधिकाधिक योग्यतासे देशकी सेवा करें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री वल्लतोल
चेरुतुरुत्ति

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. डॉ० सुशीला नैयर
२. मथुरादास त्रिकमजी
३. प्रसिद्ध मलयाली कवि

४३०. पत्र : ओंकारनाथ ठाकुरको

सेवाग्राम
१८ नवम्बर, १९४४

भाई ओंकारनाथ,[1]

तुम्हारा पत्र मेरे हाथमें आज आया। तुम्हारी शुभेच्छाएँ फलित हों। तुम्हारा वक्तव्य बहुत लम्बा है। फुर्सतमें पढ़ जाऊँगा और जो-कुछ कहने योग्य होगा, लिख दूंगा।[2]

बापूके आशीर्वाद

पण्डित ओंकारनाथ
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४३१. पत्र : आशाभाईको

सेवाग्राम
१८ नवम्बर, १९४४

भाई आशाभाई,

तुम्हारा मूल पत्र तो मैंने बापाको भेज दिया था, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। रविशंकर महाराजने मुझे उसकी एक नकल दी और बात भी की। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हें है ही। तुम्हारा काम अच्छा है। चन्दा उगाहने में सबने हिस्सा लिया, यह भी अच्छा किया। मेरी सलाह है कि और पैसा हो तो उसे स्मारक-कोषमें न देकर वहीं रख लो और तुम जो काम करना चाहते हो उसमें उसका उपयोग करो। इसमें कोई हर्ज नहीं होगा और तुम पैसेका पूरा उपयोग वहीं कर सकते हो। तुम्हारी स्थानिक कमेटी तो होगी ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. हिन्दुस्तानी संगीतके प्रसिद्ध गायक
२. देखिए पृ० ३३६-३७।

४३२. पत्र : मदनमोहन मालवीयको

सेवाग्राम
१८ नवम्बर, १९४४

भाई साहेब,

भाई सुंदरम्ने महादेव मंदिरके बारेमें आपका खत मुझे बताया। मेरा तो आपसे विनय है मंदिर बहुत सादा बनने दीजीये। बड़े मकानमें महादेवकी प्रतिष्ठा होगी कि सादेमें? उच्चतम विचार सादे मंदिरमें रहते हैं ऐसी मेरी नम्र मान्यता है। चौक तो अच्छा है ही। सादी छत करने से हजारों लोग महादेवका ध्यान कर सकेंगे। इस समय तो मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सब वस्तुयें ही है। दृढ़ संकल्पन किया जाय और उसकी पूर्तिके लिये प्रतिज्ञा की जाय तो आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिये।

आपका कनिष्ठ बंधु,
मो० क० गांधी

मार्फत भाई सुंदरम्
भा० भू० पंडित मालवीयजी

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०३५९) से। सौजन्य: भारत कला भवन

४३३. पत्र : ओंकारनाथ ठाकुरको

सेवाग्राम
१८ नवम्बर, १९४४

भाई ओंकारनाथ,

मैं साराका सारा निवेदन पढ़ गया। इतना[1] भूलसे या हिन्दीकी धुनमें हिन्दीमें लिखा गया। निवेदन अंग्रेजीमें किसलिए? तुम्हारी भाषा भी अंग्रेजीमें मुहावरेके अनुरूप नहीं है, इसलिए बेसुरी लगती है। अंग्रेजीपर पूरा अधिकार हममें से थोड़े ही लोगोंका हो पाता है। होना भी किसलिए चाहिए? जहाँ अंग्रेजीके बिना काम न चले वहाँ तो चाहे जैसी अंग्रेजी लिख सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तुम्हें तो अपने विचार हिन्दुस्तानी लोगोंके सामने रखने हैं, वे या तो गुजराती अर्थात् मातृभाषामें, अथवा हिन्दुस्तानी यानी राष्ट्रभाषामें होने चाहिए।

१. अर्थात् पिछला वाक्य

यह तो हुई एक बात।

तुम्हें चार्टरकी क्या जरूरत है? तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारा रुक्का होना चाहिए। तुम्हें राज्यकी छत्रछायाकी क्या दरकार? मै मानता हूँ कि शान्तिनिकेतन आदि बिना परवानेके चलते है, लेकिन उनकी ख्याति सारे जगतमें फैली हुई है। विष्णु दिगम्बरजीने[1] क्या परवाना लिया था?

अब तीसरी बात।

यह निवेदन तुम्हारे नये निर्णयके विरुद्ध है। इसमें पाकिस्तान है। संगीत इसमें अबतक अस्पष्ट ही है। तुम इसमें से पाकिस्तानके छींटे न उड़ने दो।

मृत्यु-शय्यापर पड़े व्यक्तिसे इस विचार-विनिमयके अलावा और किस चीजकी आशा कर सकते हो?

बापूके आशीर्वाद

पण्डित ओंकारनाथ
संगीत मार्तण्ड
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४३४. पत्र: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

सेवाग्राम
१९ नवम्बर, १९४४

प्रिय सी० आर०,

यह मात्र प्रेम-पत्र है। आशा करता हूँ, तुम जब यहाँ आओगे तो तुम पूर्ण स्वस्थ होगे। यहाँ ठण्ड शुरू हो गई है।

प्रभुसे प्रार्थना करो कि तुम्हारी पुस्तिकाको[2] मैं तुम्हारे नजरियेसे देख सकूँ।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०९९) से

१. हिन्दुस्तानी संगीतके विख्यात गायक और ओंकारनाथ ठाकुरके गुरु विष्णु दिगम्बर पलुस्कर
२. क्रिप्सके प्रस्तावके बारेमें; देखिए "पत्र: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको", पृ० २९९-३००।

४३५. पत्र : डॉ० हरिप्रसाद देसाईको

सेवाग्राम

१९ नवम्बर, १९४४

भाई हरिप्रसाद,[1]

हमारी मुलाकात कई वर्ष बाद हुई और वह भी सेवाग्राममें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

अहमदाबादका समाचार तुमने विस्तारसे दिया, जिसे सुनकर खुशी हुई। लेकिन मेरा लोभ तो तुम जानते हो। मुझे सन्तोष तो तभी प्राप्त होगा जब अहमदाबाद मेरे सपनेको साकार करे। अस्पृश्यता समूल नष्ट हो। हिन्दू-मुसलमान आदि सभी कौमोंके लोग सगे भाइयोंकी तरह रहें। स्त्री-पुरुष मर्यादा-धर्मका पालन करके समान बनकर रहें। धनिकों और मजदूरोंके बीचकी विषमता मिटे। शराब और जुआ बन्द हो। सभी घर-बाहर शुद्ध खादीका ही इस्तेमाल करें। हृदयके अन्दर और बाहर भी आदर्श स्वच्छताका पालन हो और कोई क्षुधा-पीड़ित न रहे। इसमें से जो हो सके वह स्वयं करना और दूसरोंसे कराना।[2] और क्या कहूँ? फिर आना।

बापूके आशीर्वाद

डॉ० हरिप्रसाद देसाई
अहमदाबाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४३६. पत्र : जीवनलाल दीवानको

सेवाग्राम

१९ नवम्बर, १९४४

भाईश्री दीवान,

तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई। तुम अबतक पूरी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाये हो, यह अच्छा नहीं लगता। क्या डॉक्टर और वैद्य कोई इलाज नहीं कर सकते या तुम ही आरोग्यके नियमोंका पालन करने में शिथिल हो? मेरे यह प्रश्न पूछने में 'सूप तो सूप छलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद' वाली बातका आभास आता है, लेकिन बात ऐसी है नहीं?

१. अहमदाबाद नगरपालिकाके भूतपूर्व अध्यक्ष

२. यह सन्देश "मजदूर-दिवस" के लिए भेजा गया था।

बल्लुभाईकी कमी तो पग-पगपर खलेगी ही। मैंने तो तुम दोनोंको अभिन्न माना था। लेकिन वह तो सबको दगा देकर चलता बना।

तुम्हारे विद्यार्थीके लिए उत्तर[1] साथमें है। इसे पढ़कर जो उचित लगे सो उसे बताओ।

बाकी डॉ० हरिप्रसादको लिखे पत्रसे[2] जान लेना।

बापूके आशीर्वाद

जीवनलाल दीवान
अहमदाबाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४३७. पत्र : सूर्यकान्त परीखको[3]

सेवाग्राम
१९ नवम्बर, १९४४

चि० सूर्यकान्त परीख,

तुम्हारा पत्र साफ-सुथरा है। नेता लोग जेलमें हैं, इसलिए वे तो अपना फर्ज पूरा कर ही रहे हैं। जेलमें रहकर सत्याग्रही कभी सड़ता नहीं, वह सेवा ही करता है। बाहर रहने पर वह ज्यादा सेवा करेगा ही, यह अनिवार्य नियम नहीं है। लेकिन जो बाहर हैं उनका धर्म है कि वे उन्हें भुलायें नहीं और उन्हें रिहा भी करायें। हममें शक्ति हो तो वे जेलमें हों ही नहीं। लेकिन पूरी शक्ति न आई हो तो भी जितनी हो उतनी शक्तिका परिचय तो देना ही चाहिए। इसलिए हर ९ तारीखको विद्यार्थी पाठशालामें न जाये, यह इष्ट है। शर्त यह है कि उस दिन वह आत्मशुद्धि करे और सारा दिन सेवा-कार्यमें लगाये। कहने की जरूरत नहीं कि सभी प्रवृत्तियोंमें सत्य और अहिंसाका पूरा पालन करना चाहिए। सार्वजनिक सविनय अवज्ञा बन्द है; बल्कि वह कभी आरम्भ ही नहीं की गई। लेकिन स्वतन्त्रताकी लड़ाई तो तबतक चालू ही है जबतक कि हमें स्वतन्त्रता मिल नहीं जाती।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

३. अहमदाबादके प्रोप्राइटरी हाई स्कूलके विद्यार्थी सूर्यकान्त परीखने अपनी स्कूल कमेटीकी ओरसे पत्र लिखकर गांधीजी से पूछा था कि हर महीनेकी ९ तारीख कैसे मनाई जाये। गांधीजी के पास चूँकि इस तरहके और भी बहुत-से पत्र आ रहे थे और इस पत्रका एक अंश समाचारपत्रोंमें प्रकाशित भी हुआ था, इसलिए इस गुजराती उत्तरका एक अधिकृत अनुवाद १९ जनवरी, १९४५ को समाचारपत्रोंको प्रकाशनार्थ जारी भी कर दिया गया था।

जो निर्णय करना उसमें मर्यादाका पालन करना। संचालकों और शिक्षकोंसे मिलकर निर्णय करना। तुम्हारी पाठशाला सरकारी नहीं है, यह न भूलना।

विद्यार्थियोंके धर्मके विषयमें मेरा (अन्यत्र दिया गया) सुझाव तुम्हारे ध्यानमें होगा।

बापूके आशीर्वाद

सूर्यकान्त
मार्फत जीवनलाल दीवान
अहमदाबाद

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४३८. भाषण: अ० भा० शिक्षक प्रशिक्षण शिविरमें[1]

सेवाग्राम
१९ नवम्बर, १९४४

श्रीमती आशा देवीके अनुरोधपर गांधीजी ने इसी १९ तारीखको नई तालीमका अर्थ समझाने के लिए प्रशिक्षणार्थियोंके सम्मुख संक्षिप्त-सा भाषण किया। थोड़े-से शब्दोंमें उन्होंने बताया कि बुनियादी शिक्षा योजनाका जन्म किस प्रकार हुआ। १९३७ में जब कांग्रेसने — कुछ समयके लिए, जैसा कि बादमें सिद्ध हुआ — ११ में से ७ प्रान्तोंमें सत्ता ग्रहण की तो उसके सामने लोक-शिक्षाकी समस्या आई। मेरी सलाह माँगी गई। बहुत-से लोगोंकी तरह मैं भी शिक्षाकी वर्तमान प्रणालीसे असन्तुष्ट था। मुझे लगा कि यदि शिक्षाको भारतके गाँवोंमें रहनेवाली सामान्य जनताकी जीवन्त आवश्यकताओंके साथ जोड़ना है, तो ऐसी शिक्षा बुनियादी दस्तकारीके जरिये दी जानी चाहिए। मुझे खेती-बाड़ीका कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं था लेकिन चरखेका विचार मेरे दिमागमें भरा हुआ था, और चरखेको मैं ग्राम्य जीवनका अंग मानता था। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि चरखेको बच्चोंकी शिक्षाके माध्यमके रूपमें प्रयुक्त किया जाये। मेरा यह विचार श्री आर्यनायकम्, श्रीमती आशा देवी और डॉ० जाकिर हुसैनको जँच गया, और उन्हींकी कोशिशोंसे हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी स्थापना हुई।

मूलतः इस नई तालीममें बच्चेकी शिक्षाके प्रथम सात वर्षोंको ही — अर्थात् सात वर्षसे चौदह वर्ष तकको ही — शामिल किया गया था। यह प्रयोग छः वर्ष पूरे कर चुका है और सातवें वर्षमें प्रवेश कर रहा है। और ज्यादा विचार करने पर

१. हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा आयोजित लगभग ५० प्रशिक्षणार्थियोंके इस शिविरका उद्घाटन गांधीजी ने तीसरे पहर किया था। यह गांधीजी के भाषणका, जो अनुमानतः हिन्दीमें दिया गया था, अधिकृत रूप है।

मैं इस नतीजेपर आया हूँ कि इस शिक्षामें जन्मसे लेकर मृत्युतक मनुष्यका पूरा जीवन आना चाहिए।

कार्यवाहीके आरम्भमें जो प्रार्थना गाई गई थी, उसकी चर्चा करते हुए गांधीजी ने कहा :

इस प्रार्थनामें ऐसी कई चीजें हैं जो आपको ध्यानमें रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपका ध्यान प्रार्थनाके उस अंश-विशेषकी ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें प्रार्थना करनेवाला अपनेको सभी परिस्थितियोंमें और हर समय वाणी और कर्ममें सत्यका पालन करने के लिए वचनबद्ध करता है। एक मन्त्र है, जिसका अर्थ है "मुझे असत्यसे सत्यकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर और मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले चलो।" इसी प्रकार अभी इस्लाम धर्मकी जो प्रार्थना कही गई है, उसमें भी प्रकाशके लिए और सत्य तथा नेकीके सीधे रास्तेके मार्ग-दर्शनके लिए आत्माकी तीव्र अभिलाषा मिलती है। सत्यकी यह खोज ही तमाम शिक्षाका मूल उद्देश्य है।

यहाँ अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद आप लोग इस नई तालीमका प्रचार करने के लिए अपने-अपने प्रान्तोंको लौट जायेंगे। आप अपने सामने सत्य-प्रेमका यह आदर्श हमेशा रखें। आप लोगोंका काम अग्रदूतोंका होगा। अपने पूर्व-अनुभवके आधार पर आपकी सहायता करनेवाला कोई नहीं होगा। आपको अपना रास्ता खुद टटोलना होगा। इसलिए आपका काम कोई आसान काम नही होगा। फिर, यह नई तालीम ऊँचे वेतन और भत्तेवाली बड़ी-बड़ी नौकरियाँ दिलाने में आपकी कोई मदद नही करेगी। लेकिन आपको गाँवोंमें जाकर वहाँ गाँववालोंकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अतः बड़ी-बड़ी शानदार इमारतों और महँगे साज-सामानका आपकी कार्य-योजनामें कोई स्थान नहीं है। मेरी कल्पनाका स्कूल ऐसा है जिसमें कक्षाएँ खुले में वृक्षकी छाया तले लगती हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा यह स्वप्न अभी साकार नही हो सकता। धूप और आँधी-पानीसे बचावके लिए कैसी भी छतकी जरूरत हमेशा रहेगी। सच्ची शिक्षा निपट सादगीके वातावरणमें ही दी जा सकती है।

जिस भवनमें सब लोग इकट्ठा थे, उसकी ओर इशारा करते हुए गांधीजी ने कहा :

यहाँ तालीमी संघमें जो भी भवन हैं वे स्थानीय सामान और स्थानीय कारीगरोंकी मददसे बने है। इस तरीकेसे हमने अपने और यहांके लोगोंके साथ जीवन्त सम्बन्ध कायम कर लिया है। यह चीज स्वयंमें लोगोंके लिए एक तरहकी शिक्षा है और हमारे भावी शिक्षा-कार्यकी बुनियाद है।

यदि आप सादगीके इस आदर्श, और नई तालीममें इसके महत्त्वको अच्छी तरह आत्मसात् कर लेंगे तो समझिए कि आपने यहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वह सार्थक हुआ है। तब आप अपने कामकी कद्र करेंगे।

वह काम सफाईका है। शिक्षामें मन और शरीरकी सफाईकी शिक्षा पहला कदम है। आपके आसपासकी जगहकी सफाई जिस प्रकार झाड़ू और बाल्टीकी मदद से होती है, उसी प्रकार मनकी शुद्धि प्रार्थनासे होती है। इसीलिए हम अपने कामकी

गुरुआन हमेशा प्रार्थनामें करते हैं। प्रार्थना चाहे हिन्दू धर्मकी हो, या इस्लामकी या पारसी धर्मकी, उनका काम वही है, अर्थात् हृदयकी शुद्धि। ईश्वरके अनेक नाम हैं, लेकिन मेरी रायमें सबसे सुन्दर और उपयुक्त नाम सत्य है। इसलिए जीवनके छोटेसे-छोटे काममें भी सत्यका ही आचरण कीजिए। भोजनको हर और ईश्वरके नामसे पवित्र बनाइए और ईश्वरकी सेवाके लिए समर्पित कीजिए। यदि शरीरको ईश्वरकी सेवाका साधन मानते हुए हम शरीरको पोषण देने के लिए ही भोजन करें, तो इससे केवल हमारे मन और शरीर ही स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होंगे, बल्कि हमारी आन्तरिक स्वच्छता हमारे चारों ओरके वातावरणमें भी झलकेगी। हमें अपने शौचालयोंको रसोईघर-जैसा ही स्वच्छ रखना सीखना चाहिए।

जो बात व्यक्तिपर लागू होती है वही समाजपर भी लागू होती है। गाँवका मतलब है व्यक्तियोंका एक समुदाय, और मेरी नजरमें यह विश्व एक विशाल गाँव तथा सारी मानव-जाति एक कुटुम्ब है। मानव शरीरके विभिन्न कार्य समाजके सम्मिलित जीवनके कार्योंके समान ही हैं। इसीलिए मैंने व्यक्तिकी आन्तरिक और बाह्य स्वच्छताके बारेमें जो बात कही है वह पूरे समाजपर लागू होती है। इस विराट् जगतमें मात्र प्राणीके रूपमें मनुष्यका स्थान बहुत नगण्य है। शारीरिक दृष्टिसे वह एक अत्यन्त तुच्छ कीड़ा है। लेकिन ईश्वरने उसे बुद्धि दी है और अच्छे-बुरेका भेद करने की क्षमता दी है। यदि हम इस क्षमताका उपयोग ईश्वरको जानने के लिए करें तो हम भलाई करनेवाली ताकत बन जायेंगे। इसी क्षमताका दुरुपयोग हमें बुराईका साधन बना देता है और हम महामारीकी तरह धरतीपर लड़ाई, खून-खराबी, दुःख और कष्ट फैला देते हैं।

भलाई और बुराईकी शक्तियोंके बीच चलनेवाला संघर्ष शाश्वत और अनवरत है। भलाईकी ताकतके शस्त्र हैं सत्य और अहिंसा तथा बुराईके शस्त्र हैं असत्य, हिंसा और पशुबल। अखिल ब्रह्माण्डमें ईश्वरके नामसे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। यदि हम परमात्माको अपने हृदयमें आसीन कर लें और सदैव वहीं रखें, तो हम भयसे मुक्त हो जायेंगे और जीवनमें अमूल्य निधि अर्जित कर लेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-१२-१९४४

४३९. पत्र : गोपीनाथ बारडोलोईको

सेवाग्राम
२० नवम्बर, १९४४

प्रिय बारडोलोई,[1]

तुम्हारा पत्र और साथमें भेजे कागज मिले। गाँवोंके लिए एक ठोस योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करनेवालोंके नाम और उनकी योग्यताएँ तय करने पर ध्यान केन्द्रित करो। अगर तुम यह काम कर लेते हो तो तुम्हें पैसेकी कठिनाई नहीं रहेगी, भले ही निर्धारित राशिसे ज्यादा ही खर्च करने की जरूरत क्यों न आ पड़े। लेकिन तुम्हें बहुत कड़ी कसौटीके लिए तैयार रहना चाहिए। पूरे पैमानेपर एकदम काम मत शुरू करो, क्योंकि उसका मतलब अपने विनाशको न्योता देना होगा।

तुम्हारा,
बापू

श्री गोपीनाथ बारडोलोई
गोहाटी
असम

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०४९३) से। सौजन्य : अमिय कुमार दास

४४०. पत्र : एफ० जे० करटेरीको

सेवाग्राम, भारत
२० नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपके पत्र और संलग्न दिलचस्प सामग्रीके लिए धन्यवाद।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

एफ० जे० करटेरी महोदय
४२५, ११२ वेस्ट डोरान
ग्रैंडेक ३
कैलिफोर्निया, यू० एस० ए०

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

1. असमके भूतपूर्व मुख्यमन्त्री

४४१. पत्र : ए० कालेश्वर रावको

सेवाग्राम
२० नवम्बर, १९४४

प्रिय कालेश्वर राव,

तुम राजगोपालारावका जो बोझ मुझसे वहन करवाना चाहते हो, मुझे लगता है, वह मैं नहीं कर सकता। तुम्हें उसे वहन करने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए।

तुम्हारा,
बापू

श्री कालेश्वर राव
नन्दीग्राम

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४४२. पत्र : मध्यप्रान्त सरकारके मुख्य सचिवको

२० नवम्बर, १९४४

महोदय,

शायद सरकारको इस बातकी जानकारी है कि संलग्न पत्रमें[1], जो कि मेरे ही अनुरोधपर तैयार किया गया है, जिन संस्थाओंका[2] विवरण दिया गया है, उनसे मैं निकट रूपसे सम्बद्ध हूँ। आँकड़े जरूरतन मोटे अनुमानसे दिये गये हैं। सम्पत्तिकी जब्तीकी कानूनी वैधताके प्रश्नको अलग रखते हुए और सम्पत्तिको पहुँचे नुकसानके हर्जानेकी माँगके सम्बन्धित पक्षोंके अधिकारके प्रति पक्षपात किये बिना, मैं यह सुझाव देने का साहस करता हूँ कि संलग्न पत्रमें बताई गई सम्पत्ति न्यासियोंको वापस लौटा दी जाये, ताकि वे रचनात्मक और सर्जनशील प्रवृत्तियाँ जो लोगोंको

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. नालवाड़ी और पवनार आश्रम; देखिए खण्ड ७९, "पत्र: मध्यप्रान्त सरकारके मुख्य सचिवको", पृ० १४।

जीविकाका साधन जुटाने के लिए शुरू की गई थी, पहले की तरह फिर चलाई जा सकें और आगे होनेवाली हानिको रोका जा सके।

संलग्न : १

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मुख्य सचिव, मध्यप्रान्त सरकार
नागपुर

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४४३. पत्र : हीराभाई एस० अमीनको

सेवाग्राम
२० नवम्बर, १९४४

भाई हरिभाई,[1]

चि० जेरामने[2] आपको जो पत्र लिखा है वह मैंने देखा। यहाँ उसकी सेवासे सभीको सन्तोष मिला है। चित्रकला सीखने की उसकी इच्छा अच्छी है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास जो पैसा रहता है उसका उपयोग मैं उसमें नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आप उसकी इच्छाको बढ़ावा दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह पीढ़ी वयस्क होने पर शिक्षा आदिके सम्बन्धमें स्वतन्त्रता चाहेगी ही। कोई गलत राह जा रहा हो तो उसमें उसको बढ़ावा न देने के अलावा, बुजुर्ग लोग जो करेंगे वह दबाव डालना ही माना जायेगा ना?

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्

हीराभाई एस० अमीन
तारापोर

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. साधन-सूत्रके अनुसार
२. जेराम पटेल

४४४. पत्र : बलवन्तसिंहको

२० नवम्बर, १९४४

चि० बलवन्तसिंह,

तुमने ठीक सावधान किया है।[१] जो हो सके करूंगा। जैसे हम समग्र है, जैसा ही फल आयेगा।

कौन जानता है कि कल क्या होगा? रामजीने नहीं जाना था कि प्रातःकालमें क्या होनेवाला है। वहांका काम ठीक करके निश्चित होकर वापिस जाओ।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९५०) से

४४५. पत्र : सत्यवतीको

सेवाग्राम
२० नवम्बर, १९४४

चि० सत्यवती,

तेरा खत मिला।

चि० चांदरानी पहूंच गई है। आज तो मौन है इसलिये बोल नहीं सकता हूं।

अगर सरकारका कुछ उत्तर न मिले तो या बेशर्मी शर्त लगा ले तो भी उसे तोड़कर लाहोर जाओ। यहाँ आने दें तो सबसे अच्छे मेरे साथ रहकर जो कुछ भी होना है होगा। जहल ले जायं तो जाओ वहां मृत्युसे भेंट हो तो भले। मृत्यु होगी तो तू जीत जायगी, यूं भी जीत तेरी ही है। अब सरकारकी शर्तके पालनसे कुछ लाभ मैं नहीं पाता। उनको साफ लिखो कि तेरा पहला धर्म सेहत सुधार है। चांदरानीकी चिंता अब मेरे सर है।

बापुके आशीर्वाद

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० १०२३४) से। सौजन्य: व्रजकृष्ण चाँदीवाला

१. बलवन्तसिंहने आश्रमकी व्यवस्थासे सम्बन्धित कुछ सुझाव दिये थे।

४४६. पत्र : कलावतीको

सेवाग्राम
२० नवम्बर, १९४४

चि० कलावती,[1]

तुम्हारे तरफसे चि० आनन्दने १० रु० दिये है और सब हाल सुनाया है। याद रखो कि आखिरमें हम इस देशकी मिट्टीमें से बने है। हम करोडों भूखे लोगोंके है। ऐसा समझकर जीवन सादा करो और ईश्वरमें ओतप्रोत बन जाओ।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकल (सी० डब्ल्यू० १०५८४) से। सौजन्य : आनन्द तो० हिंगोरानी

४४७. पत्र : ए० सी० पटवर्धनको

सेवाग्राम
२० नवम्बर, १९४४

भाई पटवर्धन,

मैं भैयाको कैसे लिखूं? मैं तो कुछ नही चाहता। अगर आप दोनों पक्ष चाहें तो मैंने प्रेमके वश होकर बोझ उठाने का स्वीकार किया है।[2]

के० अभ्यंकरके मेरे पास तो मीठे स्मरण बहुत है। उसका वर्णन करने से उसकी कीमत कम होती है।

बापुके आशीर्वाद

ए० सी० पटवर्धन
'तरुण भारत'
नागपुर

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. आनन्द तो० हिंगोरानीकी बहन
२. देखिए अगला शीर्षक।

४४८. पत्र : वि० गो० सहस्रबुद्धेको

सेवाग्राम
२० नवम्बर, १९४४

भाई सहस्रबुद्धे,

तुम्हारा स्वच्छ खत मिला। मैं लाचार हूं। आज ही भाई पटवर्धनका खत मिला। वे लिखते हैं कि यही झगड़ेका फैसला मै करूं। यदि तुम भी उस बारेमें राजी हैं तो मैं निर्णय करूंगा। भाई पटवर्धन कहते हैं मैं तुमको लिखूं तब तुम राजी होंगे। मैंने लिखा है वह मेरा काम नहीं है। मै इस बोझ उठाना नहीं चाहता लेकिन दोनो पक्ष चाहें तो प्रेमसे वश होकर मैं निर्णय दूंगा। उसमें भी शर्त यह है कि दोनोंके तरफसे मुझे लिखित चाहिये। मैं मुखजुबानी नहीं ले सकता और विवरण निर्णयके लिए छः मास होने चाहिये। अगर तुम राजी हो तो उसे कह दो। पंचनामा भेजो और बयान।

बापुके आशीर्वाद

वि० गो० सहस्रबुद्धे
खादी वस्त्रालय, नागपुर

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४४९. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२० नवम्बर, १९४४

विद्याकी घूमती समाधि देखी। अच्छी तो है लेकिन मेरी वृत्ति सादगीकी तरफ और अदृशकी तरफ झूकती है। अगर इसीसे तुमारे शांति और सहारा मिलता है तो रहने दो। यह क्षणभंगुर है इस परसे मोह उतारने से तुमारा विद्या प्रत्ये जो प्रेम है वह और निर्मल होगा। विद्याके स्वरूपको और पहचानोगे और तुम्हारा ऐक्य और भी स्पष्ट होगा। फोटोसे तो भेद व्यक्त होता है। विद्याके अव्यक्त रूपमें— आत्मामें लीन होने से अभेद सिद्ध होता है। एक खीसेमें रख सके ऐसी डिब्बीमें फूल रखने है तो रखे जाय। यह सब मेरे कहने पर करने का नहीं है लेकिन, अगर इसका रहस्य और महत्त्व पूरा पूरा समजमें आवे तब ही करने से लाभ हो सकता है।

मतलब यह कि तुम्हारी शांति और तुम्हारा आनन्द इस त्यागसे बहूत बढना चाहीये। ऐसा न होवे तो जैसे चलना है वैसे रहने दो।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

४५०. पत्र : अमृतकौरको

२१ नवम्बर, १९४४

चि० अमृत,

तुम्हारा पत्र आज आया।

अपने भाइयोंकी खातिर तुम्हें इस व्यवस्थाको स्वीकार करना है कि राहतकी रकम किस्तोंमें दी जाये। कर्त्तव्योंके पारस्परिक संघर्षके बीच कर्त्तव्यके चुनावका सवाल अक्सर बड़ा नाजुक होता है। जो भी हो, तुम्हे प्रसन्न रहना है और शरीरको विलकुल ठीक रखना है। वहाँकी आबोहवा तो बहुत स्वास्थ्यप्रद होगी। आशा है कमलनयनके[1] साथ तुम्हारा समय अच्छा बीता।

मैं ठीक हूँ। सुशीला मथुरादासको देखने बम्बई गई है। वह अब किसी भी दिन आ सकती है।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४१४९) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७७८४ से भी

४५१. पत्र : कुसुम गांधीको

सेवाग्राम
२१ नवम्बर, १९४४

चि० कुसुम,[2]

तेरा पत्र बहुत दिन बाद मिला। तूने मुझे अच्छा बचाया। तेरा स्मरण तो अनेक बार आता है। तेरी ही खातिर नारणदास यह संयम बरत रहा है कि वह मेरे पास नही आता। खुद आये तो किसे साथ लाये और किसे छोड़े? और मिलने से होता भी क्या है? वहाँ तुम सब सेवा-कार्यमें लगे रहते हो, यह मिलने से बढ़कर है। नारणदासका पत्र मिला है। जमनाका[3] भी। मैं दोनों में से किसीको नहीं लिख

१. जमनालाल बजाजके ज्येष्ठ पुत्र
२. व्रजलाल गांधीकी पुत्री
३. नारणदास गांधीकी पत्नी

रहा हूँ। कनु और आभा मजेमें हैं। मैंने तो उन्हें वहाँ जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन वे अभी नही जायेंगे.।

बापूके आशीर्वाद

[मार्फत] नारणदास गांधी
राजकोट

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४५२. पत्र: बालकृष्ण पी० पाठकको

सेवाग्राम
२१ नवम्बर, १९४४

भाई बालकृष्ण पाठक,

यह सच है कि स्वर्गीय आनन्दशंकर भाईके[1] साथ मेरा प्रगाढ़ सम्बन्ध था। उनके तैलचित्रके अनावरणकी क्रिया सम्पन्न होनी है। उसके लिए मेरी बधाई। लेकिन क्या विश्वविद्यालय उनकी स्मृतिके रूपमें उनके चित्रका अनावरण करके ही सन्तुष्ट हो जायेगा या प्रत्येक शिक्षक तथा विद्यार्थी आनन्दशंकर भाईके गुणोंका कुछ अनुसरण भी करेगा?

यह गुजरातीमें लिख दिया, इसका हिन्दी अनुवाद आवश्यक हो तो तुम्ही कर लेना।

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्

डॉ० बालकृष्ण पी० पाठक
आयुर्वेदिक कॉलेज
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव (१८६९-१९४२); संस्कृतके पण्डित और गुजराती साहित्यकार; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके भूतपूर्व उप-कुलपति

४५३. पत्र : शारदा गोरधनदास चोखावालाको

सेवाग्राम
२१ नवम्बर, १९४४

चि० बबुड़ी,

तेरा पत्र मिला। तू तो आते ही चली गई। मैं तेरी सुख-दुःखकी बातें भी नहीं सुन सका। मेरी स्थिति ही विषम हो गई है। व्यक्तिगत सन्तोष देने की दृष्टिसे मेरा जीवन लगभग समाप्त हो गया कहा जा सकता है। जो धर्मशाला तुझे मिली है उससे अधिक अच्छी जगह सुलभ कराना अभी तो सम्भव नही दीखता। आशा है, आनन्द[1] तुझे परेशान नही करता होगा। तेरी तबीयत ठीक रहती होगी।

बापूके आशीर्वाद

शारदाबहन चोखावाला
बिड़लाजीकी धर्मशाला
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४५४. पत्र : सुजाताको

सेवाग्राम
२२ नवम्बर, १९४४

प्रिय सुजाता;

अमृत बाबू कल रवाना हो रहे है। तुम्हारे काम-काजका उन्होंने जो विवरण दिया है उससे लगता है कि तुम अच्छा काम कर रही हो। इसके लिए ईश्वर तुम्हारा भला करे।

तुम सबको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०५११) से

१. शारदा गो० चोखावालाका पुत्र

४५५. पत्र : जे० सी० गुप्तको

सेवाग्राम
२२ नवम्बर, १९४४

प्रिय गुप्त,

महीनों पहले जब मैंने समाचारपत्रोंमें संघीय न्यायालयमें एक वकीलके अपने मुकदमेपर अत्यन्त प्रतिभापूर्वक वहस करने की खबर पढ़ी थी, तव मुझे यह नहीं मालूम था कि उस वकीलको पुत्र रूपमें पाने का सम्मान आपको ही प्राप्त है। ईश्वर करे उसका विवाह उसके लिए व उसकी होनेवाली पत्नीके लिए सौभाग्यशाली हो। मैं उस लड़कीको उसकी पसन्दपर बधाई देता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जे० सी० गुप्त
२३, सर्कस एवेन्यू
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४५६. पत्र : ज्योतिलाल ए० मेहताको

सेवाग्राम
२२ नवम्बर, १९४४

भाई ज्योति,

तुम्हारा पत्र अच्छा है। स्पष्ट है कि तुमने जो लिखा है वह यथार्थ है। बंगलेका लेना-देना हुआ है, इसकी भी मुझे खबर है। मैंने तो मात्र धर्मका प्रश्न उठाया है।[1] अगर तुम बंगलेको बेच दोगे तो मुझे तो उसे चुपचाप सहन ही करना पड़ेगा।

केशूभाई कौन है? भाई कुरैशी दुश्मन क्यों बन जायें, यह मेरी समझमें आने लायक बात नहीं है। मैं उसे लिख रहा हूँ।

बंगलेको कोई बिगाड़े, इसे मैं असह्य मानूँगा। इस विषयमें भी जाँच-पड़ताल कर रहा हूँ। बंगलेको कोई दबा बैठे, इसे भी गलत ही मानूँगा। बंगला बिके नहीं, ऐसा कोई इन्तजाम कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर उसके बिकने में चम्पाका

१. देखिए पृ० २९४-९५।

हित हो और अगर तुम मानते हो कि उससे डॉक्टरके नामको कोई वट्टा नहीं लगेगा तो बंगला बेच दो। मगनभाईने मुझे पत्र लिखा है। उसकी नकल तुम्हें भेज रहा हूँ। अभी मैं पंचायतमें पड़ सकूं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

ज्योतिलाल ए० मेहता
ज्योति ऐंड क०, मोरबी

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४५७. पत्र : मगनलाल प्राणजीवन मेहताको

२२ नवम्बर, १९४४

चि० मगन,

तेरा पत्र मिला था। मैंने चम्पाके सलाहकारको लिखा तो है।[1] उसका जो जवाब आयेगा वह तुझे भेज दूंगा। इस समय मेरी स्थिति विस्तृत जाँच करने जैसी नहीं है। मैं सार्वजनिक कामके नीचे दबा हुआ हूँ। आशा है, तुम सब सुखी होगे।

बापूके आशीर्वाद

श्री मगनलाल प्राणजीवन मेहता, बैरिस्टर
८२, घोड़बन्दर रोड
अन्धेरी, बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू १०३११) से। सौजन्य : मंजुला म० मेहता

१. देखिए पिछला शीर्षक।

४५८. पत्र : कुसुम मणिलाल कोठारीको

सेवाग्राम
२२ नवम्बर, १९४४

चि० कुसुम,

तेरा पत्र मिला। जहाँ तू है वहाँ तेरा खर्च कैसे निकलता है? तुम सभी बहनोंमें से कोई भी पढ़ाई न छोड़े।

बापूके आशीर्वाद

कुसुम मणिलाल कोठारी
तख्तेश्वर प्लॉट
भावनगर

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४५९. पत्र : लिमयेको

सेवाग्राम
२२ नवम्बर, १९४४

भाई लिमये,

दोनोंकी तबियत अच्छी नही रहती है वह खटकता है। दो डॉक्तर तुमारे पास हैं इतना सन्तोष है। जब फुर्सत मिले तब आ जाओ।

मुझे लगता है कि जो अप्रमाणित खादी बेचे उसको हम कांग्रेसकी एजेन्सी नही दे सकते हैं। इसमें कानूनकी बात नही है। नीतिकी ही है। लेकिन जैसे वहां की समिति कहे ऐसे ही तुमारे चलना होगा।

नई तालीमका काम तुमने लिया है सो अच्छा है। उस बारेमें जब आओगे तब।

चि० बालमोहन बढ़ता रहता होगा।

बापुके आशीर्वाद

आचार्य लिमये
९२५, सदाशिव पेठ
पूना–२

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४६०. पत्र : सुभद्रा देवीको

सेवाग्राम
२२ नवम्बर, १९४४

चि० सुभद्रा,

तुम्हारा दु:खद खत मिला है। मैंने डा० बलदेवको खत तो लिखा है।[1] कुछ उत्तर मिलेगा तो मै तुमको लिखूंगा और तो क्या करुं। तुमको यहां बुलाकर क्या करुं? मेरा कहां ठिकाना है। हम सबका सच्चा मददगार भगवान ही है। वह तुमारी रक्षा करेगा।

बापुके आशीर्वाद

सुभद्रा देवी
मार्फत अमृतधारा [फार्मेसी]
लाहौर

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४६१. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२२ नवम्बर, १९४४

माताजी कहती है उसका ख्याल नही करना। सब माता ऐसे कहती है उस पर हसना।

ईश्वरको अव्यक्त रूपमें भजने के लिये नित्य तारा दर्शन करो और सूर्यदर्शन बडी फजरमें। उस दर्शनके साथ विद्याको मिला दो। विद्या भी तो उंचे गई है ना? सप्तर्षि ऊपर है। अरुंधति वही है। यह कल्पना है लेकिन पोषक है।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. देखिए पृ० ३३१।

४६२. पत्र : तोताराम हिंगोरानीको

सेवाग्राम
२३ नवम्बर, १९४४

प्रिय तोतारामजी,[1]

आनन्दने विद्याकी मृत्युके सत्यको किसी हृदतक स्वीकार कर लिया है। वह समझ गया है कि शरीरके साथ आत्माका नाश नही होता। उसका एक और सच्चा दु:ख यह है कि आपका अपनी पत्नीसे मेल-मिलाप नहीं है। कर्त्तव्यपरायण पुत्रके रूपमें उसका यह दु:ख स्वाभाविक है। क्या समझौतेकी कोई सम्भावना नहीं है? इस अनधिकार चेष्टाके लिए क्षमा करेंगे। मैं आनन्दके दु:खसे दु:खी हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

४६३. पत्र : टी० आर० नरसिंहाचारको

सेवाग्राम
२३ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपकी चेतावनीके लिए धन्यवाद। हर आदमी कामका होता है। जबतक मुझे अपनी अन्तरात्माकी—जो ईश्वर ही है—स्पष्ट पुकार सुनाई नहीं पड़ेगी, मैं उपवास शुरू नहीं करूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

तिरुपतिके श्री टी० आर० नरसिंहाचारजी
श्रीरंगम

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

1. आनन्द हिंगोरानीके पिता

४६४. पत्र : जेठालाल गो० सम्पतको

सेवाग्राम, वर्धा
२३ नवम्बर, १९४४

चि० जेठालाल,

मैं किसीको पत्र लिखने की स्थितिमें बिलकुल नही हूँ, लेकिन पत्र-प्राप्तिकी सूचना तक न दूं यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा विस्तृत पत्र मिला है। मुझे आशा है, तुम मुश्किलोंमें से अपना रास्ता निकाल लोगे। तुमने जाजूजी को पत्र लिख दिया होगा।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८७२) से। सौजन्य : नारायण जेठालाल सम्पत

४६५. पत्र : मणिलाल गांधीको

[२३ नवम्बर, १९४४][1]

चि० मणिलाल,

[सुशीलाका] यह तार अभी फोनसे मिला है। इसका यही अर्थ है न कि तू न जाये। लेकिन हम यह बात मानेंगे नहीं। उपवासका कुछ निश्चित नहीं है। अगर उपवास आया, तो कोई हर्ज नहीं; तेरी जगह सुशीला मेरे पास होगी।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १३५४) से। सौजन्य : सुशीला गांधी

१. सी० डब्ल्यू० रजिस्टरसे

४६६. पत्र : मारुति शर्माको

सेवाग्राम
२३ नवम्बर, १९४४

चि० मारुति,[1]

तेरा पत्र पाकर खुशी हुई। आने की बात रद्द कर दी, यह अच्छा किया। बापाके अलावा और कौन तुझे सँभालेगा? दादा और बापाकी उदारताको जो छू सकते हों, ऐसे मैंने बहुत लोग नहीं देखे हैं। वह जैसा कहे वैसा ही कर। घर बनवाने का विचार तो अच्छा है ही। चि० लक्ष्मी और तुम संयमका पालन करते हो, यह बहुत ठीक है। इस समय तो लोगोंसे मिलने से न मिलना ही बेहतर है। पाई-पाई बचाना हमारा धर्म है। बच्चे मजेमें होंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४६७. पत्र : सुमित्रा गांधीको

सेवाग्राम
२३ नवम्बर, १९४४

चि० सुमी,

तेरा सुन्दर पत्र मैं २१ अक्तूबरसे ही सँभालकर रखे हुए हूँ। लेकिन उत्तर आज दे पा रहा हूँ। तेरे साथ न्याय करने के लिए लम्बा पत्र लिखने का विचार किया था। अभी उतना समय नहीं है, इसलिए इतने [छोटे पत्र] से ही काम चला रहा हूँ। तू खाने की ठीक चीजें प्राप्त कर लिया कर। मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखा कर। आशा है, तू मजेमें होगी। मुझे दिये गये वचनका पालन करना। किसीसे बहनापा हुआ है क्या? आँखोंकी देख-भाल करना।

बापूके आशीर्वाद

१. साबरमतीके सत्याग्रह आश्रमके एक निवासी, जिन्होंने गांधीजी की दत्तक हरिजन पुत्री लक्ष्मीसे विवाह किया था।

[पुनश्च :]

अभी तेरा [दूसरा] पत्र मिला। मथुरी[1] कैसे बीमार पड़ गई? आशा है, वह अब अच्छी होगी।

कु० सुमित्रा रामदास गांधी
बिड़ला शाला
पिलानी

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४६८. पत्र : नथ्थूभाई पारेखको

सेवाग्राम
२३ नवम्बर, १९४४

भाई नथ्थूभाई,

तुम्हारा भावनामय पत्र मिला। यह तो मात्र पत्रकी प्राप्ति सूचित करने के लिए ही लिख रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा लिखने का समय ही नही है। इतना लिखना भी भार-रूप है। लेकिन तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ?

बापूके आशीर्वाद

नथ्थूभाई पारेख
मार्फत किशोर ब्रदर्स
बंगलौर

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४६९. पत्र : सुन्दरलालको

सेवाग्राम
२३ नवम्बर, १९४४

भाई सुंदरलाल,

तुम्हारा खत मिला। तुम्हारे केसके बारेमें मैंने अखबारमें पढ़ा था।[2] दुःख हुआ। क्या अपीलकी गुंजाइश नही है? डा० सप्रू क्या कहते हैं?

१. मथुरी नारायण खरे

२. पं० सुन्दरलालकी पुस्तक भारतमें अंग्रेजी राज पर से पाबन्दी उठ जाने के बाद उसे एक अन्य प्रकाशकने छापा था। इससे मुकदमेबाजी हुई जिसमें सुन्दरलाल मुकदमा हार गये। बादमें कोर्टमें अपील दर्ज की गई और फिर समझौता हो गया। सुन्दरलालके पक्षमें तेजबहादुर सप्रूने जिरह की थी।

हि० प्रचारके बारेमें समझा। दा० ताराचन्द्रजी[1] नही आ सके। हां दाक्तर अब्दुल हक साहबको[2] कहो आइये। सभामें मुस्लीम भाई हैं तो सही लेकिन अ० ह० साहब होने चाहिये।

हि० कलचर सोसायटीके बारेमें इधर उधर देख गया हुं। अच्छा ही है जो कुछ हो सके, तुम्हारे व्याख्यान चल रहे हैं। उसका असर अच्छा होता होगा।

जब आ सकते हो आइये।

बापुके आशीर्वाद

श्री पंडित सुन्दरलालजी
८, तुकोगंज मेन रोड
इंदौर

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० १०२६४) से। सौजन्य: पुरुषोत्तम प्रसाद

४७०. पत्र: ख्वाजा ए० हमीदको

सेवाग्राम
२३ नवम्बर, १९४४

भाई हमीद,

अंग्रेजीमें क्यों? मैं साफ उर्दु पढ लेता हूं। उर्दु मुश्केलीसे लिखता भी हूं। मेरी उमीद है कि आप हिन्दी भी पढ़ लेते हैं इसीलिए हिन्दीमें लिखता हूं। आपका खत मैंने अच्छी तरह पढ लिया है। नेशनलिस्टसे मुझे क्या मशवरा करूंगा। अगर जिना साहबसे कुछ लाऊं तब तो नेशनलिस्टसे मिलुं। मैं उनके पास नेशनलिस्टका हक गमाने को नही गया था। लीगसे समजोता हो सके तो करना हमारा फर्ज नही है?

आपका,
मो० क० गांधी

ख्वाजा ए० हमीद
भायखला
मुंबई

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. इलाहाबाद विश्वविद्यालयमें इतिहास और राजनीति विभागके अध्यक्ष
२. अंजुमन तरक्की-ए-उर्दूके अध्यक्ष

४७१. पत्र : अकबरअली इस्माइलजी लोखंडवालाको

सेवाग्राम
२४ नवम्बर, १९४४

भाई अकबरअली,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हें क्या सलाह या मदद दे सकता हूँ? इस कामको मैं ठीकसे समझता भी नहीं हूँ। तुमपर दुःख पड़ा है और अब भी पड़ रहा है, इसका मुझे अफसोस है। खुदा तुम्हें जल्दी दुःखसे छुटकारा दिलाये।

मो० क० गांधीकी दुआ

अकबरअली इस्माइलजी लोखंडवाला
गोधरा

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४७२. पत्र : गोप गुरुबख्शानीको

२५ नवम्बर, १९४४

प्रिय डॉ० गुरुबख्श,

मेरे फुरसत पाने तक इन्तजार करनेकी कृपा करें। दिसम्बरके अन्तमें मुझे याद दिलाने को एक पत्र भेजिएगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३१९) से

४७३. पत्र : के० रंगाराजनको

२५ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपको मुझपर दया करनी चाहिए। मैं एक हूँ और पत्र भेजनेवाले अनेक हैं। इसलिए सिवाय इसके कि बहुत-सी अयाचित सामग्रीको छोड़ दूँ, मैं अपना काम और कैसे निबटा सकता हूँ?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०२३२) से। सौजन्य : गांधी सेवा संघ, सेवाग्राम

४७४. पत्र : कैलाश हक्‍सरको

सेवाग्राम
२५ नवम्बर, १९४४

प्रिय सर कैलाश,

पिछले महीनेकी २८ तारीखके आपके कृपापत्रकी प्राप्ति-सूचना देने में मुझे विलम्ब हुआ। मेरे पास समयका बहुत ही अभाव है। मैं ये पंक्तियाँ आपके पत्रके लिए धन्यवाद देने के लिए लिख रहा हूँ।

मेरी विनती है कि आप प्रस्तावित उपवासके लिए चिन्तित न हों। उपवास ईश्वरकी पुकारके प्रत्युत्तरमें होगा, अन्यथा नहीं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर कैलाश हक्‍सर
शिमला

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४७५. पत्र : कृष्णाबाई निम्बकरको

सेवाग्राम
२५ नवम्बर, १९४४

प्रिय कृष्णाबाई,

आपके पत्रका उत्तर देने में मुझे विलम्ब हो गया। मैं समझता हूँ आपमें सुधार नहीं हो सकता। हठधर्मिता गुण और दोष दोनों ही है। वह कब क्या है, यह परिस्थितिपर निर्भर करता है। आपके मामलेमें मैं यह मानने को तैयार हूँ कि हठधर्मिता एक गुण है। कुछ काम करने के लिए आपने मेरी अनुमति माँगी है। अनुमति देने या न देनेवाला मैं भला कौन होता हूँ? जिन मामलोंमें मुझसे सलाह माँगी जाती है उनमें मैं मात्र सलाह ही दे सकता हूँ। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है।

राजाजी पर आपका आक्षेप निराधार है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती कृष्णाबाई निम्बकर
१९२, पूनामल्ली हाई रोड
वेपेरी, मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४७६. पत्र : जेठालाल जोशीको

२५ नवम्बर, १९४४

भाई जेठालाल जोशी,

तुम्हारे पत्रका उत्तर मैं तत्काल नहीं दे पाया। तुम्हारे पत्र-जैसे अन्य पत्र भी आये हैं। उनपर मैं एक वक्तव्य[1] तैयार कर रहा हूँ। उसे देखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३५३) से

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", पृ० ३६७-६९।

४७७. पत्र : मणिलाल गांधीको

२५ नवम्बर, १९४४

चि० मणिलाल,

तेरा पत्र मिला। यह खुशीकी बात है कि तुम सब सही-सलामत वहाँ पहुँच गये। मेरी तबीयत अब ठीक है। कनुकी जगह अब यहाँ सुशीलाबहन सोती है। मालिश और स्नान कनैयो कराता है। कृष्णाके दाँतोंके कारण कुछ चिन्ता हुई थी। सुशीलाके आने पर उसे आराम हुआ। वह कल अच्छी तरह सोया। मैंने उसे रुस्तम भवनमें ठहराया है। तूने जो जाने का इरादा किया है वह बिलकुल ठीक है। मैं तो ईश्वरके हाथमें हूँ। कल रातसे मैंने बरामदेमें सोने का क्रम शुरू किया है। मेरी चिन्ता बिलकुल मत करना। मैंने तुझे सुशीलाका तार भेजा है। उसके नीचे मैंने तेरे लिए भी दो शब्द लिखे हैं।[1] तार तो तुझे मिला होगा। किशोरलाल, गोमती तथा अन्य सबको मेरे आशीर्वाद। मेरी चिन्ता कोई न करे।

बापूके आशीर्वाद

श्री मणिलाल गांधी
मार्फत श्री निर्मलाबहन श्रॉफ
ईश्वरदास मैन्शन
ब्लॉक – ए, पाँचवीं मंजिल
नाना चौक, गामदेवी
बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९४०) से

४७८. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

सेवाग्राम
२५ नवम्बर, १९४४

चि० पुरुषोत्तम,

तेरा पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा है। तू दोनों परीक्षाएँ ले सकता है। मैं एक वक्तव्य जारी कर रहा हूँ। उसे देखना।

संगीतके बारेमें जो तूने लिखा है वह मैं ठीक समझ गया हूँ। हरिजन सेवक संघसे तुझे कुछ नहीं लेना है। तुझे यह बोझ हटाना चाहिए। हरिजन-सेवा हमारे

१. देखिए "पत्र : मणिलाल गांधीको", पृ० ३५७।

जीवनमें गुँथी हुई है। संगीत तेरा जीवन-ध्येय है। यह पण्डितजीकी[1] विरासत है। उसमें ओतप्रोत हो जाना। संगीतसे तेरा गुजारा चले, इसे मैं तनिक भी अनुचित नहीं मानूँगा। लेकिन अभी तुझे संकोच हो तो मैं जीवनलालभाईको लिखने को तैयार हूँ। वे समर्थ व्यक्ति हैं। उनके साथ तेरा सम्बन्ध केवल श्वसुर-दामादका ही नहीं है। इसलिए वे संगीतकी खातिर तेरा खर्च उठायें, इसमें शर्मकी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तेरी सहमतिके बिना मैं नहीं लिखूँगा। नारणदाससे भी पूछना। तुम दोनोंको कुछ और सूझे तो बताना। विजया[2] तुझे पूरी मदद देती है, यह जानता हूँ। यह भी मालूम हुआ है कि अरुणा[3] प्रगति कर रही है। तू भाग्यशाली है। शरीरपर पूरा नियन्त्रण प्राप्त करना। गरीबोंको मुफ्त और अमीरोंसे फीस लो।

बापूके आशीर्वाद

पुरुषोत्तम ना० गांधी
राजकोट

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४७९. पत्र : सत्याचरणको

सेवाग्राम
२५ नवम्बर, १९४४

भाई सत्याचरणजी,

आपका खत मिला। मेरा कर्तव्य सोच रहा हूं। मैं घनश्यामसिंहजीसे बात भी कर रहा हूं।

आपका,
मो० क० गांधी

सत्याचरणजी
डी० ए० वी० हाई स्कूल
इलाहाबाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. नारायण मोरेश्वर खरे
२ और ३. पुरुषोत्तम गांधीकी पत्नी और पुत्री

४८०. पत्र : वि० न० बरवेको

सेवाग्राम
२५ नवम्बर, १९४४

भाई बरवेजी,

आपका पत्र मुझे मिला था। इतने काममें फसा हूं कि भूल जाता हूं। मैंने पत्रोंका उत्तर दिया है या नही। आपकी हरिजन सेवाकी मेरे पास काफी किम्मत है। मै मानता हूं की हमारा काम बहुत धीमेसे चलता है। कैसी गति बढ़ाई जाय मैं नही जानता।

आपका,
मो० क० गांधी

वि० न० बरवे
प्रमुख
हरिजन सेवा संघ
धूलिया

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४८१. पत्र : कोंडा वेंकटप्पय्याको

सेवाग्राम
२६ नवम्बर, १९४४

प्रिय कोंडा वेंकटप्पय्या गारु,

आपका ४ तारीखका पत्र पाकर बापूको अच्छा लगा। आपकी अस्वस्थताके समाचारसे उन्हें दुःख हुआ। आपको तो स्वस्थ रहना ही चाहिए।

वे उपवास शुरू करने के लिए आतुर नहीं हैं। वे ईश्वरसे मार्ग-दर्शनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

हृदयसे आपका,
प्यारेलाल

देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या
गुन्टूर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२२७) से

४८२. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

इस समय गुजरातमें हिन्दुस्तानी प्रचार सभाका काम श्री अमृतलाल नानावटी चला रहे हैं। काकासाहबने मुझसे सलाह करके जो योजना तैयार की है, यह काम उसीके अनुसार किया जा रहा है। हिन्दी प्रचारका काम राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा, कर रही है, जिसे हिन्दी साहित्य सम्मेलनने नियुक्त किया है। इन दोनों संस्थाओंका काम राष्ट्रभाषाका प्रचार-प्रसार करना है। मैं स्वयंको हिन्दुस्तानी प्रचार सभाका प्रणेता मानता हूँ। १९२५ में हिन्दुस्तानी-सम्बन्धी प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कानपुर अधिवेशनमें पास किया गया था। लेकिन उस प्रस्तावपर अमल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। अतः २ मई, १९४२ को वर्धामें हिन्दुस्तानी प्रचार सभा स्थापित की गई। सभाने हिन्दुस्तानीकी निम्नलिखित परिभाषा की है:

> हिंदुस्तानी वह भाषा है जो उत्तर हिंदुस्तानके शहरों और गाँवोंके हिन्दु मुसलमान आदी सब लोग बोलते है, समझते हैं और आपस-आपसके कारबारमें बरतते हैं, और जिसे नागरी और फारसी दोनों लिखावटोंमें लीखा पढ़ा जाता है और जिसके साहित्यिक आदी रूप आज हिन्दी और उर्दूके नामसे पहेचाने जाते हैं।[2]

लेकिन सभाका काम ढंगसे शुरू किया जा सके, इससे पहले ही कांग्रेसके अगस्त-प्रस्तावके[3] कारण बहुतसे लोगोंको जेलमें डाल दिया गया, जिनमें सभाके संस्थापक लोग भी थे। श्री नानावटी जेल नहीं गये थे और उनको लगा कि उन्हें हिन्दुस्तानी प्रचारका काम आरम्भ कर देना चाहिए। मेरी राय है कि इस कामको करके उन्होंने देश-सेवा की है।

हिन्दी और उर्दू एक ही राष्ट्रभाषाकी दो साहित्यिक शैलियाँ हैं। इस समय ये दोनों शैलियाँ एक-दूसरेसे दूर होती जा रही हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके दृष्टि-कोणसे इन दोनों शैलियोंको एक-दूसरेके निकट लाना जरूरी है। इन दोनों शैलियों और लिपियोंकी जानकारीके बिना ऐसा कर पाना असम्भव है।

१. यह वक्तव्य १० जनवरी, १९४५ को अ० भा० हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके अवैतनिक मन्त्री श्रीमन्नारायण द्वारा सभाके उद्देश्य और कार्यके बारेमें उत्पन्न भ्रान्तियोंको दूर करने के लिए जारी किया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद १५-१-१९४५ के हिन्दू में प्रकाशित हुआ था।

२. यह अनुच्छेद हिन्दी में है।

३. देखिए खण्ड ७६, परिशिष्ट १०।

हिन्दू-मुस्लिम मतभेदका जहर भाषाके क्षेत्रमें भी घुस गया है। हिन्दू-मुस्लिम एकताका विचार मेरे मनपर बचपनसे ही छाया रहा है। भाषाके क्षेत्रसे वैमनस्यके जहरको निकाल बाहर करने के लिए दोनों शैलियों और लिपियोंका ज्ञान जरूरी है।

यदि कांग्रेस अपना काम-काज बिना अंग्रेजीके करना चाहती है — और यह किया ही जाना चाहिए — तो प्रत्येक कांग्रेसीका कर्त्तव्य है कि वह दोनों शैलियों और लिपियोंको सीखे। इससे हिन्दी और उर्दूका सुखद संगम होगा और इससे जो भाषा बनेगी वही स्वाभाविक हिन्दुस्तानी होगी।

एक सवाल पूछा जाता है कि दोनों शैलियों और लिपियोंको सीखने का उत्साह हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंके अन्दर होना चाहिए या सिर्फ दोनोंमें से एकके अन्दर। इस सवालके पीछे एक गलतफहमी छिपी हुई है। जो लोग भाषाएँ सीखेंगे उनको लाभ होगा; जो नहीं सीखेंगे उन्हें नुकसान होगा। फिर, जिसे एकता प्यारी है वह दोनों शैलियों और लिपियोंको सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा।

यह भी याद रखना चाहिए कि पंजाब-जैसे प्रान्तोंमें हिन्दू, मुसलमान और अन्य सब लोग केवल उर्दू ही जानते हैं। इन सब लोगोंको समझना प्रत्येक देशभक्तका कर्त्तव्य है। भारत-जैसे विशाल देशमें हम जितनी ज्यादा भाषाएँ सीखने का प्रयत्न करें, हम राष्ट्र-सेवाके लिए उतने ही ज्यादा योग्य बनेंगे।

दोनों लिपियाँ और शैलियाँ केवल राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं और कांग्रेसियोंको ही सीखनी चाहिए या सभीको?

इस सवालका मेरा जवाब यह है कि सभी भारतीयोंको कांग्रेसी हो जाना चाहिए, और इस प्रकार हर आदमीको दोनों शैलियाँ और लिपियाँ सीखनी चाहिए। वास्तवमें यह प्रश्न ही अप्रासंगिक है, क्योंकि अभीतक बहुत थोड़े भाई-बहनोंमें राष्ट्रभाषा सीखने का शौक पैदा हुआ है। हम इस बातपर मगन नहीं हो सकते कि कुछ हजार या कुछ लाख लोग ही राष्ट्रभाषाकी परीक्षाओंमें बैठते हैं। गैर-हिन्दी या गैर-उर्दू क्षेत्रोंमें भी केवल हिन्दी या उर्दू सीखने की इच्छा करनेवाले लोगोंकी संख्या हमारी महत्त्वाकांक्षाको पूरा करने के लिए काफी नहीं है। क्या यह काफी नहीं है कि उर्दू सीखने के इच्छुक लोग अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दूके जरिये उर्दू सीखें, और हिन्दी सीखने की इच्छा रखनेवाले लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलनके जरिये हिन्दी सीखें?

यह काफी नहीं है। यही खास वजह थी कि कांग्रेसने हिन्दुस्तानीके बारेमें प्रस्ताव पास किया और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। दोनों ही संस्थाओं (सम्मेलन और अंजुमन) के उद्देश्य सीमित हैं और मेरी दृष्टिमें संकीर्ण भी हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये दोनों संस्थाएँ एक-दूसरेके साथ सहयोग करें। जब ऐसा शुभ दिन सचमुच आयेगा तब यह माना जायेगा कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभाका काम पूरा हो गया। जबतक वह स्थिति नहीं उत्पन्न होती, तबतक हिन्दुस्तानी प्रचार सभाको अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिए। मैं दिलसे उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों संस्थाएँ न केवल इस तीसरी संस्थाको सहन करेंगी, बल्कि उन दोनोंके बीच एकता स्थापित करने की इच्छा रखनेवाली इस तीसरी संस्थाका स्वागत भी करेंगी।

गुजरातमें बहुत-से कार्यकर्त्ता, जो आजकल हिन्दी और हिन्दुस्तानी प्रचारके काममें लगे हुए है, मेरे सहयोगी हैं। उनमें से कुछने मुझसे मार्ग-दर्शन करने को कहा है। मेरा यह वक्तव्य ही उनका मार्ग-निर्देशक है। यदि हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी वर्धा समितिके लिए काम करनेवाले लोग हिन्दुस्तानी प्रचार-सम्बन्धी मेरे विचारोसे सहमत हों तो उन्हें यह काम भी हाथमें लेना चाहिए। जो विद्यार्थी केवल हिन्दी शैली और देवनागरी लिपि ही सीखना चाहते है उन्हे वे सम्मेलनकी परीक्षाओंके लिए बेशक शिक्षा दे सकते है। लेकिन स्वयं उन्हें दोनों शैलियों और लिपियोंको लोकप्रिय बनाना चाहिए और ज्यादासे-ज्यादा लोगोंको वैसा करने के लिए राजी करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। जिस हदतक भाषाका राष्ट्रके कल्याणसे सम्बन्ध है उस हद तक मैं हिन्दुस्तानी प्रचारके कार्यको बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। इन दोनों (हिन्दी और हिन्दुस्तानी) के प्रचार-कार्यमें कोई विरोध पैदा नही होना चाहिए।

अब एक सवाल यह पैदा होता है कि जिन्होंने अभीतक केवल हिन्दी या उर्दू ही सीखी है या भविष्यमें सीखेंगे, उन लोगोंको क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरी शैली या लिपि सीखनी चाहिए और हिन्दुस्तानीकी परीक्षाओंमें बैठना चाहिए, जो दोनों लिपियोंमें होंगी। जिन लोगोंने एक शैली और लिपि पहले ही सीख ली है वे पायेंगे कि प्रश्न-पत्रोंके उत्तर लिखना बहुत आसान है।

[गुजरातीसे]
गुजरात समाचार, २-१२-१९४४

४८३. पत्र : मलिक वाहिदको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

पिछले माहकी १ तारीखके आपके पत्रका उत्तर विलम्बसे देने के लिए कृपया आप मुझे क्षमा करें।

मुन्शीजीके[1] अपने कतिपय राजनीतिक विचार होने के कारण उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने विभिन्न तरीकोंसे न्यासकी सहायता की है।

आपकी शुभकामनाओंके लिए धन्यवाद।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मलिक वाहिद साहब
जोगेश्वरी
बी० एस० डी०

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. कन्हैयालाल मा० मुन्शी

४८४. पत्र : अतुलानन्द चक्रवर्तीको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

प्रिय अतुलानन्द,

मुझपर दया करो। मुझसे कुछ पढ़नेके लिए न कहो और उसपर मेरी राय न माँगो। चाहे जो हो, बेशक तुम अपने उद्देश्यके लिए जुटे रहो।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४८५. पत्र : भगवानदासको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

बाबूजी,

आपका २८-९-१९४४ का पत्र मैंने इतने दिन उत्तर देनेकी आशासे ही सहेज कर रखा था। पिछले बचे पत्रोंका जवाब देते समय आज यह मेरे सामने आ गया।

आप मेरे कन्धोंपर एक ऐसा बोझ डाल रहे हैं जिसे उठानेमें वे अक्षम हैं। आप जो कार्य मुझसे करनेके लिए कह रहे हैं, मेरे पास उसकी कोई तैयारी नहीं है।

आशा है कि आप बिलकुल ठीक होंगे।

आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० भगवानदास
बनारस कैंट

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४८६. पत्र: एस० एम० पिन्टोको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

प्रिय पिन्टो,

जहाँतक मेरे उपवासका सवाल है, आप अपना कर्त्तव्य करें और मुझे ईश्वरके सशक्त हाथोंमें छोड़ दें। विश्वास रखें कि वह मुझे सही राह दिखायेगा। उसके मार्ग-दर्शनके बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। न्यासके[1] सम्बन्धमें क्या आप यह नहीं समझते कि न्यासी स्वयं-नियुक्त थे? उनका काम जो भी कोई दे उससे धन इकट्ठा करना था। उसके बाद मेरा आगमन हुआ। मुझे इस बातकी अनुमति दी गई कि मैं न्यासियोंमें उन लोगोंके नाम जोड़ दूँ जो मेरे खयालसे न्यासके उद्देश्यको सबसे अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। अब सारा भारत यह देख रहा है कि न्यासका धन भारतके सात लाख गाँवोंमें स्त्रियोंपर और बच्चोंपर, जिनमें एक उम्रके बादके लड़के शामिल नहीं हैं, खर्च किया जाता है। इसमें धार्मिक या अन्य कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

एस० एम० पिन्टो
नेशनलिस्ट क्रिश्चियन पार्टी
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय-स्मारक न्यास

४८७. पत्र : सीता गांधीको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

चि० सीता,

तेरा पत्र मिला। अक्षर सुन्दर हैं। जरा बड़ा लिखना चाहिए। यहाँ तो अच्छी ठंड पड़ने लगी है। जैसा ध्यान अध्ययनपर देती है वैसा ही शरीरको मजबूत करने पर भी देना। किसी मामलेमें आलस्य न करना।

सबको
बापूके आशीर्वाद

सीता
मार्फत नानाभाई मशरूवाला
अकोला

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४८८. पत्र : बालूभाई पी० मेहताको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

भाई बालूभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं व्यक्तिगत प्रयोजनका रहा ही नहीं। मेरी शक्ति सीमित है। मैं तो सार्वजनिक कार्यसे भी मुश्किलसे ही निबट पाता हूँ। तुम-जैसे दुःखी सैकड़ों हैं। यदि उन सबसे मिलने लगूँ तो समय मिलेगा क्या? जो दुःख पड़े उससे उबरने का रास्ता खुद ही निकालना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

बालूभाई पी० मेहता
गाँजीखेत
नागपुर

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४८९. पत्र : विक्रम साराभाईको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

चि० विक्रम,

तेरा १६ तारीखका पत्र मिला। तूने मेहनत तो अच्छी की है, लेकिन यह काम हमारे हाथमें सत्ता हो तभी हो सकता है। अखबारवाले "गैलप-पोल" करायें तो उसकी कोई कीमत नही मानी जायेगी। फिर, हमारे देशमें अखबार पढ़नेवालों की संख्या इतनी कम है कि ऐसी शोधका कोई उपयुक्त परिणाम ही नही निकलेगा। अब देखें कि सप्रू कमेटी[1] क्या करती है।

बापूके आशीर्वाद

विक्रम साराभाई
बंगलौर

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४९०. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

बापा,

तुम्हारा पत्र पढ़ गया। कुछ लोग बिना कामके बैठे रह सकते हैं और आराम का मजा ले सकते हैं। बेशक, उनमें तुम नहीं हो। तुम्हें तो काममें ही मजा लेना है। लो, नरहरि कल आ रहा है। वह तुम्हारा वक्तव्य देखेगा। उसे सुशीलाबहन देख रही है। कुछ देर लगेगी, ऐसा लगता है। आशा है, तुम्हें कुछ मानसिक शान्ति मिल रही होगी। कल पकवासा[2] मुझसे हस्ताक्षर करा गया।

बापू

ठक्कर बापा
सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी
पूना

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. गैर-दलीय सम्मेलनकी स्थायी समिति द्वारा तेजबहादुर सप्रूकी अध्यक्षतामें नियुक्त की गई समझौता समिति; देखिए परिशिष्ट १६ (ख) और (ग)।

२. मंगलदास पकवासा

४९१. पत्र : लीलावती आसरको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

चि० लीली,

मच्छरदानी अवश्य रख। इसमें डीनके यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। नियम हो तो चुपचाप उसका पालन करना चाहिए। इसमें अनीति हो तो बात अलग है।

डीनके साथ हुई बात लिख दी, यह अच्छा किया। उससे प्रकट होता है कि अपनी लगनसे तुझे सभी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। यह तेरा धर्म है। सेवाग्रामको भूल जा और अध्ययनमें लीन हो जा। उपवास जब आरम्भ होगा तब की बात तब। तेरे लिए जो सीधी लीक खींच दी गई है वही तेरी राह है। दूसरी लीकोंकी ओर तुझे देखना ही नहीं है।

तू 'आज्ञाधीन' लिखकर ठीक करती है। मेरी आज्ञा तो तुझे मिल ही चुकी है।

बापूके आशीर्वाद

लीलावतीबहन उदेशी
मेडिकल हॉस्टल
परेल, बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४९२. पत्र : डॉ० जीवराज मेहताको

२७ नवम्बर, १९४४

भाई जीवराज,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरी तबीयतके बारेमें चिन्ता अनुचित है। चक्कर आने को महत्त्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन नहीं होता तो कुछ नहीं होता। थकावट जरूर हुई है। इसलिए विश्रामकी मात्रा बढ़ा दी है। जरूरतके मुताबिक बढ़ाता जाऊँगा। पेट अवश्य कुछ बेहतर है। पर यह तो पुरानी बात हो गई। तुम चिन्ता न करना। बाहर जाने की इच्छा नहीं है। ठंड मुझे परेशान नहीं करती। अभी तो दिसम्बर पड़ा हुआ है। फिर, बंगालकी भी गूँज कानोंमें उठ रही है। जरूरत हुई तो तुम तीनोंको सुशीला बुलायेगी।

मथुरादास ठीक है, यह खुशीकी बात है।

यह सही है कि स्मारकके डाक्टरी विभागके विषयमें मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया है। व्यापक आधारपर यहाँ जो करना था वह फिलहाल तो नहीं करना है। अन्तमें क्या होगा, यह देखूंगा। कुछ तो सुशीला कर ही रही है। वह कुछ लड़कियोंको तैयार कर रही है। उसे जैसा ठीक लगेगा वैसा चलायेगी।

बोर्डके विषयमें विचार करते हुए देखता हूँ कि बाहरकी जो भी योजना आये उसकी जाँच तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए बोर्ड तो रहना चाहिए। उसके अन्तिम रूपके बारेमें विचार कर रहा हूँ। तुम भी विचार करके मुझे लिखना। आयुर्वेद, होमियोपैथी वगैरहका हमला जोरदार है। यह सब मुझे उलझनमें डालता है। लेकिन रास्ता तो निकालना ही है। देखता हूँ, कहाँ जाकर पैर टिकाता हूँ।

कलसे चरखा संघकी बैठक शुरू होगी।

तुम अब चलने-फिरने लगे होगे। हंसाबहन[1] और बच्चे मजेमें होंगे।

बापूके आशीर्वाद

डॉ० जीवराज मेहता
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४९३. पत्र : कमल नारायण मालवीयको

२७ नवम्बर, १९४४

चि० कमल नारायण,

तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हारी सूचना तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका अमल मेरी शक्तिके बाहर है। प्रत्येक देहातमें पाठशाला और पुस्तकालय स्थापन करना महाभारत कार्य है। बाबूजी[2] अच्छे हैं सुनकर चित प्रसन्न होता है।

मो० क० गांधीके आशीर्वाद

श्री कमल नारायण मालवीय
भारती भवन
इलाहाबाद (यू० पी०)

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० १०५५६) से। सौजन्य : नगरपालिका संग्रहालय, इलाहाबाद

१. डॉ० जीवराज मेहताकी पत्नी
२. मदनमोहन मालवीय

४९४. पत्र : शिवलाल गुप्तको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

भाई शिवलाल गुप्ताजी,

भाई सन्तरामके बारेमें प्रान्तिय का० कमिटीसे मदद मांगनी चाहिये। मैं लाचार हूं।

आपका,
मो० क० गांधी

शिवलाल गुप्त
जयपुर

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४९५. पत्र : तेजराम भट्टको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

भाई तेजरामजी,

आप खामखाह पैसे खर्चते हैं। मैं व्यक्तिगत कामका रहा ही नहीं हूं। मैं आपका केस नहीं देख सकता हूं। मेरे पास समय ही नहीं है। मुझपर दया करें।

आपका,
मो० क० गांधी

तेजराम भट्ट
देहरादून

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

४९६. पत्र : राधाकान्त मालवीयको

सेवाग्राम
२७ नवम्बर, १९४४

भाई राधाकान्त,[1]

तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा तो था। मैं तो मेरी लाचारी ही बताता हूं। थकान है। काम काफी है। तुम्हारे क्या कहना है जानता हूं। मुझे बचा सको तो बचाओ। आना ही चाहिये तो ५ डिसम्बरके बाद आओ।

मो० क० गांधी

राधाकान्त मालवीय
अल्लाहबाद

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४९७. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

२७ नवम्बर, १९४४

आंध्रामें सब निरिक्षण करो, दरदीओंसे मिला। सफाई वि० में दोष देखो वह वैद्यको बताना, उपचार बतावे सो करना और कुछ अच्छा न लगे तो चले आना।

बावाजी[2] और गोखलेजी जो साथ आते हैं उनका परिचय करना और उनको जो मदद चाहिये सो करना। मुझे सब हाल लिखना। उपचार क्या क्या करना है, सो देखना। अगर कान दुरस्त न बने तो दुःख नहीं मानना। न सुनने में दुःख नहीं है। ईश्वरको भूलने में ही दुःख है।

बापु

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. मदनमोहन मालवीयके पुत्र
२. बाबाजी मोघे

४९८. पत्र : लॉयड्स बैंक लिमिटेडको

२८ नवम्बर, १९४४

प्रिय महोदय,

सन्दर्भ : 'एक्सचेंज' अंकित आपका २४-११-१९४४ का पत्र

आपके उपर्युक्त पत्रके सन्दर्भमें, जिसके साथ मेरे नाम ५३९ पौंड-१२ शिलिंग-६ पैं० की २४-११-१९४४ की दोहरी रसीद है, मैं आपको सूचित करता हूँ कि मैंने बैंक ऑफ नागपुर लिमिटेड, वर्धाको आपसे उक्त रकम एकत्रित करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

मेसर्स लॉयड्स बैंक लिमिटेड
हॉर्नबी रोड
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

४९९. पत्र : आर० के० करंजियाको

२८ नवम्बर, १९४४

भाई करंजिया,[1]

तुम्हारा पत्र मिला। पत्रिका मैंने पढ़ी। सत्याग्रह करने का भी नियम होता है न? करोड़से भी अधिक रुपये मिल जायें तो भी नियमका उल्लंघन करके सत्याग्रह नहीं किया जा सकता। एक अनिवार्य नियम यह है कि जिसपर जुल्म हुआ हो उसे सत्याग्रह करना चाहिए। हिन्दुस्तान उसकी पीठपर खड़ा रह सकता है। मैं या जो कोई भी सत्याग्रह दलका नेतृत्व करेगा वह धारामें ही बहेगा। आज जो हालत है उसमें तो वह असम्भव ही है।

बापूके आशीर्वाद

आर० के० करंजिया
बम्बई

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक ब्लिट्ज़के सम्पादक

५००. पत्र : महादेव आनन्द हिंगोरानीको

सेवाग्राम
२८ नवम्बर, १९४४

चि० महादेव,

आनंद कहता है तू रातको बहुत डरता है। रातको क्यों डरना? ईश्वर रातको सोता नहीं है। हम सोते हैं तब भी ईश्वर हमारी चौकी करता है। फिर हम क्यों डरे? रामनाम लेकर सोना और कभी नहीं डरना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

५०१. पुर्जा : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

सेवाग्राम
२८ नवम्बर, १९४४

तुम सिर्फ कानके उपचारके लिये नहीं जाते हो लेकिन विस्तृत अर्थमें नैसर्गिक उपचार कराने के लिये। मेरा अभिप्राय है कि तुम्हारे कानकी वहरपके साथ तुम्हारे मनका घनिष्ट संबंध है। नैसर्गिक शब्दमें मानसिक क्रिया भी आ जाती है। इस दृष्टिसे रामनाम रटण, गीता ध्यान मनन इ० भी नैसर्गिक उपचार है। यह चीज शायद राजुजीके[1] मंदिरमें मिल सकेगी। मेरा कुछ ख्याल है कि राजु उपचारको आध्यात्मिक दृष्टिसे देखते हैं। तुम्हारे तो अपना पुरुषार्थ करना है। दूसरे सब विचार छोड़ना। "मैं अच्छा हो जाउंगा, मेरे कान खुल जायेंगे" ऐसा निश्चय करके जाओ। राजु कहे वह उपचार करो, वह कहें सो खाओ। कुछ लेखना, वाचन करो। विद्याके, पिताजीके, माताजीके, मेरे, महादेव (बच्चा)के विचार छोडो। ऐसे विचार छोडने से उनका भला करोगे। कान दुरस्त होने में अनासक्ति मदद देगी। कानका भी विचार मत करो। विचार कामका करो। राजुके मंदिरमें दोष है उसे निकालने की चेष्टा करो। वहाँके दरदीओंका परिचय करो। गोखले या बाबाजीसे वातें करो। उनसे 'गीता' सीखो, तेलगुका अभ्यास करो। हम उत्तरमें रहनेवाले दक्षिणकी चारों भाषा की उपेक्षा करते हैं। यह हमारा बडा दोष है। संक्षेपमें आंध्र देशमें जाते हो नया

१. कृष्णराजू

जीवन लेने के लिये। यहांसे जो लिया है वहां देना। वहां जो है सो यहां लाना। कातना और कातने की सब क्रिया वहां किया करो। अधिक क्या? ईश्वर तुमारे साथ है ही।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यह गोखलेजी और बाबाजीको भी बताओगे तो अच्छा है। जैसे तुम्हारी इच्छा।

पुर्जेकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

५०२. भेंट : एन० जी० रंगाको

२८ नवम्बर, १९४४

दूसरी भेंटमें[1] प्रो० रंगाने गांधीजी के सामने किसान सभाका पुनर्गठन करने और कांग्रेसके साथ उसका समन्वय करने के लिए दो वैकल्पिक प्रस्ताव रखे। वे ये थे :

(१) जो किसान परिषदें गठित की जायें उनमें वहाँकी कांग्रेस कमेटियोंके एक-तिहाई प्रतिनिधि रहें। इस प्रकार किसान परिषदोंको कांग्रेसका सहयोग और परामर्श प्राप्त रहेगा।

(२) (क) कांग्रेसकी सदस्यताको किसान संगठनकी आधारभूत सदस्यता माना जाये।

(ख) वर्तमान संविधानके अनुसार निर्वाचित कांग्रेस कमेटियोंके देहाती प्रतिनिधियोंको लेकर ही किसान परिषदें गठित की जायें। ऐसी किसान परिषदें कांग्रेस कमेटियोंका अंग होते हुए भी किसानोंकी समस्याओंके मामलेमें अपना पृथक् सुसंस्थित अस्तित्व बनाये रखेंगी।

(ग) समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टिसे किसान परिषदोंमें कांग्रेस सदस्योंके अलावा कुछ ऐसे गैर-कांग्रेसी सदस्य भी रखे जायें जो कांग्रेस-विरोधी न हों।

प्रो० रंगाका विचार था कि अधिकांश किसान सभाइयोंको पहली योजना दूसरी योजनाकी अपेक्षा अधिक स्वीकार्य होगी। दूसरी योजनाकी अन्तिम धाराका उद्देश्य भी यही, अर्थात् उसे किसान सभाइयोंके लिए स्वीकार्य बनाना था।

गांधीजी : लेकिन पिछली बार आपने जो सुझाया था, यह तो उससे अलग तरहकी चीज है। तब आपने कहा था कि किसान सभामें ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो कांग्रेसका भी सदस्य न हो।

१. इससे पहलेकी भेंटके लिए देखिए पृ० २६३-६९।

प्रो० रंगा: हम अपने संगठनमें कुछ ऐसे गैर-कांग्रेसी किसानोंको भी रखना चाहते हैं, जो कांग्रेस-विरोधी नहीं हैं, किन्तु कई कारणोंसे कांग्रेसमें शामिल नहीं हो सके।

गांधीजी: आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आपने कहा था कि आप कांग्रेसके विरोधमें कोई चीज खड़ी करना नहीं चाहते। इसलिए अगर आपके सदस्य केवल कांग्रेसी ही होंगे, तो किसान संगठन जमीदारों और मालिकोंके विरुद्ध किसानोंके अधिकारोंकी प्रतिष्ठाके लिए प्रयत्न करेगा। वह राजनीतिक सवालोंमें नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा था कि इस बातको मैं स्वीकार कर सकूँगा। मैंने कहा था कि मुझे हिचकिचाहट है, लेकिन आप मेरी शंकाओंका निवारण कर सकें तो ठीक है। इसलिए आप अपने मूल प्रस्तावपर ही कायम रहें तो अच्छा है।

प्रो० रंगा: यह बात काफी जोरदार ढंगसे हमें समझा दी गई है कि कांग्रेस-वाले इस दोहरी सदस्यताकी बातसे घबराते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा यही होगा कि किसान सभा एक पृथक् संस्था ही बनी रहे। हमारे कार्यकर्त्ता इस विचारके अभ्यस्त हैं। मैं उनसे यह बात मनवा सकने में सफल हुआ हूँ कि जहाँतक राज-नीतिका सवाल है, हमें कांग्रेसका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। इसके पीछे यह विचार है कि कांग्रेसके चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रोंके प्रतिनिधि एक किसान परिषद्के रूपमें संगठित हो जायेंगे। यह किसान परिषद् किसानोंसे सम्बन्धित मामलोंके लिए काम करेगी और राजनीतिके क्षेत्रमें कांग्रेसका नेतृत्व स्वीकार करेगी।

गांधीजी: मेरा सुझाव तो यह है। जिन क्षेत्रोंमें आप सभी किसानोंको अपना सदस्य बना लें वहाँ आप अपना संगठन बना लें। किसान आपके संगठनका सदस्य बनने के साथ ही कांग्रेसका भी सदस्य बन जायेगा। उसके बाद जिन सवालोंका ताल्लुक विशेष रूपसे किसानोंसे और जमींदारों आदिके साथ उनके सम्बन्धोंसे होगा उनके विषयमें तो आपका संगठन काम करेगा, लेकिन राजनीतिक सवालोंके हलके लिए कांग्रेस काम करेगी।

प्रो० रंगा: वैसी स्थितिमें क्या हम कांग्रेसके चार आनेके सदस्यता-शुल्कमें से एक आना किसान परिषद्के लिए रख सकते हैं?

गांधीजी: कांग्रेस स्वीकृति दे दे तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि यह विशेष काम करने के लिए कांग्रेस आपको एक आना आनुतोषिक देगी। यदि मैं कांग्रेसका प्रधान होता तो मैं निश्चय ही इसकी अनुमति दे देता।

प्रो० रंगा: इस बीच क्या हम अबसे इकन्नी सदस्यता शुरू कर सकते हैं? इसमें यह बात बिलकुल स्पष्ट रहेगी कि कांग्रेस संगठन जब फिरसे काम करना शुरू कर देगा, तब इस समय जिन लोगोंको सदस्य बनाया गया है वे कांग्रेसके सदस्य बन जायेंगे। या हम अभी प्रत्येक सदस्यसे पाँच आना लें और इसमें से चार आना कांग्रेसके नामपर अपने पास जमा रखें।

गांधीजी: मुझे भय है कि आज आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इसे खुले-आम करें, अन्यथा बिलकुल न करें। कांग्रेसका चवन्नी सदस्यता-शुल्क आप पहलेसे ही

इकट्ठा न करें। मैं एक बेहतर योजना सुझाता हूँ जिसकी सिफारिश मैंने श्रीमती रमा देवीसे की थी। केवल कार्यकर्त्ताओंकी ही पंजिका रखें। फिलहाल कांग्रेसके सदस्य न बनायें।

प्रो० रंगा : क्या हम कांग्रेसका काम जारी रखने के लिए कांग्रेस सेवा संघ जैसी कोई संस्था नहीं बना सकते, जो कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंकी एक तदर्थ संस्था होगी, लेकिन जिसमें कांग्रेसके सदस्य नहीं होंगे?

गांधीजी : हाँ, आप यह कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी संस्था अहिंसात्मक संस्था है, इसलिए उन लोगोंका काम केवल पन्द्रह-सूत्री रचनात्मक कार्यक्रमको जारी रखना होगा। इससे साम्यवादियोंके साथ झगड़ा भी बच जायेगा। आज आप सत्ताके लिए नहीं, बल्कि कांग्रेसके सेवकोंकी हैसियतसे काम कर रहे हैं। यदि आप अपना काम चुपचाप और बिना किसी दिखावेके करेंगे तो आपकी शक्ति दुर्दमनीय हो जायेगी। कोई व्यक्ति आपके पास तभी आयेगा जब वह आपके साथ काम करना चाहेगा। कोई भाषणबाजी नहीं होगी और न अखबारोंमें कोई प्रचार होगा जिससे कि सत्तालोभी लोग उसकी ओर आकृष्ट हों।

प्रो० रंगा : भाषणबाजी स्वयंमें व्यर्थ है, यह बात मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ठोस सार्वजनिक कार्यके साथ क्या उसका कोई लाभ नहीं है?

गांधीजी : काम तो स्वयं बोलता है। यहाँ खादी विद्यालयमें, हिन्दुस्तानी तालीमी संघमें और ग्रामसेवा संघमें कार्यकर्त्ता हैं, जो जी-जानसे काममें लगे हुए हैं। वे कोई भाषण नहीं करते। वे अपने कार्यके द्वारा गाँववालोंसे बोलते हैं।

प्रो० रंगा : जहाँतक किसान-कार्यका सम्बन्ध है, साम्यवादियोंने बहुत नुकसान किया है और उसके फलस्वरूप वे बड़े अलोकप्रिय हो गये हैं। आन्ध्रमें दो किसान संगठन हैं — एक कांग्रेसवादी है और दूसरा साम्यवादी विचारधारावाला है। जहाँतक हमारा सम्बन्ध है, हम साम्यवादियोंको अपने संगठनसे बाहर रखते हैं।

गांधीजी : आप केवल नियम बनाकर किसीको प्रारम्भिक सदस्यतासे वंचित नहीं रख सकते। लेकिन मैंने जो रास्ता बताया है, उसपर चलकर आप मुसीबतोंसे बचे रह सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २३-१-१९४५

५०३. सन्देश : विद्यार्थी सम्मेलनको[1]

[२९ नवम्बर, १९४४ के पूर्व][2]

चौदह-सूत्री कार्यक्रम गांधीजी को बहुत प्रिय है और अगर आप इसे कार्यान्वित कर सकें और इसमें गति और शक्ति ला सकें तो उससे देश स्वतन्त्रता, शान्ति और प्रगतिकी ओर अग्रसर होगा। स्वतन्त्रताके लिए काम करनेवालोंको आशीर्वाद तो सदैव प्राप्त ही रहता है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १-१२-१९४४

५०४. पत्र : अमृतकौरको[3]

सेवाग्राम
२९ नवम्बर, १९४४

मेरी पूरी सहानुभूति तुम लोगोंके साथ है। मॉडसे[4] मेरा प्यार कहना। वह बहादुर है। मुझे आशा है कि जो जाँच होनेवाली है उसका नतीजा कोई ज्यादा बुरा नहीं आयेगा।[5] बेरिलने[6] इस सबको किस भावसे ग्रहण किया है? शम्मीको[7] इस सबका मुकाबला सिपाहीकी तरह बहादुरीसे करना चाहिए। तुम्हारे बारेमें क्या कहूँ? अगर बने तो एक प्रसन्नताभरा तार भेजना।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४२०३) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७८३९ से भी

१. यह प्यारेलालने भेजा था। विद्यार्थी सम्मेलन इलाहाबादमें २ और ३ दिसम्बरको होनेवाला था।

२. यह दिनांक "इलाहाबाद, २९ नवम्बर, १९४४" के अन्तर्गत छपा था।

३. यह २९ नवम्बर, १९४४ को सुशीला नैयर द्वारा अमृतकौरको लिखे पत्रके ही नीचे लिखा हुआ है। देखिए पृ० ३९१, पा० टि० ३ भी।

४. महाराजा कपूरथलाकी रानी

५. अमृतकौरकी भाभी रानीजीका ऑपरेशन हुआ था और बम्बईके टाटा मेमोरियल कैन्सर अस्पतालमें उनका इलाज होना था।

६. मॉडकी पुत्री

७. अमृतकौरके भाई शमशेर सिंह

५०५. पत्र : रामनारायण पाठकको

सेवाग्राम
२९ नवम्बर, १९४४

भाई रामनारायण,

मैंने हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके सम्बन्धमें तुमसे फिर लिखने को कहा था। दूसरे पत्र भी आये थे। उनके आधारपर मैंने एक वक्तव्य[1] जारी किया है। तुम दोनों भाई उसे देखना। उसपर कुछ कहने लायक हो तो लिखना। मार्ग-दर्शन तो तुम्हें पा ही लेना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

रामनारायण पाठक
एलिसब्रिज
अहमदाबाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५०६. पत्र : कलंगीको

सेवाग्राम
२९ नवम्बर, १९४४

भाई कलंगी,

आपका पत्र मिला। मनीओरडर भी। मेरी उम्मीद है कि यह आपको मिलेगा। जैसा आपने लिखा है ऐसे मर जाने से लोगोंका दुःख मिटनेवाला नहीं है। कई चीज दुनीयामें होती है जिसका हमें साक्षी बनना पड़ता है। हमसे जो बन सके हम करें और बाकी ईश्वरपर छोड़ें। वह भी तो अपनी सृष्टि जो करली है उसे सहन करता है न? मैं क्या करता हुं या नहीं करता हुं उसका तो तुमको कुछ पता भी नहीं है। इसलिये मेरी सलाह है कि आपघातकी बात छोडो। कहो तो पैसे वापिस करूं।

मो० क० गांधी

श्रीयुत कलंकी[2]
फायर सर्विस[3]
उत्तरपाद
जिला हुगली

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए पृ० ३६७-६९।
२ और ३. साधन-सूत्रमें ऐसा ही है।

५०७. पत्र : हीरालाल शर्माको

सेवाग्राम
२९ नवम्बर, १९४४

चि० शर्मा;

भाई विचित्रका[1] खत है। उसके वर्णनसे मैं देखता हूं कि तुमने एक आलेशान मकान बनाया है। लेकिन तुमारे साथ कोई मददनीश नही है। अकेले कितना और क्या कर सकोगे यह प्रश्न है। तुम्हारा खर्च कौन उठा सकता है? जो चीज चलने-वाली नहीं दीखती उसके बारेमें मैं पैसे कैसे और कहांसे निकालुं? तुम्हारे अपने पुरुषार्थसे जो बन पड़े सो करना है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कोई वार मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हारे जीवनमें मैंने प्रवेश करके तुम्हारा जीवन छिन्नभिन्न कर दिया है। न यहांके रहे न वहांके। इसका अर्थ हुआ कहांके नही। अब तो मुझको भूलकर जो निर्णय करना है सो करो। तुम्हारा खत आने पर मैं ट्रस्टका अंतीम निर्णय करूंगा।

बापुके आशीर्वाद

हीरालाल शर्मा
सूर्य चिकित्सालय
खुर्जा

पत्रकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

५०८. पत्र : वनमाला न० परीखको

सुबह ७-१५, ३० नवम्बर, १९४४

ये प्रकरण[2] बुरे तो नही है, लेकिन मेरी आशाके अनुरूप नहीं है। शायद मुझे उतनी आशा नही करनी चाहिए थी। तुझे उतना अनुभव अथवा उतना शिक्षण लेने नहीं दिया गया। तू अधिक परिश्रम कर सकती थी। क्योंकि तू आलसी नहीं है इसलिए मैं यह मान लेता हूँ कि तुझे अधिक परिश्रम करने का समय ही नही मिला होगा। सो अब तो जहाँ-जहाँ मैंने निशान लगाये है वहाँ-वहाँ संशोधन-परिवर्द्धन

१. विचित्रनारायण सिंह
२. अमारां बा पुस्तकके

करके पांडुलिपि जीवनजीको[1] सौंप देना। उसे जो करना होगा सो करेगा। तुझे निराश होने की कोई जरूरत नही है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५८४५) से। सी० डब्ल्यू० ३०६८ से भी; सौजन्य: वनमाला म० देसाई

५०९. पत्र: कन्हैयालाल मा० मुन्शीको

सेवाग्राम
३० नवम्बर, १९४४

भाई मुन्शी,

राजाजी के साथ मेरी बातचीत हुई थी। स्थिति तो जो मैंने बताई वही है, यानी अंग्रेजी सत्ताके रहते हुए ही राजा स्वतन्त्र रह सकते हैं और पाकिस्तान बन सकता है। इस स्थितिको मैं कैसे बरदाश्त कर सकता हूँ? इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दुस्तानका एक भाग स्वतन्त्र हो सकता है, लेकिन रजवाड़ोंमें और जहाँ मुस्लिम बहुमत है वहाँ अंग्रेजी सत्ता बनी रहेगी। मैं इच्छापूर्वक तो इस स्थितिका साक्षी कभी नहीं बनूंगा। तुम कैसे बन सकते हो, यह मेरी समझके बाहरकी बात है। यदि तुम्हें राजाजी से मिलकर बात स्पष्ट करनी हो तो कर लेना। मैंने यहाँ जैसा समझा है वैसा लिखा है। थोड़ेके लोभमें सब मत खो देना। बहुत गहराईसे विचार करना।

सरलाका[2] काम अच्छी तरह चल रहा होगा।

बापूके आशीर्वाद[3]

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६८४) से। सौजन्य: क० मा० मुन्शी

१. जीवनजी डा० देसाई, नवजीवन प्रेसके प्रबन्धक

२. क० मा० मुन्शीकी पुत्री

३. इस पत्रपर यह आदेश लिखा था: "यह पत्र किसी बम्बई जानेवाले के हाथ भेजा जाये।"

५१०. पत्र : देवदास गांधीको

सेवाग्राम
३० नवम्बर, १९४४

चि० देवदास,

तेरा पत्र मिला। राजाजी में वहां जाने का तनिक भी उत्साह नहीं है। उनका शरीर दुर्बल है। दिल्लीकी ठंड वे सहन नही कर सकेंगे। वैसे उनकी तबीयतमें कोई खराबी नहीं है, पर, वह ढीली चल रही है। खुराकमें फेर-बदल किया है। तू और जो-कोई भी मिलना चाहे, यहीं आ जाये।

मै भी कुछ आराम लेने की तैयारी कर रहा हूँ। यहीं रहूँगा, लेकिन काम करना बन्द कर दूँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। राजाजी का तो बहुत आग्रह है। उन्होंने नागपुरमें तो अपनी सुगंध अच्छी फैला दी है। डॉ० महमूद ठीक है। कमजोर हो गया है। पण्डित शिव शर्माकी दवा लेता है। कृष्णदासने कुछ दाँत निकलवाये थे; उसमें उसे काफी कष्ट भोगना पड़ा। अब अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

देवदास गांधी
दिल्ली

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५११. पत्र : श्रीमन्नारायणको

सेवाग्राम
३० नवम्बर, १९४४

चि० श्रीमन्,

तुम्हारा खत मिला। टंडनजीको[1] लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं। मुझे प्रस्ताव मिल गया है।

केदारबाबूकी नोंध अच्छी है। इसके साथ एक नकल भेजता हूं। मै चाहता हूं इस बारेमें मदालसाको दोरो। शांताबहनसे बात करना है तो करो। मुझको खत अच्छा लगा है। कुछ-न-कुछ तो होना ही चाहीये। सब अध्यापकोंको मिलने के लिये

१. पुरुषोत्तमदास टंडन

भी मैं तैयार हूं। लेकिन यह बोज मुझपर नहीं होना चाहीये। थकानके कारण ३ तारीखसे ३१ तक काम छोड़ना चाहता हूं।

बापुके आशीर्वाद

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३०२

५१२. पत्र : शिव शर्माको

सेवाग्राम
३० नवम्बर, १९४४

भाई शिव शर्मा,

तुम्हारी सहत बिलकुल अच्छी होगी।

भाई रमेश बड़े सज्जन हैं लेकिन आयुर्वेदका चमत्कार मुझको नही बता सके हैं। मेहनती हैं। उनकी अंग्रेजी वैदकके साथ हरीफाई करनी है। उस हरीफाई करने में बहुत परिश्रम और अनुभवकी आवश्यकता रहती है।

मैं तो बहुत दुर्बल हो गया हूं। खोराक कुछ कम हुआ है। दो तीन घंटेके कामसे थकान आ जाता है। अब तो विचार कर रहा हूं कि जाहिर कामसे कुछ फुर्सत ले लूं। गणेश शास्त्री जोशीजीने कुछ गोलियां दी थी। मैंने खाई नही थी। और तो क्या करूं। सूझता नही। सुशीलाबहन अपना इलाज तो बताती ही है। आयुर्वेदीय औषधसे अच्छा होने का या मेरे ही उपचारोंसे अच्छा होने का आग्रह तो है। देखें क्या करूंगा। दूसरे वैद्यको भेजने से बहतर यह होगा कि यहां आ सको तब आ जाओ।

बापुके आशीर्वाद

पंडित शिव शर्मा

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५१३. पत्र : अमृतलाल चटर्जीको

१ दिसम्बर, १९४४

प्रिय अमृतलाल,

तुम्हारे भेजे मसौदेमें[1] मैंने संशोधन कर दिया है। उपवासका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। तुम अपनेको विवाहकी बाततक ही सीमित रखो। सुधारके बारेमें जो-कुछ जोड़ा गया है उसे देखना।

आशा है शैलबाला देवीकी[2] हालत बेहतर होगी और वह जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जायेगी। रोनू[3] कैसा है? तुम सबको प्यार।

बापू

[पुनश्च :]

शैलेनके भोजन और निवासकी अब ठीक व्यवस्था हो गई है। मैं नही समझता कि शैलेनको कस्तूरबा-स्मारक निधिका लेखा-परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है। मुझे आशा है कि उस कामके लिए तो वे कोई नामी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट नियुक्त करेंगे।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०५०९) से। सौजन्य : अमृतलाल चटर्जी

५१४. पत्र : के० आर० अग्रवालको

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

कृपया यह विश्वास रखिए कि जबतक अन्तरात्माकी स्पष्ट आवाज नहीं होगी यह उपवास नहीं होगा।

आपका,
मो० क० गांधी

श्री के० आर० अग्रवाल
डिब्रूगढ़

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. समाचारपत्रोंके लिए वक्तव्यके

२ और ३. अमृतलाल चटर्जीकी पत्नी तथा पुत्र

५१५. पत्र : जयाको

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४

चि० जया,[1]

मैंने सूत भेजा, क्या उसीमें मेरे आशीर्वाद नहीं आ गये? फिर भी तुझे लोभ है तो चि० बिन्दु[2] तथा चि० चन्द्रकान्तसे कहना कि विवाहका जो महत्त्व मैंने समझाया है वे उसे समझें, उसका पालन करें, सेवा-भावसे जीवन बितायें, और दोनों सुखी हों, यह मेरा आशीर्वाद है।

मनुको तू समझाकर ले जा सके तो भले ले जा। मैंने उसे रोक नहीं रखा है। लेकिन तुझे समझना चाहिए कि जिसे मुझे सौंपा गया है, उससे ऐसे प्रसंगमें कोई आशा करना व्यर्थ है।

बापूके आशीर्वाद[3]

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२३) से

५१६. पत्र : किशोरलाल घनश्याम मशरूवालाको

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४

चि० किशोरलाल,

तुमने ठीक समझा है। शायद इसी दिशामें मैं कुछ और करूँ। प्राचीन कालमें जिनका गुणगान किया गया, उन उपवासोंका उपयोग मैं अपने समर्थनके लिए करता हूँ। लेकिन अगर वे गलत साबित हों अथवा आधारहीन सिद्ध हों, तो उससे मैं डिगनेवाला नहीं हूँ। मेरा निश्चित मन्तव्य है कि मात्र आधुनिक दृष्टिसे भी उपवासका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार शरीरके लिए उपवासकी आवश्यकता है उसी प्रकार शरीरधारी आत्माके लिए भी है। ऐसा करते हुए यदि शरीर-पात हो जाये,

१. जयसुखलाल गांधीकी बहन
२. जयाकी पुत्री
३. इस पत्रपर यह आदेश था: "यह मनुबहनको दिखाया जाये।"

तो वह तनिक भी दुःखका विषय नहीं होगा। फिर भी, नाथजी[1] जो लिखेंगे उसे पढ़ना तो मुझे अच्छा लगेगा।

अपना स्वास्थ्य सुधारना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५१७. पत्र : गोमती किशोरलाल मशरूवालाको

सेवाग्राम
[१ दिसम्बर, १९४४][2]

चि० गोमती,

तुम्हारा पत्र मिला। अगर यह विश्वास हो कि मैं और हम सब ईश्वरके हाथ में है तो फिर चिन्ता क्यों? मैं पूरी सावधानी बरत रहा हूँ। उबर जाऊँगा, ऐसी आशा है। खास तौरसे राजाजी की प्रेरणासे अविलम्ब विश्राम करने का निर्णय हुआ है।[3] यह ४ तारीखसे आरम्भ होगा। मेरे लिए यहाँकी आबोहवा प्रतिकूल नहीं है। मणिलालने सब समाचार दिये हैं। तुम दोनोंका, मोटे तौरपर ठीक चलता मालूम होता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. किशोरलाल मशरूवालाके गुरु केदारनाथ कुलकर्णी

२. यह पत्र पिछले शीर्षकके साथ भेजा गया था।

३. २९ नवम्बरको अमृतकौरको लिखे अपने पत्रमें सुशीला नैयरने बताया है कि राजाजी ने "गांधीजी को विश्रामका सुझाव बड़े अनोखे ढंगसे दिया। उन्होंने कहा कि उपवास करते समय जिस प्रकार आप भोजन नहीं करते उसी प्रकार आपको कार्योपवास करना चाहिए और एक महीने तक निष्ठापूर्वक कामसे दूर रहना चाहिए।"

५१८. पत्र : वैकुण्ठ लल्लूभाई मेहताको

[१ दिसम्बर, १९४४][1]

भाई वैकुण्ठ,

प्यारेलालके नाम तुम्हारा पत्र पढ़ा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि महाराजाका पैसा लेते आओ। शायद, हम यह जिम्मेदारी उठा न सकें। यह पैसा या तो तालीमी संघको सौंप दिया जाये या बिहारमें जो यह जिम्मेदारी ले उसे। बिहार-निवासी बद्रीनारायणकी मार्फत यह काम कर सकें तो अच्छा।

बापूके आ[शीर्वाद]

[पुनश्च :]

अगर दिखा सको तो यह बापाको दिखाओ। तुम्हारा विचार अगर मेरे विचार से भिन्न हो तो मुझे निःसंकोच लिखो।

बापू

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५१९. पत्र : श्रीमन्नारायणको

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४

चि० श्रीमन्,

तुमारा खत बहुत स्पष्ट और अच्छा है। मेरा व्रत[2] खतम होने पर हम सब चर्चा करेंगे। तुमारे कोलेज-कार्यका महत्त्व मैं बराबर समझता हूं। उसमें विद्यार्थी-संगठन और महिला आश्रमका बोज तुमारा सब समय ले लेगा। इसलिये जहांतक हो सके हिन्दुस्तानी प्रचार-कार्यसे तुमको मुक्त करने में मदद दूंगा। देखता हूं क्या हो सकता है।

तुमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होना चाहीये। सेवा-कार्यके लिए शरीर-रक्षाका धर्म नहीं भूलोगे।

बापुके आशीर्वाद

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३०२

१. साधन-सूत्रमें यह पत्र १ दिसम्बर, १९४४ के पत्रोंके बाद और २ दिसम्बर, १९४४ के पत्रोंके पहले रखा गया है।

२. गांधीजी ने थकावटके कारण कुछ दिन काम न करने का व्रत लिया था।

५२०. पत्र : इन्दूभूषण भिंगारेको

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४

भाई भिंगारे,

तुम्हारे भजन मैंने भाई दिवाणजी जो कि कवी हैं और जिन्होंने 'अभंग'[1] 'ज्ञानेश्वरी'[2] इ० का अभ्यास किया है उनको मैंने बताये। उनका अभिप्राय इसके साथ रखता हूं। इस हालतमें मैं प्रस्तावना कैसे लिखुं? मेरी सलाह है कि दिवाणजी से मिलो और उनकी मदद लेकर योग्य सुधारण और संशोधन करो।

आपका,
मो० क० गांधी

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५२१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४

भाई घनश्यामदास,

मैं ४ ता० से ३१ तक सब जाहर प्रवृत्ति वार्तालाप इत्यादि बन्द करता हूं। उसमें जरा भी गभराटकी जरूरत नही है। सिर्फ सावधानीकी बात है। मेरी उमीद है मुझे ठीक आराम हो जायगा।

राजाजी को तुमने तार भेजा है लेकिन वह नही जाना चाहते है। ऐसी आवश्यकता तो है ही नही। और उनकी प्रकृति अच्छी न मानी जाय। मानसिक थकान नही है, लेकिन शारीरिक उत्साह मंद है। दिल्हीकी ठंडकी बरदाशी करना नहीं चाहते है। मेरे व्रतके आरंभके बाद शीघ्र मद्रास जाना चाहते है।

बापुके आशीर्वाद

घनश्यामदास बिड़ला
दिल्ही

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

१. सन्त तुकारामकी रचनाएँ
२. भगवद्गीता पर सन्त ज्ञानेश्वर कृत प्रथम मराठी टीका, जिसमें ज्ञानमार्गका प्रतिपादन किया गया है।

५२२. भाषण : अ० भा० चरखा संघके न्यासियोंके समक्ष

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४[1]

मुझे यह कहते दुःख है कि मैं शारीरिक दृष्टिसे वैसा ठीक और तरोताजा नहीं हूँ जैसी कि मैंने आशा की थी और मैंने ४ दिसम्बरसे चार हफ्तेका पूरा विश्राम लेने का निश्चय किया है, ताकि मैं उसके बाद ज्यादा जोर-शोरसे काम शुरू कर सकूँ। तथापि मैं सदस्योंको चेतावनी देता हूँ कि वे मुझपर रहम खाकर मुझे कार्यवाहीमें बख्शने का विचार न करें।

संघके महामन्त्री श्री जाजूजी ने सात दिनतक प्रतिदिन एक घन्टे रोज मेरे साथ बैठकर संघकी भावी नीतिके हर पहलूपर विचार किया है।[2] इस चर्चाका सार एक परिपत्रके रूपमें बोर्डके सदस्योंको और अन्य प्रमुख खादी कार्यकर्त्ताओंको भेजा गया है। इसका जवाब भी कई सदस्योंसे प्राप्त हो चुका है, और वे सारे जवाब बोर्डके सामने विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

मैं सदस्योंसे जिस मुख्य चीजपर विचार करने को कहना चाहता हूँ वह यह है कि अभीतक संघका काम केन्द्रीय कार्यालयसे संचालित होता था, लेकिन आगेसे कामका विकेन्द्रीकरण कर दिया जायेगा और कोई भी जिला या प्रान्त यदि स्वायत्त होना चाहेगा तो उसे इसकी अनुमति होगी। कार्यकर्त्ताओंको संघकी प्रतिष्ठा और नैतिक समर्थनके साथ ऐसे स्वायत्त केन्द्र संगठित करने के लिए जाने को तत्पर रहना चाहिए। कार्यकर्त्ताको पाँच वर्षतक गुजारेके लिए कुछ-न-कुछ दिया जायेगा, लेकिन गुजारेकी यह रकम हर साल कम होती जायेगी। उसे वहाँ संघ द्वारा निर्धारित बुनियादी सिद्धान्तों और नीतिके अनुसार काम करना चाहिए। अन्यथा सात लाख गाँवोंमें कार्यका विकेन्द्रीकरण सम्भव नहीं है।

संसारमें दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। एक विचारधाराके लोग तो संसारको शहरोंमें बाँटना चाहते हैं और दूसरे गाँवोंमें। ग्रामीण सभ्यता और नगर सभ्यता दो बिलकुल भिन्न चीजें हैं। एक सभ्यता मशीनों और औद्योगीकरणपर निर्भर है और दूसरी दस्तकारीपर। हमने ग्रामीण सभ्यताको प्राथमिकता दी है। आखिर यह सारा औद्योगीकरण और बड़े पैमानेपर किया जानेवाला उत्पादन अपेक्षाकृत अभी हालकी चीजें हैं। हम नहीं जानते कि इससे हमारे विकास और सुखमें कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि यह अपने पीछे हालके विश्व-युद्ध लाया

१. चरखा संघका नवसंस्करण से
२. श्रीकृष्णदास जाजूके साथ गांधीजी की ये चर्चायें ७ से १४ अक्तूबरके बीच हुई थीं।

है। दूसरा विश्व-युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसके खत्म होने से पहले ही हम तीसरे विश्व-युद्धकी बात सुन रहे हैं।

हमारा देश आज जितना दु:खी और पीड़ित है उतना वह इससे पूर्व कभी नहीं रहा। शहरोंमें भले ही लोगोंको लम्बे मुनाफे और अच्छे वेतन मिल रहे हों, लेकिन यह सब गाँववालोंका खून चूस-चूसकर ही सम्भव हुआ है।

हम लाखों और करोड़ों रुपये जमा नहीं करना चाहते। हम अपने कामके लिए हमेशा पैसेपर निर्भर नहीं रहना चाहते। अगर हम अपने उद्देश्यके लिए अपने जीवनका त्याग करने को तैयार हों, तो पैसा कोई चीज नहीं है। हमारे अन्दर आस्था होनी चाहिए और हमें अपने प्रति सच्चा होना चाहिए। अगर हमारे पास ये चीजें हैं तो हम अपनी तीस लाखकी पूंजी गाँवोमें विकेन्द्रित करके तीन सौ करोड़की राष्ट्रीय सम्पदा पैदा कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य चीज जो जरूरी है वह यह है कि गाँवोंको आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी बनाया जाये। लेकिन ध्यान रखिए कि आत्म-निर्भरताकी मेरी कल्पना संकीर्ण नहीं है। मेरी आत्म-निर्भरताकी कल्पनामें स्वार्थ-परता या घमंडके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यह नहीं सिखा रहा हूँ कि अपने को सबसे अलग-थलग कर लिया जाये। हमें अपने उद्देश्यकी खातिर अपने-आपको धूलके समान तुच्छ मानकर विनम्रता बरतनी होगी। जिस प्रकार चीनी दूधमें घुल-मिल जाती है उसी प्रकार हमें लोगोंके बीच घुल-मिल जाना होगा। यद्यपि गाँवके लोग यथासम्भव आत्म-निर्भर होंगे, लेकिन उन्हें भविष्यके अहिंसात्मक समाजके निर्माणके लिए चेतना उत्पन्न करने की खातिर अपने बौद्धिक विकासपर भी समय देना होगा।

मनुष्यकी आवश्यकताओंमें भोजनके बाद दूसरा स्थान वस्त्रका है। यदि प्रत्येक गाँव अपना कपड़ा खुद तैयार करने लगे तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जायेगी। लेकिन इस उद्देश्यको प्राप्त करने के लिए हम कानून बनाकर कपड़ा-मिलें बन्द करना नहीं चाहते। हम तो लोगोंकी मनोवृत्तिमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। विकेन्द्रीकरणके द्वारा हम उन सब क्षेत्रोंमें, जहाँ कपास उगाई जाती है, कपड़ा पैदा करना चाहते हैं।

लेकिन जिन शहरी लोगोंने अब खादीको अपना लिया है वे क्या करें? मैं उनसे कहूँगा कि वे अपना सूत स्वयं कातें और इस सूतका कपड़ा बुनवाने के लिए बुनकर ढूँढ़ें।

यह बड़ी बेतुकी बात है कि बम्बईवालोंके लिए कपड़ा तैयार करनेवाले गरीब लोगोंकी जरूरतका कपड़ा मैनचेस्टरसे आये। गरीबोंको अपने वेतनका एक हिस्सा खादीके रूपमें स्वीकार करने पर विवश करना भी उचित नहीं है। उनकी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि वे स्वेच्छासे और होशियारीके साथ कताई करें और प्रेम तथा गर्वके साथ अपना तैयार किया कपड़ा इस्तेमाल करें। अगर बम्बईके लोग खादी पहनना चाहते हैं तो उन्हें अपना सूत खुद कातना चाहिए अथवा अपने बच्चों या अन्य आश्रितोंसे सूत कतवाना चाहिए। यदि खादीके प्रति प्रतिबद्ध लोग स्वयं सूत

कातेंगे तो यह चीज और लोगोंमें भी फैलेगी। हम आज एक करोड़की खादी तैयार करते हैं, लेकिन अगर हम दस करोड़की खादी भी तैयार करने में सक्षम हो जायें तो भी सारे देशको खादी पहनाने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

इसके बाद गांधीजी ने वह प्रस्ताव[1] पढ़कर सुनाया जिसपर वे चाहते थे कि बोर्ड विचार करे और पास करे। उसके फलितार्थोंको समझाते हुए उन्होंने कहा:

हमारी पाँचों रचनात्मक कार्यक्रमवाली संस्थाओं (चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, हरिजनसेवक संघ, गो-सेवा संघ)के कार्यकर्त्ताओंको ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सारे देशकी राजनीति उनसे मार्ग-दर्शन पा सके।

आज हम बराबर यह सोचते हैं कि हमारा काम तभी आगे बढ़ सकेगा जब राजाजी मद्रासके मुख्य मन्त्री हो जायेंगे। लेकिन ऐसा सोचना उचित नहीं है। आज की हमारी राजनीति ऐसी है कि हम लालसा-भरी आँखोंसे वाइसरायके सचिवालयकी ओर ताकते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना काम ठीकसे करें तो वाइसरायको हमारे पास आना पड़ेगा। वे हमारा काम देखेंगे और महसूस करेंगे कि ऐसे लोगों को अधीनतामें रखना या उनपर शासन करना सम्भव नहीं है। जब सात लाख गाँव नई भावनाके साथ इस कामको हाथमें ले लेंगे तो हम पराधीन राष्ट्र नहीं रह जायेंगे। हमारा प्रत्येक गाँव स्वाधीन और आत्म-निर्भर होगा। वही सच्चा स्वराज और वही सच्चा लोकतन्त्र है। मैं इसकी चिन्ता नहीं करता कि हम अपना लक्ष्य कब प्राप्त कर सकेंगे; लेकिन अगर हमें अपने रास्तेका पूरा इत्मीनान है और हमें विश्वास है कि यही सच्चा रास्ता है तो हमें अपने लक्ष्यको पाने के लिए लगातार और अनवरत काम करते जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-१२-१९४४

५२३. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

सेवाग्राम
१ दिसम्बर, १९४४

'मेरे मन कछु और है, विधनाके कछु और' यह बात मेरे मामलेमें बराबर सिद्ध होती रही है और मैं समझता हूँ कि सभी मामलोंमें सिद्ध होती रहती है, भले ही हम इसे समझें या न समझें। मैं विशुद्ध आध्यात्मिक कारणोंसे भोजनोपवास करने का विचार कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसका स्थान दैनिक कार्योपवास ले रहा है। मैंने आशा की थी कि मेरा स्वास्थ्य इतना सुधर गया है कि मैं बिना किसी व्यतिक्रमके रोजमर्राका काम कर सकूँगा। लेकिन पिछले दस दिनोंसे प्रकृतिकी चेतावनी मेरे कानोंमें गूंजती रही है। मैं थका-थका महसूस करता था। दोपहरके विश्राम

१. प्रस्तावके मसौदेके लिए देखिए पृ० ७४ और स्वीकृत प्रस्तावके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १८।

के बावजूद दिमाग थका हुआ लगता था। बोलने या लिखने की कतई इच्छा नहीं होती थी। लेकिन मैं बराबर आशा करता रहा हूँ कि मानसिक कार्य रोकने को विवश हुए बिना मैं बिलकुल ठीक हो जाऊँगा।

किन्तु प्रकृतिको तो अपना काम करना ही है। राजाजी ने मुझे एक महीने बाद देखा तो उन्हें मेरे चेहरेमें स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ा और उन्होंने कहा : 'अगर आप संकटसे बचना चाहते हैं तो आपको अपना अनवरत बौद्धिक कार्य रोकना होगा।' मैंने उनके सुझावको पकड़ लिया। उन्होंने तो यहाँतक कहा कि चरखा संघके निमन्त्रित कार्यकर्त्ताओंको निराश करना भी मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, हालाँकि मैं उनसे मिलने की और खादी-कार्यको नई दिशा देने की अपनी योजना पर उनके साथ चर्चा करने की उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अतः मैं इन बैठकोंमें अपनी सामर्थ्य-भर भाग लेने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि इन बैठकोंके जो दो दिन बचे हैं उनमें मैं किसी संकटमें नहीं पड़ूँगा।

मैंने निश्चय किया है कि इस महीनेकी ४ तारीखसे ३१ तारीखतक मैं सख्तीके साथ अपने सारे सार्वजनिक कार्य बन्द रखूँगा, निजी या सार्वजनिक हेतुसे होनेवाली मुलाकातें नहीं करूँगा, और किसी प्रकारका पत्र-व्यवहार नहीं करूँगा। इस अवधिमें मैं कोई अखबार नहीं पढ़ूँगा। मेरे इस निश्चयका अपवाद केवल कोई अप्रत्याशित गम्भीर स्थिति ही होगी।

मैं ऐसा गैर-राजनीतिक साहित्य, जिसमें मुझे दिलचस्पी हो, पढ़ने के सुखसे अपनेको वंचित नहीं रखूँगा। इस किस्मकी चीजें भी मैं दिमागपर अनुचित बोझ डालकर नहीं पढ़ूँगा। जो मित्र मुझसे इस महीने मिलने की अपेक्षा कर रहे थे उनसे मैंने कह दिया है कि वे कृपापूर्वक अपना आगमन फिलहाल स्थगित कर दें।

यह केवल सावधानीवश लिया गया कदम है और इससे पाठकगण चिन्तित न हों। डॉ० सुशीला नैयर मुझे विश्वास दिलाती हैं कि शारीरिक दृष्टिसे मुझे कोई रोग नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि मेरे पुराने मित्रों — हुकवर्म और अमीबा — ने अभी मुझे छोड़ा नहीं है। मैं बिना किसी थकानके रोजाना टहल सकता हूँ और इसे मैं जारी रखूँगा। साम्प्रदायिक प्रश्न और कुछ अन्य सार्वजनिक प्रश्नोंके बारेमें मेरे विचारों और मेरे कार्योंको लेकर जो बहुत सारी भ्रामक बातें फैलाई गई हैं, उनके सिलसिलेमें मैंने एक या दो सार्वजनिक वक्तव्य देने की आशा की थी। लेकिन फिलहाल मुझे रुकना होगा। लेकिन जो चेतावनी मैं पहले दे चुका हूँ उसे मैं फिरसे दोहराता हूँ कि जिस बातको मेरी कही हुई होने का लोगोंके पास असन्दिग्ध और अधिकृत प्रमाण न हो, उसे उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अखबारोंमें मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जिनके बारेमें मैं यही कह सकता हूँ कि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूपमें उनका अनुमोदन मैं कर ही नहीं सकता।

कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पत्र-लेखकोंने मुझसे पूछे हैं। फिलहाल उनका जवाब न दे पाने के लिए वे मुझे क्षमा करें। यदि इस माहके बाद वे फिर भी जरूरी

समझें तो अपने पत्र दुबारा लिखें, और यदि सब-कुछ ठीक-ठाक रहा तो मैं खुशीसे उत्तर दूंगा। लाखों आदमियोंकी भूख-पीड़ा, कालाबाजारी और जिसे मैं जुआ ही कहूँगा ऐसी चीजें जिस प्रकार मुझे अभी चिन्तित किये हैं, आगे भी करती रहेंगी। मैं अपने बहुत सारे साथी-कार्यकर्त्ताओंसे यही अनुरोध कर सकता हूँ कि वे स्थितिको सुधारने के लिए जो-कुछ कर सकते हैं, करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते कि सम्बन्धित लोग अपने मनमें यह निश्चय कर लें कि लाखों अभावग्रस्त लोगोंकी ओर ध्यान देना और उनकी मदद करना उनका सबसे प्रथम कर्त्तव्य है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३-१२-१९४४

५२४. पुर्जा : अमीना गुलाम कुरैशीको

[१ दिसम्बर, १९४४ के पश्चात्][1]

रह सकती है तो रह जा। ३१ तारीखतक कोई सन्देश नहीं दिया जा सकता, न कोई पत्र ही लिखा जा सकता है।

बापू[2]

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०७७६) से। सौजन्य : गुलाम रसूल कुरैशी

५२५. पत्र : अनिलचन्द्र चन्दाको

सेवाग्राम
२ दिसम्बर, १९४४

प्रिय अनिल,

सतीश बाबूने तुम्हारा पुर्जा दिया। मैं शान्तिनिकेतनको भूला नहीं हूँ। तुम जानते ही हो कि सारा दायित्व कमलनयनने खुद सँभाल लिया था। दुर्भाग्यसे उसे अपनी पत्नीकी देखभालके लिए मसूरी जाना पड़ा। वह अभीतक वापस नहीं आया

१. यह पुर्जा अमीना कुरैशीके नाम उनके पुत्रके १ दिसम्बर, १९४४ के पत्रपर लिखा हुआ है। उस पत्रमें उन्होंने अपनी माँसे विद्यार्थियोंके लिए गांधीजी से कोई सन्देश प्राप्त करने को कहा था। विद्यार्थियोंका इरादा हर महीनेकी ९ तारीख कोई देशभक्तिपूर्ण कार्य करके मनाने का था।

२. हस्ताक्षर उर्दू लिपिमें है।

है। उसके वापस आते ही मैं इस मामलेकी ओर ध्यान दूँगा, लेकिन अपनी विश्राम-चिकित्सा पूरी करने से पहले नहीं।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १०५१५) से। सौजन्य : विश्वभारती

५२६. पत्र : अकबरभाई चावड़ाको

सेवाग्राम
२ दिसम्बर, १९४४

चि० अकबर,

मैंने तेरे लिए घड़ीका प्रबन्ध कर दिया है। कुछ दिनोंमें तुझे घड़ी मिल जायेगी। मैंने तेरे सारे पत्र पढ़ लिये हैं। तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। ईश्वर तुझे सफलता देगा।

दवाएँ तो जल्दी ही तुझे ढेर-की-ढेर मिल जायेंगी, लेकिन दवाएँ बहुत काम नहीं देंगी। जहाँ पानी, आग और मिट्टी मिल सकती है, वहाँ दवाओंकी बहुत जरूरत नहीं रह जाती, यह समझना चाहिए।

पानीको उबालकर लोगोंको पिलाना चाहिए। इससे बहुत-सी बीमारियाँ जाती रहेंगी। [खाने का] सोडा मिले तो उसका उपयोग करना चाहिए। सोडा मिला पानी पीनेसे दस्त बन्द हो जाते हैं। भोजन बन्द कर देना चाहिए। लोगोंको धीरजके साथ [बीमारीके समय] भोजन न करना सिखाना चाहिए। जो न माने उसे मरने भी देना चाहिए। देहाती जड़ी-बूटियाँ खोजनी चाहिए। नीमके पेड़ तो वहाँ होंगे ही। उसके पत्ते चबाने और उपवास करने से सम्भव है बुखार मन्दा पड़ जाये। नीमकी पत्तियोंको गरम पानीमें उबालकर उस पानीसे फोड़ोंको धोना चाहिए। पानी उतना ही गरम हो जितना सहन किया जा सके। फोड़ेके ऊपर साफ मिट्टीका लेप करना चाहिए। पट्टीके लिए साफ कपड़ा खोज लेना चाहिए। इमली मिले तो उसका पानी नीबूके पानीके बदले दिया जा सकता है। लोगोंमें प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान ताजा करते रहना चाहिए। स्थानीय नुस्खोंकी खोज करनी चाहिए। दूधके बदले चावलका पानी देना चाहिए। उसमें गुड़ डाला जाये तो उसकी शक्ति बढ़ जायेगी। लोगोंको अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करने के नियम सिखाने चाहिए। बुखार या दस्त लग जाने पर भोजन देना बिलकुल बन्द करके रोगियोंको उबले पानीपर रखने से पचास प्रतिशत रोगी तो अच्छे हो ही जायेंगे। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। और पचास प्रतिशत तो मैं डरते-डरते कह रहा हूँ। नहरुवाके लिए गरम पानीका सेंक किया जाये, और ज्योंही वह निकले त्योंही उसे बाँध दिया जाये।

प्याजकी पुल्टिस रखकर देखनी चाहिए। किशोरलालभाई और सुशीलाबहनने जो लिखा है, वह मिला होगा। मैंने तो केवल सरलतम उपाय सुझाये हैं। देवीबहन जो भेजना चाहें खुशीसे भेजें। गाय, भैंस या बकरी मिलें, तो लेनी चाहिए। जो मांस खाते हों उन्हें मांसका शोरबा बेखौफ देना चाहिए। शोरबा यानी उबले हुए मांसका पानी। ये चीजें उबालने के बाद गरम-गरम दी जायें। यह समय सबको शाकाहारी बनने का धर्म सिखाने का नहीं है। जहाँ दूध नहीं मिलता, वहाँ शोरबा जरूर काम दे सकता है।

बापूकी दुआ

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२३६) से

५२७. पत्र : अमृतलाल नानावटीको

२ दिसम्बर, १९४४

चि० अमृतलाल,

चक्रैयाको[1] तुम कहाँ रखना चाहते हो? अध्यापन-मन्दिरमें[2] या हरिजन आश्रममें या अपने पास?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०८०५) से

५२८. पत्र : अब्दुल मजीदको

२ दिसम्बर, १९४४

भाई ख्वाजा,

मुझे पहले भी मालूम हुआ था कि मेरे मुसलमान भाई जो लीगमें नहीं हैं मुझसे कुछ खफा हैं इसलिये कि मैं जिन्ना साहेबसे बातचीत करने बम्बई गया और उन भाइयोंसे बातचीत नहीं की। जैसे मैं आपको पहले भी लिख चुका हूं मैं मुसलमानोंके या इसलामके साथ बेवफाई हरगिज नहीं कर सकता। मेरे दिमागमें कोई ऐसी बात न थी कि मैं ऐसा कोई समझौता जिन्ना साहेबसे करूंगा जो मेरे उन मुसलमान भाइयोंके मुफादके खिलाफ होगा जो मेरे साथ कुरबानियोंमें शरीक रहे हैं या जिससे मुल्ककी किसी भी जमायतके सच्चे और सही मुफादको नुकसान पहुंचेगा। अगर कोई ऐसी बात पैदा होती तो मैं आप भाइयोंसे जरूरन मशवरा करता।

१. सेवाग्राम आश्रमका एक अन्तेवासी

२. प्रशिक्षणशाला

यह मालूम होकर मुझे अफसोस हुआ कि मेरे बाज मुसलमान भाई यह समझते हैं कि मैं जिन्ना साहेबकी दोस्तीमें उनको भूल गया हूं। ऐसा तो हरगिज नही है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि मुसलमानोकी सबसे बड़ी जमायत तो मुस्लिम लीग है जिसके कायदे आजम जिन्ना साहब है और यह भी मानना पड़ेगा कि वह हमारे रास्तेके खिलाफ है। इसलिये मैंने चाहा कि या वह मुझे अपने रास्तेपर ले आयें या उनको मैं अपने रास्तेपर ले आऊं तो हिन्दू मुसलमान मिलकर आजादी के रास्तेपर कदम उठायें। मुझे इसमें नाकामयाबी हुई। मैं यह चाहता हूं कि मौलाना साहेब और खास खास दूसरे भाई खासकर मौलाना हफ़जुल रहमान साहेब मुफ्ती किफायतुल्ला साहेब और मौलाना अहमद सैयद साहेब अगर तकलीफ करके मुझसे यहां मिल लें तो मैं उनके शक दूर करने की कोशिश करूं और सब मिलकर दुआ करें कि मुल्ककी आजादीके लिये खुदा हमको सीधा रास्ता दिखाये। अगर आप सब न आ सकें तो तन्हा मौलाना साहब ही आ जायें तो काफी होगा। या मोलवी हफ़जुल रहमान साहब जो जमैयतके सेक्रेटरी है वह आ जायें। मेरा इन सब भाइयोंको सलाम दीजियेगा।

बापुकी दुआ

मूल उर्दू पत्रसे : अ० म० ख्वाजा पेपर्स। सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

५२९. पत्र : लॉर्ड वैवेलको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

यह पत्र आपके पिछले २ नवम्बरके पत्रके सन्दर्भमें लिख रहा हूँ।

१७ जुलाईको श्री चर्चिलको लिखा मेरा पत्र,[1] मेरे विचारसे, पवित्र था; जनता की निगाहमें लाये जाने के लिए नहीं था। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा समय या अवसर आ सकता है जब उसकी पवित्रताको कायम रखते हुए उसे प्रकाशित करना जरूरी हो जाये। फिर भी मैं प्रधान मन्त्रीकी अनुमतिके बिना उसे प्रकाशित नही करना चाहता। उसके प्रकाशनकी आवश्यकता पड़ने पर क्या मुझे अनुमति मिल सकती है?[2]

१. देखिए खण्ड ७७, पृ० ४१७।

२. २१ दिसम्बर, १९४४ के अपने पत्रमें ई० एम० जेन्किन्सने प्रधान मन्त्रीकी ओरसे प्रकाशन की अनुमति दे दी थी।

मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि उस पत्रका मजमून मैं अपने कुछ मित्रों को दिखा चुका हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

महामान्य वाइसराय
वाइसराय कैम्प

[अंग्रेजीसे]
गांधीजीज कॉरस्पॉण्डेन्स विद द गवर्नमेंट, पृ० १५

५३०. पत्र : मीराबहनको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

चि० मीरा,

आखिर तुम्हें अपनी मनपसन्द जमीन मिल ही गई।[1] मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारे सब सपने पूरे हों। यदि मैं दिल्ली गया और वक्त निकाल सका तो निश्चय ही तुम्हारे यहाँ आना पसन्द करूँगा।

मेरे बारेमें चिन्ता मत करना। मुझे जरूरत है सिर्फ अपने रोजमर्राके कामसे आरामकी, और उसमें मेरे स्नेह पत्र लिखने का काम भी शामिल है। सो इस सालका यह अन्तिम पत्र मानो। आज पत्र लिखने का अन्तिम दिन है।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६५०१) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० ९८९६ से भी

१. रुड़कीके पास किसान आश्रमके लिए

५३१. पत्र : कलकत्ताके बिशपको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

प्रिय मित्र,

आपके २५ नवम्बरके कृपापत्रके लिए और सर तेजवहादुरके निमन्त्रणका[1] जवाव देने के लिए आपको धन्यवाद।

आपने समाचारपत्रोंमें देखा होगा कि मैं कलसे रोजमर्राके कामसे निवृत्ति यानी कार्योपवास करने जा रहा हूँ। मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यदि मुझे बीमार पड़ने से बचना है, तो मुझे आराम करना चाहिए। यह उपवास इस महीनेके साथ ही समाप्त होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मेट्रोपोलिटन
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५३२. पत्र : एच० कैलेनबैकको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

प्रिय कैलेनबैक,[2]

मणिलाल तुम्हें मेरे बारेमें सब हालचाल बतायेगा। आशा है तुम अच्छी तरह होगे। मैं तुम्हें ये पंक्तियाँ यह बताने के लिए लिख रहा हूँ कि फीनिक्स न्यासको[3] पूरी तरह फिरसे नया बनाने की जरूरत है।

१. गैर-दलीय सम्मेलनकी समझौता समितिमें शामिल होने के लिए

२. एक जर्मन वास्तुकार, जो गांधीजी के दक्षिण आफ्रिकाके दिनोंमें उनके एक निष्ठावान मित्र और साथी-कार्यकर्ता थे। कैलेनबैकने सत्याग्रह-संघर्षके दौरान जो कि ८ वर्षतक चला था, अपना "टॉल्स्टॉय फार्म" सत्याग्रहियोंको सौंप दिया था।

३. फीनिक्स न्यासके मूल न्यास-पत्रके लिए; देखिए खण्ड ११, पृ० ३१८-२२। कैलेनबैक इसके न्यासियोंमें से थे।

अब वहाँ कोई उपनिवेशी नहीं हैं। इसलिए उनके बारेमें जो धारा है वह समाप्त हो जानी चाहिए। औपचारिक रूपसे उन्होंने न त्यागपत्र दिया और न वे अलग हुए। यदि कानूनकी दृष्टिसे आवश्यक हो तो उनमें से प्रत्येक से औपचारिक त्याग-पत्र ले लेना चाहिए। उनका शारीरिक रूपसे अलग हो जाना ही शायद त्यागपत्र देने के बराबर हो।

निम्नलिखित नये नाम न्यासियोंमें जोड़े जा सकते हैं:

मणिलाल, जालभाई,[1] मेढ[2]।

मणिलालको प्रबन्धक न्यासी और बस्तीका प्रबन्धक बनना चाहिए, जिसमें 'इंडियन ओपिनियन' भी शामिल है। उसे न्याससे १०० पौंड प्रतिमास अपने परिवार तथा बच्चोंके गुजारेके लिए मिलना चाहिए और उसे जमीनपर बिना किराया दिये रहने का तथा साथ ही बस्तीमें पैदा होनेवाले फल, सब्जी तथा अनाज अपने घरके लिए इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। उसे बस्ती तथा 'इंडियन ओपिनियन' के सम्बन्धमें उचित हिसाब-किताब रखना चाहिए। उसे 'इंडियन ओपिनियन' को अंशतः या पूरी तरह डर्बन ले जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, बशर्ते कि उससे बस्तीपर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

न्यास-पत्रमें इस प्रकारके जो भी परिवर्तन आवश्यक हों वे किये जा सकते हैं। न्यास-पत्र तैयार होने और उसपर मेरे दस्तखत होने से पहले ही यदि मेरी मृत्यु हो जाये, तो वर्तमान न्यासी इस पत्रको ही इसमें सुझाये गये परिवर्तन करने का अधिकार मान सकते हैं।

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

५३३. पत्र: डॉ० पण्डितको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

प्रिय डॉ० पण्डित,

श्री पारनेरकर महत्त्वपूर्ण साथी-कार्यकर्त्ता हैं। उनकी माताजी इन्दौरमें बीमार हैं। यदि आप उनका आवश्यक इलाज कर सकें तो मैं आपका आभारी होऊँगा। यद्यपि आपसे मेरी जान-पहचान नहीं हो पाई है फिर भी मैं आपको यह कष्ट दे रहा हूँ, इसके लिए आप कृपया मुझे क्षमा करें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० पण्डित
इन्दौर

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

१. पारसी रुस्तमजीके पुत्र
२. सुरेन्द्र मेढ

५३४. पत्र : सुल्ताना कुरैशीको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

बेटी सुल्ताना,[1]

तूने तो विवाह कर लिया। अच्छा है कि अपने परिवारमें ही विवाह किया है। तुम दोनों सुखी होओ और सेवा करके इमाम साहबकी[2] कीर्ति बढ़ाओ।

बापूकी दुआ

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०७६४) से। सौजन्य: गुलाम रसूल कुरैशी

५३५. पत्र : हमीद और वहीद कुरैशीको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

बेटा हमीद और वहीद,[3]

अमीनाने[4] तुम दोनोंके बारेमें मुझसे बात की है। तुम दोनों खूब प्रगति करो। वहीद तो ग्वाला बन गया है। सच्चा ग्वाला बनेगा तो देशके लिए अच्छे दूध-घीका उत्पादन करेगा और ऐसे बैल तैयार करेगा जिन्हें देखने सब आयें।

बापूकी दुआ

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०७७५) से। सौजन्य: गुलाम रसूल कुरैशी

१. गुलाम रसूल कुरैशीकी पुत्री

२. अब्दुल कादिर बावजीर, सुल्ताना कुरैशीके नाना और जिन दिनों गांधीजी दक्षिण आफ्रिकामें थे उन्हीं दिनोंसे उनके सहयोगी

३. गुलाम रसूल कुरैशीके पुत्र

४. हमीद और वहीदकी माँ, अब्दुल कादिर बावजीरकी पुत्री

५३६. पत्र : मोहनलालको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

भाई मोहनलाल,

तुम्हारा काम जरा भी पसन्द करने लायक नहीं है। सच पूछो तो तुम किसी के साथ सम्बन्ध रखने लायक रहे ही नहीं। लेकिन यह कठिन है। इसलिए तुम्हारे लिए दूसरे सम्बन्ध कायम करना ही उचित है।

मो० क० गांधीके व[न्दे] मा[तरम्]

गुजरातीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५३७. पत्र : कन्हैयालाल देसाईको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४[1]

भाई कानजीभाई,

तुम्हें आने से रोका, इसका मुझे बहुत दुःख है। पर क्या करूँ? लाचार हो गया। महीना जल्दी ही पूरा हो जायेगा और भगवान मुझे तैयार कर देगा।

मैंने भाई मंगलदासके साथ विस्तारसे बात की है। वह तुम्हें सब बातें समझायेगा। मुख्य बात यह है कि यदि कांग्रेसके भाई-बहनोंको असन्तोष हो तो मैं अध्यक्षके नाते तुम्हींसे अथवा जो अध्यक्ष चुना जाये उसीसे कामके बारेमें पत्र-व्यवहार करूँगा। मावलंकर दादाको मैंने कभी पराया नहीं माना। कस्तूरबा निधिके खर्चके लिए जो समिति तुम्हें नियुक्त करनी हो सो करो। जो नियम बनाये गये हैं वे निधिकी सुरक्षाकी दृष्टिसे ही बनाये गये हैं। हेतु केवल यह रहा है कि पैसा निर्धारित नीतिके अनुसार खर्च किया जाये। इस निधिमें सभी पक्ष अथवा यों कहें कि कोई पक्ष नहीं है। जिस व्यक्तिको जो देना था, वह उसने अपनी ओरसे व्यक्तिगत रूपमें दिया है। इस कामके लिए जो समिति नियुक्त हो, उसमें सभी विचारोंके लोग हों, यही हम लोगोंको शोभा देगा। सच पूछो तो जो चुने जायें, उन्हें हिन्दुस्तानकी ग्रामीण बहनोंके

१. लेकिन संस्मरणो में तिथि "२ दिसम्बर, १९४४" है।

स्वयं-नियुक्त प्रतिनिधि अथवा सेवक होना चाहिए। इसी दृष्टिसे सब काम होगा, तभी उसकी शोभा होगी, और हम ग्रामीण बहनोंके लिए एक करोड़ रुपयेका सदुपयोग कर सकेंगे। इसमें धनवान और गरीब, अथवा कांग्रेसी और अन्य लोगोंके आपसी द्वेष-भावको कोई स्थान नही है। मेरी आशा तो यह होगी कि कांग्रेसकी नीतिको माननेवालेके मनमें किसीके प्रति द्वेष होना ही नही है। हमारे सब काम केवल प्रेम और सत्यपर आधारित होने चाहिए।

यह पत्र सब भाई-बहनोंको दिखा सकते हो। मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि कहीं जरा भी कटुता न हो।

बापूके आशीर्वाद

कानजीभाई
सूरत

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल। संस्मरणो, पृ० १५१ भी

५३८. पत्र : बलवन्तसिंहको

३ दिसम्बर, १९४४

चि० बलवंतसिंह,

तुमारा खत मिला। स[तीश] बाबूको बताया। वे कहते हैं वही गांवमें रहना है और सब कुछ करना है। पानी वि० का बन सकता है तुमको थोड़ा बताया है और बतावेंगे। अब ३१ ता० तक मेरी खामोशी समजो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९५१) से

५३९. पत्र : श्रीमन्नारायणको

३ दिसम्बर, १९४४

चि० श्रीमन्,

तुम्हारा खत अभी मिला। उसमें तुम दोनोंका प्रेम भरा है। लेकिन इसी समय स्थानान्तरकी आवश्यकता प्रतीत नही होती। देखता हूं अंत-दरमियान क्या होता है। तुमारे साथ थोडा समय भी रहना मुझे प्रिय लगेगा। तुम अच्छे होगे।

बापुके आशीर्वाद

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३०३

५४०. पत्र : गणेश शास्त्री जोशीको[1]

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

आपने जो छोटी गोली दी है वह मैं तीन दिनसे ले रहा हूं। मानता हूं उससे कुछ फायदा है। यह गोली क्या है?

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०३५८) से

५४१. पत्र : आनन्द तोताराम हिंगोरानीको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

चि० आनंद,

तुमारा खत मिला है। ईश्वर तुम सबको अच्छा करे। मुझे सब हाल दो। कलसे खत इ० लिखने के बंद होता है तुमने देखा होगा। जनवरीमें लिखुंगा।

तुम सबको
बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे। सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. यह-आभा गांधी द्वारा गणेश शास्त्री जोशीको लिखे पत्रपर ही 'पुनश्चः' के रूपमें लिखा हुआ है।

५४२. पत्र : अमतुस्सलामको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

बेटी,

तू न आई सो अच्छा किया। आजका दिन खत लिखने का आखरी है। कल से ३१ तारीख तक ऐसे कामोंसे आराम लेना है। मानसिक थकान बहुत हुई है। उसे निवृत्त (दूर) होना है। तेरी तबीयत अच्छी होगी। अकबर खूब काम कर रहा है। उसका एक खत तुझे भेजने की कोशिश करूंगा।[1]

मेरी फिकर नही करना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ५४१) से

५४३. पत्र : कृष्णराजूको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

भाई कृष्णराजु,

कलसे मेरा खत लिखना इस मासके अंत तक बंध होता है। इसलिये यह खत भेजता हूं इस आशा बताने के लिये कि तुमको तीन भाइओंके[2] उपचारमें यश मिलो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०३५७) से

१. पत्रके अन्तमें सचिवके लिए गुजरातीमें यह हिदायत लिखी हुई है : "अकबरका एक पत्र भेज दो।"

२. आनन्द तो० हिंगोरानी, गोखले और बाबाजी मोघे

५४४. पत्र : धीरेन्द्र चटर्जीको

सेवाग्राम
३ दिसम्बर, १९४४

चि० धीरेन,

तेरा खत मिला। कलसे मेरी खामोशी शुरू होगी। कुछ पत्र ३१ ता० तक नहीं लिखुंगा। तेरा अच्छा चलता है जानकर राजी हुआ हूं। कवज किसी तरह निकालो। शैलेन वहुत अच्छा हो गया है।

वापुके आशीर्वाद

धीरेन चटर्जी
खादी प्रतिष्ठान

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५४५. एक वक्तव्य[1]

[४ दिसम्बर, १९४४ के पूर्व][2]

जव आत्म-सम्मान खतरेमें पड़ जाये, वैसी स्थितिमें मैंने कभी भी व्यक्तिगत सत्याग्रहपर रोक नहीं लगाई है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १०-१२-१९४४

१ और २: गांधीजी ने यह कुछ प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पूछने पर कहा था और स्पष्टतः यह वक्तव्य ४ दिसम्बरको गांधीजी द्वारा सभी सार्वजनिक गतिविधियाँ बन्द करने से पूर्वका ही रहा होगा; देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", पृ० ३९६-९८।

५४६. तार : अनुग्रह नारायण सिंहको[1]

४ दिसम्बर, १९४४

अनुग्रह नारायण सिंह
कदम कुआं
पटना

राजेन बाबूकी हीरक जयन्ती मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कमसे-कम बिहार वह सब करे जिसे राजेन बाबूने अपना ध्येय बनाया है। और क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि उन्होंने किन चीजोंको अपना ध्येय बनाया है?

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल

५४७. पत्र : मुन्नालाल गंगादास शाहको

४ दिसम्बर, १९४४

इसमें मैं इस महीने सिर नहीं खपाऊँगा। तुम सबको जैसा ठीक लगे वैसा करना। सत्य और अहिंसा तो सभीमें है। इस बारकी चरखा संघकी बैठकमें इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परिपत्र[2] इसी आधारपर तैयार किया गया था। रसोई-घरका जो कर रहे हो, वह ठीक ही होना चाहिए। इस बातका ध्यान रखना कि जो आदमी रखो, वे शरीर और मनसे साफ-सुथरे हों। उनके कपड़े वगैरह सलीकेके हों। तुम्हें उनकी सर्वांगीण शिक्षाका ध्यान रखना होगा। इसमें उनके बच्चे भी आ गये। तुम्हें उनके घरोंकी जाँच करनी चाहिए। वे तैयार हो जायें तो उनके जरिये हम गाँवोंको जल्दी प्रभावित कर सकेंगे। जो भी काम हम करें, वह खूब गहराईसे सोच-विचारकर करना चाहिए।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ५८०८) से। सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

१. यह बिहार छात्रसंघकी प्रार्थनाके जवाबमें भेजा गया था।

२. इसे श्रीकृष्णदास जाजूने भेजा था। इसमें ७ से १४ अक्तूबरतक गांधीजी के साथ हुई उनकी चर्चाओंका सार था।

५४८. पत्र : कृष्णचन्द्रको

सेवाग्राम
११ दिसम्बर, १९४४

चि० कृ० चं०,

मेरी समज यह थी कि ता० सं० के ही लिये खादी काम सीख लेना है और ता० सं० का काम करते हुए और उन दंपत्तिकी[1] हार्दिक इच्छासे। आज जो कार्य खादी विद्यालयमें चलता है वह बहुत सुंदर है। ता० सं० का काम खादीपर निर्भर है ऐसे ही या उससे अधिक खेतीपर शायद होगा वह देखने की बात है। मतलब यह है कि तुमसे मैं बहुत ऊंची आशा रख बैठा। और मुझे विश्वास भी है कि वह सफल होगी और कुछ है तो कल घूमने समय आना। मैं सेवाग्रामकी ओर घूमुंगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४५२) से

५४९. बातचीत : नरहरि द्वा० परीखको

[१२ दिसम्बर, १९४४ के पूर्व]

खादीको मैं मरते देख रहा हूँ। इसलिए खादीको, जो रचनात्मक प्रवृत्तियोंका मुख्य अंग है, बचाना हो तो उसे भी स्वावलम्बी बनाना होगा। जो कातें नहीं उन्हें खादी पहनने का कोई हक नहीं है। खादीको जीवित रखने के लिए सभी खादीधारियोंको कातना चाहिए।

गुजरातीसे]
सन्देश, १२-१२-१९४४

१. ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम् और उनकी पत्नी आशादेवी

५५०. टिप्पणी : आगन्तुक-बहीमें[1]

१२ दिसम्बर, १९४४

मेरे लिये तो यह यात्राका स्थान है। जबसे यह संस्था शरु हुई तबसे मैं यहां आना चाहता था लेकिन कभी मौका ही नही मिला। ईश्वर यह संस्थाके मार्फत रोगीको सहाय पहोंचाये। भाई मनहर दिवानने जो पहल इस काममें की है उसका बदला उनको ईश्वर ही दे सकता है। बात तो यह है कि वह सेवा सेवाके लिये करते हैं बदलाके लिये नही।

मो० क० गांधी

मूलसे : महारोगी सेवा समिति पेपर्स। सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

५५१. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१६ दिसम्बर, १९४४

चि० कृ० चं०,

तुमारी बात समझा। मेरी आशा तो साफ है तुम आदर्श नयी तालीमके शिक्षक बनो। उसमें सब कुछ आ गया। जहां जाओगे मेरे ही तरफसे होगा। लेकिन तुमारेमें आर्यनायकम् और आशादेवीके साथ रहने की शक्ति आनी चाहीये। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम ही समझ जाओगे कि तुमारे लिये उनके सार्थऐक्यका अनुभव नयी तालीमका एक अंग है। आखरकार तुमने अपनी नई तालीम शरु की है न?

हां धूनाईपर संपूर्ण काबू पा लेना अत्यावश्यक मानता हूं। उन दोनोंकी इजाजत लेकर खादी विद्यालयमें शरु करो। तुमको एक जिम्मेदारी तो दी है न? अनन्तरामजी और कोई चाहीये?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४४५३) से

१. यह टिप्पणी वर्धाके पास दत्तपुरमें स्थित एक कुष्ठ-राहत संघकी आगन्तुक-बहीमें लिखी गई थी।

५५२. पुर्जा : चाँदरानीको

२१ दिसम्बर, १९४४

तू बहूत अच्छी सेविका होगी ऐसी मेरी आशा है।

बापुके आशीर्वाद

पुर्जेकी फोटो-नकलसे : चाँदरानी पेपर्स। सौजन्य : राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय और पुस्तकालय

५५३. एक पुर्जा[1]

२२ दिसम्बर, १९४४

सवाल ठीक हल किये हैं। अक्षरमें सुधारकी गुंजाइश है।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२४) से

५५४. पुर्जा : मनु गांधीको[2]

२३ दिसम्बर, १९४४

अच्छा तो है, लेकिन इसमें सुघड़ताकी काफी गुंजाइश है। जो किया जाये, वह सुघड़ तो होना ही चाहिए।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से

१. अनुमानतः यह पुर्जा मनु गांधीके लिए था; देखिए अगले दो शीर्षक।
२. मनु गांधीको लिखा यह तथा अगला पुर्जा उसके किये कार्यपर टीकाके रूपमें मिलता है।

५५५. पुर्जा : मनु गांधीको

२५ दिसम्बर, १९४४

अधिकतर सवाल सही किये है, यह तारीफकी बात है। लिखावट धीरे-धीरे सुधार लेना। ध्यान रखना कि भविष्यमें एक भी सवाल गलत न हो।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से

५५६. सन्देश : क्रिसमसपर

सेवाग्राम
२५ दिसम्बर, १९४४

मेरी उम्मीद तो थी कि मैं आज दो शब्द बोल सकूंगा। लेकिन ईश्वरेच्छा कुछ और ही थी। आजका दिन ख्रिस्तमसका है। हम तो सब धर्मोको समान मानते हैं उनके लिये ऐसे सब उत्सव आदर लायक हैं। लेकिन हमारा आदर लौकिकसे भिन्न है। हमारे लिये ऐसे उत्सव मनन करने के लायक हैं। आत्म-निरीक्षणके लिये है। ऐसे मौकेपर हम अपने दिलको भीतरसे देखें और सब मैल निकाल दें। हम जाने कि ईश्वर या खुदा एक ही है। उनके असली हुक्म भी एक है। जिसको हम सत्य या हक्क मानें उसके लिये दूसरोंको मारें नही। हम उस सत्यके लिये मरने की तैयारी रखें और मौका आने पर मरें। और अपने खूनकी महोर अपने सत्यपर लगावें। यही मेरी दृष्टिमें निगाहमें सब मजहबोंका निचोड है। हम इस अवसरपर इसपर विचार करें [और] याद रखें कि इसामसीह जिसे वे सत मानते थे उस[के] लिये वे शूली-क्रूसपर चढें।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९०३) से। सी० डब्ल्यू० ४२७१ से भी; सौजन्य : अमृतकौर

५५७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीको

सेवाग्राम
२७ दिसम्बर, १९४४

भाई बनारसीदास,

पिताजीके स्वर्गवाससे कुछ दुःख होना स्वाभाविक तो है लेकिन क्षण भर विचार करें तो हमें पता चलता है कि जो बिलकुल अनिवार्य है उसका खेद क्यों? और मरता है कौन? जीव तो हरगीज नहीं जिसके साथ हमरा संबंध था और है और रहेगा। पिताजीके अंतीम वचन मुझे बहूत मीठे लगते हैं। मैं उसे आशीर्वाद रूप से मानुंगा।

बापुके आशीर्वाद

पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी
फीरोजाबाद
जिला आगरा
यू० पी०

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५७५) से

५५८. रोजके विचार[1]

२० नवम्बर, १९४४

ईश्वरके नाम तो अनेक हैं लेकिन एक ही नाम ढूंढे तो वह है सत्, सत्य। इसलिये सत्य ही ईश्वर है।

२१ नवम्बर, १९४४

सत्यके दर्शन बगैर अहिंसाके हो ही नहीं सकते। इसीलिये कहा है कि अहिंसा परमोधर्मः।

२२ नवम्बर, १९४४

सत्यकी शोध और अहिंसाका पालन, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, सर्व-धर्म समानत्व, अस्पृश्यता निवारण इ० [इत्यादि] बगैर हो नहीं सकता।

१. आनन्द तो० हिंगोरानीके अनुरोधपर गांधीजी ने २० नवम्बर, १९४४ से प्रतिदिन "एक विचार" लिखना शुरू किया। और वे लगभग दो वर्ष तक लिखते रहे। इस खण्डकी अवधिमें लिखे गये उनके विचार उसकी अन्तिम तिथि अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९४४ के अन्तर्गत एक ही शीर्षकके रूपमें दिये जा रहे हैं।

२३ नवम्बर, १९४४

ब्रह्मचर्यका अर्थ यहां मनसा, वाचा, कर्मणा इंद्रियनिग्रह है। जो स्त्रीगमन नहीं करता हुआ मनसे विकारमय रहता है वह सच्चा ब्रह्मचारी न माना जाय।

२४ नवम्बर, १९४४

अस्तेयका अर्थ चोरी नही करना इतना ही नही है। जो वस्तुकी हमें आवश्यकता नहीं है उसे रखना, लेना भी चोरी है। चोरीमें हिंसा तो भरी है।

२५ नवम्बर, १९४४

अपरिग्रहसे मतलब यह है कि हम कोई चीजका संग्रह न करें जिसकी हमें आज दरकार नही है।

२६ नवम्बर, १९४४

अभयमें सब प्रकारके डरका अभाव होना चाहिये। मोतका डर, मारपीटका डर, भूखका डर, अपमानका डर, लोकलाजका डर, भूत प्रेतका डर, किसीके क्रोधका डर—इन और ऐसे सब डरोंसे मुक्ति, अभय है।

२७ नवम्बर, १९४४

जैसे हम अपने धर्मको आदर देते हैं ऐसे ही दूसरे धर्मको दें—मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है।

२८ नवम्बर, १९४४

अस्पृश्यता निवारणके मानी हरिजनोंको छूना इतना ही नहीं, लेकिन उनको हमारे रिश्तेदारों जैसे समझना अर्थात जैसे हमारे भाई-बहनोंसे वर्तते हैं ऐसे उनसे वर्तना। न कोई ऊंच है न कोई नीच।

२९ नवम्बर, १९४४

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध

यह पातंजल योगदर्शनका पहला सूत्र है। योग चित्तवृत्तिका निरोध है यानि हमारे दिलमें उठते तरंगोंपर अंकुश रखना, उसे दबा देना यह योग हूआ।

३० नवम्बर, १९४४

जिसके चित्तमें तरंग उठते ही रहते हैं वह सत्यके दर्शन कैसे कर सकता है। चित्तमें तरंगका उठना समुद्रके तुफान जैसा है। तुफानमें जो सुकानी सुकानपर काबू रख सकता है वह सलामत रहता है। ऐसे ही चित्तकी अशांतिमें जो रामनाम का आश्रय लेता है वह जीत जाता है।

१ दिसम्बर, १९४४

"वृक्षनूकी मत ले"[१] भजन मनन करने योग्य है। वह तपता है और हमको शीतलता देता है। हम क्या करते हैं?

२ दिसम्बर, १९४४

मिथ्या ज्ञानसे हम हमेशां डरते रहें। मिथ्या ज्ञान वह है जो हमको सत्यसे दूर रखता है या करता है।

३ दिसम्बर, १९४४

सत्यके दर्शनके लिये संतोंका चरित पढना और उसका मनन करना आवश्यक है।

४ दिसम्बर, १९४४

जब भगवान् निज मुखसे कहते हैं [कि] वे सब प्राणीमें विहार करते हैं तो हम किस[से] वैर करें? (आजके भजनका अनुवाद)

५ दिसम्बर, १९४४

मीराबाईके जीवनसे हम बड़ी बात यह सीखते हैं कि उसने भगवान्के लिये अपना सब कुछ छोडा — पति भी।

६ दिसम्बर, १९४४

श्रध्धासे मनुष्य क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है।

७ दिसम्बर, १९४४

श्रध्धासे मनुष्य पहाड़ोंको उलुंघन करता है।

८ दिसम्बर, १९४४

जो मनुष्य किसी एक चीज़पर एक निष्ठासे काम करता है वह आखिर सब चीज़ करने की शक्ति हासल करेगा।

९ दिसम्बर, १९४४

सच्चा सुख बाहरसे नहीं मिलता है अंतर से ही मिलता है।

१० दिसम्बर, १९४४

जिसने अपनापन खोया उसने सब खोया।

११ दिसम्बर, १९४४

सीधा रास्ता जैसा सरल है ऐसा ही कठिन है। ऐसा न होता तो सब सीधा रास्ता ही लेते।

१. सूरदास कृत भजन

१२ दिसम्बर, १९४४

"दया धरमका मूल है" ऐसा तुलसीदासजीने कहा है और कहते है "तुलसी दया न छांडीये जब लग घटमें प्रान।" हम सब दयाके भिक्षुक कैसे दया करें, और किसपर?

१३ दिसम्बर, १९४४

एक बहनने कहा "मैं प्रार्थना करती थी, अब छोड दी है।" मैंने पूछा "क्यों।" उन्होंने उत्तर दिया "क्योकि मैं दिलको धोका देती थी।" उत्तर तो ठीक ही है लेकिन धोका देना छोड़े, प्रार्थना क्यों छोड़े।

१४ दिसम्बर, १९४४

कलका भजन बहूत मीठा और मननीय था। उसका सार यह है: भगवान न मंदिरमें है, न मस्जीदमें, न भीतर है न बाहर कहीं है तो दीन जनोकी भूख और प्यासमें है। चलो हम उनकी भूख और प्यास मिटाने के लिये नित्य कांते या ऐसी जात महेनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करे।

१५ दिसम्बर, १९४४

क्या बात है कि हम सामान्यतया भी झूठसे नही बचते भले वह शरम या डरके मारे क्यों न हो। क्या अच्छा यह नही होगा कि हम मौन ही धारण करें या आपस २ में निडर होकर जैसा हमारे दिलमें है वैसा ही कहे।

१६ दिसम्बर, १९४४

थोड़ासा झूठं भी मनुष्यका नाश करता है जैसे दूधको एक बूद झहर भी।

१७ दिसम्बर, १९४४

सही चीजके पीछे वक्त देना हमको खटकता है, निक्कमीके पीछे खुवार होते हैं और खुश होते हैं?

१८ दिसम्बर, १९४४

"आदमको खुदा मत कहो, आदम खुदा नही; लेकिन खुदाके नूरसे आदम जूदा नहीं।"

१९ दिसम्बर, १९४४

संतोकी वाणी सुनो, शास्त्र पढ़ो, विध्वान हो लो, लेकिन अगर ईश्वरको हृदयमें स्थान नही दिया तो कुछ नहीं किया।

२० दिसम्बर, १९४४

मुक्ति तो हम सब चाहते है लेकिन उसका अर्थ ठीक २ हम शायद नहीं जानते है। एक अर्थ तो यह है कि जन्म मरणसे छुटकारा पाना।

२१ दिसम्बर, १९४४

भक्त कवि नरसैंयो कहते है, "हरिना जनतो मुक्ति न मांगे, मांगे जनमोजनम अवतार रे।" इस दृष्टिसे देखें तो "मुक्ति" कुछ और रूप लेती है।

२२ दिसम्बर, १९४४

अनासक्तिकी पराकाष्ठा 'गीता' की मुक्ति है और वही अर्थ हम 'ईशोपनिषत्' के पहले मंत्रमें पाते हैं।

२३ दिसम्बर, १९४४

अनासक्ति कैसे बढ़े? सुख और दुःख, दोस्त और दुश्मन, हमारा और दूसरों का — सब समान समजने से अनासक्ति बढ़ती है। इसलिये अनासक्तिका दूसरा नाम समभाव है।

२४ दिसम्बर, १९४४

जैसे बिंदुका समुदाय समुद्र है इसी तरह हम मैत्री करके मैत्रीका सागर बन सकते हैं और जगत्में सब एक दूसरोंसे मित्र भावसे रहें तो जगत्का रुप बदल जाय।

२५ दिसम्बर, १९४४

आज ख्रिस्तमस दिन है। हम जो सब धर्मोंकी समानता मानते हैं उनके लिये ईसा मसीहका जन्म ऐसा ही माननीय है जैसा रामकृष्णादिका।

२६ दिसम्बर, १९४४

बीमारी मात्र मनुष्यके लिये शरमकी बात होनी चाहीये। बीमारी किसी भी दोषकी सूचक है। जिसका तन और मन सर्वथा स्वस्थ है उसे बीमारी होनी नहीं चाहीये।

२७ दिसम्बर, १९४४

विकारी विचार भी बीमारीकी निशानी है। इसलिये हम सब विकारी विचारसे बचते रहें।

२८ दिसम्बर, १९४४

विकारी विचारसे बचने का एक अमोघ उपाय – रामनाम – है। नाम कंठसे ही नहीं किंतु हृदयसे निकलना चाहीये।

२९ दिसम्बर, १९४४

व्याधि अनेक हैं, वैद्य अनेक हैं, उपचार भी अनेक हैं। अगर व्याधिको एक ही देखें और उसको मिटानेहारा वैद्य एक राम ही हैं ऐसा समझें तो बहुत सी झनझटोंसे हम बच जांय।

३० दिसम्बर, १९४४

आश्चर्य है वैद्य मरते है, दाक्तर मरते है। उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन राम जो मरता नही है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है उसे हम भूला जाते हैं।

३१ दिसम्बर, १९४४

इससे भी आश्चर्य यह है कि हम जानते हैं कि हम भी मरनेवाले तो है ही, बहूत करें तो वैद्यादिकी दवासे शायद हम थोड़े दिन और काट सकते है और इसलिये ख्वार होते हैं।

बापूके आशीर्वाद (रोजके विचार), पृ० १-४२

५५९. तार: अनुग्रह नारायण सिंहको[1]

एक्सप्रेस [१९४४]

अनुग्रह नारायण सिंह
कदम कुआँ, पटना

आशा है मुहम्मद यासीनके मुकदमेकी कोई पैरवी कर रहा होगा।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य: प्यारेलाल

५६०. पत्र: प्राणलाल देवकरण नानजीको

[१९४४]

अगर तुम्हें देवलाली जाना हो, तो तुम्हें वर्धा आने से छुट्टी मिल सकती है। यहाँ आने में मुख्य बात तो भावनाकी है, लेकिन सम्भवतः देवलाली जाना तुम्हारा कर्त्तव्य हो।

प्राणलाल देवकरण नानजी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १४ और १५ के बीच प्रकाशित गुजरातीकी प्रतिकृतिसे

१. यह सन् १९४४ के दस्तावेजोंकी फाइलमें मिला है। इस तथा अगले शीर्षककी सही तारीख निश्चित नहीं है

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

एक प्रस्ताव[1]

भारतके सम्बन्धमें ब्रिटिश युद्ध मन्त्रि-परिषद्ने जो प्रस्ताव पेश किये हैं और उनका सर स्टैफर्ड क्रिप्सने जो स्पष्टीकरण किया है उनपर कार्य-समितिने भली-भाँति और गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। इन प्रस्तावोंपर, जो परिस्थितियोंसे मजबूर होकर अन्तिम क्षणमें पेश किये गये हैं, न केवल भारतकी स्वतन्त्रताकी माँगके सन्दर्भमें ही विचार करना है बल्कि इससे भी अधिक गम्भीर युद्ध-संकटमें भारत और विश्वके सामने जो संकट है उसका सन्तोषजनक हल ढूँढने के लिए भी प्रयत्न करना है।

सितम्बर १९३९ में युद्धके आरम्भ होने से लेकर कांग्रेस बराबर यही कहती रही है कि भारतके लोग विश्वकी प्रगतिशील शक्तियोंके साथ मिलकर चलेंगे और जो नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं उनका सामना करने का दायित्व वहन करेंगे। कांग्रेस यह भी कहती आई है कि इस काममें सफल होने के लिए यह जरूरी है कि उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की जायें। एक अनिवार्य शर्त तो भारतकी स्वतन्त्रता है, क्योंकि केवल स्वतन्त्रता-प्राप्ति ही वह ज्योति है जो असंख्य लोगोंके हृदयोंको प्रज्ज्वलित करके उन्हें कार्य-रत बना सकती है। प्रशान्त महासागर क्षेत्रमें युद्ध आरम्भ होने के बाद अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी अन्तिम बैठकमें यह बताया गया था कि: "केवल स्वतन्त्र और स्वाधीन होने पर ही भारत इस स्थितिमें हो सकता है कि वह राष्ट्रीय स्तरपर देशकी सुरक्षाका भार वहन कर सके और युद्धकी विभीषिकासे जो बृहत समस्याएँ उठ खड़ी हैं उन्हें निपटाने में सहायक सिद्ध हो सके।"

ब्रिटिश युद्ध मन्त्रि-परिषद्के नये प्रस्तावोंका सम्बन्ध मुख्यत: युद्धकी समाप्तिपर भविष्यसे है। कमेटी यह मानती है कि इस अनिश्चित भविष्यमें भारतीय जनताके लिए आत्म-निर्णयकी बातको सिद्धान्त रूपमें स्वीकार किया गया है किन्तु उसे इस बातका दुख है कि यह नियन्त्रित और सीमित है। इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध शामिल किये गये हैं जो एक स्वतन्त्र और संयुक्त राष्ट्रके विकासमें तथा एक प्रजातान्त्रिक राज्यकी स्थापनामें बाधक हैं। यहाँतक कि संविधान निर्मात्री संस्थाका भी गठन इस प्रकार किया गया है कि उसमें अप्रातिनिधिक लोगोंको शामिल करके जनता

१. कांग्रेस कार्य-समिति द्वारा पारित इस प्रस्तावकी एक प्रति २ अप्रैल, १९४२ को सर स्टैफर्ड क्रिप्सको दी गई थी। प्रस्ताव समाचारपत्रोंमें छपने के लिए समझौता-वार्ताके असफल होने के बाद ११ अप्रैलको भेजा गया था। देखिए पृ० १५।

के आत्म-निर्णयके अधिकारको भी खोखला बना दिया है। भारतकी सम्पूर्ण जनताने स्पष्टतः पूर्ण स्वतन्त्रताकी माँग की थी और कांग्रेस बारम्बार यह घोषणा करती रही है कि भारतके लिए पूर्ण स्वतन्त्रताके अतिरिक्त और किसी भी दर्जेकी बात स्वीकार नहीं की जा सकती और न ही वह वर्तमान- स्थितिमें कारगर सिद्ध हो सकती है। कमेटी यह मानती है कि प्रस्तावोंमें भविष्यमें भारतकी स्वतन्त्रताकी बात निहित हो सकती है लेकिन सम्बद्ध उपबन्ध और परिच्छेद इस प्रकारके है कि वास्तविक स्वतन्त्रता मरीचिका बनकर रह जायेगी। देशी राज्योंके नौ करोड़ लोगोंकी ओरसे पूरी तरह मुँह फेर लेना और उन्हे उनके शासकोंके लिए सौदेकी चीज समझ लेना प्रजातन्त्र और आत्म-निर्णय दोनोंके ही विरुद्ध है। जब कि संविधान निर्मात्री संस्थामें देशी राज्योंके प्रतिनिधियोंकी संख्या जनसंख्याके आधारपर तय की जाती है, उन प्रतिनिधियोंको चुनते समय राज्योंके लोगोंकी राय नही ली जाती और न ही उनसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी भी मौकेपर उनसे सलाह ली जाती है। ये राज्य भारतीय स्वतन्त्रताके विकासमें बाधक बन सकते हैं। वे ऐसे विदेशी अन्तःक्षेत्र बन सकते हैं जहाँ विदेशी शासन चलता रहेगा तथा जहाँ विदेशी सेना रखने की सम्भावना की बात कही गई है। ऐसे राज्य राज्यकी जनता और शेष भारतकी स्वतन्त्रताके लिए निरन्तर खतरा साबित होंगे।

किसी प्रान्तके भारतीय संघमें शामिल न होने के अधिकारको एक नये सिद्धान्तके रूपमें पहले ही स्वीकार कर लेना भी भारतीय एकताकी भावनाके प्रति एक जबर्दस्त आघात है और यह झगड़ेकी जड़ बन सकता है, जिससे प्रान्तोंमें अशान्ति बढ़ सकती है। इससे जो देशी राज्य भारतीय संघमें शामिल होना चाहते हैं उनके मार्गमें और भी कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। कांग्रेसने भारतकी स्वतन्त्रता और एकताका व्रत ले रखा है और उसमें किसी प्रकारका व्यवधान, विशेषतः आधुनिक युगमें जब कि लोगोंके मन सर्वथा इससे भी अधिक बृहद संघोंकी बात सोचते है, सभी सम्बन्धित लोगोंके लिए हानिकर और आशासे अधिक दुःखदायी साबित होगा। फिर भी, कमेटी किसी क्षेत्रीय घटकके लोगोंको उनकी प्रकट और सर्वसम्मत इच्छाके विरुद्ध भारतीय संघमें ही बने रहने के लिए उन्हें बाध्य नही कर सकती। इस सिद्धान्तको मान्यता देते हुए भी कमेटी यह महसूस करती है कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने में कोई कोर-कसर नही उठा रखनी चाहिए जो विभिन्न घटकों द्वारा एक सामान्य और सहकारी राष्ट्रीय जीवनका विकास करने में सहायक सिद्ध हों। इस सिद्धान्तको स्वीकार करने में यह बात तो अनिवार्यतः शामिल ही है कि ऐसी कोई तब्दीलियाँ नही की जायेंगी जिनसे नई समस्याएँ उठ खड़ी हों और उस क्षेत्रमें जो दूसरे शक्तिशाली दल है उनपर कोई दबाव डाला जाये। प्रत्येक क्षेत्रीय घटकको संघमें एक सशक्त राष्ट्रवादी राज्यके अनुरूप पूर्णरूपेण स्वायत्तताका अधिकार मिलना चाहिए। ब्रिटिश युद्ध मन्त्रि-परिषद्की ओरसे जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह संघकी स्थापनाके आरम्भमें ही अलगावके प्रयत्नोंको बढ़ावा देगा और ऐसे समयमें जब कि सहयोग और सद्भावकी बहुत सख्त जरूरत है, मतभेद पैदा करेगा। ऐसा समझा जाता है कि यह प्रस्ताव एक

साम्प्रदायिक माँगको पूरा करने के उद्देश्यसे पेश किया गया है लेकिन इसके कुछ और भी परिणाम होंगे। इससे विभिन्न समुदायोंमें जो राजनीतिक प्रतिक्रियावादी तथा दबे हुए दल हैं उन्हें गड़बड़ी करने और देशके सामने जो महत्त्वपूर्ण विषय हैं उनकी ओरसे जनताका ध्यान हटाने का मौका मिलेगा।

भारतके भविष्यसे सम्बन्धित किसी भी प्रस्तावपर ध्यान देने और उसकी अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करने की जरूरत है लेकिन आजके इस महान संकटमें तो जो-कुछ आज हो रहा है उसी का महत्त्व है। और वैसे भी भविष्यसे सम्बन्धित प्रस्तावोंका भी महत्त्व तभीतक है जबतक कि वे वर्तमानको भी प्रभावित करते हों। इसीलिए कमेटीने प्रश्नके इसी पहलूपर सबसे ज्यादा जोर दिया है और इसीपर यह बात भी निर्भर करती है कि जो लोग कमेटीसे मार्ग-दर्शनकी अपेक्षा रखते हैं उन्हें कमेटी क्या सलाह दे। फिलहाल तो ब्रिटिश युद्ध मन्त्रि-परिषद्के प्रस्ताव अस्पष्ट और सर्वथा अपूर्ण हैं और ऐसा लगता है कि वर्तमान ढाँचेमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने की सम्भावना भी नहीं है। यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि भारतकी सुरक्षाका भार हर हालतमें ब्रिटिश सरकारके ही हाथमें रहेगा। कैसा भी समय हो, प्रतिरक्षा तो एक महत्त्वपूर्ण विषय ही रहता है; लेकिन युद्धके समय तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है और इसका जीवन तथा प्रशासनके प्रत्येक अंगपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे समयमें प्रतिरक्षाके विषय को उत्तरदायी शासनसे बाहर रखना उत्तरदायी शासनका मखौल है और पूरे तौरपर यह साबित करना है कि भारत किसी भी हालतमें स्वतन्त्र नहीं होनेवाला है तथा युद्ध जारी रहने तक भारतकी सरकार भी एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष सरकारकी भाँति कार्य नहीं कर सकती। कमेटी यह बार-बार दोहराती है कि आजके हालात को देखते हुए भारतीय जनताको उनकी जिम्मेदारीका बोध कराने की जरूरी और बुनियादी पूर्वापेक्षा यही है कि उन्हें इस सच्चाईसे परिचित कराया जाये कि वे स्वतन्त्र हैं और अपनी स्वतन्त्रताको बनाये रखने का और उसकी सुरक्षाका भार उन्हींपर है। जिस चीजकी सख्त जरूरत है वह है जनताकी उत्साही प्रतिक्रिया जिसे तबतक नहीं जाग्रत किया जा सकता जबतक कि लोगोंपर पूरा विश्वास न रखा जाये और प्रतिरक्षाकी सारी जिम्मेदारी उन्हें न सौंप दी जाये। यही वह एकमात्र तरीका है जिससे इतनी देर बाद और ऐसे गम्भीर अवसरपर अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए लोगोंमें शक्ति फूंकना सम्भव है। यह तो प्रकट ही है कि भारतकी वर्तमान सरकार और इसकी प्रान्तीय एजेन्सियोंमें क्षमताकी कमी है और वे भारत की रक्षाका भार वहन करने में भी समर्थ नहीं हैं। यह तो केवल भारतके लोग ही हैं जो अपने जनप्रिय प्रतिनिधियोंकी सहायतासे इस भारको भली प्रकार वहन कर सकते हैं। लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब स्वतन्त्रता बनी रहे और उन लोगों पर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाये।

इसलिए, ब्रिटिश युद्ध मन्त्रि-परिषद्की ओरसे जो सुझाव पेश किये गये थे, कमेटी उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ है।

[अंग्रेजीसे]
द इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, १९४२, जिल्द १, पृ० २२४-२५

परिशिष्ट २

क० मा० मुन्शीका पत्र[1]

बम्बई
९ अगस्त, १९४४

आदरणीय बापू,

मैं एक मुकदमेके सिलसिलेमें लाहौर गया हुआ था और वहाँसे आज लौटा हूँ।

१. खिजिरका आदमी मुझसे मिला था। वे स्वयं शहरसे बाहर गये हुए थे। वे यह चाहते हैं कि पंजाबके मामलेमें जिन्नाके साथ किसी प्रकारके वायदे न किये जायें। इसके अलावा आप जो-कुछ करेंगे उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। बँटवारे का वे विरोध करेंगे। वे दिलेर व्यक्ति नहीं है। ग्लैंसी,[2] सर जफरुल्ला,[3] सुल्तान अहमद[4] उनके समर्थक हैं। वे कुछ ही दिनोंमें आपके पास अपना एक दूत भेजेंगे।

२. छोटूराम[5] और उनके दलके लोग बहुत घबराये हुए हैं। वे सब पंजाबके बँटवारेके विरोधकी तैयारी कर रहे हैं और वे पाकिस्तान बनाने के भी विरुद्ध हैं।

३. हिन्दू नेता भी बहुत गुस्सेमें है। सर टेकचन्द बख्शी[6] को डलहौजीमें आपका सन्देश टेलीफोनसे दे दिया गया था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है अन्यथा वे आपसे मिलने आते। आपके वक्तव्योंसे यह पता चलना तो सचमुच मुश्किल है कि राजाजी फार्मूले और अखण्ड हिन्दुस्तानमें तालमेल कैसे बिठाया जाये।

४. डॉ. गोपीचन्द[7] मुझसे यहाँ मिले थे। वे अनुशासनका भंग तो नहीं करेंगे लेकिन उनका मन बहुत उद्विग्न हैं। जुहूमें आपने उन्हें जो लिखित आश्वासन दिया था उससे वे सन्तुष्ट नहीं हैं।

५. सिख लोग जो आजाद पंजाबके हिमायती थे अब अखण्ड हिन्दुस्तानके समर्थक बन गये हैं, फिलहाल इस समय तो उसके समर्थक हैं ही। मास्टर तारासिंहने सन्देशा भिजवाया था कि वे मुझसे मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं। वे आपसे मिलने को उत्सुक हैं। सम्भवत: उनके दिलमें अब भी यह चुभन है कि अपनी वर्धा-यात्राके दौरान एक बार उनका समुचित स्वागत-सत्कार नहीं हुआ।

१. देखिए पृ० २९।
२. सर बर्टरैंड ग्लैंसी, पंजाबके राज्यपाल
३. सर मुहम्मद जफरुल्ला खाँ
४. सर सुल्तान अहमद, वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्के सदस्य
५. सर छोटूराम, पंजाब मन्त्रिमण्डलमें मन्त्री
६. पंजाबके भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश
७. डॉ० गोपीचन्द भार्गव, पंजाब विधान-सभामें कांग्रेस दलके नेता

६. सन्त सिंह और अन्य राष्ट्रवादी सिखोंके साथ मेरी बातचीत हुई थी। यदि कोई अन्तिम निर्णय हो पाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

७. जिन्नाने कई गुप्त चर्चाएँ की हैं और उन चर्चाओंका रुख किस ओर रहा है इसका थोड़ा-बहुत पता भी चला है: (१) जिन्ना शुरूमें तो राष्ट्रीय सरकारमें ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वकी माँग करेंगे, लेकिन अन्तमें ४२ प्रतिशतपर राजी हो जायेंगे। (२) उन्होंने जनमत-संग्रहके लिए पाँच योजनाओंपर विचार किया है, हालाँकि यह नहीं पता चला है कि वे योजनाएँ कौन-सी हैं।

८. जहाँतक सम्भव है राजाजी फार्मूलेके बारेमें मैं तो चुप्पी साधे हुए हूँ। लेकिन (मेरा) मन परेशान रहता है। मित्र मुझपर दबाव डालते हैं और कई मामलोंमें तो गलतफहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। मेरे कांग्रेसी मित्रोंने यह संकेत दिया है कि इस प्रकार मैं कांग्रेसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरे लोगोंका कहना है कि आपके कारण मैं अखण्ड हिन्दुस्तानका जो उद्देश्य है उससे विमुख हो रहा हूँ। अब आप बताइये कि मैं साफ-साफ कह दूँ या फिर चुप्पी साध लूँ?

मेरी विनम्र रायमें तो (१) अखण्ड हिन्दुस्तान मेरी दृष्टिमें एक मूलभूत सिद्धान्त है। मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता (२) संविधान चाहे कैसा भी हो, भारतके केवल मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकोंको ही अलग घटकोंके रूपमें माना जायेगा। जबतक पंजाब और बंगालका विभाजन नहीं हो जाता तबतक हम स्वयंको आश्वस्त महसूस नहीं कर सकते। (३) ऐसा नहीं लगता कि हिन्दू-मुस्लिम एकताकी नीति जो पिछले २५ वर्षोंसे असफल रही है, अब सफल हो जायेगी। (४) आज केवल मुसलमान लोग ही ऐसे हैं जो राजाजी फार्मूलेका सच्चे दिलसे स्वागत कर रहे हैं। आप तो सशक्त हैं। बहुत-से लोग ऐसे हैं जो, किन्हीं वजहोंसे, आप जो-कुछ कहेंगे वह मान लेंगे। लेकिन जो चीज उन्हें खटक रही है वह तो निस्सन्देह खटकती ही रहेगी। (५) राजाजी फार्मूलेका समर्थन करके आपने यह तो साबित कर दिया कि आप किसी साम्प्रदायिक समझौतेपर पहुँचने के लिए कितने तत्पर हैं। (६) जिन्नाकी आपके साथ मिलकर भारतके भविष्यका निर्धारण करने की २५ वर्षीय अभिलाषा तो पूरी हो गई। अब उन्हें पक्का यकीन है कि अंग्रेज लोग पंजाबमें उनसे टक्कर लेने के लिए तैयार बैठे हैं और इसीलिए वह किसी समझौतेपर पहुँचने के लिए उत्सुक भी हैं। जो समझौता होता है यदि वह ऐसा हुआ कि उसका दुरुपयोग होने की सम्भावना हो या उसमें कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो जो स्थिति पहले थी उससे भी बदतर होने की सम्भावना है। इस चीजकी वजहसे मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अपने मनका गुबार आपके सामने निकालकर मैं अपनेको हल्का कर रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगे कि मुझे अपने विचार उचित रूपमें प्रकाशित करने चाहिए तो कृपया मुझे अवश्य बतायें। मैं उसे तैयार करके आपकी पूर्व स्वीकृतिके लिए आपके पास भेज दूंगा।

भवदीय,
कनु मुन्शी

[अंग्रेजीसे]

पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम, जिल्द १, पृ० ४३७-३८

परिशिष्ट ३

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

१० सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

कल ९ सितम्बरको हमारी बातचीतके सन्दर्भमें, मुझे आपसे यह पता चला कि आप हिन्दू-मुस्लिम समझौतेपर चर्चा करने के लिए मेरे पास अपनी व्यक्तिगत हैसियत से ही आये थे, हिन्दुओं अथवा कांग्रेसकी ओरसे किसी प्रतिनिधिके रूपमें नहीं और न ही आपको ऐसा करने का कोई अधिकार ही प्राप्त था। मैंने तो आपसे कहा था कि दूसरे पक्षकी ओरसे कोई ऐसा प्रातिनिधिक हैसियतवाला अधिकारी होना चाहिए जिसके साथ मैं समझौता-वार्त्ता कर सकूँ और यदि सम्भव हो तो हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न का समाधान ढूंढ सकूं; और दूसरे आपने जो रवैया अपनाया है वह तो अनोखा ही है, जिससे मेरे मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती है। जैसा कि आप जानते है मैं केवल मुस्लिम भारत और अ० भा० मुस्लिम लीगकी ओरसे, उस संस्थाके अध्यक्षकी ओरसे बोल सकता हूँ जिसका कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, और इस प्रकार मैं इस संस्थाके सविधान, इसके नियमों और विनियमोंसे बँधा हुआ हूँ। मेरे खयालसे आप यह समझते है और यह स्वीकार भी करेंगे कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नका हल सबसे बड़ी और प्रमुख बाधा है और जबतक इन दोनों राष्ट्रोंके प्रतिनिधि परस्पर परामर्श नही करेंगे तबतक कोई इस कार्यमें प्रगति कैसे कर सकता है?

तिसपर भी मैंने आपको मार्च १९४० का लाहौर-प्रस्ताव समझाया और कोशिश की कि उस प्रस्तावमें सन्निहित प्रमुख और मूलभूत सिद्धान्तोंको आप स्वीकार कर लें, लेकिन आपने न केवल उनपर विचार करने से ही इनकार कर दिया बल्कि उस प्रस्तावमें वर्णित मुख्य स्थितिके प्रति अपना जोरदार विरोध भी प्रकट किया और कहा कि "मेरे और आपके दृष्टिकोणोंमें जमीन-आसमानका अन्तर है"। जब मैंने आपसे यह पूछा कि आप इसका क्या विकल्प सुझाते है तो आपने राजाजी का फार्मूला मेरे सामने रख दिया जिसे आप स्वीकार ही कर चुके है। हमने उसपर विचार किया और चूँकि उसमें कई बातें संदिग्ध और अस्पष्ट थीं तथा कुछ-एक बातोंके लिए स्पष्टीकरणकी जरूरत थी इसलिए मैं स्पष्ट रूपसे यह जानना चाहता था कि यह फार्मूला है क्या और इसका आशय क्या है और इसीलिए मैंने आपसे उस फार्मूलेमें सन्निहित सुझावोंको खोलकर स्पष्ट करने को कहा था। थोड़ी-बहुत चर्चाके बाद आपने मुझसे यह अनुरोध किया कि जिन मुद्दोंके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता है, उन्हें मैं लिखकर तैयार कर लूँ और

१. देखिए पृ० ९९-१००।

आपसे सम्पर्क बनाये रखूँ। और तव आप सोमवार, ११ सितम्बरको शाम ५-३० बजे होनेवाली हमारी अगली बैठकसे पहले उसका लिखित उत्तर देंगे। इस कारण मैं निम्नलिखित मुद्दोंको जिनके स्पष्टीकरणकी जरूरत है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ:

१. भूमिकाके तौरपर: यदि आपके और मेरे बीच कोई समझौता होता है तो यह समझौता आप किस हैसियतसे करेंगे?

२. धारा १: इस धारामें उल्लिखित "स्वतन्त्र भारतके संविधानके" सन्दर्भमें म पहले यह जानना चाहूँगा कि आपने किस संविधानका उल्लेख किया है, उसे कौन तैयार करेगा और वह कवसे लागू होगा?

दूसरे, फार्मूलेमें यह बताया गया है कि "स्वतन्त्रतासे सम्बन्धित भारतकी माँग का मुस्लिम लीग समर्थन करती है।" क्या इससे अभिप्राय बम्बईमें अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा १९४२ के अगस्त-प्रस्तावमें वर्णित कांग्रेसकी स्वतन्त्रताकी माँगसे है और यदि ऐसा नहीं है तो फिर इन शब्दोंसे क्या तात्पर्य है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मुस्लिम लीग न केवल अपने प्रस्तावोंके द्वारा बल्कि संविधानमें उल्लिखित अपने सिद्धान्तके द्वारा भी यह बात साफ कर चुकी है कि हम इस सारे उपमहाद्वीप की स्वतन्त्रताका, अर्थात् पाकिस्तान और हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताका समर्थन करते हैं।

दूसरे, यह कहा गया है कि मुस्लिम लीग "संक्रान्ति कालके लिए एक अस्थायी अन्तरिम सरकार बनाने में कांग्रेसके साथ सहयोग करेगी।" मैं जानना चाहूँगा कि जिस आधारभूत सिद्धान्तपर यह सरकार बनेगी वह क्या है। यदि आपके पास कोई सम्पूर्ण और निश्चित योजना है तो कृपया मुझे दिखायें।

३. धारा २: इस धारामें उल्लिखित कमीशनको कौन नियुक्त करेगा और कमीशनके निर्णयोंको कौन कार्यान्वित करेगा? इसमें वर्णित "पूर्ण बहुमत" से क्या तात्पर्य है? अपेक्षित जनमत-संग्रह क्या जिलोंके हिसाबसे होगा और यदि नहीं तो फिर किस आधारपर होगा? इसका कौन निर्णय करेगा कि यह जनमत-संग्रह वयस्क मताधिकारपर आधारित होना चाहिए या फिर किसी अन्य व्यवहार्य मताधिकार पर? उपर्युक्त जनमत-संग्रहके निर्णयको कार्यान्वित कौन करेगा? क्या केवल सीमापर स्थित जिलोंको ही, जिनका निर्माण हदबन्दी द्वारा मौजूदा प्रान्तोंकी परिधिमें से ही किया गया है, यह अधिकार होगा कि वे दोनोंमें से किसी भी राज्यमें शामिल हो जायें या यह अधिकार उन जिलोंको भी होगा जो मौजूदा सीमा-रेखाके वाहर स्थित हैं?

४. धारा ३: इस धारामें "सब दलों" से तात्पर्य किन दलोंसे है?

५. धारा ४: इस धारामें जिन "आपसी समझौतों" का जिक्र किया गया है मैं जानना चाहूँगा कि वे किन-किनके बीच होंगे और किसके माध्यमसे होंगे? "प्रतिरक्षा, व्यापार, संचार तथा दूसरी आवश्यक सेवाओंका संरक्षण" से आपका तात्पर्य क्या है? यह संरक्षण किन लोगोंसे करना है?

६. धारा ६: "ये शर्तें तभी लागू होंगी जब कि ब्रिटेन अपनी पूरी सत्ता और उत्तरदायित्व भारत सरकारको हस्तान्तरित कर देगा।" मैं यह जानना चाहूँगा कि यह सत्ता किसे हस्तान्तरित करनी है, किस तन्त्र या एजेन्सीके माध्यमसे होगी और कब होगी?

ये ही कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं जो फिलहाल मेरे दिमागमें आये हैं और जिनके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता है। आशा है कि मैंने जो मुद्दे उठाये हैं उनके बारेमें आप मुझे पूरी जानकारी देंगे जिससे कि मैं आपके सुझावोंको और अच्छी तरह समझ लूं और उनपर भली-भाँति गौर कर सकूं।

भवदीय,
जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट ४

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

११ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

आपका ११ सितम्बरका पत्र मुझे आज शाम ५ बजे मिला। मैं समझता हूँ कि आप मेरे पास व्यक्तिगत हैसियतसे आये थे और इस बारेमें अपने विचार मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ। कहीं आप ऐसा न समझ लें कि आपने जो अनोखा दृष्टिकोण अपनाया है, मैं उससे सन्तुष्ट हूँ। बल्कि मैंने तो आपके साथ बातचीत वास्तवमें इसलिए जारी रखी चूँकि मैं तो यह चाहता हूँ कि हो सके तो मैं आपसे अपनी बात मनवा लूं। मैंने तो आपसे इस बातका आग्रह किया था कि भारतकी समस्याका एकमात्र हल यही है कि हम पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके रूपमें भारतके विभाजनको मान लें, जैसा कि मार्च १९४० के लाहौर-प्रस्तावमें संक्षेपमें समझाया भी गया है, और उसके बाद हम शीघ्र ही उसकी अन्य बातोंको तय कर लें। आपका कहना है कि लाहौर-प्रस्ताव अनिश्चित है। आपने प्रस्तावकी शर्तोंके बारेमें स्पष्टीकरण करने के लिए तो मुझसे कभी कहा नहीं उल्टे आपने उसमें निहित प्रमुख और बुनियादी सिद्धान्तोंके प्रति अपना जोरदार विरोध अवश्य प्रकट कर दिया। इसलिए मैं यह जानना चाहूँगा कि लाहौर-प्रस्ताव किस वजहसे और किस रूपमें अनिश्चित है। मैं यह नहीं मान सकता कि राजाजी ने इस प्रस्तावका सारांश लेकर उसे एक आकार दे दिया है। उल्टे उन्होंने न केवल इसके रूपको ही बिगाड़ दिया है बल्कि इसके तथ्योंको भी तोड़-मरोड़ दिया है, जैसा कि मैंने ३० जुलाई, १९४४ को लाहौरमें अ० भा० मुस्लिम लीग परिषद्की बैठकमें दिये गये अपने भाषणमें बताया भी था।

२. आप कहते हैं कि "आत्म-निर्णयके अधिकारके प्रयोगकी प्रथम शर्त यह है कि भारतके सभी दल व समुदाय संयुक्त कार्रवाई करके स्वतन्त्रता प्राप्त करें। यदि दुर्भाग्यवश ऐसी संयुक्त कार्रवाई असम्भव हो, तो मैं केवल उन लोगोंकी सहायतासे

1. देखिए पृ० १००।

लड़ूँगा जिन्हें एक जगह लाया जा सकता है।" मेरी रायमें तो यह, जैसा कि मैंने बार-बार कहा भी है, उल्टी गंगा बहाना हुआ और यह सामान्यतः अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी नीति और घोषणाओंके भी विरुद्ध है। आप तो केवल १९४२ के अगस्त-प्रस्तावका कड़ाईसे पालन कर रहे हैं। भारतके लोगोंको स्वतन्त्रता दिलाने के लिए पहले तो हिन्दू-मुस्लिम समझौतेका होना जरूरी है। जब आप यह कहते हैं कि मेरे साथ अपने समझौतेको दृढ करने के लिए कांग्रेसपर आपका जो प्रभाव है उस सबका इस्तेमाल करने के लिए आप वचनबद्ध हैं तो इसके लिए बेशक मैं आपका आभार मानता हूँ, लेकिन मेरे निर्णय लेने के लिए यह काफी नहीं है, हालाँकि इससे मुझे बहुमूल्य सहायता मिल सकती है। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि वे अस्थायी अन्तरिम सरकारका गठन जिस आधारपर होगा, उसके बारेमें जो आपके विचार हैं कृपया मुझे बतायें। निःसन्देह यह तो लीग और कांग्रेसके बीच समझौतेपर निर्भर करेगा लेकिन मैं समझता हूँ कि आप निष्पक्ष होकर जो-जो बातें आपने सोची हैं उनका कमसे-कम मोटा अन्दाजा मुझे भी अवश्य दें, क्योंकि अबतक तो आपने उसके बारेमें तय कर लिया होगा। दूसरे मैं यह भी जानना चाहूँगा कि अस्थायी अन्तरिम सरकार बनाने के बारेमें आपके सुझाव क्या हैं या क्या योजना है जिससे कि उसे समझने के लिए उसका सही रूप मेरे सामने आ जाये।

३. आपने मेरे इस प्रश्नका उत्तर तो दिया ही नहीं कि कमीशनके निर्णयोंको कार्यान्वित कौन करेगा, और मुझे यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि जब आप यह कहते हैं कि "पूर्ण बहुमतका अर्थ गैर-मुस्लिम लोगोंकी तुलनामें स्पष्ट बहुमत है, जैसा कि सिन्ध, बलूचिस्तान व सीमाप्रान्तमें है" उस समय "पूर्ण बहुमत" से आपका क्या तात्पर्य है। आपने मेरे इस प्रश्नका उत्तर भी नहीं दिया कि फार्मूलेमें उल्लिखित जनमत-संग्रह व मताधिकारके स्वरूपका निर्णय कौन करेगा।

४. आपके इस उत्तरसे कि "सब दलोंका अर्थ समस्त सम्बन्धित दलोंसे है" बात स्पष्ट नहीं होती।

५. आपका कहना है कि "आपसी समझौतेका अर्थ अनुबन्ध करनेवाले पक्षोंका समझौता है।" जब आपकी अस्थायी अन्तरिम सरकारकी स्थापना हो जायेगी तब अनुबन्ध करनेवाले पक्ष कौन-से होंगे? प्रतिरक्षा आदिका संरक्षण करनेवाले केन्द्रीय अथवा संयुक्त नियन्त्रण बोर्डकी नियुक्ति कौन करेगा और ऐसे केन्द्रीय या संयुक्त बोर्डकी स्थापना किस आधारपर होगी, किस तन्त्र और एजेंसीके माध्यमसे होगी तथा इसपर किसका आदेश तथा नियन्त्रण रहेगा?

६. आप कहते हैं कि "सत्ता देशको — अर्थात् अस्थायी सरकारको हस्तान्तरित की जानी है।" यही सब कारण हैं जिनकी वजहसे मैं आपके निश्चयकी और आपकी कल्पनाकी अस्थायी सरकारके बारेमें पूर्ण ब्योरा जानना चाहता हूँ।

भवदीय,
जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट ५

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

१४ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

अपने ११ सितम्बरके पत्र (१३ सितम्बरका नहीं, जैसा कि आपने लिखा है और जो सम्भवतः भूलसे लिखा गया है) के उत्तरमें आपका १४ सितम्बरका पत्र मुझे आज शाम पौने पाँच बजे मिला और इसके लिए आपका धन्यवाद।

१. आपने जो अपने एक पत्रमें यह बताने का वादा किया था कि लाहौर-प्रस्ताव किस अर्थमें या किस रूपमें "अनिश्चित" है, उस पत्रको शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने की कृपा करें।

२. गांधी-राजाजी फार्मूलेमें निहित इस विधानके सन्दर्भमें कि "मुस्लिम लीग स्वतन्त्रतासे सम्बन्धित भारतकी माँगका समर्थन करती है", मैंने अपने १० सितम्बरके पत्रमें आपसे पूछा था कि "क्या इससे अभिप्राय बम्बईमें अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा १९४२ के अगस्त-प्रस्तावमें वर्णित कांग्रेसकी स्वतन्त्रताकी माँगसे है और यदि ऐसा नहीं है तो फिर इन शब्दोंसे क्या तात्पर्य है?" इसका उत्तर आपने अपने ११ सितम्बरके पत्रमें इस प्रकार दिया था, "स्वतन्त्रताका अर्थ सम्पूर्ण वर्तमान भारतकी स्वतन्त्रता है।" इसलिए मैं फिर पूछता हूँ कि क्या इस स्वतन्त्रताका आधार संयुक्त भारत है? मैं समझता हूँ कि आपने इस मुद्देको भली प्रकार समझाया नहीं।

जहाँतक धाराके अगले भागका सम्बन्ध है, फार्मूलेमें आगे बताया गया है कि "मुस्लिम लीग संक्रान्ति कालके लिए एक अस्थायी अन्तरिम सरकार बनाने में कांग्रेसके साथ सहयोग करेगी।" अपने १० सितम्बरके पत्रमें मैंने आपसे यह बताने की प्रार्थना की थी कि "जिस आधारभूत सिद्धान्तपर यह सरकार बनेगी वह क्या है। यदि आपके पास कोई सम्पूर्ण और निश्चित योजना है तो कृपया मुझे दिखायें।" इसका उत्तर आपने अपने ११ सितम्बरके पत्रमें यह दिया था कि "अस्थायी अन्तरिम सरकार बनाने का आधार लीग व कांग्रेस द्वारा मिलकर निश्चित किया जायेगा।" लेकिन इससे मैंने ऐसी सरकारके स्पष्टीकरणका अथवा कमसे-कम उसके स्वरूपको समझाने का जो अनुरोध किया था वह समस्या तो हल नहीं होती। और मैं यही सब बातें तो पूछता रहा हूँ। जब मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप फार्मूलेके अनुसार प्रस्तावित अस्थायी अन्तरिम सरकारके स्वरूपका मोटा अन्दाजा मुझे दें, जिससे मुझे

१. देखिए पृ० १०८ और ११२।

भी कुछ जानकारी हो जाये, तो इसके पीछे जो मेरा तात्पर्य है, आशा है उसे आप समझते तो जरूर होंगे। बेशक, यह तो मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी अस्थायी अन्तरिम सरकार सभी दलोंका प्रतिनिधित्व करेगी और वह इस ढंगकी होगी जिसे फिलहाल तो सभी दलोंका विश्वास प्राप्त रहेगा। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि जब ऐसा समय आयेगा तो कुछ चीजें तो अपने-आप हो जायेंगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस फार्मूलेकी बातोंको सन्तोषजनक ढंगसे समझ सकें, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि चूँकि यह आपका फार्मूला है इसलिए आप अपनी कल्पनाकी अस्थायी अन्तरिम सरकार के बारेमें थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य दे दें। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी अस्थायी अन्तरिम सरकारके अधिकार क्या होंगे, इसका गठन किस प्रकार होगा, यह किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी और इसकी रचना किस प्रकारकी होगी इत्यादि। आप चूँकि इस गांधी-राजाजी फार्मूलेके प्रवर्तक हैं इसलिए आपको इसका एक मोटा अन्दाजा और उसकी कोई तस्वीर मुझे देनी चाहिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि फार्मूलेके इस अंशका अर्थ क्या है।

मेरे ११ सितम्बरके पत्रके उत्तरमें दिये गये अपने १४ सितम्बरके पत्रमें आपने मुझे यह लिखा था कि "यदि मेरे मनमें कोई योजना होती तो मैं अवश्य आपको बता देता।" "मेरा खयाल है कि यदि हम दोनों सहमत हो सकें तो फिर हम दोनों अन्य पक्षोंसे परामर्श कर लेंगे।" लेकिन यह महज एक सवाल है। जबतक आप मुझे फार्मूलेकी कुछ रूपरेखा या योजना नहीं बतायेंगे तबतक हम चर्चा ही किस बातकी करेंगे जिससे कि हम दोनोंमें कोई समझौता हो।

जहाँतक उन दूसरे मामलोंका सम्बन्ध है जिन्हें आपने और आगे समझाया है, तो उनके स्पष्टीकरणको मैंने गौरसे देख लिया है और मैं नहीं समझता कि उनमें मुझे कुछ समझाने के लिए आपपर जोर डालने की कोई जरूरत है, वैसे उनमें से कुछ-एक मामलोंका अभी सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है।

भवदीय,
जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट ६

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

१७ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

आपका १५ सितम्बरका पत्र मिला और इसके लिए आपका धन्यवाद। देखता हूँ आपने राजाजी-फार्मूलेको तो फिलहाल अलग उठाकर रख दिया है और आप अपना ध्यान बहुत गम्भीरतापूर्वक मुस्लिम लीगके लाहौर-प्रस्तावपर ही लगा रहे हैं। यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं आज आपको लाहौर-प्रस्तावके बारेमें समझाऊँ और कोशिश करूँ कि आप उसे स्वीकार कर लें, हालाँकि आप मेरे साथ, जैसा कि आपने प्रायः स्पष्ट किया है, अपने व्यक्तिगत रूपमें बातचीत कर रहे हैं। मैं बहुतसे गैर-मुस्लिम भारतीयोंका तथा कई विदेशियोंका भी मत-परिवर्तन करने में सफल हो चुका हूँ और हिन्दू-भारतपर जितना जबर्दस्त प्रभाव आपका है उसी प्रभावका उपयोग करते हुए यदि मैं आपका मत-परिवर्तन कर सकूँ तो इससे मुझे काफी सहायता मिलेगी, हालाँकि हमारे चर्चा जारी रखने का आधार यह नहीं है कि आप अपने प्रातिनिधिक रूपमें बातचीत कर रहे हैं और जबतक बातचीत करने और आपके साथ समझौता करने के लिए आपको प्रातिनिधिक अधिकार नही मिल जाता तबतक मेरी परेशानियाँ तो रहेंगी ही।

आपने अपने ११ सितम्बरके पत्रमें लिखा है कि लाहौर-प्रस्ताव "अनिश्चित" है। इसलिए मैंने सहज ही आपसे यह पूछा था कि आप कृपया मुझे यह बतायें कि लाहौर-प्रस्ताव किस दृष्टिसे या किस अर्थमें अनिश्चित है और अब मुझे आपका १५ सितम्बरका पत्र भी मिल गया है जिसका मैं उत्तर दे रहा हूँ।

आपके पत्रका तीसरा अनुच्छेद स्पष्टीकरण नही चाहता बल्कि क्या मुसलमान एक राष्ट्र हैं, इस प्रश्नपर महज आपके विचारोंकी अभिव्यक्ति और विवेचन प्रस्तुत करता है। इस मामलेकी चर्चा पत्रोंमें नही की जा सकती। इसपर बहुत चर्चा हो चुकी है और इसपर साहित्य भी उपलब्ध है और जब आप इस प्रश्नपर कि क्या मुसलमान और हिन्दू इस उप-महाद्वीपमें दो महान राष्ट्र नही हैं, गहन अध्ययन कर लेंगे तब इसका अन्तिम निर्णय आपपर निर्भर करेगा। फिलहाल तो मैं आपसे दो पुस्तकोंका ही उल्लेख कर रहा हूँ, हालाँकि पुस्तकें तो और भी हैं। इनमें से एक तो डॉ० अम्बेडकरकी पुस्तक है और दूसरी एम० आर० टी० की 'नेशनलिज्म इन कंफ्लिक्ट इन इंडिया' है। हमारी यह मान्यता है और हम अपनी मान्यतापर कायम हैं कि राष्ट्र की कोई भी परिभाषा या कसौटी हो, मुसलमान और हिन्दू दो बड़े राष्ट्र हैं। हमारा

1. देखिए पृ० १२६ ।

१० करोड़ लोगोंका राष्ट्र है और इससे भी अधिक हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता है, भाषा और साहित्य, कला और वास्तु-कला, नाम और नाम-पद्धति, मूल्य और परिमाणके मापदण्ड, वैधानिक नियम और आचार-संहिताएँ, प्रथाएँ और पंचांग, इतिहास और परम्पराएँ, क्षमताएँ और महत्वा-कांक्षाएँ हमारी विशिष्ट हैं। संक्षेपमें कहें तो जीवनके प्रति हमारा एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके सभी मानदण्डोंके अनुसार हम एक राष्ट्र हैं। अब मैं आपके विभिन्न प्रश्नोंके उत्तर दूँगा:

१. हाँ, प्रस्तावमें "पाकिस्तान" शब्दका उल्लेख नहीं किया गया है और अब यह उस अर्थमें प्रयुक्त नहीं होता है जिसमें कि शुरू-शुरूमें होता था। अब यह शब्द लाहौर-प्रस्तावका पर्याय बन गया है।

२. यह मुद्दा तो उठता ही नहीं, फिर भी मेरा उत्तर यही है कि यह प्रश्न महज एक हौआ है।

३. मेरे इस उत्तरमें कि भारतके मुसलमान एक राष्ट्र हैं, इस प्रश्नका उत्तर भी आ जाता है। जहाँतक आपके प्रश्नके अन्तिम भागका सम्बन्ध है प्रस्तावके स्पष्टीकरणवाले मामलेसे तो यह मेल खाता ही नहीं।

४. निश्चय ही, आप जानते ही हैं कि "मुस्लिम" शब्दसे क्या तात्पर्य है।

५. लाहौर-प्रस्तावके पाठका स्पष्टीकरण करनेके बाद तो यह मुद्दा उठता ही नहीं।

६. नहीं। उनसे ही पाकिस्तानके घटकोंका निर्माण होगा।

७. जैसे ही लाहौर-प्रस्तावमें निहित आधार और सिद्धान्तोंको स्वीकार कर लिया जायेगा वैसे ही हदबन्दीके प्रश्नपर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।

८. प्रश्न (७) का उत्तर देते हुए मैंने आपके प्रश्न ८ का भी उत्तर दे दिया है।

९. इसका स्पष्टीकरणसे सम्बन्ध नहीं है।

१०. प्रश्न (९) के मेरे उत्तरमें यह बात भी स्पष्ट हो जाती है।

११. प्रस्तावका स्पष्टीकरण करनेसे तो यह प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। बेशक, इसमें प्रस्तावका स्पष्टीकरण करने जैसी तो कोई बात कही ही नहीं गई है। मैं अपने असंख्य भाषणोंमें और मुस्लिम लीगके अपने प्रस्तावोंमें इस बातका उल्लेख कर चुका हूँ कि भारतकी समस्याका एकमात्र हल यही है और भारतके लोगोंको स्वतन्त्रताकी ओर ले जाने का यही एक मार्ग है।

१२. "देशी रियासतोंके मुसलमान": लाहौर-प्रस्तावका सम्बन्ध केवल ब्रिटिश भारतसे है। प्रस्तावका स्पष्टीकरण करने से यह प्रश्न खड़ा ही नहीं होता।

१३. "अल्पसंख्यकों" की व्याख्या: आपने तो प्रायः स्वयं यह कहा है कि "अल्पसंख्यकों" से तात्पर्य "स्वीकृत अल्पसंख्यकों" से है।

१४. प्रस्तावमें उल्लिखित अल्पसंख्यकोंके "उपयुक्त, प्रभावशाली और आदेशात्मक संरक्षणों" का मामला तो सम्बन्धित प्रान्तों अर्थात् पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके अल्प-संख्यकोंके साथ बातचीत तथा समझौता करने पर ही निपट सकता है।

१५. प्रस्तावमें बुनियादी सिद्धान्त तो बताये गये हैं और जब उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा तब समझौता करनेवाले पक्ष उसकी मुख्य-मुख्य बातोंके बारेमें सोचेंगे।

(क और ख) स्पष्टीकरणसे तो इसका प्रश्न ही नही उठता; (ग) मुस्लिम लीग मुस्लिम-भारतकी एकमात्र आधिकारिक और प्रातिनिधिक संस्था है; (ङ) नही। इसके लिए देखिए उत्तर (ग)।

जहाँतक आपके अन्तिम अनुच्छेदका सम्बन्ध है, आपने मेरे स्पष्टीकरण करने से पहले ही यह कहते हुए अपना निर्णय दे दिया और लाहौर-प्रस्तावकी निन्दा कर दी कि "इस पत्रको लिखते हुए जब मैं प्रस्तावके अमलके बारेमें सोचता हूँ, तो मै समस्त भारतके लिए विनाशके सिवाय कुछ नही देखता।" मैं समझता हूँ कि आपने मुझे यह स्पष्ट कर दिया है कि आप और किसीका नही बल्कि अपना ही प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं आपसे यह मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही एक ऐसा मार्ग है जो हम सबको स्वतन्त्रता-प्राप्तिकी ओर ले जायेगा — दो महान राष्ट्र, हिन्दू और मुसलमानकी स्वतन्त्रता ही नही बल्कि भारतके शेष लोगोंकी भी स्वतन्त्रताकी ओर। लेकिन आगे जब आप यह कहते है कि आप तो भारतके सभी निवासियोंका प्रतिनिधित्व करते है तो मुझे दुःखके साथ आपकी बातको अस्वीकार करना पड़ता है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि आप केवल हिन्दुओंका ही प्रतिनिधित्व करते है और जब-तक आप अपनी सही स्थितिको और वास्तविकताओंको नही पहचानते तबतक मेरे लिए आपके साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है और उससे भी अधिक मुश्किल है आपको यह समझाना तथा आपसे यह आशा रखना कि आज भारतकी जो वास्तविकताएँ है और जो सही हालात हैं उसे आप भली-भाँति पहचान लेंगे। मैं आपके सामने अपने पक्षका जो प्रतिपादन कर रहा हूँ वह इसी आशासे कर रहा हूँ कि मै आपका मत-परिवर्तन कर सकूंगा, वैसे ही जैसे मैंने और बहुत-से लोगोंका सफलतापूर्वक किया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप महापुरुष है, और आपका हिन्दुओंपर, विशेषकर जनसमुदायपर, बहुत प्रभाव है और जिस मार्ग का उल्लेख मै आपसे कर रहा हूँ उसपर चलकर आप हिन्दुओंका या अल्पसंख्यकोंका पक्षपात नही कर रहे है और न उनके हितोंको कोई हानि ही पहुँचा रहे हैं। इसके विपरीत, ज्यादा फायदा तो हिन्दुओंका होगा। मै इस बातसे तो आश्वस्त हूँ कि केवल मुसलमानोंका ही नही बल्कि भारतके शेष लोगोंका भी सच्चा कल्याण लाहौर-प्रस्तावमें बताये गये भारतके विभाजनमें ही है। अब यह सोचना आपका काम है कि "समस्त भारतके विनाश" और लोगोकी दुर्दशा तथा पतनका, जिसका आपने उल्लेख किया है, और औरोकी तरह ही जिसका मुझे सबसे ज्यादा दुःख है, मुख्य कारण कही आपकी नीति और कार्यक्रम तो नही रहा जिसपर कि आप डटे रहे। इसी वजह से मै इस आशाके साथ कि शायद आप अब भी अपनी नीति और कार्यक्रम बदल दें, इतने दिनोंतक आपके सामने अपने पक्षको समझाता रहा, हालांकि आपका तो आग्रह यही रहा कि आप मेरे साथ अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे ही बातचीत कर रहे हैं।

भवदीय,
जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट ७

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

२१ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

आपका १९ सितम्बरका पत्र मुझे मिला है और लाहौर-प्रस्ताव अथवा उसके किसी भागके स्पष्टीकरणसे सम्बन्धित आपके सभी प्रश्नोंके उत्तर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। जब आप यह कहते हैं कि हो सकता है कि "लाहौर-प्रस्तावके सिर्फ स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे मेरे सब प्रश्न उत्पन्न न होते हों" तो मुझे खुशी है कि आप उक्त बातको स्वीकार तो करते हैं लेकिन आप १५ (क) और १५ (ख) प्रश्नोंपर विशेष जोर देते हैं।

मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इसका प्रस्तावके पाठसे या उसके किसी भी अंशसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे बीच हुए पत्र-व्यवहारमें आपने ऐसे बहुत-से मुद्दे उठा दिये हैं जिनके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे जबरदस्ती उससे निपटना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपके ११ सितम्बरके पत्रको लेता हूँ:

१. आप कहते हैं, "मेरे जीवनका उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता रहा है। मैं एकताकी खातिर एकता चाहता हूँ, लेकिन यह विदेशी शक्तिको बाहर किये बिना प्राप्त नहीं हो सकेगी। अतः आत्म-निर्णयके अधिकारके प्रयोगकी प्रथम शर्त यह है कि भारतके सभी दल व समुदाय संयुक्त कारंवाई करके स्वतन्त्रता प्राप्त करें। यदि दुर्भाग्यवश ऐसी संयुक्त कारंवाई असम्भव हो, तो मैं केवल उन लोगोंकी सहायतासे लड़ूँगा जिन्हें एक जगह लाया जा सकता है।"

२. अबतकके आपके पत्रोंका सार यही है कि आपने इसी नीतिको अपना लिया है और आप इसीका पालन करते रहेंगे। अपने १४ सितम्बरके अगले पत्रमें, जहाँ आपने मुझे गांधी-राजाजी फार्मूलेका स्पष्टीकरण देकर मुझपर कृपा की है वहाँ आपको यह कहते हुए भी खुशी हुई: "मैंने कमसे-कम फिलहाल उसे अपने दिमागसे निकाल दिया है और अब मैं पारस्परिक समझौतेके लिए एक आधार ढूँढ़ने की उम्मीदमें अपना सारा ध्यान लाहौर-प्रस्तावपर लगाये हुए हूँ।" अपने १५ सितम्बरके पत्रमें आप कहते हैं, "आजादीका वही अर्थ है जिसकी कल्पना १९४२ के अ० भा० कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावमें की गई है।" इसलिए यह तो स्पष्ट है कि आप अपनी नीति और कार्य-क्रमको बदलने को तैयार नहीं हैं और यह कि आप अपनी नीति और कार्यक्रमका सख्तीसे पालन कर रहे हैं और उसीपर डटे हुए हैं। आपके इस नीति और कार्यक्रमकी

१. देखिए पृ० १२७ और १३३।

परिणति होती है आपकी इस माँगमें, अन्तिम नीतिमें, तथा उस कार्यक्रमको लागू करने के ढंग और सहमतिमें जिसके फलस्वरूप ८ अगस्त, १९४२ के प्रस्तावके तहत सार्वजनिक सविनय अवज्ञा शुरू करने की बात है। अपने १९ सितम्बरके पत्रमें आपने अपनी इसी बातको और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है: "मेरी नीति और मेरे कार्यक्रमके बारेमें आपका निर्णय ऐसा है कि जिसपर हम सहमत नही हो सकते। कारण, मुझे उनके बारेमें कोई पछतावा नही है।" आप जानते है कि अगस्त १९४२ का प्रस्ताव मुस्लिम भारत-सम्बन्धी आदर्शों और अपेक्षाओंके अनुकूल नही है। इसके बाद हमारी बातचीतके दौरान जब मैंने आपसे गांधी-राजाजी फार्मूलेका स्पष्टीकरण करने को कहा तो आपने १५ सितम्बरके पत्रके द्वारा उसका सहर्ष उत्तर इस प्रकार दिया: "फिलहाल मैंने राजाजीके फार्मूलेको अलग उठाकर रख दिया है, और आपकी सहायतासे अब मैं मुस्लिम लीगके प्रसिद्ध लाहौर-प्रस्तावपर बहुत गम्भीरतापूर्वक अपना ध्यान लगा रहा हूँ।" जैसा कि आपने मुझे बताया था कि यदि हम आपका भ्रम-निवारण कर सके तो आप हमारी बात मानने के लिए तैयार है, इसीलिए हमने इस फार्मूलेके विभिन्न पक्षोंपर विचार किया था। मैंने आपके साथ प्रस्तावके सम्बन्धमें विस्तारसे बातचीत करके आप जो-कुछ समझना चाहते थे वह सब भली प्रकार समझा दिया था, हालाँकि आप अनेक बार इस बातपर ही जोर देते रहे कि आप मेरे साथ यह बातचीत अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे कर रहे हैं और अपने १५ सितम्बरके पत्रमें आपने लाहौर-प्रस्तावके सम्बन्धमें मुझे इन शब्दोंमें आश्वासन दिया था: "विश्वास रखिए कि मैं आपके पास एक जिज्ञासुकी भाँति आया हूँ। यद्यपि मैं अपने सिवा किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करता", और यह कि यदि आप गलती पर हैं तो आप गलती मानने तथा अपना मत-परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। अपने ११ सितम्बरके पत्रमें आपने मुझे इस प्रकार सूचित किया था: "यह सत्य है कि मैंने यह कहा था कि मेरे और आपके दृष्टिकोणोंमें जमीन-आसमानका अन्तर है। लेकिन इसका लीगके लाहौर-प्रस्तावसे कोई सम्बन्ध नही था। लाहौर-प्रस्ताव अनिश्चित है।" इसलिए स्वाभाविक था कि मैंने इसके उत्तरमें अपने ११ सितम्बरके पत्रमें इस प्रकार पूछा: "आपका कहना है कि लाहौर-प्रस्ताव अनिश्चित है। आपने प्रस्तावकी शर्तोंके बारेमें स्पष्टीकरण करने के लिए तो मुझसे कभी कहा नहीं उल्टे आपने उसमें निहित प्रमुख और बुनियादी सिद्धान्तोंके प्रति अपना जोरदार विरोध अवश्य प्रकट कर दिया। इसलिए मैं यह जानना चाहूँगा कि लाहौर-प्रस्ताव किस वजहसे और किस रूपमें अनिश्चित है।" मैंने १३ सितम्बरको आपको एक स्मरण-पत्र भी भेजा था जिसके उत्तरमें आपने मुझे अपना १५ सितम्बरका पत्र भेजा। अपने इस पत्रमे आपने केवल स्पष्टीकरणसे सम्बन्धित मामलोंका ही जिक्र नहीं किया बल्कि और भी बहुतसे असंगत मामले उठा दिये। इनमें से कुछ-एक मामलोंका उत्तर तो मैं आपके १५ सितम्बरके पत्रके उत्तरमें दिये गये अपने १७ सितम्बरके पत्रमें पहले ही दे चुका हूँ और उनमें मैंने आपको सारे स्पष्टीकरण दे दिये हैं। उस पत्रमें मैंने आपको यह भी सूचित कर दिया था कि आपने ऐसे अनेक मुद्दे उठा दिये हैं जिसका पत्र-व्यवहारके माध्यमसे कोई सन्तोषजनक ढंगसे उत्तर नहीं दिया जा सकता।

लाहौर-प्रस्ताव और उसके पाठके सम्बन्धमें आपने जो-जो स्पष्टीकरण माँगे थे वे सब तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन आप फिरसे दलीलें पेश करके, अन्य प्रश्नोंके साथ-साथ, इस प्रश्नपर ही अपनी बहस जारी रखते हैं कि क्या भारतके मुसलमान एक राष्ट्र हैं और फिर आप आगे यह कहते हैं: "क्या यह सम्भव नहीं कि "दो राष्ट्रों" की बातपर सहमत न होते हुए भी हम आत्म-निर्णयके आधारपर समस्याको हल कर लें?" मुझे ऐसा लगता है कि आप "आत्म-निर्णय" शब्दके वास्तविक अर्थके सम्बन्धमें कोई भ्रान्त धारणा अपने मनमें पाले हुए हैं। हमारे बीच उपर्युक्त पत्र-व्यवहारके दौरान आपने जो विभिन्न दृष्किोण अपनाये उनमें असंगतियाँ और परस्पर विरोध होते हुए भी, क्या आप हमारे इस दृष्टिकोणकी सराहना नहीं करते कि हम आत्म-निर्णयके अधिकारको एक राष्ट्रके रूपमें माँगते हैं, क्षेत्रीय घटकके रूपमें नहीं और यह कि हमें अपने स्वाभाविक अधिकारका, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रयोग करने का हक है? इसके विपरीत आप यह गलतफहमी पाले हुए हैं कि "आत्म-निर्णय" का मतलब उस क्षेत्रीय घटकसे है जिसकी अभीतक न तो कोई सीमा ही बाँधी गई है और न उसकी कोई परिभाषा ही की गई है; और ऐसा भारतका कोई भी संघ या संघीय संविधान मौजूद नहीं है जो प्रभुसत्ता-सम्पन्न केन्द्रीय सरकारके रूपमें कार्य कर रहा हो। हमारा मामला तो विभाजनका है, और दो महान राष्ट्रों, हिन्दू और मुसलमानों के बीच आपसी समझौते द्वारा दो स्वतन्त्र प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्योंमें बाँटने का है, किसी वर्तमान संघसे, जो भारतमें मौजूद ही नहीं है, पृथक्करण अथवा अलगावका मामला नहीं है। जिस आत्म-निर्णयके अधिकारकी हम माँग करते हैं उससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि हम एक राष्ट्र हैं और इस प्रकार इसका अभिप्राय मुसलमानोंके आत्म-निर्णयसे होगा और केवल वे ही इस आत्म-निर्णयके अधिकारका प्रयोग कर सकते हैं।

आशा है कि अब आप यह समझ जायेंगे कि आपका १५ (क) प्रश्न लाहौर प्रस्ताव अथवा उसके किसी अंशकी वजहसे उत्पन्न नहीं होता। जहाँतक प्रश्न १५ (ख) का सम्बन्ध है, स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे तो यह भी नहीं उठता क्योंकि ऐसे सब मामलोंका निपटारा पाकिस्तान द्वारा नियुक्त संविधान-निर्मात्री संस्थाके हाथमें होगा जो कि एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न संस्थाके रूपमें कार्य करेगी और इसमें पाकिस्तानके साथ-साथ हिन्दुस्तानकी संविधान-निर्मात्री संस्था अथवा और किसी पक्षके प्रतिनिधि शामिल होंगे। जब यह स्वीकार कर लिया गया है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दो पृथक स्वतन्त्र प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य होंगे तब फिर प्रतिरक्षा अथवा ऐसे ही अन्य "सार्वजनिक हित" के मामलोंपर चर्चा नहीं होगी। आशा है कि मैंने लाहौर-प्रस्तावके स्पष्टीकरणके साथ-ही-साथ सारी बातें अच्छी तरह समझा दी हैं और उम्मीद है कि आप अपनेको व्यक्तिगत "जिज्ञासु" के रूपमें मानने लगेंगे।

भवदीय,
जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट ८

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

२३ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

आपका २२ सितम्बरका पत्र मुझे मिला जिसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे खेद है कि आप यह सोच रहे हैं कि मैंने दोनों क्षेत्रोंके सामान्य हितोंके विचारका तुरन्त खण्डन कर दिया है और जब आप यह कहते हैं कि भौगोलिक संलग्नतासे उत्पन्न स्वाभाविक तथा पारस्परिक दायित्व जबतक स्वीकार नहीं किये जाते तबतक हिन्दुस्तानके लोग अपनेको सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब आप उसी बातको अपने प्रश्न १५(क)से कुछ अलग ढंगसे पेश करते हैं। मेरा उत्तर, जो मैं पहले ही दे चुका हूँ, यह है कि यह पाकिस्तानकी और हिन्दुस्तानकी अथवा और किसी सम्बन्धित पक्षकी संविधान-निर्मात्री संस्थाके हाथमें होगा कि ऐसे मामलोंका निपटारा अपने दो स्वतन्त्र राज्य होने के आधारपर करे।

जब आप यह कहते हैं कि जिसे आप मेरा एक अमर्यादित कथन मानते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है और यह कि अगस्त, १९४२ का प्रस्ताव मुस्लिम भारतके आदर्शों तथा उसकी माँगोंके लिए हानिकारक है, तो मुझे वास्तवमें आश्चर्य होता है। प्रस्तावके मूल तत्व इस प्रकार हैं:

(क) पूर्ण-स्वतन्त्रता तत्काल प्रदान करना [और] संघीय घटकों अथवा प्रदेशोंके साथ एक संयुक्त, जनतान्त्रिक भारत सरकारपर आधारित एक संघीय केन्द्रीय सरकारकी तुरन्त स्थापना, अर्थात् हिन्दू राजकी स्थापना।

(ख) कि इस प्रकार जिस राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना होगी वह एक संविधान सभाकी योजना बनायेगी — ऐसी संविधान सभा जिसके सदस्योंकी नियुक्ति वयस्क मताधिकारके द्वारा होगी और जो भारत सरकारके लिए एक संविधानका निर्माण करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान सभामें जो सदस्य चुने जायेंगे उनमें हिन्दुओंकी तादाद बहुत ज्यादा होगी अर्थात् लगभग ७५ प्रतिशत।

(ग) कांग्रेसकी इस माँगको क्रियान्वित करने के लिए अगस्त-प्रस्ताव यह निश्चय करता है और आपको यह अधिकार प्रदान करता है कि कांग्रेसके एकमात्र अधिनायक होनेके नाते आप जब उचित समझें तथा जब आदेश दें आप सार्वजनिक सविनय अवज्ञा का सहारा ले सकते हैं।

१. देखिए पृ० १३४ और १३८।

यह माँग बुनियादी रूपसे और मुख्यतः लाहौर-प्रस्तावमें निहित पाकिस्तानकी मुस्लिम भारतके आदर्शों और माँगोंके विरुद्ध है, और सार्वजनिक सविनय अवज्ञाका सहारा लेकर ऐसी माँगोंको पूरी कराना मुस्लिम भारतके आदर्शों और उसकी माँगोंके लिए हानिकर है। यदि आप इस माँगको पूरी कराने में सफल हो जाते हैं तो यह मुस्लिम भारतके लिए प्राणघातक आघात है। आपके और अपने बीच हुए पत्र-व्यवहार तथा बातचीतसे मैं देखता हूँ कि आप इस महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका अब भी कड़ाईसे पालन कर रहे हैं।

हमारी बातचीत शुरू होने के पहले दिनसे ही आपने मुझसे यह बात साफ कर दी थी और हमारे बीच हुए पत्र-व्यवहार तथा बातचीतके दौरान आपने इस बातको बार-बार दोहराया है कि आप मेरे पास अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे आये थे। आपने मुझे यह आश्वासन दिया कि आप प्रकाश और ज्ञानकी खोजमें लगे हुए हैं और आप गम्भीरतापूर्वक और एकाग्रचित्त होकर लाहौर-प्रस्तावको समझना चाहते हैं तथा यह कि आप अपनी गलती स्वीकार करने तथा अपना मत-परिवर्तन करने के लिए भी सदैव तैयार हैं। इसलिए आपकी इच्छाओंका आदर करते हुए इन दिनों और हमारी लम्बी बातचीत और पत्र-व्यवहारके दौरान मैंने हर सम्भव यह कोशिश की कि मैं किसी प्रकार आपको अपने विचारोंसे कायल कर सकूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि मैं इस कार्यमें सफल नहीं हो सका। और अब अपने पत्रमें जिसका कि मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपने नये सुझाव और प्रस्ताव पेश कर दिये हैं।

१. आप कहते हैं "अतः मैंने एक मार्ग सुझाया है — यदि बँटवारा होना ही है तो वह उसी तरह हो जैसा दो भाइयोंके बीच होता है।" मैं वास्तवमें यह नहीं जानता कि इससे आपका क्या मतलब है। मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रस्तावको विस्तारसे समझायें और मुझे अपने इस नये विचारकी मोटी-मोटी बातोंसे अवगत करायें कि यह बँटवारा कैसे और कब होगा, और लाहौर-प्रस्तावमें बताये गये बँटवारे से यह किस रूपमें भिन्न होगा।

२. आप कहते हैं, "हमें किसी और पक्षको या पक्षोंको पथ-प्रदर्शन — या मध्यस्थता तक करने के लिए बुलाना चाहिए।" क्या मैं आपको यह बता दूँ कि आपने मुझसे बार-बार यह बात साफ की है कि मेरे साथ आप यह सब बातचीत एक व्यक्तिगत जिज्ञासुके रूपमें कर रहे हैं। तब फिर हमारा पथ-प्रदर्शन या हमारे बीच मध्यस्थता करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या पक्षोंको बुलाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है?

भवदीय,
जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट ९

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

२५ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

आपका २४ सितम्बरका पत्र मुझे मिला, जिसके लिए आपका धन्यवाद। आपने लाहौर-प्रस्तावके बुनियादी तथा मूलभूत सिद्धान्तोंको तो पहले ही अस्वीकार कर दिया है।

१. आप यह नहीं मानते कि भारतके मुसलमान एक राष्ट्र हैं।

२. आप यह स्वीकार नही करते कि मुसलमानोंको आत्म-निर्णयका स्वाभाविक अधिकार है।

३. आप यह नहीं मानते कि केवल मुसलमानोंको ही अपने आत्म-निर्णयके अधिकारका उपयोग करने का हक है।

४. आप यह नही मानते कि पाकिस्तान दो क्षेत्रोंको मिलाकर बना है अर्थात् उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र। इन क्षेत्रोंमें छः प्रदेश शामिल हैं अर्थात् सिन्ध, बलूचिस्तान, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त, पंजाब, बंगाल और असम। जैसा कि लाहौर-प्रस्तावमें वर्णित है, इन प्रदेशोंकी सीमाको आपसी-समझौतेके आधारपर घटाया-बढ़ाया जा सकता है। उपरिलिखित मूलभूत सिद्धान्तोंको स्वीकार किये जाने के बाद इन क्षेत्रोंकी हदबन्दी करने के प्रश्नपर विचार किया जा सकता है और इस कामके लिए समझौतेके अनुसार एक समितिका गठन किया जा सकता है।

अल्पसंख्यकोंकी सुरक्षाके लिए लाहौर-प्रस्तावमें जिन उपायोंका उल्लेख किया गया है आप तो उन्हें भी स्वीकार नही करते। . . .

. . . मैंने आपसे पूछा था कि आप अपनी इस नई योजनाकी मोटी-मोटी बातोंसे मुझे अवगत करायें कि बँटवारा कैसे और कब होगा और यह लाहौर-प्रस्तावमें बताये गये बँटवारेसे किस रूपमें भिन्न है। और अब आपने २४ सितम्बरके पत्रमें, जिसका कि मैं उत्तर दे रहा हूँ, कृपापूर्वक मुझे अपनी व्याख्या समझा दी है। . . .

जो शर्तें आपने रखी है उनसे साफ जाहिर होता है कि उसका मूल सिद्धान्त लाहौर-प्रस्तावके मौलिक आधार तथा सिद्धान्तोंसे मेल नहीं खाता और वह उसके विरुद्ध है। अब मैं आपकी मुख्य-मुख्य शर्तें लेता हूँ:

१. देखिए पृ० १३८-३९। यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

(क) "मैं यह मानकर चलता हूँ कि भारतको दो या दो से अधिक राष्ट्र नहीं, बल्कि कई सदस्योंका एक परिवार माना जाना चाहिए, जिनमें से उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों अर्थात् बलूचिस्तान, सिन्ध, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तके मुसलमान और पंजाबके जिस भागमें अन्य सभी जातियोंकी अपेक्षा मुसलमान पूर्ण बहुमतमें हैं तथा बंगाल और असमके जिन हिस्सोंमें मुसलमान पूर्ण बहुमतमें हैं, वहाँके मुसलमान शेष भारतसे अलग रहना चाहते हैं।" यदि इस शर्तको मानकर इसपर पालन कर लिया जाता है तो इन प्रदेशोंकी जो वर्तमान सीमाएँ हैं वे इतनी खण्डित हो जायेंगी कि हम उसका कोई उपाय भी नहीं कर पायेंगे तथा हमारे हाथ कलेवर मात्र रह जायेगा, और फिर यह बात लाहौर-प्रस्तावके भी विरुद्ध है।

(ख) कि इन टुकड़ोंमें बँटे क्षेत्रोंमें आत्म-निर्णय करने के अधिकारका प्रयोग मुसलमान नहीं बल्कि इन बँटे हुए क्षेत्रोंके निवासी करेंगे। फिर यह बात लाहौर-प्रस्तावके मूलभूत सिद्धान्तोंके भी विरुद्ध है।

(ग) कि यदि पृथकताके पक्षमें मत आये तो इसके बाद ये क्षेत्र "भारतके विदेशी प्रभुत्वसे मुक्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र ही एक पृथक राज्य कायम करेंगे।" इसके विपरीत हमारा प्रस्ताव यह है कि हमें आपसमें तत्काल समझौता करके अपने संयुक्त संगठन और प्रयत्नोंके द्वारा पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके रूपमें भारतकी जनताको स्वतन्त्रता दिलाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए।

(घ) आगे आप कहते हैं, "पृथकताके बारेमें एक सन्धि की जायेगी, जिसमें वैदेशिक मामलों, प्रतिरक्षा, आन्तरिक संचार, सीमा-शुल्क, वाणिज्य आदि विषयोंके कारगर और सन्तोषजनक संचालनकी व्यवस्था होगी। ये विषय सन्धि करनेवाले दोनों पक्षोंके बीच अनिवार्य रूपसे समान हितके विषय रहेंगे।" यदि इन महत्त्वपूर्ण मामलोंका प्रबन्ध किसी केन्द्रीय सत्ता द्वारा किया जाना है तो आपने यह नहीं बताया कि इनका प्रबन्ध करने के लिए किस प्रकारकी सत्ता या तन्त्रकी स्थापना की जायेगी, और वह किस प्रकारसे और किसके प्रति उत्तरदायी होगी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लाहौर-प्रस्तावके अनुसार ये सब मामले, जो किसी भी राज्यके लिए प्राणवायु-जैसा महत्त्व रखते हैं, किसी एक केन्द्रीय अधिकरण या सरकारको नहीं सौंपे जा सकते। दोनों राज्योंकी सुरक्षा और दोनोंकी भौगोलिक सीमाएँ सटी हुई होने के कारण प्रतिफलित होनेवाले स्वाभाविक और पारस्परिक दायित्वोंका मामला पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान या किसी सम्बन्धित पक्षकी संविधान-निर्मात्री संस्था द्वारा इस आधार पर तय किया जायेगा कि दोनों स्वतन्त्र राज्य हैं। जहाँतक अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाका प्रश्न है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रश्नको लाहौर-प्रस्तावमें विस्तारसे समझाया गया है।

इसलिए आप देखेंगे कि आपके नये प्रस्तावका सम्पूर्ण आधार बुनियादी रूपसे लाहौर-प्रस्तावसे मेल नहीं खाता और जैसा कि हमारे बीच हुए पत्र-व्यवहार तथा

बातचीतके दौरान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जबतक आप इन विरोधी-प्रस्तावोंको अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे नही पूछते . . . मेरे लिए इन पर विचार करना और बातचीत करना बहुत मुश्किल है . . . गांधी-राजाजी फार्मूलेके सम्बन्धमें भी यही दिक्कत पेश आई थी, और मैंने शुरूसे ही आपको यह बात साफ कर दी थी, लेकिन चूंकि आपका आग्रह था कि इस फार्मूलेमें लाहौर-प्रस्तावकी मुख्य-मुख्य बातोंको शामिल कर लिया गया है, इसलिए फार्मूलेपर चर्चा चली। लेकिन जब आप मुझे फार्मूलेका स्पष्टीकरण दे रहे थे, आपने उसे अलग रख दिया तथा हमने अपनी बातचीत लाहौर-प्रस्तावतक ही सीमित कर दी और इस प्रकार इस फार्मूलेके सम्बन्धमें आपकी प्रातिनिधिक हैसियतका प्रश्न ही उत्पन्न नही हुआ। लेकिन अब आपने अपने २४ सितम्बरके पत्रमें अपनी तरफसे ही एक नया प्रस्ताव पेश कर दिया है तथा मेरे सामने फिर वही पहले जैसी दिक्कतें आ खड़ी हुई हैं और जबतक आप यह प्रस्ताव अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे पेश नही करते तबतक इसपर आगे विचार करना मुश्किल है।

आपकी इस बातसे, जो आप अपने पत्रके अन्तमें कहते हैं, मैं सहमत नहीं हूँ: "अपने २३ सितम्बरके पत्रमें आपने 'लाहौर-प्रस्तावमें उल्लिखित बुनियादी और मूलभूत सिद्धान्तोंका' जिक्र किया है और मुझसे उन्हें मान लेने को कहा है। मैं महसूस करता हूँ कि जब मैंने वैसी स्वीकृतिसे उत्पन्न होनेवाले ठोस परिणामको स्वीकार कर लिया है तो निश्चय ही यह अनावश्यक है।" स्पष्ट है कि यह सचाईसे कोसों दूर है। तब फिर लाहौर-प्रस्तावके मूलभूत सिद्धान्तोंको ही स्वीकार करके उसकी तफसीलपर विचार कर लिया जाता?

भवदीय,
मु० अ० जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट १०

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

२६ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

आपका २५ सितम्बरका पत्र मिला। आपका यह कहना वास्तवमें बिलकुल गलत और बेबुनियाद है कि पिछली जुलाईमें राजाजीके फार्मूलेके सम्बन्धमें मेरा राजाजी के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसके फलस्वरूप हमारी बातचीत हुई। यह कहना भी उतना ही निराधार है कि [उस पत्र-व्यवहार] "पर आपने मुस्लिम लीगकी कार्यकारिणीसे जो सलाह-मशविरा किया" उसके फलस्वरूप हमारी बातचीत हुई। यह सब तो आपके १७ जुलाई, १९४४ के पत्रका परिणाम था जो मुझे श्रीनगरमें मिला था और जिसमें आपने मिलने की जबर्दस्त प्रार्थना की थी और उस पत्रका अन्त करते हुए आपने लिखा था कि "मुझे निराश मत करना।" इसके उत्तरमें श्रीनगरसे भेजे अपने २४ जुलाई, १९४४ के पत्रमें मैंने आपको लिखा था कि मेरी वापसीपर जो कि सम्भवत: लगभग अगस्तके मध्यमें होगी, यदि आप मुझसे बम्बईमें मेरे निवास-स्थान पर मिलें तो मुझे खुशी होगी। यह सब कार्य-समितिकी बैठक अथवा अ० भा० मुस्लिम लीगकी कौंसिलकी बैठकसे बहुत पहलेकी बात है, यह मेरे लाहौर पहुँचने से भी बहुत पहलेकी बात है। यहाँ आने पर जब आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे मिल रहे हैं तो मैंने तत्काल आपको हमारी बातचीत और अपने पत्रके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि आपने जो दृष्टिकोण अपनाया वह अनोखा है और यह भी बता दिया था कि जबतक दोनों पक्षोंके लोगोंका भली-भाँति प्रतिनिधित्व नहीं होता तबतक कोई बातचीत करना तथा किसी समझौतेपर पहुँचना सम्भव नहीं है। कारण, यह एकतरफा कार्रवाई है, और यह किसी भी रूपमें किसी भी दल पर लागू नहीं होगी। क्योंकि यदि कोई समझौता होता है तो आप तो अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे उसकी कांग्रेससे या देशके लोगोंसे सिफारिश करेंगे लेकिन मुस्लिम लीगका अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए उसका पालन करना अनिवार्य हो जायेगा। मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। आशा है कि इसके औचित्यको और इससे मुझे जो असुविधा होगी उसे आप भली-भाँति समझते हैं, क्योंकि कोई भी इस स्पष्ट और बुनियादी बातको आसानीसे समझ सकता है।

१. देखिए पृ० १४४।

जहाँतक आपके कलके उस प्रस्तावका सम्बन्ध है, जिसे आप अपने २४ सितम्बर के पत्रमें अच्छी तरह समझा चुके हैं, तो उसके बारेमें अपना उत्तर मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ।

जहाँतक आपके इस सुझावकी बात है कि आपको कौंसिलकी बैठकमें भाषण करने की सुविधा प्रदान की जाये और यदि ऐसा लगे कि वे आपकी इस पेशकशको ठुकरा देंगे तो ऐसी स्थितिमें इस मामलेको लीगके खुले अधिवेशनमें रखा जाये, तो मैं आपको यह बता दूँ कि कौंसिलकी बैठकोंकी चर्चामें अथवा खुले अधिवेशनमें शामिल होने का अधिकार केवल उसके सदस्यको या प्रतिनिधिको ही है। और फिर यह एक बहुत ही असाधारण और अभूतपूर्व सुझाव है। फिर भी आपकी सलाहके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

रही बात पंचनिर्णय और बाहरी मार्गदर्शन-सम्बन्धी आपके सुझावकी, तो उसका तो मैं आपको पहले ही उत्तर दे चुका हूँ और यह औपचारिक नहीं बल्कि तत्वका विषय है। आपकी जो कांग्रेस-लीग समझौता कराने की इच्छा है, बिलकुल वही इच्छा मेरी भी है।

वैसे मुझे दुःख है कि मैं आपको अपने मतसे आश्वस्त कराने में और आपका मत-परिवर्तन करने में सफल नहीं हो सका, जिसकी कि मुझे उम्मीद थी।

भवदीय,
मु० अ० जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट ११

मु० अ० जिन्नाका पत्र[1]

२६ सितम्बर, १९४४

प्रिय श्री गांधी,

आपका २६ सितम्बरका पत्र मिला। मैंने इसपर ध्यान दिया है कि वह आपने राजाजीकी सलाहपर लिखा है। बेशक, यह आपपर है कि आप जिसकी सलाहपर भी अमल करना चाहें करे, लेकिन फिलहाल तो मुझे आपसे मतलब है। मै समझता हूँ कि अन्तिम क्षणोमें आपने गांधी-राजाजी फार्मूलेको पुनर्जीवित कर दिया है, हालांकि इस दौरान इसे ताकपर बिठा दिया गया था। आगे आपका कहना है कि इस फार्मूले में मुझे वह सब मिल जाता है जो लाहौर-प्रस्तावमें निहित है। इसके बाद आप कहते है कि आपने अपने हालके प्रस्तावोंको उसी आधारपर व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है, जैसा कि अपने २४ सितम्बरके पत्रमें आपने बताया भी है। आप यह मानते है कि दोनों ही मुझे लाहौर-प्रस्तावका सार प्रदान करते है। अपने पिछले

१. देखिए पृ० १४५।

पत्रमें आपने यह कहा है कि आपका फार्मूला मुझे लाहौर-प्रस्तावका 'सार' प्रदान करता है। मुझे तो दोनोंमें ही बहुत ज्यादा समानता दिखाई देती है और दोनोंका सार भी वस्तुतः एक-सा ही है, बस उसे अलग-अलग भाषामें प्रस्तुत किया गया है। मैं तो अपनी राय पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ कि मेरे निर्णयके अनुसार तो दोनोंमें ही लाहौर-प्रस्तावका न तो सार मिलता है और न तत्व ही दिखाई देता है। इसके विपरीत, दोनोंकी ही व्यवस्था इस ढंगसे की गई है कि जिससे मुस्लिम भारतकी पाकिस्तान-सम्बन्धी माँग बिलकुल व्यर्थ हो जाये। मैंने न तो आपसे कोई प्रबन्ध ही स्वीकार करने को कहा है और न ही मैंने लाहौर-प्रस्ताव में किन्हीं सिद्धान्तोंका ही समावेश किया है। प्रबन्ध और सिद्धान्त तो विद्वानोंकी चीजें हैं।

मुझे दुःख है कि मुझे एक बार फिर यह कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं विवश हूँ कि मैं आपकी इस बातसे सहमत नहीं हो सकता कि मेरा यह कहना कि आपको प्रतिनिधित्वका अधिकार नहीं मिला हुआ है वास्तवमें अप्रासंगिक है। बल्कि उनसे तो एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हल होता है, जैसा कि मैं एकाधिक बार आपको बता भी चुका हूँ। आप फिर वही बात दोहराते हैं कि यदि आप और मैं कोई एक मार्ग स्वीकार कर लें तो कांग्रेस तथा देशसे मनवाने के लिए जो भी प्रभाव आपके पास हैं उसे आप काममें ला सकते हैं। मै शुरूमें ही यह कह चुका हूँ कि यह सब पर्याप्त नहीं है, और इसके कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपकी प्रातिनिधिक हैसियतकी बात तब उठती है जब आप विरोधी-प्रस्ताव पेश कर रहे हों और मैं यह नहीं समझ पाया कि आप इसे अप्रासंगिक कैसे कह सकते हैं। कोई भी उत्तरदायी संस्था किसी भी व्यक्तिके, चाहे वह व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, प्रस्तावपर तबतक विचार नहीं कर सकती जबतक कि वह प्रस्ताव प्रामाणिक संस्थाके किसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत न हो और पूरी तरहसे किसी मान्य प्रतिनिधिकी ओरसे न आया हो। वैसे, इस मुद्देपर मुझे अब और बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले पत्र-व्यवहारमें मैं यह सब पहले ही समझा चुका हूँ।

यदि कोई व्यवधान उपस्थित होगा तो वह केवल इसलिए कि लाहौर-प्रस्तावमें निहित दावेके मूल तत्वके सम्बन्धमें आपने मुझे सन्तुष्ट नहीं किया है। इसमें आपके न चाहने का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि हकीकतमें, यह ऐसा ही है। यदि कोई व्यवधान आता है तो वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यदि कोई आपसे सहमत नहीं होता है या आपसे मतभेद रखता है तो उस स्थितिमें आप हमेशा ही सही होते हैं और दूसरा पक्ष हमेशा ही गलत होता है और फिर दूसरी बात यह है कि आपके पक्षके बहुतसे लोग तो जैसे ही बात फैलेगी वैसे ही मुझे अपमानित करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मुझे इन सब धमकियों और परिणामोंको भुगतना है और मुझे तो अपने विवेक और अपनी अन्तरात्माके अनुसार ही चलना है।

भवदीय,
मु० अ० जिन्ना

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-९-१९४४

परिशिष्ट १२

मु० अ० जिन्नाका वक्तव्य[1]

२७ सितम्बर, १९४४

हमारी बातचीतके आरम्भमें ही श्री गांधीने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे ही मुझसे मिलने आये हैं और वे अपने अलावा और किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करते। वैसे, उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि मार्च, १९४० के मुस्लिम लीग लाहौर-प्रस्तावके सम्बन्धमें अपना विश्वास बदलने तथा अपना मत-परिवर्तन करने के लिए वे बिलकुल तैयार हैं।

अपने इस आक्षेपपर कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए कि किसी समझौतेपर पहुँचने के लिए बातचीत तभी सुचारु रूपसे चल सकती है जब कि दूसरे पक्षका सही प्रतिनिधित्व हो और उसके पास कोई अधिकार हो, मैं श्री गांधीकी इच्छाओंका आदर करने की दृष्टिसे इस बातके लिए सहमत हो गया था कि मैं श्री गांधीको लाहौर-प्रस्तावके मौलिक सिद्धान्तोको मनवाने के लिए राजी कर लूँगा।

हमारी लम्बी बातचीत और पत्र-व्यवहारके दौरान मैंने श्री गांधीके सामने सब-कुछ और मुसलमानोंके दृष्टिकोणके हर पहलूको खोलकर रख दिया था। और हमने सामान्यतः उसके सभी अच्छे और बुरे पहलुओंपर चर्चा की थी। लेकिन मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि मै श्री गांधीके विचारोंको बदलने में सफल नही हो सका।

इसलिए हमारे बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है हमने उसे समाचारपत्रोंमें प्रकाशित कराने का फैसला कर लिया है।

वैसे, हम यह आशा करते हैं कि जनता इससे घबरायेगी नहीं और हमें विश्वास है कि हमारे प्रयत्नोंकी यह समाप्ति नही है।

[अंग्रेजीसे]
गांधी-जिन्ना टॉक्स, पृ० ४०

1. देखिए पृ० १४७।

परिशिष्ट १३

क० मा० मुन्शीका पत्र[1]

बॉम्बे व्यू
माथेरान
१२ अक्तूबर, १९४४

आदरणीय बापू,

आपका ९ तारीखका पत्र मिला। . . .

मैं भी वाक्स्वातन्त्र्यमें विश्वास करता हूँ। लेकिन १-८-३९ की रातको मेरे सामने प्रश्न यह था कि हाल ही में जो भयानक दंगे शुरू हुए हैं उन्हें कैसे रोका जाये। यह मेरा कर्त्तव्य था कि मैं जल्दी-से-जल्दी वे सब कदम उठाऊँ जो स्थितिपर काबू पाने के लिए जरूरी हैं। और फिर मुझे यह भी देखना था कि जिन तीन या चार समाचारपत्रोंने जो साम्प्रदायिकता की आग भड़काई है वह कहीं और ज्यादा न भड़क उठे। उस समय मैंने यह नहीं सोचा था कि जब वाक्स्वातन्त्र्यके सिद्धान्तका दुरुपयोग हो रहा हो तो ऐसी स्थितिमें उसपर अंकुश रखकर मैं उस सिद्धान्तकी कोई अवहेलना कर रहा हूँ। मैं तो आज भी ऐसा नहीं समझता।

उस समस्याका जो मैंने अध्ययन किया जयपुरका मेरा भाषण उसीका परिणाम था। यदि मैं उसके हरएक मुद्देको (आपके सामने) रखूं तो आपको उसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देगा। . . .

(१) संस्कृत हमारी सबसे अमूल्य निधि है। मात्र इसीकी सहायतासे हम अपनी भाषाओंको अंग्रेजी और फ्रेंच जितना सशक्त बना सकते हैं। . . .

(२) हमारी भाषामें जो विचारोंकी अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक प्रयासकी शक्ति है वह सब सामान्यतः इसमें संस्कृत अंशके कारण ही है। इसलिए अगर हम भारतमें अपने विचारों और साहित्यको अभिव्यक्तिका कोई माध्यम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास संस्कृत शब्दोंका उपयोग करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। . . . आज मेरे सामने समस्या न्याय, दर्शन और मनोविज्ञानके लिए तकनीकी शब्दावली खोजने की है। इनके लिए हम संस्कृतके अलावा दूसरा भारतीय माध्यम और कौन-सा ढूँढ़ सकते हैं? . . . मैं नहीं समझता कि आपके जिस दृष्टिकोणको मैं स्वीकार कर चुका हूँ नागपुर (और) इंदौरमें मैं उससे हट गया होऊँ।

1. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं। देखिए पृ० १८१।

(३) मुझे अपने भाषणमें कही भी कांग्रेस-नीतिका विरोध दिखाई नही देता। जहाँतक मैं समझ पाया हूँ कांग्रेसका इरादा बोलचालकी हिन्दुस्तानीको सम्पूर्ण देशका समान माध्यम बनाने का है।... लेकिन बोलचालकी हिन्दुस्तानी चिन्तन अथवा साहित्यका माध्यम कैसे बन सकती है? जब भी वह ऐसा बनने की कोशिश करेगी उसे संस्कृत या फारसी-अरबी शब्दोंकी मदद लेनी ही पड़ेगी। . . . मै तो जबतक संस्कृत शब्दोंका इस्तेमाल नही करूँ तबतक उस भाषामें बोल ही नही सकता। कोई जान-बूझकर संस्कृतनिष्ठ भाषापर जोर नही दिया जा रहा है; और कुछ सम्भव ही नहीं है।

(४) यदि विधानमण्डलोंमें या कालेजोंमें हिन्दुस्तानीको ही माध्यम बनना है तब तो भाषाके दो रूप होने अवश्यम्भावी हैं: एक तो संस्कृतनिष्ठ भाषा और दूसरी फारसीनिष्ठ। . . .

(५) आपको मेरा भाषण जो पसन्द नही आया उसका एक कारण तो यह हो सकता है कि आपके मार्ग-दर्शनमें 'हिन्दुस्तानी समिति' ने जो प्रयोग किया है, एक अनुच्छेदमें उसकी निन्दा की गई है। समिति 'बोलचालकी हिन्दुस्तानी' का प्रचार करने की कोशिश नही कर रही है बल्कि वह तो एक नई शैलीको ही रूप देने की कोशिश कर रही है। इस शैलीकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: (१) संस्कृत शब्दोंके तत्सम रूपोंका बहिष्कार, (२) फारसी शब्दोंके तत्सम रूपोंका सम्मिश्रण, (३) यदि किसी तत्सम संस्कृत शब्दको परम्परासे स्वीकार कर लिया गया है तो भी अरबी या फारसी शब्दको उर्दूका जामा पहनाकर नया शब्द गढ़ना, (४) जहाँ संस्कृत और फारसी शब्दोंका प्रचलन है वहाँ फारसी शब्दोको प्रधानता देना। . . .

भवदीय,
कनु मुन्शी

[अंग्रेजीसे]
पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम, पृ० ४४६-४९

परिशिष्ट १४

एक वक्तव्य[१]

सेवाग्राम
२९ अक्तूबर, १९४४

गांधीजी के सम्भावित अनशनकी चर्चाने बहुतसे मित्रों और सहयोगियोंको परेशानी में डाल दिया है। उन्हें गांधीजी से इतना प्रेम है कि मात्र यह विचार कि गांधीजी को इस उम्रमें और ऐसी सेहतमें एक और अनशनकी कठिन परीक्षामें से गुजरना होगा, उनके दिलोंको कँपा देता है। हालाँकि गांधीजी बिलकुल ठीक-ठाक हैं और पूरे दिन काम करते रहते हैं लेकिन उनके पास शक्तिका भण्डार कम है। गांधीजी थोड़े बहुत खूनकी कमीके शिकार हैं और दूसरे, यदि उनका सामान्य स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उनके आँतोंके जीवाणु — अंकुशकृमि और अमीबा बीमारियाँ जो इस समय छिपी हुई है, कभी भी हावी हो सकती हैं। और फिर, उन लोगोंका यह खयाल है कि इस समय गांधीजी के अनशन करने से लोगोंके नैतिक पतनमें और वृद्धि हो जायेगी तथा सरकारके प्रति जनताके दिलोंमें जो कटुता है वह भी बढ़ जायेगी।

गांधीजी अपनी उम्र अथवा अपनी दुर्बलताकी बात सोचकर परेशान नहीं हैं। उनकी तो हमेशासे यही धारणा रही है कि यदि ईश्वर उनसे काम करवाना चाहता है तो जीवित भी उन्हें वह ही रखेगा। यदि उनका सारा काम समाप्त हो जाता है तो फिर उन्हें इस संसारमें अपने पड़ावको और बढ़ाने में कोई तुक नहीं है। वैसे मित्रोंको यह सोचने का अधिकार है कि बार-बार विधाताको चुनौती देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है।

जहाँतक अनशनके फलस्वरूप नैतिक पतन और कटुतामें वृद्धि का भय है, तो उनकी दृष्टिमें ऐसा होनेवाला नहीं है। एक विशुद्ध अहिंसक कार्रवाईसे ऐसी स्थिति उत्पन्न नही हो सकती।

यह पूछे जाने पर कि उनकी दृष्टिमें अनशन क्यों जरूरी है, उन्होंने कहा कि जबसे मैं जेलसे छूटा हूँ, मुझे अन्दरसे यह महसूस हो रहा है कि दूसरा अनशन मेरी राह देख रहा है। बादमें तो इस विचारने और भी मूर्त रूप ले लिया। सर्वत्र व्याप्त इस संगठित हिंसा और सत्यकी हत्याने उन्हें बहुत उत्पीड़ित किया है। कुछ उदाहरण लें तो भूखसे जो लाखों लोग मर रहे हैं उसका कारण, उनकी दृष्टिमें, खाद्यान्नकी कमी बिलकुल नहीं है। खाद्यान्न गोदामोंमें सड़ता रहता है, और जनता उसके अभावमें मरती रहती है। यह भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाकी दुःखद कहानी है। जो अन्न उपजाते

१. देखिए पृ० २९१।

हैं, उन्हें ही अन्न नहीं मिलता। सरकारी अधिकारी उनके संरक्षक बनने के बजाय उनके शोषकका कार्य कर रहे है। और इसके लिए केवल सरकारी अधिकारियोको ही दोष नहीं दिया जा सकता। हमारे अपने ही लोग, बिचौलिए, फुटकर दुकानदार और बड़े-बड़े व्यापारी मनुष्यके जीवनसे खिलवाड़ करके पैसा बनाने में नही चूके हैं। यह एक दुःखद बात है। सरकारी और गैर-सरकारी शोषण साथ-साथ चलता रहता है। सरकारी तन्त्रकी रजामन्दीके बिना गैर-सरकारी लोग कुछ कर ही नही सकते। ऊपरसे नीचेतक सारा तन्त्र ही भ्रष्ट है। गैर-सरकारी शोषण सरकारकी रजामन्दीसे चलता है। हिंसा इसी रूपमे अपना कार्य करती है। यह बुराईकी समस्त शक्तियोंको संगठित करती है। इसके विपरीत अहिंसाको चाहिए कि वह अच्छाईकी सारी शक्तियोंको व्यवस्थित करके इसका मुकाबला करे। यदि देशपर सरकारका नियन्त्रण रहता तो आज जो यह जबरदस्त घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और जिसकी तुलना केवल लॉर्ड क्लाइवके शासनमें व्याप्त घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार से ही की जा सकती है, वह न होता। जनताकी विश्वास-प्राप्त राष्ट्रीय सरकार बहुत हदतक उनके दुःखोंको कम कर सकती है। लेकिन इसकी कोई सम्भावना नही लगती। उन्होने बताया कि वाइसरायको मनाने के लिए उन्होने किस हदतक कोशिश की। लेकिन सरकार तो शक्तिके मदमें अन्धी हो गई है। आसन्न विजयकी कल्पनाने जो वास्तवमें विजय न होकर एक और युद्धकी तैयारी मात्र है, उसे परिस्थितिके प्रति उदासीन बना दिया है। ऐसी परिस्थितियोमें वे अहिंसाकी प्रभावकारिताका प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? इन करोड़ो मूक प्राणियोंके दु.खोंको वे कैसे दूर कर सकते है? सामूहिक आन्दोलन चलाकर? इसका विचार क्यों नही किया गया, यह तो वे पहले ही बता चुके हैं। वे आज किसी सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलनका न तो नेतृत्व कर सकते हैं और न उसे अपना आशीर्वाद ही दे सकते हैं। तब फिर वे क्या करे? यह तो वे मान ही चुके हैं कि हिंसा चाहे कितनी भी सगठित क्यों न हो उसका अहिंसासे कोई मुकाबला नही है। वे इस दावेको कैसे पूरा कर सकते है? युद्धके आरम्भमें अंग्रेज मित्रोने उन्हें लिखकर यह पूछा था कि इस बढ़ती हुई हिंसा और खून-खराबीका शान्तिवादी लोग व्यक्तिगत स्तरपर कैसे मुकाबला कर सकते हैं? उन्होने इसके अनेक उपचारोमें से एक उपचार उपवासका सुझाया था। कुछ लोगोंने उनके इस सुझावकी खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन वह डटे रहे। ऐसा समय आ सकता है जब कि उन्हें अपने ही ऊपर उस उपचारका परीक्षण करना पड़े। मानव-जातिकी अन्तरात्माको जगाने का शायद यही एकमात्र रास्ता था।

हिंसाका ही दूसरा रूप अस्पृश्यता है। उन्होंने जोर-जोरसे इस बातको दोहराया कि यदि अस्पृश्यताका प्रचलन रहा तो हिन्दू-धर्मका नाश हो जायेगा। दोनों चीजें साथ-साथ नही चल सकती। जब इतनी प्रगति हो चुकी है तब फिर यह अभीतक प्रचलित क्यो है?

फिर साम्प्रदायिक असहिष्णुताका प्रश्न है। यह भी हिंसाका ही रूप है। अपनी युवावस्थासे ही वे इसके खिलाफ लड़ते रहे है।

असत्य और हिंसाके इन असंख्य रूपोंके सामने उनकी अहिंसा इतनी कारगर साबित क्यों नहीं हुई? क्या वे अहिंसाके एक अयोग्य व्याख्याता थे? अहिंसाका एक बेहतर साधन बनने के लिए उन्हें क्या फिरसे अपने जीवनकी बाजी नहीं लगा देनी चाहिए? उपचारको जानते हुए भी, वे इससे बचते क्यों रहे? अनशन करने से अपेक्षित परिणाम हाथ आयेगा या नहीं या उसका अन्त मृत्युमें होगा, यह सब इस कार्यमें अवरोधक नहीं बनना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि वह अनशन किस प्रकारका होगा, उन्होंने कहा कि इसके बारेमें तो मुझे भी नहीं मालूम। इसकी तो मैं स्वयं भी टोह ले रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि यह अनशन, यदि कभी हुआ भी तो, कब होगा। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि आह्वान आग्रहपूर्ण किया गया था।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि अनशन हुआ तो उससे लोग न तो घबरायेंगे और न दुःखी ही होंगे। उन्होंने लोगोंसे यह उम्मीद रखी कि वे हिंसाके वातावरणको हर तरहसे दूर करने में उनकी मदद करेंगे। अनशन समाप्त करने का और उसे रोकने का यही सबसे अच्छा तरीका है।

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स। सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

परिशिष्ट १५

तेजबहादुर सप्रूका पत्र[1]

व्यक्तिगत

२५ अक्तूबर, १९४४

प्रिय गांधीजी,

श्री हार्नीमैन द्वारा इस पूछताछके बाद कि क्या आप साम्प्रदायिक एकताकी स्थापनाके लिए एक और अनशनकी बात सोच रहे हैं, आपने जो वक्तव्य दिया है उसे मैंने अभी-अभी २४ अक्तूबरके 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में पढ़ा है। मैं जानता हूँ कि ऐसे मामलोंमें मैं कोई सलाहकार नहीं बन सकता और फिर आध्यात्मिक चिन्तनपर आधारित किसी मामलेके सम्बन्धमें किसीको अपनी सलाह देने में मुझे बड़ी झिझक महसूस होती है। मैं इस सारी बातपर लौकिक दृष्टिसे विचार कर रहा हूँ। मेरे खयालमें अपने जीवनके इस मोड़पर आपका अनशन करना बहुत बड़ी भूल होगी। इसके भीषण परिणाम हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आपका अनशन साम्प्रदायिक समस्याके हलमें सफल सिद्ध होगा। आप प्रायश्चित, आत्मशुद्धि अथवा विरोधके रूपमें अनशन कर सकते हैं लेकिन असली सवाल तो यह है कि इसका उन

१. देखिए पृ० २७५।

लोगोंके दिमागोंपर क्या असर पड़नेवाला है जिनकी मर्जीके बिना कोई साम्प्रदायिक समझौता हो ही नही सकता। मैं नहीं समझता कि जो लोग भिन्न राय रखते हैं वे आपके इस अनशनसे कुछ प्रभावित भी होंगे कि नहीं। वास्तवमें उनमें से कुछ लोग तो अनुदारतापूर्वक यह भी सुझा सकते हैं कि आप उनपर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत रायमें तो आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। आप पिछले अवसरपर असफल रहे थे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ही असफल रहेंगे। आपके इरादे नेक हैं, और यदि नम्रतापूर्वक मुझे यह कहने की अनुमति दें, तो मेरे विचारमें, इस पूरे प्रश्नसे निबटने का आपका तरीका भी बहुत अच्छा है। जो आप अभीतक प्राप्त नहीं कर सके हैं, यदि ईश्वरकी इच्छा हुई तो कुछ महीनों बाद उसे आप प्राप्त कर लेंगे। जो कार्रवाई आपके ध्यानमें है उसके विरुद्ध जितना भी हो सके उतने साफ-साफ शब्दोंमें लिखकर आपको सचेत करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

यदि मैंने आपका जरूरतसे ज्यादा समय लिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ। . . .

आदर सहित,

भवदीय,

महात्मा मो० क० गांधी
सेवाग्राम
वर्धा, म० प्रा०

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स। सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

परिशिष्ट १६

(क) तेजबहादुर सप्रूका पत्र[1]

व्यक्तिगत और गोपनीय

ज्ञान बाग
दक्षिण हैदराबाद
४ नवम्बर, १९४४

प्रिय महात्माजी,

आपके १ और ३ नवम्बरके दो पत्र देवदासने मुझे कल वर्धा स्टेशनपर दिये। डॉ० वेनी प्रसादके मार्फत भी मुझे आपका एक पत्र मिला था।

सर्वदलीय सम्मेलनके बारेमें मैंने कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है लेकिन उसके बारेमें मैंने कुछ मित्रोंको जरूर लिखा है और मैं उनके उत्तरोंकी प्रतीक्षामें हूँ। मुझे तो यह विचार अस्पष्ट और अनिश्चित लगता है। हमें यह तो सोच लेना चाहिए कि

१. देखिए पृ० २८७।

किन व्यक्तियोंको बुलाना है और 'एजेण्डा' क्या होगा। यह तो बिलकुल साफ है कि जिन व्यक्तियोंको हम बुलवायेंगे वे वहाँ अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे नहीं आयेंगे। सम्मेलनमें आपकी उपस्थिति काफी सहायक सिद्ध होगी और आप वक्तव्य जारी करके साफ-साफ शब्दोंमें हमें यह बता सकते हैं कि बम्बईमें बातचीत असफल होने के क्या कारण थे। आपका कहना है कि बातचीत असफल होने के कारणोंपर प्रकाश डालने के लिए तथा बातचीतमें व्यवधानके लिए कौन दोषी थे, इसपर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया जा सकता है। मैं सम्मेलनको इसकी तो सलाह नहीं दूँगा कि वह इस बातकी जाँच करे कि उसके लिए दोषी कौन था, क्योंकि यदि हमने एक बार किसीको दोषी करार दे दिया तो उसपर तो बहुत लम्बा विवाद उठ खड़ा होगा। यदि हम ऐसा सम्मेलन बुलायें और आपके विचार सुनें तो हम इस बातपर विचार कर सकते हैं कि समस्याके समाधानके लिए क्या उपाय ढूँढ़ने जरूरी हैं। इस दृष्टिसे तो यह प्रस्तावित सम्मेलन एक गवेषणायुक्त सम्मेलन होगा और इस प्रकार यह "जनमतको प्रेरित और शिक्षित" करेगा।

मुझे इस बातकी बहुत चिन्ता है कि आप किसी भी हालतमें अनशन न करें। मुझे मालूम है कि आप कितनी आध्यात्मिक शक्तिवाले व्यक्ति हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि ९९ प्रतिशत व्यक्ति धर्मको जो महत्त्व देते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्त्व आप देते हैं। यदि मैं इस मामलेपर स्वाभाविक और व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करूँ तो आशा है, आप मुझे क्षमा करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि अनशन करने से हो सकता है कि आपके मनको शान्ति मिले और आप ऐसा महसूस करें कि आप जिन्हें आजके युगकी बुराइयाँ समझते हैं उनका आपने प्रायश्चित कर लिया, लेकिन फिर भी आपके अनशनसे आपके विरोधियोंके दिल नहीं पिघलेंगे। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ-एक तो इतने अनुदार होंगे कि वे उलटे आपपर ही नापाक इरादोंका इल्जाम भी लगा देंगे। अपने इतिहासमें हमें आजसे पहले कभी इस बातकी ज्यादा जरूरत नहीं हुई जब हमने यह महसूस किया हो कि इस देशको राष्ट्रीयताके सच्चे पथपर अग्रसर करने के लिए आपको जीवित रहना ही है। मेरी तो कई वर्षोंसे यह धारणा रही है और आज भी है कि इस बातकी परवाह न करते हुए कि ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, हमें साम्प्रदायिकताके इस दानवका तो अन्त करना ही है। आपके विरोधी चाहे कुछ भी कहें, मुझे तो पक्का विश्वास है कि देश-भरमें आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी विषयपर साम्प्रदायिकताकी दृष्टिसे नहीं सोचते हैं। और यदि ऐसे समयमें इस देशको आपके मार्ग-दर्शनसे वंचित होना पड़ा तो देशका तो सर्वनाश हो जायेगा। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो विरोधका सामना कर सकते हैं और अपनेपर लगाये नापाक इरादोंके आरोपको भी हँसीमें टाल सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपमें सही मार्गपर चलने का साहस है। हालाँकि मेरे और आपके बीच मतभेद है और सविनय अवज्ञाके मामलेमें भी मैं आपसे

एकमत नहीं था, लेकिन मैं जो-कुछ भी कह रहा हूँ वह आपके प्रति पूरा सद्भाव रखते हुए कह रहा हूँ।

मैंने देवदासको बताया है कि मुझे मिली सूचनाके आधारपर ऊपरी हलकोंमें कुछ परिवर्तनकी सम्भावना है। लेकिन वह सूचना चाहे गलत हो या सही, वर्तमान स्थिति अब और ज्यादा देरतक नहीं चल सकती और जब मतभेदके राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए व्यावहारिक उपायोंपर विचार करने का समय आयेगा तो मेरे खयालमें आपकी आवाज ही सुनी जायेगी। मैं नहीं चाहता कि वह आवाज बन्द हो जाये। इसीलिए मैं आपसे अपनी पूरी आन्तरिकताके साथ यह अनशन न करने की अपील कर रहा हूँ।

जहाँतक मेरे वर्धा आने का सवाल है, यदि मैं ७ या ८ की शामको निकल सका और वर्धासे इटारसी और इटारसीसे इलाहाबाद के रिजर्वेशनका प्रबन्ध हो गया तो मैं आपके सन्देशके प्रत्युत्तरमें कुछ घन्टे वर्धामें रुकना चाहूँगा। . . .

परम आदर सहित,

भवदीय,

महात्मा मो० क० गांधी
सेवाग्राम
वर्धा, म० प्रा०

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स। सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

(ख) एक प्रस्ताव[1]

साम्प्रदायिकताके विषयपर हुई गांधी-जिन्ना बातचीतकी विफलतासे उत्पन्न वर्तमान स्थितिपर विचार करने के बाद गैर-दलीय सम्मेलनकी स्थायी समिति एक ऐसी समितिकी नियुक्ति करती है जो साम्प्रदायिकता और अल्पसंख्यकोंके प्रश्नपर संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टिसे विचार करेगी, जो साम्प्रदायिकताके प्रश्नमें रुचि लेनेवाले अल्पसंख्यकोंके साथ-साथ विभिन्न दलों और उनके नेताओंसे सम्पर्क स्थापित करेगी और दो महीनेके अन्दर-अन्दर गैर-दलीय सम्मेलनकी स्थायी समितिके सामने इस प्रश्नका समाधान प्रस्तुत करेगी। यह समाधान सभी सम्बन्धित दलोंको स्वीकार्य हो, इसके लिए स्थायी समिति सभी उचित कदम उठायेगी।

स्थायी समिति माननीय सर तेजबहादुर सप्रूको उक्त समितिके सदस्योंकी नियुक्ति का और यथासमय उनके नामोंकी घोषणा करने का अधिकार प्रदान करती है।

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स। सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

१. यह प्रस्ताव देवदास गांधीने गांधीजी के निर्देशोंके साथ तेजबहादुर सप्रूको भेजा था। देखिए पृ० २८७ और ३७३।

(ग) समझौता-समितिके लिए सुझाये गये नाम[1]

गैर-दलीय सम्मेलनकी स्थायी समिति १८ नवम्बर, १९४४ को दिल्लीमें बैठक करेगी और आगे बताये गये उद्देश्यके लिए एक समितिका गठन करेगी जिसके निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य होंगे :

१. सर तेजबहादुर सप्रू, अध्यक्ष;
२. सर बी० एन० राव;
३. कलकत्ताके बिशप;
४. सर मॉरिस ग्वॉयर;
५. सर एन० गोपालस्वामी अय्यंगार;
६. श्री सैयद अब्दुल्ला ब्रेलवी;
७. सर मिर्जा इस्माइल;
८. श्री कस्तूरी श्रीनिवासन;
९. सर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन;
१०. श्री जे० आर० डी० टाटा (या सर होमी मोदी);
११. राजा सर महाराज सिंह;
१२. डॉ० जाकिर हुसैन;
१३. डॉ० अब्दुल हक;
१४. श्री मुनिस्वामी पिल्लै; और
१५. सरदार सन्त सिंह

समितिका उद्देश्य निम्नलिखित होगा :

साम्प्रदायिकताके विषयपर हुई गांधी-जिन्ना बातचीतकी विफलताको देखते हुए समिति पूरे प्रश्नपर संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टिसे विचार करेगी, साम्प्रदायिकताके प्रश्नमें रुचि रखनेवाले दलों और उनके नेताओंसे सम्पर्क स्थापित करेगी और दो महीनेके अन्दर-अन्दर समाधान प्रस्तुत करेगी तथा समाधान सभी सम्बन्धित दलोंको स्वीकार्य हो, इसके लिए उचित कदम उठायेगी।

वर्धा
९-११-१९४४

[अंग्रेजीसे]
गांधी-सप्रू पेपर्स। सौजन्य : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

१. देखिए पृ० २८७।

परिशिष्ट १७

दुर्लबसिंहका पत्र[1]

लाहौर
१२ नवम्बर, १९४४

आदरणीय बापूजी,

. . . १९२९ के अपने लाहौर-प्रस्तावमें कांग्रेसने यह वादा किया था कि ऐसा कोई भी संविधान कांग्रेसको मान्य नही होगा जो सिखोको पूर्णतया सन्तुष्ट न कर सके। आप जानते है कि राजाजीके प्रस्तावोको लेकर ज्यादातर सिख परेशान हैं। मान लीजिए, श्री जिन्नाने प्रस्तावोंको उनके मौलिक रूपमें, अथवा उनके संशोधित रूपमें मान लिया होता तो फिर उस दशामें सिखोंकी क्या स्थिति होती?

मास्टर तारासिंहने अपने पत्रमें आपको सिख प्रतिनिधिमण्डलसे मिलने का जो सुझाव दिया था उस ओर आपके कोई ध्यान न देने के कारण अकाली लोग भी काफी गुस्सेमें है। क्या आप इस बातका खुलासा कर सकते है कि श्री जिन्नाके पास चर्चाके लिए जाने से पहले आपने सिख नेताओंको अपने पास बुलाने की जरूरत क्यों नही समझी?

श्री जगतनारायण लालके प्रस्तावमें यह स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि कांग्रेस देशके बँटवारेमें कोई हिस्सा नही लेगी। क्या यह सच नहीं है कि उस प्रस्तावसे राजाजी के प्रस्ताव मेल नही खाते? सिख जनताको तो बताया गया है कि सिखोंके तलवारमें विश्वास रखने के कारण गाधीजी उन्हें काग्रेसमें रखने के पक्षमें नही है। . . .

मास्टर तारासिंह और अन्य जिम्मेदार अकाली नेताओंने समाचारपत्रोंमें और मंचपर इस बातकी प्राय: घोषणा की है कि सिकन्दर-बलदेव सिंह समझौता तो कांग्रेस हाई कमान और सरदार पटेलके विशेष प्रतिनिधिकी, जो पूरी चर्चाके दौरान पंजाब में ही रहे, सहमति और आशीर्वादसे तैयार किया गया था और सरदारको सभी गतिविधियोंकी जानकारी दी जाती रहती थी। आगे, यह भी कहा जाता है कि आजाद पंजाब योजना आपकी सहमति और आशीर्वादसे शुरू हुई थी। राष्ट्रवादी सिख दोनों ही योजनाओंको राष्ट्र-विरोधी और देश तथा जातिके हितोंके विरुद्ध मानते है। क्या आप इस मामलेमें मार्ग-दर्शन कर सकते है?

१. देखिए पृ० ३२०।

अन्तमें, बापूजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप राष्ट्रवादी सिखोंको पूर्ण रूपसे यह आश्वासन तो दे दें कि उनके हित आपके हाथमें सुरक्षित हैं और उन हितोंका किसी भी कीमतपर बलिदान नहीं किया जायेगा। सिख जनताका दिल कांग्रेसके साथ ही है और राष्ट्रीयता तथा देश-प्रेम उनकी गौरवपूर्ण विरासत हैं। वे इन सिद्धान्तोंको नही छोड़ सकते, लेकिन उन्हें कमसे-कम इतनी तसल्ली तो मिलनी चाहिए कि कांग्रेस उनके साथ कोई अन्याय नही करेगी और . . . यह कि स्वतन्त्र भारतमें उन्हे उचित स्थान प्राप्त होगा।

आपकी दीर्घायुके लिए प्रार्थना करते हुए,

भवदीय,
दुर्लवसिंह

[अंग्रेजीसे]
द इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, १९४४, जिल्द २, पृ० २२१-२२

परिशिष्ट १८

अ० भा० चरखा संघ द्वारा पारित प्रस्ताव[1]

[३ दिसम्बर, १९४४ या उसके पूर्व]

चरखा संघके न्यासी मण्डलकी बैठक १, २ और ३ दिसम्बर, १९४४ को श्री गांधीजी की अध्यक्षतामें सेवाग्राममें हुई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

चरखेकी जड़ें तो गाँवोंमें ही व्याप्त है और चरखा संघके उद्देश्यकी सिद्धि तभी होगी जब हम इसके कार्यका भारतके गाँवोंमें विकेन्द्रीकरण कर दें जिससे कि ग्रामीण जीवनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए चरखा संघके न्यासी मण्डलकी यह बैठक तय करती है कि इस कार्यको पूरा करने के लिए संघकी नीतिमें निम्नलिखित परिवर्तन होने चाहिए :

(१) ऐसे ज्यादासे-ज्यादा शिक्षित कार्यकर्त्ताओंको, जो तैयार हों और मण्डल द्वारा चुने गये हों, गाँवोंमें काम करने के लिए भेजा जाना चाहिए।

(२) खादीके वर्तमान बिक्री-केन्द्रों और उत्पादन-केन्द्रोंकी गतिविधियोंपर रोक लगा देनी चाहिए।

(३) वर्तमान खादी प्रशिक्षण केन्द्रोंके पाठ्यक्रममें आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए तथा उनके कार्यक्षेत्रका भी विस्तार करना चाहिए। नये प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले जाने चाहिए।

१. देखिए पृ० ३९६।

(४) यदि किसी क्षेत्रमें (जो जिलेसे बड़ा न हो) कार्यकर्त्ताओंको चरखा संघ द्वारा निर्धारित नई नीतियोंके अनुसार काम आरम्भ करने की दृष्टिसे आत्म-निर्भर और स्वतन्त्र बनने के लिए कहा जाता है, तो संघको, यदि वे उनकी योजनाओंसे सह-मत हैं तो, चाहिए कि वह उस क्षेत्रसे हट जाये लेकिन जबतक कार्य संघकी नीतिके अनुरूप चलता रहे तबतक उसे मान्यता और अपना नैतिक समर्थन प्रदान करता रहे।

(५) चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ, हरिजन सेवक संघ और गोसेवा संघके नाम-जद व्यक्तियोंके एक संयुक्त मण्डलका गठन करना चाहिए जो समय-समयपर अपनी बैठक करके नई नीतिके आधारपर निर्देश जारी करता रहे।

इस संयुक्त मण्डलमें चरखा संघका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष, मन्त्री और श्री धीरेन्द्र मजमूदार करेंगे, जब कि अन्य चार संघोंके इसमें गांधीजी के अतिरिक्त दो-दो मनोनीत व्यक्ति होंगे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-१-१९४५

सामग्रीके साधन-सूत्र

(द) 'इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, १९४४', जिल्द २ : सम्पादक : नृपेन्द्रनाथ मित्रा, प्रकाशक : ऐनुअल रजिस्टर ऑफिस, कलकत्ता।

इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लन्दन।

'ऐन एथीस्ट विद गांधी' (अंग्रेजी) : जी० रामचन्द्रराव, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, १९५१।

'कॉरेस्पॉण्डेन्स विटविन महात्मा गांधी एण्ड पी० सी० जोशी' (अंग्रेजी) : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९४५।

'खादी : क्यों और कैसे?' : सम्पादक : भारतन कुमारप्पा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

'(द) गांधियन प्लान ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेन्ट फॉर इंडिया' (अंग्रेजी): श्रीमन्नारायण, पद्मा पब्लिकेशन्स, बम्बई, १९४४।

'गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ' : सम्पादक : सोहनलाल द्विवेदी, अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, १९४५।

'गांधी जिन्ना टॉक्स' (अंग्रेजी): प्रकाशक : 'हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्ली, १९४४।

गांधी सेवा संघ, सेवाग्राम।

'गांधीजीज कॉरस्पॉण्डेन्स विद द गवर्नमेन्ट', १९४२-४४ और १९४४-४७ (अंग्रेजी): नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, १९५९।

'गुजरात समाचार': अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती दैनिक।

'चरखा संघका नवसंस्करण' : खादी विद्या प्रकाशन, अखिल भारत चरखा संघ, सेवाग्राम, वर्धा, १९४५।

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद' : सम्पादक : काका कालेलकर, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।

'पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम' (अंग्रेजी): क० मा० मुन्शी, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, १९६७।

पुलिस कमिश्नरका कार्यालय, बम्बई।

प्यारेलाल पेपर्स : नई दिल्लीमें श्री प्यारेलालके पास सुरक्षित कागजात।

'प्राणलाल देवकरण नानजी अभिनन्दन ग्रन्थ' (गुजराती) : प्राणलाल देवकरण नानजी षष्ठिपूर्ति अभिनन्दन ग्रन्थ समिति, बम्बई, १९५६।

'बा बापुनी शिली छायामां' (गुजराती) : मनुबहन गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५२।

'बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने' (गुजराती) : सम्पादक : मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

'बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने' (गुजराती) : सम्पादक : मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५२।

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

'बापूकी छायामें' : बलवन्तसिंह, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४७।

'बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष' : हीरालाल शर्मा, ईश्वर शरण आश्रम मुद्रणालय, इलाहाबाद, १९५७।

'बापूके आशीर्वाद (रोजके विचार)' : सम्पादक : आनन्द तो० हिंगोरानी, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, १९६८।

'बॉम्बे क्रॉनिकल' : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

भारत कला भवन, वाराणसी।

'महात्मा : लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी', जिल्द ६ (अंग्रेजी) : डी० जी० तेंदुलकर, विट्ठलभाई के० झवेरी और डी० जी० तेंदुलकर, बम्बई, १९५३।

'महात्मा गांधी – द लास्ट फेज', जिल्द १, भाग १ (अंग्रेजी) : प्यारेलाल, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, १९६५।

म्युनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली : गांधी साहित्य और गांधीजी से सम्बन्धित कागज-पत्रोंका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

विश्वभारती पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन।

'संस्मरणो' (गुजराती) : गणेश वासुदेव मावलंकर, गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद, १९५४।

'सन्देश' : अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती दैनिक।

साबरमती संग्रहालय, अहमदाबाद : गांधीजी से सम्बन्धित पुस्तकों और कागजातोंका पुस्तकालय तथा अभिलेखागार।

'हितवाद' : नागपुरसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू' : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१ अगस्त, १९४४ – ३१ दिसम्बर, १९४४)

१ अगस्त : पंचगनीमें महीना भर ठहरने के बाद गांधीजी बम्बई रवाना हुए।

२ अगस्त : बम्बईमें 'डेली वर्कर' के प्रतिनिधिको भेंट दी।

३ अगस्त : सेवाग्राम पहुँचे।

५ अगस्त : ९ अगस्तका दिन कैसे मनाया जाये, इस सम्बन्धमें समाचारपत्रोंको वक्तव्य दिया।

श्यामाप्रसाद मुखर्जीको भेंट दी।

७ अगस्त : युनाइटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको भेंट दी।

८ अगस्त : समाचारपत्रोंको वक्तव्य जारी किया।

९ अगस्त : सेवाग्राममें ९ अगस्तके समारोहके उपलक्षमें ६० मिनटके सार्वजनिक कताई-यज्ञकी शुरुआत की।

तेजबहादुर सप्रूके साथ बातचीत की।

१० अगस्त : बंगालके कांग्रेसजनोंके साथ राजाजी-फार्मूलेके बारेमें चर्चा की।

१५ अगस्त : ड्यूटी सोसाइटीके शिष्टमण्डलको भेंट दी।

१७ अगस्तके पूर्व : पेगी डर्डिनको भेंट दी।

१८ अगस्त : वाइसरायके साथ हुए अपने पत्र-व्यवहारके सम्बन्धमें एसोशिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको भेंट दी।

३० अगस्त : अखिल भारतीय छात्र संघके लिए सन्देश भेजा।

३१ अगस्त : समाचारपत्रोंको दिये वक्तव्यमें जनतासे मु० अ० जिन्नाके साथ अपनी बातचीतकी सफलताके लिए प्रार्थना करने की अपील की।

१ सितम्बर : अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें भाषण दिया।

२ सितम्बर : अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें भाषण दिया।

३ सितम्बर : समाचारपत्रोंको वक्तव्य दिया।

अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें भाषण दिया।

५ सितम्बर : अ० भा० ग्रामोद्योग संघकी बैठककी अध्यक्षता की।

६ सितम्बर : अ० भा० हिन्दू छात्र संघके प्रतिनिधि-मण्डलने सेवाग्राममें गांधीजी की कुटियापर मु० अ० जिन्नाके साथ उनकी मुलाकातके विरोधमें धरना दिया। गांधीजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि बंगालसे सलाह-मशविरा किये बिना मैं कोई काम नही करूँगा।

९ सितम्बर : बम्बई पहुँचे।

मु० अ० जिन्नासे भेंट की; बातचीत शुरू हुई।

११ सितम्बर : बातचीत जारी रही।

गांधीजी ने प्रार्थना-सभामें भाषण दिया।

१२-१५ सितम्बर : जिन्नाके साथ बातचीत जारी रही।

१६ सितम्बर : बातचीत जारी रही।

गांधीजी ने प्रार्थना-सभामें भाषण दिया।

१७ और १८ सितम्बर : जिन्नाके साथ बातचीत जारी रही।

१९ सितम्बर : बातचीत जारी रही।

प्रार्थना-सभामें दिये भाषणमें गांधीजी ने भारतीय और विदेशी समाचारपत्रोंमें जो अटकलबाजियाँ लगाई जा रही थी उनके विरुद्ध लोगोंको सचेत किया।

२०-२३ सितम्बर : जिन्नाके साथ बातचीत जारी रही।

२४ सितम्बर . बातचीत जारी रही।

समाचारपत्रोंको दिये वक्तव्यमें गांधीजी ने सेवाग्राम आश्रमके भंग होने से सम्बन्धित अफवाहोंका खण्डन किया।

२५ और २६ सितम्बर : जिन्नाके साथ बातचीत जारी रही।

२७ सितम्बर : प्रार्थना-सभामें गांधीजी ने जिन्नाके साथ अपनी बातचीत असफल होने की घोषणा की।

२८ सितम्बर : बातचीतकी विफलताके सम्बन्धमें समाचारपत्रोको वक्तव्य दिया।

२९ सितम्बर : बातचीतकी असफलताके बारेमें 'न्यूज क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको भेंट दी।

३० सितम्बर : दोपहर बाद सेवाग्रामके लिए रवाना हो गये।

१ अक्तूबर . सेवाग्राम पहुँचे।

२ अक्तूबर : गांधीजी का जन्मदिन मनाया गया। गांधीजी ने कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक न्यासकी बैठकमें भाषण दिया; ८० लाख रुपयेकी थैली प्राप्त की।

७ अक्तूबर : अ० भा० चरखा संघकी पुनर्स्थापनाके सम्बन्धमें श्रीकृष्णदास जाजूके साथ बातचीत शुरू की।

८ अक्तूबर : बातचीत जारी रही।

१० अक्तूबर : बातचीत जारी रही।

फलतानके राजा द्वारा पूर्णरूपेण उत्तरदायी सरकार बनाने पर गांधीजी ने उन्हे बधाई-सन्देश भेजा।

११ अक्तूबर : समाचारपत्रोंके माध्यमसे जन्मदिवसपर भेजे बधाई सन्देशोंकी पावती स्वीकार की। श्रीकृष्णदास जाजूके साथ बातचीत जारी रही।

१२ अक्तूबर : बातचीत जारी रही।

१३ अक्तूबर : गांधीजी ने श्रीकृष्णदास जाजूके साथ बातचीत की।

१४ अक्तूबर : श्रीकृष्णदास जाजूके साथ बातचीत समाप्त की।

१६ अक्तूबर : 'द गांधियन प्लान ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेन्ट फॉर इंडिया' की प्रस्तावना लिखी।

२२ अक्तूबर : २८ अक्तूबरको बम्बईमें होनेवाले कांग्रेसजनोंके सम्मेलनके लिए "रचनात्मक कार्यकर्त्ताओंके लिए सुझाव" (हिंट्स फॉर वर्कर्स ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम) पुस्तिका लिखी।

सैयद महमूदकी रिहाई और वाइसरायके साथ उनके पत्र-व्यवहारके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंको एक वक्तव्य जारी किया और कांग्रेसजनोंसे अपील की कि वे सैयद महमूदको समाजसे बहिष्कृत न करें।

२२ अक्तूबर या उसके पश्चात् : अपने प्रस्तावित उपवासके सम्बन्धमें मित्रोंके साथ बातचीत की।

२३ अक्तूबर : प्रस्तावित उपवासके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंको वक्तव्य दिया।

२५ अक्तूबर : तेजबहादुर सप्रूको लिखे पत्रमें पाकिस्तानके मामलेपर गौर करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया।

२६ अक्तूबर : प्रस्तावित उपवासके सम्बन्धमें मृदुला साराभाईके साथ बातचीत की।

२७ अक्तूबरके पूर्व : हिन्दुस्तानी तालीमी संघके प्रतिनिधियोंके साथ बातचीत की।

२९ अक्तूबर : समाचारपत्रोंको दिये वक्तव्यमें कहा कि यदि शोषण और अन्याय खत्म कर दिया जाता है तो फिर उपवासकी कोई आवश्यकता नहीं है।

एन० जी० रंगाको भेंट दी।

२ नवम्बर या उसके पूर्व : एच० जे० खाण्डेकरके साथ बातचीत की।

७ नवम्बर : आभा और कनु गांधीके विवाहपर उन्हें बधाई दी।

९ नवम्बरके पूर्व : गुलजारीलाल नन्दाके साथ चर्चाके दौरान कहा कि : "हर व्यक्ति अगर अपने कर्त्तव्यका पालन करे, तो सम्भव है कि उपवास रुक जाये।"

१० नवम्बर : हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी बैठकमें भाषण दिया।

१२ नवम्बर : लन्दनमें आयोजित जवाहरलाल नेहरूके जन्मदिवस समारोहके लिए बधाई-सन्देश भेजा।

१७ नवम्बर : अहमदाबादमें "मजदूर-दिवस" के लिए सन्देश भेजा।

१९ नवम्बर : बुनियादी शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण शिविरका उद्घाटन किया।

२७ नवम्बर : एक वक्तव्यमें हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके उद्देश्यों और गतिविधियोंका स्पष्टीकरण किया।

२८ नवम्बर : एन० जी० रंगाको भेंट दी।

२९ नवम्बरके पूर्व : इलाहाबाद विद्यार्थी सम्मेलनके लिए सन्देश भेजा।

१ दिसम्बर : अ० भा० चरखा संघके न्यासियोंको सम्बोधित किया।

समाचारपत्रोंमें ४ से ३१ दिसम्बरतक पूर्णरूपसे विश्राम करने और "सारे सार्वजनिक कार्य बन्द रखने" के अपने निर्णयकी घोषणा की।

२ दिसम्बर : अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें शामिल हुए।

३ दिसम्बर : अ० भा० चरखा संघकी बैठकमें शामिल हुए।

११ दिसम्बर : जमनालाल बजाजकी समाधिके दर्शन किये।

१२ दिसम्बर : कुष्ठ आश्रम देखने गये।

२५ दिसम्बर : क्रिसमस दिवसपर सन्देश भेजा।

३० दिसम्बर : स्विट्जरलैण्डमें रोमाँ रोलाँका निधन।

शीर्षक-सांकेतिका

७८–३०

विविध

सांकेतिका

आ

ओ

औ

क

ख

ग

घ

च

ज

द

ध

न

प

फ

भ

य

र

ल

व

श